छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2025 सत्र

सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2025

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (*क्र. 79) श्री राजेश मूणत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि विधानसभा सत्र दिनांक 25.02.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र.76) के उत्तर में यह बताया गया था कि जनवरी, 2024 में पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन राजस्व विभाग को सौंपा जा चुका है? **(ख)** प्रश्नांक (क) में उल्लेखित अनुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शिकायत के कुछ बिन्दुओं पर गृह विभाग से जांच कराने के निर्णय पर क्या हुआ एवं इसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? **(ग)** क्या प्रश्नांक (क) में उल्लेखित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी दोषीगणों पर कार्रवाई कब तक की जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) हॉ।**(ख)** गृह विभाग के पत्र दिनांक 19.02.2025 द्वारा प्रशासकीय विभाग पुलिस जॉच अथवा एफआईआर कराने हेतु स्वयं सक्षम होने का उल्लेख कर प्रकरण राजस्व विभाग को वापस कर दिया गया। गृह विभाग के उपरोक्त टीप के परिपेक्ष्य मे राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जॉच ईओडब्ल्यू /एसीबी अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों से कराये जाने हेतु विभागीय ज्ञापन दिनांक 04.03.2025 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया है। **प्रपत्र संलग्न है**। **(ग)** जॉच प्रक्रियाधन होने से दोषीगणों पर कार्रवाई के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

जिला दुर्ग में ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना (क्रीडा प्रोत्साहन योजना) में खेल सामग्री का प्रदाय

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

2. (*क्र. 473) श्री देवेन्द्र यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-दुर्ग में ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना (क्रीडा प्रोत्साहन योजना) अन्तर्गत कितनी राशि की खेल सामग्री की खरीदी की गई है ? **(ख)** किन-किन फर्मो का कार्य आदेश जारी किया गया है? उन सभी फर्मो का पता व नाम सहित जानकारी दी जाए? **(ग)** क्या खेल सामग्री की खरीदी करने के पश्चात कोई शिकायत प्राप्त हुई है। यदि हां तो उन फर्मो पर क्या कार्यवाही की गयी है।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला दुर्ग में ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना अंतर्गत राशि

3107400/- की खेल सामग्री खरीदी की गई एवं क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत खेल सामग्री खरीदी की जानकारी निरंक है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर अंतर्गत सेटअप अनुसार पदों की भर्ती

[उच्च शिक्षा]

3. (*क्र. 14) श्री अजय चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में सेटअप अनुसार कौन-कौन से, कितने-कितने पदों की स्वीकृति प्राप्त है तथा उन पदों की भर्ती हेतु कब-कब विज्ञापन जारी किया गया व भर्ती हेतु क्या-क्या नियम शर्ते रखी गयी? **(ख)** क्या उक्त भर्ती के दौरान आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है ? यदि हां तो आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदों की जानकारी बतायें? **(ग)** उक्त भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है या पूर्ण हो चुकी है? यदि पूर्ण हो चुकी है तो आरक्षण रोस्टर के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का नाम, पदनाम सहित बतायें और स्थगित है तो उसका कारण क्या है तथा तक तक पुनः प्रारंभ कर, पूर्ण कर ली जायेगी? **(घ)** क्या उक्त भर्ती के संबंध में शिकायत प्राप्त हुयी है? यदि हां तो किनके द्वारा, कब एवं किन-किन बिन्दुओं पर शिकायत की गयी है और उस पर कब व क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रपत्र-अ संलग्न है। विश्वविद्यालय में 59 शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक-10, सह प्राध्यापक-19 एवं सहायक प्राध्यापक-30) की भर्ती हेतु दिनांक 05.10.2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 में उल्लेखित नियम अनुसार शर्ते रखी गई है। **(ख)** हां, **प्रपत्र-ब संलग्न** है। **(ग)** विज्ञापित 10 विभाग में से 08 विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची **प्रपत्र-स संलग्न** है। शेष 02 विभाग में आवेदन प्राप्त न होना एवं उपर्युक्त अभ्यर्थी नहीं होने के कारण भर्ती नहीं की गई। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** हां, **प्रपत्र-द संलग्न** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

बालोद जिला में क्रेडा विभाग अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट पोल का कार्य

[ऊर्जा]

4. (*क्र. 174) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला में क्रेडा विभाग अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट पोल का कार्य किया जा रहा है? उक्त कार्य किस मद में एवं कब स्वीकृत किया गया तथा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार उपरोक्त कार्य की कार्य एजेंसी/ठेकेदार का नाम बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) क्रेडा द्वारा बालोद जिला अंतर्गत 06 ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट पोल (सोलर पावर प्लांट मय स्ट्रीट लाईट एवं सोलर हाईमास्ट संयंत्र) स्थापित किये जा रहे है। विकासखण्डवार, मदवार एवं वर्षवार स्वीकृत राशि का विवरण **''संलग्न प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार कार्य की कार्य एजेंसी/ठेकेदार का नाम **''संलग्न प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

वेलकम डिस्टलरी द्वारा जल कर का भुगतान नहीं करने पर कार्यवाही

[जल संसाधन]

5. (*क्र. 195) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला बिलासपुर के ग्राम छेरकाबांधा में स्थित वेलकम डिस्टलरी द्वारा बिना अनुमति एवं अनुबंध के भू-जल का दोहन किया जा रहा है? अगर हां तो विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** जून, 2025 तक वेलकम डिस्टलरी द्वारा जलसंसाधन विभाग को जलकर की कितनी राशि का भुगतान किया जाना है? कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? और कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है और कब से शेष है? वर्षवार जानकारी क्या है? **(ग)** वेलकम डिस्टलरी द्वारा जलकर की राशि का भुगतान नही करने पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** जलकर राशि का भुगतान नहीं करने पर विभाग द्वारा जलकर की राशि की वसूली कैसे की जायेगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हाँ, जिला बिलासपुर के ग्राम छेरकाबांधा में स्थित वेलकम डिस्टलरी द्वारा जल संसाधन विभाग के बिना अनुमति एवं अनुबंध के भू-जल का दोहन किया जा रहा है। परन्तु संस्थान को केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण नई दिल्ली से भू-जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 05.01.2027 तक का प्राप्त है। (अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।) बिना अनुमति एवं अनुबंध के जल आहरण करने पर शासन द्वारा निर्धारित दर की राशि का तीन गुना राशि का देयक, भुगतान हेतु विभाग द्वारा संबंधित संस्थान को प्रति माह प्रेषित किया जाता है। **(ख)** माह जून 2025 तक वेलकम डिस्टलरी द्वारा जल संसाधन विभाग को जलकर की राशि रू. 89,99,61,338.00 भुगतान किया जाना है। संस्थान द्वारा अब तक प्रेषित देयकों के विरूद्ध कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त जल कर की राशि रू. 89,99,61,338.00 का भुगतान किया जाना शेष है। यह राशि मई 1998 से आज दिनांक तक शेष है। वर्षवार वसूली की जाने वाली राशि का **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** संस्थान द्वारा जल कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार शास्ति सहित जलकर देयक संस्थान की ओर प्रेषित किया जा रहा है। संस्थान द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वसूली हेतु निरंतर प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखे गये हैं। संस्थान द्वारा जलकर जमा नहीं करने पर कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा के पत्र दिनांक 20.06.2025 के द्वारा तहसीलदार रतनपुर जिला बिलासपुर की ओर जलकर वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का लेख किया गया है, जिसकी सूचना कलेक्टर, बिलासपुर एवं विभागीय उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित की गई है। **(घ)** जलकर राशि भुगतान नहीं करने पर संस्थान के विरूद्ध कार्यपालन अभियंता कोटा द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 20.11.2019 को तत्समय की राशि के भुगतान हेतु आर.आर.सी. जारी करने हेतु लिखा गया है। तत्संबंध में कार्यपालन अभियंता कोटा द्वारा तहसीलदार रतनपुर को दिनांक 20.06.2025 को पुनः पत्र लिखा गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

सिंचाई योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

[जल संसाधन]

6. (*क्र. 242) श्रीमती गोमती साय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सिंचाई योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता किन परिस्थितियों में प्राप्त करना आवश्यक है? **(ख)** क्या वित्त निर्देश 45/2010, दिनांक 29.10.2010 एवं कार्य विभाग नियमावली भाग -1 की कंडिका 2,005 में निहित प्रावधान के अनुरूप प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त जिन योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु अनुबंध/कार्यादेश नहीं हुए हैं और न ही प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कोई व्यय हुआ हो, ऐसी स्थिति में क्या पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता है? **(ग)** क्या दिनांक 14.03.2024 को सर्वेक्षण कार्य की

प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त भुरसीडांड एवं जोरण्डा झरिया जलाशय मध्यम परियोजना, जिसका अनुबंध/कार्यादेश जारी ही नहीं हुए हैं और न ही प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कोई व्यय किया गया है, ऐसी स्थिति में क्या पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता है? **(घ)** यदि, नहीं, तो क्या विभाग द्वारा विधानसभा बजट सत्र फरवरी-मार्च 2025 में तारांकित प्रश्न क्रमांक 1903 एवं ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 238 में गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो क्या?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सिंचाई योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता निम्न परिस्थितियों में प्राप्त किया जाना आवश्यक है- (A) प्रशासनिक अनुमोदन, प्रक्रम-I प्राक्कलन के आधार पर दिया गया है एवं अनुमोदित राशि से यदि प्राक्कलन में वृद्धि 20% अधिक होता है, अथवा होना प्रतीत होता है। (B) प्रशासनिक अनुमोदन प्रक्रम-II प्राक्कलन के आधार पर दिया गया है एवं अनुमोदित राशि से यदि प्राक्कलन में वृद्धि 10% अधिक व्यय होता है, अथवा होना प्रतीत होता है । (C) मूल प्रस्तावों में सामग्री का बदलाव किया गया है, भले ही उनकी लागत अन्य मदों की बचत से की जा सकती हो। **(ख)** वित्त निर्देश 45/2010, दिनांक 29.10.2010 एवं कार्य विभाग नियमावली भाग -1 की कंडिका 2,005 में निहित प्रावधान के अनुरूप प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त जिन योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु अनुबंध/कार्यादेश नहीं हुए हैं और न ही प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कोई व्यय हुआ हो, मूल प्रस्तावों में सामग्री का बदलाव होने पर, भले ही उनकी लागत अन्य मदों की बचत से की जा सकती हो की स्थिति को छोड़कर अन्य स्थितियों में, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। **(ग)** भुरसीडांड एवं जोरण्डाझरिया जलाशय मध्यम परियोजना के प्रथम चरण सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर द्वारा पूर्व में दिनांक 20.06.2023 को दी जा चुकी थी, जिसके आधार पर योजना के प्रारंभिक सर्वेक्षण का कार्य संपादित कराया गया था। दिनांक 14.03.2024 को सर्वेक्षण कार्य की शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त भुरसीडांड एवं जोरण्डा झरिया जलाशय मध्यम परियोजना, जिसका अनुबंध/कार्यादेश जारी नहीं हुए हैं और न ही कोई व्यय किया गया है। चूंकि मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर द्वारा पूर्व में इन योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। अतः योजनाओं में पूर्व में कराये गये सर्वेक्षण के अतिरिक्त विस्तृत सर्वेक्षण कार्य की आवश्यकता होने की स्थिति में, नियमानुसार इन योजनाओं की शासन से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है। **(घ)** विभाग द्वारा विधानसभा बजट सत्र फरवरी-मार्च 2025 में तारांकित प्रश्न क्रमांक 1903 एवं ध्यानाकर्ष्ण सूचना क्रमांक 238 में कार्य विभाग नियमावली 1983, वित्तीय निर्देशों तथा वास्तविक तथ्यों के आधार जानकारी प्रस्तुत की गई थी । अतः कार्यवाही का प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

<u>कोरबा जिला अंतर्गत स्थित जीर्ण-शीर्ण एवं अनुपयोगी शासकीय भवन</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

7. (*क्र. 403) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोरबा जिला अंतर्गत विकासखंड/तहसील/अनुभाग मुख्यालय में कितने जीर्ण-शीर्ण एवं अनुपयोगी शासकीय भवन स्थित हैं? खसरा नंबर/रकबा सहित विभागवार/तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या जीर्ण-शीर्ण एवं अनुपयोगी शासकीय भवन रिकार्ड में दर्ज खसरा/रकबा के अनुसार मौके पर स्थित हैं या उन पर बेजा-कब्जा कर लिया गया है? अगर स्थित नहीं हैं तो बेजा-कब्जा हटाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या शासन के द्वारा जीर्ण-शीर्ण एवं अनुपयोगी शासकीय भवनों के रख-रखाव, नये निर्माण के संबंध में कोई दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) तहसील कोरबा, कटघोरा, करतला, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा में जीर्ण-शीर्ण एवं अनुपयोगी शासकीय भवन स्थित नहीं है। **(ख)** जानकारी निरंक है। **(ग)** जिलों से समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बलौदाबाजार वि.स. क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-तरपोंगी, रा.नि.मं-तरपोंगी में शासकीय भूमि में अतिक्रमण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

8. (*क्र. 436) श्री आशा राम नेताम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बलौदा-बाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-तरपोंगी, रा.नि.मं-तरपोंगी में वर्ष 2022 से 15 जून, 2025 की स्थिति में कुल कितनी शासकीय भूमि में, किन-किन व्यक्तियों के द्वारा, कुल कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर, खेत, दुकान, मकान आदि का निर्माण किया गया है ? खसरा नम्बर सहित बतायें ? **(ख)** उक्त अतिक्रमण संबंधी विभाग को क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आया है ? यदि हॉं क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** ग्राम स्तर पर शासकीय भूमि में अतिक्रमण न हो, इस कौन जवाबदेह है ? क्या अतिक्रमण की जानकारी विभाग के संज्ञान में संबंधित द्वारा लाई गई ? यदि नहीं तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई ? नहीं की गई तो क्यों ? **(घ)** उक्त अतिक्रमित भूमि को कब तक मुक्त करा लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तरपोंगी, प.ह.नं. 04 में प्रश्नाधीन अवधि में कुल 02 शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है। ख.नं. 304/1 रकबा 12.572 हे. के भाग पर श्रीमती जानकी वर्मा पति ईश्वरी दयाल वर्मा, श्री महेश्वर वर्मा पिता टापसिंह वर्मा, श्री गोविंद वर्मा पिता दुकलहा, श्री दिनेश पिता कुनकी, श्री श्रीराम पिता रूसु, श्री दुजे वर्मा, श्री मयाराम पिताकुंजलाल का अतिक्रमण है। ख.नं. 130/1 रकबा 4.047 हे. के भाग 0.008 हे. भूमि पर श्री डागेश्वर वर्मा पिता रामेश्वर वर्मा द्वारा अतिक्रमण किया गया है। **(ख)** अतिक्रमण के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है।**(ग)** ग्राम स्तर पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न हो, इस हेतु ग्राम पंचायत एवं राजस्व विभाग जवाबदेह है, अतिक्रमण की जानकारी संबंधित हल्का पटवारी द्वारा लाई गई है।**(घ)** अतिक्रमित भूमि से 03 व्यक्तियों का अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है, शेष व्यक्तियों का प्रकरण न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, समय बताया जाना संभव नहीं है।

अरपा भैंसाझार परियोजना अंतर्गत वित्तीय अनियमितता के दोषियों पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

9. (*क्र. 218) श्री धरमलाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि बिलासपुर जिले की अरपा भैंसाझार परियोजना के चकरभाठा व अन्य वितरक नहर के ग्राम सकरी व अन्य ग्राम में 18 या अधिक खसरों की 5.96 एकड़ या अधिक/कम भूमि, जो कि नहर निर्माण से प्रभावित ही नहीं थी, उस हेतु करोड़ों रुपए के गलत भुगतान की गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए कर्मचारी व अधिकारी को दोषी पाया गया था? यदि हॉ तो किन-किन को क्यों दोषी पाया गया था ? नाम, पदनाम एवं कारण सहित बतावें तथा इनके विरूद्ध अब तक क्या-क्या विभागीय एवं आपराधिक कार्यवाही की गई है एवं दोषी भू-माफियाओं के विरुद्ध अब तक क्या-क्या आपराधिक कार्यवाही की गई है? **(ख)** क्या यह सही है कि सकरी ग्राम के मुआवजा प्रकरण में ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 224 में 21 खसरे की पड़त एवं एक फसली भूमियों को दो फसली भूमि होना दिखाकर अधिक दर से भुगतान कराकर करोड़ों रुपए के अतिरिक्त भुगतान किए जाने के संबंध में ध्यानआकर्षित किये जाने पर या अन्य कारणों से कलेक्टर बिलासपुर द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 को कितने सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी? **(ग)** क्या यह

सही है कि एसीबी/ईओडब्ल्यू को प्रकरण जांच हेतु दे दिया गया है ? यदि हॉ तो कब व किस-किस के विरूद्व व इसकी अद्यतन स्थिति क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हाँ,बिलासपुर जिले की अरपा भैसाझार परियोजना के चकरभाठा व अन्य वितरक नहर में गलत भुगतान एवं वित्तीय अनियमिमता के लिये कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाये गये हैं। शेष जानकरी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार।**(ख)** जी हाँ, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तखतपुर के नेतृत्व में 07 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है।**(ग)** जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-22/62/92/1-10, दिनांक 15.06.1992 के अनुसार प्राप्त शिकायत में शासकीय कर्मचारियों के साथ निजी व्यक्तियों की भी अनियमितता में संलिप्तता परिलक्षित होने शिकायत की जाँच राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) से कराये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग(कक्ष-7) को लिखा गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

पूर्ववर्ती सरकार में प्रारंभ योजनाओं की स्थिति

[सामान्य प्रशासन]

10. (*क्र. 141) श्री भूपेश बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- दिसम्बर, 2018 से जून, 2023 के बीच पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आरंभ कौन-कौन सी योजनाओं को बंद किया गया है तथा कौन सी योजनाएं अभी भी जारी हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जानकारी संकलित की जा रही है।

रायपुर जिले में लालपुर स्थित शराब दुकान में आबकारी विभाग की कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

11. (*क्र. 10) श्री अनुज शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि रायपुर जिले में लालपुर स्थित शराब दुकान में माह जून, 2025 में बिना होलो-ग्राम तथा मिलावटी शराब के साथ वित्तीय अनियमितता पर विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है? यदि हां तो इस कार्यवाही में विभाग को क्या-क्या अनियमिततायें तथा कितनी मात्रा में अवैध/मिलावटी शराब बरामद की गई? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार उक्त कार्यवाही में किन-किन कर्मचारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? कौन से आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं तथा कौन-कौन आरोपी फरार हैं? **(ग)** क्या विभाग द्वारा इस प्रकरण में प्लेसमेंट कंपनी बाम्बे इंटीग्रेटेड सिक्यूरिटी इंडिया लिमि.के अन्य अधिकारियों तथा आबकारी विभाग के किसी अधिकारी की संलिप्तता के संबंध में किसी प्रकार की जांच की गई? यदि हां तो क्या और यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) हां, यह सत्य है कि आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा रायपुर जिले में लालपुर स्थित शराब दुकान में 13 जून 2025 को बिना होलो-ग्राम तथा मिलावटी शराब के साथ वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही की गई है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता को कम्पोजिट मदिरा दुकान लालपुर में मिलावटी मदिरा की 265 पेटी पाव एवं बिना होलो-ग्राम की मदिरा की 34 पेटी पाव कुल 299 पेटी पाव बरामद की गई। मदिरा दुकान में मदिरा बिक्री राशि की जांच करने पर 12,10,480/- रूपये की कमी पायी गई। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार उक्त कार्यवाही में दुकान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी के 01 सुपरवाइजर शेखर बंजारे, 03 विक्रयकर्ता मनीष रामटेके, श्याम किशोर साहू, युवराज मधुकर एवं 01 मल्टीवर्कर सागर सोनवानी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। 03 विक्रयकर्ताओं को

रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया तथा सुपरवाइजर एवं मल्टीवर्कर फरार है। उपरोक्त सभी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है तथा भविष्य में किसी भी मदिरा दुकान में कार्य करने से वंचित कर दिया गया है। **(ग)** प्रकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी बाम्बे इंटीग्रेटेड सिक्यूरिटी इंडिया लिमि. को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार "कारण बताओ सूचना" पत्र जारी किया गया है तथा विभाग द्वारा मदिरा दुकान के प्रभारी, सहायक जिला आबकारीअधिकारी को निलंबित किया गया है।

खनिज विभाग द्वारा खनन अनुबंध के तहत रायल्टी वसूली

[खनिज साधन]

12. (*क्र. 147) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ खनिज विभाग द्वारा राज्य के ठेकेदारों से उनके द्वारा खनन अनुबंध से बाहर की गई सामग्री पर तीन गुना रॉयल्टी की राशि वसूलने का आदेश दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा WPC नंबर 1818/ 2016 में ऐसा करना गैर कानूनी ठहराया गया है? यदि हां तो इस आदेश के जारी होने का क्या आधार है और किन संस्थानों या विभागों पर यह प्रभावी है? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी नहीं। अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 30.06.2020 के तहत् छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 71**(क)** अनुसार शासकीय/अर्द्धशासकीय निर्माण विभागों में ठेकेदार के माध्यम से कराये गये निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले गौण खनिजों के बाजार मूल्य के बराबर राशि संबंधित निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार के देयकों से काटकर रखे जाने तथा खनिज विभाग से रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने उपरांत काटी गई राशि ठेकेदारों को वापस किया जाना प्रावधानित है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

राजनांदगांव वनमंडल के उप.परिक्षेत्र डोंगरगढ़ के गांव में वन अधिकार मान्यता पत्र का प्रदाय

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

13. (*क्र. 289) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- 20 जून, 2025 तक राजनांदगांव वनमंडल के उप-परिक्षेत्र डोंगरगढ़ के कम्पार्टमेंट क्रमांक 467 में कौन-कौन से गांव/बस्ती हैं और उक्त गांव या बस्ती में कितने परिवार निवासरत हैं? क्या विगत 3 वर्षो में उक्त कम्पार्टमेंट से वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है? यदि हॉ तो कितने हितग्राहियों को मान्यता पत्र प्रदान किया गया है? मान्यता पत्र प्रदान करने की तिथि एवं क्रमांक की हितग्राहीवार जानकारी सहित उक्त कम्पार्टमेंट की वर्तमान भौगोलिक एवं वानस्पतिक स्थिति की जानकारी देवें।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : 20 जून, 2025 तक राजनांदगांव वनमंडल के उप-परिक्षेत्र डोंगरगढ़ में कोई कम्पार्टमेंट क्रमांक 467 स्थित नहीं है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

रायगढ़ जिले में रेत उत्खनन एवं भंडारण

[खनिज साधन]

14. (*क्र. 33) श्री उमेश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 20/06/2025 तक रायगढ़ जिलान्तर्गत रेत उत्खनन हेतु कितने घाट की अनुमति प्रदान की गई है और प्रश्नांकित अवधि तक कितना और कहाँ रेत उत्खनन और भंडारण किया गया है? यह भी

बताएं कि प्रश्नांकित अवधि में अवैध रेत उत्खनन एवं भंडारण का मामला कहां-कहां पर और कितनी मात्रा व राशि का प्राप्त हुआ है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 20.06.2025 तक रायगढ़ जिलान्तर्गत ग्राम उसरौट में 01 रेत उत्खनन पट्टा स्वीकृत है। प्रश्नाधीन अवधिमेंस्वीकृत रेत खदानो से कुल 27,206 घ.मी. रेत का उत्खनन किया गया है। स्वीकृत रेत भण्डारण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र -''अ'' अनुसार है**। प्रश्नांकित अवधि में अवैध रेत उत्खनन एवं भंडारण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र -''ब'' अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

बिगड़े वनों की सुधार योजना

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

15. (*क्र. 336) श्री भोलाराम साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले में वर्ष 2022-23 से 20 जून, 2025 तक किन-किन परिक्षेत्र अंतर्गत, कितनी-कितनी लागत से बिगड़े वनों की सुधार योजना के अंतर्गत कितने पौधे कहॉ-कहॉ पर, किस प्रजाति के लगाए गए हैं ? वर्षवार, वनपरिक्षेत्रवार, स्थलवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' की अवधि में रोपे गए कितने पौधे सुरक्षित हैं ? वर्षवार, वनपरिक्षेत्रवार, स्थलवार जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौंकी जिले में वर्ष 2022-23 से 20 जून 2025 तक दोनों जिलों के परिक्षेत्र अंतर्गत बिगड़े वनों की सुधार योजना के अंतर्गत किए गए पौधा रोपण का वर्षवार, परिक्षेत्रवार, लागतवार, स्थलवार, प्रजातिवार, **विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। (ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में रोपे गए पौधों में से सुरक्षित पौधों का वर्षवार, वनपरिक्षेत्रवार, स्थलवार **विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

प्रदेश के शक्कर कारखानों की क्षमता

[सहकारिता]

16. (*क्र. 193) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कहाँ कहाँ, कितने शक्कर शुगर कारखाने स्थापित/ संचालित है ? उक्त कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है ? जिलावार जानकारी दें ? **(ख)** क्या कंडिका -क के कारखाने घाटे में हैं ? अगर हाँ तो क्यों ? ये घाटा कितना है ? कारखानावार जानकारी दें ? **(ग)** क्या कंडिका-ख के घाटे को पूरा करने हेतु कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो कब तक क्रियान्वित की जाएगी ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है । **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है । **(ग)** जी नहीं, यद्यपि शक्कर कारखाने के घाटे के कारणों का अध्ययन कर कारखानों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है तथा राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी सलाहकार संस्थाओं (राष्ट्रीय सहकारी चीनी संघ, नई दिल्ली तथा वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, पुणे) को कारखानों के तकनीकी निरीक्षण/परीक्षण कर तकनीकी परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत परीक्षण पश्चात् आगामी कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।**[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]**

रायपुर शहर में डायवर्टेड भूमि को पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

17. (*क्र. 133) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर शहर में सभी डायवर्टेड प्लाटों/मकानों को क्या पटवारी के रिकार्ड में भी दर्ज कर दिया गया है ? अगर नहीं तो क्यों ? इसके लिए कौन जवाबदेह है ? यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा? **(ख)** कंडिका **(क)** के प्लाट एवं मकानों की खरीदी बिक्री में नागरिकों की सुविधा के लिए क्या किया जा रहा है ? क्या ऐसे प्रकरणों में पटवारी रिकार्ड में दर्ज करने के नाम पर तहसील एवं अनुभाग कार्यालय के चक्कर नागरिकों को लगाना पड़ रहा है ? शासन क्या कार्यवाही करेगा ? **(ग)** कंडिका **(क)** के प्रकरण भू-अभिलेख में अद्यतन नहीं हैं तो वही प्रकरण दोबारा दर्ज करने की कार्यवाही भू-राजस्व संहिता की किस धारा के तहत किया जा रहा है ? क्या इसकी जांच कराई जायेगी? हॉ तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) हां रायपुर शहर में सभी डायवर्टेड प्लाटों/मकानों को पटवारी के रिकार्ड में भी दर्ज कर दिया गया है। चूंकि यह सतत् प्रक्रिया है इसलिए नये भूमि स्वामी/मकान स्वामी द्वारा क्रय/अन्य माध्यम से अर्जन होने पर विधिवत न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर आदेश उपरांत पटवारी द्वारा रिकार्ड में दर्ज किया जाता है। **(ख)** कंडिका (क) के प्लाट एवं मकानों की खरीदी बिक्री में नागरिकों की सुविधा के लिए वर्तमान में रजिस्ट्री उपरांत स्वत: नामांतरण उपरांत ऑनलाईन डिजिटल बी1 खसरा पांचसाला स्वत: जनरेट होता है। **(ग)** कंडिका (क) के प्रकरण यदि ऑनलाईन भू-अभिलेख में अद्धतन नहीं है तो ऐसे प्रकरण त्रुटि सुधार अंतर्गत भू-राजस्व संहित की धारा 115 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ एवं आपदा से प्रभावितों को मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

18. (*क्र. 190) श्री ललित चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से 20/6/2025 तक बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा अथवा अतिवृष्टि से कितने ग्राम प्रभावित हुए ? ग्रामवार सूची दें? आपदा से प्रभावित किसानों को मुआवजा हेतु कितने प्रकरण प्राप्त हुए? कितने किसानों को मुआवजा राशि स्वीकृत हुई है ? कितनी राशि का वितरण हुआ ? कितने प्रकरण लंबित हैं? ग्रामवार, वर्षवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या सभी पात्र किसानों को मुआवजा वितरित किया गया है? **(ग)** दुर्ग ग्रामीण एवं शिवनाथ नदी क्षेत्र के ग्रामों में अगस्त से सितम्बर माह में बारिश अधिक होने से मोंगरा बैराज एवं अन्य बांधों से बिना सूचना के,अचानक पानी छोड़ने से जन-धन, फसल की क्षति की समस्या के समाधान के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में बाढ़, ओलावृष्टि,सूखा एवं अतिवृष्टि से कुल 03 ग्राम मोहलई, मालूद तथा नगपुरा प्रभावित हुये। कुल 11 प्रकरण प्राप्त हुये।सभी 11 प्रकरणों में किसानों को मुआवजा राशि स्वीकृत कर कुल रूपये 89,539.00 का भुगतान कर दिया गया है। कोई प्रकरण लंबित नहीं है। प्रकरण लंबित नही होने के कारण ग्रामवार, वर्षवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है। **(ख)** सभी पात्र किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। **(ग)** दुर्ग ग्रामीण एवं शिवनाथ नदी क्षेत्र के ग्रामों में अगस्त से सितम्बर माह में बारिशअधिक होने से मोंगरा बैराज एवं अन्य बांधों से बिना सूचना के अचानक पानी नहीं छोड़ा गया है। बल्कि पानी छोडने के पूर्व संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रसारित कीजाती है। पानी छोडे जाने के पूर्व नदी किनारे बसे इलाकों में ग्राम कोटवारों, नगरीय क्षेत्र में नगर निगम के माध्यम से आम लोगों को सचेत कर दिया जाता है। प्रभावितक्षेत्रों का समय पूर्व चिन्हांकन कर स्थाई/अस्थाई राहत कैम्प तैयार किये जाते हैं।जिसमें आपातिक स्थिति से निपटने

हेतु राहत कैम्प में खाद्यान्न सहित अन्य व्यवस्थाकी जाती है। आश्रयों/राहत शिविरों के नियमित कीटाणु सोधन और स्वच्छता के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है एवं उपचार के लिए आवश्यक दवाई एवं मेडिकल टीम की व्यवस्था किया जाता है।

लू के प्रकोप से हुई मृत्यु का प्रदत्त मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

19. (*क्र. 296) श्री सुशांत शुक्ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में वर्ष 2021 से 20.06.2025 तक लू के प्रकोप से कितनी मौतें हुई हैं? वर्षवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अवधि में हुई मृत्यु के कितने प्रकरणों में मुआवजा राशि प्रदान की गयी? कितने प्रकरणों में मुआवजा राशि लंबित है? लंबित होने का क्या कारण है? कब तक निराकरण कर मुआवजा प्रदान कर दिया जायेगा? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (**क**) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में लू के प्रकोप से हुई मृत्यु की जानकारी वर्षवार एवं जिलेवार **संलग्न प्रपत्र** में दर्शाये अनुसार है। **(**ख**)** कुल 90 प्रकरणों में मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। 03 प्रकरण लंबित है। राजस्व न्यायालय में एवं पुलिस अधीक्षक से अंतिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित है। भुगतान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

मत्स्य पालन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण एवं प्रदत्त रोजगार

[मछली पालन]

20. (*क्र. 272) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत मत्स्य पालन पाठ्यक्रम के कितने कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान कब से और कहां कहां संचालित हैं तथा उक्त पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु शैक्षणिक अहर्ता है? **(ख)** दिनांक 20 जून, 2025 तक उक्त पाठ्यक्रम अंतर्गत कितने छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं तथा कितनों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तथा शेष को रोजगार प्रदान करने हेतु संस्थान/ विभाग की क्या कार्ययोजना है। **(ग)**छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य का उत्पादन (प्रजाति वार) एवं प्रदेश में इसकी खपत किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है, जानकारी प्रदान करें? **(घ)**क्या बस्तर संभाग के अंतर्गत मत्स्यपालन विषय के पाठ्यक्रम हेतु कोई शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं, हां या नहीं। यदि नहीं तो क्या आगामी वर्षों में मत्स्य पालन हेतु बस्तर संभाग में शैक्षणिक संस्थान प्रारंभ किए जाने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है या नहीं? **(ड़)** मत्स्य पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? भविष्य में इस पाठ्यक्रम से रोजगार हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित है, जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) प्रश्नांक-क की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** दिनांक 20 जून, 2025 तक बी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम से 402 विद्यार्थी, एम.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम से 04 विद्यार्थी एवं डी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम से 59 विद्यार्थी इस प्रकार कुल 465 छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हो चुके हैं। बी.एफ.एस.सी./एम.एफ.एस.सी. उत्तीर्ण छात्रों में से 70 छात्र-छात्राओं को मत्स्य निरीक्षक/सहायक मत्स्य अधिकारी के पद पर मछलीपालन विभाग में रोजगार उपलब्ध कराया गया है, साथ ही अधिकांश उत्तीर्ण छात्र/छात्रा उच्च शिक्षण, निजी क्षेत्र में रोजगार में संलग्न है। मत्स्य पालन पाठ्यक्रम से शिक्षित बेरोजगार युवा विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर, स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। **(ग)** प्रश्नांश-ग की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(घ)** बस्तर संभाग के अंतर्गत मत्स्यपालन विषय के पाठ्यक्रम हेतु कोई शैक्षणिक संस्थान संचालित नहीं है तथा वर्तमान में कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है। (ड़) मत्स्य पाठ्यक्रम का मूल

उद्देश्य मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मत्स्य प्रसंस्करण हेतु सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक रूप से शिक्षित करने के साथ मत्स्यपालन में स्वरोजगार एवं प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षित मत्स्य शक्ति को बढ़ावा देना है। प्रदेश में नवीन मछली पालन नीति-2022 प्रशावशील है, नीति अंतर्गत मछुआ व्यक्ति/बेरोजगार युवा जो मछली पालन में डिप्लोमा/स्नातक/स्नात्कोत्तर हो, को तालाब/जलाशय का पट्टा आबंटन करने हेतु प्राथमिकता का प्रावधान है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

जिला मुंगेली, बिलासपुर एवं बेमेतरा में खनिज न्यास निधि में प्राप्त राशि

[खनिज साधन]

21. (*क्र. 145) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 01/07/2023 से दिनांक 20.06.2025 तक डी.एम.एफ.मद में जिला मुंगेली, बिलासपुर एवं बेमेतरा को कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त राशि में से किन-किन कार्यो हेतु कुल कितनी राशि का दिनांक 20.06.2025 तक उपयोग किया गया? कार्यवार जानकारी देवें? **(ख)** जिलों को आबंटित राशि मे से दिनांक 20.06.2025 तक कितनी राशि शेष है तथा किन-किन कार्यों में कितनी राशि व्यय की जानी है? कार्यवार जिलेवार बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला मुंगेली, बिलासपुर एवं बेमेतरा जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में राशि आंबटन की जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ"** अनुसार है। प्राप्त राशि में से स्वीकृत कार्यो एवं व्यय राशि की जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ख)** आबंटन राशि में से व्यय पश्चात शेष राशि की जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब"** अनुसार है।

पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर में नियमविरूद्ध नियुक्ति की जांच एवं कार्यवाही

[उच्च शिक्षा]

22. (*क्र. 170) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा वर्ष 2024-25 में सहायक ग्रेड-3 एवं छात्र कल्याण अधिकारी के पद पर की गई भर्ती में नियम विरूद्ध नियुक्ति करने एवं वित्त विभाग के निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां तो क्या उसकी जांच कराई गई? प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी हां, जी हां, शिकायतकर्ता श्री अनूप कुमार खलखो, रायपुर से प्राप्त शिकायत के संबंध में आयुक्त कार्यालय के द्वारा डॉ. प्रवीण पाण्डेय, अतिरिक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच प्रतिवेदन दिनांक 03.07.2025 को प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला सक्ती में धान रिवाल्विंग खाता से राशि गबन करने की शिकायत की जांच और कार्यवाही

[सहकारिता]

23. (*क्र. 122) श्री रामकुमार यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सच है कि कलेक्टर सक्ती के आदेश क्रमांक 4061, दिनांक 08.10.2024 द्वारा तत्कालीन संस्था प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति, अमलडीहा, शाखा डभरा और तत्कालीन शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा डभरा के विरुद्ध धान रिवाल्विंग खाते से 40 लाख रुपए आहरण कर गबन करने की शिकायत की

जांच के आदेश दिए गए हैं? **(ख)** प्रश्नांक "क" यदि हां तो जांच प्रतिवेदन के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और कार्यवाही लंबित है तो इसके क्या कारण हैं? कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी? जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां। **(ख)** जांच प्रतिवेदन के आधार पर सेवा सहकारी समिति के दोषी पाये गये तत्कालीन संस्था प्रबंधक श्री मनोज कुमार पटेल को निलंबित किया गया है तथा शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर, शाखा- चन्द्रपुर द्वारा श्री मनोज कुमार पटेल के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी, थाना-चन्द्रपुर को पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही संस्था को हुई आर्थिक क्षति के संबंध में सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला- सक्ती द्वारा विशेष अंकेक्षण हेतु टीम का गठन किया गया है।

जिला महासमुंद में रकबा बढ़ाकर धान खरीदी एवं फर्जी केसीसी लोन की शिकायतों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

24. (*क्र. 199) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले के प्राथमिक सहकारी सोसायटियों में रकबा बढ़ाकर धान खरीदी एवं फर्जी केसीसी लोन, मृत व्यक्तियों के नाम पर धान बिक्री एवं ऋण लेने के सम्बन्ध में शासन एवं प्रशासन को वर्ष 1 जनवरी, 2024 से 30 मई, 2025 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? **(ख)** प्रश्नांश "क'' की जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सहित बतावें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रश्नांकित अवधि में महासमुंद जिले की 02 सहकारी समिति जाडामुंडा एवं सिंगबहाल में रकबा बढाकर धान खरीदी करने की शिकायतें प्राप्त हुई है। जिले की अन्य सहकारी समितियों में फर्जी केसीसी लोन, मृत व्यक्तियों के नाम पर धान बिक्री एवं ऋण लेने के संबंध में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** सहकारी समिति जाडामुंडा में रकबा बढाकर धान खरीदी करने की शिकायत की जांच में पाये गये दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न** '**प्रपत्र**' अनुसार है। सहकारी समिति सिंगबहाल में रकबा बढाकर धान खरीदी करने की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में अप्रैल 2025 को की गई है। शिकायत की जांच हेतु उप आयुक्त सहकारिता विभाग द्वारा एक जांच दल गठित किया गया है, शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

उन्दती सीतानदी टाईगर रिजर्व अरसीकन्हार रेंज अंतर्गत अधूरे शासकीय आवास निर्माण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

25. (*क्र. 65) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** उन्दती सीतानदी टाईगर रिजर्व अरसीकन्हार रेंज अंतर्गत वर्ष 2018-19 में किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि के वनरक्षक आवास सह अहाता, सी.सी.रोड निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ? स्वीकृत आवास की लागत अनुसार प्रति आवास के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है ? कृपया अवगत करावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार क्या उक्त स्वीकृत आवास पूर्ण हो गए हैं ? यदि नहीं तो स्वीकृत आवास किस तिथि तक पूर्ण होना था ? निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण नहीं होने पर सबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? कृपया अवगत करावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व अरसीकन्हार रेंज अंतर्गत वर्ष 2018-

19 में वनरक्षक आवास सह अहाता, सीसी रोड निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की राशि स्वीकृति नहीं हुई है। अपितु कैम्पा मद के ए.पी.ओ. वर्ष 2018-19 में वनरक्षक के 08 आवासों हेतु राशि रू. 43.76 लाख का प्रावधान था। जिसकी स्वीकृति वास्तव में दिनांक 18.05.2021 को प्राप्त हुई थी। स्वीकृत आवास की लागत प्रति आवास रू. 5.47 लाख है एवं प्रत्येक आवास हेतु **व्यय राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।(ख)** स्वीकृत कार्य अपूर्ण है। सामान्यतः उक्त कार्य को वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत अर्थात 31 मार्च तक पूर्ण हो जाना चाहिए था। परन्तु विशेष परिस्थिति जैसे कोविड-19 (करोना काल), स्टॉफ की कमी, दुर्गम व नक्सल क्षेत्र होने के कारण समय पर मजदूर, मिस्त्री नहीं मिलने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। अपूर्ण 08 नग आवास हेतु शेष राशि रू. 16.60 लाख बची है तथा शासन को कोई क्षति नहीं हुई है। उक्त विलंब हेतु संबंधित वनपाल को पत्र क्रमांक 393 दिनांक 23.01.2025 एवं परिसर रक्षक को पत्र क्रमांक 235 दिनांक 18.01.2025 के माध्यम से उप निदेशक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद द्वारा कार्य समय पर नहीं कराये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में संचालित ईंट भट्ठे

[खनिज साधन]

1. (क्र. 1) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में मिट्टी से ईंट बनाने वाले कितने ईंट भठ्ठा संचालित हैं? संचालित ईंट भट्ठा में कितने अनुमति प्राप्त हैं? कितने अवैध संचालित हैं? स्थान के नाम सहित विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** शासन के नियमानुसार इनमें कितने ईंट भठ्ठों को खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया है? इसके अतिरिक्त संचालित ईंट भठ्ठों पर वर्ष 2023-24 व 2024-25 से दिनांक 25 जून, 2025 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई और निरीक्षण के दौरान तय मापदण्डों के अनुसार क्या - क्या कमियां पाई गई और क्या कार्यवाही की गयी ? वर्षवार बतायें। **(ग)** जिला में संचालित उक्त कितने ईंट भठ्ठों के पास पर्यावरण से सम्बंधित अनुमति है और कितनों के पास नहीं जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत ग्राम सलिहा एवं अकरजन विकासखण्ड खैरागढ़ में स्थाई चिमनी भट्ठे द्वारा ईंट निर्माण हेतु साधारण मिट्टी के 02 उत्खननपट्टे स्वीकृत है। अवैध चिमनी भट्ठे की जानकारी निरंक है। **(ख)** छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 3 (एक) अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुवांशिक कुम्हार या उसकी सहकारी सोसायटी को इन नियमों से छूट प्राप्त है। इस हेतु पृथक से कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। प्रश्नांश ''क'' में स्वीकृत उत्खननपट्टों के अतिरिक्त 01 चिमनी ईंट भट्ठे पर शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर उत्खननपट्टा दिनांक 24.06.2025 को व्यपगत किया गया है। **(ग)** जिले में चिमनी ईंट भट्ठों हेतु स्वीकृत समस्त उत्खननपट्टों में पर्यावरण सम्मति प्राप्त है।

जिला बिलासपुर अंतर्गत संचालित क्रेशरो/खदानों को संचालन हेतु प्रदत्त अनुमति

[खनिज साधन]

2. (क्र. 2) श्री दिलीप लहरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बिलासपुर अंतर्गत संचालित हो रहे क्रेशर/खदानों को संचालन हेतु वर्ष 2022-23 से 25 जून, 2025 तक की अवधि में कब-कब अनुमति प्रदान की गई? अनुमति प्रदान करने का आधार, नियम एवं शर्तों की जानकारी क्रेशर के नाम, पता, अनुमति दिनांक,सहित जानकारी देवे? **(ख)** क्या प्रश्नांश ''क'' अवधि में चालित हो रहे क्रेशरों/खदानों में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाहीवार, विकासखंडवार, जानकारी दें? **(ग)** क्या क्रेशरों/खदानों के आस-पास की सड़कों में क्रेशर से निकलने वाले भारी वाहनों के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं? यदि हां तो सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर प्रश्नांकित अवधि में क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला बिलासपुर अंतर्गत क्रेशर संचालन हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति एवं खदान, संचालन हेतु उत्खननपट्टा स्वीकृत किया जाता है। जो कि क्रमशः भण्डारण अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में उल्लेखित

नियम एवं शर्तो के अधीन होता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से जून 2025 तक की अवधि में स्वीकृत खदानों/अनुज्ञप्ति की जानकारी **''संलग्न प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है। **(ग)** क्रेशर/खदानों के आस-पास की सड़को के क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित निर्माण विभाग के द्वारा समय-समय पर बजट आबंटन प्राप्त कर मरम्मत कार्य कराया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

जिला बिलासपुर में विभिन्न मदों से प्राप्त राशि से कराए गये कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

3. (क्र. 3) श्री दिलीप लहरिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बिलासपुर अंतर्गत जनवरी, 2023 से दिनांक 25 जून, 2025 तक एन.पी.व्ही. मद, राज्य प्राधिकरण मद, पी.डी., कैम्पा, ब्याज, चक्रीय निधि, मनरेगा, पर्यावरण वानिकी, संयुक्त व प्रबंधन सुदृढ़ीकरण एवं विकास मद से किन -किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि, प्राप्त हुई? विकासखंडवार, वर्षवार जानकारी देवें? प्राप्त राशि से कितने कार्य किये गये? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका ''क'' अनुसार कराये गये कार्यों के लिये निविदा किस-किस माध्यम से बुलाई गई? चयनित होने वाले फर्म/एजेंसी का नाम/पता सहित जानकारी देवें? **(ग)** उक्त मदों से उक्त अवधि में किये गये कार्यों की प्रारंभ एवं पूर्ण करने का दिनांक, कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी विकासखंडवार, कार्यवार देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला बिलासपुर के अंतर्गत जनवरी 2023 से दिनांक 25 जून 2025 तक एन.पी.व्ही. मद, राज्य प्राधिकरण मद, पी.डी., कैम्पा, ब्याज, चक्रीय निधि, मनरेगा, पर्यावरण वानिकी, संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढ़ीकरण एवं विकास मद से कराए गए कार्यों की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है।(ख)** कंडिका "क" के अनुसार कराए गए कार्यों में से दो कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई। शेष सभी कार्य विभागीय स्तर से किया गया। दो कार्यों के लिए चयनित फर्म/एजेंसी का नाम एवं पता सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" के सरल क्रमांक 21 एवं 158 पर अनुसार है।(ग)** कार्यां के प्रारंभ एवं पूर्ण करने की अद्यतन स्थिति का विकासखंडवार, **कार्यवार विवरण पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है ।**

शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मैनपुर में स्वीकृत एवं रिक्त पद

[स्कूल शिक्षा]

4. (क्र. 5) श्री जनक ध्रुव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर, जिला गरियाबंद स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, मैनपुर की स्थापना कब हुई? क्या विद्यालय का संचालन स्वयं के भवन में हो रहा है? यदि नहीं तो कब तक भवन का निर्माण कर लिया जाएगा ? साथ ही विद्यालय हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर, जिला गरियाबंद स्थित शासकीय माध्यमिक शाला मैनपुर की स्थापना 12 मार्च 1981 को हुई है। जी हां। शेषांश का प्रश्न ही नही उठता है। विद्यालय हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
प्राचार्य	01	01
व्याख्याता	11	4
व्यायाम शिक्षक	1	1
स.शि.वि.(प्रयोगशाला)	3	2
ग्रंथपाल	1	1
सहा.ग्रेड-2/लेखापाल	1	0
सहायक ग्रेड-3	2	0
भृत्य	4	2
चौकीदार	1	0
अंशकालीन स्वीपर	1	0
योग	26	11

मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व अंतर्गत ग्रामों में विद्युतीकरण

[ऊर्जा]

5. (क्र. 6) श्री जनक ध्रुव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की परिधि में आने वाले कितने ग्राम एवं मजरा टोला में विद्युत लाईन द्वारा बिजली नहीं पहुंच पाई है? उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण कब तक कर दी जाएगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में सीतानदी टाईगर रिजर्व की परिधि में आने वाले 40 ग्राम का विद्युतीकरण सोलर माध्यम तथा 02 ग्रामों का विद्युतीकरण परंपरागत ग्रिड माध्यम से है। सोलर माध्यम से विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकण परंपरागत माध्यम से किए जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पर्यावरण वानिकी से रानी रश्मि देवी, पिपरिया जलाशय छिंदारी में किये कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

6. (क्र. 7) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रानी रश्मि देवी जलाशय में इकोटूरिज्म के तहत निर्माण के लिए निविदा कब और किस माध्यम से आमंत्रित कियी गयी? किस-किस फर्म/एजेंसी ने निविदा में भाग लिया? सम्मिलित फर्म/एजेंसी का नाम संचालनकर्ता के नाम सहित जानकारी देवें? **(ख)** अनुबंध किस फर्म/एजेंसी के साथ कब किया गया? कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था और कब पूर्ण कर लिया गया? कार्य पूर्णता दिनाँक तक कितने कार्य अपूर्ण हैं? उक्त कार्य के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया? भुगतान की गई राशि कार्यवार क्रय की गई सामग्री की सूची सहित जानकारी देवे? **(ग)** पर्यावरण वानिकी योजना इकोटूरिज्म में पिपरिया जलाशय में बनाये गए झोपड़ी, कुर्सी में उपयोग में लाये गए बांस, लकड़ी की खरीदी कहाँ से की गई ? कितना भुगतान बांस, लकड़ी के लिये किया गया? क्रय सामग्री के भुगतान की जानकारी देवें? **(घ)** इकोटूरिज्म के तहत किये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता का निरीक्षण व जांच किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी? निर्माण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई व निर्माण की गुणवत्ता किस आधार पर प्रमाणित की गयी जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रानी रश्मि देवी जलाशय में इकोटूरिज्म के तहत निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गई है । समस्त निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर किया गया है। किसी फर्म/एजेंसी का निविदा में भाग लेने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। सम्मिलित फर्म/एजेंसी का नाम संचालनकर्ता के नाम

सहित जानकारी देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।**(ख)** समस्त निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर किया गया है। किसी फर्म/एजेंसी के साथ अनुबंध नही किया गया है। कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री का क्रय, भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए जेम पोर्टल से किया गया है। समस्त कार्य 27 मार्च 2025 तक पूर्ण होना था जो 22 मार्च 2025 को पूर्ण कर लिया गया है। कोई कार्य अपूर्ण नहीं है। उक्त कार्य के लिए रू. 17,36,613 का भुगतान किया गया है। भुगतान की गई राशि कार्यवार क्रय की गई सामग्री की सूची सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है,** साथ ही रूपये 23,03,456 की सामग्री क्रय का भुगतान लंबित है जिसकी जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है** ।'रानी रश्मि देवी जलाशय, छिंदारी डेम एवं पिपरिया जलाशय एक ही जलाशय (डेम) का नाम है।**(ग)** पर्यावरण वानिकी योजना ईकोटूरिज्म में पिपरिया जलाशय में बनाये गए झोपड़ी, कुर्सी में उपयोग में लाये गये बांस, लकड़ी बाजार से क्रय नही किया गया है। जंगल में गिरे पड़े लकड़ी एवं बांस को इकट्ठा कर झोपड़ी, कुर्सी निर्माण में उपयोग किया गया है। बांस एवं लकड़ी का शासकीय दर पर भुगतान रू. 22,700/- लंबित है । **संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है,** जो शासकीय खाते में खजाना दाखिल किया जाना है।**(घ)** ईकोटूरिज्म के तहत् किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं जांच परिक्षेत्र सहायक, वनक्षेत्रपाल, उप वनमंडलाधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी के द्वारा किया गया। निर्माण के दौरान कार्य में कोई कमी नहीं पाई गई व निर्माण की गुणवत्ता स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण

[स्कूल शिक्षा]

7. (क्र. 8) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला अंतर्गत कितने शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है? **(ख)** क्या युक्तियुक्तकरण के दौरान दावा-आपत्ति का समय दिया गया था अथवा नहीं? नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या जिले में युक्तियुक्तकरण के दौरान अतिशेष के रूप में कनिष्ठ शिक्षकों को प्राथमिकता दी गयी है? यदि हां तो क्यों? **(घ)** क्या अतिशेष शिक्षकों को विषय के आधार पर चिन्हांकित किया गया परन्तु पदस्थापना के दौरान विषय बाध्यता को नजरअंदाज किया गया? यदि हां तो क्यों? (च) क्या वरिष्ठ शिक्षक की पदस्थापना दिनांक एवं वरिष्ठता सूची में फेर-बदल कर वरिष्ठ को अतिशेष बताया गया? यदि हां तो क्यों? (छ) युक्तियुक्तकरण के दौरान कितने स्कूलों को बंद किया गया है? वहॉ पर कार्यरत रसोईया, स्वीपर एवं भृत्य की पदस्थापना अन्यत्र की गई है अथवा नहीं? (ज) जिले में प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? उक्त शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना कब तक की जायेगी? (झ) क्या जिले में शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद उन्हें राज्य स्तरीय काऊंसलिंग के द्वारा अन्यत्र जिलों में भेजा जा रहा है? यदि हां तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला अंतर्गत183शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। **(ख)** जी नहीं, युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश 2025के अनुसार कार्यवाही की गयी है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) यु**क्तियुक्तकरण दिशा निर्देश अनुसार शाला में कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर अतिशेष का निर्धारण किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्राथमिक शालाओं एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दर्ज संख्या के आधार पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है एवं हाई/हायर सेकेंडरी विद्यालयों में विषयवार के आधार पर व्याख्याताओं के अतिशेष का चिन्हांकन किया गया है। **(च)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (छ) युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत जिले में किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है। अतः शेषांश

का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ज)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। शिक्षकों की पदस्थापना सतत् प्रक्रिया है अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। **(झ)** जी नहीं। किसी भी शिक्षक को अन्यत्र नहीं भेजा गया है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

जिला रायगढ़ में लंबित राजस्व प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

8. (क्र. 34) श्री उमेश पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला रायगढ़ में राजस्व प्रकरणों के कितने मामले लंबित हैं ? तहसीलवार जानकारी देवें? लंबित मामलों में केवल नामांतरण के कितने मामले हैं ? प्रदेश में राजस्व प्रकरण लंबित ना हों इसके लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है ? जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : रायगढ़ जिले में राजस्व प्रकरणों के लंबित मामले-1. अविवादित नामांतरण-2088, 2. विवादित नामांतरण-634, अविवादित खाता विभाजन-265, विवादित खाता विभाजन-264, सीमांकन-614, व्यपवर्तन-29, वृक्ष कटाई-10, त्रुटि सुधार अ-6अ-251, नामांतरण के 634 मामले लंबित है। जिले में राजस्व प्रकरण लंबित न हो इसके लिए साप्ताहिक ऑनलाईन समीक्षा एवं समय सीमा की बैठक में नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। समय सीमा से बाहर के लंबित प्रकरणों को विशेष रूप से निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। लंबित प्रकरणों का निराकरण यथासमय पूर्ण कर लिया जाएगा। तहसीलवार जानकारी **प्रपत्र' में संलग्न** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

वर्ष 2024 के 10 वीं एवं 12 वीं के टापर्स बच्चों को प्रोत्साहन राशि का वितरण

[स्कूल शिक्षा]

9. (क्र. 41) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या बोर्ड के नियमों के मुताबिक टाप टेन में जगह बनाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 1 लाख 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जानी है। यदि हां, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा, 2024 के 10वीं - 12 वीं के टापर्स बच्चों को प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं मिली है ? कब तक मिलेगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी नहीं, बोर्ड में टॉप टेन में जगह बनाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 1 लाख 50 हजार रूपए प्रोत्साहन राशि दिये जाने का किसी प्रकार का नियम नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कांकेर जिले में लंबित राजस्व मामले एवं उनका निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

10. (क्र. 42) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2024 से मई, 2025 तक कांकेर जिले में कितने नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन,बटांकन फौती आदि राजस्व के मामले लंबित हैं? जानकारी देवें? (ख) उपरोक्त सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु क्या कदम शासन द्वारा उठाए जा रहे हैं तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जनवरी 2024 से मई 2025 तक कांकेर जिले में नामांतरण फौती के 1394, डायवर्सन के 66, सीमांकन के 406, बंटवारा के 221 मामले लंबित हैं। **(ख)** राजस्व प्रकरणों का

निराकरण revenue.cg.nic.in अन्तर्गत राजस्व न्यायालय में ऑनलाईन दर्ज करते हुए किया जाता है। प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने हेतु विभागीय बैठकों में नियमित समीक्षा किया जाता है। लंबित प्रकरणों का निराकरण यथाशीघ्र कर दिया जावेगा।

प्रदेश में संचालित रेत खदानों की संख्या एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की प्राप्त शिकायतें

[खनिज साधन]

11. (क्र. 48) श्री ओंकार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**प्रदेश के समस्त जिलों में वर्तमान में संचालित वैध रेत खदानों की कुल संख्या, उनका भौगोलिक रकबा, स्वीकृत खनन मात्रा (MTPA), पर्यावरणीय स्वीकृति की स्थिति एवं भंडारण लाइसेंस प्राप्त इकाइयों का विवरण क्या है? **(ख)**छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA), पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP), तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (MoEF&CC) व छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत रेत खनन हेतु किन-किन अनिवार्य शर्तों एवं मापदंडों का पालन आवश्यक है? **(ग)** वर्ष 2023-24 व 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध रेत खनन, परिवहन एवं भंडारण के संबंध में दर्ज कुल प्रकरणों की संख्या, जब्त किए गए वाहन एवं मशीनरी की जानकारी तथा उनसे वसूल जुर्माना राशि का विवरण क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ''अ''** अनुसार है। **(ख)** पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल एवं वायु सम्मति जारी की जाती है। उपरोक्त प्रावधानों के तहत् रेत का उत्खनन वर्षा ऋतु में नहीं करने, सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मानिटरिंग गाईडलाईन्स फार सेण्ड माईनिंग, 2020 का पालन करने, रेत का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किये जाने, नदी तट या पहुँच मार्ग में सघन वृक्षारोपण करने तथा स्थल विशेष के आधार पर विशिष्ट शर्ते अधिरोपित की जाती हैं। **(ग)** वर्ष 2023-24 व 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध रेत खनन, परिवहन एवं भंडारण के कुल 8946 प्रकरण दर्ज किया जाकर 8646 वाहन तथा 302 मशीन जब्त किया गया है। जिस पर कुल 22 करोड़ 72 लाख 89 हजार 099 रूपये समझौता राशि के रूप में वसूल किया गया है। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ''ब''** अनुसार है।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताओं पर कृत कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

12. (क्र. 50) श्री ओंकार साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आने वाले किन-किन जिलों में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप की गई? क्या इन जिलों में अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों — जैसे प्रारंभिक अधिसूचना (धारा 11), आपत्ति निवारण, समवेत पुरस्कार (Award) एवं मुआवजा वितरण — की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु कोई आंतरिक लेखा परीक्षण (Audit) या तृतीय पक्ष जांच कराई गई है? **(ख)**क्या यह सत्य है कि रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर सहित अनेक जिलों में राजस्व अभिलेख (खसरा, बी-1) में कूटचालित हेरफेर कर मुआवजा वितरण में वित्तीय अपवंचन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जिला-वार कितनी राशि की अनियमितता पाई गई एवं किस अवधि में यह गड़बड़ियां घटित हुईं? **(ग)**उपरोक्त प्रकरणों में शासन द्वारा किन

अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है? उनके विरुद्ध अब तक की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं वित्तीय वसूली (Recovery Proceedings) का विवरण दें ? **(घ)**क्या सरकार इन मामलों को गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए EOW/ACB अथवा विशेष जांच एजेंसी से विस्तृत जांच कराने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न रायपुर/धमतरी/कांकेर/ कोण्डागांव/ कोरबा/रायगढ़/जांजगीर-चांपा/जशपुर/दुर्ग /राजनांदगांव/बिलासपुर जिलों में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही की गई है। NHAI के पत्र अनुसार मुआवजा वितरण के सत्यता की काई आंतरिक लेख परीक्षण (Audit) या तृतीय पक्ष जांच राज्य शासन द्वारा नही कराई गई है। **(ख)** जी हॉ । प्रश्नांश ''क'' से संबंधित जिलो में अनियमित्ता की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत निम्न अधिकारियों को दोषी पाया गया है, जिनके विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2025 द्वारा श्री निर्भय कुमार साहू, रा.प्र.से. (आर.आर.-2024) को निलंबित किया गया है तथा पत्र दिनांक 29.04.2025 एवं 06.02.2025 द्वारा आरोप-पत्रादि जारी किये गए हैं।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 05.03.2025 द्वारा श्री शशिकांत कुर्रे, रा.प्र.से. (पी.-2021) को निलंबित किया गया है तथा पत्र दिनांक 19.5.2025 द्वारा आरोप-पत्रादि जारी किये गए हैं।

3. विभागीय आदेश क्रमांक 1091 दिनांक 08-10-2024 द्वारा श्री लखेश्वर प्रसाद किरण तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा, श्री जितेन्द्र साहू तत्कालीन हल्का पटवारी क्र. 49 नायकबांधा, श्री दिनेश पटेल, वर्तमान पटवारी हल्का 49 नायकाबांधा, श्री लेखराम देवांगन तत्कालीन हल्का पटवारी 24 टोकरो, को निलंबित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पारित आदेश दिनांक 05.02.2025 के परिपालन में निलंबित पटवारियों श्री जितेन्द्र कुमार साहु श्री दिनेश पटेल तथा श्री लेख राम देवांगन को कार्यभार ग्रहण कराने तथा पुनः निलंबित किये जाने हेतु कलेक्टर, जिला रायपुर को लिखा गया तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 के परिपालन में श्री लखेश्वर प्रसाद किरण, तत्कालीन नायब तहसीलदार के निलंबन आदेश दिनांक 08.10.2024 को आगामी सुनवाई तक ''स्थगन'' दिये जाने पर, पुनः कार्य पर उपस्थिति दी गई है।

जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वित्तीय वसूली नहीं की गई है।

(घ) माननीय राजस्व मंत्रीजी द्वारा दिये गये वक्तव्य एवं मंत्रीमंडल द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक ESTB-102/128/2025/सात-2 दिनांक 08.04.2025 द्वारा जांच राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) से जांच कराने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया है।जिसके आधार पर ब्यूरो में अपराध कमांक-30/2025, धारा- 7 (सी) भ्र.नि.अधि. 1988 यथा संशोधित भ्र.नि. (संशोधन अधिनियम 2018 एवं 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठारह"]

जिला बेमेतरा में खनिज न्यास अंतर्गत स्वीकृत कार्य एवं राशि

[खनिज साधन]

13. (क्र. 55) श्री दीपेश साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेमेतरा जिले में जिला खनिज न्यास से दिसंबर, 2023 से दिनांक 20/06/2025 तक कितनी राशि, किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत की गई है? जानकारी विधानसभावार विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** राशि स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है, जानकारी देवें? क्या जनप्रतिनिधि की अनुशंसा में जिला खनिज न्यास की राशि से कार्य स्वीकृत किये

जा सकते हैं अथवा नहीं? **(ग)** जिला खनिज राशि में कलेक्टर का विवेकाधिकार है या अन्य किसी विभाग की मांग/अनुशंसा पर राशि स्वीकृत की जाती है ? कृपया जिला खनिज न्यास संबंधित विस्तृत नियमों की प्रति दें ? **(घ)** जिला स्तर में डी.एम.एफ. की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये सवालों का जवाब देने के लिये, डी.एम.एफ. बैठक की अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर बाध्य हैं अथवा नहीं ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निहित प्रावधान अनुसार शासी परिषद के अनुमोदन से राशि स्वीकृत किया जाता है। जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से कार्यों की स्वीकृति प्रदान नही की जाती, वरन् शासी परिषद् के अनुमोदन के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जाते है। **(ग)** छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निहित प्रावधान अनुसार शासी परिषद के अनुमोदन उपरांत कार्यो की स्वीकृति प्रदाय की जाती है। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 की छायाप्रति **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब''** अनुसार है।**(घ)** जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद की बैठक में जनप्रतिनिधियों से न्यास के कार्यो से संबंधित विषयों पर चर्चा किया जाता है एवं उनके द्वारा चाही गई जानकारी प्रदाय की जाती है।

रायपुर वन मण्डल में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

14. (क्र. 56) श्री अनुज शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर वन मण्डल में कितने संविदा कर्मचारी किस-किस पद पर कार्यरत हैं ? **(ख)**प्रश्नांक 'क' अनुसार इन संविदा कर्मचारियों में कितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है?क्या इनकी नियुक्ति के पूर्व वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं तो क्यों ? **(ग)**प्रश्नांक 'क' अनुसार इन संविदाकर्मियों का वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया गया है तथा क्या इन संविदा कर्मियों के वेतन के अलावा भी किसी प्रकार की अन्य सुविधायें विभाग की ओर से प्रदाय की जा रही है ? यदि हां तो किन-किन कर्मियों को कौन-कौन सी सुविधायें किस नियम के तहत प्रदान की जा रही है? **(घ)**प्रश्नांक 'क' अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में इन संविदा कर्मचारियों को कुल कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रायपुर वनमण्डल अंतर्गत कोई भी संविदा कर्मचारी कार्यरत् नहीं है**(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।**(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शासकीय शाला भवनों की छत की मरम्मत

[स्कूल शिक्षा]

15. (क्र. 59) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 व 20 जून, 2025 कितनी शासकीय शाला भवनों की छत मरम्मत की गई है ? **(ख)** बरसात में छत से पानी टपकने की शिकायतों वाली शालाओं में छात्रों की पढ़ाई-लिखाई के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी निम्नानुसार हैः-

वर्ष	शासकीय शालाओं में छत मरम्मत
2023-24	निरंक
2024-25	04
20 जून 2025	निरंक

(ख) बरसात में छत से पानी टपकने की शिकायतों वाली शालाओं में छात्रों की पढ़ाई-लिखाई के लिए अतिरिक्त कक्ष एवं अन्य भवनों में शाला का संचालन किया जा रहा है।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वन ग्रामो में उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

16. (क्र. 60) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित वन ग्रामों की कुल संख्या क्या है? **(ख)** इन वन ग्रामों में से कितने ग्रामों में सड़क, बिजली, स्कूल एवं पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं? **(ग)** शेष वन ग्रामों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कोई वन ग्राम नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।**(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उन्दती सीतानदी टाईगर रिजर्व अरसीकन्हार रेंज अंतर्गत वृक्षों की अवैध कटाई पर कृत कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

17. (क्र. 66) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र के उन्दती सीतानदी टाईगर रिजर्व अरसीकन्हार रेंज अंतर्गत वर्ष 2023 में वन रक्षक, वनपाल, डिप्टी रेंजर, रेंजर व एस.डी.ओ. द्वारा कितनी सागौन व अन्य वृक्षों की अवैध कटाई कर उड़ीसा राज्य में तस्करी की गई ? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार संलिप्त अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने उप निदेशक, टाईगर रिजर्व गरियाबंद के द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? कृपया अवगत करावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के उन्दती सीतानदी टाईगर रिजर्व अरसीकन्हार रेंज अंतर्गत वर्ष 2023 में वन रक्षक, वनपाल, डिप्टी रेंजर, रेंजर व एस.डी.ओ.द्वारा सागौन व अन्य वृक्षों की अवैध कटाई कर उड़ीसा राज्य में तस्करी किये जाने संबंधी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अतः जानकारी **निरंक** है।**(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जिला जांजगीर-चांपा में शिक्षक युक्तियुक्तकरण में शिक्षक पदस्थापना सेट अप, 2008 का पालन

[स्कूल शिक्षा]

18. (क्र. 73) श्री ब्यास कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या प्रदेश में शिक्षक पदस्थापना सेट अप, 2008 लागू है? यदि हां तो इसके अनुसार विद्यालयों में शिक्षक पदस्थापना के क्या मापदंड निर्धारित हैं? क्या वर्तमान की गई युक्तियुक्तकरण में सेट अप, 2008 का पालन हुआ है ? यदि नही तो क्यों ? शिक्षक सेट अप का निर्धारण किस प्रकार होता है ? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रदेश में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के किन-किन निर्देशों/आदेशों का पालन किया गया है? **(ग)** युक्तियुक्तकरण के बाद जांजगीर-चांपा जिला के कितने पूर्व माध्यमिक शालाओं में न्यूनतम 105 तक की दर्ज संख्या में 01 प्रधानपाठक व 3 शिक्षक तथा कितने विद्यालयाे ं में 01 प्रधानपाठक व 02 शिक्षक पदस्थ हैं ? इन विद्यालयों की दर्ज संख्या एवं विद्यालय के नाम सहित जानकारी प्रदान करें ? **(घ)** युक्तियुक्तकरण के पश्चात् कितने शिक्षकों को जिले से बाहर भेजना पड़ा और क्यों ? युक्तियुक्तकरण पूर्ण करने के पश्चात् जांजगीर-चांपा में कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को युक्तियुक्तकरण के द्वारा क्यों नही भरा गया ? इसके लिए दोषी कौन है ? (ड़) क्या पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षक पदांकन के लिए राजपत्र में

संशोधन कर विषय बाध्यता समाप्त कर दी गई है ? यदि हां तो क्या युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही में इस बात का ध्यान रखा गया था ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जी हां। जानकारी **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। जी नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का पालन सुनिश्चित किया गया है। सेट-अप का निर्धारण दर्ज संख्या के आधार पर सामान्यतः किया जाता है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स" एवं "द"** अनुसार है। **(घ)** अतिशेष होने के कारण 110 शिक्षकों को जिले से बाहर युक्तियुक्तकरण किया गया। युक्तियुक्तकरण पश्चात् जिले में 84 पद रिक्त हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** जी हां। जी नहीं, युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही में युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश 2024-2025 के अनुसार की गई है।

<u>जिला जांजगीर-चांपा में डी.एम.एफ. मद के कार्यों में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही</u>

[खनिज साधन]

19. (क्र. 74) श्री ब्यास कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिला में वर्ष 2023-24 से दिनांक 20/06/2025 तक डी.एम.एफ. मद से कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? कार्यवार/ग्रामवार/नगरवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के कार्यो की पूर्ण/अपूर्ण/कार्य अप्रारंभ की जानकारी प्रदान करें ? कार्यो में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण/कार्य अप्रारंभ की जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ''** के कॉलम-5 में दर्शित है। कार्यों में अनियमितता की प्राप्त शिकायतें तथा उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

<u>गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन</u>

[सहकारिता]

20. (क्र. 80) श्री राजेश मूणत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि विधानसभा सत्र दिनांक 25.02.2025 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र.73) में यह बताया गया था कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन हेतु पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ छ.ग. द्वारा अधिकारियों की कमेटी का गठन दिनांक 3.9.2024 को किया जा चुका है तथा इसकी दो बैठकें हो चुकी हैं ? यदि हाँ तो इस कमेटी बायलॉज का प्रारूप 9 माह 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक क्यों प्रस्तुत नहीं कर पाई? **(ख)** क्या इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर निर्देश दिया जायेगा ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हाँ गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन हेतु पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छ.ग. द्वारा अधिकारियों की कमेटी का गठन दिनांक 03/09/2024 को किया गया था एवं कमेटी द्वारा गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी की संशोधित आदर्श उपविधि (बायलॉज) का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है। **(ख)** कमेटी द्वारा संशोधित आदर्श उपविधि (बायलॉज) का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है, अतः यह प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता है।

जिला सूरजपुर में संचालित महाविद्यालयों में रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

21. (क्र. 107) श्री भूलन सिंह मराबी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-सूरजपुर में महाविद्यालय बिश्रामपुर, सूरजपुर, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कहां-कहां और कौन से विषय में संचालित हैं? यदि संचालित नहीं हैं तो कब तक संचालित करने की योजना बनाई जा रही है? **(ख)** महाविद्यालय में प्राध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के सेटअप के अनुसार जिला सूरजपुर के सभी महाविद्यालयों में कितने कर्मचारी पदस्थ हैं और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं एवं रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **प्रपत्र-अ पर संलग्न** है। महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की योजना के संबंध में महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर शिक्षा के विकास हेतु महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किया जाता है।**(ख)** जानकारी **प्रपत्र-ब पर संलग्न** है। रिक्त पद कब तक भरे जाने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

प्रदेश में आत्मानंद स्कूलों का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

22. (क्र. 134) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हैं ? इनमें से कितनों को पीएमश्री योजना में घोषित किया गया है ? जिलेवार जानकारी दें? **(ख)** स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बजट किस मद से खर्च किया जा रहा है ? अभी तक किस-किस मद से कितनी राशि खर्च की गई है? जिलेवार ब्यौरा दें? **(ग)** क्या गर्मी की छुट्टियों में भी आत्मानंद स्कूलों के ही संविदा शिक्षकों को बुलाया गया था ? हॉ तो यह भेदभाव क्यों किया गया?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (**क)** जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कालम 3 एवं 4** अनुसार है। **(ख)** स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बजट अनुदान मद से खर्च किया जा रहा है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम 5 एवं 6** अनुसार है। **(ग)** जी हां। संविदा भर्ती नियम 2012 अनुसार संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को केवल 30 दिवस का आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

प्रदेश के निजी वाहनों में हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट लगवाये जाने हेतु एजेंसी का चयन

[परिवहन]

23. (क्र. 142) श्री भूपेश बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- परिवहन विभाग द्वारा राज्य के वाहन मालिकों को हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट लगवाये जाने हेतु निजी एजेंसी का चयन किस तरह से किया गया है? क्या यह सही है कि अन्य राज्यों की तुलना में राज्य के वाहन स्वामियों को हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाने हेतु अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : परिवहन विभाग द्वारा राज्य के वाहन मालिकों को हाई सिक्युरिटी नंबर

प्लेट लगवाये जाने हेतु निजी एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से किया गया है। जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नही होतो है।

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत संचालित शासकीय स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

24. (क्र. 143) श्री रामकुमार यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत वर्तमान में कितने शासकीय स्कूल संचालित हैं? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार कितने स्कूल जर्जर हैं तथा कितने स्कूल भवनविहीन हैं? विस्तृत विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश "क" एवं ''ख'' के अनुसार जर्जर एवं भवनविहीन स्कूलों में नवीन भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें? **(घ)** प्रश्नांश "ख" के अनुसार वर्तमान में संचालित स्कूल अगर जर्जर एवं भवनविहीन हैं तो उक्त स्कूलों में नवीन भवन का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा? बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत वर्ममान में निम्नानुसार 535 शासकीय स्कूल संचालित हैः-

वि.ख.	शाला का स्तर			
	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाई स्कूल	हायर सेकेण्डरी
मालखरौदा	125	70	6	17
डभरा	196	91	8	22

(ख) प्रश्नांश ''क'' के अनुसार जर्जर एवं भवन विहीन स्कूलों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

स्तर	जर्जर शाला	भवन विहीन
प्राथमिक	27	0
पूर्व माध्यमिक	10	1
हाई स्कूल	0	4
हायर सेकेण्डरी	0	0

(ग) बजट उपलब्धता के आधार पर जर्जर एवं भवन विहीन स्कूलों में नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित किया जाता है। **(घ)** निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नही है।

विधानसभा मुंगेली में विद्युत सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल लगाने की कार्यवाही

[ऊर्जा]

25. (क्र. 146) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष जनवरी, 2024 से दिनांक 20.06.2025 तक मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर नये विद्युत सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल लगाने की मांग की गई है? मांग के विरुध्द किन-किन स्थानों पर नये विद्युत सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल लगाने की कार्यवाही की गई तथा कितने शेष हैं? शेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? समयावधि बतावें? **(ख)** उपरोक्त अवधि में मुंगेली विधानसभा में कुल कितने कि.मी. क्षतिग्रस्त विद्युत तारों को बदलने की कार्यवाही की गई है तथा कितने शेष हैं एवं कब तक कर ली जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वर्ष जनवरी, 2024 से दिनांक 20.06.2025 तक मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में 4 नये विद्युत सब स्टेशन, 9 स्थानों पर नये वितरण ट्रांसफार्मर एवं 25 स्थानों पर नये विद्युत पोल लगाने की मांग की गई थी। उक्त मांग के विरूद्ध 2 स्थानों पर नये विद्युत सबस्टेशन 3 स्थानों पर नये वितरण ट्रांसफार्मर एवं 6 स्थानों पर क्षतिग्रस्त पोल बदलने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य एवं उन्हे

पूर्ण करने की समयसीमा की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** वर्ष जनवरी, 2024 से दिनांक 20.06.2025 तक मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में 18 स्थानों पर 30.82 किमी क्षतिग्रस्त विद्युत तारों को बदलने की कार्यवाही कर ली गई है एवं 10 स्थानों पर 7.40 किमी तारों को बदलने की कार्यवाही चिन्हित की गई है, जिसके कार्य पूर्णता की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

राज्य के स्कूलों में युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकों की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

26. (क्र. 148) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य की प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं उच्चतर शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना हेतु पद संरचना (सेटअप) के क्या मापदंड / नियम हैं ? जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक **(क)** अनुसार सत्र 2024-25 तक किस सेटअप के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना की जा रही थी एवं वर्तमान में सभी स्तर की शालाओं में शिक्षक पदस्थापना किस आधार / नियम पर की गई है? क्या युक्तियुक्तकृत शालाओं के शाला प्रबंधन समिति व ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की अनुमति या प्रस्ताव ली गई है? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या युक्तियुक्तकरण में सभी विषयों के लिए पर्याप्त विषय शिक्षकों की पदस्थापना की गई है एवं अध्यापन हेतु समय तालिका किस प्रकार से निर्धारित की गई है? जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** वर्ष 2008 के निर्धारित रचनाक्रम एवं वर्तमान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार पदस्थापना की गई। जी नहीं। युक्तियुक्तकरण के निर्देश दिनांक 02.08.2024 में ऐसा प्रावधान नहीं है। **(ग)** यथा संभव विषय शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। अध्यापन हेतु समय तालिका का निर्धारण शाला के वार्षिक कलेण्डर अनुसार संस्था प्रमुख द्वारा किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध रेत खनन/भण्डारण पर कार्यवाही

[खनिज साधन]

27. (क्र. 149) श्री फूलसिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत-महोरा के आश्रित ग्राम झींका में बिना रॉयल्टी के रेत खनन एवं अवैध ढुलाई व भण्डारण किया गया है? यदि सत्य है तो अवैध कारोबारियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या रेत ढुलाई के लिए भारी भरकम वाहन का उपयोग किया गया है जिसके कारण प्रधानमंत्री पक्की सड़क जर्जर हो रही है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दोषी अधिकारियों व अवैध कारोबारियों के उपर कार्यवाही करेंगे ? **(ख)** क्या रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ही ग्राम पंचायत कुदमुरा में मांड नदी से अवैध रेत खनन एवं भण्डारण किया गया है, जिससे संबंधित एक रेत कारोबारी के द्वारा एक महिला पंच को धमकी एवं गाली-गलौच की गयी है एवं जिसकी एफ.आई.आर. भी की गयी है? यदि हां उक्त अवैध रेत उत्खलन व भण्डारण कर्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हां। रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत महोरा के आश्रित ग्राम झींका में शिकायत जांच के दौरान खनिज रियायत स्वीकृति के बगैर रेत खनन, परिवहन एवं भण्डारण किया जाना पाया गया। अवैध उत्खननकर्ताओं एवं भण्डारकर्ताओं के विरूद्ध 02 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल राषि रूपये 3 लाख 88 हजार 846/- एवं अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध 05 प्रकरण दर्ज करते

हुए कुल राषि रूपये 1 लाख 40 हजार 620/- खनिज मद में जमा कराया गया है। कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित एल052 से झींका तक सड़क की स्थिति अच्छी होना बताया गया है, वर्तमान में उक्त मार्ग नियमित संधारण अवधि अंतर्गत है, निर्माण ठेकेदार द्वारा संधारण कार्य कराया जाता है। **(ख)** जी हां। रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शिकायत जांच के दौरान कुदमुरा में मांड नदी से अवैध रेत खनन एवं भण्डारण किया जाना पाया गया। जिसमें अवैध रेत उत्खननकताओं एवं भण्डारणकर्ताओं के विरूद्ध 03 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल राषि रूपये 8 लाख 95 हजार 341/- एवं अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध 02 प्रकरण दर्ज कर राषि रूपये 62 हजार 492/- खनिज मद में जमा कराया गया है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम कुदमुरा थाना-करतला के पंच सुश्री नीता यादव को धमकी एवं गाली-गलौच दिये जाने के संबंध में थाना-करतला मे एफआईआर दर्ज कर प्रकरण विवेचनाधीन है।

गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति

[उच्च शिक्षा]

28. (क्र. 164) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं ? प्रस्तावित महाविद्यालय भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है ? जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। शासकीय महाविद्यालय माहुद-बी जिला-बालोद के भवन निर्माण हेतु शासनादेश क्रमांक एफ 3-28/2022/38-1, दिनांक 03.08.2022 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। शासनादेश क्रमांक एफ 3-37/2024/38-1, दिनांक 22.05.2025 द्वारा वित्त निर्देश 42/2023 के परिप्रेक्ष्य में निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने की पुनः सहमति दी गई। भवन निर्माण हेतु टेंडर जारी किया जा चुका है लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में संचालित शासकीय स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

29. (क्र. 172) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितने शासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित हैं? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** युक्तियुक्तकरण के पूर्व यू-डाईस नंबर से कितने शासकीय स्कूल संचालित हो रहे थे एवं युक्तियुक्तकरण के बाद कितने यू-डाईस नंबर से संचालित हो रहे हैं? संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रदेश में संचालित शासकीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधान पाठक (प्रा.शा.), प्रधान पाठक, (पूर्व. मा. शाला), व्याख्याता एवं प्राचार्य के कुल कितने पद रिक्त हैं? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? **(घ)** रिक्त पदों पर नई शिक्षक भर्ती के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है? कब तक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी? जानकारी प्रदान करें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में संचालित शासकीय शालाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	शाला का नाम	संख्या
1	प्राथमिक	30726
2	पूर्व माध्यमिक	13085
3	हाईस्कूल	1872
4	हायर सेकेण्डरी स्कूल	2876

(ख) वर्ष 2024-25 में कुल 48559 यू-डाइस नम्बर से शासकीय स्कूल संचालित हो रही थी। युक्तियुक्तकरण पश्चात् सभी यू-डाइस नम्बर मौजूद है जिसकी संख्या 48559 है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(घ)** भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

प्रदेश के उ. मा. विद्यालयों में छात्रवृत्ति योजना से वंचित बच्चें

[स्कूल शिक्षा]

30. (क्र. 192) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सत्र 2023-24 और 2024-25 में प्रदेश के उ. मा. विद्यालयों में दर्ज और प्री मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति योजना के अंतर्गत आने वाले कितने-कितने बच्चे अध्ययनरत थे? इनमें से कितने को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है और ऐसे कितने बच्चे हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका है? कृपया शिक्षा सत्रवार, योजनावार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार बच्चों की छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित होने के कारणों की जांच कर उचित कार्यवाही कब तक की जाएगी ? जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** विद्यार्थियों के पंजीकृत बैंक खातों में त्रुटि के कारण विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित है, जिसमें सुधार करवाकर वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषाश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं

[सहकारिता]

31. (क्र. 194) श्री ललित चंद्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कितने पंजीकृत किसानों को समय पर टोकन एवं बारदाना सहित धान बेचने का अवसर मिला ? कितने किसान वंचित रह गये ? वंचित रहने के क्या कारण हैं ? वंचित किसानों की संख्या का ग्रामवार विवरण दें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्षेत्र के कितने धान खरीदी केन्द्रों में नमी मापक यंत्र है ? कितने केन्द्रों में नहीं है? किसानों हेतु धान बेचते समय जरूरी सुविधा जैसे पानी, शौचालय, वेटिंग हॉल एवं रूकने की व्यवस्था कितने सोसाईटी में उपलब्ध है? कितने में उपलब्ध नहीं है ? सुविधाविहीन कितनी सोसाईटी हैं ? विवरण दें ? उक्त सोसाईटी में कब तक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी? **(ग)** प्रश्नांक **(ख)** अनुसार क्षेत्र के कितनी सोसाइटी में धान खरीदी हेतु स्वयं की भूमि उपलब्ध है ? कितने में नहीं है? विवरण दें ? जिन खरीदी केन्द्रों में स्वयं की भूमि नहीं है, उक्त केन्द्रों में कब तक भूमि एवं अन्य सुविधा उपलब्ध करा दी जायेंगी? **(घ)** क्या शासन द्वारा दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में नए धान खरीदी केन्द्र खोलने की योजना बनाई जा रही है ? यदि हॉ तो किन-किन स्थानों पर धान खरीदी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे? विस्तृत जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2024-25 में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 20892 पंजीकृत

किसानों को समय पर टोकन एवं बारदाना सहित धान बेचने का अवसर मिला। 1525 किसान, समिति में धान बिक्री हेतु टोकन नहीं लिये थे जिस कारण वंचित रहे। वंचित किसानों की संख्या का ग्रामवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सभी 18 धान खरीदी केन्द्रों में नमी मापक यंत्र है तथा 18 धान खरीदी केन्द्रों में से 16 धान खरीदी केन्द्रों में पीने का पानी, शौचालय, वेटिंग हॉल एवं रूकने की व्यवस्था है। शेष 02 समितियों में भी धान खरीदी के दौरान जरूरी सुविधाएं अस्थायी रूप से स्वयं के संसाधन से किया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। सुविधाओं के संबंध में उपार्जन केन्द्रवार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ग)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 18 धान खरीदी केन्द्रों में स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं है, तथापि राजस्व विभाग द्वारा शासकीय घास जमीन को धान खरीदी हेतु उपलब्ध कराया गया है। उपार्जन केन्द्रवार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(घ)** प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2024-25 में धान खरीदी की समयावधि समाप्त हो गयी है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

32. (क्र. 209) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत कितने विद्यालय ऐसे हैं जहाँ से पहले युक्तियुक्तकरण कर सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता को अतिशेष कर अन्य जगह भेजा गया तथा उसी विद्यालय में पद रिक्त बताकर अन्य शिक्षक की पदस्थापना की गयी? विद्यालय का नाम और शिक्षकों को नाम सहित जानकारी देवें इस गड़बड़ी हेतु दोषी कौन है ? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ? **(ख)** क्या ऐसे शिक्षकों को उनकी मूल शाला में वापस भेजकर न्याय करेंगे? यदि हाँ तो कब तक ? **(ग)** सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कुल कितने स्कूल मर्ज होने से बंद हुए हैं? कृपया नाम सहित जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के सदस्य सचिव थे। उन्हें शासन द्वारा निलंबित किया गया है। **(ख)** अभ्यावेदन का निराकरण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

ईओडब्ल्यू एवं एसीबी में पंजीबद्ध प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

33. (क्र. 219) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023 से दिनांक 20/06/25 की स्थिति में ईओडब्ल्यू एवं एसीबी में किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध, किन-किन कारणों से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया व इनकी अद्यतन स्थिति क्या है? विभागवार, अधिकारीवार एवं पदनामवार जानकारी देवें? **(ख)** दिनांक 20/06/25 की स्थिति में किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध ईओडब्ल्यू/एसीबी ने किन-किन विभागों से प्रकरण हेतु अनुमोदन मांगा है, किन्तु विभागों द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया है? जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

रेत खदानों के वैध तथा अवैध उत्खनन के मामले

[खनिज साधन]

34. (क्र. 226) डॉ. चरण दास महंत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रेत खदानों से उत्खनन किसके-किसके द्वारा तथा किस-किस प्रकार से होता है? उसकी शर्तें क्या-क्या होती हैं? मशीनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? उत्खनन के रिकार्ड का संधारण कौन-कौन करता है? **(ख)** प्रदेश में अधिसूचित रेत खदानों का स्थान, रकबा, पट्टेदार, अवधि, लीज राशि का विवरण जिलावार बताएं? जिन खदानों को पट्टे पर नहीं दिया गया है, उसके कारण क्या-क्या हैं? कब-कब से रिक्त हैं? **(ग)** 2024-25 में रेत के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण तथा अवैध विक्रय के कितने प्रकरण प्रकाश में आए? कार्यवाही के प्रावधान क्या हैं तथा उनमें किसके-किसके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? अवैध उत्खनन के स्थानों सहित जिलेवार बताएं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में स्वीकृत रेत खदानों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 में निहित शर्तों के अधीन रेत उत्खनन का कार्य उत्खनिपट्टेदार द्वारा किया जाता है। स्वीकृत रेत खदानों में जारी पर्यावरण सम्मति के तहत् मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। खनिज के उत्खनन के रिकार्ड का संधारण संबंधित उत्खनिपट्टेदार के द्वारा किया जाता है। **(ख)** प्रदेश में स्वीकृत रेत खदानों के स्थान, रकबा, पट्टेदार, अवधि, सिंलिंग प्राईज की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ''अ''** अनुसार है। जिन खदानों को पट्टे पर नहीं दिया गया है उनकी जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र- ''ब'' अनुसार है। पट्टे पर नहीं दिये जाने का कारण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ''ब''** के कॉलम -7 में दर्शित है एवं आशय पत्र जारी दिनांक से आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिनकी जानकारी कॉलम -3 में दर्शित है। **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''स''** अनुसार है। छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 एवं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 एवं 23क तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 71 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। अवैध उत्खनन के स्थानों की जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ''स''** के कॉलम-3 पर दर्शित है।

तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपजों का संग्रहण एवं विक्रय

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

35. (क्र. 227) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2024 से 30 जून, 2025 तक की अवधि में तेन्दूपत्ता तथा अन्य लघु वनोपजों के संग्रहण के लक्ष्य तथा संग्रहण की मात्राएं वन मंडलवार तथा वर्षवार/सीजनवार, प्रजातिवार बताएं? संग्राहकों को किये गये भुगतान का विवरण भी बताएं? **(ख)** 2025 में वनवृत्त जगदलपुर तथा कांकेर के वनमंडलों में लक्ष्य से बहुत कम तेन्दूपत्ता का संग्रहण होने का क्या-क्या कारण है? विभागीय संग्रहण क्यों कराया गया? **(ग)** उक्तानुसार संग्रहित लघु वनोपजों में से कितनी-कितनी मात्रा तथा प्रजाति के वनोपजों का विक्रय किया गया और 30 जून, 2025 की स्थिति में किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी मात्रा में, कितनी-कितनी राशि का लघु वनोपज भंडारित है तथा उसकी गुणवत्ता कैसी है? स्पष्ट विवरण दीजिए?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जनवरी 2024 से 30 जून 2025 तक की अवधि में तेन्दू पत्ता तथा अन्य लघु वनोपजों के संग्रहण के लिये लक्ष्य तथा संग्रहित मात्रा की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ,प्रपत्र- ब व प्रपत्र- स अनुसार है।(ख)** 2025 में वनवृत्त जगदलपुर एवं कांकेर के वनमंडलों में लक्ष्य की तुलना में तेन्दू पत्ता संग्रहण में कमी होने का मुख्य कारण माह अप्रैल एवं मई महीने में लगातार आंधी तूफान,

ओला वृष्टि एवं लगातार असमय वर्षा है। तेन्दूपत्ता संग्रहण की नीति में समय-समय पर राज्य की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जाते है, जिसके तारत्मय में विभागीय खरीदी की गई है।**(ग)** 30 जून 2025 की स्थिति में संग्रहित लघु वनोपजों की मात्रा, प्रजाति, भण्डारण स्थल, गुणवत्ता एवं विक्रय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-द व प्रपत्र-ई अनुसार है।**

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय शालाएं

[स्कूल शिक्षा]

36. (क्र. 236) श्रीमती भावना बोहरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत डेढ़ वर्षों के दौरान पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल कितने नए शासकीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है? **(ख)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में शामिल एवं स्वीकृति प्राप्त शालाओं में से कितने शाला भवन वर्तमान में निर्मित हो चुके हैं एवं कितने शालाओं का कार्य निर्माणाधीन एवं अप्रारम्भ है ? **(ग)** विगत डेढ़ वर्षों में राज्य के शासकीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कितनी संख्या में नियुक्तियाँ की गई हैं? विषयवार नियुक्त शिक्षकों की संख्यात्मक जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क)विगत डेढ़ वर्षो के दौरान पंडरिया विधानसभा क्षेत्र जिला कबीरधाम अंतर्गत नये प्राथमिक,माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शालाओं में निर्माण कार्य निरंक है।**(ख)**पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष2024-25के मुख्य बजट मे शामिल एवं स्वीकृति प्राप्त शालाओं में से निर्मित शाला भवन निरंक है।06शासकीय शालाएं निर्माणाधीन है एवं अप्रारंभ कार्य निरंक है।**(ग)**विगत डेढ़ वर्षो में राज्य के शासकीय विद्यालयों में कुल 3371नियुक्तियां की गई है।शेषांश निम्नानुसार है।

पदनाम	विषय	संख्या	रिमार्क
सहायक शिक्षक		2638	सहायक शिक्षक एवं शिक्षक पद पर नियुक्ति विषयवार नही की गई है।
शिक्षक		686	
व्याख्याता	गणित	19	
व्याख्याता	भौतिकी	27	
व्याख्याता	वाणिज्य	0	
योग		3371	

अशासकीय शालाओं के शुल्क के संबंध में जानकारी प्रदान करने बावत्

[स्कूल शिक्षा]

37. (क्र. 243) श्रीमती गोमती साय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित अशासकीय विद्यालयों हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक, माध्यमिक, हाई, हायर सेकेण्डरी के संचालन हेतु क्या-क्या नियम हैं? विवरण देवें। **(ख)** अशासकीय विद्यालयों हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम प्राथमिक, माध्यमिक, हाई, हायर सेकेण्डरी के लिए छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कितनी-कितनी प्रवेश शुल्क तथा मासिक शुल्क राशि निर्धारित की गयी है? विवरण देवें। **(ग)** क्या सभी अशासकीय विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा से निर्धारित शुल्क ही लिया जा रहा है या निर्धारित नियमों की अवहेलना कर मनमानी शुल्क ली जा रही है? **(घ)** यदि अशासकीय विद्यालयों द्वारा मनमानी ढंग से शुल्क लिया जा रहा है तो शासन द्वारा विगत 03 वर्षों में ऐसे विद्यालयों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है, कार्यवाही

किये जाने का क्या नियम है? निर्धारित मापदण्ड अनुसार शुल्क लिये जाने की निगरानी करने का दायित्व किसका है? विवरण देवें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन बनाये गये नियम एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा अनुकूलित " मान्यता विनियम 1994" की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** शासन द्वारा किसी अशासकीय विद्यालय संचालन हेतु कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं। अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस लिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के अनुसार शुल्क प्रावधानित किया जाता है, अधिनियम की धारा 12 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार शुल्क लिये जाने की निगरानी करने का दायित्व जिला फीस समिति का होता है।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला में कार्यरत शिक्षकों के वेतन एवं नियमितीकरण विषयक

[स्कूल शिक्षा]

38. (क्र. 248) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम में नियुक्त सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याताओं की संख्या पदवार, जिलावार बतायें? **(ख)** वर्तमान में प्रश्नांश 'क' के कर्मचारियों को प्रदत वेतन पदवार क्या-क्या है? क्या इन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई है ? यदि नहीं तो क्या कारण है? क्या वार्षिक वेतन वृद्धि दी जावेगी? **(ग)** स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शालाओं में कार्यरत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याताओं के नियमितिकरण हेतु क्या शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है। यदि हॉ, तो क्या? उक्त कर्मचारियों द्वारा नियमितिकरण हेतु मांग की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** वर्तमान में प्रश्नांश 'क' के कर्मचारियों को प्रदत वेतन निम्नानुसार है :-

1	सहायक शिक्षक	रू0 25300/- प्रतिमाह (एकमुश्त)
2	शिक्षक	रू0 35400/- प्रतिमाह (एकमुश्त)
3	व्याख्याता	रू0 38100/- प्रतिमाह (एकमुश्त)

जी नहीं। संविदा भर्ती नियम 2012 अनुसार वार्षिक वेतनवृध्दि की पात्रता नही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है। जी हां।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

प्रदेश में शिक्षक युक्तियुक्तकरण में अनियमितता की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

39. (क्र. 249) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में युक्तियुक्तकारण प्रभावित सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याताओं की संख्या (19.06.2025 की स्थिति में) जिलावार बतायें तथा मर्ज शालाओं की संख्या एवं कितने विद्यालय बंद हुए हैं, जिला वार बताएं? **(ख)** युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया हेतु प्रदेश में दर्ज शिक्षकों की संख्या, विषय तथा अन्य कारणों से प्राप्त आपत्ति या आवेदनों की संख्या जिलावार बतायें ? इसके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** क्या महासमुन्द तथा रायपुर जिले अंतर्गत दर्ज संख्या में अनियमितता कर पदस्थापना

की गयी है? यदि हां तो कहां-कहां? आवेदन, शिकायत की संख्या विकासखण्डवार शाला के नाम सहित बतायें? जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों का निराकरण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"]

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विद्युत आपूर्ति

[ऊर्जा]

40. (क्र. 256) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की अद्यतन स्थिति क्या है? वर्तमान में विद्युत आपूर्ति कितने घंटे की जा रही है, लो वोल्टेज की समस्या दूर करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं? **(ख)** लो वोल्टेज की समस्या कब तक दूर कर ली जाएगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति 132/33 के.व्ही. के तीन उपकेन्द्रों यथा चपले, घरघोड़ा एवं पत्थलगांव उपकेन्द्र से निर्गमित 7 नग 33 के.व्ही. फीडरों से जुड़े 15 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों के माध्यम से की जा रही है। दिनांक 01.04.2024 से प्रश्नावधि में विद्युत आपूर्ति औसतन 23 घंटे 08 मिनट हुई है। सामान्यतः धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या नहीं रहती है, परन्तु खरीफ फसल की अवधि में अल्पवर्षा की स्थिति में सभी कृषि सिंचाई पंपों के एक साथ चलने के कारण सिस्टम ग्रिड वोल्टेज में कमी की स्थिति निर्मित होने के कारण अवधि विशेष में लो-वोल्टेज की समस्या होती है। इस प्रकार की लो-वोल्टेज की समस्या दूर करने हेतु निम्न उपाय किए जा रहे है:-
1. ग्राम हाटी में 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है।
2. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र पत्थलगांव से वर्तमान में 33 के.व्ही. धरमजयगढ़ फीडर की कन्डक्टर क्षमता वृद्वि का कार्य निविदा प्रक्रियाधीन है।
3. 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र चपले से पृथक 33 के.व्ही. लाईन का कार्य प्रगति पर है।
4. 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र पत्थलगांव से नया 33 के.व्ही. लाईन धरमजयगढ़ के कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।
5. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र चपले से पृथक 33 के.व्ही. लाईन कुडेकेला का कार्य प्रगतिरत है।
(ख) उत्तरांश 'ख' अनुसार लो-वोल्टेज की समस्या के निराकरण के कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

एन टी पी सी द्वारा अधिग्रहित का प्रदत्त मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

41. (क्र. 257) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** एन.टी.पी.सी तिलाईपाली द्वारा कितने ग्रामों की कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है? इस हेतु कितना मुवावजा, किस दर से प्रदान किया गया है? कितना मुआवजा वितरण शेष है, ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** कितने स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है और रोजगार हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कब तक रोजगार प्रदान किया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत एनटीपीसी तिलाईपाली के द्वारा 08 ग्रामों की 2959 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। अर्जित भूमि का मुआवजा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 में निहित प्रावधान के दर अनुसार प्रदाय की गई है। अर्जित भूमि में से 3.668 एकड़ भूमि का मुआवजा राशि रूपये 29.34 लाख वितरण शेष है। ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार। **(ख)** एनटीपीसी तिलाईपाली के लिए अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में नियमित रोजगार/नौकरी के बदले प्रभावित परिवारों को वार्षिकी भुगतान का प्रावधान है। एनटीपीसी में नियमित रोजगार का प्रावधान नहीं है। अब तक 1915 परियोजना प्रभावित /विस्थापित परिवारों को रोजगार के एवज में वार्षिकी का भुगतान किया गया है। तथापि एमडीओ के तहत प्रभावित परिवारों को अप्रत्यक्ष संविदात्मक रूप से जीविकोपार्जन हेतु स्थानीय एवं प्रदेश के कुल 864 को संविदाकर्मी के रूप में कार्य दिया गया है।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

बिलासपुर जिला अंतर्गत आर. डी. एस. एस. योजना के संदर्भ में जानकारी

[ऊर्जा]

42. (क्र. 264) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत आर. डी. एस. एस. योजना के तहत् कहां-कहां पर, कौन-कौन से कार्यों का लक्ष्य रखा गया हैं, जिनमें से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत एवं प्रस्तावित हैं, विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के स्वीकृत कार्यों के लिए निर्धारित समयावधि कितनी हैं, उनकी अद्यतन स्थिति क्या है एवं इस कार्य को कौन सी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है एवं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है, विस्तृत विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" के कार्यो के लिए कितना-कितना केंद्रांश एवं राज्यांश का प्रावधान है, जिनमें से विगत 04 वर्षों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं कितना-कितना व्यय किया जा चुका है एवं कितना शेष है, विस्तृत विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बिलासपुर जिला के लिए स्वीकृत आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत मुख्यतः 2 घटक शामिल है, विवरण निम्नानुसार हैः-

1. लाईन लॉस कम करने हेतु कार्यो का लक्ष्य एवं अद्यतन प्रगति

क्र.	कार्य का नाम	इकाई	प्रावधान	कार्यपूर्ण	शेष
1	11 के.व्ही. कृषि पंप फीडरों का पृथक्कीकरण	नग	24	5	19
	अ. 11 के.व्ही.लाईन	कि.मी.	264.11	37.23	226.88
	ब. वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना	नग	217	23	194
	स. निम्न दाब लाईन	कि.मी.	88.1	3.1	85
2	अतिभारित 11 के.व्ही. फीडर को विभक्त करने का कार्य	नग	28	19	9
	अ. 11 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	82.09	24.99	57.1
3	निम्नदाब लाईन के खले विद्युत तार के स्थान पर ए.बी. केबल लगाने का कार्य	कि.मी.	589	226	363
4	अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना	नग	452	49	403
5	वितरण ट्रांसफार्मर में स्थापित खराब डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स को बदलने का कार्य	नग	2901	116	2785
6	चोरी वाले क्षेत्र में सर्विस लाईन को आर्मर्ड केबल में परिवर्तित करने का कार्य	कि.मी	85.02	0	85.02

2. स्मार्ट मीटर स्थापना (कृषि पंपों को छोड़कर) कार्य हेतु लक्ष्य एवं अद्यतन प्रगतिः-

क्र.	कार्य का नाम	लक्ष्य	कार्य पूर्ण	शेष
1	स्मार्ट मीटर स्थापना का कार्य	325635	150173	175462

स्थलवार, घटकवार कार्य की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** कंडिका (क) के अनुसार लाईन लॉस की कमी हेतु किये जाने का कार्य मेसर्स एस.टी. इलेक्ट्रिकल प्राईवेट लिमिटेड, पुणे द्वारा किया जा रहा है। जिसकी कार्य पूर्णता की निर्धारित समयावधि जनवरी 2025 थी एवं स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य मेसर्स हाई प्रिंट एनर्जी सॉल्युशन प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। जिसकी कार्य पूर्णता की निर्धारित समयावधि जनवरी 2026 है। आर.डी.एस.एस. योजना का क्रियान्वयन सीएसपीडीसीएल के परियोजना कार्यालय के संयुक्त टीम के द्वारा किया जा रहा है। **(ग)** कंडिका ''क'' के लाईन लॉस कम करने हेतु अवार्ड राशि 96.53 करोड़ का 60% (57.92 करोड़) केन्द्रांश एवं राज्यांश 10% (9.65 करोड) का प्रावधान है जिसके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में योजना के प्रारंभ नहीं होने से केन्द्रांश एवं राज्यांश की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और न ही व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रूपये 4.99 करोड़ केन्द्रांश एवं रूपये 2.53 करोड़ राज्यांश प्राप्त हुए जो कि इसी वित्तीय वर्ष में ही व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूपये 7.35 करोड़ केन्द्रांश एवं रूपये 7.12 करोड़ राज्यांश प्राप्त हुए जो कि इसी वित्तीय वर्ष में ही व्यय किये गये। वर्तमान में व्यय करने के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश की कोई राशि शेष नहीं है। स्मार्ट मीटर की स्थापना हेतु 15 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में केन्द्रांश से तथा शेष 85 प्रतिशत राशि कार्यादेशित एजेंसी द्वारा व्यय किये जाने का प्रावधान है, उक्त कार्य हेतु राज्यांश देय नहीं हैं। विगत 04 वर्षो में स्मार्ट मीटर स्थापना के कार्य हेतु केन्द्रांश प्राप्त नहीं हुआ है।

<u>जिला-रायपुर से बस्तर व दंतेवाड़ा हेतु जारी बस परमिट</u>

[परिवहन]

43. (क्र. 273) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 20 जून, 2025 की स्थिति में रायपुर से बस्तर व रायपुर से दंतेवाड़ा यात्री बसों हेतु किन-किन ट्रेवल्स की कितनी बसों को, किन-किन समय के लिए परमिट जारी किया गया है ? समय-सारणी एवं रूट की जानकारी देवें, व परमिट जारी करने हेतु प्रमुख शर्तें क्या-क्या हैं ? **(ख)** विगत दो वर्षों में प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत कितने यात्री बस की दुर्घटना के प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा उसमें कितने घायल एवं कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? घायल एवं मृत व्यक्तियों को क्या आर्थिक एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया है? दुर्घटनावार, ट्रैवल संस्थावार जानकारी देवें ? (ग)क्या यह सही है कि परमिट की शर्तों का पालन न करने के कारण लगातार यात्री बसों से सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं ? यदि हां, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? **(घ)**यात्री बसों में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी क्या-क्या उपाय किए गए हैं तथा यात्रियों की सुविधा के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? यदि हां, तो प्रश्नांश **(ख)** अवधि में उन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं एवं उनका क्या समाधान किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में 73 यात्री बस की दुर्घटना के प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा उसमें 169 व्यक्ति घायल एवं 32 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। विभाग द्वारा घायल एवं मृत व्यक्तियों को आर्थिक एवं आवश्यक सहयोग प्रदान नही किया जाता है। दुर्घटनावार, ट्रैवल संस्थावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है। **(घ)** यात्री बसो में महिला सुरक्षा मोटरयान नियम 1994 के नियम 76 (क) के सरल क्रमांक 10, 11, 12 एवं 29 के प्रावधान अनुसार किया जाता है। विभाग द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नही किया गया है।शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है।

युक्तियुक्तकरण के मापदण्ड

[स्कूल शिक्षा]

44. (क्र. 280) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण के क्या मापदंड हैं ? युक्तियुक्तकरण के तहत कितने शिक्षकों को अतिशेष की सूची में शामिल किया गया ? जिलावार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** क्या अतिशेष शिक्षकों से दावा आपत्ति मंगाई गई थी? यदि नहीं, तो क्यों ? युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकों के अतिशेष सूची में शामिल करने में गड़बड़ी की शिकायत किन-किन जिलों में प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है? **(ग)** प्रदेशभर में युक्तियुक्तकरण के तहत कितने स्कूल मर्ज किए गए हैं ? सभी जिलों की जानकारी विकासखंडवार बताएं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ब"** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। युक्तियुक्तकरण निर्देश अनुसार कार्यवाही की गई। जांजगीर, दुर्ग, सारंगढ़-बिलाईगढ, दन्तेवाड़ा, सूरजपुर, गरियाबंद तथा मनेन्द्रगढ़ से शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स"** अनुसार है।

राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में गड़बड़ी की शिकायत

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

45. (क्र. 281) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण विभागीय परीक्षा 2024 की गड़बड़ी की शिकायत हेतु किन-किन की अध्यक्षता में जांच दल कब-कब गठित किया गया है ? क्या गठित जांच दल केडी कुंजाम समिति के पत्र क्रमांक 06/वि.स. खाद्य/2024 नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 29.11.2024 के तहत प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में कितने अभ्यर्थियों को पारिवारिक रिश्तेदार होना पाया गया है ? यदि हां तो इसका आधार क्या था ? पूर्ण विवरण दें। **(ख)** राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण विभागीय परीक्षा 2024 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात कितने अभ्यर्थियों ने सचिव राजस्व के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और क्या उन अभ्यावेदन का निराकरण किया गया है ? जांच रिपोर्ट पश्चात उपरोक्त परीक्षा में गड़बड़ी हेतु किन किन को दोषी पाया गया है और अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण विभागीय परीक्षा 2024 की गड़बड़ी की शिकायत हेतु किसी भी अधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल गठित नहीं किया गया है, जबकि राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 की उच्च स्तरीय जॉच कराये जाने हेतु पॉच सदस्यीय दल(श्री के.डी.कुंजाम सहित) का गठन विभागीय आदेश दिनांक 23.08.2024 द्वारा किया गया है। हॉ, जॉच प्रतिवेदन पृष्ठ-2 की कंडिका- 5 एवं 6 में अभ्यर्थियों के पारिवारिक रिश्तेदार होने का उल्लेख किया गया है। कुल 13 अभ्यर्थियों के रिश्तेदार होने का उल्लेख किया गया है। जॉच प्रतिवेदन में अभ्यर्थियों के पारिवारिक रिश्तेदार होने के आधार का कोई उल्लेख नहीं है। **(ख)**राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण विभागीय परीक्षा 2024 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात कुल 07 अभ्यर्थियों ने उक्त परीक्षा के संबंध में सचिव(राजस्व) के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और उनके अभ्यावेदनों का निराकरण किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट में उपरोक्त परीक्षा में गड़बड़ी हेतु दोषी पाये जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का नाम उल्लिखित नहीं है। राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जॉच ईओडब्ल्यू/एसीबी अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों से कराये जाने हेतु विभागीय ज्ञापन दिनांक 04.03.2025 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा

गया है अर्थात जॉच प्रक्रियाधीन है।**जॉच प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेज पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के माध्यम से कृषि सोलर पंपों की स्थापना

[ऊर्जा]

46. (क्र. 288) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या अविभाजित राजनांदगांव जिला व खैरागढ़ एवं मोहला मानपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के माध्यम से कृषि सोलर पंपों की स्थापना की गयी है? यदि हां तो वर्ष 2023 से 20/08/2025 तक जिले मे कितने सोलर पंप कार्यशील एवं कितने अकार्यशील की स्थिति में हैं? **(ख)** क्या कृषि सोलर पंपों की स्थापना हेतु ईकाई सुरक्षा निधि/धरोहर राशि से सामग्री क्रय एवं सुधार का प्रावधान है? यदि हॉ, तो उक्त कार्यों हेतु कितने प्रकरण जिला स्तर से प्राप्त हुए हैं प्राप्त प्रकरणों पर कब-कब क्या कार्यवाही की गयी है? वर्षवार, नामवार व प्रकरणवार, कृषक आईडी.नं. कार्यादेश क्रं./दिनांक, सामग्री का विवरण सहित जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जी हॉ, अविभाजित राजनांदगांव जिला व खैरागढ़-छुईखदान-गण्डाई एवं मोहला- मानपुर- अंबागढ़ चौकी जिले में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा ''सौर सुजला योजना'' अंतर्गत कृषि सोलर पंपों की स्थापना की गयी है। वर्ष 2023 से दिनांक 20/06/2025 तक स्थापित सोलर कृषि पंपों में से जिलों में कार्यशील एवं अकार्यशील कृषि सोलर पंपों की जानकारी **'संलग्न प्रपत्र-अ'** अनुसार है।**(ख)** कृषि सोलर पंपों की स्थापना हेतु इकाई की सुरक्षा निधि राशि/धरोहर राशि से सामग्री क्रय का प्रावधान नहीं है। अपितु स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा 05 वर्षो की वारंटी अवधि के अंतर्गत पंपों में सुधार कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में इकाई की सुरक्षा निधि/धरोहर राशि से सामग्री क्रय एवं सुधार का प्रावधान है।जिला स्तर से 05 वर्षो की वारंटी अवधि अंतर्गत उत्तरांश 'क' के 74 अकार्यशील सोलर कृषि पंपों में से वारंटी अवधि अंतर्गत 44 सोलर कृषि पंपों को कार्यशील किये जाने हेतु क्रेडा द्वारा की गई कार्यवाही का वर्षवार, नामवार व प्रकरणवार, कृषक आई.डी. नं., कार्यादेश क्र./दिनांक, सामग्रीवार जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-ब''** अनुसार है। शेष 30 प्रकरण 05 वर्षो की वारंटी अवधि के बाद के है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

47. (क्र. 297) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अंतर्गत कितने शिक्षक विहीन/एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई ? कितने विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया ? कुल कितने शिक्षकों का जिले के बाहर स्थानांतरण किया गया ? जिलेवार, श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें । **(ख)** युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पश्चात प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों में से कितने पदों की पूर्ति हुई, कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे? **(ग)** क्या युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में कुछ जिलों में न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है ? यदि हां तो कहां-कहां, किन -किन कारणों से ? **(घ)** युक्तियुक्तकरण में शिक्षकों के पदस्थापना हेतु काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है ? प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध करावें । क्या काउंसलिंग की निर्धारित प्रक्रिया में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनियमितता किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो कहां -कहां से? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश के 447 शिक्षक विहीन एवं 4728 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई। 10538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया। शिक्षकों का जिले से बाहर स्थानांतरण नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** युक्तियुक्तकरण पश्चात् 15165 रिक्त पदों की पूर्ति हुई। 22464 रिक्त पद है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। जी हां, जांजगीर जिले से 01, दुर्ग जिले से 01, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से 01, दंतेवाड़ा जिले से 01, सूरजपुर जिले से 01, गरियाबंद जिले से 01 तथा मनेन्द्रगढ़ से 03 शिकायत प्राप्त हुई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाली कंपनी के विरूद्ध कृत कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

48. (क्र. 304) श्री इंद्र साव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2019 से 2022 के बीच करोड़ों की संख्या के नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाली कंपनी द्वारा कब तक होलोग्राम की सप्लाई की गई है ? क्या उस कंपनी को उसके द्वारा सप्लाई किए गए होलोग्राम तथा सुरक्षा निधि इत्यादि की संपूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है ? कंपनी को किए जाने वाले भुगतान की राशि रोकने एवं कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? **(ख)** क्या वर्ष 2019 से 2022 के बीच मैन पॉवर सप्लाई कंपनी से सुमित फेसिलिटिज लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा शासकीय शराब दुकानों से लाखों पेटियां नकली होलोग्राम लगी शराब का विक्रय करने की जानकारी प्राप्त हुई है ? उस कंपनी के संचालकों के विरूद्ध शासन को हुई क्षति की राशि की वसूली अथवा अन्य कोई कार्यवाही न करने के क्या करण है ? जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रश्नाधीन अवधि 01.01.2019 से 30.09.2019 तक मेसर्स मोन्टेज एंटरप्राईजेस प्रालि, नोएडा तथा 15.10.2019 से 31.12.2022 तक मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी एण्ड सिक्यूरिटी फिल्म्स प्रालि, गौतम बुद्ध नगर द्वारा होलोग्राम प्रदाय किये गये हैं। कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप कंपनियों को कार्यादेश जारी किया गया तथा निविदा शर्तों के अनुरूप भुगतान किया गया है। **(ख)** जी नहीं।

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के उद्योगों को शिवनाथ नदी से पानी सप्लाई के नीति नियम एवं शर्तें

[जल संसाधन]

49. (क्र. 305) श्री इंद्र साव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र भाटापारा अंतर्गत विकासखंड सिमगा में ऐसे कितने उद्योग स्थापित हैं, जिन्हें शिवनाथ नदी से पानी की सप्लाई की जाती है ? उद्योगों के नाम, स्थान की जानकारी दें? उद्योगों को शिवनाथ नदी से दिए जाने वाले पानी के लिए शासन द्वारा क्या नीति नियम बनाए गए है? छ.ग. शासन द्वारा बनाये गए जल नीति नियम एवं शर्ते क्या है? विस्तृत जानकारी बताए? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** क्षेत्र में स्थापित उद्योगों द्वारा छ.ग. शासन के जल नीति नियम एवं शर्तो का सही रूप से पालन किया गया है अथवा नहीं, इसकी विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की गई है अथवा नहीं? शासन के नियम एवं शर्तों के पालन नहीं करने वाले उद्योगों के उपर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थापित उद्योगों को 01 जनवरी, 2025 से लेकर 20/06/2025 तक ग्रीष्मकाल में शिवनाथ नदी से कितनी मात्रा में पानी की सप्लाई की गई है? क्या पानी की सप्लाई जल नीति के अनुसार की गई है? किन-किन उद्योगों से नियम विरूद्ध पानी सप्लाई की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायत पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है बताएं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विधानसभा क्षेत्र भाटापारा अंतर्गत विकासखंड सिमगा में शिवनाथ नदी

से किसी भी उद्योगों को वर्तमान में जल का प्रदाय नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाये गये जल नीति नियम एवं शर्तों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश "क" अनुसार जानकारी निरंक है।

रायपुर ग्रामीण अंतर्गत शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

50. (क्र. 323) श्री मोतीलाल साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मई, 2025 की स्थिति में नगर पालिक निगम, रायपुर के जोन क्रमांक- 01, 08, 09, एवं 10 अंतर्गत कितनी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई? **(ख)** प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :(क) प्रश्नाधीन अवधि एवं क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के कुल 194 शिकायतें प्राप्त हुई है। **(ख)**कुल 190 शिकायतों पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 322, 323 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई, 02 प्रकरण न्यायालय में, 01 प्रकरण सीमांकन हेतु एवं 01 शिकायत प्रकरण विचाराधीन है।

रायपुर ग्रामीण विस क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हथबंध में बायो डायवर्सिटी एवं पक्षी पार्क की स्थापना

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

51. (क्र. 324) श्री मोतीलाल साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हथबंद में स्थित नंदनवन पार्क के पशु-पक्षियों को नया रायपुर स्थित जंगल सफारी में स्थानांतरित किया गया है? नंदनवन पार्क का उन्नयन करते हुए बायो डायवर्सिटी एवं बर्ड पार्क बनाये जाने की कार्ययोजना की जानकारी देवें? **(ख)** उक्त कार्य की स्वीकृति के संबंध में जानकारी दें तथा कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) ग्राम पंचायत हथबंध में स्थित नंदनवन पार्क के पशु-पक्षियों को नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में स्थानांतरित किया गया है। नंदनवन पार्क का उन्नयन करते हुए बायोडायवर्सिटी एवं बर्ड पार्क बनाये जाने की कोई कार्य योजना स्वीकृत नहीं है ।**(ख)** कार्य योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण कार्य की स्वीकृति एवं उनकी पूर्णता की अवधि का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

प्रदेश के शिक्षकों एवं शालओं का युक्तियुक्तकरण

[स्कूल शिक्षा]

52. (क्र. 327) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** माह जून, 2025 में प्रदेश के कितने प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला व सहायक शिक्षकों को अतिशेष घोषित कर युक्तियुक्तकरण के तहत् उनकी पदस्थापना अन्य शालाओं में की गयी है? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में अतिशेष शिक्षकों की सूची का प्रकाशन करने, उनसे दावा-आपत्ति प्राप्त करने, प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण करने तथा पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग के लिए क्या कोई तिथिबद्ध समय-सारिणी निर्धारित की गयी थी? क्या युक्तियुक्तकरण हेतु जारी आदेश/निर्देश में अतिशेष शिक्षकों की सूची का प्रकाशन कर, उनसे दावा-आपत्ति प्राप्त कर निराकरण उपरांत पदस्थापना करने का प्रावधान या व्यवस्था की गयी थी? जानकारी

देवें? **(ग)** युक्तियुक्तकरण के तहत् प्रदेश के किस-किस स्तर की कितनी शालाओं का संचालन बंद किया गया है? किस-किस स्तर की कितनी शालाओं को मर्ज किया गया है? क्या युक्तियुक्ततकरण की परिधि में आने वाली शालाओं की सूची का पहले से प्रकाशन कर प्रभावित शाला, जिस ग्राम/नगर/शहर में संचालित है, वहॉ के स्थानीय प्रशासन या पालकों से तत्संबंध में दावा-आपत्ति/अनापत्ति/सहमति ली गयी है? जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** युक्तियुक्तकरण हेतु जारी दिशा-निर्देश 2024-25 के अनुसार कार्यवाही की गई है। **(ग)** युक्तियुक्तकरण के तहत् प्रदेश के शालाओं का संचालन बंद नहीं किया गया हैं जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। युक्तियुक्तकरण हेतु जारी दिशा-निर्देश 2024-25 के अनुसार कार्यवाही की गई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

युक्तियुक्तकरण हेतु प्रदेश की शालाओं एवं शिक्षकों के सेटअप में परिवर्तन

[स्कूल शिक्षा]

53. (क्र. 328) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 30 अप्रैल, 2025 की स्थिति में प्रदेश में संचालित हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं में प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला व सहायक शिक्षकों के कितने पद रिक्त थे तथा दिनांक 20 जून, 2025 की स्थिति में इनके रिक्त पदों की संख्या कितनी-कितनी है? जिलेवार, पदवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या शालाओं एवं शिक्षकों के पूर्व निर्धारित सेटअप में कमी या परिवर्तन कर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई है? यदि हॉ तो वर्ष 2025 के पूर्व निर्धारित सेटअप और युक्तियुक्तकरण के समय निर्धारित सेटअप का पूर्ण विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** जी नहीं, 2008 के सेटअप में परिवर्तन नहीं किया गया है। छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन, दिनांक 02.08.2024 एवं पत्र क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन, दिनांक 28.04.2025 के अनुसार प्रक्रिया की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

भारतमाला परियोजनान्तर्गत भूमि अर्जन तथा मुआवजा राशि निर्धारण एवं भुगतान में अनियमितता

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

54. (क्र. 343) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भारतमाला परियोजनान्तर्गत भूमि के अर्जन, मुआवजा राशि के निर्धारण तथा भुगतान आदि में अनियमितताओं की कराई जा रही जांच के अब तक के परिणामों का विवरण बताइए? **(ख)** जांच में पाई गई अनियमितताओं के लिए किसके-किसके विरूद्ध, क्या-क्या कार्यवाही की गई है और किसके -किसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है ? कारण सहित बताइए? **(ग)** अनियमितताओं के कारण मुआवजा की अधिक राशि के भुगतान की वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) भारतमाला परियोजनान्तर्गत भूमि के अर्जन, मुआवजा राशि के निर्धारण तथा भुगतान आदि में अनियमितताओं के संबंध में कलेक्टर, जिला रायपुर द्वारा अपर कलेक्टर, रायपुर से जांच करवाकर विभाग को प्रेषित जांच प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2025 द्वारा श्री निर्भय कुमार साहू,रा.प्र.से. (आर.आर.-2024) को निलंबित किया गया है तथा पत्र दिनांक 29.04.2025 एवं 06.02.2025 द्वारा आरोप-पत्रादि जारी किये गए हैं।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 05.03.2025 द्वारा श्री शशिकांत कुर्रे, रा.प्र.से. (पी.-2021) को निलंबित किया गया है तथा पत्र दिनांक 19.5. 2025 द्वारा आरोप-पत्रादि जारी किये गए हैं।
3. विभागीय आदेश क्रमांक 1091 दिनांक 08-10-2024 द्वारा श्री लखेश्वर प्रसाद किरण तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा, श्री जितेन्द्र साहू तत्कालीन हल्का पटवारी क्रमांक 49 नायकबांधा, श्री दिनेश पटेल, वर्तमान पटवारी हल्का 49 नायकबांधा, श्री लेखराम देवांगन तत्कालीन हल्का पटवारी 24 टोकरो, को निलंबित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पारित आदेश दिनांक 05.02.2025के परिपालन में निलंबित पटवारियों श्री जितेन्द्र कुमार साहु श्री दिनेश पटेल तथा श्री लेख राम देवांगन को कार्यभार ग्रहण कराने तथा पुनः निलंबित किये जाने हेतु कलेक्टर, जिला रायपुर को लिखा गया तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 के परिपालन में श्री लखेश्वर प्रसाद किरण, तत्कालीन नायब तहसीलदार के निलंबन आदेश दिनांक 08.10.2024 को आगामी सुनवाई तक ''स्थगन'' दिये जाने पर, पुनः कार्य पर उपस्थिति दी गई है।माननीय राजस्व मंत्रीजी द्वारा दिये गये वक्तव्य एवं मंत्रीमंडल द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक ESTB-102/128/2025/सात-2 दिनांक 08.04.2025 द्वारा जांच राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो(EOW) से जांच कराने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया है जिसके आधार पर ब्यूरो में अपराध कमांक-30/2025, धारा- 7 (सी) भ्र.नि.अधि. 1988 यथा संशोधित भ्र.नि. (संशोधन अधिनियम 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।राज्य शासन केपत्र दिनांक 08.04.2025 द्वारा भारतमाला परियोजना के मुआवजा प्रकरण की जांच हेतु संबंधित संभागीय आयुक्तों को अपने-अपने क्षेत्र के मुआवजा प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया है।भारतमाला परियोजना में अभनपुर-विशाखापट्टनम मार्ग एवं रायपुर-दुर्ग बाईपास प्रकरण के अब तक की विवेचना में प्रकरण में संलिप्तता व साक्ष्य के आधार पर गैर लोक सेवक 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल निरूद्ध की कार्यवाही की गई है। प्रथम सूचना पत्र में नामजद 08 आरोपियों के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कराया गया है, जिनमें से 06 आरोपियों का माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी किया गया है, 01 आरोपी को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अंतरिम राहत प्रदान की गई है तथा 01 आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य संकलन जारी है। इस प्रकार कुल 12 आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही कर अन्य आरोपियों के विरूद्ध विवेचना जारी है।**(ख)** कार्यवाही की जानकारी प्रश्नांश ''क'' अनुसार है। जांच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।**(ग)** वसूली के संबंध में जांच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

<u>वनवृत्त जगदलपुर तथा कांकेर में संग्रहित तेन्दूपत्ता की आंधी-तूफान के कारण क्षति</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

55. (क्र. 344) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 2025 में वनवृत्त जगदलपुर तथा कांकेर में विभागीय रूप से संग्रहित तेन्दूपत्ता में से कितनी मात्रा में तेन्दूपत्ते पानी तथा आंधी-तूफान के कारण नष्ट तथा खराब हुए ? स्थान तथा राशि सहित विवरण दीजिए? **(ख)** इस प्रकार हुई क्षति के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं तथा उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही है? **(ग)** गोदमीकृत तेन्दूपत्ते के विक्रय के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2025 में वनवृत्त जगदलपुर तथा कांकेर में विभागीय रूप से संग्रहित तेन्दूपत्ता में पानी तथा आंधी-तूफान के कारण नष्ट हुए तेन्दूपत्ता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे**

प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब के अनुसार है।(ख) इस प्रकार संग्रहित तेन्दूपत्ता में प्राकृतिक कारणों से हानि हुई है। इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।**(ग)** गोदामीकृत तेन्दूपत्ता का विक्रय प्रतिवर्ष अनुसार ऑनलाईन निविदा द्वारा किया जाएगा ।

जिला बस्तर के अतिशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण

[स्कूल शिक्षा]

56. (क्र. 351) श्री बघेल लखेश्वर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण उपरांत आज की स्थिति में जिला बस्तर के हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विषयवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की शालावार स्थिति बतावें? **(ख)** जिला बस्तर के विकासखण्डों में कितने सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता (विषयवार) अतिशेष हुये व कितनों का युक्तियुक्तकरण किया गया ? **(ग)** युक्तियुक्तकरण उपरांत कितनी प्राथमिक शालायें शिक्षकविहीन व एकल शिक्षकीय रह गये हैं ? विकासखण्डवार बतायें ? अतिशेष शिक्षकों का, किये गये युक्तियुक्तकरण के विरूद्ध प्राप्त दावा-आपत्ति एवं आवेदन के संबंध में पदवार संख्यात्मक जानकारी देते हुये इनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा कितने लंबित हैं ? कृपया बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है। युक्तियुक्तकरण हेतु जारी दिशा-निर्देश 2024-25 के अनुसार दावा-आपत्ति का प्रावधान नही है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है। **[संलग्न "परिशिष्ट - तैंतीस"]**

जगलों की अवैध कटाई के संबंध में पंजीबद्ध प्रकरण एवं कृत कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

57. (क्र. 352) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बस्तर में वर्ष 2022-23 से 20 जून, 2025 तक किन-किन वन परिक्षेत्रों में जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये व शिकायतें प्राप्त हुई ? पूरी जानकारी देंवे ? **(ख)** इन प्रकरणों पर की गई विभागीय कार्यवाही एवं इसकी रोकथाम के लिए किये गये उपायों के संबंध में बतायें ? **(ग)** इन प्रकरणों को लेकर की गई विभागीय जांच एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में बतावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला बस्तर में वर्ष 2022-23 से 20 जून 2025 तक 11 वन परिक्षेत्रों में जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई के 1571 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये व 07 शिकायतें प्राप्त हुई। **विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है ।(ख)** अवैध कटाई के प्रकरणों में पी.ओ.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। परिसर रक्षक एवं वन सुरक्षा में सहयोग हेतु गठित वन प्रबंधन समिति द्वारा नियमित रूप से वनक्षेत्रों का भ्रमण/गश्ती का कार्य किया गया है । इसके अलावा परिक्षेत्र सहायक/परिक्षेत्र अधिकारी एवं वनमंडल स्तरीय गठित उड़नदस्ता दल द्वारा भी नियमित रूप से वन क्षेत्रों की गश्ती की गई है। पंजीबद्ध प्रकरणों पर की गई कार्यवाही का **विवरण संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है ।(ग)** प्रश्नांकित अवधि में अवैध कटाई के दर्ज प्रकरणों में किसी भी वन कर्मचारी/अधिकारी को दोषी नहीं पाये जाने के कारण विभागीय जॉच व दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौंतीस"]

बीजापुर जिले में वनों की अवैध कटाई पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

58. (क्र. 359) श्री विक्रम मंडावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 में 20 जून, 2025 तक बीजापुर जिले के कुचनूर में कोरंडम खदान के आसपास किस-किस प्रजाति के कितने पेड़ों की कटाई, कितने क्षेत्रफल में किसके द्वारा, कब-कब की गई? **(ख)** प्रश्नांश 'क' हेतु वन विभाग द्वारा किस-किस एजेन्सी को किस तिथि को अनुज्ञा प्रदान की गई? जानकारी पत्र विवरण सहित देवें? **(ग)** बिना अनुज्ञा के, पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? कितनी लकड़ी जब्त की गई, कहां भण्डारण किया गया? कितना अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया? कितनी राशि जमा की गई? कितने वाहनों को जब्त किया गया?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 में 20 जून, 2025 तक की अवधि में बीजापुर जिले के कुचनूर में कोरंडम खदान के आसपास किसी भी प्रजाति के पेड़ों की कटाई नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है।**(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

विद्युत ट्रांसफार्मर क्रय का भुगतान

[ऊर्जा]

59. (क्र. 360) श्री विक्रम मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 20-06-2025 तक कितनी-कितनी क्षमता के कितने-कितने ट्रांसफार्मर किस कम्पनी से, किस-किस दर पर कुल कितनी राशि में क्रय किए गए? जिलावार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' हेतु क्रय प्रक्रिया क्या है? क्रय में गारन्टी/वारंटी का क्या प्रावधान अनुबंधित है? प्रदानकर्त्ता एजेन्सी द्वारा अनुबंध का पालन किया गया है अथवा नहीं? **(ग)** गारन्टी अवधि में कितने ट्रांसफार्मर कितनी-कितनी क्षमता के कब-कब खराब हुए? कितना रिपेयर/रिप्लेस हेतु प्रदानकर्त्ता एजेन्सी को दिया गया ? कितना रिपेयर/रिप्लेस पश्चात् वापस प्राप्त हुआ तथा इस हेतु आपूर्तिकर्ता को कितनी राशि भुगतान की गई? सम्पूर्ण जानकारी जिलावार देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) ट्रांसफार्मरो की खरीदी जिले स्तर पर नहीं अपितु प्रदेश स्तर पर की जाती है। वर्ष 2024-25 में जनरेशन कंपनी द्वारा 09 नग, ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 04 नग एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा कुल 31,416 नग एवं 2025-26 में दिनांक 20.06.2025 तक केवल जनरेशन कंपनी द्वारा 03 नग ट्रांसफार्मर के क्रयादेश किये गए। ट्रांसफार्मर की कम्पनीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ', 'ब' 'स' एवं 'द' अनुसार** है। **(ख)** क्रय-प्रक्रियाः-

1. पांच लाख तक की सामग्री की खरीदी सीमित निविदा और उससे अधिक की सामग्री खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के आधार पर की जाती है।
2. जो प्रतिस्पर्धी निविदा में उल्लेखित वाणिज्यिक एवं तकनीकी शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हीं की प्राईज बिड खोली जाती है। मूल्यों की तुलना जी.एस.टी. सम्मिलित कर न्यूनतम दर के आधार पर किया जाता है।
3. सामान्यतः ट्रांसफार्मर का क्रय न्यूनतम मूल्य पर एक से अधिक फर्मों से किया जाता है ताकि सामान की आपूर्ति के लिए किसी एक फर्म पर निर्भर ना रहना पड़े और विद्युत आपूर्ति से जुड़े कार्य निर्बाध रूप से चलते रहें।
4. पावर ट्रांसफार्मर एवं वितरण ट्रांसफार्मर हेतु निविदा एवं आदेश के शर्तो के अनुरूप फर्मो को ट्रांसफार्मरो की परफार्ममेंस गारंटी प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा जाता है। निविदा शर्तों के अनुसार वर्तमान क्रय

आदेशों में क्षेत्रीय भंडार में सामग्री स्वीकार किये जाने के उपरांत 36 माह की परफामेंस गारंटी का प्रावधान है।

5. उपरोक्तानुसार सभी क्रय आदेशों के अंतर्गत क्षेत्रीय भंडार में ट्रांसफार्मर स्वीकृत होने के उपरांत ट्रांसफार्मर फेल होने पर परफामेंस गारंटी के प्रावधान का पालन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न (क) के अधीन क्रय किये गये गारन्टी अवधि में खराब ट्रांसफार्मर के रिपेयर/रिप्लेस किए जाने की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ई' अनुसार** है। जिसके अंतर्गत गारंटी अवधि में फेल ट्रांसफार्मर बिना किसी अतिरिक्त व्यय के फर्म द्वारा सुधार कर वापस किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

नगरपालिका बीजापुर में महादेव तालाब का निर्माण

[जल संसाधन]

60. (क्र. 364) श्री विक्रम मंडावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बीजापुर जिले के नगरपालिका क्षेत्र बीजापुर में नियत महादेव तालाब का निर्माण कब हुआ था? क्षेत्रफल, खसरा नंबर, भू-स्वामी का नाम सहित बतावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार महादेव तालाब में कितने व्यक्तियों की निजी भूमि डूबान क्षेत्र में आई है? नाम, खसरा नंबर सहित जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' अनुसार, यदि हां तो कितने व्यक्तियों को मुआवजा दी गई है? कितनी राशि दी गई है और वर्तमान में किसके नाम पर खसरा नंबर है? जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बीजापुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र बीजापुर में नियत महादेव तालाब (बीजापुर तालाब) का निर्माण वर्ष 1982 में हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 61.13 एकड़ है एवं खसरा नंबर, भू-स्वामी का नाम सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार महादेव तालाब में 04 व्यक्तियों की निजी भूमि डूबान क्षेत्र में आई है। नाम, खसरा नंबर सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश 'ख' अनुसार, 04 व्यक्तियों को राशि रू. 4634.10 लाख का मुआवजा दी गई है। वर्तमान में किसके नाम पर खसरा नंबर है की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन महाविद्यालय की स्थापना

[उच्च शिक्षा]

61. (क्र. 366) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2024 के मध्य अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन गांवों में नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है? कृपया ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** स्वीकृत महाविद्यालय में से कितने का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है? **(ग)** क्या नवीन स्वीकृत महाविद्यालयों के लिए भवन का निर्माण किया जा चुका है? **(घ)** यदि नवीन स्वीकृत महाविद्यालय, भवनविहीन हैं, तो उनके लिए भवन का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 के मध्य अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तामासिवनी जिला रायपुर में महाविद्यालय की स्थापना दिनांक 25.08.2023 को की गई है। शेष जानकारी निंरक है। **(ख)** ग्राम तामासिवनी जिला रायपुर में महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र् 2023-24 से संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त चूना पत्थर खदानों के संचालन

[खनिज साधन]

62. (क्र. 367) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निसदा में वर्तमान में कुल कितने चूना पत्थर खदान संचालित हैं? कृपया संचालित खदान का खसरा नंबर, रकबा, स्वीकृति अथवा नवीनीकरण का वर्ष, स्वीकृति की अवधि एवं उनके संचालकों की जानकारी देवें? **(ख)** वर्तमान में ग्राम निसदा में कितनी ऐसी खदानें हैं जिनका नवीनीकरण नहीं किया गया है? कृपया खसरावार व रकबावार बतावें कि उक्त खदानों का नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया है तथा उनका संचालन कब से बंद है? **(ग)** क्या संचालित खदानों में उनके रकबे से अधिक क्षेत्र में खुदाई की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निसदा में वर्तमान में निम्न श्रेणी चूना पत्थर की 01 उत्खनन पट्टा संचालित है। शेष जानकारी **''संलग्न प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम-2015 के तहत् गौण खनिजों के प्रकरणों में नवीनीकरण के प्रावधान को विलोपित किया गया है। वर्तमान में ग्राम निसदा में खदान विस्तारीकरण हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ग)** जी हां। ग्राम निसदा में खदानों में उनके रकबे से अधिक क्षेत्र में खुदाई की शिकायत प्राप्त हुई है। जिस पर संयुक्त सीमांकन कराये जाने हेतु राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों का संयुक्त दल गठित किया गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

राजिम विधानसभा क्षेत्र एवं जिला गरियाबंद में पर्यटन विकास हेतु प्रस्तावित योजना

[पर्यटन]

63. (क्र. 375) श्री रोहित साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या तीर्थ नगरी राजिम कुंभ कल्प मेला का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है? क्या इस हेतु शासन द्वारा 54 एकड़ भूमि आबंटित कर सर्व सुविधायुक्त मेला स्थल का निर्माण किया जा रहा है? उक्त मेला स्थल का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? **(ख)**जिला गरियाबंद अंतर्गत पर्यटन विकास की क्या योजना है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हां। तीर्थ नगरी राजिम कुंभ कल्प मेला का प्रतिवर्ष आयोजन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाता है। राजिम मेला स्थल विकास हेतु धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा राशि रूपये 184.82 लाख आबंटित किया गया है । उक्त स्थल का कार्य पूर्ण करने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । **(ख)** राज्य में जिला गरियाबंद सहित पर्यटन विकास हेतु निम्न कार्यवाही की जा रही है- 1. राज्य में पर्यटन गतिविधियों एवं अधोसंरचना विकास हेतु भूमि बैंक बनाया जा रहा है। इसके लिए समस्त जिला कलेक्टरों को उनके जिले के पर्यटन स्थलों के समीप एवं उसके आस-पास स्थित उपयुक्त रिक्त भूमि की मांग की गयी है। 2. राज्य के सभी राजमार्ग एवं बायपास मार्गों में पर्यटक सुविधा केन्द्र (Way Side Aminities) के विकास हेतु जिला प्रशासन से उपयुक्त भूमि की मांग की गयी है। जिला प्रशासन से उपयुक्त भूमि का आबंटन प्राप्त होने उपरान्त इस संबंध में आगामी कार्यवाही की जायेगी। 3. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने एवं स्थानीय लोंगो को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से होमस्टे पॉलिसी बनायी गयी है। 4. उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं पर्यटन पत्रिकाओं के माध्यम से जिले में स्थित पर्यटन स्थलों का निरंतर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

<u>राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कपसीडीह एवं सेमराडीह को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदाय करना</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

64. (क्र. 376) श्री रोहित साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड फिंगेश्वर के ग्राम पंचायत टेका के आश्रित ग्राम कपसीडीह एवं रोहिना के आश्रित ग्राम सेमराडीह को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान करने हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधियों की लम्बे समय से मांग रही है? यदी हां तो इस दिशा में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? राजस्व ग्राम का दर्जा कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जी हाँ । कपसीडीह एवं सेमराडीह का नक्शा में सीमा चिन्हांकित कर लिया गया है। टेका से कपसीडीह का पुराने अधिकार अभिलेख से खसरा नंबर तथा रकबा का परिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं नक्शा बना लिया गया है। सेमराडीह का दावा आपत्ति निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजिम (रा०) को मूल प्रकरण भेजा गया है । कपसीडीह तथा सेमराडीह का प्रारूप 1 व 2 बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>जिला महासमुंद अंतर्गत तहसील बसना में शासकीय भूमि की बिक्री</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

65. (क्र. 378) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बसना तहसील के बसना नगर पंचायत अंतर्गत साईं विहार कालोनी के बिल्डरों के खिलाफ शासकीय भूमि पर कब्जे की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? अगर हाँ तो, उक्त बिल्डरों पर क्या कार्यवाही की गई है? अगर नहीं तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें? **(ख)** बिल्डरों के द्वारा कितनी जमीन साईं विहार कालोनी हेतु क्रय की गई थी, जिसमें से कितनी जमीन को विक्रय कर दिया गया व कितनी जमीन शेष है? विवरण सहित जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :(क) जी हॉ। शासकीय भूमि पर कब्जे के संबंध में बिल्डरों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बसना द्वारा जांच प्रतिवेदन लिया गया है। **(ख)** बिल्डरों के द्वारा कुल 5.745 हे. भूमि क्रय की गई है, जिसमें से 3.907 हे. भूमि विक्रय किया गया है, मौके पर प्लॉटिंग के पश्चात रोड-रास्ता का रकबा 1.30 हे. भूमि छोड़ने पश्चात् 0.54 हे. भूमि शेष बचा है। वर्तमान आनलाईन खसरा अनुसार 6.0562 हे. भूमि शेष प्रदर्शित हो रहा है जो कि त्रुटिपूर्ण है। वास्तविक में शेष 0.54 हे. भूमि शेष है, भुईया के खसरा अभिलेख में सांई विहार कॉलोनी का रकबा अधिक दर्ज होना वर्ष 2015 के मैनुअल अभिलेख जांच में पाया गया, उक्त विसंगति वर्तमान खसरा मैनुअल अभिलेख एवं आनलाईन अभिलेख दोनों में होना पाया गया है। अभिलेखों में हुए रकबा की भिन्नता पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

<u>मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के हिरमी, परसवानी लाईम स्टोन माईंस में अवैध क्रेशर की स्थापना</u>

[खनिज साधन]

66. (क्र. 392) श्री संदीप साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी के परसवानी लाईम स्टोन माईंस की क्षमता 10 एम.टी.पी.ए. में अवैध क्रेशर की स्थापना और अवैध खनन करने की शिकायतें वर्ष 2021 से 20 जुन,2025 तक कब-कब प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायतों में किस स्तर की जॉंच हुई है एवं जॉंच उपरांत क्या-क्या कार्यवाही हुई है? क्या खनिज विभाग के द्वारा कॉमन काज के अंतर्गत रू 92.00 करोड़ की जुर्माना की

राशि की वसूली की कार्यवाही पर अंतिम आदेश पारित किया जाना लंबित है? यदि हॉ, तो अब-तक क्या कार्यवाही हुई है? अद्यतन स्थिति की जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुक्रम में क्या परसवानी लाईम स्टोन माईंस के 1800 टी.पी.एच. अनुमोदित क्रेशर एवं 1600 मीटर कन्वेयर को पर्यावरण स्वीकृति के पूर्व स्थापित कर, अवैध खनन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? क्या प्राप्त शिकायतों की जॉच हुई है एवं जॉच उपरांत कब-कब क्या कार्यवाही हुई है? **(ग)** क्या वर्ष 2022 एचं 2023 में परसवानी माईंस से संबंधित लाईम स्टोन परिवहन ग्राम कुकरडीह और ग्राम गुमा-1 से 40 हजार ट्रिप लाईम स्टोन खनिज की ओव्हर लोडिंग कर अवैध परिवहन करने की शिकायतें आयुक्त, परिवहन छ.ग. शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हॉ तो प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) एवं (ख) प्रश्नांकित अवधि में जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी के परसवानी लाईम स्टोन माईंस की क्षमता 10 एम.टी.पी.ए. में 1800 टी.पी.एच. अवैध क्रेशर एवं 1600 मीटर कन्वेयर की स्थापना और अवैध खनन के संबंध में खनिज विभाग को दिनांक 09.12.2022, 17.02.2023, 06.06.2023, 20.02.2024 एवं 24.01.2025 को 5 शिकायतें तथा पर्यावरण विभाग को दिनांक 20.02.2023, 13.03.2023, 10.04.2023, 10.07.2023, 26.07.2023, 06.11.2023, 03.01.2024, 19.01.2024, 12.03.2024, 09.05.2024, 16.05.2024 एवं 12.08.2024 को 12 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 09.05.2023 एवं दिनांक 25.09.2024 को किये गये, जांच में परसवानी लाईम स्टोन माईंस की क्षमता 10 एम.टी.पी.ए. में 1800 टी.पी.एच. क्रेशर एवं कन्वेयर बेल्ट की स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 18.03.2021 को स्थापना सम्मति तथा दिनांक 11.04.2022 को संचालन सम्मति जारी होना पाया गया है। खनिज विभाग द्वारा दिनांक 28.03.2023 को की गई जांच में खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर उत्खनन होना पाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉमन काज 114/2014 पर पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के अनुक्रम में राज्य शासन के निर्देश दिनांक 23.03.2018 पर खनिज विभाग द्वारा दिनांक 07.07.2018 को मेसर्स अल्ट्रटेक सीमेंट लिमिटेड को 92,61,18,411.30 रूपये बतौर मुआवजा वसूल हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो कि अंतिम निराकरण हेतु विचाराधीन है तथापि पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने के अनुक्रम में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश दिनांक 06.12.2022 के पालनार्थ राशि 92,61,18,411.30 का बैंक गॉरंटी जमा किया गया है। **(ग)** जी हां। प्रश्नांश-ग के संबंध में आयुक्त, परिवहन छ.ग. शासन को दिनांक 07.05.2025 को शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, रावन के ग्राम गुमा माईंस-2 में लाईम स्टोन का अवैध खनन

[खनिज साधन]

67. (क्र. 393) श्री संदीप साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, रावन के ग्राम गुमा माईंस-2 में लाईम स्टोन की खनन क्षमता 1.5 एम.टी.पी.ए. प्रतिवर्ष खनन अनुमति से परे खदान अंतर्गत ग्राम सरसेनी की शासकीय भूमि में खनन/निर्माण कार्य किया जा रहा है ? यदि हॉ, तो क्या पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार क्रेशर एवं कन्वेयर की स्थापना के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों को शिथिल करते हुए कन्सेन्ट-टू-ऑपरेट (सी.टी.ओ.) एवं भू-प्रवेश की अनुमति प्रदान करने की जॉच कराने की कार्यवाही करेंगे? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुक्रम में क्या पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार खदान क्षेत्र में स्थित 27 हे0 शासकीय भूमि के बदले समतुल्य भूमि उसी ग्राम में उपलब्ध करा कर, उसे घास भूमि में विकसित कराई गई है ? यदि नहीं तो उस पर, अब तक क्या कार्यवाही की गई है, कृपया जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी नहीं। मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, रावन के पक्ष में स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र का कुल रकबा 249.03 हेक्टेयर में से ग्राम गुमा, सरसेनी एवं खपराडीह के निजी भूमि रकबा 149.703 हेक्टेयर क्षेत्र में जारी खनन अनुमति के अंतर्गत खनन/निर्माण कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिनांक 15.03.2023 को जारी पर्यावरण स्वीकृति के आधार पर छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 13.05.2024 को जारी कन्सेन्ट-टू-ईस्टेबलिसमेंट के तहत् भू-प्रवेश की अनुमति जारी की गई है तथा खनन संक्रिया हेतु कन्सेन्ट-टू-ऑपरेट दिनांक 17.04.2025 को जारी किया गया है। उक्त अनुमतियों को जारी करने में किसी भी पर्यावरण स्वीकृति/शर्तो को शिथिल नही किया गया है। अतः जांच कराने का प्रश्न उपस्थित नही होता है। **(ख)** जी हां। प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में खनिपट्टा हेतु जारी पर्यावरण स्वीकृति के विशेष शर्त क्रमांक-22 के अनुसार खदान क्षेत्र में स्थित 27.722 हेक्टेयर शासकीय भूमि के बदले समतुल्य भूमि उसी ग्राम में उपलब्ध कराकर उसे घास भूमि में विकसित किया जाना है। संस्थान द्वारा अब तक ग्राम गुमा-सरसेनी में 25.447 हेक्टेयर निजी भूमि को घास भूमि के रूप में व्यपवर्तित करने हेतु क्रय किया गया है। शासकीय भूमि में खनन की अनुमति प्रदान किये जाने के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में विहित शर्त का पालन किया जायेगा।

कोरबा जिला में संचालित तहसील/उपतहसील कार्यालय

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

68. (क्र. 404) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोरबा जिला में कुल कितने तहसील/उपतहसील कार्यालय संचालित हैं? क्या संचालित कार्यालयों में पद संरचना के अनुसार कर्मचारी कार्यरत् हैं? संख्या उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो कब तक भर्ती कर ली जावेगी जानकारी देवें? **(ख)** क्या सभी राजस्व ग्रामों में कोटवारों की नियुक्ति की गई है? संख्या उपलब्ध करावें? क्या कोटवारों को प्रदत्त सेवा भूमि में कार्यरत् कोटवार काबिज कास्तकार हैं? यदि नहीं तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या कोरबा जिला में नवगठित तहसीलों में सभी शाखा संचालित हो रही हैं या अभी भी पुराने तहसीलों से संचालित हो रही है? जानकारी उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) कोरबा जिला में कुल 12 तहसील संचालित है। नवीन तहसील कार्यालयों में पद संरचना के अनुसार कर्मचारी कार्यरत नहीं है। पद संरचना पत्र के साथ **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। भर्ती के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** कोरबा जिले में कोटवार में कुल 421 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 395 कोटवार कार्यरत हैं तथा 26 पद रिक्त हैं। तहसीलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। कार्यरत सभी कोटवार प्रदत्त सेवा भूमि पर काबिल कास्त हैं। **(ग)** नवगठित तहसील में कर्मचारी की कमी होने के कारण राजस्व न्यायालय ही संचालित हो रहे हैं। अन्य शाखाएं वर्तमान में संचालित नहीं है। कर्मचारियों की भर्ती/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति होने पर सभी शाखाएं संचालित की जाएंगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

ग्राम-तेंदुआ, तहसील-कोटा में फर्जी तरीके से शासकीय भूमि की बिक्री

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

69. (क्र. 416) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** ग्राम तेंदुआ तहसील कोटा जिला बिलासपुर में खसरा क्र 66,69,70 का खसरा पंचशाला मिसल एवं रोस्टर अभिलेख में किस मद पर दर्ज है? **(ख)** उक्त खसरा का कितना टुकड़ा बटाकंन किया जा चुका है ? हुये

बटाकंन मे खातेदार भूस्वामी का नाम एवं रकबा का विवरण क्या है? **(ग)** उक्त खसरों का बटांकन क्रमांक 1 किस मद में दर्ज है एवं प्रबंधक कौन है? **(घ)** क्या शासकीय भूमि का विक्रय किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो उक्त शासकीय खसरों का बटाकंन मद परिवर्तन कर विक्रय एवं निजी भू-स्वामी का नाम किसके आई. डी. आदेश एवं आधार पर राजस्व रिकार्ड एवं भुइंया पोर्टल पर दर्ज किया गया है ? (ड़) क्या उक्त फर्जी निजी भूमि स्वामियों द्वारा उक्त खसरा एवं रकबा का धान पंजीयन कराकर धान बिक्री के साथ के.सी.सी लोन भी लिया गया है? (च) उक्त शासकीय भूमि का फर्जी तरीके से बटांकन मद परिवर्तन विक्रय एवं राजस्व रिकार्ड में निजी भू-स्वामियों का नाम दर्ज करने वाले अधिकारी-कर्मचारी क्रेता-विक्रेता एवं गवाह कौन-कौन हैं और किस-किस पर क्या कार्रवाई की गई है? (छ) इसी तरह ग्राम खोंगसरा एवं आमागोहन में कौन-कौन सी शासकीय भूमि का बटाकंन कर निजी भू-स्वामियों के नाम पर दर्ज किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :

(क)

तहसील कोटा के अंतर्गत ग्राम तेन्दुवा खसरा नं 66,6970 की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	**खसरा नं.**	**रकबा हे. में**	**खसरा पॉचशाला में दर्ज मद**	**मिशल बंदोबस्त में दर्ज मद**	**रोस्टर अभिलेख (अधिकार अभिलेख) में दर्ज मद**
01	6	1.27	खैरहा बांध	मिशल बंदोबस्त में दर्ज मद	लाल चन्द्रशेखर व दादू नरोत्तम सिंह (भू स्वामी)
02	69	7.669	बडे झाड का जंगल प्रबंधक कलेक्टर	खुद कास्तकार खुशालसिंह (भू-स्वामी)	बडे झाड का जंगल
03	70	18.45	बडे झाड का जंगल प्रबंधक कलेक्टर	खुशालसिंह (भू स्वामी)	बडे झाड का जंगल

(ख)

ग्राम तेन्दुवा खसरा नं 66 रकबा 1.276 हे. मिसल में दर्ज है, उक्त खसरे का बटांकन नहीं किया गया है। खसरा नं 69 का कुल बटांकन 05 एवं ख्सरा नं 70 का कुल बटांकन 06 है। भूमि स्वामीवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	**खसरा नं.**	**रकबा हे. में**	**वर्तमान भूमि स्वामी का नाम**
01	66	1.276	शामिल खसरा नं 2/2
02	9/1	1.822	शासकीय भूमि
03	69/2	1.012	भानसिंह मरावी पिता खुदू मरावी
04	69/3	2.0 3	पुन्नीबाई पति राधेश्याम
05	69 4	2.023	तुलसी पिता मनबोध
06	69 5	2.023	मिथुन साहू पिता जगमोहन
07	7 /1	2. 06	शासकीय भूमि
08	70/2	0.202	2/2 में शामिल है ।
09	70/3	0.202	बेदराम पिता देवसिंह
10	70/4	1.6200	विनोद पिता धनसिंह
11	70/5	1.6200	मनोज कोल पिता रामलाल कोल
12	7 /6	2.023	फूलबाई पति उमेदराम

(ग)	वर्ष 2023-14 के खसरा पॉचशाला के अनुसार खसरा नं 66 रकबा 1.276 हे. (शामिल खसरा नं 2/2) का बटांकन नहीं हुआ हैउक्त खसरा नं खैरहा बांध के नाम पर दर्ज है। 69/1 रकबा 8.903 हे. भूमि बडे झाड के जंगल मद में दर्ज है एवं खसरा नं 70/1 रकबा 7.669 हे. भूमि बडे झाड के जंगल मद में दर्ज है जिनका प्रबंधक कलेक्टर बिलासपुर के नाम पर है ।
(घ)	शासकीय भूमि का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित है। उक्त भूमि का बटांकन पटवारी आई.डी. PAT400400011 के द्वारा आदेश क्रमांक का विवरण पूर्णत: दर्ज नहीं किया गया है एवं सिर्फ आदेश क्रमांक 08, आदेश क्रमांक 04 दर्ज है, जिसे किस आदेश से किया गया है इसकी जानकारी निरंक है ।
(इ)	फर्जी निजी भूमि स्वामियों में से फूलबाई यादव पति उमेंदराम के द्वारा किसान कोड क्रमांक TF4025102319917 में 104.80 कि0 धान की विक्रय किया गया है, जिसका भुगतान 09.02.2025 को किया जा चुका हैा शेष कृषकों के द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है। उक्त भूमि में से खसरा नं 69/3 पुन्नी बाई पति राधेश्याम के द्वारा के द्वारा जिला सहकारी बैंक से के0सी0सी0 लोन लिया गया है, शेष कृषकों के द्वारा किसी बैंक से लोन नहीं लिया गया है।
(च)	उक्त शासकीय भूमि का फर्जी तरीके सं बटांकन तत्कालीन हल्का पटवारी श्री रेवती रमन पैकरा, प0ह0न0 11 के द्वारा किया गया है जिन्हे वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा के द्वारा निलंबित किया गया है एवं विभागीय जॉच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । खसरा नं 69/2 रकबा 1.012 हे. भूमि का भानसिंह पिता खुदू मरावी के द्वारा भूमि को गोलूराम राज पिता शिवनारायण राज पी0टी0एस माना कैंप रायपुर जिला रायपुर के पास विक्रय किया गया है, जिस पर राजेश साहू एवं दिलीप श्रीवास के द्वारा गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया गया है। वर्तमान में भूमि विक्रेता भानसिंह पिता खुदू मरावी के खसरा नं. 69/2 रकबा 1.012 हे. नाम पर दर्ज है ।
(छ)	जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया में स्वीकृत खेल स्टेडियम

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

70. (क्र. 435) श्री भईया लाल राजवाड़े : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**वर्ष 2020 से वर्ष 2025 में बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया में कितने खेल स्टेडियम स्वीकृत हुए थे? **(ख)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत कितने स्टेडियम पूर्ण हो चुके हैं? **(ग)** कितने कार्य लंबित है ? लंबित होने का क्या कारण है? **(घ)** लंबित होने के फलस्वरूप कार्य एजेंसी के ऊपर क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :(क) प्रश्नाधीन अवधि में बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में 06 खेल स्टेडियम स्वीकृत हुए।**(ख)** प्रश्नाधीन अवधि अंतर्गत पूर्ण स्टेडियम की जानकारी निरंक है।**(ग)** 06 कार्य लंबित है। 01 कार्य में न्यायालय स्थगन एवं शेष 05 कार्य निर्माणाधीन/प्रगतिरत होने के कारण लंबित है।**(घ)** 04 कार्यों हेतु कार्य एजेंसी को नोटिस जारी की गई है। शेष 02 में कार्यवाही की जानकारी निरंक है।

छ.ग. के 652 विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षक की भर्ती तथा सामग्री का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

71. (क्र. 474) श्री देवेन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छत्तीसगढ समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में नवीन संचालित कुल 652 विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा पाठयक्रम अंतर्गत 15 केन्द्रों में संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है? जानकारी देवें? **(ख)** क्या 652 विद्यालयों में व्यावसायिक प्रयोग शाला हेतु रॉ मैटेरियल सामग्री एवं लैब सामग्री व उपकरण का प्रदाय किया जा चुका है ? **(ग)** प्रश्नांश के अनुसार यदि

शिक्षकों की भर्ती नहीं की गयी है तो उक्त विश्वविद्यालयों में रॉ मैटेरियल सामग्री एवं लैब सामग्री क्यों प्रदाय की गयी है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) हां, छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2024.25 में नवीन संचालित कुल 652 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम अंतर्गत 14 ट्रेडो में संचालन किया जा रहा है। इन 652 विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के नियुक्ति हेतु व्यावसायिक ट्रेनिंग पार्टनर का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। **(ख)** हां, 652 विद्यालयों में व्यावसायिक प्रयोगशाला हेतु रॉ मटेरियल सामग्री एवं लैब सामग्री व उपकरण का प्रदाय किया जा चुका है। **(ग)** 652 विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। माह जून से सत्र आरंभ होने के कारण विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके इस कारण रॉ मटेरियल सामग्री एवं लैब सामग्री प्रदाय की गयी है।

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के जर्जर स्कूल भवन एवं भवन विहीन स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

72. (क्र. 481) श्री प्रबोध मिंज : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** लुण्ड्रा धानसभा क्षेत्र में कितने हाई स्कूल माध्यमिक शाला, एवं प्राथमिक शाला भवन विहीन हैं ? स्कूलों के नाम सहित जानकारी देवें ? **(ख)** भवन विहीन शालाओं को कब तक भवन उपलब्ध कराएंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में 05 शास. हाई स्कूल, 08 शास.पूर्व माध्यमिक शाला एवं 21 शास. प्राथमिक शाला भवन विहीन है। स्कूलों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

EOW को प्राप्त विभागीय राजस्व निरीक्षक परीक्षा, 2024 में गड़बड़ी की शिकायत

[सामान्य प्रशासन]

73. (क्र. 484) श्री देवेन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या EOW को विभागीय राजस्व निरीक्षक परीक्षा, 2024 में अनियमितता/गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है,? यदि हां तो कब प्राप्त हुई,? उस पर जांच कहां तक पहुंची है,? एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या शिकायतकर्ता के द्वारा राजस्व निरीक्षक परीक्षा, 2024 में अनियमितता/गड़बड़ी की नामजद शिकायत की गई है? यदि हां तो क्या उन अधिकारी/ कर्मचारी से कोई पूछताछ की गई है या नहीं? **(ग)** क्या संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी के कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन की जांच की गई है या नहीं? यदि नहीं, तो कब तक की जाएगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हॉं, EOW को विभागीय राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2024 में अनियमितता/गड़बड़ी की शिकायत दिनांक 08.08.2024 को प्राप्त हुई है। शिकायत के तथ्यों के आधार पर ब्यूरो में प्राथमिक जांच क्र0-01/2025 पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। जांच में तथ्य प्रमाणित पाये जाने पर संलिप्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जावेंगी। **(ख)** जी हॉं, शिकायतकर्ता के द्वारा राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2024 में अनियमितता/गड़बड़ी की नामजद शिकायत की गई है। जांच में नामजद अधिकारी/कर्मचारी से पूछताछ अभी नही की गई है। **(ग)** जी हॉं, सभी संदर्भित बिंदुओं की जांच की जा रही है।

बेमेतरा जिले अंतर्गत डी.एम.एफ. मद से पंचायत स्तर में किये गये व्यय

[खनिज साधन]

74. (क्र. 579) श्री दीपेश साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेमेतरा जिले अंतर्गत डी.एम.एफ. मद में वर्ष दिसंबर, 2023 से जून, 2025 तक ग्राम पंचायतों एवं पंचायत स्तर को किस-किस विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया है? विधानसभावार एवं पंचायतवार विस्तृत जानकारी देवें? **(ख)** बेमेतरा जिले अंतर्गत डी.एम.एफ. मद में विकास कार्य के प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु कोई समिति गठित है? यदि समिति गठित है तो बेमेतरा जिले में डी.एम.एफ. मद अंतर्गत विकास कार्यों की अनुशंसा हेतु कितनी बार बैठक आयोजित की गई है? जानकारी देवें? **(ग)** क्या जनप्रतिनिधि की अनुशंसा से डी.एम.एफ. मद अंतर्गत ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराये जा सकते हैं? यदि हां तो वर्ष दिसंबर, 2023 से जून, 2025 तक बेमेतरा जिले में किस-किस जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर, किस-किस विकास कार्य हेतु, कितनी राशि के विकास कार्य स्वीकृत हुये? विधानसभावार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र"** अनुसार है।**(ख)** छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निहित प्रावधान अनुसार शासी परिषद का गठन किया गया है। जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत शासी परिषद की 13 बैठके आयोजित की गई। **(ग)** जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से प्रदान नही की जाती, वरन् शासी परिषद् के अनुमोदन के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जाते है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

राज्य की सोसायटियों में धान की कमी एवं उठाव

[सहकारिता]

75. (क्र. 788) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कृषि विपणन वर्ष 2024-25 में धान संग्रहण प्रक्रिया में राज्य की कुल कितनी सोसायटियों में, कुल कितने क्विंटल धान की कमी पाई गई है ? इस हानि की राशि वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार 10 जून, 2025 की स्थिति में राज्य के धान खरीदी केन्द्रों में कितना धान उठाव हेतु शेष है ? सोसायटियों से, संग्रहण केन्द्रों से धान अंतरित करने में हुए विलम्ब का क्या कारण है तथा उसके लिए कौन दोषी है ? **(ग)** क्या शासन द्वारा अतिशेष धान का उठाव राईसमिल संचालकों द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है ? इस प्रति क्विंटल धान की दर क्या निर्धारित की गई है ? अभी तक राईसमिल संचालकों द्वारा निर्धारित दर पर कितने धान का उठाव किया जा चुका है ? विवरण सहित बतावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) खरीफ विपणन वर्ष **2024-25** में राज्य के कुल **2739** उपार्जन केन्द्रों में से **2025** उपार्जन केन्द्रों का लेखा-मिलान उपरांत **413** उपार्जन केन्द्रों में **247876.37** क्विंटल धान की कमी पायी गई। राज्य में सभी समितियों का लेखा मिलान पूर्ण होने के पश्चात खरीफ विपणन वर्ष **2024-25** में कुल कमी की जानकारी ज्ञात हो सकेगी। अद्यतन स्थिति में धान शार्टेज के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न** "**प्रपत्र-अ**" अनुसार है। समितियों में धान की कमी पर होने वाले हानि की राशि वसूली**,** छत्तीसगढ़ शासन**,** खाद्य**,** नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ **4-4/**खाद्य/**2013/29/2345,** दिनांक **18.06.2014 संलग्न** "**प्रपत्र-ब**" एवं उपार्जन नीति के अनुसार कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में शेष **714** उपार्जन केन्द्रों में लेखा-मिलान का कार्य प्रगति पर है। समितियों को देय राशि का भुगतान प्रारंभ नहीं हुआ है**,** अतः लेखा-मिलान पूर्ण होने पर वास्तविक हानि की राशि का समायोजन समितियों को देय राशि से किया जा सकेगा। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार **10** जून **2025** की स्थिति में राज्य के धान खरीदी केन्द्रों में **855150** क्विंटल उठाव हेतु पोर्टल में दर्शित है**,** जिसके उठाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

है। धान उठाव में विलंब का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण उपरांत वास्तविक दोषी की जानकारी ज्ञात हो सकेगी। **(ग)** राज्य शासन के द्वारा अतिशेष धान की नीलामी विपणन संघ द्वारा जारी निविदा के माध्यम से चयनित एम-जंक्शन ऑनलाईन प्लेट फार्म के माध्यम से की जा रही है। धान क्रय हेतु इच्छुक क्रेताओं जिसमें राज्य के राईस मिल संचालकों के द्वारा भी एम-जंक्शन ऑनलाईन प्लेट फार्म पर पंजीयन कराकर धान की नीलामी में भाग लेकर धान क्रय कर उठाव किया जा रहा है। जिसकी प्रति क्विंटल धान की निर्धारित दरें निम्नानुसार है:-

(मूल्य रूपये में)

विवरण	कॉमन		ग्रेड-ए	
	नया बारदाना अनुसार	पुराना बारदाना अनुसार	नया बारदाना अनुसार	पुराना बारदाना अनुसार
एक क्विंटल धान की कीमत (बारदाना सहित)	1950 रूपये प्रति क्विंटल अथवा इससे अधिक दर	**1900** रूपये प्रति क्विंटल अथवा इससे अधिक दर	**2100** रूपये प्रति क्विंटल अथवा इससे अधिक दर	**2050** रूपये प्रति क्विंटल अथवा इससे अधिक दर

पंजीकृत राईस मिलरों की सहमति उपरांत खरीफ विपणन वर्ष **2023-24** के कस्टम मिलिंग के देयकों के विरूद्ध भी उक्त दरों पर धान का क्रय किया जा सकता है। दिनांक **04.07.2025** की स्थिति में पंजीकृत कस्टम मिलरों द्वारा **5.22** लाख मे.टन धान उठाव हेतु बॉयर आर्डर जारी किया गया है, जिसका उठाव कार्य प्रक्रियाधीन है एवं अंतिम समायोजन उपरांत ही वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

छत्तीसगढ़ संवाद एवं जनसंपर्क विभाग को पृथक कर किए गए प्रचार-प्रसार पर व्यय

[जनसंपर्क]

76. (क्र. 814) श्रीमती भावना बोहरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** शासन के विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल एवं अर्धशासकीय संस्थाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य "छत्तीसगढ़ संवाद" के माध्यम से कराए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा क्या कोई आदेश जारी किया गया था? यदि हां तो जारी आदेश की जानकारी देवें। **(ख)** विगत 5 वर्षों में 'छत्तीसगढ़ संवाद' को पृथक कर कितने प्रकाशन, विज्ञापन, प्रचार सामग्री, पुस्तिका एवं पुस्तकों का मुद्रण, होर्डिंग्स और LED स्क्रीन आदि जारी किए गए हैं? संख्या और राशि समेत विभागवार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** जनसंपर्क विभाग को पृथक कर जो विज्ञापन या प्रचार सामग्री जारी हुई है, इनका भुगतान किस मद से किस प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है? **(घ)** अब तक नियम विरुद्ध जारी प्रचार-सामग्री का कितना भुगतान किया जा चुका है और कितना किया जाना शेष है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हां। आदेश की छायाप्रति **संलग्न 'प्रपत्र'** में दर्शित है। **(ख)**, **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

छत्तीसगढ़ संवाद और जनसंपर्क विभाग को पृथक कर किए गए आयोजनों का भुगतान

[जनसंपर्क]

77. (क्र. 815) श्रीमती भावना बोहरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ संवाद और जनसंपर्क विभाग को पृथक कर कितने विभागों द्वारा स्वतः शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उक्त कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किस आधार पर एजेंसी का चुनाव किया गया और क्या उक्त हेतु किसी प्रकार की टेंडर/चयन प्रक्रिया का पालन किया

गया? **(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार लोक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति विभाग द्वारा इस प्रकार के कितने कार्यक्रम आयोजित हुए हैं? इन कार्यक्रमों का भुगतान किस मद के तहत किया जा रहा है और पिछले 5 वर्षों में कितना भुगतान किया जा चुका है? **(घ)** संवाद अथवा छत्तीसगढ़ जनसंपर्क को पृथक कर इस प्रकार के आयोजनों और भुगतान के लिए शासन में क्या कोई प्रक्रिया विद्यमान है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) ,**(ख)** , **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

प्राकृतिक आपदा (एनसीबिल) मद से की गई राशि आहरण एवं संबंधित प्रक्रियायें

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

78. (क्र. 821) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक आपदा (एनसीबिल) मद से राशि आहरण हेतु किन-किन प्रावधानों का पालन किया जाता है? कृपया दिनांक 01 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 की अवधि में उक्त मद से आहरित एवं बैंक में अंतरित राशि की जानकारी जिलावार एवं कोषालयवार प्रदान करें? **(ख)** उपर्युक्त अवधि में प्राकृतिक आपदा (एनसीबिल) मद से बिना सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के, किए गए आहरण/अंतरण से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? जिलावार एवं कोषालयवार विवरण दें? नियम विरुद्ध आहरण/अंतरण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई? **(ग)** राज्य के कोषालयों में वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु वर्तमान में क्या उपाय किए जा रहे हैं? कोषालयों के कार्यों की जांच व निगरानी हेतु लागू व्यवस्थाओं की जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क)राज्य शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा (एनसीबिल) मद से राशि आहरण करने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रावधानों का पालन किया जाता है। प्रश्नाधीन अवधि में आहरित एवं बैंक में अंतरित राशि की जानकारी जिलेवार एवं कोषालयवार **संलग्न प्रपत्र** में दर्शाये अनुसार है।**(ख)** उक्त अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जिलेवार एवं कोषालयवार विवरण देने तथा किसी अधिकारी पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।**(ग)** प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर हितग्राहियों को डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जाता है। कोषायल के कार्यो की जांच व निगरानी हेतु महालेखाकार रायपुर, कलेक्टर, संचालक कोष लेखा पेंशन, संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा निरीक्षण, नियंत्रण एवं जांच की कार्यवाही की जाती है। जिला कोषालय द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अधीन है। अतः सभी सेवाएं निर्धारित अवधि में समयबद्ध रूप से प्रदान की जाती है एवं समय-समय पर उच्च कार्यालय द्वारा समीक्षा बैठक ली जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

जिला बेमेतरा अंतर्गत अवैध प्लाटिंग

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

79. (क्र. 867) श्री दीपेश साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाये जाने एवं अवैध प्लाटिंग की अनुमति देने हेतु जिला स्तर में प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? शासन के किस नियम के तहत् जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैध प्लाटिंग में कार्यवाही की जा सकती है? जानकारी देवें? **(ख)** बेमेतरा जिले में विगत छः माह में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बेमेतरा द्वारा जिला अंतर्गत छोटे भूखण्डों की नकल जारी करने एवं प्रतिबंध लगाये जाने हेतु कितने

आदेश किस-किस दिनांक को एवं किन-किन कारणों से जारी किये गये हैं? विस्तृत विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के प्रकाश में क्या जिला प्रशासन द्वारा बार-बार छोटे भूखण्डों की नकल जारी करने एवं प्रतिबंध लगाये जाने एवं पुनः आदेश को पलटकर छोटे भूखण्डों की नकल जारी करने हेतु आदेश जारी किया गया है? यदि हॉं, तो क्या नियम सम्मत है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) कॉलोनाईजर एकट में अवैध प्लाटिंग प्रतिबंधित है। जिला स्तर पर अवैध प्लाटिंग की अनुमति कोई भी अधिकारी नहीं दे सकता । भू-राजस्व संहिता की धारा-70 तथा छ.ग. पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 61 **(क)**, 61 **(क)** , 61 **(ख)**, 61**(ग)**, 61 **(घ)**, 61 (ड़), 61 (च) तथा 61 (छ) एवं छ.ग. नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 तथा छ.ग. नगर पालिका परिषद अधिनियम 1956 की धारा 339 **(क) (ख) (ग) (घ)** में प्रावधानित अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। **(ख)** कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छ.ग. रायपुर के पत्र क्र. 1606/म.नि.प./तक.3/89/2023 रायपुर दिनांक 17.06.2013 में उल्लेखित आदेशानुसार एवं बेमेतरा जिले के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा द्वारा दिनांक 19.06.2013 में उल्लेखित आदेशानुसार एवं बेमेतरा जिले के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा द्वारा दिनांक 19.06.2025 को बिना नगर एवं ग्राम निवेश (टीएनसी) के अनुमोदन किये हुये अवैध प्लाटिंग अथवा अवैध कॉलोनी निर्माण की मंशा से किये जा रहे छोटे-छोटे टुकड़ों में बिना किसी प्रमाणित अभिविन्यास (ले-आउट) के नकल प्रदान करने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि इस प्रकार का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है तथा कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन एवं शर्त नियम 1998 का उल्लंघन है । आम जनता को नाली, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, सीमांकन, नक्शा बटांकन तथा कब्जा को लेकर भारी विवाद एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तथा इस संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए इस प्रकार के कृत्यों पर अंकुश लगाने हेतु उक्त ज्ञापन को जारी किया गया है।

<u>सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्रों में शॉर्टेज और अनियमितता</u>

[सहकारिता]

80. (क्र. 935) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 में सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में किन-किन धान खरीदी केन्द्रों से कितनी-कितनी धान खरीदी की गई है ? केंद्रों को दिए गए लक्ष्य और खरीदी की मात्रा की जानकारी समितिवार बताएं? **(ख)** किन किन धान खरीदी केन्द्रों में शॉर्टेज, अवैध धान खपाने अथवा अन्य गड़बड़ियां पाई गई है ? प्राप्त शिकायतों और गड़बड़ियों पर किनके द्वारा जांच की गई है ? जांच में कौन कौन दोषी पाए गए हैं और दोषियों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है ? दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, केंद्र के नाम सहित जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2024-25 में सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी केन्द्रों द्वारा की गई धान खरीदी की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। धान खरीदी केन्द्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। खरीदी किए गए धान की मात्रा की समितिवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 48 उपार्जन केन्द्रों में से 18 उपार्जन केन्द्रों का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण हो चुका है, जिसमें धान की शार्टेज निरंक है, शेष 30 उपार्जन केन्द्रों में अंतिम लेखा मिलान प्रक्रियाधीन है, मिलान का कार्य पूर्ण होने पर ही धान की शार्टेज की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी। सरायपाली विधानसभा क्षेत्र की धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान खपाने अथवा अन्य गड़बड़ियां एवं शिकायत में की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मस्तूरी वि.स. क्षेत्र में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि अंतर्गत लंबित प्रशासकीय स्वीकृति

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (क्र. 4) श्री दिलीप लहरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बिलासपुर अंतर्गत मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 25 जून, 2025 तक अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकरण निधि से विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु कितने माननीय जनप्रतिनिधियों का कब-कब पत्र प्राप्त हुआ है? **(ख)** उक्त प्राप्त पत्रों में से कितने कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, तो कब-तक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला बिलासपुर अन्तर्गत जनपद पंचायत मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 25 जून 2025 तक अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकरण निधि से विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु (1) मान0 श्री तोखन साहू, सांसद बिलासपुर के 06 कार्यों की दिनांक 04.09.2024, (2) मान0 श्री दिलीप लहरिया विधायक मस्तूरी के 08 कार्यों की दिनांक 17.12.2024 एवं 09 कार्यों की दिनांक 01.05.2025 तथा (3) मान0 श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री के 03 कार्यों की दिनांक 25.07.2024 को पत्र प्राप्त हुआ है। **(ख)** (1) मान0 श्री तोखन साहू, सांसद बिलासपुर के 06 कार्यों में से 06 कार्यों का, (2) मान0 श्री दिलीप लहरिया विधायक मस्तूरी के 08 कार्यों में से 08 कार्यों का एवं 09 कार्यों में से 02 कार्यों का तथा (3) मान0 श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री के 03 कार्यों में से 03 कार्यों का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। 01 कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की नीति/प्रक्रिया

[स्कूल शिक्षा]

2. (क्र. 12) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या अनुसूचित क्षेत्र से शिक्षा विभाग एवं शिक्षा विभाग से अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण करने की कोई नीति या प्रक्रिया है? **(ख)** मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी जिले में अनुसूचित क्षेत्र से कितने शासकीय स्कूलों के शिक्षक या कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा विभाग (ई) में पदस्थ है, जानकारी देवें? **(ग)** क्या शासकीय हाई स्कूल मुकादाह, विकासखंड-मोहला (टी) के कर्मचारी का शिक्षा विभाग (ई) में स्थानांतरण किया गया है? यदि हां तो किस नियम के तहत ? जानकारी देवें? **(घ)** जिले में शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर क्यों भेजा गया है? शिक्षा विभाग (ई) में प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षक/कर्मचारी को उनके मूल शाला शिक्षा विभाग (टी) में कब तक पदस्थ किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) ई संवर्ग से टी संवर्ग एवं टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(घ) पदस्थापना एक सतत् प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतालीस"]

राजकीय विश्वविद्यालयों में संचालित यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में शैक्षणिक पदों की भर्ती

[उच्च शिक्षा]

3. (क्र. 15) श्री अजय चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च, 2025 की प्रश्नोत्तरी दिनांक 12 मार्च, 2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 13. (क्र. 880) के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के राजकीय विश्वविद्यालयों में संचालित यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (यू.टी.डी.) अंतर्गत सेटअप अनुसार कौन-कौन से शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त एवं भरे हुये हैं? सभी यूनिवर्सिटी का अलग-अलग बतायें? **(ख)** उक्त यूटीडी संचालित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 अंतर्गत कितने-कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत थे तथा इन विश्वविद्यालय में संख्या के आधार पर कितने प्राध्यापक/सहायक प्रध्यायक/अन्य शैक्षणिक पदाधिकारी का होना अनिवार्य था? उसके विरूद्ध कितने की कमी रही और कमी होने की स्थिति में छात्र-छात्राओं को अध्यापन कराने हेतु क्या व्यवस्था की गयी थी? **(ग)** उक्त यूटीडी अंतर्गत पूंजीगत व्यय अनुदान देने हेतु शासन के क्या नियम-निर्देश हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) पुस्तकालय में रखे **प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख) पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग) पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-स** अनुसार है।

गौण खनिज अंतर्गत साधारण मिट्टी की रायल्टी की दर

[खनिज साधन]

4. (क्र. 16) श्री अजय चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रभावशील गौण खनिज अंतर्गत साधारण मिट्टी की रायल्टी के संबंध में विभाग के क्या नियम-निर्देश हैं तथा उसकी कितनी दर निर्धारित की गयी? **(ख)** उक्त साधारण मिट्टी के निष्पादन हेतु निजी/शासकीय क्षेत्रों में किन-किन कार्यो या सामग्री बनाने के लिये उपयोग किया जाना है? **(ग)** उक्त साधारण मिट्टी के निष्पादन हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 9 मार्च, 2018 के बिन्दु-8 में उल्लेखित निर्माण कार्य में व्यावसायिक उपयोग के लिए मिट्टी का तात्पर्य क्या है? क्या इसके अंतर्गत शासकीय भवन/गोदाम/सड़क निर्माण कार्यो के लिये भी रायल्टी ली जायेगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वर्तमान में गौण खनिज हेतु प्रभावशील नियम, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अन्तर्गत खनिज मिट्टी पर 50 रूपये प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी लिये जाने का प्रावधान है। **(ख)** खनिज मिट्टी का उपयोग ईंट, बर्तन, एवं कवेलू बनाने के लिए तथा निर्माण कार्यों में व्यवसायिक उपयोग के लिए किया जाता है। **(ग)** छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 09 मार्च, 2018 की अधिसूचना के बिन्दु-8 के तहत निर्माण कार्य में खनिज मिट्टी का उपयोग खण्ड 'ख' के अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक प्रयोजन से है। जी हां, शासकीय भवन/गोदाम/सड़क निर्माण कार्यों के लिये प्रयुक्त मिट्टी पर भी रायल्टी ली जायेगी।

प्रदेश में बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान का लंबित मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

5. (क्र. 35) श्री उमेश पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में वर्ष 2024-25 में हुए बेमौसम बारिश में कितने किसानों की फसल नुकसान का मुआवजा प्रकरण बना, कितने

को मुआवजा राशि प्राप्त हुई और प्रश्नांकित अवधि तक कितनों को अप्राप्त है तथा कब तक वितरण कर दिया जाएगा ? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त अवधि में रायगढ़ जिलान्तर्गत किन-किन योजनाओं में कितने किसान का मुआवजा प्रकरण बना, कितने को प्राप्त हुआ और कितनों को अप्राप्त तथा कब तक वितरण कर दिया जाएगा ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ग)** रायगढ़ जिलान्तर्गत किन-किन योजनाओं में मुआवजा वितरण में अनियमितता का मामला संज्ञान में आया है ? उसमें की गई कार्यवाही की विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में बेमौसम बारिश से हुई फसल क्षति की विस्तृतजानकारी जिलेवार **संलग्न प्रपत्र** में दर्शाये अनुसार है। शेष किसानों को मुआवजा राशि का वितरण प्रक्रियाधीन है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिला अंतर्गत तहसील रायगढ़ में 42 एवं पुसोर में 07 इसप्रकार कुल 49 प्रकरण बना**,** राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत सभीप्रकरणों को स्वीकृत कर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 2,91,610.00का भुगतान कर दिया गया है । कोई प्रकरण शेष नहीं है।**(ग)** मुआवजा वितरण में अनियमितता का मामला संज्ञान में नहीं आया है । अतः विकासखंडवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

रायगढ़ जिलांतर्गत कलमा बैराज के डूबान क्षेत्र के प्रभावितों का लंबित मुआवजा

[जल संसाधन]

6. (क्र. 36) श्री उमेश पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ जिला अंतर्गत कार्यपालन अभियंता जलसंसाधन संभाग रायगढ़ द्वारा निर्मित कलमा बैराज के डूबान क्षेत्र के कितने प्रभावितों का मुआवजा वितरण, किस कारण से बाकी है ? **(ख)** उक्त बैराज के डूबान क्षेत्र जिला सक्ती, तहसील चंद्रपुर के कितने प्रभावितों को शामिल किया गया था ? कितने प्रभावितों को बाद में किस कारण से अप्रभावित कर दिया गया ? उक्त प्रभावितों को जांच करा कर कब तक मुआवजा वितरण कर दिया जाएगा जानकारी देवें ? **(ग)** वास्तव में प्रभावित किसानों को अप्रभावित क्यूँ बताया गया ? इस प्रकार अलग-अलग प्रकरण प्रतिवेदन क्यूँ बनाया गया है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ द्वारा निर्मित कलमा बैराज के डूबान क्षेत्र के 336 प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आबंटन के अभाव में बाकी है। **(ख)** उक्त बैराज के डूबान क्षेत्र जिला सक्ती, तहसील चंद्रपुर के 213 प्रभावितों को शामिल किया गया था। बाद में जिला सक्ती के 04 प्रभावित किसानों को कलमा बैराज के डूबान में नहीं होने के कारण अप्रभावित कर दिया गया। उक्त प्रभावितों को जांचोपरान्त डूबान में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप प्रकरण निरस्त किया गया है। अतः पुनः जांच का प्रश्न नहीं उठता। **(ग)** डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त डूबान क्षेत्र का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ द्वारा दिनांक 22.05.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण अनुसार एफ.आर.एल. एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे का नक्शा से मिलान करने पर प्रभावित किसानों के भूमि का कलमा बैराज के डूबान से प्रभावित नहीं हो रहा था, इस कारण प्रस्तुत प्रकरण को दिनांक 23.05.2025 द्वारा निरस्त कर अप्रभावित बताया गया। जिला सक्ती, तहसील चन्द्रपुर में प्रभावित कृषकों में से ग्राम-बिलाईगढ़ के 04 कृषकों को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी डभरा द्वारा भू-स्वामियों की आवेदित भूमि मौका जांच हेतु राजस्व अमले एवं विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2022 को संयुक्त निरीक्षण एवं पंचनामा कर गणना पत्रक तैयार किया गया था, इस दौरान विभाग द्वारा डी.जी.पी.एस.

सर्वे का कार्य जारी था, जिस कारण बिलाईगढ़ के राजस्व नक्शे में चिन्हांकित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार अलग-अलग प्रकरण प्रतिवेदन बनाया गया।

कांकेर जिला अन्तर्गत जिला खनिज न्यास मद से स्वीकृत कार्य

[खनिज साधन]

7. (क्र. 45) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कांकेर जिला अन्तर्गत जिला खनिज न्यास मद से वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कौन-कौन से कार्य, कहां-कहां स्वीकृत हुए ? कृपया लागत राशि सहित जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है।

कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा स्वीकृत कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

8. (क्र. 46) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में वन विभाग के द्वारा कौन-कौन से कार्य कहां पर स्वीकृत किए गए? लागत राशि सहित जानकारी उपलब्ध कराएं ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में वन विभाग के द्वारा स्वीकृत कार्यों की वर्षवार, स्थलवार, लागतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

बेमेतरा जिले में संचालित विश्राम गृहों में आयोजित कार्यक्रम

[सामान्य प्रशासन]

9. (क्र. 53) श्री दीपेश साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला प्रशासन बेमेतरा के अधिकारियों द्वारा जिला बेमेतरा अंतर्गत स्थित विश्राम गृहों में वर्ष दिसंबर, 2023 से दिनांक 20/06/2025 तक कितने जनहित वाले शासकीय एवं निजी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है? संख्यात्मक विवरण सहित जानकारी देवें? **(ख)** क्या जिला बेमेतरा में हाल ही में ''होली मिलन समारोह, 2025'' आयोजित किया गया है ? यह कार्यक्रम प्रशासनिक कार्यक्रम था या निजी? क्या विश्राम गृह में इस प्रकार के मिलन समारोह/विदाई समारोह का आयोजन किया जा सकता है? यदि हां तो इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी कौन है? यदि नहीं तो किसके निर्देश एवं संरक्षण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था? जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के प्रकाश में विश्राम गृह में आयोजित होली मिलन एवं विदाई समारोह में जिला प्रशासन को कितनी राशि का वहन करना पड़ा? जानकारी देवें? उक्त राशि का वहन शासन के किस मद से हुआ है? जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला प्रशासन बेमेतरा के अधिकारियों द्वारा जिला बेमेतरा अंतर्गत स्थित विश्रामगृहों में वर्ष दिसंबर, 2023 से दिनांक 20/06/2025 तक कोई भी जनहित वाले शासकीय एवं निजी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। (संख्यात्मक जानकारी निरंक है) **(ख)** दिनांक 12 मार्च, 2025 को होली के पूर्व आयुक्त, दुर्ग संभाग एवं महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के संयुक्त निरीक्षण सह समीक्षा उपरांत रात्रिकालीन भोज का कार्यक्रम रखा गया था। उक्त कार्यक्रम प्रति अधिकारियों द्वारा 350/- रू. सामूहिक सहयोग एवं प्रयास से संकलन कर आयोजित कराया गया था। **(ग)** उत्तरांश "ख" के तारतम्य में जिला प्रशासन को किसी भी प्रकार की राशि का वहन नहीं करना पड़ा है।

नवा रायपुर स्थित ग्राम नकटी में शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों को जारी नोटिस

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

10. (क्र. 57) श्री अनुज शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह कथन सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के नवा रायपुर स्थित ग्राम नकटी में विगत दिनों शासकीय भूमि को खाली कराने हेतु नोटिस जारी किया गया था ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या उक्त शासकीय/चारागाह भूमि जिस पर कब्जा खाली करने हेतु नोटिस जारी किया गया ,शासन की किसी योजना हेतु आरक्षित की गयी थी ?यदि हां तो किस योजना हेतु कब और किस नोटिफिकेशन के तहत इसे आरक्षित किया गया? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार उक्त आरक्षित भूमि पर कब्जा किये जाने की सूचना शासन को कब प्राप्त हुई तथा क्या उक्त भूमि पर किसी कब्जाधारी को प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा किसी प्रकार की शासकीय योजना का लाभ भी प्रदान किया गया है ? यदि हां तो कितने हितग्राहियों को कब और किस अधिकारी के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई?कृपया सूची उपलब्ध करावें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हॉ। **(ख)** विभाग द्वारा उक्त संबंध में कोई योजना हेतु आरक्षित/अधिसूचना जारी नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा षष्ठम् विधान सभा के जनप्रतिनिधियों के आवासीय योजना हु ग्राम नकटी, प.ह.नं. 77 ख.नं. 460, 465, 524, 698, 700 एवं 701 रकबा क्रमशः 15.479, 2.225, 1.957, 8.272, 0.660 एवं 0.579 हे. कुल रकबा 29.172 हे. भूमि की मांग की गई है, **(ग)** प्रश्नांश 'ख' अनुसार आरक्षित नहीं की गई है, किंतु शासकीय भूमि के संबंध में शिकायतकर्ता रजनीश कुमार चंद्राकर निवासी म.नं. 4-अ, सड़क 23, सेक्टर 10 भिलाई द्वारा जुलाई 2023 में की गई, शिकायत के आधार पर शामिलात चारागाह भूमि पर हितग्राहियों द्वारा कब्जा कर रखा गया था जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-19 में कुल 09, वर्ष 2022-23 में 01 एवं वर्ष 2024-25 में 11 कुल 21 हितग्राहियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धरसींवा द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है, तथा जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजना से भी समस्त हितग्राहियों को लाभ प्रदाय किया गया है। विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

विधानसभा क्षेत्र धरसींवा स्थित मोहरेंगा नेचर सफारी के वृक्ष एवं वन्यजीव

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

11. (क्र. 58) श्री अनुज शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसींवा में स्थित मोहरेंगा नेचर सफारी में किन-किन पदों पर कितने नियमित/दैनिक वेतन भोगी / संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं तथा सफारी एवं वन क्षेत्र में किस अधिकारी के अंतर्गत देखरेख एवं संचालन की जिम्मेदारी है? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार मोहरेंगा वन क्षेत्र में किस-किस प्रकार के वृक्ष एवं वन्यजीव कितनी-कितनी तादात में अवस्थित हैं ? **(ग)** क्या वर्ष 2024 से दिनांक 20/06/2025 तक विभाग को मोहरेंगा वन परिक्षेत्र से किसी प्रकार की इमरती/जलाऊ/औषधिक अथवा अन्य प्रकार की वृक्षों की अवैध कटाई या परिवहन की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो विभाग द्वारा इस पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रदान करें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विधानसभा क्षेत्र धरसींवा में स्थित मोहरेंगा नेचर सफारी में नियमित 01 वनपाल, नियमित 01 वनरक्षक एवं 10 दैनिक श्रमिक कार्यरत है। कोई संविदा कर्मचारी कार्यरत नहीं है। मोहरेंगा नेचर सफारी का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सफारी एवं वनक्षेत्र मे वनमण्डलाधिकारी रायपुर वनमण्डल के अंतर्गत देखरेख एवं संचालन की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त नेचर सफारी मोहरेंगा

वनक्षेत्र में 'मोहरेंगा (खौलीडबरी)' के नाम से संयुक्त वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। परन्तु अध्यक्ष की मृत्यु के बाद समिति सक्रिय नहीं है। नेचर सफारी में कैंटीन संचालन हेतु स्थानीय 'वनदेवी महिला स्व. सहायता समूह, खौलीडबरी' को अनुमति दिया गया था, जो वर्तमान में निष्क्रिय है। इसके अलावा नजदीकी वनक्षेत्र की सुरक्षा हेतु गॉव वन समिति मूरा (खौलीडबरी) का गठन किया गया है जिसमें मोहरेंगा, मूरा, खौलीडबरी के ग्रामीण सदस्य हैं एवं वर्तमान में उक्त समिति सक्रिय है।**(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार मोहरेंगा वनक्षेत्र में साजा, खैर, तेन्दू, सागौन, बीजा, महुआ, चार, कुसुम, बहेड़ा, धावड़ा, आंवला, बांस आदि मूल्यवान व औषधि प्रजातियों की प्राकृतिक वन संपदा है । वृक्षों तथा वन्यप्राणियों की गणना नहीं की गई है। वनक्षेत्र में क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रत्यक्ष रूप से विचरण करते हुए विभिन्न संख्या में वन्यप्राणी जैसे-जंगली सूअर, चीतल, सर्प आदि देखा गया है।**(ग)** वर्ष 2024 से दिनांक 20.06.2025 तक विभाग को मोहरेंगा वन परिक्षेत्र से किसी प्रकार की ईमारती/जलाऊ/औषधिक अथवा अन्य प्रकार के वृक्षों की अवैध कटाई या परिवहन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सक्ती जिले में शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण प्रकिया में गड़बड़ी की शिकायत पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

12. (क्र. 62) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आयुक्त, बिलासपुर संभाग को दिनांक 18.06.2025 की स्थिति में सक्ती जिले में शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण प्रकिया में गड़बड़ी को लेकर कितनी शिकायत प्राप्त हुई हैं ? कृपया जानकारी दें? **(ख)** क्या यह सच है कि पूर्व सभापति, जनपद पंचायत, मालखरौदा, जिला सक्ती ने भी अपने पत्र क्रमांक 1982/278, दिनांक 13.06.2025 द्वारा आयुक्त बिलासपुर को शिकायत कर शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण प्रकिया में गड़बड़ी की जांच करने की मांग की गई है ? **(ग)** प्रश्नांक "क" और "ख" के अनुसार प्राप्त शिकायतों के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी ? कृपया जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) आयुक्त बिलासपुर संभाग को सक्ती जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर 02 शिकायतें प्राप्त हुई है। **(ख)** जी हां। **(ग)** कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला धमतरी अंतर्गत युक्तियुक्तकरण के तहत शालाओं का समायोजन

[स्कूल शिक्षा]

13. (क्र. 67) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2024-2025 से 20 जून, 2025 तक धमतरी जिला अन्तर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं का समायोजन किया गया ? समायोजित शालाओं में कार्यरत कितने शिक्षकों को अन्य शाला में समयोजित किया गया ? स्कूलवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार समयोजित शालाओं के कितने स्कूली बच्चे प्रभावित हुए ? शालावार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र अ** एवं **प्रपत्र ब** अनुसार है।**(ख)** जानकारी निरंक है।

जिला खैरागढ़- छुईखदान-गंडई में कृषि पंपों के स्थायी कनेक्शन का लक्ष्य

[ऊर्जा]

14. (क्र. 75) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वर्ष 2023 से दिनांक 20/06/2025 तक कृषि पंपों हेतु अस्थायी कनेक्शन व स्थायी कनेक्शन के लिए कितने किसानों से अब तक आवेदन प्राप्त हुए हैं ? वर्षवार, उपसंभागवार आवेदन की जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार जिला में कृषि पंपों को उर्जाकृत करने के लिए कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ था? वर्षवार जानकारी देवें ? **(ग)** स्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों और शासन से प्राप्त लक्ष्य में कितना अंतर रहा ? यदि प्राप्त आवेदन व लक्ष्य में अंतर रहा है तो लक्ष्य उपरांत स्थायी कनेक्शन के लंबित आवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी ? वर्षवार जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार स्थायी कनेक्शन के लिए मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद कितने किसानों के आवेदन अब तक लंबित हैं ? लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए शासन /विभाग स्तर पर क्या -क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी देवें ? वर्तमान में क्या लंबित आवेदन और नए स्थायी कनेक्शन के आवेदनों के आधार पर जिला का लक्ष्य बढ़ाने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां तो कब तक लक्ष्य बढ़ा दी जाएगी ? यदि नही तो मांग पत्र अनुसार राशि जमा किये किसानों को कृषि पंपों में स्थायी कनेक्शन की सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी ? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है**। **(ग)** स्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों पर शासन से प्राप्त लक्ष्य में अंतर की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार** है। दिनांक 20.06.2025 की स्थिति में जिले हेतु निर्धारित लक्ष्य के उपरांत लंबित 1384 कृषि पंप के विद्युतीकरण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** स्थाई कनेक्शन के लिए मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद दिनांक 20.06.2025 की स्थिति में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के अंतर्गत औपचरिकतापूर्ण लंबित आवेदनों की संख्या **संलग्न प्रपत्र-'द' अनुसार** है। लक्ष्य में शामिल 170 पंपों के मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है शेष 1384 कृषि सिंचाई पंपो के विद्युतीकरण के समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

अविभाजित जिला राजनांदगाँव के तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्र

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

15. (क्र. 76) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अविभाजित जिला राजनांदगाँव व नवीन जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में कितने तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्र कहाँ-कहाँ स्थापित हैं ? वनमण्डलवार जानकारी देवें ? **(ख)** वर्ष 2022-23 से दिनांक 20/06/2025 तक प्रश्नांक (क) अनुसार जिला में स्थापित तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्रों में संरक्षण एवं संवर्धन एवं सुधार कार्य के लिए कितनी राशि की स्वीकृति की गयी और स्वीकृत राशि से कितने कार्य कराये गए ? किस फर्म/ एजेंसी द्वारा कार्य किया गया ? कितनी राशि का भुगतान किया गया ? संग्रहण केन्द्रवार जानकारी देवें ? **(ग)** क्या प्रश्नांक (ख) अनुसार संरक्षण , संवर्धन एवं सुधार कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गयी ? यदि हॉ तो आमंत्रित निविदा में कितने फर्म/एजेंसी ने भाग लिया ? यदि नहीं तो क्यों ? कार्य किस फर्म/एजेंसी द्वारा किया गया? संग्रहण केन्द्रवार जानकारी देवें ? **(घ)** जिलों में स्थापित तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्रों में किस-किस ठेकेदार/फर्म/एजेंसी द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में तेंदूपत्ता का भंडारण किया गया ? संग्रहण केन्द्रवार जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला यूनियन राजनांदगांव एवं खैरागढ़ के तेन्दूपत्ता संग्रहण केन्द्र का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।(ख)** वर्ष 2022-23 से दिनांक 20.06.2025 तक प्रश्नांक 'क' के अनुसार जिला में स्थापित संग्रहण केन्द्रों में संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार कार्य के लिये कोई राशि की स्वीकृति नहीं हुई है, अतः कार्य कराने, फर्म/एजेंसी से कार्य कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। संग्रहण केन्द्रवार **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।(ग)** प्रश्नांश (ख) के उत्तर के आलोच्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(घ)** जिलों में स्थापित तेन्दूपत्ता संबंधित लाटों/समितियों के संग्रहण केन्द्रों के संबंधित अग्रिम क्रेता द्वारा संग्रहित मात्रा एवं भंडारण का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

विद्यालयों में वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों को कबाड़ में बेचे जाने की जाँच

[स्कूल शिक्षा]

16. (क्र. 81) श्री राजेश मूणत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि विधानसभा सत्र दिनांक 21.03.2025 के तारांकित प्रश्न संख्या 12(क्र.1811) के उत्तर में यह बताया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 7.1.2025 के माध्यम से जांच अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 28.11.2024 विभाग में दिनांक 8.1.2025 को प्राप्त हो चुका है ? यदि हाँ तो इस पर क्या कार्रवाई की गई ? **(ख)** यदि प्रश्नांक **(क)** में उल्लेखित अनुसार प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हां, दोषी पाये गये निम्नलिखित कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई हैः-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय/संस्था का नाम
1	2	3	4
1	श्री निश्चय रामटेके	सहायक वर्ग3	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,राजनांदगांव
2	श्री प्रमोद अमर बेल	सहायक वर्ग2	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,सूरजपुर
3	श्री अजित गुप्ता	भृत्य	शास.पूर्व माध्यमिक शालाबतरा,वि.खं.भैयाथान (कार्या.जि.शि.अधि.सूरजपुर में संलग्न)
4	श्री जितेन्द्र कुमार साहू	भृत्य	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,सूरजपुर
5	श्री रविचन्द्र बड़ाईक	सहायक वर्ग3	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,जशपुर
6	श्री अमन जांचक	सहायक वर्ग3	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,धमतरी

(ख) शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

रायपुर नगर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

17. (क्र. 82) श्री राजेश मूणत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर नगर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना करने की जिम्मेदारी किसकी है? **(ख)** पिछले वर्ष एवं इस वर्ष युक्तियुक्तकरण में इन शालाओं में रिक्त विषयवार शिक्षकों के पद पर पदस्थापना क्यों नहीं की गई ? **(ग)** इन शालाओं में रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक की जायेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी / हिन्दी माध्यम शालाओं में शिक्षको की प्रतिनियुक्ति शासन द्वारा एवं अंग्रेजी माध्यम शालाओं में संविदा नियुक्ति कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाती है। **(ख)** पिछले वर्ष युक्तियुक्तकरण की प्रकिया नही की गई थी। वर्ष 2025 में युक्तियुक्तकरण के तहत् अतिशेष शिक्षको को स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम की शालाओं में रिक्त पदों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा पदस्थ किया गया है। **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में योजना/परियोजना हेतु अर्जित की गयी भूमि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

18. (क्र. 87) श्री दिलीप लहरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बिलासपुर अंतर्गत मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से 2025 तक किस-किस योजना/परियोजना हेतु अर्जित किये गये निजी, शासकीय एवं वन भूमि के भू-स्वामी का नाम, खसरा नंबर, रकबा, सिंचित, असिंचित सहित तहसीलवार विवरण दें? मुआवजे की दरें क्या हैं? तीनों प्रकार की भूमि में कितने-कितने पेड़ों की कटाई हो रही है? इस हेतु मुआवजा की दरें क्या हैं ? कितनी राशि जमा की गई है ? **(ख)** कितने भू-स्वामियों और शासकीय भूमि का मुआवजा वितरण कर दिया गया है ? कितना वितरण किया जाना शेष है ? वितरण में विलम्ब का कारण क्या है ? **(ग)** क्या उक्त भू अर्जन में भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण किया गया है? इसके संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण देवें ? **(घ)** कार्य एजेंसी का नाम, पता, अनुबंध की तिथि, लागत राशि तथा कार्य पूर्णता अवधि भी बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में किये गय भू-अधिग्रहण की जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र	विभाग का नाम	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	भूमिस्वामियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	खारंग जल संसाधन विभाग	भरारी व्यपवर्तन योजना	बोहारडीह	13
2			केंवटाडीह (टागर)	8
3			विधाडीह	5
4			केंवटाडीह (भूतहा)	22
5			सोनसरी	10
6		लीलागार व्यपवर्तन योजना	कुली	2
7		पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना	देवगांव	1
8	परियोजना प्रबंधक एडीबी प्रोजेक्ट बिलासपुर	जयरामनगर-मस्तुरी-मल्हार-जोधरा-लवन मार्ग उन्नयन कार्य	लोहर्सी	2
	02 विभाग			63

कुल 04 परियोजना के 8 प्रकरणों में अवार्ड पारित किया गया है, जिसका निजी, शासकीय एवं वनभूमि का नाम खसरा नंबर रकबा, सिंचित/असिंचित सहित जानकारी पृथक से संलग्न है। तीनों प्रकार की भूमि में पेड़ों की कटाइ नहीं हुई है।**(ख)** वर्ष 2021 से 2025 तक कुल 57 भू-स्वामियों को मुआवजा वितरण कर दिया गया है। तथा 6 भू-स्वामियों को मुआवजा वितरण किया जाना शेष है। विलंब का कारण-किसानों द्वारा रूचि नही लेना/पारिवारिक विवाद/खातेदार की मृत्यु होना।**(ग)** जानकारी निरंक है।**(घ)** संबंधित विभाग खारंग जल

संसाधन विभाग बिलासपुर एवं परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट बिलासपुर से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।

प्रदेश में कार्यरत प्रेरक शिक्षकों के मानदेय का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

19. (क्र. 99) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में साक्षर भारत मिशन / प्रेरक शिक्षक योजना के अंतर्गत कितने प्रेरक शिक्षक कार्यरत थे एवं वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? **(ख)** क्या यह सत्य है कि प्रेरक शिक्षकों का मानदेय कई वर्षों से लंबित है? यदि हाँ, तो उसका भुगतान कब तक किया जाएगा? **(ग)** क्या शासन प्रेरक शिक्षकों को स्थायित्व देने या पुनः रोजगार उपलब्ध कराने पर कोई योजना बना रहा है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) छत्तीसगढ़ में केन्द्र प्रवर्तित साक्षर भारत कार्यक्रम प्रदेश के 23 जिलों में संचालित किया गया था जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो प्रेरक परियोजना अवधि के लिए चिन्हांकित किए गए थे। दिसम्बर 2017 की स्थिति में 15365 प्रेरक कार्यरत थे। वर्ष 2018 में परियोजना अवधि समाप्त होने के साथ प्रेरकों की सेवा अवधि भी समाप्त हो गई। **(ख)** प्रेरक का मानदेय छत्तीसगढ़ राज्य में लंबित नहीं है। **(ग)** इस तरह की कोई योजना नहीं है।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लंबित राजस्व प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

20. (क्र. 100) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 20 जून, 2025 तक कितने राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है तथा वर्तमान में कितने प्रकरण लंबित हैं? (ख) प्रश्नांश **(क)** अवधि में भूमाफिया के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? **(ग)** भविष्य में भू-माफिया पर नियंत्रण एवं नियमन हेतु शासन द्वारा क्या ठोस कदम/योजना प्रस्तावित है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 20 जून 2025 तक कुल 15688 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा वर्तमान में कुल 904 प्रकरण लंबित है। जिसे समय-सीमा में निराकरण कर लिया जावेगा। **(ख)** भू-माफिया संबंधी किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक मानी जावे। **(ग)** भविष्य में भू-माफिया से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर भू-राजस्व संहिता के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

जांजगीर-चांपा में डी एम एफ से स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में गड़बड़ी की शिकायत पर कार्यवाही

[खनिज साधन]

21. (क्र. 103) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023-24 से 20 जून, 2025 तक जांजगीर- चांपा जिले में जिला खनिज फाऊंडेशन फंड (डी एम एफ) से कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? कृपया, मदवार एवं स्वीकृत राशि अनुसार जानकारी प्रदान करेंगे? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार स्वीकृत कार्यों की क्रियान्वयन में गड़बड़ी को लेकर कब - कब और किनसे शिकायत प्राप्त हुई थी ? कृपया जानकारी दें ? **(ग)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कार्यवाही लंबित है तो इसके क्या कारण हैं ? कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी ? कृपया जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जलसंसाधन विभाग के द्वारा स्वीकृत कार्य

[जल संसाधन]

22. (क्र. 120) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 में 20 जून, 2025 तक जलसंसाधन विभाग के द्वारा किन-किन कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई? ग्रामवार/आयटमवार जानकारी बतावें? **(ख)** क्या स्वीकृत कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है? लागतवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ किया गया है? प्रारंभ कार्यो की अद्यतन स्थिति क्या है ? जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 में 20 जून, 2025 तक जल संसाधन विभाग के द्वारा कोई भी कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। **(ख)** प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उद्‌भुत नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उद्‌भुत नहीं होता।

दुर्ग जिला अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की फिटनेस, परमिट एवं प्रदूषण की जॉच

[परिवहन]

23. (क्र. 121) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग जिला अंतर्गत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 में 20 जून, 2025 तक परिवहन विभाग द्वारा कितने मोटर वाहन की चालानी कार्यवाही की गई है और कितने वाहनों का फिटनेस प्रदान कर परमिट जारी किया गया है ? **(ख)** दुर्ग जिला अंतर्गत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक कितने वाहनों को फिटनेस हेतु अयोग्य पाया गया ? यदि अयोग्य हैं तो विभाग द्वारा कितने वाहनों को कंडम घोषित किया गया है ? जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** दुर्ग जिला अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि तक कुल 307 वाहनों का फिटनेस अयोग्य पाया गया है। पंजीयन प्राधिकारी दुर्ग द्वारा उक्त 307 अयोग्य वाहनो को कंडम घोषित नही किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

प्रदेश के राजस्व अभिलेखों को डिजिटल करने संबंधी

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

24. (क्र. 135) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या प्रदेश की समस्त भूमि के राजस्व अभिलेख को डिजिटल कर भुंइया में चढ़ाने का कार्य पूर्ण हो चुका है ? **(ख)** क्या आबादी एवं व्यावसायिक भू-उपयोग नक्शे सार्वजनिक किये जा चुके हैं ? **(ग)** क्या बंदोबस्त त्रुटि रहते पंजीयन हो सकता है ? क्या पंजीयन के साथ ही नामांतरण होने से विकृति नहीं आयेगी? उसे रोकने के क्या प्रावधान किये गये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :

स.क्र.	जिला	**(क)** क्या प्रदेश की समस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों को डिजिटल कर भुईयां में चढ़ाने का कार्य पूर्ण हो चुका है ?	**(ख)** क्या आबादी एवं व्यावसायिक भू-उपयोग नक्शे सार्वजनिक किये जा चुके है ?	**(ग)** क्या बंदोबस्त त्रुटि रहते पंजीयन हो सकता है? क्या पंजीयन के साथ ही नामांतरण होने से विकृति नहीं आयेगी? उसे रोकने के क्या प्रावधान किये गये
01.	राजनांदगांव	हां, भुईयां में चढ़ाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।	हां, आबादी एवं व्यावसायिक भू-उपयोग नक्शे सार्वजनिक किये जा चुके हैं।	यदि किसी भूमि के संबंध में बंदोबस्त त्रुटि संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो पंजीयन नहीं हो सकता । शेष जानकारी पंजीयन कार्यालय से संबंधित है।
02.	धमतरी	हां, भुईयां में चढ़ाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।	ग्राम के आबादी नक्शा,भू-नक्शा साफटवेयर में अपलोड किया जा चुका है एवं व्यावसायिक भू-नक्शों को सार्वजनिक किया जाना इस विभा से संबंधित नहीं है।	पंजीयन कार्यालय से संबंधित है।
03.	जशपुर	जिला जशपुर में कुल 769 ग्राम में से 757 ग्रामों को राजस्व अभिलेखों को डिजिटल कर भुंईया में चढ़ाने का कार्य पूण हो चुका है। वर्ष 2014 में वन ग्राम से घोषित किए गए 11 राजस्व ग्राम एवं 1 असर्वेक्षित ग्राम (कुल 12) के राजस्व अभिलेखों को डिजिटल करने की कार्यवाही की जा रही है।	आबादी भूमि की सर्वे की द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है। नक्शे अभी सार्वजनिक नहीं किये गये है।	**जानकारी शासन स्तर से संबंधित है।**
04.	रायगढ़	जिला रायगढ़ अंतर्गत कुल 951 राजस्व ग्राम है। जिसमे से 943 ग्रामों के राजस्व अभिलेखों को डिजिटल कर भुइंया में चढ़ाने का कार्य पूण हो चुका है एवं शेष08 ग्राम वन से राजस्व ग्राम घोषित होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है।	प्रश्नांश ''ख'' की जानकारी शासन स्तर से संबंधित है।	बंदोबस्त त्रुटि रहते पंजीयन नहीं हो सकता है। बंदोबस्त त्रुटि का संज्ञान नहीं होने तथा वर्तमान ऑनलाईन खसरा, बी-1 में त्रुटि के संबंध में प्रकरण लंबित न होने की स्थिति में पंजीयन होने की संभावना रहती है एवं पंजीयन होने के फलस्वरूप नामांतरण स्वत: वर्तमान प्रक्रिया अनुसार हो सकता है। इसे रोकने के संबंध में उपाय शासन स्तर से संबंधित है।
05.	बलौदा	जिला बलौदाबाजार-	**प्रश्नांश ''ख'' की**	**प्रश्नांश ''ग'' की**

	बाजार-भाटापारा	भाटापारा अंतर्गतसमस्त राजस्व भूमि के अभिलेख को डिजिटल कर भुईयां में चढ़ाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।	**जानकारी शासन स्तर से संबंधित है।**	**जानकारी शासन स्तर से संबंधित है।**
06.	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी समस्त भूमि के राजस्व अभिलेख को डिजिटल कर भुंईया में चढाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।	हां, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत आबादी एवं व्यावसायिक भू-उपयोग नक्शे सार्वजनिक किया जा चुका है।	यदि किसी भूमि के संबंध में बंदोबस्त त्रुटि संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है,, तो पंजीयन नहीं किया जा सकता है ।
07.	बलरामपुर-रा.गंज	जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में तहसील स्तर पर समस्त अभिलेख डिजिटल हो चुका है और निरंतर होते रहता है।	जिला बलरामपुर-रामानुजगंज उक्त जानकारी निरंक ।	जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में तहसील स्तर पर समस्त बंदोबस्त त्रुटि रहते पंजीयन नहीं हो सकता। सुधार प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत नामांतरण किया जा सकता है।
08.	दुर्ग	दुर्ग जिले में समस्त भूमि के राजस्व अभिलेख को डिजिटल कर भुंईया में चढ़ाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।	दुर्ग जिले में आबादी एवं व्यावसायिक भू-उपयोग नक्शे सार्वजनिक किए जा चुके हैं।	**राज्य शासन से संबंधित है।**

शेष 25 जिलों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ऊर्जा विभाग में निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच

[ऊर्जा]

25. (क्र. 136) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मुख्य अभियंता, सब स्टेशन, एमडी और चेयरमेन, सीएसपीटीसीएल के कार्यालय को निविदा संख्या एस/एस ओएंडएम-11/24-27/614, दिनांक 02.07.24 में अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? इन कार्यालयों द्वारा प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में क्या जवाब दिये गये और शिकायतों की जांच के लिए क्या कदम उठाये गये ? **(ख)** उपरोक्त निविदा से इंटीग्रिटी पैक्ट और लेबर लायसेंस को क्यों बाहर रखा गया? क्या इंटीग्रिटी पैक्ट अनिवार्य है? सीवीसी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन को देखते हुए भी निविदा को जारी क्यों रखा गया ? **(ग)** पिछले 02 वर्षों में 132 केवी सब स्टेशनों के संचालन के लिए प्रत्येक निविदावार निर्धारित बोलीदाताओं के पीक्यूआर का रिकार्ड और उनमें हुए परिवर्तनों का विस्तृत विवरण प्रदान करें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत मुख्य अभियंता (सब स्टेशन), एमडी और चेयरमेन, के कार्यालय में निविदा संख्या एस/एस ओएंडएम-11/24-27/614, दिनांक 02.07.2024 में अनियमितताओं के संबंध में कुल 16 शिकायतें विभिन्न व्यक्ति/संस्था से प्राप्त हुई है। प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शिकायतों के निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। उल्लेखित शिकायतों के संबंध में पर्याप्त तथ्य (साक्ष्य) नहीं होने के कारण शिकायतें जाँच कार्यवाही के योग्य नहीं पायी गयी। फलस्वरूप जाँच कार्यवाही नहीं की गयी। **(ख)** पूर्व में दिनांक 30.04.2021 को जारी निविदा (वर्ष 2021-24 हेतु) में इंटीग्रिटी पैक्ट

संबंधित कंडिका शामिल नहीं थी, इसलिए नवीन निविदा संख्या एस/एस ओएंडएम-11/24-27/614, दिनांक 02.07.2024 में भी उक्त अर्हता को शामिल नहीं किया गया है। श्रम कार्यालय रायपुर के अनुसार प्रत्येक उपकेन्द्र में 12 कर्मचारी/श्रमिक नियोजित करने के कारण, श्रमिक अधिनियम-1970 की धारा-12 नियम 21 के अनुसार अनुज्ञप्ति दिया जाना प्रावधानित नहीं है, अतः उक्त निविदा में उक्त लेबर लाईसेंस संबंधित अर्हता को सम्मिलित नहीं किया गया, किन्तु निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को लेबर लाइसेंस सहित छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी व श्रमिक कल्याण हेतु लागू अधिनियम के तहत् कार्य का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। सब स्टेशन ऑपरेशन ठेका कार्य हेतु पुर्व निविदा अंतर्गत जारी कार्यादेश की समयावधि दिनांक 30.10.2024 तक थी जिसे एक बार सक्षम अनुमोदन से आगामी छः माह के लिए विस्तारीत किया जा चुका था अतः कार्य प्रकृति अनुसार यथा कार्य निरंतरता बनाये रखने हेतु, नवीन निविदा दिनांक 02.07.2024 को जारी रखा गया जिससे कि ससमय सब स्टेशन ऑपरेशन का कार्य हेतु कार्य आदेश जारी किया जा सके। **(ग)** पिछले 02 वर्षों (2023-24 एवं 2024-25) में 132 के.व्ही. सबस्टेशनों के संचालन हेतु एक मात्र निविदा क्रमांक 614, दिनांक 02.07.2024 जारी किया गया है। निविदा में कुल 09 निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया, जिनके द्वारा प्रस्तुत बिड ऑफर में सम्मिलित पी.क्यू.आर. संबंधित **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। चूंकि पिछले दो वर्षो में एक ही निविदा जारी की गई अतः परिवर्तन के संबंध में प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार

[सुशासन एवं अभिसरण]

26. (क्र. 144) श्री रामकुमार यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को जानने एवं उनका निराकरण करने हेतु क्या ''सुशासन तिहार'' का आयोजन किया गया था? बतावें? **(ख)** जिला जांजगीर-चांपा में उक्त सुशासन तिहार के आयोजन की निर्धारित तिथि व समय का विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश "ख" के अनुसार आयोजित सुशासन तिहार में ग्रामीणजनों से कितने समस्या संबंधी आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदनों में से कितने का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया है एवं कितने प्रक्रियाधीन एवं लंबित हैं? विवरण विकासखंडवार देवें? **(घ)** प्रक्रियाधीन एवं लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक किया जावेगा? बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) हॉ। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** सुशासन तिहार में कुल 115151 आवेदन प्राप्त हुये है। जिसमें कुल 115014 निराकरण किया जो चुका है। कुल 137 आवेदन लंबित है। **(घ)** प्रक्रियाधीन एवं लंबित आवेदनों का निराकरण शीघ्र कर लिया जावेगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं में व्यय की गई राशि

[जल संसाधन]

27. (क्र. 150) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022-23 से अप्रैल, 2025 तक गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं हेतु जलाशय, बांध, नहर निर्माण, लाइनिंग कार्य, एनीकट आदि के निर्माण, मरम्मत व संधारण हेतु कितनी राशि व्यय की गई है? प्रश्नाधीन अवधि में निर्माण कार्यों का निरीक्षण कब-कब, किस अधिकारी द्वारा किया गया एवं निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियों के निराकरण हेतु क्या कार्रवाई की गई है? वर्षवार, कार्यवार

जानकारी देवें? **(ख)** क्षेत्रांतर्गत जल संसाधन विभाग के कितने कार्यों को उद्वहन सिंचाई योजना के तहत बजट में सम्मिलित किया गया है एवं कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है? जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2022-23 से अप्रैल 2025 तक गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं हेतु जलाशय, बांध, नहर निर्माण, लाईनिंग कार्य, एनीकट आदि के निर्माण, मरम्मत, व संधारण हेतु व्यय की गई राशि की वर्षवार, कार्यवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि में निर्माण कार्यों का निरीक्षण कब-कब किस अधिकारी द्वारा किया गया एवं निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही की वर्षवार, कार्यवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के द्वारा भाठागांव उद्वहन सिंचाई योजना के नहर लाइनिंग एवं रिमॉडलिंग कार्य को बजट वर्ष 2024-25 में सम्मिलित किया गया है, प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है एवं जल संसाधन संभाग, बालोद के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से अप्रैल 2025 तक बजट में 04 कार्य क्रमशः-1. भेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना, 2. बालोद जिले के सिकोसा स्थित फरसी खदान से उद्वहन सिंचाई योजना, 3. खरखरा मोंहदीपाट में भीमकन्हार उद्वहन सिंचाई योजना तथा 4. बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के ग्राम भिलाई में उद्वहन सिंचाई योजना बजट में सम्मिलित किया गया है। भेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत प्रगतिरत है तथा बालोद जिले के सिकोसा स्थित फरसी खदान से उद्वहन सिंचाई योजना बजट से विलोपित हो गयी है। जल संसाधन संभाग, बालोद के 02 कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग से स्वीकृत निर्माण/विकास कार्य

[जल संसाधन]

28. (क्र. 151) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मार्च, 2022 से मार्च, 2025 तक जल संसाधन विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण अथवा विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई? कार्यवार जानकारी देवें? **(ख)** स्वीकृत कार्यो में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? कितने कार्यो हेतु निविदा आंमत्रित की गई है तथा वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है? अपूर्ण निर्माण कार्यो में से कौन-कौन से ऐसे हैं जिनकी निविदा की अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा लैप्स अथवा डूबान क्षेत्र में आने के कारण निरस्त किया गया है? क्या बजट में प्रावधानित ऐसे निरस्त कार्यो की पुनः वित्त विभाग से अनुमति ली जाकर प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां तो कब तक की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च, 2022 से मार्च, 2025 तक कुल 13 निर्माण/विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** 13 स्वीकृत कार्यों में से 06 कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा 07 कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यो में से 01 कार्य प्रगतिरत है एवं 06 कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है, जो वर्तमान में 01 कार्य की निविदा दर स्वीकृति ठेकेदार द्वारा मूल ई.एम.डी. एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रक्रियाधीन है एवं 01 कार्य की निविदा दर स्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथा 04 कार्य की निविदा पूर्व अर्हता स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। इन अपूर्ण निर्माण कार्यों में किसी भी कार्य की निविदा अवधि समाप्त नहीं हुई है तथा लैप्स अथवा डूबान क्षेत्र में आने के कारण निरस्त नहीं किया गया है और न ही बजट में प्रावधानित ऐसे निरस्त कार्य है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

जल संसाधन विभाग जिला सक्ती अंतर्गत शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु आबंटित राशि

[जल संसाधन]

29. (क्र. 153) श्री रामकुमार यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जल संसाधन विभाग, जिला सक्ती अंतर्गत शासकीय नलकूप रखरखाव, गेट मरम्मत, स्टॉलेशन, विद्युतीकरण कार्य, शासकीय वाहनों की मरम्मत, टेंक एवं उद्वहन, सिंचाई योजना रखरखाव कार्य हेतु वर्ष 2022 से 20/06/ 2025 तक कितनी राशि आबंटित हुई थी? विस्तृत योजनावार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार समस्त कार्य कितनी फर्मों से कराए गए हैं? समस्त फर्मो का पंजीयन है या नहीं? विस्तृत जानकारी देवें? **(ग)** क्या उक्त कराए गए कार्यों में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई है अथवा नहीं? यदि हां तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? विस्तृत विवरण देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जल संसाधन विभाग, जिला सक्ती अंतर्गत शासकीय नलकूप रखरखाव, गेट मरम्मत, स्टॉलेशन, विद्युतीकरण कार्य, शासकीय वाहनों की मरम्मत, टेंक रखरखाव कार्य हेतु वर्ष 2022 से 20.06.2025 तक कुल राशि रू. 55.70 लाख आबंटित हुई थी। विस्तृत योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार समस्त कार्य विभिन्न् 10 फर्मों से कराए गए हैं। समस्त फर्मो का लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पंजीयन है। विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** उक्त कराए गए कार्यों में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खनिज न्यास निधि मद से व्यय की गई राशि

[खनिज साधन]

30. (क्र. 156) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल, 2024 से 20/06/2025 तक खनिज न्यास निधि मद से कितनी राशि प्राप्त हुई? **(ख)** उक्त अवधि में शिक्षा मद में कितनी राशि के विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है?कितने कार्य पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण हैं? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** अंतर्गत स्वास्थ्य मद में कितनी राशि के विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है? क्या-क्या उपकरण, कितनी-कितनी राशि से खरीदे गए? कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण हैं? **(घ)** पेयजल, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, वृद्ध एवं दिव्यांग आदि हेतु कितनी राशि के विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बालोद जिला अंतर्गत गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में संचालित खानों से बालोद जिला खनिज संस्थान अंशदान निधि में अप्रैल, 2024 से 20.06.2025 तक कुल 47 लाख 30 हजार की राशि प्राप्त हुई है। **(ख)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त अवधि में शिक्षा मद में स्वीकृत कुल 18 कार्यो हेतु 1 करोड़ 66 लाख 31 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत कार्यो में से 09 कार्य पूर्ण एवं 09 कार्य अपूर्ण है। **(ग)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य मद में 04 कार्यो हेतु 33 लाख 50 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उपकरणों की खरीदी नहीं की गई है। स्वीकृत कार्यो में से 02 कार्य पूर्ण एवं 02 कार्य अपूर्ण है। **(घ)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में पेयजल आपूर्ति हेतु 10 लाख, कृषि एवं अन्य संबंध गतिविधियॉ हेतु 41 लाख 69 हजार, पर्यावरण संरक्षण हेतु 60 लाख 44 हजार एवं वृद्ध एवं दिव्यांग मद हेतु 01 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/न्यूनीकरण मद से मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की स्वीकृति

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

31. (क्र. 158) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला मुंगेली अंतर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/न्यूनीकरण विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23 से दिनांक 20/06/2025 तक कुल कितनी राशि की, कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा उक्त अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में किस-किस मद में, कौन-कौन से कार्य हेतु, कितनी राशि व्यय की गई है? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार क्या उक्त अवधि में स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यो हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु प्रस्ताव दिये गये थें? यदि हां, तो उन प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है एवं कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? समयावधि बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला-मुंगेली अंतर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/न्यूनीकरण विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23 से दिनांक 20.06.2025 तक कुल 557.36 लाख (अक्षरी पांच करोड़ संतावन लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र) का 79 कार्य की राशि स्वीकृत किये गये हैं तथा उक्त अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में अधोसंरचना विकास एवं उपकर निधि मद से 22 कार्य हेतु राशि 192.12 लाख (अक्षरी एक करोड़ बयानवे लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से रूपये 1,36,74,357.00 (अक्षरी एक करोड़ छत्तीस लाख चौहत्तर हजार तीन सौ संतावन रूपये) की राशि व्यय की गई है। व्यय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है**। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार उक्त अवधि में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु राशि 3,96,12000.00 (अक्षरी तीन करोड़ छियानबे लाख बारह हजार मात्र) का 56 कार्य हेतु प्रस्ताव दिये गये थे, जिसमें से 22 कार्य स्वीकृत एवं 34 कार्य अस्वीकृत है, जिसकी अद्यतन **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार है**।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

घरघोड़ा रेंज में जंगली प्रवासी हाथी की विद्युत प्रवाह से मृत्य होने पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

32. (क्र. 159) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या घरघोड़ा रेंज में जंगली प्रवासी हाथी की 11000 kv विद्युत करंट लगने से मृत्य हो गई? क्या वर्ष 2025 में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है जिसमें एक बीट चुराटांगर में 7 हाथियों की मौत हुई? इसमें किसकी जिम्मेदारी तय की गई एवं रेंज के वन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : रायगढ़ वनमण्डल के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् वर्तमान तक विद्युत करेंट से दिनांक 04.09.2009 को एक मादा हाथी, दिनांक 11.09.2013 को एक नर हाथी, दिनांक 12.09.2015 को एक मादा हाथी, दिनांक 20.11.2022 को एक मादा हाथी एवं दिनांक 09.12.2022 को नर शावक हाथी कुल 05 हाथियों की मृत्यु हुई है।यह सही नहीं है कि वर्ष 2025 में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। वास्तविकता यह है कि घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में वर्ष 2025 में कुल 04 हाथियों की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार यह भी सही नहीं है, कि बीट चुराटांगर में 07 हाथियों की मौत हुई है, बल्कि छर्राटांगर सर्किल के डेहरीडीह परिसर में 01 मादा हाथी की मृत्यु हुई है। **विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।**दिनांक 14.01.2025 को घरघोड़ा परिक्षेत्र के नवापारा (टेण्डा) वृत्त अंतर्गत परिसर चारमार के कक्ष क्रमांक 1270 आ.व. में 01 शावक हाथी उम्र लगभग 02-03 माह का मृत शरीर नदी किनारे पाया गया। श्री प्रेमसाय तिर्की वन रक्षक द्वारा अत्यधिक विलंब से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा

(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रकरण में परिसर रक्षक के विरूद्ध अधिरोपित आरोप अनुसार एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध कर प्रकरण समाप्त किया गया।
[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

जिला जांजगीर-चांपा में जल कर से प्राप्त राजस्व एवं बकाया वसूली

[जल संसाधन]

33. (क्र. 160) श्री ब्यास कश्यप : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जांजगीर-चांपा में उद्योगों को जलप्रदाय के जल कर से प्राप्त राजस्व वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक प्रतिवर्ष कितना-कितना रहा है? प्राप्त राशि एवं शेष राशि की वर्षवार जानकारी बताएं? **(ख)** जिले के जल कर के बकायादार उद्योगों के नाम, प्राप्ति योग्य मूल राशि तथा अन्य राशि और कब से अप्राप्त है, की जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** जल कर के बकायादारों से वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में उद्योगों को जलप्रदाय के जल कर से प्राप्त राजस्व वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक प्रतिवर्ष , प्राप्त राशि एवं शेष राशि की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** जिले के जल कर के बकायादार उद्योगों के नाम, प्राप्ति योग्य मूल राशि तथा अन्य राशि और अप्राप्त राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** जल कर से बकायादारों को समय-समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

बालोद जिले में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण हेतु स्वीकृति राशि

[पर्यटन]

34. (क्र. 175) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिले अंतर्गत धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का नाम बतावें ? उक्त पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण/अन्य कार्य हेतु वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? **(ख)** स्वीकृत राशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं? जानकारी देवें ? **(ग)** वर्तमान में बालोद जिले अंतर्गत कौन-कौन से स्थल धार्मिक/पर्यटन स्थल के रूप में चयन हेतु प्रस्तावित हैं? प्रस्तावित स्थलों को चयनित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क)1.बालोद जिले में चिन्हांकित धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल, अन्य पर्यटन स्थलों एवं राज्य संरक्षित धार्मिक महत्व के स्थलों की सूची **संलग्न प्रपत्र** में दर्शित है। **2.** प्रश्नांकित अवधि में **संलग्न प्रपत्र** में दर्शित स्थलों में से बालोद के सियादेवी मंदिर हेतु राशि रुपये 34,92,000.00, कपिलेश्वर मंदिर समूह बालोद हेतु राशि रूपये 2,64,356.00, कुकुर देव मंदिर खपरी हेतु राशि रूपये 14,43,238.00 एवं शिव मंदिर पलारी हेतु राशि रूपये 6,31,590.00 स्वीकृत किये गये हैं। **(ख)** स्वीकृत राशियों से (1) सियादेवी मंदिर में रेस्टिंग शेड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मोटर पंप स्थापना, पाईप लाईन विस्तार, महिला/पुरुष सामुदायिक शौचालय, शेड का विस्तारीकरण कार्य, (2) कपिलेश्वर मंदिर समूह में पुरावशेषों के लिये शेड, (3) कुकुर देव मंदिर में जीर्णोद्धार, चैकीदार क्वार्टर, पाथ-वे, शौचालय जीर्णोद्धार, सिटिंग चेयर, सोलर प्रकाशीयकरण एवं (4) शिव मंदिर पलारी में मरम्मत, जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। **(ग)** वर्तमान में कोई स्थल धार्मिक/पर्यटन स्थल के रूप में चयन हेतु प्रस्तावित नहीं है।**[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]**

बालोद जिला अंतर्गत संचालित स्कूलों में ग्रंथपाल के स्वीकृत एवं भरे/रिक्त पद

[स्कूल शिक्षा]

35. (क्र. 180) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला अंतर्गत संचालित स्कूलों में ग्रंथपाल के कितन-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद भरे एवं कितने पद रिक्त हैं ? विद्यालयवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** स्कूलों में रिक्त ग्रंथपाल के पदों की भर्ती के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक भर्ती की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है । **(ख)** जी हां, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है अतः समय सीमा बताया जाना संभव नही है ।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

जिला जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत अवैध रेत उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही

[खनिज साधन]

36. (क्र. 181) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चाम्पा में 1 दिसम्बर, 2024 से 20/06/2025 तक अवैध रेत उत्खनन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए? अवैध रेत खनन करने वाले दोषियों के विरूद्ध, किन-किन धाराओं में कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अवधि में दर्ज सभी दोषियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किए गए? इसके क्या कारण हैं? **(ग)** उक्त अवधि में कितने वाहन जब्त एवं राजसात किए गए हैं? जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में 01 दिसम्बर 2024 से 20/06/2025 तक अवैध रेत उत्खनन के कुल 32 प्रकरण दर्ज किये गये है। अवैध रेत उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किए गए है, तथापि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा 21 (5) एवं 23 (क) के तहत् समझौता राशि वसूल किया जाकर प्रकरण का प्रशमन किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अवधि में अवैध रेत उत्खननकर्ताओं के द्वारा खनिज रेत के अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर समझौतानामा प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा 21 (5) एवं 23 (क) के तहत् कुल समझौता राशि 26,14,332 रूपये वसूल किया जाकर प्रकरण का प्रशमन किया गया। **(ग)** उक्त अवधि में कुल 33 वाहन/मशीनें जप्त किये गये। खनिज नियमों में वाहनों का राजसात किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

जांजगीर-चाम्पा जिले में स्थित बांधों/जलाशयों की सिंचाई क्षमता

[जल संसाधन]

37. (क्र. 182) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में जल संसाधन विभाग अंतर्गत कितने बांध/जलाशय हैं? उनका क्षेत्रफल (रकबा), जल भराव क्षमता व सिंचाई क्षमता (रकबा) कितनी-कितनी है? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत पूछे गए किन-किन बांधों/जलाशये के कितने-कितने क्षेत्रफल में अतिक्रमण है? जानकारी प्रदान करें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में जल संसाधन विभाग अंतर्गत 35

बांध/जलाशय जिनका क्षेत्रफल (रकबा), जल भराव क्षमता व सिंचाई क्षमता (रकबा) की विधानसभा क्षेत्रवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत पूछे गए 02 यथा नरियारा जलाशय में 0.404 हेक्टेयर एवं छैडोलिया जलाशय में 44.534 हेक्टेयर रकबे में अतिक्रमण है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में स्थापित महाविद्यालयों में स्वीकृत/रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

38. (क्र. 191) श्री ललित चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कितने महाविद्यालय संचालित हैं ? उक्त महाविद्यालयों में प्रोफेसर के कितने पद स्वीकृत ? कितने पद भरे एवं कितने रिक्त हैं ? विषयवार, पद सहित प्रत्येक महाविद्यालय की जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार विगत 05 वर्षों में क्षेत्र में कितने नये महाविद्यालयों की स्थापना की गई है ? उक्त नवीन महाविद्यालयों मे भवन की क्या स्थिति है ? भवनविहीन कितने महाविद्यालय हैं ? भवनविहीन महाविद्यालयों हेतु कब तक नवीन भवन निर्माण कर लिया जायेगा ? **(ग)** प्रश्नांक **(ख)** अनुसार क्षेत्र में संचालित कितने महाविद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी, ई लर्निंग, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है ? कितने महाविद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ? सुविधाविहीन कॉलेजों में कब तक सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ? **(घ)** कितने महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है ? जानकारी उपलब्ध करायें? कितने कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है ? कितने में उपलब्ध नहीं है ? महाविद्यालय का विवरण दें ? सुविधाविहीन कॉलेजों में कब तक छात्रावास उपलब्ध कराया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 06 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। शेष जानकारी **प्रपत्र ''अ'' पर संलग्न** है। **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार विगत 05 वर्षो में दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में 03 शासकीय नवीन महाविद्यालय की स्थापना की गई। उक्त महाविद्यालयों में 01 शासकीय नवीन महाविद्यालय निकुम में भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा महाविद्यालय नवीन भवन में संचालित है। शेष 02 निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालय भवन विहीन हैः-

1. शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली
2. शासकीय नवीन महाविद्यालय नगपुरा

भवन निर्माण हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्नांक ''ख'' अनुसार तीनों शासकीय महाविद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी ई-लर्निंग, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त तीनों महाविद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में संचालित 06 शासकीय महाविद्यालयों में 987 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। जानकारी **प्रपत्र ''ब'' पर संलग्न** है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के एनीकटों की मरम्मत एवं साफ सफाई

[जल संसाधन]

39. (क्र. 197) श्री ललित चंद्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कितने लिफ्ट सिंचाई योजना से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है? कितने ऐसे संसाधन खराब व अक्रियाशील हैं ? उसके सुधार व उत्थान के लिए बजट एवं नये कार्यक्रर्मो की क्या स्थिति है ? विगत 03 वर्षों की वर्षवार विस्तृत जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्षेत्र में विभिन्न एनीकटों की मरम्मत एवं

गाद की साफ -सफाई को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? क्षेत्र के सभी एनीकटों की जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार राज्य सरकार द्वारा जल स्त्रोतों के पुनर्भण्डारण एवं जल संरक्षण के लिए किस तकनीक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है ? अभी तक इस दिशा में कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं? विगत 03 वर्षों की वर्षवार विस्तृत दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कुल 08 लिफ्ट सिंचाई योजना संचालित है, जिसमें से 02 सिंचाई योजनाएं क्रियाशील हैं एवं 06 अक्रियाशील है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** अक्रियाशील सिंचाई योजनाओं के संधारण एवं परिचालन हेतु संभागीय स्तर से वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक बजट में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है। विगत 03 वर्षों की वर्षवार विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 10 एनीकट निर्मित है, निर्मित एनीकटों का वार्षिक संधारण आवश्यकता एवं उपलब्ध आबंटन अनुसार किया जाता है। उरला एनीकट का मरम्मत एवं गाद सफाई को ध्यान में रखते हुए प्राक्कलन रू. 1400 लाख का प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया गया है। क्षेत्र के सभी एनीकटों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। (ग)** राज्य शासन द्वारा जल स्त्रोतों के पुनर्भण्डारण एवं जल संरक्षण हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है, जैसे- G.I.S. (Geographic Information System) तकनीक का उपयोग नवीन जल संरचना के सर्वेक्षण एवं निर्माण, जलग्रहण संरचनाएं, रिचार्जपिट्स, परकोलेशन टैंक, एनीकट निर्माण जैसे उपाय अपनाये जा रहे है। इसके अतिरिक्त जलशक्ति अभियान ''कैच द रैन'' अभियान एवं मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना के अंतर्गत भी व्यापक कार्य संपादित किए गए है। विगत तीन वर्षों में क्षेत्र के क्रियान्वित योजनाओं की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - बैंसठ"]

जनपद पंचायत सारंगढ़ की सीमा क्षेत्र में ओवरलोड, अवैध परिवहन रोकने हेतु धर्मकांटा लगाना

[खनिज साधन]

40. (क्र. 212) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वि0ख0 सारंगढ़ के जनपद पंचायत सारंगढ़ की अंतिम सीमा क्षेत्र पर ओवरलोड, बिना परमिट के अवैध परिवहन को रोकने हेतु जनपद पंचायत की ओर से क्या धर्मकांटा लगाने का प्रवधान है या नहीं ? अगर है तो कब तक धर्मकांटा स्थापित किया जावेगा ? करेगे कृपया जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : खनिज की ओवरलोड तथा बगैर अभिवहन पार पत्र के अवैध परिवहन को रोकने हेतु जनपद पंचायत की ओर से धर्मकांटा लगाने का खनिज नियम अंतर्गत कोई प्रावधान नही हैं।

विकासखण्ड सारंगढ़ अंतर्गत गौण खनिज की रायल्टी राशि जारी करने संबंधी

[खनिज साधन]

41. (क्र. 213) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या वि0ख0 सारंगढ़ के जनपद पंचायत में वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 तक की गौण खनिज की रायल्टी राशि अप्राप्त है? यदि हां तो क्यों कब तक राशि प्रदाय की जायेगी ? कृपया जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी हाँ, विकासखण्ड सारंगढ़ के जनपद पंचायत में वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 तक की गौण खनिज की रायल्टी राशि का संवितरण नही हुआ है। राशि संवितरण किया जाना प्रक्रियाधीन है।

अरपा भैंसाझार परियोजना अंतर्गत मुआवजा

[जल संसाधन]

42. (क्र. 220) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिले की अरपा भैंसाझार परियोजना में नहर एवं हेडवर्क हेतु भूअर्जन मुआवजा के लिए किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि सहित कुल कितनी राशि का भुगतान जल संसाधन विभाग ने राजस्व विभाग को किया है? उसमें से राजस्व विभाग ने प्रभावित हितग्राहियों को अब तक किस-किस ग्राम हेतु कुल कितनी-कितनी राशि का मुआवजा भुगतान किया? किन-किन हितग्राहियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है व किन-किन का कितना भुगतान किया जाना शेष है? राजस्व विभाग को कितने रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान, बिना मांग पत्र के एवं भुगतान की आवश्यकता के बिना ही कब-कब, कितना-कितना व क्यों जारी किया गया ? **(ख)** क्या यह सही है कि दिनांक 12 मई, 2025 की विभागीय समीक्षा बैठक या अन्य अवसर पर परियोजना के मुआवजा भुगतान से संबंधित अनियमितता के लिए राज्य शासन द्वारा ईओडब्ल्यू से विस्तृत जांच कराने के निर्देश के संबंध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? ईओडब्ल्यू की एफआईआर का विवरण क्या है? **(ग)** क्या अरपा भैंसाझार परियोजना के मुआवजा भुगतान में अपात्र, अप्रभावित व्यक्तियों को एवं भूमि का प्रकार परिवर्तित करके करोड़ों रुपए के गलत भुगतान किए जाने की अनियमितता पाई गई है? यदि हॉ तो दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या विभागीय एवं आपराधिक कार्यवाही की गई है एवं गलत भुगतान प्राप्तकर्ता भूमाफियाओं के विरुद्ध अब तक क्या आपराधिक कार्यवाही की गई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बिलासपुर जिले की अरपा भैंसाझार परियोजना में नहर एवं हेडवर्क के भू-अर्जन प्रकरणों हेतु दिनांक 13.03.2014 से 30 जून 2025 तक प्रशासकीय सेवा शुल्क हेतु रू. 32.73 करोड़ एवं मुआवजा भुगतान हेतु राशि रू. 559.06 करोड़, कुल 591.79 करोड़ की राशि अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा एवं बिल्हा के खाते में जमा किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** उपरोक्त राशि में से राजस्व विभाग द्वारा कुल 105 ग्रामों में कुल रू. 321.83 करोड़ का भुगतान किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** परियोजना के निर्माण में प्रभावित 5814 कृषकों को रू. 321.83 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है एवं कुल 1482 कृषकों को राशि रू. 63.86 करोड़ भुगतान किया जाना शेष है। राजस्व विभाग द्वारा जारी मांग पत्र के अनुसार भुगतान किया गया है। बिना मांग पत्र के एवं भुगतान की आवश्यकता के बिना कोई भी राशि जारी नहीं की गई है। अब तक पारित अवार्ड रू. 391.52 करोड़ के विरूद्ध विभाग द्वारा रू. 559.06 करोड़ एवं प्रशासकीय सेवा शुल्क रू. 19.35 करोड़ के विरूद्ध रू. 32.73 करोड़ राजस्व विभाग के खाते में जमा किया गया है। इस प्रकार प्रशासकीय सेवा शुल्क एवं मुआवजा राशि हेतु राजस्व विभाग के खाते में अतिरिक्त राशि रू. 180.92 करोड़ जमा है। जिसकी वापसी हेतु कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा के पत्र दिनांक 24.12.2024 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिल्हा एवं कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा के पत्र दिनांक 31.12.2024 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा को पत्र लिखा गया है। **(ख)** दिनांक 12 मई 2025 की विभागीय समीक्षा बैठक दौरान परियोजना के मुआवजा भुगतान से संबंधित अनियमितता के लिए राज्य शासन द्वारा ईओडब्ल्यू से विस्तृत जांच कराये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** कलेक्टर बिलासपुर द्वारा गठित जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के चकरभाठा वितरक नहर के ग्राम सकरी के मुआवजा भुगतान में अनियमितता पायी गयी है। कलेक्टर बिलासपुर के पत्र दिनांक 487/सहा.अधी./2023 बिलासपुर दिनांक 24.02.2023 के आधार पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध छ.ग. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर का आदेश क्र. एफ-03-05/31/स्था./2021 नवा रायपुर दिनांक 12.08.2024

द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुए आरोप पत्र जारी किये गये हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। दोषी भू-माफियाओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

बजरमुण्डा जिला रायगढ़ में मुआवजा में अनियमिता की शिकायतों पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

43. (क्र. 221) श्री धरमलाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि बजरमुण्डा, जिला रायगढ़ में मुआवजा में अनियमितता के संबंध में राजस्व विभाग को वर्ष 2023 या अन्य वर्ष में शिकायत की गई थी? यदि हॉ तो किसके द्वारा, क्या व किसको की गई थी व इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई थी? शिकायतवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या यह सही है कि प्रश्नांश 'क' अनुसार मुआवजा अनियमितता के संबंध में 13 या अधिक/कम सदस्यों का जांच दल बनाया गया था? यदि हॉ तो कब, किसने, क्यों व किन-किन सदस्यों को लेकर गठन किया गया व इनके द्वारा प्रतिवेदन कब दिया गया और क्या-क्या अनियमितता पाई गई तथा कौन-कौन अधिकारी दोषी पाए गए व उनके विरूद्व क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हॉ। बजरमुड़ा जिला रायगढ़ में मुआवजा में अनियमितता के संबंध में दुर्गेश शर्मा, अर्जुन विला, बी-6 कृष्णा वैली, विजयपुर बोईरदादर रायगढ़ के द्वारा दिनांक 11.01.2023 को सुश्री रीता शांडिल्य, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर को ''छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला अन्तर्गत एक गांव बजरमुड़ा के 149 हेक्टेयर भूमि में से 129 हेक्टेयर भूमि को दो फसली बताकर 300 करोड़ रूपये के मुआवजा में आधा से अधिक राशि का आपसी बन्दर बॉट कर सरकार के खजाने को लूटने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही'' विषयक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। सचिव, राजस्व मंडल छ.ग. बिलासपुर के पत्र क.20/निज सचिव / 2023 बिलासपुर दिनांक 23.01.2023 के तारतम्य में कलेक्टर, जिला बिलासपुर द्वारा उनके आदेश दिनांक 02.02.2023 एवं 24.02.2023 द्वारा जांच समिति बनाई गई। इसके उपरांत राज्य शासन दिनांक 15.06.2025 द्वारा जांच समिति गंठित की गई। जांच समिति द्वारा दिनांक 31.05.2024 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय कर्मचारियों के साथ निजी व्यक्तियों की भी अनियमितता में संलिप्तता परिलक्षित होने पर राज्य शासन द्वारा (ACB/EOW) को जांच हेतु विभागीय पत्र दिनांक 20.06.2025 को सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया है। **(ख)** सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क. /एफ-3-39/वि.स./2023 / सात-1 नवा रायपुर दिनांक 15.06. 2023 के तहत् शासन स्तर पर जांच समिति गठित किया गया, जिसमें श्री रमेश शर्मा, (आईएएस) अध्यक्ष, श्रीमती हीना अनिमेश नेताम, अपर कलेक्टर सदस्य सचिव एवं श्री उमाशंकर अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर सदस्य के सहयोग के लिए सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क./एफ-3-39/वि.स./2023/सात-1 नवा रायपुर दि. 12.10.2023 के तहत् श्री बलदेव यादव, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, प्रदीप कुमार साहू, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, श्री अनिल साहू, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, श्री अविनाश कुमार शराफ, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख बिलासपुर, श्री अंशुमन गुप्ता, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख बिलासपुर, श्रीमती गीतांजली ठाकुर, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, श्री राजेन्द्र मात्रे, राजस्व निरीक्षक, पटवारी प्रशिक्षण शाला रायपुर, श्रीमती अर्चना शर्मा, राजस्व निरीक्षक, पटवारी प्रशिक्षण शाला रायपुर, श्री लीलाराम साहू, संगणक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, श्री श्रीकांत आत्राम, सहायक ग्रेड-03, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, श्री पुरुषोत्तम तिवारी, सहायक

ग्रेड-03 कलेक्टर कार्यालय कोरबा, का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को 31.05.2024 को प्रस्तुत किया गया। जांच समिति द्वारा ग्राम बजरमुड़ा में पाया गया है कि गारे-पेलमा सेक्टर III में सतही तौर पर अधिकार प्रकरण तैयार किया गया है एवं उक्त अधिकार प्रकरण के आधार पर तैयार किया गया मुआवजा पत्रक त्रुटिपूर्ण है। उक्त प्रकरणों के अवलोकन एवं स्थल जॉच से स्पष्ट है कि सर्वसंबधितों द्वारा जानबूझकर प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरती गयी है मूल्यांकन / निरीक्षण टीम के अधिकारी कर्मचारी एवं मुआवजा पत्रक तैयार करने वाले समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मुआवजा पत्रक तैयार किया गया है, जो आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। समिति द्वारा उक्त भू-अर्जन प्रकरण के निराकरण से संबंद्ध समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जॉच / अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई है एवं त्रुटिपूर्ण मुआवजा पत्रक का पुनः गणना कराकर मौके की स्थिति एवं अभिलेखों के अनुसार संशोधित गणना पत्रक तैयार करते हुये प्रकरण का सम्यक निराकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 1376/भू.अ.लि.-4/2024 दिनांक 03.10.2024 के साथ संलग्न कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा) घरघोड़ा, जिला रायगढ़ का पत्र क्रमांक 176/भू-अर्जन/2024 दिनांक 26.09.2024 में उल्लेख अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 26/09/2024 में ग्राम बजरमुड़ा, करवाही एवं ढोलनारा जिला रायगढ़ के निम्नलिखित तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं- अन्य विभागों से संबंधित- 1. श्री अशोक कुमार मारबल, अनुविभागीय अधिकारी(रा.) सामान्य प्रशासन विभाग 2. श्री रामसेवक महंत परिसर रक्षक वन विभाग 3. श्री चितराम राठिया वन परिक्षेत्र अधिकारी वन विभाग 4. श्री संजय भगत वरिष्ठ उद्यान अधिकारी उद्यान विभाग 5. श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी उप अभियंता लोक निर्माण विभाग 6. श्री के.पी. राठौर, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग 7. श्री देवप्रकाश वर्मा सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 8. श्री बलराम प्रसाद पड़िहारी परिक्षेत्र सहायक खम्हरिया वृत्त वन विभाग 9. श्री आर. के टंडन सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधित 1. श्री बंदेराम भगत तहसीलदार तमना 2. श्री मूलचंद कुर्रे राजस्व निरीक्षक तमनार 3. श्री जितेन्द्र पन्ना पटवारी तह. तमनार राजस्व विभाग 4. श्री तिरिथ राम कश्यप तहसीलदार तमना 5. श्री सी.आर.सिदार पटवारी तह. तमनार 6. श्री मालिक राम राठिया, पटवारी तह. तमनार विभागीय पत्र क्रमांक PLGMJ-2402/32/2025-REVENUE दिनांक 14.02.2025 एवं दिनांक 06.02.2025 राजस्व विभाग से संबंधित शाखा को द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

<u>वन भूमियों पर अतिक्रमण तथा कार्यवाहियां</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

44. (क्र. 228) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 31 मार्च, 2025 की स्थिति में वनभूमि के कितने क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया था? प्रकरण संख्या तथा बीट संख्या, वन परिक्षेत्र संख्या सहित वन मंडलवार विवरण दीजिए? **(ख)** अतिक्रमण हटाने के लिए जनवरी, 2024 से अब-तक की गई कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या क्या-क्या है? कितने-कितने क्षेत्र को मुक्त कराया गया? वन मंडलवार बताएं? **(ग)** वन बीट की संख्या तथा वन विहीन बीट की संख्या एवं क्षेत्रफल वन मंडलवार बताएं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 31 मार्च, 2025 की स्थिति में वनभूमि में हुए अतिक्रमणों की प्रकरण संख्या तथा बीट संख्या, वन परिक्षेत्र संख्या सहित वन मंडलवार **विवरण संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है।(ख)** प्रश्नांश "ख" की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है** ।

(ग) वन बीट की संख्या तथा वन विहीन बीट की संख्या एवं क्षेत्रफल वन मंडलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है** ।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

राज्य में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की घटनाओं के कारण

[ऊर्जा]

45. (क्र. 234) श्रीमती भावना बोहरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की घटनाएँ उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं? **(ख)**क्या विभाग में तकनीकी एवं मैदानी कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कम है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के मुख्य कारण विद्युत लाईनों में होने वाले विभिन्न प्रकार के फाल्ट जैसे कि मानसून अवधि के दौरान उपकरणों का खराब होना एवं लाईनों के इंसुलेटरों का टूटना/खराब हो जाना, जम्पर का कट जाना, तेज आंधी-तूफान के कारण विद्युत लाईनों पर पेड़ बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स इत्यादि का गिर जाना (जिसके फलस्वरूप पोल या तार टूट जाता है), अप्रत्याशित रूप से वाहनों का पोल से टकराकर दुर्घटना होने की स्थिति में पोल या तार का टूट जाना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से लाईनों को बंद करना इत्यादि कारणों से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन इकाईयों के सुधार के लिये बंद होने की स्थिति में राज्य की विद्युत मांग को नियंत्रित करने तथा ग्रिड को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर लाईनों एवं उपकेन्द्रों के रख-रखाव हेतु शटडाउन किये जाते है। **(ख)** माह अप्रैल 2025 की स्थिति में छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि. में तकनीकी एवं मैदानी कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद 12317 है, जिनमें से 5747 पदो पर नियमित कर्मचारी कार्यरत है। रिक्त 6570 पदों के विरूद्ध बाह्य स्त्रोत से 2728 कुशल कर्मचारी एवं 4687 अकुशल कर्मचारी नियोजित किये गये है। इस प्रकार 6570 रिक्त पदों के विरूद्ध 7415 कर्मचारी (2728+4687) कार्य पर नियोजित किये गये है एवं विभाग द्वारा प्रदेश के सभी भागों में तकनीकी एवं मैदानी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मांग का प्रस्ताव आने पर, प्रकरण की समीक्षा किया जाकर, अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति यथासमय प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृत कराया जा रहा है।

राज्य में संचालित मदिरा दुकानें

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

46. (क्र. 235) श्रीमती भावना बोहरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में राज्य शासन द्वारा आबकारी विभाग के माध्यम से कुल कितनी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का संचालन किया जा रहा है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित मदिरा दुकानों में से कितनी शराब दुकानें शैक्षणिक संस्थानों (जैसे स्कूल/कॉलेज), चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप स्थित हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित मदिरा दुकानों में से कितनी शराब दुकानें राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों अथवा प्रमुख सार्वजनिक सड़कों के निकट संचालित हैं? **(घ)** क्या शासन द्वारा मदिरा दुकानों के स्थान निर्धारण हेतु कोई निर्धारित मानक अथवा दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) वर्तमान में 161 देशी मदिरा दुकान, 179 कंपोजिट देशी मदिरा दुकान, 200 विदेशी मदिरा दुकान, 105 कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान एवं 31 प्रीमियम मदिरा दुकान इस प्रकार कुल 676 मदिरा दुकानों का संचालन किया जा रहा है। **(ख)** संचालित मदिरा दुकानें सामान्य प्रयुक्ति

नियम के प्रावधानों के तहत् आपत्तिरहित स्थल पर अवस्थित हैं। **(ग)** मदिरा दुकानें सामान्य प्रयुक्ति नियम के प्रावधानों के तहत् आपत्तिरहित स्थल पर अवस्थित हैं। **(घ)** राज्य अंतर्गत समस्त मदिरा दुकानों का स्थान निर्धारण छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत सामान्य प्रयुक्ति नियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।

रिक्त पद के संबंध में जानकारी प्रदान करने बावत्

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

47. (क्र. 244) श्रीमती गोमती साय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जशपुर अंतर्गत जिला, अनुविभागीय एवं तहसील कार्यालयों में स्वीकृत रिक्त एवं कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी की पदवार, कार्यरतवार, रिक्तवार तथा पदसंरचना की जानकारी दे? **(ख)** क्या जिला, अनुविभागीय एवं तहसील कार्यालयों में वर्तमान में पद स्वीकृत नहीं है या पद स्वीकृत है और रिक्त हैं? किस-किस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है? **(ग)** जिला, अनुविभागीय एवं तहसील कार्यालयों में पद संरचना की पूर्ति कब तक कर ली जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला जशपुर अंतर्गत जिला, अनुविभागीय एवं तहसील कार्यालयों में स्वीकृत, रिक्त एवं कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी की पदवार, कार्यरतवार, रिक्तवार तथा पद संरचना की जानकारी **प्रपत्र में संलग्न है**। **(ख) संलग्न प्रपत्र** अनुसार पद स्वीकृत है और रिक्त हैं। कार्य के आवश्यकतानुसार जिले के शिक्षा/आ.जा.क. विभाग के कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है। **(ग)** जिला, अनुविभागीय, तहसील कार्यालयों पद संरचना की पूर्ति प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा विज्ञापन पर व्यय की जानकारी

[जनसंपर्क]

48. (क्र. 250) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न विभागों के विज्ञापन हेतु कितने राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रसारित करने पत्र जारी किया गया एवं कितना विज्ञापन प्रसारित किया गया है? **(ख)** प्रश्नाश 'क' हेतु कुल व्यय राशि उक्तावधि में विभागवार, समाचार पत्रवार बतायें ? **(ग)** क्या प्रश्नाश **(क)** अवधि में विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रसारित करने के आदेश व विज्ञापन प्रसारित न होने व राशि भुगतान की कोई शिकायत में प्राप्त हुई, यदि हो तो क्या कार्यवाही की गई, समाचार पत्रवार बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) कुल राज्यस्तरीय समाचार पत्रों की संख्या जिन्हे वर्गीकृत विज्ञापन जारी किया गया है -144 कुल जारी वर्गीकृत विज्ञापन संख्या – 6142 **(ख)** विभागवार कुल 38 विभाग, राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में व्यय राशि रूपये 8,01,19,062 (आठ करोड़ एक लाख उन्नीस हजार बैंसठ मात्र) विभागवार एवं समाचार पत्र वार कुल व्यय राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में दर्शित है। **(ग)** प्रश्नांश (क) की अवधि में कोई शिकायत नहीं। जानकारी निरंक।
[संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ"]

प्रदेश में मदिरा दुकानों व विक्रय लक्ष्य की जानकारी

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

49. (क्र. 251) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में 01 अप्रैल 2025 से 19.06.2025 की स्थिति में कितने देशी विदेशी मदिरा दुकान संचालित हैं, जिलावार बतायें ? विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 से कितने दुकानों की वृद्धि हुई, जिलावार दुकान के प्रकारवार बताये ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अवधि (01.04.25 से 19.06.25) तक कितने लिकर विक्रय का लक्ष्य निर्धारित हुआ तथा लक्ष्यानुसार कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? **(ग)** प्रदेश में शराब बन्दी की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ? अवैध शराब के विक्री पर रोक हेतु क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 01 अप्रैल 2025 से 19.06.2025 की स्थिति में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों की जिलेवार जानकारी एवं विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 से देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में हुई वृद्धि की जिलेवार, प्रकारवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** विभाग द्वारा लिकर (मदिरा) विक्रय का लक्ष्य निर्धारित किए जाने का प्रावधान नहीं है। शासन द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष हेतु राजस्व लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। प्रश्नांश "क" के अवधि (01.04.25 से 19.06.25) तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य 3500 करोड़ रूपए के विरूद्ध राशि 2390.51 करोड़ रूपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। **(ग)** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी आबकारी नीति अनुसार प्रदेश में शराब बन्दी किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। विभाग द्वारा प्रदेश में अवैध शराब के बिक्री पर रोक हेतु निम्नानुसार कदम उठाये जा रहे हैं यथा: पतासाजी कर सघन गश्त एवं मदिरा दुकान विहीन क्षेत्रों में लगातार जांच की जाती है, होटल, ढाबा आदि संदिग्ध स्थानों की लगातार जांच की जाती है, पुलिस विभाग के साथ सूचनाओं को आदान-प्रदान एवं समन्वय स्थापित किया जाता है तथा पुलिस थाना के साथ संयुक्त दल बनाकर कार्यवाही की जाती है। आबकारी विभाग के टोल-फ्री नंबर 14405 पर एवं अन्य साधनों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता एवं संभागीय उड़नदस्ता की टीम द्वारा निरंतर देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की सघन जांच एवं क्षेत्र में उपलंभन का कार्य किया जाता है। समय-समय पर उड़नदस्ता एवं जिले की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही भी की जाती है। प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से अवैध मदिरा की स्मगलिंग को रोकने हेतु 31 आबकारी जांच चौकियॉ संचालित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ"]

पेलम बांध निर्माण की अद्यतन स्थिति

[जल संसाधन]

50. (क्र. 261) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-पेलम बाँध निर्माण हेतु कब कितनी राशि स्वीकृत की गयी है और वर्तमान में निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है? निर्माण कार्य कब शुरू किए जाएँगे, कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : पेलमनाला बांध निर्माण हेतु तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 03.10.1981 को रू. 21.36 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 26.12.2006 को रू. 54.22 लाख की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति, दिनांक 17.10.2016 को रू. 476.33 लाख की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तथा दिनांक 16.05.2025 को रू. 816.72 लाख की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में

योजना का शीर्ष कार्य 70 प्रतिशत एवं नहर कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। शेष निर्माण कार्य 01 वर्ष के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर जोन में शामिल ग्रामों का विस्थापन

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

51. (क्र. 266) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अचानकमार टाइगर रिजर्व अंतर्गत कितने एवं कौन-कौन से ग्राम कोर जोन में शामिल हैं, विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के ग्रामों के विस्थापन के लिए क्या कार्य योजना है, विवरण देवें? विस्थापन हेतु कितना राशि आबंटित हुई है, विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" के कोर जोन में शामिल ग्रामों को कहां-कहां विस्थापन करने की योजना है, विवरण देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) अचानकमार टाईगर रिजर्व अंतर्गत कोर जोन में कुल 19 ग्राम शामिल है, विवरण निम्नानुसार- 1. तिलईडबरा 2. बिरारपानी 3. छिरहट्टा 4. अचानकमार 5. सारसडोल 6. छपरवा 7. अतरिया (लमनी) 8. लमनी 9. रंजकी 10. सुरही 11. अतरिया (सुरही) 12. कटामी 13. जाकडबांधा 14. महामाई 15. बम्हनी 16. निवासखार 17. डंगनिया 18. राजक 19. बिन्दावल**(ख)** कंडिका "क" के 19 ग्रामों में से 03 ग्रामों (बिरारपानी, छिरहट्टा एवं तिलईडबरा) के कुल 170 परिवारों का विस्थापन किया जाना है, जिसके लिए राशि रूपये 2550.00 लाख की आवश्यकता होगी । वर्ष 2025-26 के कैम्पा ए.पी.ओ. में राशि रूपये 1600.00 लाख शामिल कर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है । उक्त तीन ग्रामों के विस्थापन हेतु भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.8-93/2013-FC (pt) दिनांक 07.08.2023 के द्वारा अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। विस्थापन हेतु कार्य योजना निम्नानुसार है :-विकल्प 1 में संबंधित परिवार को राशि 15 लाख रू. प्रदाय करने का प्रावधान है । विकल्प 2 में संबंधित परिवार को नेशनल टाईगर कनजरवेंशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के प्रावधान अनुसार 2.00 हे. कृषि भूमि, 0.05 हे.मकान एवं बाड़ी, 75 हजार रू. इन्सेटिव राशि एवं आधारभूत सुविधाएं जैसे पहुंच मार्ग, शाला भवन, सिंचाई साधन, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन आदि प्रावधानित हैं ।शेष बचे 16 ग्रामों में से 07 ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा स्थल चयन कर लिया गया है एवं विस्थापन हेतु आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 09 ग्रामों के विस्थापन हेतु ग्रामीणों द्वारा स्थल चयन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।**(ग)** कंडिका "क" के कोर जोन में शामिल ग्रामों के स्थलवार विस्थापन का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	ग्राम का नाम	विस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थल का विवरण				रिमार्क
		कक्ष क्रमांक	वन परिक्षेत्र का नाम	वनमंडल का नाम	जिले का नाम	
1	तिलईडबरा	96	लोरमी (सा.)	मुंगेली	मुंगेली	उक्त 03 गांवों के विस्थापन हेतु भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अंतिम चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
2	बिरारपानी	558 557	लोरमी (सा.)	मुंगेली	मुंगेली	
3	छिरहट्टा		लोरमी (सा.)	मुंगेली	मुंगेली	
4	अचानकमार	253, 254, 255	भैंसाझार	वन विकास निगम	बिलासपुर	उक्त 07 ग्रामों के विस्थापन हेतु ग्रामीणों द्वारा स्थल चयन कर लिया गया है, एवं विस्थापन हेतु
5	सारसडोल					

6	रंजकी	2324, 2326	गौरेला	मरवाही	जी.पी.एम.	शेष कार्य प्रक्रियाधीन है।
7	लमनी					
8	अतरिया (लमनी)	पी. 795,	बेलगहना	वन विकास निगम	बिलासपुर	
9	सुरही	487, 477, 478, 468, 479, 488, 483, 480	खुड़िया (सा.)	मुंगेली	मुंगेली	
10	अतरिया (सुरही)					

शेष 09 ग्राम क्रमशः 1. छपरवा, 2. कटामी, 3. जाकडबांधा, 4. महामाई, 5. बम्हनी, 6. निवासखार, 7. डंगनिया, 8. राजक एवं 9. बिन्दावल के विस्थापन हेतु ग्रामीणों द्वारा स्थल चयन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शासकीय कन्या महाविद्यालय तखतपुर एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय सकरी के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति

[उच्च शिक्षा]

52. (क्र. 267) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि वर्ष 2024-25 के बजट में महाविद्यालयीन भवनों के निर्माण के लिए शासकीय कन्या महाविद्यालय तखतपुर एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय सकरी, जिला बिलासपुर अंतर्गत भवन निर्माण कार्य को शामिल किया गया है? **(ख)** क्या कंडिका "क" के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा रिवाईज्ड स्टीमेट का प्रस्ताव शासन के पास लंबित है? यदि हां तो कब तक स्वीकृत कर लिया जाएगा, विस्तृत विवरण देवें? **(ग)** क्या कंडिका "क" के भवन हेतु जमीन चिन्हांकित कर ली गयी है? यदि हां, तो विस्तृत विवरण देवें? नहीं तो, कारण सहित उल्लेख करें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जी हां। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में शासकीय कन्या महाविद्यालय तखतपुर के भवन निर्माण कार्य को शामिल किया गया हैं। शासकीय कन्या महाविद्यालय सकरी जिला-बिलासपुर संचालित नहीं है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी हां। शासकीय कन्या महाविद्यालय तखतपुर हेतु तखतपुर में स्थित निगारबंद गांव में खसरा नंबर 29/1 एवं 29/2 चिन्हांकित किया गया है।

जिला-कोंडागाँव में शासकीय आवास का आबंटन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

53. (क्र. 274) सुश्री लता उसेंडी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला कोंडागाँव के फरसगाँव में शासकीय कर्मचारियों को आबंटित आवास से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है अथवा संज्ञान में आया है? यदि हां तो इसमें क्या कार्यवाही हुई ? **(ख)** क्या किसी शासकीय या अन्य व्यक्ति को आबंटित आवास की भूमि का पट्टा प्रदान किया गया है? यदि हां, उक्त प्रकरण का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करे। नियमों के विपरीत पट्टा देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं अन्य संबंधित पर क्या कार्यवाही की गईं? यदि नहीं, तो उक्त प्रकरण पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** कोंडागांव जिले अंतर्गत कितने शासकीय आवास कब से निर्मित हैं एवं वर्तमान में कितने भवन जर्जर स्थिति में हैं। तथा उन आवासों में कौन कौन शासकीय कर्मचारी कब से निवासरित हैं? क्या उक्त निवासरत आवासीय जर्जर भवन के स्थानों पर नए भवन निर्माण/ मरम्मत हेतु कोई कार्ययोजना है। **(घ)**कोंडागांव जिला अंतर्गत वर्तमान में कितने नये शासकीय

आवास आबंटन हेतु रिक्त हैं तथा विगत 2 वर्षों में शासकीय आवास प्रदान कितने आवेदन प्राप्त हुए है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) हां, जिला कोण्डागांव के फरसगांव में शासकीय कर्मचारियों को आबंटित आवास के संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर महोदया जिला कोण्डागांव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व फरसगांव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल द्वारा उक्त संबंध में जांच की कार्यवाही की जा रही है।**(ख)** जांच टीम द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पश्चात जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। **(ग)** जिला कोण्डागांव अंतर्गत कुल 794 शासकीय आवास निर्मित है। इसमें से 103 आवास जर्जर अवस्था में है। **आवास में निवासरत् कर्मचारियों की सूची एकत्र की जा रही है।** राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अंतर्गत रि-डेव्हलपमेंट योजना की स्वीकृति की गई है जिसके तहत् पूर्व निर्मित जर्जर शासकीय आवासों/भवनों कार्यालयों का पुर्नविकास किया जा सकता है। **(घ)** जिला कोण्डागांव अंतर्गत नये शासकीय आवास आबंटन हेतु अनुविभाग केशकाल अंतर्गत 01 शासकीय आवास एवं तहसील माकड़ी अंतर्गत नवनिर्मित 44 आवास आबंटन हेतु रिक्त है। जिला कोण्डागांव अंतर्गत कुल 672 आवेदन प्राप्त हुए है। आवास रिक्त होने पर नियमानुसार शासकीय आवास आबंटन की कार्यवाही की जा रही है।

<u>खनिज न्यास निधि से संबंधित</u>

[खनिज साधन]

54. (क्र. 275) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**कोंडागांव जिले अंतर्गत खनिज न्यास निधि से वर्ष 2023-24 से दिनांक 20 जून, 2025 तक प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदाय की गई है तथा उक्त अवधि में कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है, कार्य वार, राशिवार, वर्षवार जानकारी प्रदान करें? उक्त समस्त स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति शासकीय परिषद की बैठक के माध्यम से ली गई थी या नहीं? क्या उक्त कार्य अवधि में खनिज न्यास निधि के माध्यम से स्वीकृत कार्य के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** जिला-कोण्डागांव अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 20 जून, 2025 तक खनिज न्यास निधि की प्रति वर्ष कितनी राशि जारी की गई है एवं उक्त राशि को किन किन कार्यों में उपयोग किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदाय करें। **(ग)** जिला- कोण्डागांव अंतर्गत गौण खनिज के माध्यम से शासन द्वारा प्रति वर्ष कितनी आय अर्जित की जाती है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? वर्ष 2025-26 अंतर्गत खनिज न्यास निधि के माध्यम से जिला कोण्डागांव में कितनी राशि का आबंटन प्राप्त होना है ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रश्नांकित अवधि में जिला खनिज न्यास निधि में कुल 93 करोड़ 51 लाख रूपये प्राप्त हुये। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृत कार्यों की राशिवार, वर्षवार जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-अ''** अनुसार है। जी हां। समस्त स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति शासी परिषद की बैठक के माध्यम से ली गई है। जी नही। स्वीकृत कार्य के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है, अतः शेष प्रश्न उद्भूत नही होता।**(ख)** जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-अ''** अनुसार है।**(ग)** प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित अवधि में जिला-कोण्डागांव अंतर्गत गौण खनिज खदानों से शासन को प्राप्त राॅयल्टी की वर्षवार विकासखंडवार जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-ब''** अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2025-26(जून 2025 तक) में खनिज न्यास निधि

कोण्डागांव में राशि 12 करोड़ 75 लाख 63 हजार 251 रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ है, तथा आगामी राशि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अंतर्गत प्राप्त होना अपेक्षित है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नही होता।
[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

शराब दुकानों में मिलावट, ओवर रेट, स्टॉक कमी और आर्थिक अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतें

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

55. (क्र. 282) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में शराब में मिलावट, ओवर रेट, स्टॉक में कमी और प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा आर्थिक अनियमितताएं के कितने मामले जनवरी, 2024 से 19 जून, 2025 तक उजागर हुए हैं ? उक्त मामलों में कितने आबकारी अधिकारी और कितने प्लेसमेंट कर्मचारी दोषी पाए गए हैं ? दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई है ? जानकारी जिलावार बताएं ? **(ख)** महासमुंद जिले में पदस्थ आबकारी अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध किस-किस प्रकार की शिकायतें प्रश्नांश में उल्लेखित समयावधि के दौरान प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है? जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में शराब में मिलावट के 50 मामले, ओवर रेट के 237 मामले, स्टॉक में कमी के 07 मामले और प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा आर्थिक अनियमितताएं के 12 मामले जनवरी, 2024 से 19 जून, 2025 तक उजागर हुए है। उक्त मामलों में 461 प्लेसमेंट कर्मचारी दोषी पाए गए, जिन्हें काम से निकाल दिया गया है तथा भविष्य में किसी भी मदिरा दुकान में कार्य करने से वंचित कर दिया गया है तथा 18 आबकारी अधिकारी/कर्मचारियों को नियमानुसार ''कारण बताओ सूचना पत्र'' जारी किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित समयावधि (जनवरी, 2024 से 19 जून 2025 तक) के दौरान महासमुंद जिले में पदस्थ आबकारी अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कुल 06 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनकी जांच उपरांत शिकायतों की पुष्टि नहीं होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

राज्य के लोक कलाकारों के हित में संचालित योजनाओं

[संस्कृति]

56. (क्र. 283) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य में स्थानीय लोक कलाकारों को ग्रेड में बांटने के क्या मापदंड हैं ? लोक कलाकारों को कुल कितने ग्रेड में बांटा गया है ? लोक कलाकारों के उत्थान के लिए कौन-कौन सी योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं ? **(ख)** पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में लोक कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है ? कितने कलाकारों के कितने कार्यक्रम स्वीकृत किए गए है और उन्हे कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? क्या भुगतान लंबित है, यदि हां तो किन-किन लोक कलाकारों का कब से कितनी राशि का भुगतान लंबित है और कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ? विस्तार से जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) राज्य में स्थानीय लोक कलाकारों के ग्रेड में बांटने के मापदंड ''छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021'' के तहत **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** लोक कलाकारों को कुल 07 ग्रेड में बांटा गया है। लोक कलाकारों के उत्थान के लिए संचालित योजनाएं निम्न हैं:- 1. अर्थाभावग्रस्त साहित्यकार/कलाकार मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) 2. कलाकार कल्याण कोष (चिकित्सा अनुदान) 3. मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 4. अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना 5. संगीत की दुर्लभ शैलियां व वाद्यों हेतु आर्थिक सहायता 6.

चिन्हारी पोर्टल द्वारा आनलाईन पंजीयन सुविधा **(ख)** पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में लोक कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु 66.00 करोड़ बजट राशि प्राप्त हुई है। कुल 1512 कलादलों को 7861 सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वीकृत किये गये है और इस हेतु उन्हे 30,92,31,831/- रूपये का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से आज दिनांक तक कुल 790 कलादलों की राशि रूपये 11,92,55,597/- भुगतान लंबित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट से भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त होने के पश्चात भुगतान किये जायेंगे। विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ"]

राजस्व आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

57. (क्र. 290) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश में राजस्व आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितनी बजट राशि का प्रावधान है? उक्त राशि मे से आपदा या आपदा की आंशका की स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर राजनांदगांव से किन किन एवं कितने कार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है? प्रेषित प्रस्ताव में से कितने कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गयी है? स्वीकृत कार्यो की वर्षवार, राशिवार, कार्यवार, दिनांकवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : राजस्व आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपए 133.40 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में रुपये 140.00 करोड़ का बजट प्रावधान है। कलेक्टर राजनांदगांव से प्राप्त प्रस्ताव की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में दर्शाये अनुसार है। कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। कार्य स्वीकृत नहीं करने के कारण विस्तृत जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

जिला-राजनांदगांव राइस मिलों को प्रदत्त विद्युत कनेक्शन

[ऊर्जा]

58. (क्र. 291) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-राजनांदगांव जिले में व्यावसायिक/औद्योगिक उपयोग हेतु कितने राइस मिलों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है? 1 नवंबर 2024 से 20/06/2025 तक उक्त राइस मिलों में कितना विद्युत खपत किया गया एवं कितना भुगतान प्राप्त व लंबित है? राइसमिलवार, माहवार विद्युत खपत एवं भुगतान की जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : राजनांदगांव जिले में व्यवसायिक/औद्योगिक उपयोग हेतु 146 नग राईसमिलों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है। नवम्बर 2024 से दिनांक 20.06.2025 तक उक्त राईसमिलों में कुल 3,90,97,983 यूनिट विद्युत खपत किया गया है जिसके विरूद्ध कुल राशि रूपये 39.87 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ है तथा बकाया राशि कुल रूपये 0.24 करोड़ है। राईसमिलवार, माहवार विद्युत खपत एवं भुगतान से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

59. (क्र. 298) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलासपुर जिले अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल कहां-कहां संचालित हैं ?

विकासखण्डवार स्कूल के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें । **(ख)** मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजनांतर्गत बिलासपुर जिले में कुल कितने स्कूलों हेतु, कितनी-कितनी राशि के, कितने-कितने कार्य, विगत तीन वर्षों में स्वीकृत किए गए ? स्वीकृत कार्यों में कितने स्कूलों में मरम्मत / अतिरिक्त कक्ष निर्माण / जीर्णोद्धार कार्य कराया गया ? पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ कार्यों की जानकारी वर्षवार , विकासखण्डवार स्कूल के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें । **(ग)** प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता / गुणवात्ताहीन कार्य करने तथा राशि जारी करने में विलंब की शिकायतें कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी निम्नानुसार हैः-

शास.प्राथ. शाला	शास. पूर्व माध्यमिक शाला	शास. हाई स्कूल	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल
1113	518	104	123

संचालित शासकीय स्कूलों की सूची नाम सहित स्थलवार, विकासखण्डवारजानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है।**(ख)** वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कार्यो की विकासखण्डवार एवं वर्षवार स्कूल के नाम सहित जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ब अनुसार** है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यो की संख्या निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश क के स्वीकृत कार्यो में अनियमितता/गुणवत्ताहीन कार्य करने तथा राशि जारी करने में विलंब की शिकायत निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है।

बिलासपुर जिलान्तर्गत रोपणी की जानकारी

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

60. (क्र. 299) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलासपुर जिले के अंतर्गत कितनी रोपणी हैं ? विगत 3 वर्षों में किन-किन स्थलों में कितने-कितने रोपणी लगाए गए ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें । **(ख)** पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) एवं अन्य औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिए गए अनुदान आधार पर "मियावाकी पद्यति" से कितने प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, कितने प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं? वर्षवार , जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बिलासपुर जिले के अंतर्गत कुल 07 स्थाई तथा 11 अस्थाई कुल 18 रोपणियां है। विगत 3 वर्षों में लगाए गए रोपणियों का वर्षवार, स्थलवार **विवरण संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है।(ख)** पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) एवं अन्य औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिए गए अनुदान आधार पर ''मियावाकी पद्यति" से कुल 06 प्रोजेक्ट लगाए गए है तथा कुल 2 प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। वर्षवार, जिलेवार **विवरण संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

प्रदेश में युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी पर कृत कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

61. (क्र. 306) श्री इंद्र साव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश की शालाओं में युक्तियुक्तकरण नियम के तहत कितनी रिक्त शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना की गई है ? जिलेवार एवं वि.खं.वार जानकारी दें ? **(ख)** क्या प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण नियम के तहत अतिशेष शिक्षक मान कर इनकी पदस्थापना अन्य स्कूलों में की गई है ? यदि हां तो प्रदेश के कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं जहां पर पदस्थ अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना अन्य शालाओं में की गई है ? जिलेवार एवं विकासखंडवार जानकारी दें ? **(ग)** प्रदेश में युक्तियुक्तकरण नियम में

गड़बड़ी कर नियम विरूद्ध शिक्षकों की पदस्थापना करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कितने अधिकारियों के उपर नियम विरूद्ध पदस्थापना करने के आरोप में क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई ? जिलावार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हां, 09 शिकायत प्राप्त हुई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के सोसायटियों में डीएपी एवं यूरिया खाद की पूर्ति

[सहकारिता]

62. (क्र. 307) श्री इंद्र साव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र की सोसायटियों में, कितने पंजीकृत हितग्राही किसान हैं, जिनके द्वारा खाद्, बीज, डीएपी एवं यूरिया खाद की खरीदी सोसायटी से की जाती है? विकासखंडवार व सोसायटीवार, हितग्राही किसानों की संख्या बताएं? **(ख)** क्या पंजीकृत हितग्राही किसानों की खाद्, बीज, डीएपी, यूरिया खाद की मांग के अनुरूप सोसायटियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा चुका है ? यदि हां तो कितनी मात्रा में इसकी पूर्ति की गई है तथा क्या इसका वितरण मांग के अनुसार किसानों को किया गया है? **(ग)** सोसायटियों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले खाद, बीज, डीएपी एवं यूरिया खाद किस दर पर किसानों को दी जा रही है ? शासन द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य क्या है? **(घ)** दिनांक 20/06/2025 तक विधानसभा क्षेत्र भाटापारा के सोसायटी संचालकों द्वारा किसानों को खाद, बीज, डीएपी एवं यूरिया खाद की शॉर्टेज बता कर किसानों को वितरण नहीं किए जाने तथा शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर इनका विक्रय करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र की सोसायटियों में 23571 पंजीकृत हितग्राही किसान है, जिनके द्वारा खाद, बीज, डीएपी एवं यूरिया खाद की खरीदी सोसायटी से की जाती है। विकासखंडवार, सोसायटीवार हितग्राही किसानों की संख्या की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-अ** एवं **ब'** अनुसार है। **(ख)** पंजीकृत हितग्राही किसानों की खाद, बीज, डीएपी, यूरिया खाद की मांग के अनुरूप सोसायटियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद, बीज मांग एवं पूर्ति की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-अ** एवं **ब'** अनुसार है। **(ग)** सोसायटियों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले खाद, बीज, डीएपी एवं यूरिया खाद के निर्धारित विक्रय मूल्य की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-स** एवं **द'** अनुसार है। **(घ)** दिनांक 20.06.2025 तक विधानसभा क्षेत्र भाटापारा के सोसायटी संचालकों द्वारा किसानों को खाद, बीज, डीएपी एवं यूरिया खाद की शार्टेज बताकर किसानों को वितरण नहीं किये जाने तथा शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने की शिकायत संज्ञान में नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्वीकृत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

63. (क्र. 315) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुन्द जिला अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूल कहां-कहां संचालित हैं? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत महासमुन्द जिला में कुल कितने स्कूलों हेतु कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने कार्य विगत तीन वर्षों में

स्वीकृत की गई? स्वीकृत कार्यों से कितने स्कूलों में मरम्मत कार्य/अतिरिक्त कक्ष निर्माण/जीर्णोध्दार कार्य कराया गया? पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ सहित विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमितता, गुणवत्ताविहीन कार्य करने तथा राशि जारी करने में विलंब संबंधी कितनी शिकायतें कहां-कहां से प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) महासमुंद जिला अंतर्गत संचालित शालाओं की जानकारी निम्नानुसार हैः-

विकासखण्ड	प्राथमिक	माध्यमिक	हाई	हायर सेकेण्डरी
बागबाहरा	274	93	10	26
बसना	247	82	11	19
महासमुन्द	226	109	21	25
पिथौरा	282	119	10	30
सरायपाली	249	90	11	25

(ख) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 वर्ष में स्वीकृत कार्यो की विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यो की संख्या निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश ''क'' के संबंध में शिकायत निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर"]

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला महासमुंद में संचालित योजनाएं

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

64. (क्र. 317) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला महासमुन्द के अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में युवाओं के प्रोत्साहन के उद्देश्य से कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार विभाग द्वारा वर्ष 2022-2023 से 2025-2026 में 20 जून, 2025 तक कौन-कौन से मद से किस-किस योजना हेतु कितनी - कितनी राशि आबंटित की गई है? विवरण देवें? **(ग)** उक्त आबंटित राशि को किन-किन मदों में व्यय किया गया है? मदवार विवरण देवें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) , (ख) एवं **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

वि. ख. धरसींवा में ग्राम दतरेंगा के पास खारून नदी पर घाट निर्माण

[जल संसाधन]

65. (क्र. 325) श्री मोतीलाल साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या रायपुर जिले के विकासखंड धरसींवा की खारून नदी पर दतरेंगा के पास घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य प्रस्तावित किया गया है? उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति तथा प्रारंभ होने की समयावधि की जानकारी दें।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : जी हॉं, रायपुर जिले के विकासखंड धरसींवा की खारून नदी पर दतरेंगा के पास घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 15.03.2024 को राशि रू. 1119.97 की प्रदान की गई है। योजना कार्य की तकनीकी स्वीकृति उपरांत निविदा की कार्यवाही

प्रक्रियाधीन है। निर्माण कार्य निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् कार्यादेश जारी होने पर 15 महिनों (वर्षाऋतु सहित) में किया जायेगा।

रायपुर ग्रामीण वि.स. क्षेत्र में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मरों के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खुले होने से दुर्घटना

[ऊर्जा]

66. (क्र. 326) श्री मोतीलाल साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनेक स्थानों में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मरों के अधिकांश डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खुली अवस्था में हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है? क्या विभाग द्वारा इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यवाही की जाती है? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मई, 2025 तक कितनी दुर्घटना की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हॉ, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित विद्युुत ट्रांसफार्मरों के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के खुली अवस्था में होने की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर कार्यवाही की जाती है। 291 नग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खुली/खराब पाये गये है जिनमें से 138 नग बॉक्स को बदल/सुधार दिया गया है। शेष खराब बक्सों को बदलने/सुधार कार्य प्रगति पर है। **(ख)** प्रश्नांक (क) के प्रश्नाधीन अवधि में विद्युत दुर्घटना की प्राप्त शिकायतों की जानकारी निरंक है।

बालोद जिले में खनिजों के अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरूद्ध की गई कार्रवाई

[खनिज साधन]

67. (क्र. 329) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बालोद जिले में विगत 02 वर्षों में किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध रेत, मुरूम एवं अन्य खनिजों के अवैध खनन, अवैध भण्डारण एवं अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज किये गये हैं तथा कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से खनिज जब्त किये गये हैं? विवरण देवें? **(ख)** कण्डिका 'क' में दर्ज प्रकरणों में किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई है? किन-किन से कितना अर्थदण्ड/समझौता राशि वसूल की गयी? जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) एवं **(ख)** की जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर"]

संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि मद की भूमि पर अवैध प्लाटिंग

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

68. (क्र. 330) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 20 जून, 2025 तक की अवधि में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में किस खसरा के, कितने रकबे के कृषि मद की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों के द्वारा अवैध प्लाटिंग करने की शिकायत प्राप्त हुई है या मामला विभाग के संज्ञान में आया है तथा प्राप्त शिकायत या जानकारी पर विभाग द्वारा किन-किन के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है? जानकारी देवें ? **(ख)** संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार के न्यायालयों में किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध अवैध प्लाटिंग के प्रकरण प्रचलन में हैं? जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) विधानसभा क्षेत्र संजारी बालोद अंतर्गत 02 अनुभाग आता है।

प्रश्नाधीन अवधि में ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों, भूमि के खसरा, रकबा, कृषि मद अवैध प्लाटिंग एवं कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।अनुभाग गुरूर की जानकारी निरंक है।**(ख)**अवैध प्लाटिंग के प्रकरण के संबंध में जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर"]

प्रदेश में शिक्षकों एवं स्कूलों का युक्तियुक्तकरण

[स्कूल शिक्षा]

69. (क्र. 338) श्री भोलाराम साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कितने शिक्षकों एवं स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया है ? जिलेवार, जानकारी देवें? **(ख)** क्या युक्तियुक्तकरण के दौरान शिक्षकों को दावा-आपत्ति का समय दिया गया था ? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** युक्तियुक्तकरण के दौरान कितने स्कूलों को बंद किया गया है ? वहॉ पर कार्यरत रसोईया, स्वीपर एवं भृत्य की पदस्थापना अन्यत्र की गई है अथवा नहीं ? **(घ)** प्रदेश में कितने शास.प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में शिक्षक के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना कब तक की जावेगी ? रिक्त पदों की जानकारी पृथक-पृथक जिलेवार देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। युक्तियुक्तकरण हेतु जारी दिशा-निर्देश 2024-25 के अनुसार कार्यवाही की गई है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर"]

प्रदेश के विद्युत सब स्टेशनों का संचालन

[ऊर्जा]

70. (क्र. 345) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितनी-कितनी क्षमता के कुल कितने विद्युत सब स्टेशन संचालन में हैं? जिलेवार बतावें? संचालन का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है अथवा निजी क्षेत्र की एजेन्सी द्वारा? **(ख)** निजी एजेन्सी को सब स्टेशन संचालन का कार्य किस प्रक्रिया के तहत कितने दिनों हेतु किन शर्तो पर दिया जाता है? क्या निजी एजेन्सी की अर्हता विभाग द्वारा नियत की जाती है ? **(ग)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रदेश के सब स्टेशन संचालन हेतु कब-कब निविदा जारी की गई? निविदाकार कौन-कौन थे? कितने निविदाकारों द्वारा लेबर लायसेन्स हेतु पंजीयन नहीं कराया गया था? **(घ)** उपरोक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितनी राशि भुगतान की गई? कितनी राशि भुगतान किया जाना शेष है? क्यों शेष है ? सम्पूर्ण जानकारी बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में स्थापित विद्युत सबस्टेशनों की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। विद्युत सबस्टेशनों का संचालन कार्य विभाग एवं निजी क्षेत्रों की एजेंसी दोनों के द्वारा किया जाता है। **(ख)** निजी एजेंसी को सबस्टेशन संचालन का कार्य खुली ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया के तहत् सामान्यतः 3 वर्षों हेतु दिया जाता है, जिसमें 06 माहों की अवधि विस्तार कार्य का प्रावधान होता है। जी हॉ, उक्त निविदाओं में निजी एजेंसी की अर्हताओं का निर्धारण संबंधित पॉवर कंपनी के द्वारा किया जाता है। उक्त निविदाओं में निहित अर्हताए **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार** हैं।

(ग) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रदेश के सबस्टेशन संचालन हेतु जारी निविदा एवं निविदाकारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -'ई' अनुसार** है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी 01 निविदा के तहत 03 निविदाकारों द्वारा लेबर लायसेंस हेतु पंजीयन नहीं कराया गया है, तथा श्रम कार्यालय रायपुर के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रत्येक उपकेन्द्र में 12 कर्मचारी/श्रमिक नियोजित करने के कारण, श्रमिक अधिनियम-1970 की धारा-12 नियम 21 के अनुसार अनुज्ञप्ति दिया जाना प्रावधानित नहीं है, अतः ट्रांसमिशन कंपनी के निविदाओं अंतर्गत लेबर लाईसेंस संबंधी अर्हता नहीं है। **(घ)** सबस्टेशनों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई राशि एवं भुगतान हेतु शेष राशि निम्नानुसार है:-

कंपनी का नाम	**भुगतान विवरण**	**वित्तीय वर्ष**	
		2024-25	**2025-26**
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भुगतान की गई राशि	32.55 करोड़	3.44 करोड़
	भुगतान हेतु शेष राशि	2.49 लाख	2.94 करोड
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	भुगतान की गई राशि	90.50 करोड़	18.16 करोड़
	भुगतान हेतु शेष राशि	निरंक	21.12 लाख

भुगतान शेष रहने का कारण निजी एजेंसी द्वारा भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत नहीं करना है।

जिला जांजगीर-चांपा में शिक्षक युक्तियुक्तकरण

[स्कूल शिक्षा]

71. (क्र. 346) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिला में शिक्षक पदस्थापना के लिए वर्तमान में कौन सा सेटअप लागू है तथा इसके अनुसार शिक्षक पदस्थापना के क्या नियम हैं? क्या युक्तियुक्तकरण में इस सेटअप अनुसार शिक्षक पदस्थापना की गई है? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** शिक्षक पदस्थापना सेटअप का निर्धारण किस प्रकार होता है? क्या राजपत्र में संशोधन कर पूर्व माध्यमिक शालाओं में विषय बंधन समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या युक्तियुक्तकरण में इसका पालन किया गया है? यदि नहीं तो क्या राजपत्र के उल्लंघन के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे? **(ग)** युक्तियुक्तकरण के पश्चात जांजगीर-चांपा जिला के कितने पूर्व माध्यमिक शालाओं में नियमानुसार 1+3 शिक्षक पदस्थ कर दिये गये हैं तथा कितने पूर्व माध्यमिक शालाओं में इससे कम शिक्षक हैं? शालावार जानकारी प्रदान करें? युक्तियुक्तकरण के बाद कितने पूर्व माध्यमिक शालाओं में पद रिक्त हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जांजगीर-जांपा जिला में शिक्षक पदस्थापना के लिए वर्तमान में 2008 का सेट-अप लागू है तथा **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। जी नही। युक्तियुक्तकरण निर्देश दिनांक 02.08.2024 के अनुसार कार्यवाही की गई है। **(ख)** रचनाक्रम निर्धारण सामान्यतः दर्ज संख्या को आधार मानकर किया जाता है।युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 02.08.2025 के निर्देश अनुसार किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित

नहीं होता। **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब"** अनुसार है। युक्तियुक्तकरण पश्चात 30 शालाएं है जिसमें 1+3 शिक्षक पदस्थ नहीं, जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स"** अनुसार है।

जिला-बस्तर में रेत खदानों से प्राप्त रायल्टी

[खनिज साधन]

72. (क्र. 353) श्री बघेल लखेश्वर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-बस्तर में इस समय कहॉं-कहॉं वैध रेत की खदानें उत्खनन क्षेत्र हैं और कहॉं-कहॉं अवैध उत्खनन होने की जानकारी है? **(ख)** वैध खदानों से वर्ष 2022 से दिनांक 20-06-2025 तक प्राप्त रायल्टी की राशि के संबंध में वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** जिला-बस्तर के अवैध रेत खदानों/उत्खनन क्षेत्र के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में वर्ष 2023-24 से 20-06-2025 तक की स्थिति बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला बस्तर मे वर्तमान में 02 रेत खदाने ग्राम बजावण्ड में स्वीकृत है। बस्तर जिले में ग्राम पंचायत बनियागांव, तारापुर, कलचा, भोण्ड एवं बड़े आमाबाल क्षेत्र में खनिज रेत अवैध उत्खनन होने की जानकारी प्राप्त हुई है।**(ख)** वर्ष 2022 से दिनांक 20.06.2025 तक तत्समय स्वीकृत 11 वैध खदानों से प्राप्त रायल्टी की राशि की वर्षवार जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-अ''** अनुसार है।**(ग)** जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर"]

वनीय भूमि में हुये अतिक्रमण शिकायतों पर की गई कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

73. (क्र. 354) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के वनीय भूमि का अतिक्रमण करने के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये व अतिक्रमण करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? वर्ष 2022-23 से 20-06-2025 तक की स्थिति जिलेवार बतायें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में अतिक्रमण के प्रकरणों पर की गई कार्यवाही के संबंध में बतावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बस्तर संभागातंर्गत जिलों में वर्ष 2022-23 से 20.06.2025 तक के वनीय भूमि का अतिक्रमण के 344 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये एवं वर्ष 2022-23 से 20.06.2025 तक वनीय भूमि में अतिक्रमण करने की कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई है। **संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80ए के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर 113 प्रकरणों में वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्यासी"]

बीजापुर जिले में युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

74. (क्र. 361) श्री विक्रम मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बीजापुर जिला के अन्तर्गत युक्तियुक्तकरण के अन्तर्गत क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा क्या-क्या कार्यवाही प्रचलित है? विस्तृत विवरण दीजिए? **(ख)** युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शालाओं, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की संख्या कितनी-कितनी है ? विकासखण्डवार बताइए?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बीजापुर जिला के अंतर्गत युक्तियुक्तकरण की सभी कार्यवाहियां पूर्ण हो चुकी है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी"]

बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में रेत उत्खनन से प्राप्त राजस्व

[खनिज साधन]

75. (क्र. 362) श्री विक्रम मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बीजापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मार्च, 2021 से मार्च, 2025 तक रेत उत्खनन हेतु कहां-कहां कितनी अवधि के लिए किन को, किस-किस दर पर रेत उत्खनन एवं भण्डारण हेतु अनुमति प्रदान की गई है? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के तहत् प्रदत्त अनुमति से रेत उत्खनन एवं भण्डारण से कुल कितनी रॉयल्टी प्राप्त हुई? वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या प्रश्नांश 'क' के क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान अवैध उत्खनन एवं अवैध भण्डारण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा अवैध उत्खनन करने वाले ठेकेदारों पर कितनी राशि का जुर्माना किया गया है तथा जुर्माने की कितनी राशि वसूली की गई है ? वर्षवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बीजापुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मार्च, 2021 से मार्च, 2025 तक रेत उत्खनन हेतु 04 उत्खननपट्टे 110 रूपये प्रति घनमीटर सिलिंग प्राईज की दर से तथा रेत भण्डारण हेतु 04 अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गये हैं। भण्डारण अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु कोई दर निर्धारित नहीं होता है । वर्षवार जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-अ''** अनुसार है।**(ख)** प्रश्नांश 'क' के तहत संचालित रेत खदानो से वर्ष 2023-24 में 2 लाख 85 हजार तथा वर्ष 2024-25 में 4 लाख 95 हजार कुल 7 लाख 80 हजार रायल्टी राषि खनिज मद में जमा किया गया है, अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति से रायल्टी राशि प्राप्त नहीं होती है।**(ग)** प्रश्नांश 'क' के क्षेत्र में प्रष्नाधीन अवधि में अवैध उत्खनन एवं अवैध भण्डारण की प्राप्त शिकायत की जानकारी निरंक है। खनिज अमले द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान बीजापुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रश्नाधीन अवधि में रेत के अवैध उत्खनन के 05 प्रकरण दर्ज कर कुल 9 लाख 65 हजार 4 सौ 54 रूपये समझौता राषि वसूल किया गया है । वर्षवार जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन विद्यालय

[स्कूल शिक्षा]

76. (क्र. 370) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन कौन से विद्यालय भवनविहीन हैं? कृपया ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** भवनविहीन विद्यालयों के लिए भवन की स्वीकृति कब तक कर दी जाएगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) विधानसभा क्षेत्र अभनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरभट्टी में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोरभट्टी एवं ग्राम पंचायत तर्रा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तर्रा भवन विहीन है। **(ख)** निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नही है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि के विक्रय के लिए प्रदत्त अनुमति

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

77. (क्र. 371) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के क्या नियम एवं

शर्तें हैं? **(ख)** रायपुर जिला अंतर्गत जनवरी 2021 से मई, 2025 के मध्य किन-किन हल्का में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान की गई है? कृपया वर्षवार, हल्कावार, खसरा एवं रकबा की जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि के विक्रय करने की अनुमति का प्रावधान है।**(ख)** वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की जानकारी **प्रपत्र में संलग्न** है। वर्ष 2020-21, 2023-24 एवं 2024-25 (माह 2025 तक) में किसी भी प्रकरण में अनुमति नहीं दी गई है ।
[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी"]

महासमुंद जिला में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अशासकीय संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई राशि

[स्कूल शिक्षा]

78. (क्र. 379) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिला अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किन-किन अशासकीय संस्थाओं को जनवरी, 2024 से 30 मई, 2025 तक कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गई है? वर्षवार/संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार कितनी राशि किन कार्यों में व्यय की गई और कितनी शेष है? कितनी राशि उपलब्ध कराया जाना शेष है व क्यों, संस्थावार,वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार किन-किन संस्थाओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई? क्या उन शिकायतों की जांच की गई? यदी हां, तो निष्कर्ष क्या थे तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) महासमुंद जिला अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी अशासकीय शालाओं को जनवरी 2024 से 30 मई 2025 तक किसी भी प्रकार की राशि किसी भी कार्यों हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

वन विभाग के सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निर्माण कार्य की अनुमति

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

79. (क्र. 380) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला महासमुंद अंतर्गत वनाचलों में सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जो कि वन भूमि क्षेत्र के रूप में दर्ज है, जहां आबादी निवास करती है, क्या ऐसे वन क्षेत्रों की भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनों में जैसे सड़क , खेल मैदान, आवासी कालोनी, शमशान, अस्पताल आदि बनवाने के लिए राजस्व मद में दर्ज किये जाने अथवा स्थानीय निकायों को सौंपने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो जानकारी प्रदान करें? यदि नहीं तो ऐसे वन भूमि में निर्माण कार्यों के लिए सरकार की योजना क्या है, बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्न में संदर्भित वन भूमि पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं, यह केंद्र सरकार का कानून है एवं राज्य में वन विभाग के द्वारा प्रशासित है। केंद्र सरकार के कानून एवं वन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक होने की दशा में कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं है।

आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने संबंधी

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

80. (क्र. 385) श्री ओंकार साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी जिले के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किन-किन ग्रामों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अपनी कृषि भूमि गैर-आदिवासी व्यक्तियों को विक्रय की गई है? विक्रेता/क्रेता का नाम, पिता का नाम, ग्राम, खसरा नंबर, रकबा, विक्रय दिनांक, पंजीयन नंबर की जानकारी दें? **(ख)** वि. स. बजट सत्र 2025 में अतारांकित प्रश्न संख्या 72 (क्रमांक 2496) दिनांक 21 मार्च ,2025 में जो सूची दी गई है, उक्त आदिवासियों के पास भूमि बेचने के पश्चात सिंचित भूमि का 5 एकड़ तथा असिंचित 10 एकड़ किसके-किसके पास है तथा धारा 165(2)**(क)** के उल्लंघन की कितनी शिकायतें शासन को विगत 3 वर्षों में प्राप्त हुई हैं? कृपया विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क)धमतरी जिले अंतर्गत विगत 03 वर्षों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अपनी कृषि भूमि गैर आदिवासी व्यक्तियों को विकय की गई है ग्राम का नाम, विक्रेता/क्रेता का नाम, पिता का नाम, ख.नं., रकबा, विक्रय दिनांक, पंजीयन नंबर कीवर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** विधानसभा बजट सत्र 2025 में अतारांकित प्रश्न संख्या 72(क्रमांक 2496) दिनांक 21 मार्च 2025 में जो सूची दी गई थी उक्त आदिवासियों (विक्रेता) के पास भूमि बेचने पश्चात शेष बचत भूमि (सिंचित भूमि का 05 एकड़ तथा असिंचित 10 एकड़) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।। धारा 165 (2)(क) के उल्लंघन की शिकायते विगत 03 तीन वर्षों में जिला कार्यालय, धमतरी को प्राप्त नहीं हुइ है। जानकारी निरंक है।

आबकारी विभाग द्वारा एफ.एल. 10 (ए) लायसेंस जारी करने की नीति में परिवर्तन

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

81. (क्र. 390) श्री संदीप साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-दिसंबर, 2023 के बाद आबकारी विभाग द्वारा किन-किन फर्मों/कंपनियों को एफ.एल. 10 (ए) लायसेंस जारी किये गये हैं ? क्या शासन द्वारा पूर्व में जारी निविदा शर्तों में कोई बदलाव किया गया था ? एफ.एल. 10 (ए) लायसेंस जारी करने की नीति में कब और किन कारणों से परिवर्तन किये गये हैं? कृपया जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : दिसंबर, 2023 के बाद आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फर्मों/कंपनियों को जारी किये गये एफ.एल. 10 (ए) लायसेंस की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एफ.एल.10(ए) लायसेंस दिये जाने हेतु जारी दिशा निर्देश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में में निम्नानुसार बदलाव किया गया है :-

क्र.	एफ.एल.10(ए) लायसेंस दिये जाने हेतु जारी दिशा निर्देश में बदलाव का विवरण	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	2	3
1	50,00,000/- लायसेंस फीस प्रति गोदाम	20,00,000/- लायसेंस फीस प्रति गोदाम
2	2,00,00,000/- बैंक गारंटी	1,00,00,000/- बैंक गारंटी
3	एफ.एल.-10क अनुज्ञप्ति के नवीन आवेदन के लिए आवेदक को न्यूनतम ऐसे 05 विनिर्माता इकाईयों का सहमति पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा जिनके द्वारा विगत 02 वर्षों से किसी एफ.एल.-10क	एफ.एल.-10क अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को न्यूनतम 05 विनिर्माता इकाईयों को दोनो पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र स्टॉम्प पेपर पर संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। संबंधित 05 विनिर्माता इकाईयों के संचालन एवं उत्पादन

	अनुज्ञप्तिधारक के माध्यम से छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को मदिरा का प्रदाय किया गया हो। इस संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।	(Production) की सत्यापित जानकारी शपथ पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। एक सप्लायर/निर्माता एक एफ.एल.-10क अनुज्ञप्तिधारक के अधीन ही मदिरा का प्रदाय कर सकता है, जो कि वित्तीय वर्ष की सम्पूर्ण अवधि तक परिवर्तन नही किया जा सकेगा। प्रत्येक संलग्न कंपनी को अपने ब्राण्ड/लेवलों का पंजीकरण/नवीनीकरण कार्यालय आबकारी आयुक्त में एफ.एल.10क आवेदन के पूर्व कराया जाना अनिवार्य होगा।
4	छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं एफ.एल.-9क के अधीन निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) भंडारण एवं प्रदाय (एफ.एल.-10-क) तथा राज्य में एफ.एल.-9 अनुज्ञप्ति के तहत बॉटलिंग की गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) भंडारण एवं प्रदाय (एफ.एल.-10-ख) अनुज्ञप्ति हेतु संबंधित आवेदक द्वारा उपरोक्त कण्डिका 2 अनुसार इस हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति की ओर से, संलग्न प्रारूप-दो में 100/- मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर पर विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के विनिर्माता कंपनी का सहमति पत्र से संबंधित नोटराईज्ड शपथ पत्र को मूलतः संलग्न किया जाये।	एफ.एल.-10क तथा एफ.एल.-10ख अनुज्ञप्ति हेतु संबंधित आवेदक द्वारा उपरोक्त कण्डिका (ii) अनुसार इस हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति की ओर से, संलग्न प्रारूप-दो में 100/- मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर पर विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के विनिर्माता कंपनी का सहमति पत्र से संबंधित नोटराईज्ड शपथ पत्र को मूलतः संलग्न किया जाये।
5	मद्य भाण्डागार (गोदामों) में भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड से अनुमति प्राप्त कर, कर सकेगा।	एफ.एल.-10**(क)** तथा एफ.एल.-10**(ख)** अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत विदेशी मदिरा के छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदामों में भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड से स्टॉकिंग आर्डर प्राप्त कर, कर सकेगा।

एफ.एल. 10 (ए) लायसेंस जारी करने की नीति में दिनांक 19 जून, 2024 आबकारी नीति 2024-25 के संबंध में विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भण्डारण हेतु वर्तमान में प्रचलित एफ.एल.10 (क/ख) अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। एफ. एल. 10 (ए) लायसेंस जारी करने की नीति में परिवर्तन राजस्व हित को दृष्टिगत् रखते हुए किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी"]

रायपुर वन वृत्त के अंतर्गत एन.पी.व्ही. मद एवं राज्य प्राधिकरण मद से कराए गए कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

82. (क्र. 391) श्री संदीप साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर, बलौदा बाजार एवं महासमुंद वन मंडल के अंतर्गत 01/04/2022 से 31/03/2025 की स्थिति में एन.पी.व्ही. मद एवं राज्य प्राधिकरण मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? कितने कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विकासखंडवार, वनमंडल व वन परिक्षेत्रवार, वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार कार्यों के एवज में विभाग द्वारा किस माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई है? निविदा में चयनित होने वाले

फर्म/एजेंसी का नाम एवं पता सहित वर्षवार जानकारी देवें? कार्यों के प्रारंभ एवं पूर्णता की अद्यतन जानकारी विकासखंडवार, वनमंडल व वन परिक्षेत्रवार बतावें? **(ग)** क्या एन.पी.व्ही. मद एवं राज्य प्राधिकरण मद से किसी प्रकार की सामग्री क्रय की गई है? यदि हां, तो क्रय की गई सामग्री का नाम एवं मात्रा तथा क्रय का माध्यम निविदा, कोटेशन, सी.एस.आई.डी.सी. या अन्य तरीके से की गई है, तो सामग्री, मात्रा, राशि, फर्म/एजेंसी का नाम सहित जानकारी विकासखंडवार, वनमंडल व वन परिक्षेत्रवार देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रायपुर, बलौदाबाजार एवं महासमुंद वनमंडल के अंतर्गत 01/04/2022 से 31/03/2025 की स्थिति में एन.पी.व्ही. मद से प्राप्त राशि एवं कार्यों में किये गये व्यय की विकासखंडवार, वनमंडल व वनपरिक्षेत्रवार, वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है।** "राज्य प्राधिकरण मद" के नाम से कोई मद निर्धारित नहीं है।**(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब " अनुसार है।(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-स " अनुसार है।**

बस्तर जिले में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

83. (क्र. 394) श्री किरण देव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर जिला अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूल कहां-कहां संचालित हैं? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत बस्तर जिला में कुल कितने स्कुलों हेतु कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने कार्य विगत तीन वर्षो में स्वीकृत किए गए? स्वीकृत कार्यो से कितने स्कूलों में मरम्मत कार्य/अतिरिक्त कक्ष निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य कराया गया? पूर्ण अपूर्ण, अप्रारंभ की जानकारी विकासखंडवार वर्षवार उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यो में अनियमितता, गुणवत्ताहीन कार्य करने तथा राशि जारी करने में विलंब संबंधी कितनी शिकायतें कहां-कहां से प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बस्तर जिला अंतर्गत संचालित शालाओं की जानकारी विकासखण्डवार निम्नानुसार हैः-

विकासखण्ड	शास. प्राथ.शाला	शास. पूर्व माध्य. शाला	शास. हाई स्कूल	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल
बकावण्ड	260	119	18	15
बास्तानार	153	52	8	6
बस्तर	348	142	20	31
दरभा	147	43	4	10
तोकापाल	180	63	8	8
जगदलपुर	208	123	8	27
लोहण्डीगुड़ा	230	88	7	7

(ख) वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कार्यो की विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यो की संख्या निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश ''क'' के संबंध में शिकायत निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी"]

आटोमेटिक नामांतरण प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया संबंधी

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

84. (क्र. 395) श्री किरण देव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों में ऑटोमेटिक नामांतरण प्रणाली लागू है? यदि हां तो कब से? यदि नहीं तो

कितने जिलों के किन-किन तहसीलों में लागू है? **(ख)** नयी नामांतरण प्रक्रिया में फर्जी रजिस्ट्री या त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्री के नामांतरण की स्थिति में सुधार हेतु क्या प्रक्रिया होगी? **(ग)** पूर्व के फर्जी रजिस्ट्री एवं विवादित रजिस्ट्री के नामांतरण की प्रक्रिया के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राजय में ऑटोमेटिक(स्वतः) नामांतरण प्रणाली दिनांक 03.03.2025 से लागू है। (**ख) प्रश्नांक ख के संदर्भ में जानकारी एकत्र की जा रही है। (ग)** स्वतः नामांतरण प्रणाली लागू होने के पूर्व प्रचलित नामांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109-110 के तहत भूईयां सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार में प्रकरण दर्ज किया गया है। तत्पश्चात् ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑनलाइन नामांतरण प्रक्रिया में हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी कर दावा/आपत्ति आमंत्रित की जाती है। यदि कोई रजिस्ट्री में दावा/आपत्ति प्राप्त होती है तो उसे विवादित प्रकरण मानते हुए ई-कोर्ट में स्थानांतरित कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया जाता है। नामांतरण प्रक्रिया से व्यथित हितबद्ध पक्षकार हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-44 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील का प्रावधान है।

<u>विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार के स्कूलों का युक्तियुक्तकरण</u>

[स्कूल शिक्षा]

85. (क्र. 402) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार क्षेत्रांर्गत कुल कितने स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के तहत मर्ज किया गया है? क्या सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है? पद सेटअप या दर्ज संख्या के अनुसार यदि नहीं तो कितने स्कूल एकल शिक्षकीय या शिक्षकविहीन हैं? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** स्कूलों का युक्तियुक्तकरण एवं शिक्षक पदस्थापना में कुल कितनी आपत्तियां/शिकायत का प्राप्त हुई थी? क्या प्राप्त आपत्तियों/शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है या लंबित हैं? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है । **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी"]

<u>कोरबा जिला के धार्मिक एवं पर्यटन केन्द्र</u>

[पर्यटन]

86. (क्र. 405) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोरबा जिला में कुल कितने धार्मिक एवं पर्यटन केन्द्र स्थित हैं? पर्यटन को बढावा देने हेतु शासन के द्वारा क्या-क्या कार्य किया जा रहा है? जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या कोरबा जिला में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जा रही है? यदि हां तो कार्य सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? यदि नहीं तो क्यों जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) (1)छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा कोरबा जिले में कुल **7** पर्यटन स्थल चिन्हांकित हैं**,** जिसमें से **03** धार्मिक श्रेणी के पर्यटन स्थल एवं **04** अन्य पर्यटन स्थल है। चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची **संलग्न प्रपत्र-अ** में दर्शित है । (2)पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कराये जा रहे कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** में दर्शित है । **(ख)** जी हां । छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा सतरेंगा में संचालित

किये जा रहे पर्यटक रिसॉर्ट एवं बोट क्लब के संचालन में कुल **18** कर्मचारियों में से **16** स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। विवरण **संलग्न प्रपत्र-स** में दर्शित है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियासी"]

फरहदाखार, जिला-बिलासपुर में वन विभाग द्वारा किये गये कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

87. (क्र. 417) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** फरहदाखार, जिला-बिलासपुर में वन विभाग की कितनी भूमि आरक्षित है? उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? **(ख)** विगत 05 वर्षो में वन विभाग द्वारा फरहदाखार में किये गये कार्य, योजना, मद एवं राशि का विवरण क्या है? **(ग)** क्या फरहदाखार के आरक्षित वन भूमि में अतिक्रमण हुआ है? अगर अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमित क्षेत्र का विवरण क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :(क) बिलासपुर जिले के फरहदाखार में वन विभाग की भूमि आरक्षित नहीं है। बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत वनखण्ड फदहाखार कक्ष क्रमांक आर.एफ. 01 रकबा 304.728 हेक्टेयर भूमि आरक्षित वन है। उक्त भूमि पर योजनावार क्रियान्वित कार्यों का **विवरण संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है।(ख)**विगत 05 वर्षों में वन विभाग द्वारा फदहाखार में किए गए कार्य, योजना, मद एवं राशि का **विवरण संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है।(ग)** जी हां, वनखण्ड फदहाखार कक्ष क्र. आर.एफ. 01 में आरक्षित वन भूमि में अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमित क्षेत्र का रकबा 15.037 हेक्टेयर है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तासी"]

पचरीघाट एवं शिवघाट में बैराज निर्माण में विलंब होने पर कार्यवाही

[जल संसाधन]

88. (क्र. 418) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अरपा नदी, बिलासपुर में पचरीघाट एवं शिवघाट में बैराज का निर्माण कब तक पूर्ण किया जाना अनुबंधित था? अनुबंधित समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर कब-कब समयावधि में वृध्दि की गई है? समयावधि में बैराज निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले फर्म एवं ठेकेदार कौन हैं? **(ख)** अनुबंधित समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर निर्माणकर्ता फर्म एवं ठेकेदार पर क्या पेनाल्टी अथवा अन्य कार्यवाही की गई है? अगर की गई है तो कब और क्या कार्यवाही गई है? अगर नहीं की गई है तो किन कारणों से नहीं की गई है? **(ग)** पचरीघाट एवं शिवघाट बैराज निर्माण के कार्य प्रारंभ में कितनी लागत राशि की स्वीकृति थी और वर्तमान में कितनी लागत राशि हो गई है? **(घ)** पचरीघाट एवं शिवघाट निर्माण कर्ता फर्म एवं ठेकेदार द्वारा विगत 5 वर्षो में छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से निर्माण कार्य की निविदा प्राप्त की गयी है? कौन-कौन से निर्माण कार्य अनुबंधित समय में पूर्ण किये गये और कौन-कौन से कार्यों में समय अवधि की वृध्दि हुई है? उक्त कार्यों के नाम, राशि, कार्य पूर्ण करने का अनुबंधित समय, कार्य प्रारंभ एवं कार्य पूर्ण करने का दिनांक तथा वर्तमान में प्रगतिरत कार्य की भौतिक स्थिति की जिलेवार जानकारी क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) अरपा नदी, बिलासपुर में पचरीघाट बैराज का अनुबंध के अनुसार निर्माण 13.01.2023 तक पूर्ण किया जाना था एवं शिवघाट बैराज का अनुबंध के अनुसार निर्माण 13.01.2023 तक पूर्ण किया जाना था। अनुबंधित समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर निम्नानुसार समयावृद्धि प्रदान की गई—

	पचरीघाट बैराज	शिवघाट बैराज
प्रथम समयावृद्धि	कार्यालयीन पत्र क्र. सा-1-50 का 2020/450 दिनांक 30.6.2023	कार्यालयीन पत्र क्र. सा-1-51 का 2020/452 दिनांक 30.6.2023
द्वितीय समयावृद्धि	कार्यालयीन पत्र क्र. सा-1-50 का 2020/2324 दिनांक 31.10.2023	कार्यालयीन पत्र क्र. सा-1-51 का 2020/2322 दिनांक 31.10.2023
तृतीय समयावृद्धि	कार्यालयीन पत्र क्र. सा-1-50 का 2020/2602 दिनांक 31.3.2024	कार्यालयीन पत्र क्र. सा-1-51 का 2020/2619 दिनांक 31.3.2024
चतुर्थ समयावृद्धि	कार्यालयीन पत्र क्र. सा-1-50 का 2020/757 दिनांक 31.12.2024	कार्यालयीन पत्र क्र. सा-1-51 का 2020/755 दिनांक 31.12.2024
पंचम समयावृद्धि	कार्यालयीन पत्र क्र. सा-1-50 का 2020/22 दिनांक 30.6.2025	कार्यालयीन पत्र क्र. सा-1-51 का 2020/20 दिनांक 30.6.2025

समयावधि में बैराज निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले फर्म एवं ठेकेदार सुनील कुमार अग्रवाल "अ" वर्ग ठेकेदार, सेवा कुंज रोड, गर्ल्स कॉलेज के पास, रायगढ़ (छ.ग.) है। **(ख)** पचरीघाट बैराज एवं शिवघाट बैराज के अनुबंध के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मजदूरों की कमी एवं निर्माण सामग्री की पूर्ति प्रभावित रही एवं कार्य के स्कोप तथा लागत में वृद्धि होने के कारण अधिक समय लगा तथा समय पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अनुबंधित समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर निर्माणकर्ता फर्म एवं ठेकेदार को विभागीय नियमावली के अनुसार समयावृद्धि अनुबंध की कंडिका 4:3:5:1 के अनुसार बिना पेनाल्टी के प्रदान की गई। **(ग)** पचरीघाट बैराज के निर्माण हेतु रू. 4897.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 04.08.2020 को प्राप्त हुई, शिवघाट बैराज के निर्माण हेतु रू. 4913.24 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 07.07.2020 को प्राप्त हुई। वर्तमान में शिवघाट बैराज के निर्माण हेतु राशि रू. 6066.40 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 27/02/2025 को प्राप्त है, एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है। पचरीघाट बैराज के निर्माण हेतु राशि रू. 6639.87 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण स्वीकृति हेतु अपेक्षित है। **(घ)** पचरीघाट एवं शिवघाट निर्माण कर्ता फर्म एवं ठेकेदार द्वारा विगत 5 वर्षो में छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य की प्राप्त की गयी निविदा, निर्माण कार्य अनुबंधित समय में पूर्ण किये गये, कार्यों में समय अवधि की वृध्दि हुई है तथा कार्यों के नाम, राशि, कार्य पूर्ण करने का अनुबंधित समय, कार्य प्रारंभ एवं कार्य पूर्ण करने का दिनांक तथा वर्तमान में प्रगतिरत कार्य की भौतिक स्थिति की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठासी"]

जांजगीर चांपा जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण

[स्कूल शिक्षा]

89. (क्र. 420) श्री ब्यास कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक युक्तियुक्तकरण के लिए विकासखंड, जिला एवं संभाग स्तर पर गठित समितियों में किन-किन स्तर के अधिकारियों को सदस्य एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को क्या-क्या दायित्व सौंपा गया है? क्या जिला कलेक्टर को युक्तियुक्तकरण में कोई विशेषाधिकार प्राप्त है? **(ख)** सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय तथा कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा को जिले में युक्तियुक्तकरण में अनियमितता, पारदर्शिता नहीं बरतने, नियमों के उल्लंघन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही हुई? कितने अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या युक्तियुक्तकरण में जांजगीर-चांपा जिले में रिक्त पद उपलब्ध होते हुए भी अतिशेष शिक्षकों को जिले में पदस्थापना नही देने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां तो कार्यवाही कब तक करेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 02/08/2024 के द्वारा शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण निर्देश की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है।शेषांश प्रश्न उपस्थित नही होता। **(ख)** 01 शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए आयुक्त बिलासपुर संभाग द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बम्हनीडीह को निलंबित किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता **(ग)** जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति द्वारा युक्तियुक्तकरण हेतु प्राप्त निर्देश अनुसार कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य में भारत के संविधान में उपबंधित अनुच्छेद 16(4) क एवं सपठित अनुच्छेद 335 के परिपालन की नीति

[सामान्य प्रशासन]

90. (क्र. 422) श्री जनक ध्रुव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या राज्य में भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों को पदोन्नति के पदों में प्रतिनिधित्व (आरक्षण) सुनिश्चित कराने वाली प्रावधान अनुच्छेद 16(4-A) एवं सपठित अनुच्छेद 335 के परिपालन में नीतियां बनी हैं? यदि हां तो जानकारी देंगे? और यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक बनेगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी हाँ । भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4-A) एवं सहपठित अनुच्छेद 335 के परिपालन में **छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003** बनाया गया है, उक्त नियम के संबंध में जारी **अधिसूचना दिनांक 26.11.2012** द्वारा किए गए प्रावधान अनुसार, पदोन्नति में **अनुसूचित जाति वर्ग को 12%** एवं **अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32%**आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तत्संबंधी जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **''प्रपत्र''** अनुसार है।प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधानसभा लैलूंगा अंतर्गत खम्हार पाकुट जलाशय के जीरो माइनर केनाल में अनियमितता की जाँच

[जल संसाधन]

91. (क्र. 429) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत खम्हार पाकुट जलाशय के जीरो माइनर केनाल में कंक्रीट लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है ? क्या गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण नहरो में दरार आ गई है? **(ख)** यह निर्माण कार्य कितनी लागत का है ? कितने किलोमीटर तक का है तथा किन-किन ठेकेदारों को टेंडर दिया गया ? अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? क्या नाबालिग बच्चों से मजदूरी करायी जाने की शिकायत प्राप्त हुआ है? क्या इसकी जाँच की जाएगी ? जांच उपरांत दोषी एसडीओ, इंजीनियर, ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जानकारी देवे?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विधानसभा क्षेत्र लैलुंगा अंतर्गत खम्हारपाकुट जलाशय के जीरो माइनर केनाल के नाम से कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं है, अपितु खम्हारपाकुट जलाशय योजना के प्रारंभिक रिच में लाईनिंग के दो कार्य चल रहे है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** संदर्भित दोनो कार्य का निर्माण, गुणवत्ता पूर्ण व निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराया जा रहा है, इस नहर लाईनिंग कार्य में कोई भी दरार या टूट-फूट अभी तक परिलक्षित नहीं हुई है। **(ख)** उक्त दोनो निर्माण कार्य की अनुबंधित राशि, लाईनिंग कार्य की लम्बाई, ठेकेदार का नाम व व्यय राशि का **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** इस कार्य में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने का अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जांच एवं कार्यवाही कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नवासी"]

भिलाई नगर के बी.एस.पी. टाऊनशिप क्षेत्र में शराब दुकान एवं अहाता संचालन के संबंध में

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

92. (क्र. 475) श्री देवेन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बी.एस.पी के अधीन टाऊशिप भिलाई क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानें संचालित हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर संचालित हैं ? **(ख)** क्या इन दुकानों के साथ अहाता संचालन की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो अहाता संचालन के संबंध में टेंडर कब आमंत्रित किया गया था ? **(ग)** क्या बी.एस.पी. द्वारा अहाता निर्माण, शेड एवं जगह के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया ? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) भिलाई नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बी.एस.पी. के अधीन टाऊनशिप भिलाई क्षेत्र में देशी मदिरा दुकान सिविक सेंटर भिलाई एवं विदेशी मदिरा दुकान सिविक सेंटर भिलाई संचालित हैं। **(ख)** हां, प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित मदिरा दुकानों के साथ समूह में अहाता संचालन की अनुमति दी गई है। अहाता संचालन के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को टेंडर आमंत्रित किया गया था। **(ग)** अहाता संचालन हेतु स्थान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं किए जाने का प्रावधान है।

किसानों से अस्थाई एवं स्थायी विद्युत कनेक्शन के नाम पर अनियमितता

[ऊर्जा]

93. (क्र. 476) श्री देवेन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला- खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई अंतर्गत किसानों से कृषि कार्य सिंचाई हेतु विद्युत सहायता योजना के तहत अस्थाई एवं स्थाई कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली के संबंध में संबंधित कार्यपालन अभियंता से 10 जून, 2025 की स्थिति में किसानों द्वारा कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई अंतर्गत 10 जून, 2025 की स्थिति में किसी भी किसानों से कृषि कार्य सिंचाई हेतु अस्थाई एवं स्थाई कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली के संबंध में विद्युत विभाग में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अपितु दिनांक 12.06.2025 को कार्यपालन अभियंता (संचारण/संधारण) खैरागढ़ कार्यालय में जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस जिला खैरागढ़ छुईखदान से दिनांक 12.06.2025 को प्राप्त पत्र में उक्त विषय का उल्लेख किया गया है जिसमें किसी भी उपभोक्ता या प्रकरण विशेष का उल्लेख नहीं है एवं उनसे मोबाईल नंबर पर संपर्क करने पर उपभोक्ता या प्रकरण विशेष की जानकारी नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित नही है।

धान का उत्पादन तथा फसल कटाई प्रयोग का परिणाम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

94. (क्र. 493) श्री देवेन्द्र यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) जिला-रायपुर में खरीफ 2022, 2023, 2024 में धान का उत्पादन कितना-कितना हुआ? **(ख)** उक्त जिला में धान की फसल कटाई प्रयोग का परिणाम खरीफ, 2024 में क्या-क्या रहा, इकाईवार बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) एवं **(ख)** की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

प्रदेश में बेमौसम बारिश से फसल नुकसान

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

95. (क्र. 502) श्री उमेश पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में वर्ष 2024 से 20 जुन, 2025 तक किसानों को बेमौसम बारिश से कौन-कौन से फसल का कितना-कितना नुकसान हुआ है? जिलेवार, ब्लॉकवार जानकारी देवें? फसल नुकसान का आंकलन का आधार क्या है तथा क्या किसानों को भुगतान किया जा चुका है अथवा शेष है? शेष है तो कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? जानकारी देवें? **(ख)** क्या जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया था, उनका क्लेम प्राप्त हुआ है? यदि नहीं तो क्यूँ? कब तक भुगतान कर दिया जाएगा? जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में बेमौसम बारिश से हुई फसल क्षति की जानकारी जिलेवार एवं तहसील/ ब्लॉकवार **संलग्न प्रपत्र** में दर्शाये अनुसार है। 33 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार अनुदान सहायता दी जाती है। जिला गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अं.चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, कोंडागांव तथा कांकेर को छोड़कर सभी जिलों में भुगतान किया जा चुका है, भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**(ख)**जी हाँ । 29 कृषकों का दावा भुगतान लंबित है। खरीफ वर्ष 2024 में लंबित 29 कृषक एवं मौसम रबि वर्ष 2024-25 में दावा भुगतान हेतु पात्र बीमित कृषकों के दावे राशि का भुगतान राष्ट्रीय बीमा पोर्टल पर डी.बी.टी. के माध्यम से किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 10.07.2025 की तिथि नियत की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नब्बे"]

जांजगीर-चांपा जिले में प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रशिक्षु की उपस्थिति

[कौशल विकास]

96. (क्र. 614) श्री बालेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला परियोजना लाइवलीहुड कालेज, जांजगीर में प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं की फिंगरप्रिंट क्लोन बनाकर उपस्थिति दर्ज करने की प्राप्त शिकायत की जांच के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जांजगीर- चांपा द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था? **(ख)** यदि हां तो अभी तक जांच प्रतिवेदन के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि कार्यवाही लंबित है तो इसके क्या कारण हैं ? कब तक कार्यवाही की जाएगी ? जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हाँ, जिला परियोजना लाइवलीहुड कालेज, जांजगीर में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं की फिंगरप्रिंट क्लोन बनाकर उपस्थिति दर्ज करने की प्राप्त शिकायत की जांच के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जाजगीर चांपा द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था ।**(ख)** जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के पत्र क. 068/जि.पं./2025 जांजगीर दिनांक 26.06.2025 द्वारा श्री मयंक शुक्ला सहायक संचालक (संविदा) को तथा कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा का पत्र क्र. 656/जि.पा./2025 जांजगीर दिनांक 26.06.2025 के द्वारा श्रीमती ऋचा अग्रवाल लेखापाल (संविदा) को जांच रिपोर्ट के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था। तत्पश्चात प्राप्त जवाब का परिशीलन किया गया, जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण सेवा समाप्ति के संबंध में (अ) एवं (ब) अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है :-(अ) कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के द्वारा पत्र क्र. 684/ जिपा/2025 जांजगीर दिनांक 02.07.2025 द्वारा श्री मयंक शुक्ला सहायक संचालक (संविदा) जिला परियोजना लाईवलीहुड कालेज जांजगीर को सेवा समाप्ति के संबंध में अंतिम सूचना जारी किया गया है।(ब) कार्यालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा के पत्र क्र. 686/जिप./2025

जांजगीर दिनांक 02.07.2025 के द्वारा श्रीमती ऋचा अग्रवाल, लेखापाल (संविदा) जिला लाईवलीहुड कालेज जिला जांजगीर-चांपा को सेवा समाप्ति के संबंध में अंतिम सूचना जारी किया गया है।(स) कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कालेज जांजगीर चापा के आदेश क्र. 682/जि.प./2025 जांजगीर दिनांक 02.07.2025 के द्वारा जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय जिला रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जांजगीर-चांपा को सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण जांजगीर-चांपा तथा जिला परियोजना लाईवलीहुड कालेज जांजगीर-चांपा का प्रभार दिये जाने का आदेश प्रसारित किये जाने के अनुक्रम में श्री मालिक राम जायसवाल, जिला रोजगार अधिकारी द्वारा सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण जांजगीर-चांपा तथा जिला परियोजना लाईवलीहुड कालेज जांजगीर-चांपा का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

खरीफ में धान का उत्पादन तथा फसल कटाई प्रयोग का परिणाम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

97. (क्र. 743) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में खरीफ 2022, 2023 तथा 2024 में धान का उत्पादन कितना-कितना हुआ ? **(ख)** उक्त जिला में धान की फसल कटाई प्रयोग का परिणाम खरीफ 2024 में क्या-क्या रहा, इकाईवार बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

जिला-सुकमा व बीजापुर में धान का उत्पादन तथा फसल कटाई प्रयोग का परिणाम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

98. (क्र. 754) श्री विक्रम मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला सुकमा एवं बीजापुर में खरीफ 2022, 2023 तथा 2024 में धान का उत्पादन कितना-कितना हुआ? **(ख)** उक्त जिला में धान की फसल कटाई प्रयोग का परिणाम खरीफ, 2024 में क्या-क्या रहा, इकाईवार बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

जिला- कोरिया धान का उत्पादन तथा फसल कटाई प्रयोग का परिणाम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

99. (क्र. 755) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला कोरिया में खरीफ 2022, 2023 तथा 2024 में धान का उत्पादन कितना-कितना हुआ? **(ख)** उक्त जिला में धान की फसल कटाई प्रयोग का परिणाम खरीफ 2024 में क्या-क्या रहा, इकाईवार बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

धान का उत्पादन एवं फसल कटाई प्रयोग का परिणाम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

100. (क्र. 791) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जशपुर में खरीफ वर्ष 2022,2023 तथा 2024 में धान का उत्पादन कितना-कितना

हुआ? **(ख)** उक्त जिला में धान की फसल कटाई प्रयोग का परिणाम खरीफ वर्ष 2024 में क्या क्या रहा, इकाईवार बताएं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

धान का उत्पादन तथा फसल कटाई प्रयोग का परिणाम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

101. (क्र. 799) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-जांजगीर-चाम्पा में खरीफ 2022, 2023 तथा 2024 में धान का उत्पादन कितना-कितना हुआ? **(ख)** उक्त जिला में धान की फसल कटाई प्रयोग का परिणाम खरीफ 2024 में क्या -क्या रहा इकाईवार बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जैविक खाद का वितरण

[सहकारिता]

102. (क्र. 839) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 30 मई, 2025 तक की स्थिति में सहकारी बैंक/समितियों या विभाग के माध्यम से जैविक खाद के लिए कितने किसानों का परमिट काटा गया तथा कितने किसानों को जैविक खाद उपलब्ध करायी गई है? कितने किसान बाकी हैं? वर्षवार, सोसायटीवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 30 मई 2025 तक, सहकारी बैंक / समितियों या विभाग के माध्यम से किसी भी किसान को जैविक खाद का परमिट नहीं काटा गया एवं ना ही उपलब्ध कराया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

धान का उत्पादन तथा फसल कटाई प्रयोग का परिणाम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

103. (क्र. 849) श्री इंद्र साव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में खरीफ 2022-23 तथा 2024 में धान का उत्पादन कितना-कितना हुआ? **(ख)** उक्त जिला में धान की फसल कटाई प्रयोग का परिणाम खरीफ 2024 में क्या-क्या रहा, इकाईवार बताएं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

धान का उत्पादन तथा फसल कटाई प्रयोग का परिणाम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

104. (क्र. 856) श्री ब्यास कश्यप : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर संभाग में खरीफ 2022, 2023 तथा 2024 में धान का उत्पादन कितना-कितना हुआ?

जिलेवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** उपरोक्त जिलों में धान की फसल कटाई प्रयोग का परिणाम खरीफ 2024 में क्या-क्या रहा? इकाईवार बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

धान का उत्पाद तथा फसल कटाई प्रयोग का परिणाम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

105. (क्र. 860) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में खरीफ 2022, 2023 तथा 2024 में धान का उत्पादन कितना कितना हुआ। **(ख)** उक्त जिला में धान की फसल कटाई प्रयोग का परिणाम खरीफ 2024 में क्या-क्या रहा? इकाईवार बतायें? जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

बालोद जिले में धान का उत्पादन एवं फसल कटाई प्रयोग का परिणाम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

106. (क्र. 871) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बालोद में खरीफ 2022, 2023, 2024 तथा 2025 में धान का उत्पादन कितना-कितना हुआ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** बालोद जिला में धान की फसल कटाई प्रयोग का परिणाम खरीफ 2024 में क्या–क्या रहा? इकाईवार बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

107. (क्र. 910) श्री किरण देव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि राजपत्र क्रमांक 394, दिनांक 2 सितम्बर, 2013 के अनुसार मध्यप्रदेश पुनर्गठन के पूर्व से ही छत्तीसगढ़ राज्य की भौगिलिक सीमा में स्थायी रूप से निवासरत अविभाजित मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनकी संतानों को जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ राज्य से ही जारी किए जाने तथा उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में ही आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान है ? यदि हां तो ऐसे प्रकरणों में जब जाति को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, तब जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया क्या है ? **(ख)** क्या उपरोक्त स्थिति में सम्मिलित पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु क्या शासन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हां तो दिशा - निर्देशों की छायाप्रति दें ? यदि नहीं तो ऐसे दिशा-निर्देश कब तक जारी किए जाऐंगे?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हां। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-22/2012/ आ.प्र./1-3, दिनांक 24.09.2013 की कण्डिका- 2.1(5)(ट) में यह प्रावधान स्पष्ट है कि ''जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प द्वारा आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जावे।'' साथ ही परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/2021/आ.प्र./1-3, दिनांक 19.07.2021 में नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को

जाति तथा मूल निवास के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य कर उसके आधार पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के निर्देश हैं।**(ख)** जी हां। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 13- 22/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 02.09.2013 तथा परिपत्र क्रमांक एफ 13-22/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 24.09.2013 एवं एफ 13-2/2021/आ.प्र./1-3, दिनांक 19.07.2021 जानकारी **पुस्तकालय** में रखे**''प्रपत्र''**अनुसार है।प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
पारिशेष्ट - एक
तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 79) की जानकारी

iii=

छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग–सी अनुभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
–0–

कमांक 509 /317/गृह–सी/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19 /02/2025

प्रति

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 की उच्च स्तरीय जॉच करने बाबत्।
संदर्भः– **आपका पत्र कमांक** ESTB-101(3)/142024-REVENUE, दिनांक 16.01.2025.

———

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आदेशानुसार आपसे प्राप्त विषय संबंधी जॉच प्रस्ताव मूलतः वापस करते हुए लेख है कि, प्रशासकीय विभाग पुलिस जांच अथवा एफ. आई.आर. कराने हेतु स्वयं सक्षम है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(रूचि शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग

सत्यापित

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
-::मंत्रालय::-
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

ईमेल - revenue.cg@gov.in फोन नं. 771 2510994

क्रमांक ESTB-101(3)/14/2024-REVENUE , रायपुर, दिनांक 04.03.2025

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग(कक्ष-7)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय: राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा-2024 की जॉच ईओडब्ल्यू/एसीबी से कराने बाबत्।

संदर्भ: मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल का परिपत्र क्रमांक एफ-22/62/92/1-10, दिनांक 19.06.1992.

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों से प्रकरणों की जॉच के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।

2/ पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा 2024 में प्राप्त शिकायतों की जॉच ईओडब्ल्यू/एसीबी अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में संक्षेपिका सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है।

3/ अत: अनुरोध है कि संक्षेपिका अनुसार उल्लेखित तथ्यों पर तकनीकी जॉच कराया जाकर जॉच प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :-यथोपरि।

Signed by
Anvesh Ghritlahre
(अनवेष घृतलहरे)
Date: 04-03-2025 14:28:39
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सत्यापित

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
-::संक्षेपिका::-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / / 2025

विषय :- राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 की जॉच ईओडब्ल्यू/एसीबी से कराये जाने बाबत्।

---00---

पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा 2024 में प्राप्त शिकायतों की जॉच ईओडब्ल्यू/एसीबी अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों से कराये जाने के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा का प्रासंगिक नियम और सिद्धांत छत्तीसगढ़ भू.अभिलेख नियमावली भाग-2, अध्याय-1 एवं छत्तीसगढ़ भू.अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत राजस्व निरीक्षण के स्वीकृत कुल पदों में से 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के तथा 70 प्रतिशत पद राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण पटवारी हेतु तथा 5 प्रतिशत पद राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण अनुरेखक हेतु आरक्षित है। राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्राधिकारी संचालक, भू.अभिलेख छत्तीसगढ़ है। तदानुसार राजस्व निरीक्षक के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण हेतु आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा-2024 आयोजित किया गया।
2. श्री भागवत कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्व पटवारी संघ छत्तीसढ़, रायपुर एवं अन्य द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 23.08.2024 द्वारा राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा-2024 में हुई अनियमितता की उच्च स्तरीय जॉच हेतु 05 सदस्यीय जॉच दल का गठन किया गया।
3. पॉच सदस्यीय जॉच दल द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर जॉच करते हुए दिनांक 29.11.2024 को जॉच प्रतिवेदन राजस्व विभाग को सौंपी गई। उच्च स्तरीय जॉच

सत्यापित

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में किसी अधिकारी/कर्मचारी की सीधी अनियमितता इंगित नहीं की गई है तथा निम्नानुसार तकनीकी पहलुओं पर जॉच विशेषज्ञों द्वारा जॉच कराये जाने का लेख किया गया है :-

(क) प्राप्त शिकायतों में 07 पटवारियों की अनियमितता में संलिप्तता का लेख किया गया है। समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की उक्त 07 में से केवल 03 पटवारियों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है। समिति द्वारा उन 03 पटवारियों की संलिप्तता के सम्बन्ध में काई जाँच किया जाना प्रतिवेदन अनुसार परिलक्षित नहीं हुआ है। संलिप्तता के सम्बन्ध में जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कुछ भी कहा जाना सभव नहीं है। उक्त जाँच पुलिस द्वारा ही संभव है।

(ख) शिकायतकर्ताओं द्वारा परीक्षा संचालन से सम्बंधित व्यक्तियों के मोबाइल नंबरए कॉल डिटेल्सए लोकेशनए इत्यादि की जाँच करने की शिकायत के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त जाँच समिति के क्षेत्राधिकार एवं क्षमता की परिधि में नहीं आता है। उक्त जाँच पुलिस द्वारा ही सभव है।

(ग) श्री हेमंत कौशिक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की संलिप्तता के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी कि परीक्षा उपरांत उनके द्वारा बस्तर संभाग में दौरे किये गए तथा संलिप्त पटवारियों से भेट की गयी। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में श्री कौशिक द्वारा बताया गया था की उन्हे वर्ष 2019 से बस्तर संभाग का प्रभार सौंपा गया है जिसके पालन में वे साल में 06 से 08 बार बस्तर संभाग में भ्रमण पर जाते हैं तथा अवकाश अवधि में घूमने भी जाते हैं। उनके द्वारा लेख किया गया है कि शिकायत निराधार एवं झूठी है। समिति द्वारा उनका जवाब असमाधानकारक पाते हुए विभाग को अपने स्तर से कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। श्री कौशिक के सम्बन्ध में शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रेषित शिकायत के बिंदुओं की जाँच पुलिस/गृह द्वारा ही संभव है।

सत्यापित

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

4. प्रकरण में प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

अत: राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 के संदर्भ में पॉच सदस्यीय जॉच दल द्वारा उल्लेखित उपरोक्त बिन्दुओं की जॉच ईओडब्ल्यू/एसीबी अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों से कराये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की ओर संक्षेपिका प्रेषित है।

संलग्न - 1 शिकायती पत्र की छायाप्रति।

2 जॉच दल गठन आदेश की प्रति।

3. जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति।

Signed by Anvesh Ghritlahre
Date: 03-03-2025 19:30:09

(अन्वेष घृतलहरे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सत्यापित

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - दो
तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 473) की जानकारी

प्रपत्र

योजना का नाम	खेल सामग्री हेतु प्राप्त आबंटन	खेल सामग्री की खरीदी राशि	क्रय आदेश जारी फर्म का नाम एवं पता	खेल सामग्री क्रय पश्चात प्राप्त शिकायत
1	2	3	4	5
ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना	5,67,000/–	5,67,000/–	दुर्गः– 1. इंडियन स्पोर्टस दुर्ग 2. इंडियन स्पोर्टस दुर्ग एवं बुद्धराजा स्पोर्टस भिलाई । 3. इंडियन स्पोर्टस दुर्ग	निरंक
			पाटनः–. 1 अल्पना स्पोर्टस ट्रेर्डस एण्ड जे.के.बिल्डिंग रायपुर। 2. (1) अल्पना स्पोर्टस रायपुर (2) जे.के.वेल्डिंग वर्कशाप झीट (3) राजपूत इंटरप्राईज रायपुर । 3. चंद्राकर स्पोर्टस सी मार्केट सेक्टर–6 भिलाई दुर्ग ।	
			धमधाः– 1. इंडियन स्पोर्टस दुर्ग 2. दीपक स्पोर्टस सेंटर सर्कुलर मार्केट, केम्प–2 भिलाई 3. (1) दीपक स्पोर्टस सेंटर सर्कुलर मार्केट, केम्प –2 भिलाई (2) इंडियन स्पोर्टस दुर्ग, (3) गुप्ता फर्नीचर मॉल दुर्ग, (4) नूतन रोड़ लाईन्स गंजपारा दुर्ग, (5) जे. के.किचन वेयर दुर्ग तथा सुराना स्टोर्स।	

छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

योजना का नाम	खेल सामग्री हेतु प्राप्त आबंटन	खेल सामग्री की खरीदी राशि	क्रय आदेश जारी फर्म का नाम एवं पता	खेल सामग्री क्रय पश्चात प्राप्त शिकायत
ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना	5,70,600/—	380400/—	दुर्गः— 1 — निरंक 2 — निरंक 3 — निरंक	निरंक
			पाटनः— 1. अल्पना स्पोर्टस मिलेनियम प्लाजा रायपुर। 2. दीपक स्पोर्टस सेंटर सर्कुलर मार्केट ,केम्प —2 भिलाई 3. विजय स्पोर्टस दुर्ग। 4. विजय स्पोर्टस दुर्ग।	
			धमधाः— 1. इंडियन स्पोर्टस दुर्ग 2. विजय स्पोर्टस दुर्ग 3. चौहान ट्रैक हाउस एवं बुद्धराजा स्पोर्टस भिलाई	
	बजट अप्राप्त	बजट अप्राप्त	—	
ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना	5,40,000/—	5,40,000/—	दुर्गः— 1. विजय स्पोर्टस दुर्ग एवं गिरीश स्टील फर्नीचर वकर्स मीनाक्षी नगर दुर्ग 2. इंडियन स्पोर्टस दुर्ग 3. विजय स्पोर्टस दुर्ग	निरंक
			पाटनः— 1. अल्पना फिटनेस जोन रायपुर शॉप नं .30 एवं जय स्पोर्टस पंडरी रायपुर। 2. क्वालिटी स्पोर्टस ए मार्केट सेक्टर—1 भिलाई ,दुर्ग 3. क्वालिटी स्पोर्टस ए मार्केट , सेक्टर—1 भिलाई,दुर्ग	

छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मं. नवा रा. अटल नगर

योजना का नाम	खेल सामग्री हेतु प्राप्त आबंटन	खेल सामग्री की खरीदी राशि	क्रय आदेश जारी फर्म का नाम एवं पता	खेल सामग्री क्रय पश्चात प्राप्त शिकायत
ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना	—	—	धमधाः— 1. इडियन स्पोर्टस दुर्ग 2. ज्योति बुक डिपो एण्ड स्पोर्टस मरोदा टैंक भिलाई 3. (1) जय हिन्द स्पोर्टस दुर्ग (2) विजय स्पोर्ट्स, स्टेशन रोड़ दुर्ग	
	4,50,000/—	—	निरंक	निरंक
	बजट अप्राप्त	—	—	—
	बजट अप्राप्त	—	—	—
	5,40,000/—	5,40,000/—	1. लक्ष्य इंटरप्राइसेस रायपुर 2. चंदन सेल्स कारपोरेशन झीट पाटन	निरंक
	5,40,000/—	5,40,000/—	1. चंदन सेल्स कारपोरेशन झीट पाटन 2. द स्पोर्ट्स गैराज फाफाडीह रायपुर	निरंक
	5,40,000/—	5,40,000/—	1. विजय स्पोर्ट्स, स्टेशन रोड़ दुर्ग 2. जय हिन्द स्पोर्ट्स, शिव मंदिर के पास संतराबाड़ी दुर्ग	निरंक
	5,40,000/—	—	—	—
कुल योगः—	4287600/—	3107400/—	—	—
क्रीडा प्रोत्साहन योजना	बजट अप्राप्त	—	—	—

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 14) की जानकारी

प्रपत्र–अ

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय में सेटअप अनुसार स्वीकृत पदों की जानकारी :–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या
शैक्षणिक पद		
1	विभागाध्यक्ष	2
2	प्राध्यापक	37
3	सह प्राध्यापक	68
4	सहायक प्राध्यापक *	153
5	खेल प्रशिक्षक	3
6	योग प्रशिक्षक	1
7	आहार विज्ञानी	1
	योग–	265
अशैक्षणिक पद		
1	कुलपति	1
2	कुलसचिव	1
3	उपकुलसचिव	2
4	वित्त अधिकारी	1
5	ग्रंथपाल	1
6	पुस्तकालयध्यक्ष	1
7	संचालक शारीरिक शिक्षा	1
8	समन्वयक	1
9	सहायक कुलसचिव	4
10	विश्वविद्यालय यंत्री	1
11	सिस्टम एनालिस्ट	1
12	सहायक ग्रंथपाल	1
13	प्रोग्रामर	1
14	व.त. सहायक / तकनीकी अधिकारी	5
15	फिजियोथेरेपिस्ट	1
16	कक्ष अधिकारी	4
17	सहायक प्रोग्रामर	1
18	सहायक लेखाधिकारी	1
19	कुलपति के निज सहायक	1
20	वरिष्ठ अधीक्षक / कार्यालय प्रबंधक / कार्यालय अधीक्षक	6
21	कनिष्ठ अधीक्षक	2
22	रिसर्च असिस्टेन्ट / अनुसंधान सहायक	17
23	आई.टी.कार्यकारी / अनुरक्षण स्टॉफ	1
24	ICT अनुदेशक	1
25	संगीत शिक्षक	1
26	स्टेनोग्राफर	3
27	सांख्यिकी सहायक	1
28	सहायक ग्रेड–1	7
29	तकनीकी सहायक	5
30	प्रयोगशाला समन्वयक	1

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या
31	पुस्तकालय सहायक	1
32	सहायक ग्रेड–2	10
33	डाटा एण्ट्री आपरेटर	6
34	लैब टेकनीशियन / प्रयोगशाला तकनीशियन	19
35	पुस्तकालय सहायक / संसाधन केन्द्र सहायक	1
36	लेखा सहायक	4
37	स्टेनो टाइपिस्ट	1
38	सहायक ग्रेड–3	45
39	स्टोर कीपर	3
40	वाहन चालक	6
41	सहायक ग्रेड–3 एन.एस.एस.	1
42	वाहन चालक	1
43	प्रयोगशाला सहायक	2
44	ग्रंथालय सहायक	1
45	ग्राउण्ड मेन	4
46	लैब अटेण्डेन्ट / प्रयोगशाला परिचारक	32
47	बुक लिफ्टर	1
48	ग्राउण्ड मेन	1
49	पम्प अटेण्डेन्ट	1
50	माली	2
51	भृत्य	50
52	स्वीपर / फर्रास / जमादार	22
53	चौकीदार	23
54	प्रयोगशाला परिचारक	3
55	भृत्य एन.एस.एस.	1
56	भृत्य एन.एस.एस.	2
57	हेल्पर	2
	योग–	**320**

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र–ब

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में विज्ञापित पदों में आरक्षण रोस्टर वार पदों की स्थिति

क्र.	विज्ञापित पद नाम	विज्ञापित पदों की जानकारी													योग
		कुल रिक्तियों की संख्या				महिलाओं हेतु आरक्षित पद				भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पद				दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद एवं दिव्यांगता का प्रकार	
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
ग्रामीण प्रौद्योगिकी															
1	प्राध्यापक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	सह प्राध्यापक	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	सहायक प्राध्यापक	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन															
1	प्राध्यापक	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	सह प्राध्यापक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OBC PwD -1	1
3	सहायक प्राध्यापक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
वानिकी एवं वन्यजीव															
1	प्राध्यापक	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	सह प्राध्यापक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	सहायक प्राध्यापक	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
शिक्षा															
1	प्राध्यापक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	सह प्राध्यापक	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	सहायक प्राध्यापक	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
समाज कार्य															
1	प्राध्यापक	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	सह प्राध्यापक	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	सहायक प्राध्यापक	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	UR PwD -1	4

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्र.	विज्ञापित पद नाम	विज्ञापित पदों की जानकारी													योग
		कुल रिक्तियों की संख्या				महिलाओं हेतु आरक्षित पद				भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पद				दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद एवं दिव्यांगता का प्रकार	
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
कम्प्यूटर अनुप्रयोग															
1	प्राध्यापक	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	सह प्राध्यापक	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	सहायक प्राध्यापक	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
बायोटेक्नोलॉजी															
1	प्राध्यापक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	सह प्राध्यापक	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	सहायक प्राध्यापक	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
आदिवासी लोक कला एवं आदिवासी बोली हेतु राष्ट्रीय शोध केन्द															
1	प्राध्यापक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सह प्राध्यापक	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	सहायक प्राध्यापक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ST PwD -1	2
व्यवसायिक प्रबंधन															
1	प्राध्यापक	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	सह प्राध्यापक	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	सहायक प्राध्यापक	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
अंग्रेजी															
1	प्राध्यापक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	सह प्राध्यापक	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	सहायक प्राध्यापक	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्र.	विज्ञापित पद नाम	विज्ञापित पदों की जानकारी													योग
		कुल रिक्तियों की संख्या				महिलाओं हेतु आरक्षित पद				भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पद				दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद एवं दिव्यांगता का प्रकार	
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
राजनीति विज्ञान															
1	प्राध्यापक	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	सह प्राध्यापक	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	सहायक प्राध्यापक	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र–स

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में विज्ञापित पदों में प्रक्रिया पूर्ण उपरांत चयनित अभ्यर्थियो की सूची

क्र.	चयनित अभ्यर्थियों का नाम	पदनाम	विषय	आरक्षण रोस्टर अनुसार चयनित संवर्ग
1	Mani Shankar Mishra	प्राध्यापक	अंग्रेजी	UR
2	Samir Thakur	सह प्राध्यापक	अंग्रेजी	UR
3	Abhishek Awasthi	सह प्राध्यापक	जैव प्रौद्योगिकी	UR
4	Mexudhan	सहायक प्राध्यापक	वानिकी एवं वन्यजीव	OBC
5	Durgesh Dixena	सहायक प्राध्यापक	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	UR
6	Digeshwar Sahu	सहायक प्राध्यापक	समाज कार्य	OBC
7	Tulika Sharma	सहायक प्राध्यापक	समाज कार्य	UR
8	Anushka Atram	सहायक प्राध्यापक	समाज कार्य	ST
9	Shivam Sonwani	सहायक प्राध्यापक	व्यवसायिक प्रबंधन	SC
10	Rashmi Dewangan	सहायक प्राध्यापक	व्यवसायिक प्रबंधन	UR
11	Rajeshwari Netam	सहायक प्राध्यापक	कम्प्युटर अनुप्रयोग	ST
12	Rajeshwar Prasad	सहायक प्राध्यापक	कम्प्युटर अनुप्रयोग	SC
13	Tej Bahadur Chandra	सहायक प्राध्यापक	कम्प्युटर अनुप्रयोग	UR
14	Neeraj Kumar Verma	सहायक प्राध्यापक	जैव प्रौद्योगिकी	UR
15	Kush Kumar Nayak	सहायक प्राध्यापक	जैव प्रौद्योगिकी	UR
16	Devendra Kumar Maravi	सहायक प्राध्यापक	जैव प्रौद्योगिकी	ST
17	Bhuneshwar Lal Sahu	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	UR
18	Siyalal Nag	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	UR
19	Purnendra Kumar Mirdha	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	SC

विशेष टीप :–

1. कुल विज्ञापित 59 पदों में से बी.एड. विभाग के 07 पदों को स्थगित रखा गया है, जिसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। शेष 52 पदों में से केवल 19 पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुये है तथा अचयनित शेष 33 पदो की स्थिति निम्नानुसार है,
   1) पद हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं – 17 पद ।
   2) एकल आवेदन (प्रतिर्स्पधा नहीं होने के कारण चयन नहीं) – 09 पद।
   3) चयन हेतु कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त नही पाये गये – 07 पद।
2. भर्ती प्रक्रिया 10 विभागों (अंग्रेजी, जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी एवं वन्यजीव, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, समाज कार्य, व्यावसिक प्रबंधन, कम्प्युटर अनुप्रयोग, राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन विभाग, आदिवासी लोक कला एवं आदिवासी बोली) में से 08 विभागों के अंतर्गत उक्तानुसार 19 अभ्यर्थी चयनित हुए।
3. मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन विभाग में सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पद पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ एवं सहायक प्राध्यापक पद पर कोई उपर्युक्त अभ्यर्थी नहीं होने के कारण चयन नहीं किया गया है।
4. आदिवासी लोक कला एवं आदिवासी बोली हेतु राष्ट्रीय शोध केन्द्र के लिये विज्ञापित पदों पर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र–द

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में सीधी भर्ती के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जानकारी

अ. संचालनालय को प्राप्त शिकायतों की जानकारी –

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक	शिकायत की बिन्दु	की गई कार्यवाही
1.	डॉ. संतोष कुमार सिन्हा, एम.एस. सी. (बॉटनी).	ई मेल 02.05. 2025	Advertisement No. 751/219/admin/ Extt./RR/TP/SMKV/01/2023, Jagdalpur Dated 05-10-23 1. Non-compliance with the prescribed eligibility criteria Botany should be considered an **allied subject of Forestry**, as per UGC regulation 2018. 2. Due to lack of information i was not submitted any objection within the Stipulated time Period. Not received any information to my registered E-mail By university. 3. Lack of transparency and violation of standard recruitment norms **university Grant Commission regulations 2018, university ordinance no.04 regulation no.114.(Attached file)**	पत्र दिनांक 19.05.2025 द्वारा शिकायत के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी विश्वविद्यालय से मांगी गई। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 29.05.2025 के द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता बॉटनी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करता है, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा फारेट्री विषय हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके कारण शिकायतकर्ता भर्ती हेतु न्यूनतम अहर्ता नहीं रखता है। अतः संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नहीं होने के कारण दावा आपत्ति को विश्वविद्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 220/970/शिका.प्र./2025 दिनांक 09.06.2025 द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।
2.	श्री रंजेश सिंह, बी–13, लाडली निवास कंचन विहार छोटी कोनी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के सामने जिला–बिलासपुर	19.05. 2025	1. विश्वविद्यालय में 59 शैक्षणिक पदों पर भर्ती में सेटअप में स्वीकृत पदों के अनुसार भर्ती की अनुमति प्राप्त नहीं होने के बाद भी सेटअप में स्वीकृत पदों के अनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार नहीं कराना और विज्ञापन जारी करना, 2. विज्ञापन जारी होने के बाद व्याख्याता एवं सहायक प्राध्यापक के पदो का उच्च वेतनमान वाले पदों क्रमशः सहायक प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पद एवं वेतनमान में उन्नयन करने के लिए प्रस्ताव भेजना एवं उन्नयन करने की अनुमति के बिना ही भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करना। 3. विज्ञापन जारी करने के बाद प्राप्त दावा आपत्तियों का सही–सही निराकरण नहीं करना, 4. श्रीमती रश्मि देवांगन का पीएचडी अवार्ड नहीं होने के कारण विज्ञापन जारी करने के बाद भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करना एवं श्रीमती रश्मि देवांगन का पीएचडी अवार्ड होने के बाद पुनः प्रारंभ करना 5. श्रीमती रश्मि देवांगन का पीएचडी अवर्ड होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करना।	शासन के आदेश क्रमांक GENS/5255/2025 /38-2 दिनांक 03.07.2025 द्वारा शिकातयों की जांच हेतु जांच समिति का गठन किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न है)

Uttam
अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक	शिकायत की बिन्दु	की गई कार्यवाही
			6. अपात्र अभ्यर्थियों को पात्र एवं पात्र अभ्यर्थियों को अपात्र बताना 7. मुख्य विषय के साथ मान्य सह विषयों की सूची जारी नहीं करना, कुछ विषय में मुख्य विषय के साथ सह विषयों को मान्य करना और कुछ विषयों में सह विषयों को मान्य नहीं करना। 8. निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को भी छूट प्रदान करना, आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देने पर विज्ञापन में संशोधन नहीं करना और पुनः आवेदन आमंत्रित नहीं करना। 9. विज्ञापन जारी करने के 5 माह बाद योग्यता, अर्हता निर्धारित करना।	

ब. विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जानकारी –

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक	शिकायत की बिन्दु	
1	डॉ. कमल कुमार सेन, डॉ. अनुपम तिवारी, डॉ. नीलम भगत, डॉ. राज कुमार यादव, डॉ. तिलक कुमार, डॉ. दिलेश जोशी, श्री ईश्वर मुंडा, श्री संजीव भगत, डॉ. संतोष सिंह रावत, जितेश्वरी कौशिक	22-05-2025	शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर के ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक पद के भर्ती में नियम विरूद्ध भर्ती एवं भ्रष्टाचार के शिकायत संबंध में तथा भर्ती प्रकिया तत्काल निरस्त किये जाने विषयक	शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही कर विश्वविद्यालय के पत्र क्र./56/कुलपति कार्यालय/2025 जगदलपुर दिनांक 12.06.2025 के तहत प्रतिवेदन संयुक्त कलेक्टर वास्ते कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर (शिकायत शाखा) जिला बस्तर, जगदलपुर तथा प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, सिविल लाईंस रायपुर, माननीय राज्यपाल महोदय के ओएसडी राजभवन, सिविल लाइंस रायपुर, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, एवं आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को प्रेषित की गई।
2	डॉ. रश्मि देवांगन	6-5-25	एन.एस.यू.आई. के प्रदेश सचिव, रंजेश सिंह, बिलासपुर तथा अन्य लोगों के द्वारा षडयंत्र के अंतर्गत मेरी छबि धूमिल करने तथा व्यवसायिक भविष्य को नुकसान पहुँचाने के संबध में।	शिकायत पर महिला आयोग ने श्री रंजेश सिंह, बिलासपुर को अपने कार्यालय में दिनांक 26.06.2025 को तलब किया एवं कार्यवाही की । डॉ. रश्मि देवांगन से शिकायत पत्र प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय महिला सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु शिकायत पत्र अग्रेषित किया गया। इस पर महिला महिला सेल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

—— आदेश ——

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03 JUL 2025 /07/2025

क्रमांक GENS/5255/2025/38-2 :: राज्य शासन एतद्द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर में हो रही भर्ती के संबंध में प्राप्त शिकायतों के संबंध में शिकायतों की जांच कर जांच प्रतिवेदन शासन को 05 दिवस की समय सीमा की अवधी में उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया जाता है :–

1. डॉ. एच.पी. खैरवार — **अध्यक्ष**
   अतिरिक्त संचालक
   उच्च शिक्षा संचालनालय
   इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
   अटल नगर (छ.ग.)
2. डॉ. अमिताभ बैनर्जी — **सदस्य**
   प्राचार्य, शासकीय नागार्जुन
   महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
3. डॉ. राजेश पाण्डेय — **सदस्य**
   अतिरिक्त संचालक
   संभाग दुर्ग, उच्च शिक्षा
4. डॉ. डी.के. श्रीवास्तव — **सदस्य**
   प्राध्यापक, उच्च शिक्षा संचालनालय
   इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
   अटल नगर (छ.ग.)
5. डॉ. गोवर्धन यदु — **सदस्य**
   सहायक संचालक
   उच्च शिक्षा संचालनालय
   इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
   अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(धनंजय नेताम) 3/7/2025
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 174) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मद का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (रू.मे)	संयंत्र का नाम	क्षमता	स्ट्रीट लाईटों/ हाईमास्ट की संख्या	कार्य एजेंसी/ ठेकेदार का नाम
1	गुरूर	ग्राम पेटेचुवा	डी.एम.एफ	2024–25	1000000	सोलर पॉवर प्लांट के माध्यम से स्ट्रीट लाईटों का संचालन	1.2 कि. वॉ	10 नग	मेसर्स रिच फाईटोकेयर, रायपुर
2	गुरूर	ग्राम भेजाजंगली	डी.एम.एफ	2024–25	1000000	सोलर पॉवर प्लांट के माध्यम से स्ट्रीट लाईटों का संचालन	1.2 कि. वॉ	10 नग	मेसर्स रिच फाईटोकेयर, रायपुर
3	डोण्डी	ग्राम जमरूवा	डी.एम.एफ	2024–25	1976159	सोलर पॉवर प्लांट के माध्यम से स्ट्रीट लाईटों का संचालन	2.4 कि. वॉ	20 नग	मेसर्स रिच फाईटोकेयर, रायपुर
4	डोण्डी	ग्राम झीकाटोला	डी.एम.एफ	2024–25	537782	सोलर हाईमास्ट संयंत्र	09 मीटर/ 1200 वॉट	01 नग	मेसर्स दुर्गेश सोलर एजेंसी अंबिकापुर
5	गुण्डरदेही	ग्राम चौरेल	डी.एम.एफ	2024–25	537782	सोलर हाईमास्ट संयंत्र	09 मीटर/ 1200 वॉट	01 नग	मेसर्स दुर्गेश सोलर एजेंसी अंबिकापुर
6	डोण्डी लोहरा	नगर पंचायत डोण्डी लोहरा वार्ड क्र.06	अधोसंरचना विकास	2024–25	537782	सोलर हाईमास्ट संयंत्र	09 मीटर/ 1200 वॉट	01 नग	मेसर्स रिच फाईटोकेयर, रायपुर

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 195) की जानकारी

प्रपत्र

वेलकम डिस्टलरी से जलकर बकाया की राशि वर्षवार

स.क.	वर्ष	राशि
1	1998–1999	180675.00
2	1999–2000	197100.00
3	2000–2001	197100.00
4	2001–2002	197100.00
5	2002–2003	287437.50
6	2003–2004	295650.00
7	2004–2005	295650.00
8	2005–2006	295650.00
9	2006–2007	591300.00
10	2007–2008	591300.00
11	2008–2009	591300.00
12	2009–2010	591300.00
13	2010–2011	1253775.00
14	2011–2012	1494675.00
15	2012–2013	1721887.50
16	2013–2014	1981950.00
17	2014–2015	2274862.50
18	2015–2016	2299500.00
19	2016–2017	2299500.00
20	2017–2018	2299500.00
21	2018–2019	2299500.00
22	2019–2020	42787125.00
23	2020–2021	164250000.00
24	2021–2022	136875000.00
25	2022–2023	164250000.00
26	2023–2024	164250000.00
27	2024–2025	164250000.00
28	2025–26 (जून 2025)	41062500.00
	महायोग	**899961338.00**

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 218) की जानकारी

प्रपत्र

दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	नाम	पदनाम	कारण	कार्यवाही का विवरण
1	श्री आनंदरूप तिवारी	तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा	अवार्ड पारित किये जाने में अनियमितता जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है।	सामान्य प्रशासन के आदेश F.No.ESTB-1024/54/2024-GAD-4 दिनांक 03.06.2025 द्वारा निलंबित किया गया है।
2	श्री कीर्तिमान सिंह राठौर	तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा	नक्शा में त्रुटिपूर्ण बटांकन एवं नक्शा तैयार करने में अनियमितता	सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 10.03.2025 द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
3	श्री मोहरसाय सिदार	तत्कालीन नायब तहसीलदार	नक्शा में त्रुटिपूर्ण बटांकन एवं नक्शा तैयार करने में अनियमितता	सेवानिवृत्त के पूर्व एवं सेवानिवृत्ति पश्चात् अनियमित्ता के संबंध में किसी प्रकार की जांच अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही किया गया है या नहीं? की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, बिलासपुर संभाग को लिखा गया है।
4	श्री हूलसिंह	तत्कालीन राजस्व निरीक्षक	नक्शा में त्रुटिपूर्ण बटांकन एवं नक्शा तैयार करने में अनियमितता	वर्तमान में बिलासपुर जिला से स्थानातरित जिला सरगुजा में विभागीय जांच संस्थित है।
5	श्री दिलशाद अहमद	तत्कालीन हल्का पटवारी सकरी	नक्शा में त्रुटिपूर्ण बटांकन एवं नक्शा तैयार करने में अनियमितता	कार्यालय अनुविभागीय (राजस्व) तखतपुर जिला बिलासपुर के आदेश क्रमांक 763 दिनांक 29.02.2025 द्वारा निलंबित किया गया है।
6	श्री मुकेश साहू	तत्कालीन हल्का पटवारी सकरी	नक्शा में त्रुटिपूर्ण बटांकन एवं नक्शा तैयार करने में अनियमितता तथा अवार्ड पारित किये जाने में अनियमितता जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है।	कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख के आदेश क्रमांक 130 दिनांक 07.03.2025द्वारा शासकीय सेवा से पदच्युत (Dismissal) किया गया है।
7	श्री आर. एस. नायडू	तत्कालीन कार्यपालन अभियंता,जल संसाधन कोटा जिला-बिलासपुर	नवशा में त्रुटिपूर्ण बटांकन एवं नक्शा तैयार करने में अनियमितता	सेवानिवृत्त
8	श्री ए. के. तिवारी	तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोटा जिला-बिलासपुर	अवार्ड पारित किये जाने में अनियमित्ता जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है।	सेवानिवृत्त
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा	तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग उप संभाग तखतपुर, जिला-बिलासपुर	नवशा में त्रुटिपूर्ण बटांकन एवं नक्शा तैयार करने में अनियमितता	सेवानिवृत्त

क्र.	नाम	पदनाम	कारण	कार्यवाही का विवरण
10	श्री एस. एल. द्विवेदी	तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तखतपुर, जिला–बिलासपुर	अवार्ड पारित किये जाने में अनियमित्ता जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है।	वर्तमान में अधीक्षण अभियंता के पद पर कोरबा में पदस्थ।
11	श्री आर. के. राजपूत	तत्कालीन उप अभियंता जल संसाधन उप संभाग तखतपुर, जिला–बिलासपुर	नक्शा में त्रुटिपूर्ण बटांकन एवं नक्शा तैयार करने में अनियमितता तथा अवार्ड पारित किये जाने में अनियमितता जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है।	वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर जल संसाधन उप संभाग रतनपुर जिला बिलासपुर में पदस्थ।

सरल क्रमांक 07 से 11 के संबंध में जल संसाधन विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ–03–05/31/स्था./2021 दिनांक 12.08.2024 विभागीय जांच संस्थित करते हुए, आरोप पत्र जारी किये गये है।

पारिशेष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 33) की जानकारी

प्रपत्र– ''अ''

रायगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 (दिनांक 20.06.2025 तक) में स्वीकृत खनिज रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति की जानकारी :–

क्र.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	ग्राम / तहसील का नाम	रकबा (हे.में)	स्वीकृत भण्डारण मात्रा	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री केदारनाथ चौधरी, आ. स्व. श्री हरि सिंह चौधरी, निवासी गढ़उमरिया, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम गढ़उमरिया, तहसील पुसौर	0.551	3250 मैट्रिक टन	24.05.2022 से 23.05.2032 तक
2	श्री राहुल अग्रवाल, आ. श्री कमल किशोर अग्रवाल, निवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्रमांक 05, गुजराती कालोनी धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	ग्राम पामगढ़, तहसील खरसिया	0.364	5000 मैट्रिक टन	18.06.2021 से 17.06.2031 तक
3	श्री आर्यन अग्रवाल, आ. श्री कैलाश अग्रवाल निवासी सतीगुड़ी चौक, रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम पुसल्दा, तहसील धरमजयगढ़	0.590	10250 मैट्रिक टन	10.08.2021 से 09.08.2031 तक

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

प्रपत्र– ''ब''

रायगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 (दिनांक 20.06.2025 तक) की अवधि में दर्ज खनिज रेत अवैध उत्खनन/अवैध भण्डारण के प्रकरणों की जानकारी :–

क्र.	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	स्थान का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवैध उत्खनन					
वित्तीय वर्ष 2024–25					
1	श्री मुरली साव आ. निरपोमणी साव	कांदागढ़	100 घमी.	1,25,000	–
2	श्री शिव पटेल आ. फागुलाल पटेल	लेबड़ा	–	25,000	उत्खनन कार्य हेतु ट्रेक्टर लोडर का प्रयोग किये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया।
3	श्री गौरीशंकर पटेल आ. स्व. रखीराम पटेल	लेबड़ा	–	25,000	
4	श्री रविशंकर पटेल आ. पतिराम पटेल	लेबड़ा	–	25,000	
5	श्री धनुर्जय पटेल आ. बाबूलाल पटेल	लेबड़ा	–	25,000	
6	श्री मुस्कान अग्रवाल आ. श्री पवन अग्रवाल	कोदवारी पारा, धरमजय गढ़	12 घमी.	1,03,600	–
वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 20.06.2025 तक)					
निरंक					

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

अवैध भण्डारण					
वित्तीय वर्ष 2024–25					
1	श्री नमो नारायण पटेल आ. श्री गेंदालाल पटेल	उसरौट	3000 घमी.	2,50,000	कुल 8 लाख 50 हजार रूपये समझौता राशि अधिरोपित किया गया है। संबंधित के द्वारा 2 लाख 50 हजार रूपये दिनांक 01.07.2025 को जमा किया गया।
2	मेसर्स अग्रवाल ग्लोबल इन्फ्राटेक	हाटी	100 घमी.	75,000	–
3	श्री यादराम साहू आ. स्व. जगदीश साहू	खरसिया	75 घमी	68,750	–
वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 20.06.2025 तक)					
1	श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड	गणेशपुर	60 घमी.	68,000	–
2	मेसर्स एचओजी प्रायवेट लिमिटेड	पुसौर	600 घमी.	2,30,000	–
3	मेसर्स सिम्पलेक्स प्रायवेट लिमिटेड	पुसौर	1700 घमी.	5,60,000	–
4	मेसर्स एनसीसी प्रायवेट लिमिटेड	पुसौर	1700 घमी.	5,60,000	–

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

प्रपत्र

राजनांदगांव एवं मोहला--मानपुर–अं.चौंकी जिले में वर्ष 2022–23 से 20 जून 2025 तक बिगड़े वनों की सुधार योजना के अंतर्गत किए गए पौधा रोपण का परिक्षेत्रवार, लागतवार, स्थलवार, प्रजातिवार, विवरण एवं रोपे गए पौधों में से सुरक्षित पौधों का वर्षवार, वनपरिक्षेत्रवार, स्थलवार विवरण

वर्ष	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण स्थल का नाम	लागत राशि (रूपये में)	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	रोपित प्रजाति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	9
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	बिगडे वनों का सुधार । चाबुकनाला 595	2148737	17468	15197	सागौन, अर्जुन, बांस, करंज शीशम, जामुन, आंवला, बहेड़ा, ईमली
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	। भर्रीटोला 509	2727704	22000	17380	सागौन, अर्जुन, जामुन, काला सीरस, बांस, आंवला, कटहल
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	। घोघरे पी 653	1374276	7500	6300	सागौन, बांस, जामुन, बहेड़ा, करंज, अर्जुन, आंवला, काला सीरस, सफेद सीरस, कटहल, आम, शिशु, शहतूत
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	। गेरूघाट आरेज 1103	479114	3894	3349	सागौन, बांस, कटहल, जामुन, बहेड़ा
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	। गेरूघाट आरेज 1109	1831186	14883	11906	सागौन, बांस, खम्हार, आंवला, शिशु, सिरस, करंज, अर्जुन, जामुन
2022–23	राजनांदगांव	बाघनदी	।। गेरुघाट पी 633	9978292	72000	58320	सागौन, बांस, करंज, शिशम, जामुन, कटहल, आंवला, बहेड़ा, खम्हार, काला सीरस, अर्जुन
2022–23	राजनांदगांव	खुज्जी	। चरभाटा 528	4215688	33000	26400	सागौन, बांस, खम्हार, आंवला, आम, अर्जुन, नीम, शीशम, जामुन, बहेड़ा
2022–23	राजनांदगांव	पानाबरस (चौकी)	। बिटेश्वर ओ.ए.1132	1321924	11000	6800	सागौन, बांस, अर्जुन, खम्हार, आंवला, शीशम, बहेड़ा

वर्ष	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण स्थल का नाम	लागत राशि (रूपये में)	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	रोपित प्रजाति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	9
2022–23	राजनांदगांव	पानाबरस (चौकी)	। बिटेझर ओ.ए.1135	1321920	11000	7450	सागौन, बांस, अर्जुन, खम्हार, आंवला, शीशम
				25398841	**192745**	**153102**	
2023–24	राजनांदगांव	बाघनदी	।।। घेरूघाट पी 633	7977402	55200	50784	सागौन, आंवला, शिशु, करज, अर्जुन, जामुन, बहेड़ा, सफेद सीरस
2023–24	राजनांदगांव	बाघनदी	।।। मासुलजोब पी 649	1958369	12000	10800	बांस
2023–24	राजनांदगांव	चौकी	।।। बिटेझर 1143	478228	4000	2880	बांस
				10413999	**71200**	**64464**	
2024–25	राजनांदगांव	———— निरंक ————					
	मोहला	———— निरंक ————					
2025–26 (20 जून 25 तक)	राजनांदगांव	———— निरंक ————					
	मोहला	———— निरंक ————					
				35812840	**263945**	**217566**	

प्र.मु.व.सं. एवं वन बले प्रमुख
द्वारा अनुमोदित

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

परिशिष्ट - नौ
तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 193) की जानकारी

प्रपत्र–अ

प्रदेश में जिलावार स्थापित शक्कर कारखानों की जानकारी

स.क्र.	जिला	कारखाने का नाम	पेराई क्षमता
1	2	3	4
1.	कबीरधाम	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा	3500 टन प्रतिदिन
2.		लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया	2500 टन प्रतिदिन
3.	सूरजपुर	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर	2500 टन प्रतिदिन
4.	बालोद	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद	1250 टन प्रतिदिन

टीप :– शक्कर कारखानों की स्थापना उत्पादन क्षमता के आधार पर न किया जाकर पेराई क्षमता के आधार पर किया जाता है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–ब

कारखानावार घाटे की जानकारी

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	कारखाने का नाम	संचित हानि (दिनांक 31/03/2024 की स्थिति में)
1	2	3
1.	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा	92.13
2.	लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया	232.95
3.	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर	125.70
4.	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद	114.89

शक्कर कारखानों के घाटे के प्रमुख कारण

1. शक्कर कारखानों द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम को प्रचलित बाजार दर से कम दर पर पी. डी.एस. अंतर्गत शक्कर का विक्रय किया जाना।
2. पेराई क्षमता के अनुसार गन्ने की पेराई न होना।
3. कारखानों में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी का पुराना होने के कारण मेंटनेंस व्यय अधिक होना एवं पेराई क्षमता प्रभावित होना।
4. भारत सरकार द्वारा जारी गन्ने के एफ.आर.पी. दर में प्रतिवर्ष वृद्धि के अनुपात में शक्कर के विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं होना।
5. शक्कर विक्रय हेतु कोटा प्रणाली लागू होने के कारण कारखानों को शक्कर विक्रय करने में विलंब होना।
6. कारखानों पर बकाया स्थापना ऋण एवं कार्यशील पूंजी ऋण पर प्रभारित ब्याज एवं दंड ब्याज।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 296) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2021 से 20.06.2025 तक लू से हुई मृत्यु की जानकारी

क0	जिले का नाम	वर्ष							
		2021	2022	2023	2024	2025 (20.06.2025 तक)	कुल	मुआवजा वितरित प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
2	महासमुंद	0	0	0	0	0	0	0	0
3	धमतरी	0	0	0	1	0	1	1	0
4	बलौदाबाजार–भाटापारा	0	0	0	1	0	1	1	0
5	गरियाबंद	0	0	0	0	0	0	0	0
6	दुर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0
7	राजनांदगांव	0	1	0	0	0	1	1	0
8	कबीरधाम	0	0	0	0	0	0	0	0
9	बालोद	0	0	0	0	0	0	0	0
10	बेमेतरा	0	0	0	0	0	0	0	0
11	मोहला–मानपुर–अं.चौकी	0	0	0	0	0	0	0	0
12	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	0	0	0	0	0	0	0	0
13	बिलासपुर	1	3	17	24	0	45	45	0
14	मुंगेली	0	0	1	5	0	6	6	0
15	जांजगीर–चांपा	2	2	7	3	0	14	14	0
16	कोरबा	1	1	0	5	2	9	9	0
17	रायगढ़	0	0	1	1	0	2	0	2
18	गौरेला–पण्ड्रा– मरवाही	0	0	0	0	0	0	0	0
19	सक्ती	0	1	2	3	0	6	6	0
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	0	4	1	1	0	6	5	1
21	बस्तर	0	0	0	0	0	0	0	0
22	दन्तेवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0
23	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0
24	सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	0
25	कोण्डागाव	0	1	0	0	0	1	1	0
26	काकेर	0	0	0	0	0	0	0	0
27	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
28	सरगुजा	0	0	0	0	0	0	0	0
29	सूरजपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
30	बलरामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
31	जशपुर	0	0	0	1	0	1	1	0
32	कोरिया	0	0	0	0	0	0	0	0
33	मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**4**	**13**	**29**	**45**	**2**	**93**	**90**	**3**

प्रपत्र-अ

छ.ग. राज्य अंतर्गत संचालित मत्स्य पालन पाठ्यक्रम, शैक्षणिक संस्थान एवं शैक्षणिक अर्हता की जानकारी

क्र.	मत्स्य पालन पाठ्यक्रम हेतु संचालित शैक्षणिक संस्थान का नाम एवं स्थान	संचालित पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम शुरू होने का वर्ष	पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता
1	स्व. श्री पुनाराम निषाद मात्स्यिकी महाविद्यालय, कवर्धा, जिला - कबीरधाम (छ.ग.)	बी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम	वर्ष 2010 से	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 से 12वीं कक्षा विज्ञान संकाय (भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के साथ) उत्तीर्ण हो तथा वर्तमान सत्र की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नीट) की प्रावीण्य सूची के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।
		एम.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम	वर्ष 2017-18 से	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एफ.एस.सी. (स्नातक) परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।
2	मात्स्यिकी पॉलीटेक्निक, ग्राम-राजपुर, धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	डी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम	वर्ष 2020-21 से	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 से 12वीं कक्षा विज्ञान संकाय (भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के साथ) उत्तीर्ण हो तथा वर्तमान सत्र की पी.ए.टी./पी.व्ही.पी.टी. की प्रावीण्य सूची के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

प्रपत्र-ब

छतीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिलेवार मत्स्य उत्पादन (प्रजातिवार) एवं खपत की जानकारी

(इकाई-मेट्रिक टन में)

क्रमांक	कृषि जलवायु क्षेत्र	जिला	मत्स्य उत्पादन प्रजातिवार वजन (मेट्रिक टन में)									मत्स्य खपत
			कतला	रोहू	मृगल	कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प	पंगेशियस	तेलापिया	लोकल मेजर	लोकल माईनर	कुल उत्पादन	
1	उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र	कोरिया	1550.000	1340.800	950.300	720.100	208.300	0.000	750.000	409.500	**5929.000**	**5630.000**
2		मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर	1650.000	1410.000	950.000	1050.000	200.000	110.000	450.000	251.000	**6071.000**	**4093.000**
3		जशपुर नगर	3088.500	3088.500	1544.250	514.750	205.900	102.950	926.550	823.600	**10295.000**	**8236.000**
4		अंबिकापुर	2253.724	3004.966	1126.862	1126.864	469.526	187.810	751.242	469.526	**9390.520**	**5164.786**
5		बलरामपुर रामानुजगंज	5085.000	2718.000	1090.000	771.000	0.000	0.000	101.000	406.000	**10171.000**	**10171.000**
6		सूरजपुर	1350.928	2026.392	1501.031	1125.773	375.257	150.103	600.259	375.257	**7505.000**	**5253.453**
7	मध्य समतल क्षेत्र	जांजगीर	11989.000	8565.000	8563.000	5138.000	2141.000	857.000	3425.000	2141.000	**42819.000**	**23551.000**
8		सक्ति	4672.040	3800.000	3800.000	4070.000	965.650	386.260	1545.440	965.650	**20205.040**	**11514.190**
9		कोरबा	7665.940	4318.850	4232.970	3932.970	2096.230	684.099	1010.301	750.580	**24691.940**	**13599.220**
10		रायगढ़	12873.000	9654.300	6436.200	3218.100	2011.350	804.540	3218.160	2011.350	**40227.000**	**22124.850**
11		सारंगढ़	15427.200	964.200	964.200	1157.040	771.360	0.000	1928.400	2892.600	**24105.000**	**14463.000**
12		बिलासपुर	11719.580	12980.000	11355.000	6323.000	1597.000	498.090	2870.000	3230.000	**50572.670**	**34582.000**
13		गोरेला पेण्ड्रा मरवाही	1705.000	1501.000	1024.400	1228.000	300.000	100.000	682.000	282.600	**6823.000**	**3823.000**
14		मुंगेली	4140.000	5160.000	3010.000	3080.000	962.000	380.000	1540.000	965.000	**19237.000**	**10580.000**
15		रायपुर	20000.000	16000.000	9000.000	4528.000	3095.000	1238.000	4954.000	3095.210	**61910.210**	**34050.610**
16		बलौदाबाजार	9548.000	11542.000	10785.000	10608.000	2690.000	1062.000	4248.000	2620.000	**53103.000**	**29205.690**
17		गरियाबंद	9174.000	8387.000	4718.000	3931.000	226.000	138.000	2620.000	3932.000	**33126.000**	**18220.000**
18		धमतरी	9896.640	8164.728	4948.620	1731.912	1546.350	618.540	2474.160	1546.350	**30927.300**	**17010.150**
19		महासमुंद	21069.262	9865.010	5432.500	6420.180	1481.590	493.860	988.000	1481.400	**47231.802**	**24513.372**
20		दुर्ग	8800.000	8100.000	7000.000	6550.000	2800.000	387.000	4334.800	2750.000	**40721.800**	**23534.800**
21		बालोद	5626.000	8656.000	7358.000	12984.000	2164.000	866.000	3462.000	2455.710	**43571.710**	**24095.710**
22		बेमेतरा	9583.000	8100.000	7000.000	6550.000	2800.000	387.000	2800.000	1750.000	**38970.000**	**21786.000**
23		राजनांदगांव	5600.000	5000.000	4500.000	11400.000	1800.000	700.000	2475.000	1600.000	**33075.000**	**18200.000**
24		मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी	3940.000	3568.000	2584.000	3595.000	786.000	114.000	357.000	786.000	**15730.000**	**8643.000**

क्रमांक	कृषि जलवायु क्षेत्र	जिला	मत्स्य उत्पादन प्रजातिवार वजन (मेट्रिक टन में)									मत्स्य खपत
			कतला	रोहू	मृगल	कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प	पंगेशियस	तेलापिया	लोकल मेजर	लोकल माईनर	कुल उत्पादन	
25	मध्य समतल क्षेत्र	खैरागढ़	3740.000	3268.000	2284.000	1452.000	672.000	269.000	1074.000	671.000	**13430.000**	**7386.000**
26		कबीरधाम	5655.000	6283.200	3769.800	8002.140	1748.430	771.000	2311.000	2097.000	**30637.570**	**17596.180**
27	दक्षिणी पठार क्षेत्र	उ.बस्तर कांकेर	13018.000	11030.580	8633.600	8707.090	39000.000	11000.000	3804.080	2377.650	**97571.000**	**78056.800**
28		जगदलपुर	3571.470	3911.610	4591.890	916.660	60.490	20.170	2360.820	1573.890	**17007.000**	**9864.060**
29		कोण्डागांव	1518.380	1094.530	958.750	1316.180	45.876	33.660	275.500	1860.200	**7057.200**	**7057.200**
30		नारायणपुर	733.664	479.480	379.480	113.556	0.000	0.000	126.732	79.288	**1912.200**	**1912.200**
31		दंतेवाड़ा	1530.000	1620.000	770.000	680.000	400.000	0.000	480.000	253.000	**5733.000**	**4300.000**
32		सुकमा	2998.030	3289.000	1489.000	2390.000	407.000	190.877	956.595	237.038	**11957.540**	**6576.647**
33		बीजापुर	2991.980	3100.000	2600.000	2400.000	0.000	0.000	200.000	100.000	**11391.980**	**10791.980**
योग			**224163.338**	**181991.146**	**135350.853**	**127731.315**	**73980.433**	**22549.959**	**60100.039**	**47239.399**	**873106.482**	**535585.898**

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष [illegible]
छत्तीसगढ़ शासन
मत्स्य पालन विभाग

परिशिष्ट - बारह

तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 199) की जानकारी

प्रपत्र

सहकारी समिति जाड़ामुड़ा में जांच में पाये गये दोषियों का नाम एवं की गई कार्यवाही

क्र.	समिति के कर्मचारी	पदनाम	की गई कार्यवाही
1	श्री उमेश कुमार भोई	समिति प्रभारी	समिति से बर्खास्त किया गया है एवं उनके विरूद्ध थाना बसना में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 56 दिनांक 29.01.2024 दर्ज कराया गया है । प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है ।
2	श्री मनोज प्रधान	कम्प्यूटर ऑपरेटर	समिति से कार्यमुक्त किया गया हैं एवं उनके विरूद्ध थाना बसना में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 63 दिनांक 01.02.2024 दर्ज कराया गया है। प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
3	श्री मनीष प्रधान	कम्प्यूटर ऑपरेटर	

जॉच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये कृषकों की सूची एवं की गई कार्यवाही

क्र.	कृषक का नाम	की गई कार्यवाही
1	श्री रामप्रसाद/नंदलाल	प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 56 दिनांक 29.01.2024 दर्ज कराया गया है। प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
2	श्री संतलाल/ईश्वर	प्रकरण में थाना प्रभारी बसना के द्वारा रामप्रसाद के अतिरिक्त जांच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये अन्य 09 कृषकों को आरोपीगणों की सूची में नाम दर्ज किया गया है। प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
3	श्री दासरथी/ईश्वर	
4	श्री निराकार/दासरथी	
5	श्री ईश्वर/उदेमणी	
6	श्री मनोहर/बैकुण्ठ बिहारी	
7	श्री मुरारीलाल/लक्ष्मीधर	
8	श्री हितेश/आशाराम	
9	श्री बोदराम/भरत	
10	श्री गौतम बरिहा/कुसनी	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र

उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व अरसीकन्हार रेंज अंतर्गत कैम्पा मद ए.पी.ओ.वर्ष 2018–19 मे स्वीकृत आवास की जानकारी

(राशि रूपये में)

क्रं.	ए.पी.ओ.वर्ष	कार्य स्वीकृत तिथि	निर्माण कार्य का नाम	कार्य स्थल/ग्राम	स्वीकृत राशि	मई 2025 तक व्यय राशि	कार्य पूर्ण /अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2018–19	18.05.2021	वनरक्षक आवास गृह मशानडबरा	मैसासांकरा	547000	377204	अपूर्ण
2	2018–19	18.05.2021	वनरक्षक आवास गृह पश्चिम तुमडीबाहार	अरसीकन्हार	547000	315549	अपूर्ण
3	2018–19	18.05.2021	वनरक्षक आवास गृह मेचका	अरसीकन्हार	547000	341887	अपूर्ण
4	2018–19	18.05.2021	वनरक्षक आवास गृह अरसीकन्हार	अरसीकन्हार	547000	361558	अपूर्ण
5	2018–19	18.05.2021	वनरक्षक आवास गृह लिलांज	लिलांज	547000	366318	अपूर्ण
6	2018–19	18.05.2021	वनरक्षक आवास गृह बिलपानी	लिलांज	547000	365917	अपूर्ण
7	2018–19	18.05.2021	वनरक्षक आवास गृह पश्चिम खालगढ़	अरसीकन्हार	547000	258254	अपूर्ण
8	2018–19	18.05.2021	वनरक्षक आवास गृह बोईरगांव	मेचका	547000	328842	अपूर्ण
कुल योग					**4376000**	**2715529**	

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(व.प्रा. प्रबंधन एवं योजना तथा ईको–टूरिज्म)
छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - चौदह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 2) की जानकारी

"प्रपत्र"

जिला बिलासपुर में वर्ष 2022–23 से 25 जून 2025 की स्थिति में स्वीकृत खनिपट्टा/उत्खनिपट्टा/भण्डारण अनुज्ञप्ति की जानकारी :–

क्र.	पट्टेदार का नाम व पता	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	रकबा (हेक्ट. में)	खनिज का नाम	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
खनिपट्टा							
				निरंक			
उत्खनिपट्टा							
1	मेसर्स जे.आर.सी. ऐसोसिऐट्स प्रो. श्री जसबीर सिंह चावला निवासी नर्मदा नगर जिला बिलासपुर	हरदी	बोदरी	5.03 हे.	डोलोमाईट	18.04.2023 से 17.04.2073	लीज क्षेत्र के भीतर केशर स्थापित नहीं है।
2	मेसर्स शाह स्टोन स्पलायर्स, पार्टनर श्री हरीश कुमार शाह निवासी विनोबा नगर बिलासपुर	धौराभांठा	बिल्हा	3.653 हेक्टेयर	डोलोमाईट	08.01.2025 से 07.01.2075	लीज क्षेत्र के भीतर केशर स्थापित नहीं है।
3	मेसर्स राशि स्टील एण्ड पावर लिमि. डाय. श्रीमति ज्योति अग्रवाल निवसी बिलासपुर	बेलटुकरी	मस्तूरी	4.107 हेक्टेयर	डोलोमाईट	14.01.2025 से 13.01.2075	लीज क्षेत्र के भीतर केशर स्थापित एवं संचालित है।
भण्डारण अनुज्ञप्ति							
1	मेसर्स बाहुबली कंस्ट्रक्शन प्रो. पार्टनर सुरेशचंद जैन, आयुष अग्रवाल निवासी लैण्डमार्ग बिल्डिंग शांति नगर बिलासपुर	सिलपहरी	बेलगहना	1.00 हेक्टेयर	साधारण पत्थर	29.03.2025 से 28.03.2027	लीज क्षेत्र के भीतर केशर स्थापित नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

जिला बिलासपुर में वर्ष 2022–23 से 25 जून 2025 की स्थिति में स्वीकृत खनिपट्टा/उत्खनिपट्टा/भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्रों में स्थापित एवं संचालित क्रशरों की जानकारी :–

क्र.	पट्टेदार का नाम व पता	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	रकबा (हेक्ट. में)	अवधि	खनिज का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
	खनिपट्टा/उत्खनिपट्टा						
				निरंक			
	भण्डारण अनुज्ञप्ति						
1	मेसर्स खाटू कोल सेल्स पार्टनर श्री हिमाशु गोयल आ. श्री महेश चंद गोयल, श्रीमती सरोज देवी गोयल, निवासी मकान नं. 20/21 इन्दू इमेजिका छतौना, तहसील सकरी, बिलासपुर श्री हितेश गोयल निवासी ए–202 कोहिनूर अशोक रतन, शंकर नगर, रायपुर	मुरू	सकरी	0.445	26.05.2022 से 25.05.2032	कोयला	केशर स्थापित एवं संचालित है।
2	मेसर्स ग्लोबल मिनरल्स प्रो. श्री सागर सिंह, निवासी अज्ञेय नगर, बिलासपुर	अमसेना	सकरी	3.063	24.04.2023 से 23.04.2033	कोयला	केशर स्थापित एवं संचालित है।
3	मेसर्स रामा कोल वाशरीज प्रा.लि. डाय. श्री कमल केजरीवाल, निवासी मनेन्द्रगढ़	अमली	कोटा	3.540	22.06.2023 से 21.06.2033	कोयला	केशर स्थापित एवं संचालित है।
4	मेसर्स मणिकर्णिका लॉजिस्टिक प्रा.लि.डाय. श्री अजय कुमार पाण्डेय, निवासी कोरबा छ.ग.	सेंदरी	बिलासपुर	4.566	05.10.2023 से 04.10.2033	कोयला	केशर स्थापित एवं संचालित है।
5	मेसर्स यूनिवर्सल, पा. श्री भास्कर सिंह ठाकुर, निवासी पुरई, दुर्ग	लोखण्डी	सकरी	0.506	05.10.2023 से 04.10.2033	कोयला	केशर स्थापित एवं संचालित है।
6	मेसर्स हरिकृपा मिनरल्स प्रो. श्रीमती निधि राजपाल, निवासी बिल्हा, बिलासपुर	कनेरी	बिल्हा	1.497	14.02.2023 से 13.02.2033	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	केशर स्थापित एवं संचालित है।

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

प्रपत्र–अ

किये गये भुगतान की जानकारी

क्रमांक	एजेंसी का नाम	कार्य का नाम	कार्यवार क्रय सामग्री का नाम	भुगतान की गई राशि (जी.एस.टी.सहित)
1	2	3	4	5
1	अग्रवाल ट्रेड लिंक्स, रायपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटिंग व्यवस्था)	वयस्क लाईफ जैकेट– 20 नग, युवा लाईफ जैकेट –15 नग, जूनियर लाईफ जैकेट--10 नग	56,096
2	अग्रवाल ट्रेड लिंक्स, रायपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटिंग एवं अन्य सहायक उपकरण की व्यवस्था)	4 सीटर बोट– 02 नग, एवं अन्य सहायक उपकरण	2,99,940
3	अग्रवाल ट्रेड लिंक्स, रायपुर	डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटिंग एवं अन्य सहायक उपकरण की व्यवस्था)	6 सीटर बोट–01 नग, अन्य सहायक उपकरण	2,94,830
4	अग्रवाल ट्रेड लिंक्स, रायपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (प्रशिक्षण कार्य)	प्रस्तावित कैंपसाइट के लिए योजना, डिजाइन निर्माण, लेआउट, एवं सेटअप, प्रशिक्षण –01 नग	88,500
5	अग्रवाल ट्रेड लिंक्स, रायपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटिंग हेतु पार्किंग व्यवस्था)	मॉड्यूलर फ्लोटिंग पोंटून डॉक जेटी – 30 नग	2,99,250
6	अग्रवाल ट्रेड लिंक्स, रायपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटिंग व्यवस्था)	इलेक्ट्रिक मोटर – 01 नग	1,53,400
7	अग्रवाल ट्रेड लिंक्स, रायपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (वेंटिग स्थल का निर्माण)	शेल्टर 15×15 फीट – 04 नग	1,32,160
8	अग्रवाल ट्रेड लिंक्स, रायपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (बोटिंग हेतु पैडल बोट)	4 सीटर पेडल बोट – 02 नग	1,51,200
9	मल्टीटेक सेल्स कॉर्पोशन, जबलपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की बैठक व्यवस्था)	बिना ब्रांड वाली लाइट वेट फोल्डिंग चेयर आर्म के साथ – 20 नग	26,448
10	शुभ एग्रो एण्ड कम्पनी, लखनऊ	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों के रूकने की व्यवस्था)	ऑल इंडिया मिलिट्री टेंट – 01 नग	24,999

क्रमांक	एजेंसी का नाम	कार्य का नाम	कार्यवार क्रय सामग्री का नाम	भुगतान की गई राशि (जी.एस.टी.सहित)
1	2	3	4	5
11	भाव्य खत्रेरी, खैरागढ़	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटन क्षेत्र की सुरक्षा)	चेन लिंक– 1200 कि.ग्रा.	90,000
12	गुरूकृपा इलेक्ट्रनिक, रायपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों के लिए सुविधा हेतु किचन विकास)	300×300 स्केल (वजन मशीन) – 01 नग, 400×400 स्केल (वजन मशीन) – 01 नग, 250×300 टेबल (वजन मशीन) टॉप 30 कि. ग्रा. – 01नग, स्टैम्पिंग फीस (मशीन चार्ज) –03 नग	15,360
13	फन स्पोर्ट, रायपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों के लिए सुविधा विकास)	10 इंच जीएसओ रॉकर माउंट रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप सौर फिल्टर के साथ, निकॉन और कैनन कैमरा अटैचमेंट और आई पीस के लिए टी रिंग्स – 01 सेट	1,04,430
			योग	**17,36,613**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

प्रपत्र–ब

लंबित भुगतान की जानकारी

क्रमांक	एजेंसी का नाम	कार्य का नाम	कार्यवार क्रय सामग्री का नाम	भुगतान योग्य राशि (जी.एस.टी.सहित)
1	2	3	4	5
1	डिजिटल स्टोरी, भिलाई	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की सुविधा हेतु विद्युत व्यवस्था)	लोगो डिजाइनिंग ब्रांड मैनुअल –01 नग, 4 फोल्ड ब्रोशर – 2000 नग, ब्रोशर डिजाइनिंग लिथियम आयन सोलर बैटरी – 08 नग, लिथियम आयन सोलर बैटरी – 12 नग, 545 डब्ल्यूपी बाइफिकल हाफ कट मॉड्यूल कट मॉड्यूल डीसीआर– 04 नग, सोलर वेरटर प्रो 6 केवीए– 01 नग, कॉपर बॉन्डेड रॉड –05 नग, कॉपर वायर– 20 नग, पीपी पीआईटी कोव– 01 नग, 545 डब्ल्यूपी बाइफिकल हाफ कट मॉड्यूल डीसीआर – 06 नग	69,620
2	विराची सेल्स, रायपुर	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों की सुविधा हेतु विद्युत व्यवस्था)	लिथियम आयन सोलर बैटरी – 08 नग, लिथियम आयन सोलर बैटरी – 12 नग, 545 डब्ल्यूपी बाइफिकल हाफ कट मॉड्यूल कट मॉड्यूल डीसीआर– 04 नग, सोलर वेरटर प्रो 6 केवीए– 01 नग, कॉपर बॉन्डेड रॉड –05 नग, कॉपर वायर– 20 नग, पीपी पीआईटी कोव– 01 नग, 545 डब्ल्यूपी बाइफिकल हाफ कट मॉड्यूल डीसीआर – 06 नग	19,11,960
3	बोलबम बोरवेल्स, छुईखदान	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पेय जल व्यवस्था)	बोर खनन – 301 फीट, पानी जांच– 01 नग, केसिंग पाईप– 94 फीट, साकेट– 4 नग, फिल्टर– 44 फीट	95,950
4	शिवम ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, छुईखदान	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों हेतु सुविधा विकास)	फ्लाई एस ईट– 12000 नग	67,200
5	मॉ नर्मदा एग्रो, छुईखदान	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों हेतु सुविधा विकास)	पेटी – 03 नग	14,018
6	मजदूरी कार्य	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों हेतु सुविधा विकास)	मजदूरी कार्य	1,22,008
7	शासकीय राशि का खजाना दाखिल	छिन्दारी डेम में विकास एवं निर्माण कार्य (पर्यटकों हेतु सुविधा विकास)	शासकीय बांस एवं बल्ली	22,700
			योग	**23,03,456**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

परिशिष्ट - सोलह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 8) की जानकारी

प्रपत्र

क	जिला	पदनाम	जिले अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों के रिक्त पदो की जानकारी
1	2	3	4
1	मोहला–मानपुर–अं. चौकी	सहायक शिक्षक	725
		प्रधानपाठक प्रा.शाला	40
		शिक्षक	330
		प्रधानपाठक मा.शाला	22
		व्याख्याता	123
		प्राचार्य	60
योग			1300

अनुभाग अधिकारी
लोक शिक्षण विभाग
संचालनालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

परिशिष्ट - सत्रह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 34) की जानकारी

विधानसभा
तत्काल

iii=

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

क्रमांक PLGMJ-2401(1)/273/2025-REVENUE-4 नवा रायपुर दिनांक

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय,
रायपुर।

विषयः- तारांकित प्रश्न क्रमांक 34 श्री उमेश पटेल, माननीय सदस्य विधानसभा।

------0000------

विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ विधानसभा तारांकित प्रश्न 34 द्वारा माननीय सदस्य श्री उमेश पटेल, सदस्य विधानसभा की छायाप्रति संलग्न है।

"प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के कितने मामले लंबित हैं ? जिलेवार, तहसीलवार एवं प्रकारवार जानकारी देवें ? लंबित मामलों में केवल नामांतरण के कितने मामले हैं ? प्रदेश में राजस्व प्रकरण लंबित ना हों इसके लिए क्या कार्ययोजना है ? लंबित प्रकरणों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा जानकारी देवे ?"

2/ विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 34 में पूछी गई उपरोक्त जानकारी अति विस्तृत स्वरूप का है। छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय विभाग नियमावली के नियम 16 के अधीन "उसमें ऐसी नीति के प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे जो इतने विस्तीर्ण हों कि प्रश्न के उत्तर समय-सीमा के भीतर ना आ सकें"

3/ उक्त विधानसभा प्रश्न की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि संसदीय कार्य विभाग नियमावली के नियम 36 (16) के तहत तारांकित प्रश्न क्रमांक 34 को आग्रह्य करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(टंक राम वर्मा)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

परिशिष्ट - अट्ठारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 50) की जानकारी

प्रपत्र

जिला	कितनी राशि की अनियमितता पाई गई है।	किस अवधि में यह गड़बड़िया घटित हुई है
रायपुर	रू. 505297429/–	2023–24
धमतरी	निरंक	निरंक
कांकेर	निरंक	निरंक
कोण्डागांव	निरंक	निरंक
कोरबा	निरंक	निरंक
रायगढ़	निरंक	निरंक
जांजगीर–चांपा	निरंक	निरंक
जशपुर	निरंक	निरंक
दुर्ग	निरंक	निरंक
राजनांदगांव	निरंक	निरंक
बिलासपुर	निरंक	निरंक

परिशिष्ट - उन्नीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 107) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

जिला-सूरजपुर में महाविद्यालय बिश्रामपुर, सूरजपुर, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर में स्नातकोत्तर पाठयक्रम/विषय संचालित की जानकारी

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर पाठयक्रम
1	2	3	4
1	सूरजपुर	शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर	एम.ए. हिन्दी
			एम.ए. समाजशास्त्र
			एम.ए. राजनीतिविज्ञान
			एम.ए. अर्थशास्त्र
			एम.एस.सी. रसायनशास्त्र
			एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र
			एम.कॉम.
			एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र (स्ववित्तीय मद से)
			एम.एस.सी. माईक्रोबायोलॉजी (स्ववित्तीय मद से)
			एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस (स्ववित्तीय मद से)
			पी.जी.डी.सी.ए. (स्ववित्तीय मद से)
2	सूरजपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, विश्रामपुर	निरंक
3	सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय रामानुजनगर	निरंक
4	सूरजपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, प्रेमनगर	निरंक

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र 'ब'

जिला सूरजपुर के सभी महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों की स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद की महाविद्यालयवार जानकारी

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
1	सूरजपुर	शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर	प्राचार्य (स्नातकोत्तर)	1	0	1
			प्राध्यापक	7	0	7
			सहायक प्राध्यापक	14	13	1
			ग्रंथपाल	1	1	0
			क्रीड़ाधिकारी	1	1	0
			तृतीय श्रेणी	9	2	7
			चतुर्थ श्रेणी	11	2	9
2	सूरजपुर	शासकीय कालिदास महाविद्यालय प्रतापपुर	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	11	8	3
			क्रीड़ाधिकारी	1	0	1
			ग्रंथपाल	1	0	1
			तृतीय श्रेणी	6	2	4
			चतुर्थ श्रेणी	8	2	6
3	सूरजपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, विश्रामपुर	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	13	7	6
			तृतीय श्रेणी	7	2	5
			चतुर्थ श्रेणी	5	0	5
4	सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय रामानुजनगर	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	12	6	6
			तृतीय श्रेणी	6	3	3
			चतुर्थ श्रेणी	7	1	6
5	सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय सिलफिली	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	10	8	2
			तृतीय श्रेणी	7	4	3
			चतुर्थ श्रेणी	5	2	3

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

6	सूरजपुर	पंडित रविशंकर त्रिपाठी शासकीय महाविद्यालय भैयाथान	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			प्राध्यापक	2	0	2
			सहायक प्राध्यापक	12	6	6
			तृतीय श्रेणी	7	1	6
			चतुर्थ श्रेणी	5	2	3
7	सूरजपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, प्रेमनगर	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	10	4	6
			तृतीय श्रेणी	7	1	6
			चतुर्थ श्रेणी	5	2	3
8	सूरजपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय ओड़गी	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	10	4	6
			तृतीय श्रेणी	6	2	4
			चतुर्थ श्रेणी	4	2	2
9	सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय डुमरिया, जरही	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	10	5	5
			तृतीय श्रेणी	6	2	4
			चतुर्थ श्रेणी	5	1	4
10	सूरजपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चांदनी बिहारपुर	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	10	3	7
			तृतीय श्रेणी	6	1	5
			चतुर्थ श्रेणी	4	1	3
11	सूरजपुर	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सूरजपुर	प्राचार्य (स्नातक)	1	0	1
			सहायक प्राध्यापक	12	8	4
			ग्रंथपाल	1	0	1
			क्रीड़ाधिकारी	1	0	1
			तृतीय श्रेणी	8	2	6
			चतुर्थ श्रेणी	10	2	8

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 134) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	जिला का नाम	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या	पीएमश्री योजना में शामिल विद्यालयों की संख्या	वर्ष 2025 –26 के व्यय का विवरण	
				स्थापना अनुदान में	अन्य अनुदान में
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	36	12	412100000	0
2	महासमुंद	13	4	41154000	235000
3	गरियाबंद	11	1	15264186	0
4	बलौदाबाजार भाटापारा	25	6	75200000	2500000
5	धमतरी	12	4	47068277	448206
6	दुर्ग	52	6	258685343	5200000
7	बालोद	30	5	148800000	3000000
8	बेमेतरा	18	7	98120309	1800000
9	कबीरधाम	10	6	66800000	1000000
10	राजनांदगांव	10	4	56800000	1000000
11	मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी	5	3	20800000	500000
12	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	6	4	32400000	600000
13	बिलासपुर	34	5	205400000	3400000
14	कोरबा	55	6	26809000	0
15	रायगढ़	41	7	235804645	4100000
16	मुंगेली	8	3	39944471	0
17	जांजगीर	15	2	34800000	1500000
18	सक्ती	10	4	7766382	165000
19	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	9	2	17674805	0
20	सारंगढ़ बिलाईगढ़	14	3	24711550	1400000
21	बस्तर	62	4	34426308	0
22	कांकेर	45	6	44130343	3776390
23	कोण्डागांव	20	6	40400000	2000000
24	सुकमा	25	2	28000000	2500000
25	दंतेवाड़ा	60	2	7527512	6000000
26	बीजापुर	37	2	42800000	3700000
27	नारायणपुर	7	0	26401957	0
28	सरगुजा	18	2	42640200	1800000
29	सूरजपुर	17	6	41143144	1700000
30	जशपुर	16	4	32400000	1600000
31	बलरामपुर	15	4	43210379	1500000
32	कोरिया	8	0	17469327	190690
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	7	0	19899741	700000
योग		**751**	**132**	**2286551879**	**52315286**

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
प्रारंभिक शिक्षण संचालनालय

परिशिष्ट - इक्कीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 146) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष जनवरी 2024 से दिनांक 20.06.2025 तक मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के नए विद्युत उपकेन्द्र, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल लगाने की जानकारी

क्रमांक	कार्य का विवरण	स.क्र.	स्थान	कार्य की स्थिति		रिमार्क
				पूर्ण	शेष	
1	2	3	4	5	6	7
1	नया विद्युत सबस्टेशन लगाने की मांग	1	देवगांव (कंतेली),	कार्य पूर्ण दिनांक 04.07.2024	–	
		2	खम्हरिया (पाण्डे)	कार्य पूर्ण दिनांक 19.07.2024	–	
		3	छाता	–	–	आर.डी.एस.एस. योजना अंतर्गत कोदवा नवीन फीडर 33/11 के.व्ही. चमारी उपकेन्द्र से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अतः नवीन उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं है।
		4	कोदवाबांनी	–	–	
2	ट्रांसफार्मर लगाने की मांग	1	सोनपुरी	कार्य पूर्ण दिनांक 30.03.2024	–	
		2	भाटाबस्ती	कार्य पूर्ण दिनांक 27.11.2024	–	
		3	पंडरभाठा बस्ती	कार्य पूर्ण दिनांक 24.01.2025	–	
		4	लालपुर बस्ती	–	1	कार्य प्रगति पर, माह अगस्त 2025 तक कार्य पूर्ण करना लक्षित है।
		5	टेमरी बस्ती	–	1	
		6	बीजातराई बस्ती	–	1	
		7	मोहतरा	–	1	
		8	कंतेली	–	1	
		9	नवागांव (अमोरा)	–	1	
3	विद्युत पोल की मांग	1	कोलिहाडीह	1	–	क्षतिग्रस्त पोल का सुधार कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
		2	सुरदा	1	–	
		3	रेहुटा	1	–	
		4	मौहामडवा	1	–	
		5	लिम्हा	1	–	
		6	धरमपुरा	1	–	
		7	खैरासेतगंगा	–	1	धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान योजना में शामिल (माह दिसम्बर 2025 में कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है)
		8	छटन	–	1	
		9	दामापुर	–	1	
		10	देवगांव	–	1	
		11	पालचुवा	–	1	
		12	भररूवागुड़ा	–	1	
		13	दुलहिनबाई	–	1	
		14	पलानसरी	–	1	
		15	मानपुर	–	1	
		16	टेमरी	–	1	
		17	मदनपुर	–	1	
		18	सिंगारपुर	–	1	
		19	खैरवार	–	1	
		20	भदराली	–	1	
		21	गुना	–	1	
		22	केसलीकला	–	1	
		23	नवागांव	–	1	
		24	पण्डभट्टा	–	1	
		25	सोढ़ार	–	1	

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - बाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 148) की जानकारी

iii=

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर
:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक.....

क्रमांक एफ 6–22/2008/20 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31.03.2008 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों के इकाईवार रचनाक्रम में एतद् द्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

प्राथमिक शाला

क.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्रधान पाठक	5000–8000	01
2.	सहायक शिक्षक शिक्षा कर्मी वर्ग–3	4000–6000 3800–5800	02
3.	स्वीपर (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	01
		योग	04

यह रचनाक्रम कक्षा 1 से 5 तक के लिए है । प्रत्येक 40 विद्यार्थियों के मान से शिक्षक की व्यवस्था की गई है । अतः यह न्यूनतम 80 विद्यार्थियों के लिये है । 80 के बाद की वृद्धि पर एक अतिरिक्त शिक्षक की पात्रता होगी । प्राथमिक शालाओं में 50 प्रतिशत शिक्षक कला संकाय और 50 प्रतिशत विज्ञान संकाय के होंगे ।

पूर्व माध्यमिक शाला

क.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्रधान पाठक	5500–9000	01
2.	शिक्षक शिक्षा कर्मी वर्ग–2	5000–8000 4500–7000	04
3.	भृत्य नियमित	2550–3200	01
4.	स्वीपर (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	01
		योग	07

पूर्व माध्यमिक शालाओं में 3 कक्षाऐं होती है । एक कक्षा/वर्ग 35 छात्रों की होती है 35 के बाद दर्ज संख्या में वृद्धि होने पर एक शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग–2 के बाद की पात्रता होगी । इसी तरह कम आगे चलता रहेगा । एक शिक्षक अंग्रेजी, हिन्दी/संस्कृत का एक, गणित का एक, विज्ञान का एक तथा कला का एक शिक्षक प्रत्येक शाला में होगा ।

हाई स्कूल

क.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्राचार्य	8000–13500	01
2.	व्याख्याता शिक्षा कर्मी वर्ग–1	5500–9000 5300–8300	06
3.	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000–6000/3800–5800	01
4.	लेखापाल/सहायक ग्रेड–2	4000–6000	01
5.	सहायक ग्रेड–3	3050–4590	01

6.	भृत्य नियमित	2550–3200	02
7.	भृत्य (आक. निधि) / चौकीदार	2550–3200	01
8.	स्वीपर (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	01
		योग	14

■ शिक्षा कर्मी वर्ग–1 / व्याख्याता हाई स्कूलों में निम्न विषयानुसार होंगे :– (1) हिन्दी (2) अंग्रेजी (3) संस्कृत (4) गणित (5) जीव विज्ञान (6) कला संकाय (इतिहास / राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र / भूगोल) ।

■ 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा होगी तथा 35 विद्यार्थियों का एक वर्ग भी होगा । प्रथम 35 विद्यार्थियों के पश्चात् अधिकतम 10 छात्रों की दुर्ज संख्या होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक दिया जायेगा । अतिरिक्त वृद्धि कमशः अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत एवं कला संकाय के शिक्षकों की होगी ।

हायर सेकेण्डरी स्कूल

क.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्राचार्य (10+2)	8000–13500	01
2.	उप प्राचार्य (व्यावसायिक शिक्षा)	6500–10500	01 (जहां संचालित है वहां)
3.	व्याख्याता शिक्षा कर्मी वर्ग–1	5500–9000 5300–8300	11
4.	व्याख्याता (व्यावसायिक शिक्षा) शिक्षा कर्मी वर्ग– 1	5500–9000 5300–8300	03 (जहां संचालित है वहां)
5.	तबला शिक्षक	5000–8000	01 (जहां संचालित है वहां)
6.	संगीत शिक्षक	5000–8000 4500–7000	01 (जहां संचालित है वहां)
7.	कृषि शिक्षक	5000–8000 4500–7000	01 (जहां संचालित है वहां)
8.	व्यायाम शिक्षक शिक्षा कर्मी वर्ग–2	5000–8000 4500–7000	01
9.	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान / निम्न वेतनमान	4500–7000 / 3500–5200	01
10.	सहायक शिक्षक विज्ञान शिक्षा कर्मी वर्ग –3	4000–6000 3800–5800	03
11.	लेखापाल / सहायक ग्रेड–2	4000–6000	01
12.	सहायक ग्रेड–3	3050–4590	02
13.	भृत्य नियमित	2550–3200	04
14.	चौकीदार	2550–3200	01
15.	स्वीपर (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	01
16.	व्याख्याता (कम्प्यूटर) शिक्षा कर्मी वर्ग–1(कम्प्यूटर)	5500–9000 5300–8300	एन.आई.आई.टी. से अनुबंध समाप्त होने के बाद देय होगा
		योग	33

1. हायर सेकेण्डरी स्कूलों में हिन्दी, अंग्रेजी संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास/राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र/भूगोल के एक-एक तथा वाणिज्य के दो व्याख्याता/शिक्षा कर्मी वर्ग–1 के होंगे ।

2. जिस विषय/संकाय के वर्ग बनेंगे उस विषय के व्याख्याता/शिक्षा कर्मी वर्ग–1 देय होंगे ।

3. 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा/वर्ग होगा इससे अधिक होने पर (अधिकतम 10 होने पर) एक अतिरिक्त विषय के व्याख्याता/शिक्षाकर्मी वर्ग–1 देय होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. कमांक 245/20991/वित्त/ब–3/2008, दिनांक 08.05.2008 के द्वारा प्रदान की गई है ।

(बिबियाना तिर्की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.कमांक एफ 6–22/2008/20 रायपुर, दिनांक 13-5-08

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छ0ग0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
3. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर.
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर, कृपया सर्वसंबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 13.5.08
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट - तेईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 172) की जानकारी

प्रपत्र

स.क्र.	प्राचार्य	व्याख्याता	प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक	शिक्षक	प्रधान पाठक प्राथमिक शाला	सहायक शिक्षक
1	3443	6773	2984	4750	1533	6424

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - चौबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 192) की जानकारी प्रपत्र

सत्र 2023–24

क्र.	योजना	योजना का विवरण	योजनांतर्गत आने वाले अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ प्राप्ति हेतु शेष विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्री–मैट्रिक	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	10107	9916	191
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	30331	29612	719
		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	152907	150441	2466
		अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	27947	27723	224
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	44837	44028	809
		योग	266129	261720	4409
2.	पोस्ट–मैट्रिक	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	25864	25810	54
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	40552	39630	922
		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	97383	96383	1000
		योग	163799	161823	1976

सत्र 2024–25

क्र.	योजना	योजना का विवरण	योजनांतर्गत आने वाले अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	योजनांतर्गत लाभ प्राप्ति हेतु शेष विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्री–मैट्रिक	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	11753	9771	1982
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	32445	30964	1481
		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	136174	133362	2812
		अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	16988	15755	1233
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की प्री–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	27164	26991	173
		योग	224524	216843	7681
2.	पोस्ट–मैट्रिक	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	21134	20159	975
		अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति	34013	33323	690
		अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट–मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति	86062	84288	1774
		योग	141209	137770	3439

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर

सहायक सचिवालक

परिशिष्ट - पच्चीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 194) की जानकारी

प्रपत्र–अ

दुर्ग ग्रामीण विधानसभावार धान खरीदी की जानकारी खरीफ वर्ष 2024–25

क्रमांक	समिति का नाम	उपार्जन केंद्र का नाम	उपार्जन केंद्र में संलग्न ग्राम का नाम	पंजीकृत किसानो की संख्या	धान बेचने वाले किसान की संख्या	धान नहीं बेचने वाले किसान की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	अंडा	अण्डा	अण्डा (00032) (अंडा 04)	606	547	59
			कुथरेल (00034) (अंडा 04)	1	1	0
			चिंगरी (00031) (अंडा 04)	327	306	21
			जंजगिरी (00034) (अंडा 04)	503	462	41
			पोटियाकला (00038) (कसारीडीह 10)	1	0	1
			फूलगांव (00020) (दुर्ग 03)	1	0	1
			विनायकपुर (00032) (अंडा 04)	485	452	33
		योग		**1924**	**1768**	**156**
2	आलबरस	आलबरस	आमटी (00030) (अंडा 04)	276	271	5
			आलबरस (00030) (अंडा 04)	404	389	15
			खाड़ा (00027) (अंजोरा(ख) 13)	212	203	9
		योग		**892**	**863**	**29**
3	उतई	उतई	अचानकपुर (00022) (सेलूद 06)	1	1	0
			अरौद (00010) (झलमला 03)	1	1	0
			उतई (00052) (उतई 12)	339	281	58
			उमरपोटी (00052) (उतई 12)	171	146	25
			खम्हरिया (00054) (उतई 12)	1	1	0
			डुंडेरा (00050) (रिसाली 09)	251	221	30
			डूमरडीह (00051) (उतई 12)	240	205	35
			ढौर (00022) (सेलूद 06)	1	1	0
			मोरीद (00005) (भिलाई-3 01)	1	0	1
		योग		**1006**	**857**	**149**
4	उतई	खोपली	खोपली (00056) (उतई 12)	744	701	43
		योग		**744**	**701**	**43**
5	कुथरेल	कुथरेल	अछोटी (00031) (अंडा 04)	309	291	18
			अण्डा (00032) (अंडा 04)	3	3	0
			कुथरेल (00034) (अंडा 04)	585	556	29
			बोरसी (00039) (कसारीडीह 10)	1	1	0
			भनपुरी (00036) (अंडा 04)	2	2	0
			भरदा (00035) (अंडा 04)	188	177	11
		योग		**1088**	**1030**	**58**

6	कोडिया (दुर्ग)	कोडिया (दुर्ग)	आलबरस (00030) (अंडा 04)	1	1	0
			कोकड़ी (00055) (उतई 12)	328	306	22
			कोड़िया (00036) (अंडा 04)	253	246	7
			खम्हरिया (00054) (उतई 12)	253	229	24
			चिरको (00019) (पटेवा 02)	1	1	0
			दुर्ग (00019) (दुर्ग 03)	1	1	0
			धनोरा (00053) (उतई 12)	190	157	33
			बोरसी (00039) (कसारीडीह 10)	38	33	5
			भनपुरी (00036) (अंडा 04)	338	321	17
			रिसाली (00049) (रिसाली 09)	26	19	7
		योग		**1429**	**1314**	**115**
7	कोलिहापुरी	कोलिहापुरी	कसारीडीह (00040) (कसारीडीह 10)	6	3	3
			कोलिहापुरी (00025) (अंजोरा(ख) 13)	104	85	19
			चन्दखुरी (00037) (अंडा 04)	2	2	0
			दुर्ग (00019) (दुर्ग 03)	29	28	1
			पिसेगांव (00025) (अंजोरा(ख) 13)	207	189	18
			पोटियाकला (00038) (कसारीडीह 10)	227	205	22
			फूलगांव (00020) (दुर्ग 03)	43	34	9
		योग		**618**	**546**	**72**
8	चंदखुरी	चंदखुरी	कोनारी (00035) (अंडा 04)	169	160	9
			कोलिहापुरी (00025) (अंजोरा(ख) 13)	1	1	0
			खम्हरिया (00054) (उतई 12)	1	1	0
			चन्दखुरी (00037) (अंडा 04)	662	607	55
			दुर्ग (00019) (दुर्ग 03)	29	22	7
			रिसाली (00049) (रिसाली 09)	1	1	0
			हनोदा (00053) (उतई 12)	277	234	43
		योग		**1140**	**1026**	**114**
9	तिरगा	तिरगा	झोला (00028) (अंजोरा(ख) 13)	261	250	11
			तिरगा (00028) (अंजोरा(ख) 13)	339	327	12
		योग		**600**	**577**	**23**
10	थनौद	थनौद	अंजोरा (00024) (अंजोरा(ख) 13)	192	179	13
			चंगोरी (00026) (अंजोरा(ख) 13)	300	290	10
			थनौद (00024) (अंजोरा(ख) 13)	625	595	30
			बिरेझर (00026) (अंजोरा(ख) 13)	334	310	24
			सांकरा (00065) (टेडेसरा 13)	1	1	0
		योग		**1452**	**1375**	**77**
11	नगपूरा	दमोदा	खुरसीडीह (00001) (दुर्ग -2 02)	187	174	13
			दमोदा (00001) (दुर्ग -2 02)	260	251	9
			बोरई (00001) (दुर्ग -2 02)	639	575	64
		योग		**1086**	**1000**	**86**
12	नगपूरा	नगपूरा	अंजोरा (00004) (दुर्ग -2 02)	532	505	27
			उरला (00016) (सिकोला 05)	3	2	1

			कोटनी (00002) (दुर्ग -2 02)	145	131	14
			दुर्ग (00019) (दुर्ग 03)	6	4	2
			नगपुरा (00003) (दुर्ग -2 02)	658	594	64
			पोटिया (00011) (बोरीबुजुर्ग 01)	3	3	0
			बेलोदी (00003) (दुर्ग -2 02)	175	167	8
			मतवारी (00033) (अंडा 04)	1	0	1
			मालूद (00003) (दुर्ग -2 02)	117	107	10
			मोहलई (00002) (दुर्ग -2 02)	132	111	21
			वघेरा (00018) (दुर्ग 03)	169	148	21
		योग		**1941**	**1772**	**169**
13	निकुम	निकुम	अर्जुन्दा (00018) (अर्जुनदा 02)	1	1	0
			आमटी (00030) (अंडा 04)	2	2	0
			आलबरस (00030) (अंडा 04)	8	8	0
			कोदवा (00004) (कोदवा 05)	1	1	0
			खाड़ा (00027) (अंजोरा(ख) 13)	1	1	0
			खुर्सीपार (00001) (मोहंदीपाट 03)	1	1	0
			दुर्ग (00019) (दुर्ग 03)	2	2	0
			निकुम (00029) (अंडा 04)	894	866	28
			भासाभाट (00030) (अंडा 04)	167	165	2
			भोथली (00027) (अंजोरा(ख) 13)	249	243	6
			रूद्रा (00027) (अंजोरा(ख) 13)	173	167	6
		योग		**1499**	**1457**	**42**
14	बोरीगारका	बोरीगारका	करगाडीह (00056) (उतई 12)	39	35	4
			खोपली (00056) (उतई 12)	1	1	0
			पाउवारा (00055) (उतई 12)	504	486	18
			पिकरीपार (00001) (सनौद 02)	1	1	0
			पुरई (00054) (उतई 12)	528	470	58
			बोरीगारका (00056) (उतई 12)	461	440	21
		योग		**1534**	**1433**	**101**
15	भेड़सर	भेड़सर	गनियारी (00005) (दुर्ग -2 02)	26	25	1
			गनियारी (00021) (अंजोरा(ख) 13)	77	76	1
			डांडेसरा (00005) (दुर्ग -2 02)	228	219	9
			ढाबा (00004) (दुर्ग -2 02)	467	441	26
			नगपुरा (00003) (दुर्ग -2 02)	1	1	0
			भेड़सर (00005) (दुर्ग -2 02)	511	492	19
		योग		**1310**	**1254**	**56**
16	मचान्दूर	मचान्दूर	उतई (00052) (उतई 12)	2	2	0
			कांदुल (00019) (मोहंदीपाट 03)	1	1	0
			कातरो (00057) (उतई 12)	533	505	28
			घुघसीडीह (00058) (उतई 12)	467	430	37
			चिरपोटी (00057) (उतई 12)	7	7	0
			पांगरी (00011) (डंगनिया 04)	1	1	0

			मचान्दुर (00058) (उतई 12)	611	585	26
			मतवारी (00033) (अंडा 04)	1	1	0
			मातरोडीह (00057) (उतई 12)	189	184	5
			रिसामा (00033) (अंडा 04)	2	2	0
		योग		**1814**	**1718**	**96**
17	रसमड़ा	रसमड़ा	खपरी (00013) (दुर्ग-1 01)	144	137	7
			खपरी (00023) (अंजोरा(ख) 13)	56	47	9
			खुरसुल (00021) (अंजोरा(ख) 13)	316	303	13
			गनियारी (00021) (अंजोरा(ख) 13)	347	327	20
			पीपरछेड़ी (00022) (अंजोरा(ख) 13)	111	101	10
			महमरा (00023) (अंजोरा(ख) 13)	119	99	20
			रसमड़ा (00022) (अंजोरा(ख) 13)	120	109	11
			सिलोदा (00023) (अंजोरा(ख) 13)	82	71	11
		योग		**1295**	**1194**	**101**
18	रिसामा	रिसामा	अण्डा (00032) (अंडा 04)	2	2	0
			उमरपोटी (00052) (उतई 12)	1	1	0
			चिरपोटी (00057) (उतई 12)	297	286	11
			डाैकीडीह (00009) (डंगनिया 04)	6	6	0
			पुरई (00054) (उतई 12)	1	1	0
			मतवारी (00033) (अंडा 04)	262	257	5
			रनचिरई (00041) (भाठागांव आर 07)	1	1	0
			रिसामा (00033) (अंडा 04)	473	451	22
			सिरसदा (00011) (डंगनिया 04)	2	2	0
		योग		**1045**	**1007**	**38**
		महायोग		**22417**	**20892**	**1525**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

प्रपत्र–ब

दुर्ग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुविधाओं की जानकारी

क्र.	समिति का नाम	उपार्ज केन्द्र का नाम	धान उपार्जन केन्द्रों में नमी मापक यंत्र है (हां/नहीं)	धान उपार्जन केन्द्रों में पानी की सुविधा (हां/नहीं)	धान उपार्जन केन्द्रों में शौचालय की सुविधा (हां/नहीं)	धान उपार्जन केन्द्रों में वेटिंग हॉल की सुविधा (हां/नहीं)	धान खरीदी हेतु स्वयं की भूमि (हां/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडा	अंडा	हां	हां	हां	हां	धान खरीदी हेतु स्वयं की भूमि नहीं है तथापि सभी उपार्जन केन्द्रों में राजस्व विभाग द्वारा शासकीय घास जमीन को धान खरीदी हेतु उपलब्ध कराया गया है।
2	आलबरस	आलबरस	हां	हां	हां	हां	
3	उतई	उतई	हां	हां	हां	हां	
4	उतई	खोपली	हां	हां	हां	हां	
5	कुथरेल	कुथरेल	हां	हां	हां	हां	
6	कोडिया (दुर्ग)	कोडिया (दुर्ग)	हां	हां	हां	हां	
7	कोलिहापुरी	कोलिहापुरी	हां	हां	हां	हां	
8	चंदखुरी	चंदखुरी	हां	हां	हां	हां	
9	तिरगा	तिरगा	हां	हां	हां	हां	
10	थनौद	थनौद	हां	हां	हां	हां	
11	नगपुरा	दमोदा	हां	धान खरीदी के दौरान अस्थायी व्यवस्था की जाती है।			
12	नगपुरा	नगपुरा	हां				
13	निकुम	निकुम	हां	हां	हां	हां	
14	बोरीगारका	बोरीगारका	हां	हां	हां	हां	
15	भेड़सर	भेड़सर	हां	हां	हां	हां	
16	मचान्दूर	मचान्दूर	हां	हां	हां	हां	
17	रसमड़ा	रसमड़ा	हां	हां	हां	हां	
18	रिसामा	रिसामा	हां	हां	हां	हां	

प्रपत्र :

क्र.	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम	कालम 04 में दर्शित शाला से अतिशेष माने गये शिक्षकों का विवरण जिन्हें अन्यत्र शाला भेजा गया			युक्तियुक्तकरण से कालम 04 में दर्शित शाला को रिक्त बताकर पदांकित शिक्षकों का विवरण		
				नाम	पदनाम	विषय	नाम	पदनाम	विषय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला सुरली	उसत राम साहू	सहा.शिक्षक	कला	शिव कुमार भोई	सहा.शिक्षक	कला
				दलगंजन रात्रे	सहा.शिक्षक	विज्ञान			
2	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला पंहदा	फूल कूमार जायसवाल	सहा.शिक्षक	कला	प्रेम लाल जायसवाल	सहा.शिक्षक	कला
3	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला भोथली	इन्द्राजीत वर्मा	सहा.शिक्षक	विज्ञान	जीवित कुमार नायक	सहा.शिक्षक	विज्ञान
4	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला गोडा	अशोक कुमार सिदार	सहा.शिक्षक	कला	लीलावती पटेल	सहा.शिक्षक	विज्ञान
5	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला प्रधानपुर	रंजु भारद्वाज	सहा.शिक्षक	विज्ञान	सुमन भगत	सहा.शिक्षक	कला
6	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला अण्डोला	लीना ग्रेस बेक	सहा.शिक्षक	कला	समेलाल सिदार	सहा.शिक्षक	विज्ञान
7	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला हरदी	रामप्यारी यादव	सहा.शिक्षक	विज्ञान	खगेश्वरी मेहर	सहा.शिक्षक	कला
8	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला मुडवाभांठा	प्रेम प्रताप सिंह नेताम	सहा.शिक्षक	कला	दिनेश कुमार देवांगन	सहा.शिक्षक	कला
9	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला गधहाभांठा	नारायण प्रसाद रात्रे	सहा.शिक्षक	विज्ञान	प्रेम लता जाटवर	सहा.शिक्षक	विज्ञान
10	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला आश्रम बासीनबहरा	सौरव कुमार जांगडे	सहा.शिक्षक	कला	कन्हैया लाल बरिहा	सहा.शिक्षक	विज्ञान
11	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला खम्हारडीह	हुलेश्वर प्रसाद चंद्रा	सहा.शिक्षक	कला	सीमा तिवारी	सहा.शिक्षक	कला
12	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला इंदिरा आवास गोडम	सेतराम खडिया	सहा.शिक्षक	विज्ञान	सत्यवती बरिहा	सहा.शिक्षक	कला
13	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला बघनपुर	विजय लाल भोय	सहा.शिक्षक	विज्ञान	सरस्वती साहू	सहा.शिक्षक	विज्ञान
14	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला अमेठी	त्रिवेणी भोई	सहा.शिक्षक	कला	नमिता ईजारदार	सहा.शिक्षक	विज्ञान
15	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला डीपापारा खर्री बड़े	नील कुमारी पटेल	सहा.शिक्षक	कला	अनुराग सिंह सिदार	सहा.शिक्षक	विज्ञान
16	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला हिच्छा	विनोद कुमार सिदार	सहा.शिक्षक	कला	शिव लाल पटेल	सहा.शिक्षक	कला
17	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला जशपुर	यादबाई निराला	सहा.शिक्षक	कला	लक्ष्मीनारायण जाटवर	सहा.शिक्षक	कला
				शांति कहार	सहा.शिक्षक	विज्ञान	ओमप्रकाश भारद्वाज	सहा.शिक्षक	कला
18	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला जामपाली	जगन्नाथ सिदार	सहा.शिक्षक	विज्ञान	सेतराम खड़िया	सहा.शिक्षक	विज्ञान
19	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला जवाहरनगर	उमिन कुमार ठाकुर	सहा.शिक्षक	कला	फकीर सेठ	सहा.शिक्षक	कला
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला बेडिहारपारा कोसीर	लालाकुमार साहू	सहा.शिक्षक	विज्ञान	वीरबहादुर जागड़े	सहा.शिक्षक	विज्ञान
21	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला पाट	नीता खटकर	सहा.शिक्षक	कला	सुरेश भारती	सहा.शिक्षक	कला

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

22	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला अमलीपाली अ	मंजुलता लहरे	सहा.शिक्षक	विज्ञान	लक्ष्मी साहू	सहा.शिक्षक	विज्ञान
23	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला गोड़ीहारी	अश्विन गुप्ता	सहा.शिक्षक	कला	क्रांति सारथी	सहा.शिक्षक	कला
24	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला दुर्गापाली	क्रांति सारथी	सहा.शिक्षक	कला	शांति कहार	सहा.शिक्षक	विज्ञान
25	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला रांपागुला	चित्रसेन साहू	सहा.शिक्षक	विज्ञान	रेखा यादव	सहा.शिक्षक	कला
				सुमन भगत	सहा.शिक्षक	कला			
26	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला कमलानगर	जितेन्द्र पटेल	सहा.शिक्षक	विज्ञान	गायत्री टंडन	सहा.शिक्षक	कला
				संजीव कुमार पटेल	सहा.शिक्षक	कला			
				भानुप्रताप कश्यप	सहा.शिक्षक	विज्ञान			
27	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला अमलीडीपा	पोखराम पटेल	सहा.शिक्षक	कला	गीता साहू	सहा.शिक्षक	विज्ञान
				लक्ष्मण प्रसाद उरांव	सहा.शिक्षक	विज्ञान			
28	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला पासीद	नरेन्द्र सिंह राज	सहा.शिक्षक	विज्ञान	दुर्योधन उरांव	सहा.शिक्षक	कला
				दयाराम मांझी	सहा.शिक्षक	विज्ञान			
29	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला साल्हे	देवनारायण पटेल	सहा.शिक्षक	विज्ञान	मंजुलता लहरे	सहा.शिक्षक	विज्ञान
30	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला उधरा	सुरेश भारती	सहा.शिक्षक	कला	ललिता सिंह	सहा.शिक्षक	विज्ञान
31	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	प्राथ.शाला आ.सुन्दराभाठा	चित्रकांत पटेल	सहा.शिक्षक	कला	विमला सिदार	सहा.शिक्षक	कला
32	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला सलौनीकला	चन्द्र प्रभा साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला	प्रताप भानु कश्यप	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
33				मंजुलता साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला			
34				हेमलता साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला			
35	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला दोमुहानी	तेजेश्वरी साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान	महेन्द्र कुमार साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान
36	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला टुण्ड्री	श्रीमती उर्मिला साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला	रोशन कुमार	सहायक शिक्षक	विज्ञान
37	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला खम्हरिया	श्रीमती सिप्पी केशरवानी	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान	सालीकराम निषाद	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान
38	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला मुडपार स	हीरा लहरे	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान	श्रीमती सविता देवी साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
39	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला कैथा	नंदकुमारी साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान	प्रमोद कुमार बंजारे	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
40	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला पचरी	श्रीमती ज्योति साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला	श्रीमती बसंती साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
41	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला झुमका	रश्मि यादव	सहायक शिक्षक	विज्ञान	बिरेन्द कुमार साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
42	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला तिलाईपाली	कल्पना जायसवाल	सहायक शिक्षक	विज्ञान	आशा रात्रे	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान
43	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला मधाईभाठा	रामदुलारी पटेल	सहायक शिक्षक	विज्ञान	दलगंजन सिंह रात्रे	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
44	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला सिंघीटार	दादूराम सिदार	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला	राजेंद्र प्रसाद बघेल	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान
45	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला चुरेला	विजय कुमार घृतलहरे	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान	पुष्पा साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान
46	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला परसाडीह	गोरेलाल	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला	श्रीमती ज्योति साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
47	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला भटगांव स	दिनेश कुमार खुटे	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान	होलिका प्रसाद कुर्रे	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान
48	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला चिकनीडीह	रविशंकर खटकर	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला	कंचन आग्रे	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
49	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला जोरा	अशोक कुमार जोल्हे	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला	ताराचंद चन्द्रा	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान
50	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला भिनोंदी	अविनाश कुमार तांजय	सहायक शिक्षक	विज्ञान	श्री देवानंद सोनी	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन

51	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला धौराभाठा घो	रोशन कुमार	सहायक शिक्षक	विज्ञान	सुनील प्रधान	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान
52	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला लिमतरी	प्रदीप कुमार	सहायक शिक्षक	विज्ञान	चन्द्र कुमार यादव	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
53	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला बालपुर	संदीप कुमार	सहायक शिक्षक	विज्ञान	श्री सेवकराम बरेठ	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
54	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शालाहरदी	भक्त चरण चौधरी	सहायक शिक्षक	विज्ञान	खिरोद कुमार बाघ	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान
55	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शालाजैतपुर	पवन कुमार कोशले	सहायक शिक्षक	विज्ञान	कु.रिजवाना बेंगम	सहायक शिक्षक	विज्ञान
56	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शा. प्रा.शाला घरजरा	भेषज कुमार पटेल	सहायक शिक्षक	विज्ञान	श्री दिनेश बरिहा	सहा. शिक्षक एल.बी.	कला
57	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	शास.बालक प्राथ. शाला भटगांव अ	पुष्पा साहू	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान	श्रीमती सरिता गुप्ता	सहा. शिक्षक एल.बी.	विज्ञान
58	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला पिहरा	श्री भरतलाल पटेल	सहा.शि.	कला			
				श्रीमती गायत्री सिदार	सहा.शि.	विज्ञान	श्रीमती गायत्री सिदार	सहा.शि.	विज्ञान
59	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला पिक्रीमाल	श्री दुष्यंत देहरी	सहा.शि.	कला	श्री दुष्यंत देहरी	सहा.शि.	कला
				श्रीमती ज्योति चौधरी	सहा.शि.	कला			
60	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला जीरापाली	श्री उजल बेहरा	सहा.शि.	विज्ञान	श्री उजल बेहरा	सहा.शि.	विज्ञान
				श्रीमती सविता बरिहा	सहा.शि.	कला			
61	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला दुलोपाली	श्रीमती संतोषिनी महानंद	सहा.शि.	विज्ञान	श्री अशोक कुमार सिदार	सहा.शि.	
				श्री नंदकिशोर खुटे	सहा.शि.	विज्ञान			
62	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला बरगांव	श्री कमला सारथी	सहा.शि.	कला	श्री कमला सारथी	सहा.शि.	कला
63	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला महाराजपुर	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	सहा.शि.	विज्ञान	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	सहा.शि.	विज्ञान
				कु. अहिल्या सिदार	सहा.शि.	कला			
64	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला पोरथ	श्री अरूण कुमार बेहरा	सहा.शि.	विज्ञान	श्री अरूण कुमार बेहरा	सहा.शि.	विज्ञान
65	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला गिरहुलपाली	श्री भोजकुमार सिदार	सहा.शि.	कला	श्री जैनेन्द्र कुमार चौधरी	सहा.शि.	कला
66	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला सुखापाली	श्री विकास कुमार भगत	सहा.शि.	विज्ञान	कु. योगेश्वरी सिदार	सहा.शि.	
67	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला सण्डा	श्री नारायण पटेल	सहा.शि.	कला	श्रीमती सुषमा पटेल	सहा.शि.	
				श्रीमती प्रेमलता नायक	सहा.शि.	विज्ञान			
68	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला बरपाली	श्री दयासागर राव	सहा.शि.	कला	श्रीमती रजनी सिदार	सहा.शि.	
				श्री बाबूलाल खलखो	सहा.शि.	विज्ञान			
69	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला लोधिया	श्रीमती सुलोचना भारती	सहा.शि.	विज्ञान	सुनीता पाणिग्राही	सहा.शि.	
				श्री खेमराज निषाद	सहा.शि.	कला			
70	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला भठली	श्रीमती चित्रिणी चौहान	सहा.शि.	कला	श्रीमती युगेश्वरी निषाद	सहा.शि.	
71	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला कन्या सरिया	श्री भीमेश्वर पटेल	सहा.शि.	विज्ञान	श्रीमती गीता सिदार	सहा.शि.	
72	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बरमकेला	शा. प्रा.शाला पड़कीडीपा	श्रीमती ललिता पटेल	सहा.शि.	कला	श्रीमती ललिता पटेल	सहा.शि.	कला

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.

परिशिष्ट - सत्ताईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 248) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	जिला का नाम	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की जानकारी		
			सहायक शिक्षक	शिक्षक	व्याख्याता
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	33	106	146	233
2	महासमुंद	12	26	18	82
3	गरियाबंद	8	11	19	48
4	बलौदाबाजार भाटापारा	16	45	49	138
5	धमतरी	10	34	34	88
6	दुर्ग	38	113	104	123
7	बालोद	19	45	37	142
8	बेमेतरा	17	56	56	134
9	कबीरधाम	8	19	35	65
10	राजनांदगांव	9	34	35	89
11	मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी	5	11	17	40
12	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	6	17	9	45
13	बिलासपुर	21	77	45	127
14	कोरबा	17	56	30	79
15	रायगढ़	10	22	30	33
16	मुंगेली	7	24	40	72
17	जांजगीर	8	31	39	87
18	सक्ती	9	31	42	85
19	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	6	28	34	71
20	सारंगढ़ बिलाईगढ़	8	29	16	56
21	बस्तर	18	38	74	130
22	कांकेर	14	71	83	150
23	कोण्डागांव	14	69	58	118
24	सुकमा	6	31	28	45
25	दंतेवाड़ा	5	28	37	43
26	बीजापुर	14	63	46	117
27	नारायणपुर	4	12	4	12
28	सरगुजा	14	60	57	87
29	सूरजपुर	13	65	72	123
30	जशपुर	11	37	37	76
31	बलरामपुर	10	37	53	87
32	कोरिया	6	15	18	49
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	7	30	30	46
योग		403	1371	1432	2920

सहायक संचालक
शाला शिक्षण संचालनालय

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - अट्ठाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 249) की जानकारी

प्रपत्र–अ

दिनांक 19.06.2025 की स्थिति में युक्तियुक्तकरण में प्रभावितों की पदवार संख्या एवं मर्ज तथा बंद हुए विद्यालयों की संख्या

क.	जिला	सहायक शिक्षक	शिक्षक	व्याख्याता	मर्ज शालाओं की संख्या	कितने विद्यालय बंद हुए
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	283	236	106	389	-
2	गरियाबंद	214	105	74	420	-
3	बलौदाबाजार	380	59	69	406	-
4	महासमुन्द	432	145	100	440	-
5	धमतरी	174	108	61	415	-
6	दुर्ग	209	329	83	352	-
7	बेमेतरा	248	56	37	360	-
8	कवर्धा	200	31	43	375	-
9	राजनांदगांव	248	88	66	349	-
10	बालोद	414	172	93	354	-
11	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	98	19	21	157	-
12	मोहला–मानपुर–चौकी	88	23	55	210	-
13	बिलासपुर	457	147	114	431	-
14	मुंगेली	163	68	45	337	-
15	गौरेला–पेण्ड्रा–मारवाही	134	42	42	205	-
16	जांजगीर	253	189	91	366	-
17	सक्ती	291	63	110	342	-
18	कोरबा	293	148	76	469	-
19	रायगढ़	697	154	105	557	-
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	364	70	66	378	-
21	अंबिकापुर	293	72	242	227	-
22	जशपुर	330	34	151	332	-
23	बलरामपुर	333	107	103	414	-
24	सूरजपुर	350	103	154	278	-
25	कोरिया	81	35	14	75	-
26	मनेन्द्रगढ़–चिरिमिरी–भरतपुर	157	51	35	196	-
27	जगदलपुर	199	358	203	274	-

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	जिला	सहायक शिक्षक	शिक्षक	व्याख्याता	मर्ज शालाओं की संख्या	कितने विद्यालय बंद हुए
1	2	3	4	5	6	7
28	बीजापुर	104	46	6	68	-
29	दन्तेवाड़ा	129	39	0	76	-
30	कांकेर	360	42	127	596	-
31	कोण्डागांव	371	342	154	472	-
32	नारायणपुर	72	46	1	80	-
33	सुकमा	76	35	5	138	-
	योग	8495	3562	2652	10538	0

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रपत्र–ब

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया हेतु प्राप्त दावा–आपत्तियों की संख्यात्मक जानकारी

क.	जिला	आपत्ति या आवेदनों की संख्या
1	2	3
1	रायपुर	284
2	गरियाबंद	-
3	बलौदाबाजार	48
4	महासमुन्द	158
5	धमतरी	251
6	दुर्ग	-
7	बेमेतरा	-
8	कवर्धा	-
9	राजनांदगांव	16
10	बालोद	276
11	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	-
12	मोहला–मानपुर–चौकी	-
13	बिलासपुर	-
14	मुंगेली	49
15	गौरेला–पेण्ड्रा–मारवाही	-
16	जांजगीर	-
17	सक्ती	-
18	कोरबा	-
19	रायगढ़	128
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	150
21	अंबिकापुर	144
22	जशपुर	-
23	बलरामपुर	152
24	सूरजपुर	94
25	कोरिया	16
26	मनेन्द्रगढ़–चिरिमिरी–भरतपुर	-
27	जगदलपुर	237
28	बीजापुर	-

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	जिला	आपत्ति या आवेदनों की संख्या
1	2	3
29	दन्तेवाड़ा	5
30	कांकेर	18
31	कोण्डागांव	191
32	नारायणपुर	11
33	सुकमा	5
	योग	2233

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरिशेष्ट - उन्तीस

पॉरिवॉतेत अतारॉंकेत प्रश्न संख्या 41 (क्र. 257) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	ग्राम	किसानों की संख्या	कुल अधिग्रहित निजी भूमि (एकड़ में)	अधिग्रहित भूमि में से मुआवजा भुगतान राशि (करोड़ में)	मुआवजा वितरण हेतु शेष किसानों की संख्या	मुआवजा वितरण हेतु शेष भूमि एकड़ में	मुआवजा वितरण हेतु शेष भूमि की राशि लाख में
1	रायकेरा	708	936.81	85.46	3	1.247	9.98
2	साल्हेपाली	166	77.871	6.35	5	0.906	7.25
3	चोटीगुड़ा	433	727.57	61.74	8	1.515	12.11
4	बिच्छीनारा	203	516.95	44.90	0	0	0
5	नयारामपुर	136	149.128	14.02	0	0	0
6	कुदुरमौहा	44	91.158	8.69	0	0	0
7	तिलाईपाली	121	366.01	34.80	0	0	0
8	अजीजगढ़	54	93.511	6.38	0	0	0
कुल		1865	2959	262.34	16	3.668	29.34

अपर कलेक्टर
जिला-रायगढ

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
घरघोड़ा,जिला–रायगढ(छ.ग.

परिशिष्ट - तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 288) की जानकारी

प्रपत्र–अ

क्र.	जिला का नाम	कुल स्थापित पंपों की संख्या	वर्ष 2023 से 20.06.25 में कार्यशील पंपों की संख्या	वर्ष 2023 से 20.06.25 में अकार्यशील पंपों की संख्या
01	राजनांदगांव	2092	2058	34
02	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डाई	924	913	11
03	मोहला–मानपुर–अंबागढ़–चौकी	2197	2168	29
कुल		**5213**	**5139**	**74**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नग

प्रपत्र–ब

अकार्यशील संयंत्रों की सूची (वारंटी अवधि अंतर्गत)

क्र.	वर्ष	जिला	कृषक का नाम	स्थल का नाम	वि.ख.	क्षमता	अकार्यशीलता की तिथि	कृषक आई.डी.	किया गया कार्यवाही
1	2022–23	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	राम प्रसाद	शेरपार	मोहला	05 एच.पी.	03.01.23	108931	पंपोहेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
2	2023–24	राजनांद गांव	नंदूलाल साहू	लामेटा	छुरिया	03 एच.पी.	28.12.23	117559	पंपो हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
3	2023–24	राजनांद गांव	कोडूराम कोठारी	पुर्रम टोला	छुरिया	03 एच.पी.	09.10.23	106322	पंपोहेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
4	2023–24	राजनांद गांव	परदेशी राम साहू	करम तारा	डोंगरगांव	03 एच.पी.	05.12.23	113049	पंपो हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
5	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	रमनसिंह	मुचर	मोहला	05 एच.पी.	11.08.23	112234	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

6	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	राम दयाल	मुचर	मोहला	05 एच.पी.	11.08.23	112235	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
7	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	भागवत	मुचर	मोहला	05 एच.पी.	11.08.23	112233	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
8	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	पंच राम	अमादुला	मोहला	03 एच.पी.	16.06.23	112286	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
9	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	पलक राम	पिडिंग पार	मोहला	03 एच.पी.	28.08.23	119976	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
10	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	माखन लाल	पिडिंग पार	मोहला	03 एच.पी.	17.08.23	105021	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
11	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	अमर दास	शिकारीटोला	चौकी	05 एच.पी.	28.08.23	110342	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

12	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	नैन सिंह	दुर्गा टोला	मोहला	05 एच.पी.	26.03.24	110379	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
13	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	बिस्मा बाई कुंजम	कांडे	मोहला	05 एच.पी.	01.02.24	108295	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
14	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	शंकर लाल ताराम	कर्मोता (कोर्स मटोला)	मोहला	03 एच.पी.	06.02.24	108248	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
15	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	भजन नाथ कुंजम	पंडर वानी	मोहला	03 एच.पी.	08.02.24	107576	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
16	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	कन्हैया लाल	बिटल	चौकी	05 एच.पी.	14.02.24	121584	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
17	2023–24	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	गौठान थुहा डाबरी	थुहा दाबरी	चौकी	05 एच.पी.	13.03.24	103798	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

18	2023–24	खैरागढ़ –छुईख दान'– गण्डई	नरेन्द्र वर्मा	गदाडीह	खैरा गढ़	05 एच.पी.	01.03.24	104962	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
19	2023–24	खैरागढ़ –छुईख दान'– गण्डई	राहुल कुमार शर्मा	मगरकुंड	छुई खदान	05 एच.पी.	27.08.23	819327	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
20	2024–25	राजनांद गांव	रोशन लाल	बिजेपर	छुरिया	05 एच.पी.	03.05.24	104123	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
21	2024–25	राजनांद गांव	सुकवारो बाई	शिकारीटोला	छुरिया	03 एच.पी.	25.09.24	722386	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
22	2024–25	राजनांद गांव	लोकेश कुमार	जामनारा	छुरिया	03 एच.पी.	02.04.24	722410	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
23	2024–25	राजनांद गांव	राम प्रसाद मेश्राम	आयबंध	छुरिया	03 एच.पी.	07.02.24	106537	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

24	2024–25	राजनांद गांव	ढेला बाई	गेरुघाट	छुरिया	05 एच.पी.	12.01.24	103819	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
25	2024–25	राजनांद गांव	मनशा राम कुंजाम	कल्लु टोला	छुरिया	03 एच.पी.	02.05.24	106522	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
26	2024–25	राजनांद गांव	शेखर	रुवा ताला	डोंगरगढ़	03 एच.पी.	13.12.24	718252	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
27	2024–25	राजनांद गांव	लतखोर सिन्हा	माटे काटा	डोंगरगढ़	03 एच.पी.	03.02.25	719117	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
28	2024–25	राजनांद गांव	लखन लाल	पेण्ड्री	डोंगरगढ़	03 एच.पी.	06.01.25	718263	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
29	2024–25	राजनांद गांव	तेज स्विनी बाई	पैरी	डोंगरगांव	03 एच.पी.	04.10.24	810402	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल न

30	2024–25	राजनांद गांव	प्रेम लाल चतुर्वेदी	रेंगा काथेरा	डोंगरगांव	05 एच.पी.	02.04.24	108933	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
31	2024–25	राजनांद गांव	हीरा लाल	मुड़पार	राज नांदगांव	05 एच.पी.	10.12.24	125076	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
32	2024–25	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	परमेश्वरी भोआर्य	नेवार गांव–दबारी	मानपुर	03 एच.पी.	17.02.25	823307	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
33	2024–25	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	तेजस्वनी दजुर्वे	देवारसुर	मोहला	03 एच.पी.	24.10.24	108204	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
34	2024–25	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	लछ्म्मय बाई	अकट कन्हार	मोहला	03 एच.पी.	24.10.24	107874	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
35	2024–25	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	इन्दल सिंह ताराम	धरनी	मोहला	03 एच.पी.	24.10.24	105686	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

36	2024–25	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	संतराम साहू	सांगली	मोहला	03 एच.पी.	18.02.25	105032	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
37	2024–25	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	मोहन रामटेके	पडगुडा	मोहला	03 एच.पी.	11.10.24	106122	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
38	2024–25	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	गौठान, खुर्सिटिकुल	खुर्सीटिकुल	चौकी	05 एच.पी.	15.03.25	117272	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
39	2024–25	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	तुमदी कासा	तुमदीकासा	चौकी	05 एच.पी.	04.03.25	17861	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
40	2024–25	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	दयाराम धुर्वे	नवगांव कंवर	खैरागढ़	03 एच.पी.	31.12.24	720957	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
41	2024–25	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	सत्य सिंह	सैंडी	खैरागढ़	03 एच.पी.	02.02.25	812320	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कार्य विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

42	2024–25	खैरागढ़ –छुईखदान– गण्डई	गौठान– भुलटोला	भुलटोला	खैरागढ़	03 एच.पी.	09.02.25	36537	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
43	2024–25	खैरागढ़ –छुईखदान– गण्डई	प्रेमबाई गोड	मोह डबरी	खैरागढ़	03 एच.पी.	20.12.24	720916	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।
44	2024–25	खैरागढ़ –छुईखदान– गण्डई	सौरभ कुमार झा	गातापार जंगल	खैरागढ़	03 एच.पी.	15.12.24	714166	पंपों हेतु स्पेयर सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दरों के निर्धारण उपरांत संयंत्र को कार्यशील किया जायेगा।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नग.

परिशिष्ट - इक्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 327) की जानकारी

प्रपत्र–अ

अतिशेष शिक्षकों की जानकारी जिनकी युक्तियुक्तकरण के तहत अन्य शालाओं में पदस्थापना की गई।

क.	जिला	प्राचार्य	व्याख्याता	प्रधान पाठक (पूर्व.माध्य. शाला)	शिक्षक	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	सहायक शिक्षक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	-	106	1	236	4	283
2	गरियाबंद	-	74	1	105	6	214
3	बलौदाबाजार	-	69	-	59	3	380
4	महासमुन्द	-	100	1	145	12	432
5	धमतरी	1	61	-	108	12	174
6	दुर्ग	-	83	1	329	6	209
7	बेमेतरा	-	37	1	56	2	248
8	कवर्धा	-	43	-	31	2	200
9	राजनांदगांव	-	66	-	88	5	248
10	बालोद	-	93	1	172	15	414
11	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	-	21	-	19	2	98
12	मोहला–मानपुर–चौकी	-	55	4	23	13	88
13	बिलासपुर	1	114	11	147	19	457
14	मुंगेली	-	45	1	68	1	163
15	गौरेला–पेण्ड्रा–मारवाही	2	42	2	42	9	134
16	जांजगीर	-	91	4	189	13	253
17	सक्ती	2	110	6	63	28	291
18	कोरबा	-	76	4	148	15	293
19	रायगढ़	-	105	1	154	5	697
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	-	66	3	70	24	364
21	अंबिकापुर	2	242	1	72	6	293
22	जशपुर	-	151	1	34	33	330
23	बलरामपुर	-	103	7	107	4	333
24	सूरजपुर	-	154	1	103	11	350
25	कोरिया	-	14	-	35	-	81
26	मनेन्द्रगढ़–चिरिमिरी–भरतपुर	-	35	-	51	1	157
27	जगदलपुर	-	203	7	358	15	199
28	बीजापुर	-	6	31	46	13	104

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

क.	जिला	प्राचार्य	व्याख्याता	प्रधान पाठक (पूर्व.माध्य. शाला)	शिक्षक	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	सहायक शिक्षक
1	2	3	4	5	6	7	8
29	दन्तेवाड़ा	-	-	-	39	2	129
30	कांकेर	-	127	6	42	17	360
31	कोण्डागांव	-	154	18	342	15	371
32	नारायणपुर	-	1	1	46	9	72
33	सुकमा	-	5	2	35	9	76

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–ब

मर्ज किये गये स्तरवार विद्यालयों की संख्या				
प्राथमिक	माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी	योग
1	2	3	4	5
8488	2036	10	4	10538

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक 30 अप्रैल 2025 एवं 20 जून 2025 की स्थिति में प्रदेश की शालाओं में रिक्त पद की जानकारी (पदवार)

क्र.	संभाग	जिला का नाम	30 अप्रैल 2025 की स्थिति में रिक्त पद						20 जून 2025 की स्थिति में रिक्त पद					
			प्राचार्य	व्याख्याता	प्र.पा. (पू.मा.शाला)	शिक्षक	प्र.पा. (प्रा.शाला)	सहा.शिक्षक	प्राचार्य	व्याख्याता	प्र.पा. (पू.मा. शाला)	शिक्षक	प्र.पा. (प्रा.शाला)	सहा.शिक्षक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सरगुजा	बलरामपुर–रामानुजगंज	127	292	70	107	32	647	127	189	63	0	28	314
2		जशपुर	108	237	17	72	33	330	108	86	16	0	0	0
3		कोरिया	36	85	13	33	14	81	36	71	13	0	11	0
4		मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	87	174	17	51	3	198	87	143	17	0	2	41
5		सरगुजा	108	115	32	72	22	308	106	0	31	0	16	15
6		सूरजपुर	126	388	78	79	118	427	127	196	60	0	92	77
7	बस्तर	बस्तर	164	308	163	146	111	582	164	180	195	0	105	375
8		सुकमा	51	159	26	135	35	428	51	155	14	7	35	428
9		कोण्डागांव	156	299	18	78	15	371	156	160	0	0	0	0
10		नारायणपुर	35	116	53	46	24	73	35	106	52	22	15	64
11		बीजापुर	64	187	24	190	76	872	64	186	0	0	71	396
12		दन्तेवाड़ा	58	154	0	143	11	518	58	154	0	0	0	54
13		कांकेर	217	317	182	43	17	360	217	190	177	0	0	0
14	रायपुर	धमतरी	145	258	291	209	53	164	144	197	291	239	43	0
15		रायपुर	100	301	286	150	33	1361	100	195	285	253	29	0
16		बलौदाबाजार–भाटापारा	189	510	347	412	76	949	193	520	367	46	89	0
17		गरियाबंद	121	383	303	845	199	490	119	370	302	763	194	116
18		महासमुन्द	177	565	349	334	75	356	175	482	347	218	68	84
19		बालोद	110	278	88	161	49	275	110	206	87	0	38	0
20		दुर्ग	78	248	58	115	31	355	81	168	13	18	35	134
21		राजनांदगांव	124	234	41	232	50	297	123	203	42	155	45	64

04/07/2025

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	संभाग	जिला का नाम	30 अप्रैल 2025 की स्थिति में रिक्त पद						20 जून 2025 की स्थिति में रिक्त पद					
			प्राचार्य	व्याख्याता	प्र.पा. (पू.मा.शाला)	शिक्षक	प्र.पा. (प्रा.शाला)	सहा.शिक्षक	प्राचार्य	व्याख्याता	प्र.पा. (पू.मा. शाला)	शिक्षक	प्र.पा. (प्रा.शाला)	सहा.शिक्षक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	दुर्ग	बेमेतरा	157	883	172	726	10	1526	157	831	171	635	8	1278
23		कबीरधाम	139	479	47	442	31	432	139	434	47	330	31	232
24		खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	75	247	71	265	29	736	75	237	72	244	30	744
25		मोहला–मानपुर–अ.चौकी	60	123	22	330	40	725	60	89	18	160	36	413
26	बिलासपुर	रायगढ़	129	297	179	527	116	1346	129	194	179	212	0	0
27		गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	43	73	37	551	29	545	41	55	35	137	22	52
28		जांजगीर–चांपा	125	218	49	165	51	934	130	209	25	85	1	0
29		बिलासपुर	97	272	65	458	123	624	96	158	54	311	104	167
30		सक्ती	111	526	23	527	12	584	109	260	17	90	0	6
31		कोरबा	110	49	16	156	6	261	108	76	18	156	6	263
32		मुंगेली	105	339	129	240	25	1065	105	259	81	119	20	347
33		सारंगढ़–बिलाईगढ़	104	364	181	442	43	444	104	194	176	301	28	11

04/07/2025

सक्षम संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–अ

युक्तियुक्तकरण उपरांत विषयवार स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या (हाईस्कूल)

क्र.	हाईस्कूल का नांम (टी.सवर्ग)	व्याख्यातांओं की संख्या																				
		हिन्दी			अंग्रेजी			गणित			विज्ञान			सामा.विज्ञान			संस्कृत			योग		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
1	शासं.हाई.हाटकचोरा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	5	0
2	शासं.हाई.केवरामुण्डा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
3	शासं.हाई.मंगनपुर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
	योग	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**2**	**2**	**0**	**17**	**17**	**0**
4	हाई स्कूल बांसपानी	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	6	4	2
5	हाई स्कूल देवड़ा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
6	हाई स्कूल जामगांव	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	6	4	2
7	हाई स्कूल पखनाकोंगेरा	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6	3	3
8	हाई स्कूल भैंसगांव	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	4	2
9	हाई स्कूल बागमोहलई	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	6	5	1
10	हाई स्कूल टाकरागुड़ा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
11	हाई स्कूल रतेंगा	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	6	4	2
12	हाई स्कूल दूबेउमरगांव	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
13	हाई स्कूल तुरपुरा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	6	5	1
14	हाई स्कूल कुम्हली	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	6	4	2
15	हाई स्कूल नंदपुरा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	6	5	1
16	हाई स्कूल मधोता	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
17	शा.हाई के.जी.बी.व्ही. टाकरागुड़ा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	-1	6	7	-1
18	हाई स्कूल फरसापारा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
19	हाई स्कूल रेटावण्ड	1	1	0	1	1	0	1		1	1	1	0	1	1	0	1		1	6	4	2
20	हाई स्कूल कुड़कानार	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0

क.	हाईस्कूल का नाम (टी.सवंर्ग)	व्याख्याताओं की संख्या																				
		हिन्दी			अंग्रेजी			गणित			विज्ञान			सामा.विज्ञान			संस्कृत			योग		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
21	हाई स्कूल कोलचूर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
22	हाई स्कूल राजपुर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
23	हाई.स्कूल सोरगांव	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	6	5	1
24	हाईस्कूल कन्या शिक्षा परिसर भानपुरी	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	5	1
	योग	21	17	4	21	19	2	21	18	3	21	13	8	21	20	1	21	20	1	126	107	19
25	हाई स्कूल गारेंगा	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	5	1
26	हाईस्कूल इरिकपाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
27	हाई स्कूल सतोषा	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	3	3
28	हाई स्कूल सोनपुर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	5	1
29	हाई स्कूल तोंगकोंगेरा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	6	5	1
30	हाई स्कूल मोंगरापाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
31	हाई स्कूल मंगनार	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
32	हाई स्कूल उलनार	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	6	4	2
33	हाई स्कूल चितालूर	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	5	1
34	हाई स्कूल टेम्पलकोमार	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	4	2
35	हाई स्कूल मोहलई–1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	3	3
36	हाई स्कूल बोरीगांव	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	6	3	3
37	हाई स्कूल बडेदेवडा	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	3	3
38	हाई स्कूल राजनगर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
39	हाई स्कूल संधकरमरी	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	4	2
40	हाई स्कूल छिंदगांव	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	3	3
41	हाई स्कूल फरसीगांव	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	4	2
42	हाई स्कूल कोसमी	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	4	2
	योग	18	13	5	18	16	2	18	8	10	18	18	0	18	15	3	18	9	9	108	79	29

क.	हाईस्कूल का नाम (टी.सवर्ग)	व्याख्याताओं की संख्या																				
		हिन्दी			अंग्रेजी			गणित			विज्ञान			सामा.विज्ञान			संस्कृत			योग		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
43	हाईस्कूल धाराउर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
44	हाईस्कूल कुम्हली	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	5	1
45	हाईस्कूल मारीकोड़ेर	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	5	1
46	हाईस्कूल हार्राकोडेर	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	6	4	2
47	हाई स्कूल चित्रकोट	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
48	हाईस्कूल गढ़िया	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	-1	1	1	0	6	7	-1
49	हाईस्कूल ककनार	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	3	3
	योग	**7**	**5**	**2**	**7**	**6**	**1**	**7**	**5**	**2**	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**6**	**1**	**42**	**36**	**6**
50	हाई स्कूल कलेपाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
51	हाई. स्कूल घाटधनोरा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
52	हाई स्कूल एर्राकोट	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
53	हाई स्कूल रानसरगीपाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
54	हाई स्कूल केजीबीवि बडेमोरठपाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	6	5	1
55	हाई स्कूल सालेपाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
56	हाई स्कूल छापरभानपुरी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
57	हाई स्कूल राजुर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
	योग	**8**	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**	**7**	**1**	**8**	**8**	**0**	**48**	**47**	**1**
58	शा0हाई स्कूल बड़ेबोदेनार	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	6	2	4
59	शा0हाई स्कूल बड़ेकाकलुर	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	6	4	2
60	शा0कन्या हाई स्कूल किलेपाल	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	5	1
61	हाई स्कूल क0गां0बा0वि0 बास्तानार	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	4	2
62	शा0हाई स्कूल कापानार	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	6	3	3
63	शा0हाई स्कूल कुमापारा	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	6	3	3
64	शा0हाई स्कूल तिरथुम	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	6	3	3

क.	हाईस्कूल का नाम (टी.सवंर्ग)	व्याख्याताओं की संख्या																				
		हिन्दी			अंग्रेजी			गणित			विज्ञान			सामा.विज्ञान			संस्कृत			योग		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
65	शा0हाई स्कूल लालागुड़ा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
	योग	8	4	4	8	5	3	8	7	1	8	8	0	8	3	5	8	3	5	48	30	18
66	हाई स्कूल छोटेकड़मा	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	4	2
67	हाई स्कूल कटेनार	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	6	4	2
68	हाई स्कूल तिरथगढ़	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	4	2
69	हाई स्कूल कोलेंग	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	6	3	3
	योग	4	2	2	4	3	1	4	2	2	4	4	0	4	2	2	4	2	2	24	15	9
	ई.संवर्ग																					
70	शास.हाईस्कूल बाबूसेमरा	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	8	8	0
	योग	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	8	8	0
71	शास.हाई स्कूल ईच्छापुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	4	2
	योग	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	4	2
	महायोग	71	54	17	72	62	10	71	52	19	71	63	8	72	60	12	70	52	18	427	343	84

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

युक्तियुक्तकरण उपरांत विषयवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या (हायर सेकेण्डरी विद्यालय)

क्र.	हायर सेकेण्डरी विद्यालय (टी.संवर्ग)	व्याख्याताओं की संख्या																												
		हिन्दी			अंग्रेजी			गणित			संस्कृत			भौतिक			रसायन			जीव विज्ञान			इतिहास/			अर्थशास्त्र/ भुगोल			वाणिज्य		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	शा.कन्या उ.मा.वि.क्र–2	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
2	शा.उ.मा.वि.बड़ेमुरमा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
3	शा.उ.मा.वि.साड़गुड़	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
4	शा.उ.मा.वि.बिलोरी	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
5	शा.उ.मा.वि.हाटगुड़ा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6	शा.उ.मा.वि.तितिरगांव	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
7	शा.उ.मा.वि.कुरन्दी	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
8	शा.उ.मा.वि.मारकेल	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
9	शा.उ.मा.वि.तिरिया	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	शा.उ.मा.वि.आड़ावाल	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
11	शा.उ.मा.वि.पनारापारा	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
12	शा.उ.मा.वि.आसना	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
13	शा.उ.मा.वि.बाण्डापारा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
14	शा.उ.मा.वि.भैरमगंज	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
15	शा.उ.मा.वि.धनपुंजी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
16	शा.उ.मा.वि.कलचा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
17	शा.उ.मा.वि.नगरनार	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
18	शा.उ.मा.वि.नियानार	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
19	शा.उ.मा.वि.पोड़ागुड़ा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
20	शा.उ.मा.वि.तुरेनार	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
21	शा.मलबा.कन्याउ.मा.वि जगदलपुर	3	3	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
22	शा.उ.मा.वि.नानगुर	2	2	0	2	2	0	3	3	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
23	शा.उ.मा.वि.धरमपुरा	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	3	3	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
24	शा.उ.मा.वि.रेल्वे कालोनी	1	1	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
25	शा.उ.मा.वि.जामावाड़ा	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
26	शा.उ.मा.वि.पुसपाल	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	2	2	
27	शा.उ.मा.वि.नेतानार	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
	योग	37	37	0	40	40	0	36	36	0	32	32	0	20	20	0	24	24	0	40	40	0	28	28	0	26	26	0	30	30	
28	हायर सेकंण्डरी मांदलापाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
29	हायर सेकण्डरी चेराकुर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	
30	हायर सेकण्डरी कुंगारपाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
31	हायर सेकण्डरी चपका	2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	
32	हायर सेकण्डरी सालेमेटा	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
33	हायर सेकण्डरी चोकर	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
34	हायर सेकण्डरी घोटिया	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	

क्र.	हायर सेकेण्डरी विद्यालय (टी.संवर्ग)	व्याख्याताओं की संख्या																													
		हिन्दी			अंग्रेजी			गणित			संस्कृत			भौतिक			रसायन			जीव विज्ञान			इतिहास/			अर्थशास्त्र/ भुगोल			वाणिज्य		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
35	हायर सेकण्डरी सुधापाल	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
36	हायर सेकण्डरी ईच्छापुर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
37	हायर सेकण्डरी सिवनी	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
38	हायर सेक. कन्या परिसर परचनपाल	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
39	हायर सेकण्डरी खोरखोसा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
40	हायर सेकण्डरी मुरकुची	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
41	हायर सेकण्डरी बड़ेआमाबाल	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
42	हायर सेकण्डरी बनियागांव	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	
43	हायर सेकण्डरी केशरपाल	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
44	हायर सेकण्डरी बालक बस्तर	2	2	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
45	हायर सेकण्डरी कन्या बस्तर	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
46	हायर सेकण्डरी घाटलोहंगा	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
47	हायर सेकण्डरी रोतमा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
48	हायर सेकण्डरी बालेंगा	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
49	हायर सेकण्डरी बड़ेचकवा	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
50	हायर सेकण्डरी करमरी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
51	हायर सेकण्डरी लामकेर	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
52	हायर सेकण्डरी मुण्डागांव	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
53	हायर सेकण्डरी भानपुरी	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
54	हायर सेकण्डरी कन्या भानपुरी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
	योग	41	41	0	34	32	2	29	27	2	27	22	5	27	17	10	26	25	1	32	31	1	26	25	1	27	27	0	25	25	
55	उ.मा.वि.बेलपुटी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	
56	उ.मा.वि.कन्या बकावण्ड	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
57	उ.मा.वि.सरगीपाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	
58	उ.मा.वि.नलपावण्ड	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	2	-1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
59	उ.मा.वि.जैतगिरी	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
60	उ.मा.वि.मूली	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
61	शा.उ.मा.वि. ढोढरेपाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
62	उ.मा.वि.तारापुर	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
63	उ.मा.वि.मोहलई 2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	
64	उ.मा.वि.कोलावलं	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
65	उ.मा.वि.जैबेल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0	
66	उ.मा.वि.बोरपदर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
67	शा.उ.मा.वि.करपावण्ड (हिन्दी)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
68	उ.मा.वि.बा.बकावण्ड (हिन्दी)	1	0	1	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
69	उ.मा.वि.करीतगांव (हिन्दी)	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
	योग	20	19	1	19	19	0	16	16	0	16	15	1	15	6	9	16	16	0	23	23	0	15	15	0	15	15	0	26	21	

क्र०	हायर सेकेण्डरी विद्यालय (टी.संवर्ग)	व्याख्याताओं की संख्या																													
		हिन्दी			अंग्रेजी			गणित			संस्कृत			भौतिक			रसायन			जीव विज्ञान			इतिहास/			अर्थशास्त्र/	भुगोल		वाणिज्य		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
70	हायर सेकेण्डरी क0 लोहण्डीगुड़ा	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	2	-1	1	1	0	2	0	
71	हायर सेकेण्डरी बा0 लोहण्डीगुड़ा	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	
72	हायर सेकेण्डरी स्कूल बिन्ता	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	2	0	
73	हायर सेकेण्डरी स्कूल अलनार	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	
74	हायर सेकेण्डरी कोठियागुड़ा	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	0	
75	हायर सेकेण्डरी स्कूल बड़ांजी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0	
76	हायर सेकेण्डरी नारडूम	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
	योग	10	9	1	8	8	0	7	7	0	7	6	1	7	3	4	7	7	0	9	9	0	7	7	0	8	7	1	14	5	
77	शा.उ.मा.वि. केशलूर	1	1	0	1	2	-1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	2	-1	1	1	
78	शा.उ.मा.वि. बडेमोरठपाल	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	0	1	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
79	शा.उ.मा.वि. पोटानार	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
80	शा.उ.मा.वि. सिरिसगुडा	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
81	शा.उ.मा.वि. मावलीभाटा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
82	शा.उ.मा.वि. तोकापाल	3	3	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
83	शा.उ.मा.वि. करंजी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
84	शा.उ.मा.वि. रायकोट	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
	योग	12	11	1	11	12	-1	11	11	0	9	9	0	8	4	4	10	9	1	11	11	0	9	9	0	9	10	-1	13	13	
85	शा0उ0मा0वि0 बास्तानार	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0	
86	शा0उ0मा0वि0 बागमुण्डी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	0	
87	शा0उ0मा0वि0 मुतनपाल	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0	
88	शा0उ0मा0वि0 पालानार	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	0	
89	स्वा.उमा.विद्यालय किलेपाल	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	
90	शा0उ0मा0वि0 तुरांगुर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	0	
	योग	7	6	1	7	6	1	6	5	1	6	6	0	6	5	1	6	5	1	6	6	0	6	4	2	6	5	1	12	1	
91	उ0मा0वि0 नेगानार	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
92	शा.उ.मा.वि. ढोंढरेपाल	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	
93	शा0मा0वि0 दरभा	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
94	शा0उ0मा0वि0 छिन्दावाड़ा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	
95	शा0उ0मा0वि0 पखनार	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	
96	शा0उ0मा0वि0 मांझीगुड़ा	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	1	
97	शा.उ.मा.वि. चन्द्रगिरी	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	
98	शा.उ.मा.वि. चितापुर	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
99	शा.उ.मा.वि. छिन्दबहार	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
100	शा.उ.मा.वि. मावलीपदर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	
	योग	11	11	0	11	10	1	10	6	4	13	13	0	10	4	6	10	10	0	11	10	1	10	9	1	10	7	3	11	9	

क्र.	हायर सेकेण्डरी विद्यालय (टी.संवर्ग)	व्याख्याताओं की संख्या																												
		हिन्दी			अंग्रेजी			गणित			संस्कृत			भौतिक			रसायन			जीव विज्ञान			इतिहास/			अर्थशास्त्र/ भुगोल			वाणिज्य	
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	(ई.संवर्ग)																													
101	शास.उ.मा.वि.पण्डरीपानी	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
102	शास.उ.मा.वि.माड़पाल	2	2	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
103	शास.उ.मा.वि.भगतसिंह	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
104	शास.ज.मा.बहु.उ.मा.वि.जगदलपुर	4	4	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	3	3	0	2	2	0	3	3	0	2	2
105	विवेकानंद शास.उ.मा.वि.जगदलपुर	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	योग	11	11	0	6	6	0	9	9	0	6	6	0	7	7	0	4	4	0	8	8	0	7	7	0	5	5	0	7	7
106	हायर सेकण्डरी सोनारपाल	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2
107	हायर सेकण्डरी फरसागुड़ा	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	योग	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	1	1	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
	महायोग	153	149	4	140	137	3	126	119	7	118	110	8	102	68	34	105	102	3	142	140	2	110	106	4	108	104	4	140	113

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रपत्र–ब

क्र.	विकासखण्ड का नाम	सहायक शिक्षक		शिक्षक		व्याख्याता	
		अतिशेष की संख्या	युक्तियुक्तकरण किये गये सहा. शिक्ष. की संख्या	अतिशेष की संख्या	युक्तियुक्तकरण किये गये शिक्षकों की संख्या	अतिशेष की संख्या	युक्तियुक्तकरण किये गये व्याख्याताओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बकावण्ड	33	33	37	14	25	25
2	बस्तर	52	52	85	22	59	53
3	तोकापाल	21	21	63	23	26	26
4	लोहण्डीगुड़ा	11	11	28	10	16	15
5	जगदलपुर	58	58	122	67	59	46
6	दरभा	14	14	14	5	12	12
7	बास्तानार	10	10	9	2	6	6
	योग	199	199	358	143	203	183

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रपत्र - स

क.	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक शाला	
		शिक्षक विहिन शालाओं की संख्या	एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या
1	2	3	4
1	बकावण्ड	निरंक	28
2	बस्तर	निरंक	37
3	तोकापाल	निरंक	32
4	लोहण्डीगुड़ा	निरंक	80
5	जगदलपुर	निरंक	14
6	दरभा	निरंक	45
7	बास्तानार	निरंक	50
योग			286

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - चौंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 352) की जानकारी

"प्रपत्र-अ"

जंगलों की अवैध कटाई के संबंध में परिक्षेत्रवार पंजीबद्ध प्रकरण एवं शिकायत की जानकारी।

	परिक्षेत्र का नाम	अवैध कटाई के पंजीबद्ध किये गये प्रकरण संख्या	अवैध कटाई के प्राप्त शिकायतें
वर्ष 2022–23 से 20 जून 2025 तक	जगदलपुर	80	0
	माचकोट	531	1
	बकावंड	87	0
	बस्तर	127	4
	भानपुरी	325	1
	करपावंड	221	0
	चित्रकोट	16	1
	दरभा	78	0
	कोलेंग	41	0
	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कोलेंग परिक्षेत्र	22	0
	कोटमसर	43	0
योग :–		**1571**	7

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

प्रपत्र-क

जंगलों की अवैध कटाई के संबंध में पंजीबद्ध प्रकरण एवं कार्यवाही तथा प्राप्त शिकायत की जानकारी।

	परिक्षेत्र का नाम	अवैध कटाई के पंजीबद्ध किये गये प्रकरणों पर की गई कार्यवाही				अवैध कटाई के प्राप्त शिकायतें
		अभिसंधानित/ नस्तीबद्ध प्रकरण	न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण	जॉच हेतु प्रक्रियाधीन	कुल प्रकरणों की संख्या	
वर्ष 2022–23 से 20 जून 2025 तक	जगदलपुर	57	0	23	**80**	0
	माचकोट	450	1	80	**531**	1
	बकावंड	68	0	19	**87**	0
	बस्तर	97	1	29	**127**	4
	भानपुरी	114	0	211	**325**	1
	करपावंड	157	1	63	**221**	0
	चित्रकोट	13	0	3	**16**	1
	दरभा	64	0	14	**78**	0
	कोलेंग	21	0	20	**41**	0
	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कोलेंग परिक्षेत्र	0	1	21	**22**	0
	कोटमसर	1	2	40	**43**	0
योग :–		**1042**	**6**	**523**	**1571**	7

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

परिशिष्ट - पैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 360) की जानकारी

प्रपत्र – अ

वर्ष 2024–25 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय किए गए ट्रांसफार्मर की वांछित जानकारी

क्र.	संयंत्र का नाम/जिला	कंपनी का नाम	आदेश	दिनांक	ट्रान्सफार्मर की क्षमता	ट्रान्सफार्मर की संख्या	दर (लाख रू. में)	कुल क्रय की राशि (जी.एस.टी. रहित) (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम जिला–कोरबा	मेसर्स टेक्निकल टूल्स एवं सेल्स एंजेसीस, रायपुर	आदेश क्र. 021–1710/ई.टी.-तीन/ई.पी.–277/996 कोरबा पश्चिम	14/11/2024	1600 केव्हीए	2 नग	30.58 30.85	61.43
2		मेसर्स बी. एच.ई.एल., रायपुर	आदेश क्र. 021–10/टी.एन.–76एच.पी.–95/2023/ ओ.आर.डी./520 कोरबा पश्चिम	4/2/2025	16 एमव्हीए यूएटी	4 नग	282.47	11[illegible]9.88
3		मेसर्स बी. एच.ई.एल., रायपुर	आदेश क्र. 021–10/ई.एण्डटी.–दो/एच.पी.–439/ 2023/ओ.आर.डी./333 कोरबा पश्चिम	28/3/2025	166.7 एमव्हीए	1 नग	93.56	93.56
4	अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा जिला – जांजगीर–चांपा	मेसर्स प्रोजेक्सॉन, कोरबा मेक : वोल्टएम्प ट्रांसफार्मर लिमि.	आदेश क्र. 03–03/पी–तीन/एम.पी.–147/एल.ओ.आई./2012 रायपुर	30/8/2024	3250 केव्हीए	1 नग	78.50	78.50
5	जल विद्युत गृह, गंगरेल, जिला–धमतरी जिला – धमतरी	मेसर्स प्रोजेक्सॉन, कोरबा मेक : वोल्टएम्प ट्रांसफार्मर लिमि.	आदेश क्र. 03–01/ई.डी.ओ. एण्ड एम)/1782	4/12/2024	500 केव्हीए	1 नग	28.71	28.71

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र–ब

वर्ष 2024–25 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय किए गए ट्रांसफार्मर की वांछित जानकारी

क्रमांक	आदेश क्रमांक	दिनांक	फर्म का नाम	ट्रांसफार्मर क्षमता (एम.व्ही.ए.)	संख्या	दर (रू.लाख में)	कुल क्रय की राशि (जी.एस.टी. रहित) (रू. लाख में)
1	1668	7/1/2025	मेसर्स टेक्नीकल एसोसिएट्स लिमिटेड, लखनऊ	63	4	492	1,988
						योग	**1,988**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र–स

वर्ष 2024–25 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय किए गए ट्रांसफार्मर की वांछित जानकारी

क्र.	फर्म का नाम (मेसर्स)	आदेश क्रमांक	दिनांक	क्षमतावार वितरण ट्रांसफार्मर						कुल क्रय की राशि (जी.एस.टी. रहित) (रू. लाख में)
				25 KVA	63 KVA	100 KVA	200 KVA	315 KVA	500 KVA	
प्रति नग ट्रांसफार्मर कय मुल्य (जी.एस.टी. रहित) (रू.)				63,980	109,500	137,881.36	267,601.69	748,000	1,098,000	
1	ट्रांसकॉन इंडस्ट्रीस, हैदराबाद	3742	16/01/2025	3625	-	-	-	25	24	2769.80
2	कन्याका परमेश्वरी इंजिनियरिंग लिमि. हैदराबाद	3738	16/01/2025	1036	-	-	-	16	14	936.23
3	हाई पावर इलेक्ट्रीकल्स लि.,हैदराबाद	3745	16/01/2025	2589	-	-	-	-	-	1656.44
4	एस. वी. आर. इलेक्ट्रीकल्स, गुनटुर	3743	16/01/2025	2071	-	-	-	-	-	1325.03
5	श्री कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा प्रा. लि. जयपुर	3744	16/01/2025	-	1688	-	-	-	-	1848.36
6	सेन्चुरी इंफापावर प्रा.लि., जयपुर	3741	16/01/2025	-	1206	1049	370	-	-	3757.07
7	पी. पी. इन्डस्ट्रीस, भठीन्डा	3740	16/01/2025	-	964	1398	277	-	-	3724.42
8	गणपति इन्फापावर प्रा.लिमि., जयपुर	3739	16/01/2025	1034	482	699	185	-	-	2648.20
9	शिरडी साई इलेक्ट्रीकल्स कढपा	3737	16/01/2025	-	482	-	92	-	9	872.80
10	ओसवाल ट्रांसफामर्स जयपुर	3747	16/01/2025	-	-	349	-	-	-	481.21
11	स्टार डेल्टा ट्रांसफामर्स लिमिटेड,	3746	16/01/2025	-	-	-	-	41	-	306.68
12	बिलासपुर ट्रांसफामर्स प्रा. लिमि., बिलासपुर	3756	16/01/2025	700	379	-	-	-	-	862.87
13	आदित्य ट्रांसफामर्स एण्ड स्विचगियर्स, रायपुर	3762	16/01/2025	400	-	648	144	-	-	1534.74
14	राज इलेक्ट्रिकल कोरबा	3753	16/01/2025	-	368	-	-	-	-	402.96
15	विशाल ट्रांसफामर्स रायपुर	3752	16/01/2025	411	569	-	181	-	-	1370.37
16	इफेक्टिव इंटरप्राजेस प्रा. लिमि. भिलाई	3748	16/01/2025	1100	-	-	-	-	31	1044.16
17	महावीर ट्रांसफामर्स रायपुर	3765	16/01/2025	1034	-	-	-	-	-	661.55
18	सपना इलेक्ट्रिकल्स धमतरी	3749	16/01/2025	750	-	-	-	-	-	479.85
19	एन.सी.पी. ट्रांसफार्मर, बिलासपुर	3760	16/01/2025	100	-	-	-	-	-	63.98
20	नीलम ट्रांसफामर्स बिलासपुर	3750	16/01/2025	800	-	-	-	-	-	511.84
21	सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज, रायपुर	3754	16/01/2025	-	760	518	108	-	-	1835.44
22	सोमानी इलेक्ट्रीकल्स प्रा लिमि. रायपुर	3759	16/01/2025	-	379	259	-	-	-	772.12
23	आर्या इलेक्ट्रीकल्स रायपुर	3763	16/01/2025	-	190	259	-	-	-	565.16
24	शर्मा इंजिनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स, कोरबा	3761	16/01/2025	-	190	-	-	-	-	208.05
25	वेद ट्रांसफामर्स बरमकेला	3751	16/01/2025	-	190	-	73	-	-	403.40
26	ईस्टलैंड इंजिनियरिंग, रायपुर	3755	16/01/2025	-	189	-		-	-	206.96
27	विजन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, रायपुर	3757	16/01/2025	-	-	389	73	-	-	731.71
28	रायगढ़ ट्रांसफार्मर एण्ड स्विचगियर्स, रायगढ़	3758	16/01/2025	-	-	129	-	-	-	177.87
29	आस्था इंटरप्राइजेस रायगढ़	3764	16/01/2025	-	-	128	37	-	-	275.50
	योग			15650	8036	5825	1540	82	78	32434.75

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.	फर्म का नाम (मेसर्स)			क्षमतावार पावर ट्रांसफार्मर		कुल क्रय की राशि (जी.एस.टी. रहित) (रू. लाख में)
				3.15 MVA	5 .0 MVA	
1	प्रति नग पावर ट्रांसफार्मर कय मुल्य (जी.एस.टी. रहित) (रू.)			3,404,895.76	4,741,336.44	
2	मेसर्स सेन्चुरी इन्फ्रापॉवर प्रा. लि. जयपुर	3705	17/09/2024	70	45	4517.03
3	मेसर्स न्युकॉन स्वीचगेयर्स प्रा. लि. लुधियाना	3706	17/09/2024	0	27	1280.16
4	मेसर्स स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर भोपाल	3707	17/09/2024	0	18	853.44
5	मेसर्स सेन्चुरी इन्फ्रापॉवर प्रा. लि. जयपुर	3773	5/3/2025	0	23	1090.51
6	मेसर्स न्युकॉन स्वीचगेयर्स प्रा. लि. लुधियाना	3772	5/3/2025	0	14	663.79
7	मेसर्स स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर भोपाल	3771	5/3/2025	0	8	379.31
	योग			70	135	8784.23

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र – द

वर्ष 2025–26 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय किए गए ट्रांसफार्मर की वांछित जानकारी

क्र.	संयंत्र का नाम/जिला	कंपनी का नाम	आदेश	दिनांक	ट्रान्सफार्मर की क्षमता	ट्रान्सफार्मर की संख्या	दर (लाख रू. में)	कुल क्रय की राशि (जी.एस.टी. रहित) (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा	मेसर्स प्रोजेक्सॉन, कोरबा	आदेश क्र. 03–03/पी–तीन/टी.एन–67/एम.पी–92/2024–25/1178 रायपुर	17/4/2025	ड्राई ट्रांसफार्मर 2500 केव्हीए	1 नग	59.45	59.45
2	जिला – जांजगीर–चांपा	मेक : वोल्टएम्प ट्रांसफार्मर लिमि..			ड्राई ट्रांसफार्मर 2000 केव्हीए	1 नग	53.00	53.00
3					ड्राई ट्रांसफार्मर 1000 केव्हीए	1 नग	40.50	40.50

वर्ष 2025–26 में दिनांक 20.06.2025 तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय किए गए ट्रांसफार्मर की वांछित जानकारी

क्र.	संयंत्र का नाम/जिला	कंपनी का नाम	आदेश	दिनांक	ट्रान्सफार्मर की क्षमता	ट्रान्सफार्मर की संख्या	दर (लाख रू. में)	कुल क्रय की राशि (जी.एस.टी. रहित) (रू. लाख में)
निरंक								

वर्ष 2025–26 में दिनांक 20.06.2025 तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय किए गए ट्रांसफार्मर की वांछित जानकारी

क्र.	संयंत्र का नाम/जिला	कंपनी का नाम	आदेश	दिनांक	ट्रान्सफार्मर की क्षमता	ट्रान्सफार्मर की संख्या	दर (लाख रू. में)	कुल क्रय की राशि (जी.एस.टी. रहित) (रू. लाख में)
निरंक								

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र–ई

वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में क्रय किए गए ट्रांसफार्मर में से गारंटी अवधित में खराब हुए ट्रांसफार्मर की जानकारी

फर्म का नाम (मेसर्स)	आदेश क्रमांक	जिला	रेटिंग	खराब ट्रांसफार्मर की संख्या	खराब होने की तारीख	फर्म द्वारा उठाये गए खराब ट्रांसफार्मर की संख्या	फर्म द्वारा सुधार कर वापिस किए गए ट्रांसफार्मर की संख्या	ट्रांसफार्मर के सुधार हेतु भुगतान की गई राशि
पी. पी. इन्डस्ट्रीस, भठीन्डा	3740 / 16.01.25	बिलासपुर	100 केव्हीए	1	13.06.2025	निरंक	निरंक	निरंक
		रायगढ	100 केव्हीए	1	14.06.2025	निरंक	निरंक	निरंक
		शक्ति	200 केव्हीए	1	03.06.2025	निरंक	निरंक	निरंक

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - छत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 364) की जानकारी

प्रपत्र–अ

बीजापुर महादेव तालाब का क्षेत्रफल

स.क.	नाम	खसरा नम्बर	रकबा एकड़ में।	शासकीय भूमि /निजी भूमि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	शासकीय भूमि।	829	47.45	शासकीय भूमि (अर्जित भूमि)	–
2	शासकीय भूमि।	815	1.40		
3	शासकीय भूमि।	816	0.32		
4	शासकीय भूमि।	829/1252	0.54		
4	शासकीय भूमि।	830	2.87		
योग :–			**52.58**		
1	पाण्डे भोस्कू पिता लछिन्दर	817	3.20	निजी भूमि (अर्जित भूमि)	
2	संगमलाल पिता कृष्णानंद	818	1.15		
3	कु. कल्पनादेवी पिता प्रभाकरदत्त	**819**	2.38		
4	मोतीराम दुखारू पिता नीरंजन सिंह	**820**	1.82		
योग :–			**8.55**		
महायोग :–			**61.13**		

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025
15:18:57

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रपत्र–ब

बीजापुर महादेव तालाब में डूबान क्षेत्र आने वाले निजी भूमि की जानकारी

स.क.	नाम	खसरा नम्बर	रकबा एकड़ में।	कुल मुआवजा राशि	वर्तमान में खसरा धारक का नाम
1	2	3	4	5	5
1	पाण्डे भोस्कू पिता लछिन्दर	817	3.20	1734.4	817 /2 सिंचाई विभाग
2	संगमलाल पिता कृष्णानंद	818	1.15	623.3	818 /3 जल संसाधन विभाग
3	कु. कल्पनादेवी पिता प्रभाकरदत्त	**819**	2.38	1289.96	शासकीय भूमि।
4	मोतीराम दुखारू पिता नीरंजन सिंह	**820**	1.82	986.44	820 /1 सोनसाय पिता मोती राम एवं अन्य दो।
योग :–			**8.55**	**4634.10**	

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025
15:18:30

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - सैंतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 367) की जानकारी

''प्रपत्र''

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निसदा में संचालित निम्न श्रेणी चूना पत्थर खदान की जानकारी।

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	खनिज	स्वीकृति दिनांक	विस्तारीकरण दिनांक	अवधि
1.	श्री दुष्यंत साहू, आ. श्री सुभाष साहू, निवासी– ग्राम निसदा पो.आ. पारागांव, तहसील आरंग जिला– रायपुर(छ.ग.)	निसदा/ आरंग	1338	2.10 एकड़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	03.12.2004	03.10.2017	03.12.2004 से 02.12.2034

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
संचालनालय, अटल नगर-492002

परिशिष्ट - अड़तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 68 (क्र. 404) की जानकारी

जिला प्रशासन, राजस्व पदस्थापना कोरबा (छ0ग0)

i i=&v

मांग संख्या–08, मुख्य शीर्ष 2053, लघु शीर्ष–093, योजना क्रमांक–1510

दिनांक 03.07.2025 की स्थिति मे (नवीन सेटअप)

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	कलेक्टर	1	1	0	
2	अपर कलेक्टर	3	1	2	
3	संयुक्त कलेक्टर	1	2	-1	01 अतिशेष
4	डिप्टी कलेक्टर	7	6	1	
5	तहसीलदार	12	12	0	
6	अति. तहसीलदार	3	3	0	
7	अधीक्षक	1	0	1	
8	नायब तहसीलदार	18	12	6	
9	सहायक अधीक्षक	1	0	1	
10	स्टेनोग्राफर वर्ग 01	1	0	1	
11	स्टेनोग्राफर वर्ग 02	1	1	0	
12	स्टेनोग्राफर वर्ग 03	1	0	1	
13	कानूनगो ग्रेड–02	11	11	0	
14	वासिल वाकी नवीस, ग्रेड–02	11	11	0	
15	नायब नाजिर ग्रेड–02	11	10	1	
16	सहायक ग्रेड–02	28	24	4	
17	सहायक कानूनगो–03	13	3	10	
18	सहायक नाजिर ग्रेड–03	13	3	10	
19	सहा. वासिल वाकी नवीस / सहायक ग्रेड–03	7	0	7	
20	वाचक तहसीलदार / सहा.ग्रेड–03	24	10	14	
21	सहायक ग्रेड–03	44	21	23	
22	स्टेनो टायपिस्ट	21	9	12	
23	वाहन चालक	20	13	7	
24	दफ्तरी	1	1	0	
25	मालजमादार	5	3	2	
26	अर्दली	3	3	0	
27	प्रोसेस सर्वर	11	2	9	
28	चौकीदार	10	1	9	
29	भृत्य	54	25	29	
30	फर्राश	5	3	2	
31	अंशकालीन स्वीपर कलेक्टर दर	8	5	3	
	कुल योग	350	196	154	कुल 01 पद अतिशेष

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(ख)	क्या सभी राजस्व ग्रामों में कोटवारों की नियुक्ति की गई है? संख्या उपलब्ध करावे? क्या कोटवारों को प्रदत्त सेवा भूमि में कार्यरत कोटवार काबिज कास्तकार है? यदि नही तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी उपलब्ध करावे?	उक्त संबंध में तहसीलो की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	तहसील का नाम	कोटवार स्वी.पद	कोटवार भरे पद	कोटवार रिक्त पद	भूमि में काविज	रिमार्क
1	कोरबा / भैसमा / अजगरबहार	70	60	10	कोटवार सेवा भूमि में काविज है।	मृत्यु होने से पद रिक्त एवं रिक्त पदो पर नियुक्ति प्रकियाधीन
2	पाली / हरदीबाजार	90	87	3	–"–	–"–
3	पोडी उपरोडा / पसान	81	79	2	–"–	–"–
4	करतला / बरपाली	86	84	2	–"–	–"–
5	कटघोरा / दर्री / दीपका	94	85	9	–"–	9 पद मृत्यु होने से रिक्त एवं 7 पद शहरी क्षेत्र होने व 01 पद पूर्ण अर्जित होने के कारण रिक्त एवं 01 पद पर नियुक्ति प्रकियाधीन
	योग	421	395	26		

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - उनतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 416) की जानकारी

ग्राम आमागोहन एवं खोंगसरा में निम्नानुसार शासकीय भूमि का बटाकन कर निजी भूस्वामियों के नाम पर दर्ज किया गया है :-

प्रपत्र

क्र	ग्राम	मिसल / निस्तार में दर्ज खसरा नंबर	मिसल / निस्तार में दर्ज रकबा (एकड़)	वर्तमान में बटाकित ख. नं.	रकबा	वर्तमान भूमिस्वामी का नाम	मिसल /निस्तार अभिलेख मे बटाकित ख. नं. में मूल खसरा का मद
1	आमागोहन	16/1	38.69	16/10	0.417	देवलाल, संतोष पिता बालाराम	बड़े झाड का जंगल
2	आमागोहन			16/11	0.210	जेठिया बाई पिता कोदू	बड़े झाड का जंगल
3	आमागोहन			16/12	0.542	अमानउल्ला पिता मुस्ताक अहमद	बड़े झाड का जंगल
4	आमागोहन			16/13	0.190	गनी खान पिता अहमद मुस्ताक	बड़े झाड का जंगल
5	आमागोहन			16/14	0.514	रफीक मोहम्मद पिता मुस्ताक अहमद	बड़े झाड का जंगल
6	आमागोहन			16/15	1.923	शिवा सिंह उइके पिता कृष्णा कुमार उइके	बड़े झाड का जंगल
7	आमागोहन			16/16	1.012	धरम पिता बंधु	बड़े झाड का जंगल
8	आमागोहन			16/17	1.012	वेदकुंवर पति मथुरा मेश्राम	बड़े झाड का जंगल
9	आमागोहन			16/18	0.688	भारत पिता बेचूराम	बड़े झाड का जंगल
10	आमागोहन			16/19	1.012	धरम पिता बंधु	बड़े झाड का जंगल
11	आमागोहन			16/21	3.000	राकेश पिता यज्ञनारायण	बड़े झाड का जंगल
12	आमागोहन			16/22	0.648	रहीशा बेगम पति मुस्ताक अहमद	बड़े झाड का जंगल
13	आमागोहन			16/4	1.299	राकेश पिता यज्ञनारायण	बड़े झाड का जंगल
14	आमागोहन			16/5	0.020	सुराज कुमार पटेल पिता अंधियार सिंह पटेल	बड़े झाड का जंगल
15	आमागोहन			16/6	1.822	आधार पिता रातू सिंह	बड़े झाड का जंगल
16	आमागोहन			16/7	0.627	गनी खान पिता अहमद मुस्ताक	बड़े झाड का जंगल
17	आमागोहन			16/8	0.532	धरम पिता बंधु	बड़े झाड का जंगल
18	आमागोहन			16/9	1.620	गंगाबाई पति सूर्यदीन	बड़े झाड का जंगल
19	आमागोहन	3/1	119.52	3/1/2	4.047	मुरतिया बाई पिता ई स्वरादेन	बड़े झाड का जंगल
20	आमागोहन			3/21	2.370	छाजूराम पिता पूरनमल	बड़े झाड का जंगल
21	आमागोहन			3/22	1.215	सुरेशचंद्र पिता छोटेलाल	बड़े झाड का जंगल
22	आमागोहन			3/23	1.215	रामखिलावन पिता धिनु	बड़े झाड का जंगल
23	आमागोहन			3/24	0.809	गणेश सिंह पिता महेंदर	बड़े झाड का जंगल
24	आमागोहन			3/25	2.430	रामाधार पिता घोसूराम	बड़े झाड का जंगल
25	आमागोहन			3/26	0.405	गुनेतराम पिता गनेशराम	बड़े झाड का जंगल
26	आमागोहन			3/27	1.012	मोतीना बाई पति रामू पटेल	बड़े झाड का जंगल
27	आमागोहन			3/28	1.012	गजानंद पिता अंधियार सिंह	बड़े झाड का जंगल
28	आमागोहन			3/29	0.405	राकेश पिता यज्ञनारायण	बड़े झाड का जंगल
29	आमागोहन			3/30	0.342	राघवेंद्र प्रसाद पिता महाबली	बड़े झाड का जंगल
30	आमागोहन			3/31	1.012	मुरतिया बाई पति रामाधार	बड़े झाड का जंगल
31	आमागोहन			3/32	1.012	रामचन्द्र पिता धजाराम	बड़े झाड का जंगल
32	आमागोहन			3/33	0.809	मोतीना बाई पति रामू पटेल	बड़े झाड का जंगल
33	आमागोहन			3/34	0.405	जामिन बाई पति भोलाराम	बड़े झाड का जंगल
34	आमागोहन			3/35	0.809	सुनीला पटेल पति रामकुमार	बड़े झाड का जंगल
35	आमागोहन			3/36	0.809	राज बाई पटेल पति जगदेव पटेल	बड़े झाड का जंगल
36	आमागोहन			3/37	0.405	राज बाई पटेल पति जगदेव पटेल	बड़े झाड का जंगल
37	आमागोहन	32/1	11.9	32/32	0.008	राजेश पिता शिवदत्त	घास
38	आमागोहन			32/33	0.007	राजेश, तापेश्वर, रामेश्वर, परमेश्वर पांडेय पिता शिवदत्त	घास
39	आमागोहन			32/34	0.036	दुर्गेश कुमार पिता लक्ष्मीनारायण	घास
40	आमागोहन			32/35	0.405	विसनाथ पिता रामआसरे	घास
41	आमागोहन	35	0.02	35	0.008	देवीप्रसाद पिता निरंजन	आबादी
42	आमागोहन	38	0.04	38/2	0.012	मोहनलाल, मधुसूदन श्रीवास पिता होरीलाल गौरी बाई पति होरीलाल	घास
43	आमागोहन	43	0.93	43/2	0.020	तरुण, ललीत, जितेंद्र हर्षद पिता गेंदलाल	आबादी
44	आमागोहन	54/1	28.91	54/1/ल	0.405	रामाधार पिता घोसूराम	बड़े झाड का जंगल
45	आमागोहन			54/1/व	0.101	तीजकुंवर पति कपिलदास, सुन्दरदास, सोनादास, सुमनदास, अमोल, श्यामदास पिता कपिलदास	बड़े झाड का जंगल
46	आमागोहन			54/12	0.851	मुन्नीदेवी पति शिवसिंह	बड़े झाड का जंगल
47	आमागोहन			54/13	0.810	रामेश्वर सिंह पिता कृष्णा कुमार	बड़े झाड का जंगल
48	आमागोहन			54/14	0.081	भरत पिता गणेश	बड़े झाड का जंगल
49	आमागोहन			54/15	1.215	नारायणदास, गनेश दास, रमेश दास पिता कुंवरदास	बड़े झाड का जंगल
50	आमागोहन			54/16	0.223	सुशील कुमार पिता सेवक राम मरकाम	बड़े झाड का जंगल
51	आमागोहन			54/17	0.020	गणेश सिंह पिता महेंदर	बड़े झाड का जंगल
52	आमागोहन			54/18	0.324	रोहित पिता नानदाऊ	बड़े झाड का जंगल
53	आमागोहन			54/20	0.020	आरती, शोभा पिता प्रवीण	बड़े झाड का जंगल
54	आमागोहन			54/21	0.607	रामेश्वर सिंह पिता कृष्णा कुमार	बड़े झाड का जंगल
55	आमागोहन			54/22	0.809	शकुन्तलाबाई प.सत्यनारायण	बड़े झाड का जंगल
56	आमागोहन			54/23	0.069	संगीता केसरवानी पति सुरेशचंद केसरवानी	बड़े झाड का जंगल
57	आमागोहन			54/24	2.023	अजहर खान पिता हमीद खान	बड़े झाड का जंगल
58	आमागोहन			54/25	2.023	असलम खान पिता हमीद खान	बड़े झाड का जंगल
59	आमागोहन			54/26	0.045	पुष्पा देवांगन पति श्रवण कुमार देवांगन	बड़े झाड का जंगल
60	आमागोहन			54/28	0.202	चुन्नी पिता शिवप्रसाद	बड़े झाड का जंगल
61	आमागोहन			54/29	0.202	रविन्द्र पिता राजकुमार जाति- यादव	बड़े झाड का जंगल
62	आमागोहन			54/30	0.045	रामाधार पिता घोसू राम जाति- कोल	बड़े झाड का जंगल

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)

63	आमागोहन			54/31	0.040	रामाधार पिता घासूराम	बड़े झाड का जंगल
64	आमागोहन			54/32	0.080	रामाधार पिता घासूराम	बड़े झाड का जंगल
65	आमागोहन			54/33	0.526	गणेश सिंह पिता महँदर	बड़े झाड का जंगल
66	आमागोहन			54/34	0.121	गणेश सिंह पिता महँदर	बड़े झाड का जंगल
67	आमागोहन			54/35	0.061	राममनोहर पिता भगतराम	बड़े झाड का जंगल
68	आमागोहन			54/36	1.620	रोहित पिता जयशिव जाति- यादव	बड़े झाड का जंगल
69	आमागोहन			54/9	0.607	शुभम कुमार अमरकुमार किशोर कुमार पिता राधेश्याम	बड़े झाड का जंगल
70	आमागोहन			79/10	0.202	सुभम अमर किशोर पिता राधेश्याम	बड़े झाड का जंगल
71	आमागोहन			79/11	0.089	रामरती पति दीनदयाल	बड़े झाड का जंगल
72	आमागोहन			79/12	0.020	बालकरण पिता लल्ली प्रसाद	बड़े झाड का जंगल
73	आमागोहन			79/13	0.040	बालकरण पिता लल्ली प्रसाद	बड़े झाड का जंगल
74	आमागोहन			79/14	0.607	रामकिशन पिता गोरेलाल	बड़े झाड का जंगल
75	आमागोहन			79/15	0.405	माया बाई पति बल किशन	बड़े झाड का जंगल
76	आमागोहन	79/1	29.68	79/3	0.809	सुकालू पिता कानू	बड़े झाड का जंगल
77	आमागोहन			79/4	0.607	बालकरण पिता लल्ली प्रसाद	बड़े झाड का जंगल
78	आमागोहन			79/5	0.729	रवि सिंह पिता अशोक सिंह	बड़े झाड का जंगल
79	आमागोहन			79/6	0.405	पुरन पिता गोरेलाल	बड़े झाड का जंगल
80	आमागोहन			79/7	0.404	पुरन पिता गोरेलाल	बड़े झाड का जंगल
81	आमागोहन			79/8	0.607	माया देवी पति बालकिशन	बड़े झाड का जंगल
82	आमागोहन			79/9	0.223	अमोली पिता मंगलिया	बड़े झाड का जंगल
83	आमागोहन			83/12	0.024	बालकरण पिता लल्ली प्रसाद	बड़े झाड का जंगल
84	आमागोहन	83	8.58	83/13	0.202	माया देवी पति बालकिशन	बड़े झाड का जंगल
85	आमागोहन			83/14	0.202	गिरजा बाई पिता अमोली	बड़े झाड का जंगल
86	आमागोहन			83/15	0.607	माया देवी पति बालकिशन	बड़े झाड का जंगल
87	आमागोहन			84/10	0.061	सत्या पांडेय पिता लीलाधर पांडेय	बड़े झाड का जंगल
88	आमागोहन			84/11	0.809	लीलाधर पांडेय पिता भीमसेन पांडेय	बड़े झाड का जंगल
89	आमागोहन			84/12	0.057	खुबी राम पिता देवीप्रसाद	बड़े झाड का जंगल
90	आमागोहन			84/13	0.405	माया देवी पति बालकिशन	बड़े झाड का जंगल
91	आमागोहन			84/3	0.040	बलराम सिंह मरावी पिता सेठाराम मरावी	बड़े झाड का जंगल
92	आमागोहन	84/1	22.58	84/4	0.040	दिनेश कुमार केवर्त पिता लिल्लु केवर्त जाति- कंवट	बड़े झाड का जंगल
93	आमागोहन			84/5	0.202	गोविंद सिंह पिता रघुनंदन सिंह	बड़े झाड का जंगल
94	आमागोहन			84/6	0.040	अर्जुन सिंह चंदेल पिता गोविंद सिंह	बड़े झाड का जंगल
95	आमागोहन			84/7	0.405	श्यामाबाई पति लिल्लु	बड़े झाड का जंगल
96	आमागोहन			84/8	3.202	राकेश पिता यज्ञनारायण	बड़े झाड का जंगल
97	आमागोहन			84/9	0.607	माया देवी पति बालकिशन	बड़े झाड का जंगल
98	आमागोहन	86	1.7	86	0.688	रवि सिंह पिता अशोक सिंह	बड़े झाड का जंगल
1	खोंगसरा	18	4.12	18	0.947	सुरेन्द्र सिंह पिता शिवनाथ	पानी के नीचे
2	खोंगसरा			114/13	0.073	नीलम देवी कुशवाहा पति कन्हैया लाल कुशवाहा	बड़े झाड का जंगल
3	खोंगसरा	114/1	25.86	114/16	1.620	कन्हैया पिता बैसाखू	बड़े झाड का जंगल
4	खोंगसरा			114/17	0.405	सेठराम पिता उजियार सिंह घनश्याम बलराम पिता सेठराम	बड़े झाड का जंगल
5	खोंगसरा			15/15	0.809	प्रदीप कुमार पिता शिवप्रसाद साहू	बड़े झाड का जंगल
6	खोंगसरा	15	77.54	15/16	0.080	भोला सिंह आयाम पिता समय सिंह	बड़े झाड का जंगल
7	खोंगसरा			15/17	0.914	दिनेश कुमार पिता भोला सिंह	बड़े झाड का जंगल
8	खोंगसरा			15/19	0.607	नानबाई पिता फगुनसिंह	बड़े झाड का जंगल
9	खोंगसरा	17	8.62	17/4	1.721	सुमित्रा / कल्याण सिंह जाति गोड़	पानी के नीचे
10	खोंगसरा	203	176.02	203/5	0.607	बलराम सेठराम जाति गोड़	बड़े झाड का जंगल
11	खोंगसरा			203/6	0.506	बलबीर सिंह पिता कोदू	बड़े झाड का जंगल
12	खोंगसरा			26/20	1.340	भोला सिंह पिता समय सिंह	बड़े झाड का जंगल
13	खोंगसरा			26/21	0.907	सावन सिंह पिता धन सिंह	बड़े झाड का जंगल
14	खोंगसरा			26/22	1.340	पुसउ पिता लदधु जाति बैगा	बड़े झाड का जंगल
15	खोंगसरा	26/1	191.01	26/23	0.972	विजय रामदयाल पिता सुग्रीव जाति यादव	बड़े झाड का जंगल
16	खोंगसरा			26/24	0.405	अयोध्या पिता बेचूराम	बड़े झाड का जंगल
17	खोंगसरा			26/26	1.518	सुख सिंह पिता छत्तर सिंह बैगा	बड़े झाड का जंगल
18	खोंगसरा			26/27	1.620	मोहन पिता रामसहाय, उमेन्द पिता मोहनलाल जाति यादव	बड़े झाड का जंगल
19	खोंगसरा	262/1	12.66	262/7	0.202	संतराम पिता श्रीराम	बड़े झाड का जंगल
20	खोंगसरा			262/8	1.214	संतराम पिता श्रीराम	बड़े झाड का जंगल
21	खोंगसरा			39/12	1.214	संतराम पिता श्रीराम	बड़े झाड का जंगल
22	खोंगसरा			39/13	0.507	बलबीर सिंह पिता कोदू	बड़े झाड का जंगल
23	खोंगसरा	39	28	39/14	0.405	रामकिशन पिता विश्वनाथ	बड़े झाड का जंगल
24	खोंगसरा			39/15	0.405	शिवा पिता सुखनाथ	बड़े झाड का जंगल
25	खोंगसरा			39/16	0.809	नरेन्द्र पिता शिवनाथ	बड़े झाड का जंगल
26	खोंगसरा			39/17	1.214	सीताराम पिता सुन्दर गोड़	बड़े झाड का जंगल
27	खोंगसरा	6/1	4.5	6/6	1.497	परमेश्वर, चंदू पिता बल्देव	बड़े झाड का जंगल
28	खोंगसरा			89/33	0.121	शिवनंदन पिता शिवमंगल गुप्ता	बड़े झाड का जंगल
29	खोंगसरा			89/34	0.809	अशोक पिता मिटठूलाल जाति बरई	बड़े झाड का जंगल
30	खोंगसरा			89/36	0.809	लतेल पिता बनिहार जाति कंवट	बड़े झाड का जंगल
31	खोंगसरा	89/1	94.97	89/37	0.405	जेठिया बाई पति कोदू राम	बड़े झाड का जंगल
32	खोंगसरा			89/38	0.405	जेठिया बाई पति कोदू राम	बड़े झाड का जंगल
33	खोंगसरा			89/39	0.506	बलबीर सिंह पिता कोदू	बड़े झाड का जंगल
34	खोंगसरा			89/42	1.012	मधु पिता महादेव जाति नाई	बड़े झाड का जंगल
35	खोंगसरा			89/43	0.729	शंकर सहसराम गौरी पिता हीरालाल	बड़े झाड का जंगल

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)

36	खोंगसरा	95/1	34.18	95/11	1.121	गोरेलाल पिता भागबली राठौर	घास
37	खोंगसरा			95/12	0.154	आनंदराम पिता झाड़ू	घास
38	खोंगसरा			95/13	0.405	जेठिया बाई पति कोदू राम	घास
39	खोंगसरा			95/14	2.023	शेख जमालुद्दीन पिता जहीर मोहम्मद	घास
40	खोंगसरा	98	6.02	98/1	2.186	शेख जमालुद्दीन पिता जहीर मोहम्मद	बड़े झाड का जंगल

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर (छ0ग0)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
कार्यालय रायपुर (छ0ग0)

परिशिष्ट - चालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 72 (क्र. 481) की जानकारी

प्रपत्र

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन शालाओं की शालावार जानकारी।

क्रमांक	विकासखण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर	वर्तमान संचालन स्थल	वर्तमान संचालन स्थल पर उपलब्ध अध्यापन कक्षों की संख्या	दर्ज संख्या
1	अम्बिकापुर	शासकीय हाईस्कूल पोंडीखुर्द	हाईस्कूल	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पोडीखुर्द के भवन में	3	40
2	अम्बिकापुर	शासकीय हाईस्कूल भफौली	हाईस्कूल	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भफौली के भवन में	3	48
3	अम्बिकापुर	शासकीय हाईस्कूल घंघरी	हाईस्कूल	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला घंघरी के भवन में	3	70
4	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला सोयदा	प्राथमिक	निजी भवन में संचालित	2	50
5	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला अवराडांड़	प्राथमिक	निजी भवन	1	21
6	लखनपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खर्राडांड़	पूर्व माध्यमिक	ग्राम पंचायत भवन में	3	40
7	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला खुटनपारा	प्राथमिक	आंगनबाड़ी भवन में	1	8
8	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला कोदवारीपारा	प्राथमिक	आंगनबाड़ी भवन में	1	35
9	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला लिपिंगी	प्राथमिक	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लिपिंगी के भवन में	3	44
10	लखनपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुसू	पूर्व माध्यमिक	शासकीय प्राथमिक शाला बरपारा के भवन में संचालित	3	148
11	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला जमगवां	प्राथमिक	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जमगवां के भवन में	1	51
12	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला उरांवपारा	प्राथमिक	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उरांवपारा में संचालित	3	25
13	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला मुकुंदपुर	प्राथमिक	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुकुंदपुर में	3	46
14	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला लेदराडांड़	प्राथमिक	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लेदराडांड में संचालित	1	13
15	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला तुरगा	प्राथमिक	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तुरगा में	1	77
16	लखनपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पोड़ी	पूर्व माध्यमिक	हाई स्कूल पोड़ी में	3	55
17	लखनपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मांजा	पूर्व माध्यमिक	शासकीय प्राथमिक शाला मांजा में	2	46
18	लखनपुर	शासकीय प्राथमिक शाला पटकुरा	प्राथमिक	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पटकुरा में	3	75
19	लखनपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बिनिया	पूर्व माध्यमिक	शासकीय प्राथमिक शाला बिनिया	1	16
20	लखनपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रेम्हला	पूर्व माध्यमिक	शासकीय प्राथमिक शाला रेम्हला में संचालित	3	60
21	लखनपुर	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला देवीटिकरा	पूर्व गाध्यमिक	शासकीय हाईस्कूल देवीटिकरा में संचालित	3	38
22	लुण्ड्रा	शासकीय प्राथमिक शाला भुजूरघुटरा	प्राथमिक	निजी भवन में	1	12
23	लुण्ड्रा	शासकीय प्राथमिक शाला सरनापारा	प्राथमिक	आंगनबाड़ी केन्द्र	1	16
24	लुण्ड्रा	शासकीय प्राथमिक शाला नयडीहा	प्राथमिक	आंगनबाड़ी केन्द्र	1	30

क्रमांक	विकासखण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर	वर्तमान संचालन स्थल	वर्तमान संचालन स्थल पर उपलब्ध अध्यापन कक्षों की संख्या	दर्ज संख्या
25	लुण्ड्रा	शासकीय प्राथमिक शाला घुईडांड	प्राथमिक	निजी भवन में	1	10
26	लुण्ड्रा	शासकीय प्राथमिक शाला बंजारीडांड	प्राथमिक	निजी भवन में	1	17
27	लुण्ड्रा	शासकीय प्राथमिक शाला समलाईपारा कनि0	प्राथमिक	आंगनबाड़ी केन्द्र	1	23
28	लुण्ड्रा	शासकीय प्राथमिक शाला समलाईपारा	प्राथमिक	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के अति.कक्ष में	1	25
29	लुण्ड्रा	शासकीय प्राथमिक शाला जामपारा	प्राथमिक	निजी भवन में	1	19
30	लुण्ड्रा	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला करगीडीह	पूर्व माध्यमिक	आंगनबाड़ी में	1	29
31	लुण्ड्रा	शासकीय प्राथमिक शाला बदगरी	प्राथमिक	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला	1	59
32	लुण्ड्रा	शासकीय प्राथमिक शाला खालपारा बकनाकला	प्राथमिक	माध्यमिक शाला भवन में	1	37
33	लुण्ड्रा	हाई स्कूल सहनपुर	हाईस्कूल	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सहनपुर (उन्नयन शाला)	1	16
34	लुण्ड्रा	हाई स्कूल बटवाही	हाईस्कूल	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्या बटवाही (उन्नयन शाला)	1	36

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - इकतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 75 (क्र. 788) की जानकारी

"प्रपत्र - अ"

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में धान खरीदी में पाई गई अनियमितता एवं एफआईआर की जानकारी

क्र	जिले का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	शार्टेज की मात्रा (क्विंटल में)	राशि (लाख में)	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
1	महासमुंद	नूनपानी	अमरकोट	6470.68	148.83	धान की भर्ती बोरी में कमी एवं खरीदी कार्य में लापरवाही	श्री कार्तिकेश्वर यादव, समिति प्रबंधक	प्रकरण दिनांक 09.04.2025 को सरायपाली थाने में **एफआईआर**
2	महासमुंद	केना	केना	6150.90	141.47	आकस्मिक निरीक्षण में धान स्कंध में कमी	श्री भिज्मदेव पटेल, समिति प्रभारी	प्रकरण दिनांक 17.04.2025 को सरायपाली थाने में **एफआईआर**
3	बलौदाबाजार	रिकोकला	रिकोकला	343.41	7.90	धान के भौतिक सत्यापन में धान 343.41 क्विं. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 7.90 लाख है।	श्री कुर्तीवास बारीक, खरीदी प्रभारी	प्रकरण क्र. 11 दिनांक 25.02.2025 को थाना राजादेवरी में **एफआईआर दर्ज**
4	बलौदाबाजार	जारा	जारा	351.18	8.08	धान के भौतिक सत्यापन में धान 351.18 क्विं. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 8.08 लाख है।	श्री पंचराम ध्रुव, समिति प्रभारी	प्रकरण क्र. 140 दिनांक 27.04.2025 को थाना पलारी में **एफआईआर दर्ज**
5	बिलासपुर	मल्हार	मल्हार	9122.40	209.82	भौतिक सत्यापन में धान 9122.40 क्विं. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 209.82 लाख है।	श्री संतकुमार यादव, खरीदी प्रभारी	प्रकरण क्र. 0/124 दिनांक 25.02.2025 को मल्हार थाने में **एफआईआर**
6	कोरबा	अखरापाली	अखरापाली	1952.80	60.54	भौतिक सत्यापन में धान 1952.80 क्विं. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 60.54 लाख है।	श्री रामेश्वर प्रसाद अनंत, प्रा. समिति प्रबंधक श्री हितेन्द्र कुमार, खरीदी प्रभारी	दि. 04.02.2025 को **नोटिस जारी** दि. 07.02.2025 को **उपार्जन कार्य से पृथक** प्रकरण क्र. 0015 दि. 07.02.2025 को हरदीबाजार थाने में **एफआईआर**
7	कोरबा	उतरदा	उतरदा	3684.00	114.20	भौतिक सत्यापन में धान 3684.00 क्विं. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 114.20 लाख है।	लता सिदार, प्रा. स. प्र. एवं खरीदी प्रभारी	दि. 23.01.2025 को **नोटिस जारी** दि. 24.01.2025 को **उपार्जन कार्य से पृथक** प्रकरण क्र. 0009 दि. 24.01.2025 को हरदीबाजार थाने में **एफआईआर**
8	कोरबा	कुल्हरिया	कुल्हरिया	811.20	18.66	भौतिक सत्यापन में धान 811.20 क्विं. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 18.66 लाख है।	श्री सुधीर प्रसाद धुर्वे, प्रा. स. प्र. एवं खरीदी प्रभारी श्री अरूण कुमार ईजवा, खरीदी प्रभारी	दि. 23.01.2025 को **नोटिस जारी** दि. 24.01.2025 को **उपार्जन कार्य से पृथक** प्रकरण क्र. 00/2025 दि. 24.01.2025 को थाना चौकी कोरबी थाना पसान में **एफआईआर**
9	रायगढ	तमनार	तमनार	2611.60	80.96	भौतिक सत्यापन में धान 2611.60 क्विं शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 80.96 लाख है।	श्री निलाद्री पदनायक, सहा. समिति प्रबंधक श्रीमती मधुबाला पदनायक, कम्प्यूटर आपरेटर श्री भरत राठिया, फड प्रभारी श्री शिवशंकर भगत, बारदाना प्रभारी	दि. 10.01.2025 को **नोटिस जारी** दि. 10.01.2025 को **निलंबित** प्रकरण क्र. 0016 दि. 22.01.2025 को तमनार थाने में **एफआईआर**
10	रायगढ	टेण्डानवापारा	टेण्डानवापारा	7159.60	227.65	भौतिक सत्यापन में धान एवं बारदाना की कमी पाई गई	श्री मनोज कुमार गुप्ता, सहा समिति प्रबंधक श्री मुकेश यादव, कम्प्यूटर आपरेटर श्री दिलीप राठिया, समिति भृत्य	प्रकरण क्र. 89 दिनांक 17.04.2025 को घरघोडा थाने में **एफआईआर**

क्र	जिले का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	शार्टेज की मात्रा (क्विंटल में)	राशि (लाख में)	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
11	रायगढ	तुरेकेला	तिउर	8955.55	227.65	भौतिक सत्यापन में धान की कमी	श्री तिहारू राम जससवाल, सहा समि प्रबं श्री सूरज जयसवाल, कम्प्यूटर आपरेटर	प्रकरण क्र. 169 दिनांक 24.03.2025 को खरसिया थाने में **एफआईआर**
12	सारंगढ बिलाईगढ	कोसीर	रक्सा	36.40	0.83	बोगस धान खरीदी 36.40 क्विं शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 0.83 लाख है।	1 श्री खगेश जांगडे, प्रभारी प्रबंधक 2 श्री पुकराम मनहर, फड प्रभारी 3 श्री अमन लहरे, कम्प्यूटर आपरेटर 4 श्री सुरेश भारद्वाज, धान आवक प्रभारी 5 श्री पंकज विष्णु भारद्वाज, बारदाना प्रभारी	क्र 2 व 3 को दि. 03.12.2024 को **सेवा से पृथक** क्र 1, 4 व 5 को दि. 03.12.2024 को **कार्य से पृथक** क्र 1 से 5 को प्रकरण क्र. 0303 दि. 03.12.2024 को कोसीर थाने में **एफआईआर**
13	सारंगढ बिलाईगढ	हरदी	हल्दी	1328.15	42.52	भौतिक सत्यापन में धान एवं बारदाना की कमी	श्री दुर्गेश साहू, प्रबंधक, सह फड प्रभारी श्री अदित नारायण, कम्प्यूटर आपरेटर श्री मदन साहू, बारदाना प्रभारी	प्रकरण क्र 108 दिनांक 12.03.2025 को सारंगढ थाने में **एफआईआर**
14	सारंगढ बिलाईगढ	कोसीर	कोसीर	3043.22	94.33	भौतिक सत्यापन में धान की कमी एवं फर्जी धान खरीदी	श्री राहुल टंडन, प्रभारी प्रबंधक श्री सुखराम अनंत, प्राधिकृत अधिकारी श्री दिलाराम टंडन, फड प्रभारी श्री श्याम कुमार जांगडे, धान आवक प्रभारी	प्रकरण क्र. 94 दिनांक 22.03.2025 को कोसीर थाने नें **एफआईआर**
15	सारंगढ बिलाईगढ	कनकबीरा	बोहराबहाल	5071.60	157.22	भौतिक सत्यापन में धान की कमी एवं फर्जी धान खरीदी	श्री नीलाम्बर पटेल, फड प्रभारी श्री दिलेश विश्वकर्मा, धान आवक जावक प्रभारी	प्रकरण क्र. 151 दिनांक 07.04.2025 को सारंगढ थाने में **एफआईआर**
योग				**44471.11**	**1250.35**			

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

"प्रपत्र-ब"

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 4–4/खाद्य/2013/29/2345 रायपुर, दिनांक 18 जून, 2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

2. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ
रायपुर

3. पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं
रायपुर

4. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या.
रायपुर

विषय :– धान उपार्जन मे एक सहकारी समिति मे आई धान की शार्टेज को अन्य सहकारी समिति को देय कमीशन की राशि से भरपाई न करने के संबंध में।

संदर्भः– प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या. रायपुर का पत्र कमांक छ.ग./मुख्यालय/रायपुर कं. 2774 दिनांक 02.01.2014

खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 से सहकारी समितियों को धान उपार्जन हेतु कमीशन भुगतान के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. जिले में एक सहकारी समिति की शार्टेज की राशि को विपणन संघ द्वारा दूसरी सहकारी समिति से समायोजित नहीं की जावे।
2. उपार्जन समाप्त होने पर समिति एवं विपणन संघ के मध्य हिसाब के मिलान होने के पश्चात् समिति को भुगतान योग्य समस्त राशि का भुगतान हिसाब मिलान पूर्ण होनें के 15 दिवस के अंदर कर दिया जाना चाहिये।
3. जिन समिति में शार्टेज की राशि उन्हें मिलने वाले कमींशन की राशि से अधिक है ऐसी समिति हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को देय बैंक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि से भी समायोजित की जावे ।
4. इसके पश्चात् भी उक्त समिति के शार्टेज की भरपाई नहीं होने पर शार्टेज की राशि को अगले धान उपार्जन सत्र हेतु कैरी फारवर्ड कर आगामी वर्ष में समिति के कमीशन की राशि में से समायोजित किया जावे।
5. समिति में शॉर्टेज को रोकने हेतु उपार्जन केन्द्रों से धान का त्वरित परिवहन किया जावे एवं बेहतर सुरक्षा व्यवस्था अपनायी जावे । लगातार दो वर्षों से 2.5 प्रतिशत से अधिक शॉर्टेज वाली सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी नहीं किया जावे। ऐसे समितियों के स्थान पर समीप की दूसरी प्राथमिक सेवा सहकारी समिति के माध्यम से धान की खरीदी की जावे ।

6. शार्टेज करने वाली सहकारी समिति जिस जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध है उन बैंकों द्वारा राशि समिति से वसूली कर राशि विपणन संघ को उपलब्ध कराई जाए।

7. जिले की समस्त समितियों का हिसाब होने पर बैंक को देय व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान संबंधित बैंक को जिले का हिसाब पूर्ण होने के 15 दिवस के अंदर किया जाना चाहिये।

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

पृ. कमांक एफ 4–4/खाद्य/2013/29 /2346 रायपुर, दिनांक 18 जून, 2014

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, रायपुर ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4. समस्त संभायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर ।
6. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी. मंत्रालय, रायपुर ।
7. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट - बयालीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 76 (क्र. 814) की जानकारी

"प्रपत्र"

स्थायी वित्त निर्देश 11/2025

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 787/एफ2025-04-05/ब–4 (सम.)/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4/3/2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषयः– शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, मंडलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के विज्ञापन,मुद्रण एवं प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराये जाने बाबत।

––0––

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 195/192/2001/1/5 दिनांक 21.8.2001 तथा मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ. के ज्ञापन क्रमांक/मु.स.का./8059 दिनांक 30.1.2018 एवं क्रमांक 864/मु.स.का./2019 दिनांक 10.10.2019 में मुख्यतः यह निर्देश दिये गये हैं कि शासन के समस्त विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल, विश्वविद्यालय, आयोग एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं अपनी उपलब्धियों योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर आधारित विज्ञापन राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था "छत्तीसगढ़ संवाद" (जो रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पजीकृत संस्था है) के माध्यम से अनिवार्यतः जारी कराने के निर्देश हैं। साथ–ही सभी तरह के प्रकाशन, प्रचार सामग्री, पुस्तिका एवं पुस्तकों का मुद्रण, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं प्रचार–प्रसार सामग्रियों के डिजाईन, फिल्म तथा वृत्तचित्रों का निर्माण आदि कार्य भी छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से ही करवाए जाने के निर्देश हैं ताकि समस्त कार्य राज्य शासन की मंशा तथा लिए गए निर्णयों के अनुरूप हो। उपरोक्त परिपत्र एवं निर्देशों की प्रतिलिपियां संलग्न है।

2. **शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से उपरोक्त अनुसार कार्य नहीं कराये जा रहे हैं, जो कि शासकीय निर्देशों के अनुरूप नहीं है।**

3. यह सुस्पष्ट है कि राज्य शासन के मंशानुसार शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों मंडलों व अर्द्धशासकीय संस्थाओं के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के विज्ञापन डिजाईन कर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार का कार्य छत्तीसगढ़ संवाद से ही कराया जाना है, जिससे कार्यों में गुणवत्ता एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

4. यदि उपरोक्त कार्यों को करने हेतु छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किन्हीं कारणवश असमर्थ है, तो छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विभाग, निगम, मण्डल एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं उक्त कार्यों को अन्यत्र से नहीं कराया जाये।

5. विभागों द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के विज्ञापन डिजाईन कर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार का कार्य छत्तीसगढ़ संवाद से न कराया जाकर अन्य संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है, तो बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के उन देयकों का भुगतान कोषालयों से नहीं किया जाये।

6. अतः विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के विज्ञापन डिजाईन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार के कार्यों के देयकों का भुगतान किये जाने के संबंध में विभागों, उपक्रमों, मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में, जहां **छत्तीसगढ़ राज्य वित्त संवर्ग/ छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा संवर्ग के अधिकारी पदस्थ हों, को तथा राज्य के समस्त कोषालय अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–**

(1) छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराये कार्यो का नियमानुसार भुगतान किया जाये।

(2) विभागों द्वारा उक्त कार्य यदि छत्तीसगढ़ संवाद से नहीं कराये गये हों, तो छत्तीसगढ़ संवाद की अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना उन देयकों का भुगतान न किया जाये।

(3) उक्त निर्देशों के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. **विभागों से अपेक्षा है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुंनिश्चित किया जायेगा, तथा अधीनस्थ कार्यालयों और शासकीय नियंत्रणाधीन निगमों, मंडलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के लिए विभागीय स्तर से भी यथावश्यक निर्देश जारी किया जायेगा। विभागों को परामर्श दिया जाता है कि शासकीय निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करें।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

पृ.क्रमांक 788 / एफ 2025-09-00548 ब–4 (सम.) / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 / 3 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग नवा रायपुर अटल नगर / रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखाएँ वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा / पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
17. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
22. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
23. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
24. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

25. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

(राजीव कुमार झाड़े)
अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492001

संवाद

क्रमांकः 195/192/2001/I/5 रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2001



प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव,
2. प्रमुख सचिव/सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त संभागायुक्त,
5. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़ ।

विषयः- शासन के प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ संवाद से कराये जाने बाबत् ।

राज्य शासन द्वारा जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था के रूप में रजिस्टार फर्म्स एवं सोसाइटी के अन्तर्गत "छत्तीसगढ़ संवाद" का गठन किया गया है । "छत्तीसगढ़ संवाद" के गठन का उद्देश्य यह है कि इसके जरिये शासन के विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल एवं अर्धशासकीय संस्थाएं विज्ञापन जारी कर सकें । "संवाद" ही विज्ञापन डिजाईन कर उसे पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक माध्यमों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करेगा । साथ ही संवाद फिल्म तथा वृत्तचित्रों का निर्माण, वेबसाईट निर्माण तथा प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री भी तैयार करेगा ।

2/ शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य द्वारा वित्त पोषित समस्त शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं को अपनी प्रचार सामग्री "छत्तीसगढ़ संवाद" से तैयार कराना अनिवार्य होगा । संस्था विभिन्न विभागों, अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं के लिए मुद्रण व प्रकाशन का कार्य करेगी । इन प्रयासों के एवज में राज्य शासन ने लागत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सेवा शुल्क तय किया है । यदि "छत्तीसगढ़ संवाद" द्वारा उक्त कार्य कराने की स्थिति नहीं होगी तो उसके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा । अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विभाग, निगम, मंडल एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

निरंतर... 2...

छत्तीसगढ़)

विज्ञापन प्रकाशन का कोई भी कार्य बाहर से नहीं करा सकेंगी ।

3/ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(पी. सी. सूर्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक: 196/192/2001/I/5 रायपुर, दि0 22 अगस्त

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्टार उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर.
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर.
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर.
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर.
5. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, रायपुर.
6. रजिस्टार, मंत्रालय रायपुर.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/स्थापना/ अधीक्षण/ मुख्यलेखाधिकारी.
8. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव.
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, रायपुर.

(पी. सी. सूर्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

मुख्य सचिव कार्यालय
छत्तीसगढ़ शासन
महानदी भवन,
मंत्रालय,नया रायपुर

कमांक /मु.स.का./ 8059 नया रायपुर, दिनांक 30/ 01/2018

प्रति,

समस्त
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/
संयुक्त सचिव/जिला कलेक्टर,

विषयः— शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों मण्डलों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं के विज्ञापन मुद्रण एवं प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से जारी करने बाबत् ।

संदर्भः— 1. अ. शास.पत्र कं.
(अ) क्र.305/सी.एस/2001 दिनांक 20 मार्च 2001
(ब) क्र.476/सी.एस/2003 दिनांक 27.11.2003
(स) क्र.2386/म.स.का./2006 दिनांक 23.07.2006

2. सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क.195/192/2001/1/5,दिनांक 21.08.2001
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,छत्तीसगढ़ संवाद का पत्र क.2168,दिनांक 22.04.2003
4. मुख्य कार्यपालंन अधिकारी,छत्तीसगढ़ संवाद का पत्र क.3082,दिनांक 21.01.2003

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्रों में शासन के समस्त विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं अपनी उपलब्धियों योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर आधारित विज्ञापन राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था "छत्तीसगढ़ संवाद" (जो रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है) के माध्यम से अनिवार्यतः जारी कराने के निर्देश है, साथ ही सभी तरह के प्रकाशन, प्रचार सामग्री, पुस्तिका एवं पुस्तकों का मुद्रण, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं प्रचार–प्रसार सामग्रियों के डिजाईन, फिल्म तथा वृत्तचित्रों का निर्माण आदि कार्य भी छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से ही करवाया जाये, जो राज्य शासन की मंशा तथा उसके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप हो ।

शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से उपरोक्त अनुसार कार्यवाही नहीं कराये जा रहे है, जो शासकीय निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

अतः शासन के समस्त विभाग को पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

(अजय सिंह) 31/1/18
मुख्य सचिव

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

मुख्य सचिव कार्यालय
छत्तीसगढ़ शासन
महानदी भवन
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 864 /मु.स.का./2019 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11/10/2019

प्रति

समस्त
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव /संयुक्त सचिव,
जिला कलेक्टर,
निगम/मण्डल /आयोग एवं विश्वविद्यालय के प्रभारी
छत्तीसगढ़

विषय :– शासन के विभिन्न विभागों, उपकमों, मण्डलों, अर्द्धशासकीय संस्थाओ के विज्ञापन ,मुद्रण एवं प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से जारी करने बाबत्।

संदर्भ :– (1) अ. शास. पत्र क.
(अ) क. 305/सी.एस/2001 दिनांक 20 मार्च 2001
(ब) क. 476/सी.एस/2003 दिनांक 27.11.2003
(स) क.2386/मु.स.का./2006 दिनांक 23.07.2006
(2) सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क.195/192/2001/1/5 दिनांक 21.08.2001
(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद का पत्र क.2168 दिनांक 22.04.2003
(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद का पत्र क.3082 दिनांक 21.01.2006
(5) मु.सचिव कार्या.का पत्र क./मु.स.का./8059 नया रायपुर दिनांक 30.01.20.18

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन के समस्त विभाग, उपकम, निगम, मंडल, विश्वविद्यालय, आयोग एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं अपनी उपलब्धियों योजनाओं तथा कार्यकमों पर आधारित विज्ञापन राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था "छत्तीसगढ़ संवाद" (जो रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है) के माध्यम से अनिवार्यतः जारी कराने के निर्देश हैं। साथ ही सभी तरह के प्रकाशन, प्रचार सामग्री, पुस्तिका एवं पुस्तकों का मुद्रण, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं प्रचार–प्रसार सामग्रियों के डिजाईन, फिल्म तथा वृत्तचित्रों का निर्माण आदि कार्य भी छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से ही करवाए जाने के निर्देश हैं, ताकि समस्त कार्य राज्य शासन की मंशा तथा लिए गए निर्णयों के अनुरुप हो।

शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से उपरोक्त अनुसार कार्य नहीं कराये जा रहे हैं, जो शासकीय निर्देशों के अनुरुप नहीं है।

अतः शासन के समस्त विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य सचिव

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

परिशिष्ट - तिरालीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 78 (क्र. 821) की जानकारी

प्रपत्र

प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत दिनांक 01 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक आहरित राशि का विवरण

क0	जिले का नाम	कोषालय/एव कोषालय का नाम	प्राकृतिक आपदा मद में आहरित राशि	प्राकृतिक आपदा मद से आहरित राशि में से बैंक में अंतरित राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	रायपुर	रायपुर	21565675.00	21565675.00
		सिटी कोषालय रायपुर	5329558.00	5329558.00
		योग	**26895233.00**	**26895233.00**
2	महासमुंद	महासमुंद	5141100.00	5141100.00
		बागबाहरा	580000.00	580000.00
		सराईपाली	2232513.00	2232513.00
		पिथौरा	8450000.00	2350000.00
		योग	**16403613.00**	**10303613.00**
3	धमतरी	धमतरी	7585544.00	7582544.00
		योग	**7585544.00**	**7582544.00**
4	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	5200000.0	5200000.0
		भाटापारा	2406868.0	2406868.0
		योग	**7606868.0**	**7606868.0**
5	गरियाबंद	गरियाबंद	14417053	14471053
		देवभोग	2588729	2588729
		योग	**17005782**	**17059782**
6	दुर्ग	दुर्ग	3376320.00	3376320.00
		धमधा	928940.00	928940.00
		पाटन	79475353.00	79475353.00
		योग	**83780613.00**	**83780613.00**
7	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1195487.00	1195487.00
		डोंगरगढ़	41600.00	41600.00
		छुरिया	100000.00	100000.00
		योग	**1337087.00**	**1337087.00**
8	कबीरधाम	कबीरधाम	19776631.00	19776631.00
		योग	**19776631.00**	**19776631.00**
9	बालोद	बालोद	40316891.00	40316891.00
		योग	**40316891.00**	**40316891.00**

10	बेमेतरा	बेमेतरा	29375390.00	29375390.00
		साजा	4886400.00	4886400.00
		योग	**34261790.00**	**34261790.00**
11	मोहला–मानपुर–अं.चौकी	मानपुर	400000.00	400000.00
		मोहला	41885.00	41885.00
		योग	**441885.00**	**441885.00**
12	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	खैरागढ़	1600000.00	1600000.00
		छुईखदान	1357055.00	1357055.00
		योग	**2957055.00**	**2957055.00**
13	बिलासपुर	बिलासपुर	18180600.00	18180600.00
		योग	**18180600.00**	**18180600.00**
14	मुंगेली	मुंगेली	7779700.00	7779700.00
		योग	**7779700.00**	**7779700.00**
15	जांजगीर–चांपा	जांजगीर–चांपा	7701000.00	7701000.00
		योग	**7701000.00**	**7701000.00**
16	कोरबा	कटघोरा	11916200.00	11916200.00
		कोरबा	19630949.00	19630949.00
		योग	**19630949.00**	**19630949.00**
17	रायगढ़	रायगढ़	9070869.00	9070869.00
		योग	**9070869.00**	**9070869.00**
18	गौरेला–पण्ड्रा– मरवाही	गौरेला–पण्ड्रा– मरवाही	18660090.00	18660090.00
		योग	**18660090.00**	**18660090.00**
19	सक्ती	जांजगीर–चांपा	2800000.00	2800000.00
		योग	**2800000.00**	**2800000.00**
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	1394800.00	1394800.00
		योग	**1394800.00**	**1394800.00**
21	बस्तर	जगदलपुर	7382766	7382766
		योग	**7382766**	**7382766**
22	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	2180000.00	2180000.00
		गीदम	1693100.00	1693100.00
		कुंआकोण्डा	702400.00	702400.00
		कटेकल्याण	460000.00	460000.00
		योग	**5035500.00**	**5035500.00**
23	बीजापुर	बीजापुर	1200000.00	1200000.00
		योग	**1200000.00**	**1200000.00**
24	सुकमा	सुकमा	853703.00	853703.00
		योग	**853703.00**	**853703.00**
25	कोण्डागॉव		0.00	0.00
		योग	**0.00**	**0.00**

26	कांकेर	कांकेर	855155.00	855155.00
		चारामा	908762.00	908762.00
		भानुप्रतापपुर	409071.00	407190.00
		अंतागढ़	1290848.00	1290848.00
		पखांजुर	1010000.00	1010000.00
		योग	**4473836.00**	**4471955.00**
27	**नारायणपुर**		0.00	0.00
		योग	**0.00**	**0.00**
28	सरगुजा	अम्बिकापुर	4153730.00	4153730.00
		योग	**4153730.00**	**4153730.00**
29	सूरजपुर	सूरजपुर	14288591.00	14288591.00
		योग	**14288591.00**	**14288591.00**
30	बलरामपुर	बलरामपुर	100000.00	100000.00
		कुसमी	347000.00	347000.00
		रामानुजगंज	539600.00	539600.00
		योग	**986600.00**	**986600.00**
31	जशपुर	जशपुर	9107811.00	9107811.00
		योग	**9107811.00**	**9107811.00**
32	कोरिया	बैकुण्ठपुर	5703364	5703364
		योग	**5703364**	**5703364**
33	मनेद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	बैकुण्ठपुर	1450000.00	1450000.00
		योग	**1450000.00**	**1450000.00**
	महायोग		**398222901.00**	**392172020.00**

परिशिष्ट - चवालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 80 (क्र. 935) की जानकारी

प्रपत्र–अ

वर्ष 2024–25 मे सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत समितिवार/धान खरीदी केन्द्रवार धान खरीदी की जानकारी

क्र.	समिति का नाम	धान खरीदी केन्द्र का नाम	धान खरीदी मात्रा (टन में)
1	उडेला	उडेला	3749.00
2	उडेला	खोकसा	2537.00
3	उडेला	पुरूषोत्तमपुर	3905.00
4	केजुवा	केजुवा	7020.96
5	कनकेवा	कैंदुढार	1966.32
6	कनकेवा	कनकेवा	8109.44
7	केना	केना	4983.84
8	कुसमीसरार	सेमलिया	7714.80
9	कोटद्वारी	बलौदा	7785.20
10	गेर्रा	टेमरी	6976.40
11	चनाट	चनाट	4823.80
12	चनाट	तिलईदादर	3551.60
13	चिवराकुंटा	चिंवराकुंटा	6322.44
14	जंगलबेडा	जंगलबेडा	5855.60
15	जम्हारी	आंवलाचक्का	2719.28
16	जम्हारी	जम्हारी	5018.32
17	जम्हारी	बहेरापाली	1770.52
18	जोगनीपाली	जोगनीपाली	10516.16
19	ठुठापाली	ठुठापाली	7318.60
20	तिहारीपाली	तिहारीपाली	8210.08
21	तोरेसिंहा	तोरेसिंहा	7890.32
22	तोषगांव	तोषगांव	8286.72
23	नूनपानी	अमरकोट	6488.64
24	नवरंगपुर	नवरंगपुर	5878.40
25	नवरंगपुर	बाराडोली	4157.68
26	नवागढ	नवागढ	9315.12
27	पुटका	पुटका	5883.36
28	पुटका	लाती	2254.08
29	बडेसाजापाली	बडेसाजापाली	6112.00
30	बेलमुण्डी	बेलमुण्डी	6549.60
31	बिछिया (भंवरपुर)	दुलारपाली	3459.40
32	बिछिया (भंवरपुर)	बिछिया	6213.60
33	बोन्दानवापाली	बोन्दानवापाली	7831.84
34	भंवरपुर	भंवरपुर	5348.00
35	भंवरपुर	रूपापाली	3341.20
36	भोथलडीह	भोथलडिह्	6873.20
37	भोथलडीह	तिमगांव	2192.20
38	मल्दामाल	मल्दामाल	7656.80
39	रूढा	रूढा	4421.04
40	रूढा	सागरपाली	6294.16
41	रिसिकेला	केदुवा	10200.00
42	रोहिना	रोहिना	7805.92
43	लम्बर	लम्बर	8731.40
44	सरकडा (पिरदा)	टांगापासा	7053.44
45	सरायपाली	सरायपाली	10586.52
46	सलखण्ड	सलखण्ड	7254.00
47	सिंगबहाल	सिंगबहाल	6451.52
48	सिरबोड़ा	सिरबोड़ा	4512.08
योग			289896.60

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–ब

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उपार्जन केन्द्रो में अवैध धान खपाने अथवा अन्य गडबडियों की जानकारी

क्र.	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र	जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम	दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम एवं पद	दोषी पाए गए कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही
1	नूनपानी	नूनपानी	1. श्री मनोज कुमार नायक, व.स.नि. 2. श्री अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक 3. श्री अमृतलाल जगत, शाखा प्रबंधक, जि.स.के.बैंक सरायपाली	1. श्री कार्तिकेश्वर यादव, समिति प्रबंधक 2. श्री तेजराम पटेल, खरीदी प्रभारी 3. श्री राजेन्द्र पटेल, कम्प्यूटर ऑपरेटर	एफआईआर दर्ज
2	रिसीकेला	रिसीकेला	1. श्री मनोज कुमार नायक, व.स.नि. 2. श्री अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक 3. श्री श्रीधर पंडा, तहसीलदार	श्री टिकेश्वर पटेल, लिपिक	प्रकरण में निलंबन, पश्चात निराकरण
3	रिसीकेला	रिसीकेला	1. श्री मनोज कुमार नायक, व.स.नि. 2. श्री अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक 3. श्री अमृतलाल जगत, शाखा प्रबंधक, जि.स.के.बैंक सरायपाली	1. श्री देवकुमार पटेल, समिति प्रभारी 2. श्री टिकेश्वर पटेल, लिपिक 3. श्री सूरज बरिहा, प्रोसेस सर्वर 4. श्री कमलेश पटेल, दैनिक वेतनभोगी 5. श्री अनिरूध पटेल, दैनिक वेतनभोगी 6. श्री गुणवंत बरिहा, कम्प्यूटर ऑपरेटर	एफआईआर दर्ज एवं पुलिस प्रकरण विवेचनाधीन
4	सिंगबहाल	सिंगबहाल	1. श्री मनोज कुमार नायक, व.स.नि. 2. श्री अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक 3. श्री अमृतलाल जगत, शाखा प्रबंधक, जि.स.के.बैंक सरायपाली	श्री क्षेत्रमोहन साहू, उपार्जन केन्द्र प्रभारी	जांच प्रक्रियाधीन है
5	केना	केना	1. श्री रविन्द्र काले (नायब तहसीलदार) 2. श्री मनोज कुमार नायक, व.स.नि. 3. श्री अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक	1. श्री भिष्मदेव पटेल, समिति प्रभारी 2. श्री सौनक नायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर 3. श्री बिरेन्द्र साहू, बारदाना सुपरवाईजर	निलंबित एवं एफआईआर दर्ज
6	जंगलबेड़ा	जंगलबेड़ा	कलेक्टर जिला महासमुंद द्वारा आकस्मिक निरीक्षण	श्री भोजराम प्रधान, समिति प्रभारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर	समिति प्रभारी एवं धान खरीदी प्रभार से पृथक

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्ट - पैंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 12) की जानकारी

प्रपत्रः

अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शिक्षक/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की जानकारी

स.क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों की संख्या जो शिक्षा विभाग 'ई संवर्ग' में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है।	अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या जो शिक्षा विभाग 'ई संवर्ग' में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है।
1	2	3	4	5
1	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी	मोहला	6	0
2		मानपुर	5	0
3		अम्बागढ़–चौकी	16	3
योगः–			27	3

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

03/07/2025
सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - छियालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 35) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2024–25 में हुए बेमौसम बरसात में दिये गये मुआवजा के संबंध में

	जिले का नाम	कुल किसानों की संख्या	मुआवजा राशि दिये गये किसानों की संख्या	शेष किसानों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	562	562	0	
2	महासमुंद	4260	4260	0	
3	धमतरी	388	388	0	
4	बलौदाबाजार–भाटापारा	0	0	0	
5	गरियाबंद	106	6	100	
6	दुर्ग	1062	861	201	
7	राजनांदगांव	70	70	0	
8	कबीरधाम	60969	0	60969	
9	बालोद	35	35	0	
10	बेमेतरा	0	0	0	
11	मोहला–मानपुर–अं.चौकी	27	23	4	
12	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	24250	20042	4208	
13	बिलासपुर	19	19	0	
14	मुंगेली	0	0	0	
15	जांजगीर–चांपा	0	0	0	
16	कोरबा	7	7	0	
17	रायगढ़	49	49	0	
18	गौरेला–पण्ड्रा– मरवाही	0	0	0	
19	सक्ती	3	3	0	
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	0	0	0	
21	बस्तर	14	14	0	
22	दन्तेवाड़ा	0	0	0	
23	बीजापुर	0	0	0	
24	सुकमा	73	73	0	
25	कोण्डागॉव	904	904	0	
26	कांकेर	2788	945	1843	
27	नारायणपुर	0	0	0	
28	सरगुजा	28	28	0	
29	सूरजपुर	97	97	0	
30	बलरामपुर	99	99	0	
31	जशपुर	11	11	0	
32	कोरिया	0	0	0	
33	मनेद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	0	0	0	
	कुल योग	**95821**	**28496**	**67325**	

प्रपत्र

क्र.	ग्राम पंचायत	वर्ष	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	ग्राम पंचायत सचिव का नाम	किसी देय कराने वाले का नाम	तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम
1	NAKTI	2016-17	BISAHU SAHU	TERHA SAHU	श्री सोमनाथ साहू	श्री अनुप कुमार टण्डन, कम्प्यूटर ऑरेटर	श्री हरिशंकर चौहान
2	NAKTI	2016-17	NAND KUMAR YADAV	MOTI YADAV			श्री हरिशंकर चौहान
3	NAKTI	2017-18	rajkumar yadav	sudharu yadav			श्री हरिशंकर चौहान
4	NAKTI	2017-18	omprakash yadav	lakhan yadav			श्री हरिशंकर चौहान
5	NAKTI	2017-18	champa yadav	manwa yadav			श्री हरिशंकर चौहान
6	NAKTI	2018-19	lalit yadav	dhannuram yadav			श्री हरिशंकर चौहान
7	NAKTI	2018-19	SHATRUGHAN YADAV	CHINTA YADAV			श्री हरिशंकर चौहान
8	NAKTI	2018-19	DEVADHIN YADAV	ABHINATH YADAV			श्री हरिशंकर चौहान
9	NAKTI	2018-19	bhupendra yadav	lakhan yadav			श्री रूही टेम्भुरकर
10	NAKTI	2022-23	RAJU JOSHI	PARAS JOSHI			श्री पिताम्बर कुमार यादव
11	NAKTI	2024-25	ajesh yadav	sudhru yadav			श्री पिताम्बर कुमार यादव
12	NAKTI	2024-25	ferhi sahu	sukalu sahu			श्री पिताम्बर कुमार यादव
13	NAKTI	2024-25	KAMLA YADAV	TETKU YADAV			श्री पिताम्बर कुमार यादव
14	NAKTI	2024-25	Khemu ram sahu	Tulshi ram sahu			श्री पिताम्बर कुमार यादव
15	NAKTI	2024-25	KISUN YADAV	JWALA YADAV			श्री पिताम्बर कुमार यादव
16	NAKTI	2024-25	MANHARAN PAL	RAMKHELAVAN PAL			श्री पिताम्बर कुमार यादव
17	NAKTI	2024-25	PUNAAU RAM SAHU	BANVALI SAHU			श्री पिताम्बर कुमार यादव
18	NAKTI	2024-25	shivkumar yadav	sudharu yadav			श्री पिताम्बर कुमार यादव
19	NAKTI	2024-25	SHIVKUMAR YADAV	CHAITRAM YADAV			श्री पिताम्बर कुमार यादव
20	NAKTI	2024-25	Shyama bai yadav	Chaitram			श्री पिताम्बर कुमार यादव
21	NAKTI	2024-25	Toshan ram yadav	Chaitram			श्री पिताम्बर कुमार यादव

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

परिशिष्ट - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 75) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई में वर्ष 2023 से दिनांक 20.06.2025 तक स्थायी एवं अस्थयी विद्युत कनेक्शनों हेतु प्राप्त आवेदनों की वर्षवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	उपसंभाग का नाम	वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2025–26 (20.06.2025 तक)	
				स्थाई कनेक्शन	अस्थाई कनेक्शन	स्थाई कनेक्शन	अस्थाई कनेक्शन	स्थाई कनेक्शन	अस्थाई कनेक्शन	स्थाई कनेक्शन	अस्थाई कनेक्शन
1	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	201	680	244	656	246	751	36	167
2			अमलीपारा	329	803	272	785	450	861	16	114
3			छुईखदान	266	663	193	604	314	580	94	104
4			गण्डई	280	300	291	672	320	793	39	147
5		राजनांदगांव	सोमनी	29	127	7	124	18	91	3	18
6		डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	67	177	47	37	81	54	1	12
कुल योग				**1172**	**2750**	**1054**	**2878**	**1429**	**3130**	**189**	**562**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–ब

जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई में वर्ष 2023 से दिनांक 20.06.2025 तक स्थायी पंपों को ऊर्जीकृत करने के लिए प्राप्त लक्ष्य की वर्षवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	उपसंभाग का नाम		वर्षवार प्राप्त लक्ष्य		
				2022–23	2023–24	2024–25	2025–26
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	183	505	218	4
2			अमलीपारा	341	762	162	75
3			छुईखदान	221	685	152	17
4			गण्डई	227	720	184	62
5		राजनांदगांव	सोमनी	17	36	8	2
6		डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	33	129	26	10
कुल योग				1022	2837	750	170

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–स

जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई में वर्ष 2023 से दिनांक 20.06.2025 तक स्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों पर शासन से प्राप्त लक्ष्य में अंतर जानकारी वर्षवार, उपसंभागवार निम्नानुसार है :–

क्र.	उपसंभाग का नाम	वर्ष 2022–23			वर्ष 2023–24				
		प्राप्त आवेदन	लक्ष्य	शेष	विगत वर्ष 2022–23 का शेष	प्राप्त आवेदन	कुल	लक्ष्य	शेष 2023–24
1	खैरागढ़	501	183	318	318	206	524	505	19
2	अमलीपारा	809	341	468	468	326	794	762	32
3	छुईखदान	644	221	423	423	262	685	685	0
4	गण्डई	673	227	446	446	284	730	720	10
5	सोमनी	53	17	36	36	0	36	36	0
6	डोंगरगढ़	60	33	27	27	102	129	129	0
योग		**2740**	**1022**	**1718**	**1718**	**1180**	**2898**	**2837**	**61**

क्र.	उपसंभाग का नाम	वर्ष 2024–25					वर्ष 2025–26				
		विगत वर्ष 2023–24 का शेष	प्राप्त आवेदन	कुल	लक्ष्य	शेष 2024–25	विगत वर्ष 2024–25 का शेष	प्राप्त आवेदन	कुल	लक्ष्य	शेष 2025–26
1	खैरागढ़	19	484	503	218	285	285	0	285	4	281
2	अमलीपारा	32	483	515	162	353	353	25	378	75	303
3	छुईखदान	0	518	518	152	366	366	21	387	17	370
4	गण्डई	10	576	586	184	402	402	0	402	62	340
5	सोमनी	0	24	24	8	16	16	2	18	2	16
6	डोंगरगढ़	0	110	110	26	84	84	0	84	10	74
योग		**61**	**2195**	**2256**	**750**	**1506**	**1506**	**48**	**1554**	**170**	**1384**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–द

जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई में दिनांक 20.06.2025 की स्थिति में औपचारिकतापूर्ण लंबित आवेदनों की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	संभाग का नाम	उपसंभाग का नाम	औपचारिकता पूर्ण लंबित आवेदनों की संख्या दिनांक 20.06.2025 की स्थिति में
1	खैरागढ़– छुईखदान– गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	285
2			अमलीपारा	378
3			छुईखदान	387
4			गण्डई	402
5		राजनांदगांव	सोमनी	18
6		डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	84
कुल योग				1554

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - उन्चास

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 121) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	वर्ष	की गई चालानी कार्यवाही की संख्या	जारी किये गये फिटनेस की संख्या	जारी किये गये परमिट की संख्या
1.	2023-24	निरंक	17843	9139
2.	2024-25	निरंक	5469	8331
3.	2025-26 (20.06.2025 तक)	निरंक	538	1951

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशिष्ट - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 136) की जानकारी

प्रपत्र–अ

निविदा सं. एस/एस ओएंडएम–11/24–27/614, दिनांक 02.07.2024 में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त आवेदन/शिकायती पत्रों की विस्तृत जानकारी

क्र.	कार्यालय जहाँ पत्र प्राप्त हुआ	आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम	पत्र दिनांक	विषय	जवाब/कार्यवाही संबंधित विवरण
1	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, ट्रांस/मुख्य अभियंता (उपकेन्द्र) रायपुर	मेसर्स देवश्री एग्रो टेक प्रा. लिमि., धमतरी	16ई09ई2024	निविदा में अयोग्यता निर्धारण के विरूद्ध शिकायत	मेसर्स देवश्री एग्रो टेक प्रा. लिमि., धमतरी द्वारा निविदा क्र. S/s-O&M-11/24-27/614, dtd. 02.07.2024 में भागादारी ली गई थी। निविदा में निर्धारित अर्हता पूर्ण न किये जाने के कारण निविदा में अयोग्य हो जाने के पश्चात् फर्म द्वारा अर्हता निर्धारण के संबंध में अपने मत रखे गये, जो कि स्वीकार योग्य नहीं पाया गया जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को दी जा चुकी है। प्राप्त पत्रों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी सक्षम अधिकारी के संज्ञान में लाने के उपरांत कार्यवाही योग्य नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध कर दिया गया।
2	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, ट्रांसमिशन		15ई04ई2025	Urgent Intervention required in tender No. S/s-O&M-11/24-27/614, dtd. 02.07.2024	
3	प्रबंध निदेशक (ट्रांस.)/मुख्य अभियंता (उपकेन्द्र) रायपुर		27ई09ई2024	Formal compliant regarding tender process for arbitararily rejecting our Techno Commericial bid due to invalid reasons and request for immediate cancellation of Tender No. S/s-O&M-11/24-27/614 dtd. 02.07.2024	
4	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक (ट्रांस.)	श्री अजय चंद्राकर, विधायक एवं पूर्व मंत्री	2ई11ई2024	सी.एस.पी.टी.सी.एल. रायपुर कार्यालय द्वारा जारी निविदा में विसंगति दूर करने के संबंध में। (मेसर्स देवश्री एग्रो टेक, धमतरी के प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में)	
5	मुख्यमंत्री कार्यालय निवास, रायपुर/ऊर्जा विभाग, रायपुर	श्री देवेन्द्र अरोरा, प्रबंध निदेशक, मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेस, इंदौर	4ई09ई2024	निविदा क्र. 1. S/s-O&M-11/24-27/614, dtd. 02.07.2024 एवं 2. S/s-O&M-12/24-27/615, dtd. 02.07.2024 क संबंध में।	मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेस, इंदौर द्वारा निविदा क्र. S/s-O&M-11/24-27/614, dtd. 02.07.2024 एवं S/s-O&M-12/24-27/615, dtd. 02.07.2024 में भागादारी ली गई थी। निविदा में निर्धारित अर्हता पूर्ण न किये जाने के कारण निविदा में अयोग्य हो जाने के पश्चात् फर्म द्वारा अर्हता निर्धारण के संबंध में अपने मत रखे गये, जो कि स्वीकार योग्य नहीं पाया गया जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को दी जा चुकी है।
6	मुख्यमंत्री कार्यालय निवास, रायपुर/ऊर्जा विभाग, रायपुर		3ई10ई2024	छ.ग. पावर ट्रांस. कंपनी लिमि. द्वारा जारी मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवाओं की निविदा क्र. 1. S/s-O&M-11/24-27/614, dtd. 02.07.2024 एवं 2. S/s-O&M-12/24-27/615, dtd. 02.07.2024 के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के संबंध में।	
7	अध्यक्ष, छ.ग.स्टेट पावर कंपनीज	श्री हेमंत कुमार 132 के.व्ही. उपकेन्द्र, सहायक परिचालक मगरलोड	20ई01ई2025	बिना लेबर लाइसेंस के ठेका संचालन करने बाबत्	कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, रायपुर के अनुज्ञापन अधिकारी के पत्र क्र./स.श्र.अ./रा.जि./2021/8143, दिनांक 20.10.2021 में लेबर लाईसेंस के परिप्रेक्ष्य में लेख किया गया था कि प्रत्येक उपकेन्द्र में 12 कर्मचारी/श्रमिक नियोजित करने के कारण श्रमिक अधिनियम 1970 की धारा 12 नियम 21 के अनुसार अनुज्ञप्ति दिया जाना प्रावधानित नहीं है। तदानुसार जानकारी से संबंधित को सूचित किया जा चुका है।
8	प्रबंध संचालक, विद्युत पारेषण कंपनी लिमि.	श्री विजयराव देवरणकर अध्यक्ष, छ.ग. विद्युत पारेषण विभाग ठेका कर्मचारी संघ	31ई01ई2025	220 के.व्ही. व 132 के.व्ही उपकेन्द्र संचालन के टेंडर में ऑपरेटरों का शोषण एव आर्थिक अनियमितता की वजह से कंपनी को भारी आर्थिक क्षति होने की सूचना हेतु।	उपरोक्त के संबंध में संबंधित को जवाब दिया जा चुका है।
9	अध्यक्ष, छ.ग.स्टेट पावर कंपनीज		27ई03ई2025		
10	अध्यक्ष, छ.ग.स्टेट पावर कंपनीज		27ई02ई2025	सी.एस.पी.टी.सी.एल. के कुछ अधिकारियों की कृत्यों से श्रमिक वर्ग में शासन की स्वच्छ छवि प्रभावित होने बाबत्।	
11	अध्यक्ष, छ.ग.स्टेट पावर कंपनीज		22ई01ई2025	220 के.व्ही. व 132 के.व्ही. उपकेन्द्र संचालन के टेंडर में ऑपरेटरों का शोषण एव आर्थिक अनियमिता की वजह से कंपनी को भारी आर्थिक क्षति होने की सूचना हेतु।	
12	अध्यक्ष, छ.ग.स्टेट पावर कंपनीज		21ई02ई2025	सी.एस.पी.टी.सी.एल. के द्वारा श्रम अधिनियम के सेक्शन 12(1) of the Contract Labour (Regulation and abolition) Act 1970 के उल्लंघन किये जाने बाबत्।	
13	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, (ट्रांस./डिस्ट्री.)/मुख्य अभियंता (उपकेन्द्र) रायपुर	श्री अशोक वर्मा	24ई03ई2025	मेसर्स देवश्री एग्रो टेक, धमतरी एवं मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेस प्रा. लिमि., इंदौर द्वारा निविदा में फर्जी दस्तावेज जमा किए जाने एवं निविदा से अपात्र किए जाने के बाद भी उसके विरूद्ध कोई भी कार्यवाही न होने के संबंध में।	फर्म के द्वारा निविदा में निर्धारित अर्हता हेतु उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कारण बताओ सूचना जारी किया गया था। फर्म द्वारा निविदा मे निर्धारित आवश्यक अर्हता पूर्ण नही करने के कारण उन्हें निविदा में अयोग्य पाया गया। निविदा की शर्तों के अनुसार, फर्म इसके अतिरिक्त किसी अन्य कार्यवाही के योग्य नही था।
14	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक (ट्रांस./डिस्ट्री.)	आर.के.साहू, अधिवक्ता	28ई02ई2025	अयोग्य किए गए ठेकेदारों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही न करने के संबंध में।	
15	अध्यक्ष, छ.ग.स्टेट पावर कंपनीज/प्रबंध निदेशक (ट्रांस)/मुख्य अभियंता (उपकेन्द्र) रायपुर	श्री योगेश साहू, 33/11 के.व्ही. ठेका कर्मचारी मजदूर संघ, रायपुर (छ.ग.)	22ई05ई2025	निविदा में फर्जी दस्तावेज जमा करने वाली फर्मो पर किसी प्रकार की कार्यवाही न करने के संबंध में।	
16	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक (ट्रांस./डिस्ट्री.)	श्री अजय साहू,	10ई3ई2025	132 के.व्ही. उपकेन्द्र के टेण्डर में मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेस, इंदौर एवं देवश्री एग्रो टेक, धमतरी के फर्जी दस्तावेज के संबंध मे।	

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

Vidhansabha Q. No. 13 Tender No. S/s-O&M-11/24-27/614 dtd. 02.07.2024 (for regular bidder)

S.N.	PQR of tender specification No. 614, dtd. 02.07.2024 Clause No.	PQR	Document required	Participated Bidder Name & information regarding submission of documents against PQR M/s Aditi Electricals, Jabalpur	M/s Effective Enterprises, Bhilai	M/s Target Security Services, Bhilai	M/s World Class Services Ltd., Indore
A. Technical Qualification required for regular bidders participating for 85% unreserved quantity (say 110 No. S/s)							
Technical Criteria							
1	1	The bidder should have experience of successful and satisfactory Operation of minimum 05 Nos. (cumulative) 132/33KV (or higher voltage level) S/s for at least 01 year continuously without break during last 5 years of following Indian Entities as on date of issue of NIT:- i) Power utilities owned and controlled by Central or State Govt, Or ii) PSUs, Or iii)Govt. organizations	Bidder should submit self attested copy of following documents 1. Work order/ contract award placed by the Entity. 2. Performance certificate issued by the order placing authority exactly against the work order/contract award.	Submitted copy of operation work order of more than 05 No. S/s along with experience certificate and meet the required PQR.	Submitted copy of operation work order of more than 05 No. S/s along with experience certificate and meet the required PQR.	Not submitted	Submitted copy of operation work order of more than 05 No. S/s along with experience certificate and meet the required PQR.
Commercial/Financial Criteria for regular bidders participating for 85% unreserved quantity (say 110 No. S/s)							
2	2(I)	2. (I) The bidder should have minimum average annual turnover (MAAT) for best 3 years out of last 5 financial years (FY 2018-19 to 2022-23) of Rs 3.20 Crore Note:- In case bidder is a holding company, MAAT shall be that of holding company only (i.e. excluding its subsidiary/group companies). In case bidder is a subsidiary of a holding company, the MAAT shall be of subsidiary company only (excluding its holding company).	Statement of Annual turnover, Audited balance sheets and profit & loss statement duly certified by Chartered Accountant. The Audited balance sheets furnished should be for last 05 financial years(i.e. F.Y. 2018-19, 2019-20, 2020-2021, 2021-22 & 2022-23).	Submitted statement of Annual turnover, net worth, CA certificate regarding Liquid Asset/ availability of credit facilities and meet the required PQR.	Submitted statement of Annual turnover, net worth, CA certificate regarding Liquid Asset/ availability of credit facilities and meet the required PQR.	Submitted statement of Annual turnover & net worth. Bidder not submitted CA certificate regarding Liquid Asset/ availability of credit facilities and thus does not meet the required PQR.	Submitted statement of Annual turnover, net worth, CA certificate regarding Liquid Asset/ availability of credit facilities and meet the required PQR.
3	2(II)	(II) The Net worth of minimum any 3 years out of last five financial years i.e. 2018-2019, 2019-20, 2020-21,2021-22 & 2022-23 should be positive, out of which last year audited balance sheet should show positive Net worth. Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits, securities premium account and debit and credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the audited balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write back of depreciation and amalgamation.	A Statement showing 'Net worth' including assets and liability of the bidder duly certified by Chartered Accountant for the last five financial years (i.e. F.Y. 2018-19, 2019-20, 2020-2021, 2021-2022 & 2022-23) shall be furnished.				
4	2(III)	(III) The bidders shall have liquid assets (LA) or/and evidence of access to or availability of credit facilities of not less than Rs. 1.78 Crore as on date of issue of NIT. Liquid assets would include cash (and equivalents), bank deposit, securities that can be freely traded and receivables which has general certainty of getting received.	A certificate of C.A. indicating details (breakup) of available Liquid Asset (cash credit limit) with UDIN No. For Evidence of Access to or Availability of credit facilities, certificate from their banker (as per Annexure-VI) indicating various fund based/non fund based limits sanctioned to the bidder and the extent of utilization as on date. Such certificate should have been issued				

134

14 जुलाई 2025]

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

[14 जुलाई 2025

S.N.	PQR of tender specification No. 614, dtd. 02.07.2024			Participated Bidder Name & information regarding submission of documents against PQR			
	Clause No.	PQR	Document required	M/s Aditi Electricals, Jabalpur	M/s Effective Enterprises, Bhilai	M/s Target Security Services, Bhilai	M/s World Class Services Ltd., Indore
5	2(IV)	(IV) The bidder shall submit following original certificate issued by CA dully mentioning of his UDIN No.:- a. All payment obligations (principal/interest) on outstanding debentures have been discharged and no such payment as on 31.03.2024 is outstanding /overdue. b. The Bidder is presently not in default in payment of any bank loan or interest thereon for more than three months or any loan account of the bidder has not been classified as NPA (Non performing assets) by the creditor/ leading bank as on date of issue of NIT. c. The bidding company is not going through the process of insolvency or liquidation as on the date of issue of NIT. Even, if on a later date up to opening of price bid against the instant tender, if it comes to the notice of CSPTCL that the bidder has been going through the process of insolvency or liquidation, their bid will be rejected.	Note: Wherever necessary, CSPTCL may make querries with the bidder's banker. Original Certificates issued by CA duly mentioning of UDIN number of CA. The format of undertaking is enclosed as Annexure-VIII.	Submitted the copy of certificate issued by CA regarding all payment obligations, presently not in default in payment & company is not going through the process of insolvency.	Submitted the copy of certificate issued by CA regarding all payment obligations, presently not in default in payment & company is not going through the process of insolvency.		Submitted the copy of certificate issued by CA regarding all payment obligations, presently not in default in payment & company is not going through the process of insolvency.
Other requirement							
6	C(1)	The bidder should have valid "A" Class Electrical Contractor license, issued by Electrical Licensing Board of any State in favour of bidder (proprietor or partner of the firm or Director of the Company), as the case may be "A" Class Electrical Contractor License issued in favour of employee of bidder will not be accepted in any case for participation in this bid. Bidder who have "A" class electrical contractor license issued by other State shall have to obtain valid "A" class electrical contractor license, from Electrical Licensing Board of Chhattisgarh State within 30 days from the date of issue of order. In case bidder has "A" class license issued by any other state, an undertaking regarding submission of "A" Class Electrical Contractor License issued by C.G. Govt. within 30 days must also be submitted with the tender offer. In case bidder has "A" class license issued by any other state, an undertaking regarding submission of "A" Class Electrical Contractor License issued by C.G. Govt. within 30 days must also be submitted with the tender offer.	Bidder should submit self attested copy of valid "A" Class Electrical Contractor License. Bidder who have "A" class electrical contractor license issued by other State shall have to submit undertaking as per Annexure-III.	Submitted valid 'A' class electrical contractor license.	Submitted valid 'A' class electrical contractor license.	Not submitted	Submitted valid 'A' class electrical contractor license.

135

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

S.N.	PQR of tender specification No. 614, dtd. 02.07.2024			Participated Bidder Name & information regarding submission of documents against PQR			
	Clause No.	PQR	Document required	M/s Aditi Electricals, Jabalpur	M/s Effective Enterprises, Bhilai	M/s Target Security Services, Bhilai	M/s World Class Services Ltd., Indore
7	C(2)	Bidder must have valid GST (Goods & Service tax) registration from competent authority and should submit the self attested copy of GSTIN registration with the bid.	Self attested copy of valid GST registration certificate	Submitted valid GST registration certificate	Submitted valid GST registration certificate	Submitted valid GST registration certificate	Submitted valid GST registration certificate
8	C(3)	Bidder must have ES Insurance registration/license and should submit the self-attested copy of ESIC registration with the bid.	Self attested copy of ES insurance registration.	Submitted ESIC registration certificate .	Submitted ESIC registration certificate .	Submitted ESIC registration certificate	Submitted ESIC registration certificate .
9	C(4)	Bidder should have PF code no. issued by the competent authority under the provision of Employee Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act-1952 and submit the self-attested copy of PF registration.	Self attested copy of PF code no. issued by the competent authority.	Submitted PF code No. issued by competent authority.	Submitted PF code No. issued by competent authority.	Submitted PF code No. issued by competent authority.	Submitted PF code No. issued by competent authority.
10	C(5)	The bidder should not be debarred/black-listed by Bank / State Govt. / Central Govt./ State PSU/CPSU/SEB/Public utility as on the date of issue of NIT. However, the bid shall not be considered for further processing in a. If, bidder is debarred/black-listed by Bank / State Govt. / Central Govt./ State PSU/CPSU/SEB/Public utility up to date of opening of price bid of the instant tender. b. If case comes to notice regarding submission of forged / fake document in any other tender under process in CSPC, up to date of opening of price bid in the instant tender.	A declaration in this regard shall be submitted by the bidder. As per prescribed Annexure-X(a).	Submitted a declaration regarding debarred/black list and submission of forged/fake document as per prescribed annexure-X(a).	Submitted a declaration regarding debarred/black list and submission of forged/fake document as per prescribed annexure-X(a).	Submitted a declaration regarding debarred/black list and submission of forged/fake document as per prescribed annexure-X(a).	Submitted a declaration regarding debarred/black list and submission of forged/fake document as per prescribed annexure-X(a).
11	C(6)	All the documents / statements / attachments / information submitted by the bidder in proof of the qualifying requirements must be authentic / genuine /correct and in case, any of the said documents / statements / attachments / information is found to be false / fake / misleading, the bidder will be disqualified and action will be taken against the bidder as per relevant provision of the tender.	A declaration in this regard shall be submitted by the bidder. As per prescribed Annexure-X(b).	Submitted a declaration regarding authentic/ genuine/correct documents as per prescribed annexure-X(b).	Submitted a declaration regarding authentic/ genuine/correct documents as per prescribed annexure-X(b).	Submitted a declaration regarding authentic/ genuine/correct documents as per prescribed annexure-X(b).	Submitted a declaration regarding authentic/ genuine/correct documents as per prescribed annexure-X(b).
12	C(7)	A declaration that the bidder has not been penalized by any Labour Laws Enforcement Authority for non-observance of any of the labour laws during past three years (i.e. FY 2021-22, 2022-23, 2023-24 & till date of issue of NIT) will have to be furnished along with the bid.	A declaration in this regard shall be submitted by the bidder. As per prescribed Annexure-XI.	Submitted a declaration regarding a non-penalized by any labour laws enforcement authority as per prescribed annexure-XI.	Submitted a declaration regarding a non-penalized by any labour laws enforcement authority as per prescribed annexure-XI.	Submitted a declaration regarding a non-penalized by any labour laws enforcement authority as per prescribed annexure-XI.	Submitted a declaration regarding a non-penalized by any labour laws enforcement authority as per prescribed annexure-XI. **But later on it was observed that the firm has penalized by Laobur Department Kabirdham during the year 2021-22. Thus does not meet the required PQR and disqualified.**
13	C(8)	Performance of the bidder for earlier contract of Sub-station Operation of CSPGCL/ CSPTCL/CSPDCL shall be taken into consideration before opening of NIT. Offers of the bidders shall not be considered for opening of price bid, if there has been default in satisfactory Performance of Operation of the Sub-stations during FY 2021-22, 2022-23 & 2023-24 and till date of issue of NIT	A self attested copy of certificate regarding satisfactory performance of work contract of Operation of the substations from order issuing authority alongwith schedule-II of this tender specification.	Submitted copy of certificate rearding satisfactory performance of contract work of CSPGCL/CSPTCL /CSPDCL as per schedule-II.	Submitted copy of certificate rearding satisfactory performance of contract work of CSPGCL/CSPTCL /CSPDCL as per schedule-II.	Not submitted	Submitted copy of certificate rearding satisfactory performance of contract work of SPGCL/CSPTCL SPDCL as per schedule-II.

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

136

14 जुलाई 2025]

Vidhansabha Q. No. 136 Tender No. S/s-O&M-11/24-27/614 dtd. 02.07.2024 (for Trial order bidder)

S.N.	PQR of tender specification No. 614, dtd. 02.07.2024			Participated Bidder Name & information regarding submission of documents against PQR				
	Clause No.	PQR	Document required	M/s Anil Kumar Tarekar, Korba	M/s Animesh Royzada, Bilaspur	M/s Cambridge Industries, Raipur	M/s Devshree Agro Tech. Pvt. Ltd., Dhamtari	M/s Govind Electricals, Dhamtari
B. Technical Qualification required for bidders participating for 15% trial order quantity (say 20 No. S/s)								
Technical Criteria								
1	1	1. The bidder should have experience of successful and satisfactory Operation of minimum 03 Nos. (cumulative) 132/33KV (or higher voltage level) S/s for at least 01 year continuously without break during last 5 years of following Indian Entities as on date of issue of NIT:- i) Power utilities owned and controlled by Central or State Govt, Or ii) PSUs, Or iii)Govt. organizations **OR** The bidder should have experience of successful and satisfactory operation of minimum 50 Nos. 33/11 KV or above voltage class substations against a single contract for at least one year continuously without break during last 05 years of following Indian Entities as on date of issue of NIT:- i) Power utilities owned and controlled by Central or State Govt, Or ii) PSUs, Or iii)Govt. organizations	Bidder should submit self attested copy of following documents 1. Work order/ contract award placed by the Entity. 2. Performance certificate issued by the order placing authority exactly against the work order/contract award. **OR** Bidder shall submit self attested copy of following documents: 1.Single work order/ contract award placed by the Entity for operation of minimum 50 no. 33/11 KV or above voltage class Substations. 2. Performance certificate issued by the order placing authority exactly against the work order/contract award.	Submitted copy of operation work order of 03 No. 132 KV S/s along with experience certificate and meet the required PQR.	Submitted copy of operation work order of more than 50 Nos. 33/11 KV S/s along with experience certificate and meet the required PQR.	Submitted copy of operation work order of more than 50 Nos. 33/11 KV S/s along with experience certificate and meet the required PQR.	Submitted copy of operation work order of 03 No. 132 KV S/s along with experience certificate and meet the required PQR.	Submitted copy of operation work order of 03 No. 132 KV S/s along with experience certificate and meet the required PQR.
Commercial/Financial Criteria for bidders participating for 15% trial order quantity (say 20 No. S/s)								
2	2(I)	The bidder should have minimum average annual turnover (MAAT) for best 3 years out of last 5 financial years (FY 2018-19 to 2022-23) of Rs 41.00 Lakh Note:- In case bidder is a holding company, MAAT shall be that of holding company only (i.e. excluding its subsidiary/group companies). In case bidder is a subsidiary of a holding company, the MAAT shall be of subsidiary company only (excluding its holding company).	Statement of Annual turnover, Audited balance sheets and profit & loss statement duly certified by Chartered Accountant. The Audited balance sheets furnished should be for last 05 financial years(i.e. F.Y. 2018-19, 2019-20, 2020-2021, 2021-22 & 2022-23).	Submitted statement of Annual turnover, net worth, CA certificate regarding Liquid Asset/ availability of credit facilities and meet the required PQR.	Submitted statement of Annual turnover, net worth, CA certificate regarding Liquid Asset/ availability of credit facilities and meet the required PQR.	Submitted statement of Annual turnover, net worth, CA certificate regarding Liquid Asset/ availability of credit facilities and meet the required PQR.	Submitted statement of Annual turnover & net worth. Bidder submitted CA certificate regarding Liquid Asset only **but not of sufficient required amount** i.e. for Rs. 22.77 Lakh and **thus does not meet the required PQR and got disqualified.**	Submitted statement of Annual turnover, net worth, CA certificate regarding Liquid Asset/ availability of credit facilities and meet the required PQR.
3	2(II)	The Net worth of minimum any 3 years out of last five financial years i.e. 2018-2019, 2019-20, 2020-21,2021-22 & 2022-23 should be positive, out of which last year audited balance sheet should show positive Net worth. Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits, securities premium account and debit and credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the audited balance sheet, but does not include reserves created out of	A Statement showing 'Net worth' including assets and liability of the bidder duly certified by Chartered Accountant for the last five financial years (i.e. F.Y. 2018-19, 2019-20, 2020-2021, 2021-2022 & 2022-23) shall be furnished. In case statutory audit of annual account is not compulsory for any tenderer/firm due to any laws/by laws, then they shall submit CA signed certificate of turnover of last 5 year & net worth of last 5 years. Further they shall also submit the declaration of CA that statutory audit is not compulsory for them quoting the requisite section of respective law, duly signed by practicing CA with UDIN number. A certificate of C.A. indicating details (breakup) of available Liquid Asset (cash credit limit). For Evidence of Access to or Availability of credit facilities, certificate from their banker (as per Annexure-VI) indicating various fund based/non fund based limits sanctioned to the bidder and the extent of utilization as on date. Such certificate should have been issued not earlier than 3 months prior to the date of bid opening. Note: Wherever necessary, CSPTCL may make querries with the bidder's banker. Original Certificates issued by CA duly mentioning of UDIN number of CA.					
4	2(III)	(III) In case audit of firm is not required by any laws/by laws, then the bidder shall submit statement of turnover and net worth for the last 5 years duly signed by practicing CA with UDIN number.						
5	2(IV)	(IV) The bidders shall have liquid assets (LA) or/and evidence of access to or availability of credit facilities of not less than Rs. 22.77 Lakh as on date of issue of NIT. Liquid assets would include cash (and equivalents), bank deposit, securities that can be freely traded and receivables which has general certainty of getting received.						
		(V) The bidder shall submit following original certificate issued by CA dully mentioning of his UDIN No.:- a. All payment obligations (principal/interest) on outstanding debentures have been discharged and no such payment as on 31.03.2024 is outstanding /overdue.		Submitted the copy of certificate issued by CA regarding all payment obligations, presently not in default in payment &	Submitted the copy of certificate issued by CA regarding all payment obligations, presently not in	Submitted the copy of certificate issued by CA regarding all payment obligations, presently not in	Submitted the copy of certificate issued by CA regarding all payment obligations, presently not in	Submitted the copy of certificate issued by CA regarding all payment obligations, presently not in default in

S.N.	PQR of tender specification No. 614, dtd. 02.07.2024			Participated Bidder Name & information regarding submission of documents against PQR				
	Clause No.	PQR	Document required	M/s Anil Kumar Tarekar, Korba	M/s Animesh Royzada, Bilaspur	M/s Cambridge Industries, Raipur	M/s Devshree Agro Tech. Pvt. Ltd., Dhamtari	M/s Govind Electricals, Dhamtari
6	2(V)	b. The Bidder is presently not in default in payment of any bank loan or interest thereon for more than three months or any loan account of the bidder has not been classified as NPA (Non performing assets) by the creditor/ leading bank as on date of issue of NIT. c. The bidding company is not going through the process of insolvency or liquidation as on the date of issue of NIT. Even, if on a later date up to opening of price bid against the instant tender, if it comes to the notice of CSPTCL that the bidder has been going through the process of insolvency or liquidation, their bid will be rejected.	The format of undertaking is enclosed as Annexure-VIII.	company is not going through the process of insolvency.	default in payment & company is not going through the process of insolvency.	default in payment & company is not going through the process of insolvency.	default in payment & company is not going through the process of insolvency.	payment & company is not going through the process of insolvency.
Other requirement								
7	C(1)	The bidder should have valid "A" Class Electrical Contractor license, issued by Electrical Licensing Board of any State in favour of bidder (proprietor or partner of the firm or Director of the Company), as the case may be "A" Class Electrical Contractor License issued in favour of employee of bidder will not be accepted in any case for participation in this bid. Bidder who have "A" class electrical contractor license issued by other State shall have to obtain valid "A" class electrical contractor license, from Electrical Licensing Board of Chhattisgarh State within 30 days from the date of issue of order. In case bidder has "A" class license issued by any other state, an undertaking regarding submission of "A" Class Electrical Contractor License issued by C.G. Govt. within 30 days must also be submitted with the tender offer. In case bidder has "A" class license issued by any other state, an undertaking regarding submission of "A" Class Electrical Contractor License issued by C.G. Govt. within 30 days must also be submitted	Bidder should submit self attested copy of valid "A" Class Electrical Contractor License. Bidder who have "A" class electrical contractor license issued by other State shall have to submit undertaking as per Annexure-III.	Submitted valid 'A' class electrical contractor license.	Submitted valid 'A' class electrical contractor license.	Submitted valid 'A' class electrical contractor license.	Submitted valid 'A' class electrical contractor license.	Submitted valid 'A' class electrical contractor license.
8	C(2)	Bidder must have valid GST (Goods & Service tax) registration from competent authority and should submit the self attested copy of GSTIN registration with the bid.	Self attested copy of valid GST registration certificate	Submitted valid GST registration certificate .	Submitted valid GST registration certificate .	Submitted valid GST registration certificate .	Submitted valid GST registration certificate .	Submitted valid GST registration certificate .
9	C(3)	Bidder must have ES Insurance registration/license and should submit the self-attested copy of ESIC registration with the bid.	Self attested copy of ES insurance registration.	Submitted ESIC registration certificate .	Submitted ESIC registration certificate .	Submitted ESIC registration certificate .	Submitted ESIC registration certificate .	Submitted ESIC registration certificate .
10	C(4)	Bidder should have PF code no. issued by the competent authority under the provision of Employee Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act-1952 and submit the self-attested copy of PF registration.	Self attested copy of PF code no. issued by the competent authority.	Submitted PF code No. issued by competent authority.	Submitted PF code No. issued by competent authority.	Submitted PF code No. issued by competent authority.	Submitted PF code No. issued by competent authority.	Submitted PF code No. issued by competent authority.
11	C(5)	The bidder should not be debarred/black-listed by Bank / State Govt. / Central Govt./ State PSU/CPSU/SEB/Public utility as on the date of issue of NIT. However, the bid shall not be considered for further processing in following cases also:- a. If, bidder is debarred/black-listed by Bank / State Govt. / Central Govt./ State PSU/CPSU/SEB/Public utility up to date of opening of price bid of the instant tender. b. If case comes to notice regarding submission of forged / fake document in any other tender under process in CSPC, up to date of opening of price bid in the instant tender.	A declaration in this regard shall be submitted by the bidder. As per prescribed Annexure-X(a).	Submitted a declaration regarding debarred/black list and submission of forged/fake document as per prescribed annexure-X(a).	Submitted a declaration regarding debarred/black list and submission of forged/fake document as per prescribed annexure-X(a).	Submitted a declaration regarding debarred/black list and submission of forged/fake document as per prescribed annexure-X(a).	Submitted a declaration regarding debarred/black list and submission of forged/fake document as per prescribed annexure-X(a).	Submitted a declaration regarding debarred/black list and submission of forged/fake document as per prescribed annexure-X(a).
12	C(6)	All the documents / statements / attachments / information submitted by the bidder in proof of the qualifying requirements must be authentic / genuine /correct and in case, any of the said documents / statements / attachments / information is found to be false / fake / misleading, the bidder will be disqualified and action will be taken against the bidder as per relevant provision of the tender.	A declaration in this regard shall be submitted by the bidder. As per prescribed Annexure-X(b).	Submitted a declaration regarding authentic/ genuine/correct documents as per prescribed annexure-X(b).	Submitted a declaration regarding authentic/ genuine/correct documents as per prescribed annexure-X(b).	Submitted a declaration regarding authentic/ genuine/correct documents as per prescribed annexure-X(b).	Submitted a declaration regarding authentic/ genuine/correct documents as per prescribed annexure-X(b).	Submitted a declaration regarding authentic/ genuine/correct documents as per prescribed annexure-X(b).

14 जुलाई 2025]

S.N.	PQR of tender specification No. 614, dtd. 02.07.2024			Participated Bidder Name & information regarding submission of documents against PQR				
	Clause No.	PQR	Document required	M/s Anil Kumar Tarekar, Korba	M/s Animesh Royzada, Bilaspur	M/s Cambridge Industries, Raipur	M/s Devshree Agro Tech. Pvt. Ltd., Dhamtari	M/s Govind Electricals, Dhamtari
13	C(7)	A declaration that the bidder has not been penalized by any Labour Laws Enforcement Authority for non-observance of any of the labour laws during past three years (i.e. FY 2021-22, 2022-23, 2023-24 & till date of issue of NIT) will have to be furnished along with the bid.	A declaration in this regard shall be submitted by the bidder. As per prescribed Annexure-XI.	Submitted a declaration regarding a non-penalized by any labour laws enforcement authority as per prescribed annexure-XI.	Submitted a declaration regarding a non-penalized by any labour laws enforcement	Submitted a declaration regarding a non-penalized by any labour laws enforcement authority as per prescribed	Submitted a declaration regarding a non-penalized by any labour laws enforcement authority as per	Submitted a declaration regarding a non-penalized by any labour laws enforcement authority as per prescribed annexure-
14	C(8)	Performance of the bidder for earlier contract of Sub-station operation of CSPGCL/ CSPTCL/CSPDCL shall be taken into consideration before opening of NIT. Offers of the bidders shall not be considered for opening of price bid, if there has been default in satisfactory Performance of Operation of the Sub-stations during FY 2021-22, 2022-23 & 2023-24 and till date of issue of NIT.	A self attested copy of certificate regarding satisfactory performance of work contract of Operation of the substations from order issuing authority alongwith schedule-II of this tender specification.	Submitted copy of certificate rearding satisfactory performance of contract work of CSPGCL/CSPTCL /CSPDCL as per schedule-II.	Submitted copy of certificate rearding satisfactory performance of contract work of CSPGCL/CSPTCL /CSPDCL as per schedule-II.	Not Submitted copy of certificate rearding satisfactory performance of all contract work of CSPGCL/CSPTCL /CSPDCL as per schedule-II. **Thus does not meet the required PQR and disqualified.**	Submitted copy of certificate rearding satisfactory performance of contract work of CSPGCL/CSPTCL /CSPDCL as per schedule-II.	Submitted copy of certificate rearding satisfactory performance of contract work of CSPGCL/CSPTCL /CSPDCL as per schedule-II.

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

"प्रपत्र"

कार्यालय जिला पंचायत जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ0ग0)

सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत विकास खण्ड स्तरीय समाधान शिविर (दिनांक 05 मई से 31 मई 2025) प्रस्तावित केन्द्रों की जानकारी

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	समाधान शिविर हेतु ग्राम पंचायत क नाम	शिविर स्थल का नाम	कलस्टर में सम्मिलित ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों की संख्या	समाधान शिविर का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1		बछौद	शास.हाई स्कूल प्रांगण बछौद	बछौद, ढोरला, चारपारा, महुदा–ब, नवापारा–ब, जुनाडीह, गिलाई, पनोरा, बुडगहन, बिरगहनी–ब, कुरमा	11	06-05-2025
2		जर्वे–ब	शा.पूर्व मा.शा. प्रांगण जर्वे–ब	जर्वे–ब, झपेली, जावलपुर, रसौटा, कोरबी, पोंच, नवगवां, डोंगरी, सोनबरसा, हरदीविशाल, बगडबरी	11	09-05-2025
3	बलौदा	पंतोरा	शा.हाई स्कूल प्रांगण पंतोरा	पंतोरा, अंगारखार, बबसरा, हेडरापुर, करमा, केराकछार, कण्डरा, पुरेना, देवरी, खैजा, खिसोरा, नवापारा–ख, गतवा, बेलदुकरी	14	14-05-2025
4		करमंदा	शास.हाई स्कूल प्रांगण करमंदा	करमंदा, बैजलपुर, पहरिया, औराईकला, औराईखुर्द, नवागांव, रैनपुर, परसदा, खोहा, दहकोनी, बोकरागुडां, बोकरेल, मड़वा, कुदरी	14	21-05-2025
5		लछनपुर	शास.हाई स्कूल लछनपुर	लछनपुर, कुलीपोटा, बसंतपुर, महुदा–च, उच्चभिट्ठी, सिवनी–च, बालपुर, जाटा, कमरीद, कौरामंदा, बिरगहनी–च, पिसौद, उदेबंद, जर्वे–च, कुरदा	15	26-05-2025
6		जोगीडीपा	हाई स्कूल मैदान	चोरभट्ठी, खपरी, जोगीडीपा, लगरा, मुड़पार.ब, सिल्ली, पचरी, झूलन,, चण्डीपारा, कुटरागोड, भदरा, डुडगा	12	07-05-2025
7		नंदेली	हाई स्कूल मैदान	गैंरो, झिलगिली, सेमरिया, मुलमुला, कोनार, नंदेली, कोरा, डिधोरा, बोरसी, जेवरा, केराला	11	16-05-2025
8	पामगढ़	सराहा	मेला स्थल	गिलौनी, सराहा, कोसीर, डोंगाकोहरौद, धनगांव, मेकरी, डिरी, रिरी, गुडपार.चु खरखोद, चुरतेला, भुईगांव	12	21-05-2025
9		पेण्ड्री	मिडिल स्कूल मैदान	रसौटा, कोड़ाभाट, कमरीद, मेऊ, पेऊडीह, पकरिया, कोसला, बारगांव, पेण्ड्री, पनगांव, मंवतरा,	11	27-05-2025
10		लोहर्सी	हाई स्कूल मैदान	बुंदेला, बिलारी, कोहका, महका, घरदेई, खोखसी, तनौद, पडरिया, खोरसी, देवरी, लोहर्सी, खरगहनी	12	30-05-2025
11		साजापाली	पूर्व.मा.शाला साजापाली	साजापाली, हरदी, कापन, पचरी, बिरकोनी, कटनई, खोंड, खिसोरा, मुड़पार एवं बरपाली	10	07-05-2025
12		परसाही (बाना)	हाई स्कूल परसाही (बाना)	परसाही (बाना), बाना, गैसतरा, बुचरीहरदी, करहीडीह, ब्रम्हनी, महमदपुर, कोटगढ, बरमचा, खटोला एवं कटघरी	11	15-05-2025
13	अकलतरा	किरारी	हाई स्कूल किरारी	किरारी, तरौद, मुरलीडीह,पौना, तारगा, अमरताल, तिलई, बनाहिल, पकरिया (झू), झलगला एवं रोगदा	11	19-05-2025
14		अमलीपाली	पूर्व.मा.शाला अमलीपाली	अमलीपाली, पिपरदा, चंदनिया, चंगोरी, मधुवा, पोंडीदल्हा, पडरिया, सांकर, फरहदा, सोनादूला, अकलतरी, कोटगीसोनार, परसाही (नाला) एव पिपरसत्ती	14	22-05-2025
15		करूमहूँ	पू.मा.शाला करूमहूँ	करूमहूँ, रसेडा, अर्जुनी, आरसगेटा, परसदा (रे.), कल्याणपुर, पकरिया (ल.) अमोरा, सोनडारी एवं लदिया	11	28-05-2025

16		बिर्रा	बिर्रा	(1) बिर्रा, (2) बसंतपुर, (3) देवरहा (4) देवरानी, (5) सिलादेही (6) गतवा, (7) बोरसी, (8) तालदेवरी, (9) सोनादह, (10) बनझरा, (11) चोरहादेवरी (12) सेमरिया	12	09-05-2025
17		करनौद	करनौद	(1)पोड़ीशंकर (2) करनौद (3) नक्टीडीह, (4)गोविंदा, (5) बंसुला (6) सोनाईडीह (7) लेखुरी , (8) लखाली, (9) मौहाडीह च, (10) मोहगांव (11) भदरा (12) खपरीडीह (13) कपिरदा	13	15-05-2025
18	बम्हनीडीह	चोरिया	चोरिया	(1) चोरिया (2) संजयग्राम, (3) हथनेवरा (4) सोंठी, (5) पिपरदा, (6) पुछेली (7) भवंरमाल (8)रोहदा, (9 झर्रा (10) पथौरी (11) अकरीद (12) सरवानी (13) परसापाली (च.)	13	20-05-2025
19		खम्हिया	खम्हिया	(1) सरहर, (2) भागोडीह (3) नवागांव (4) अमरूवा (5) देवरी (6) सोनियापाट (7) रिस्दा (8) परसापली रि. (9) कुम्हारीकला (10) दुरपा (11) खम्हिया	11	23-05-2025
20		पोड़ीकला	पोडीकला	(1) पोडीकला, (2) कडारी, (3) दारंग, (4) बघौदा, (5) गिधौरी (6), मौहाडीह गि., (7) कचंदा 8) लच्छनपुर (9) दर्रीचंजर (10) झरना	10	29-05-2025
21		बोड़सरा	पंचायत भवन के पास	प्राली, सिवनी, करमंदी, तेन्दुभांठा, मरकाडीह, हाथीटिकरा, कन्हाईबंद, खोखसा, बनारी, रारखों, सिवनी	12	08-05-2025
22		कुटरा	हाईस्कूल के पास	धाराशिव(खो.), संवई, मेंहदा, भंडेसर, धनेली, दर्री, घुठिया, खैरा, सेन्दरी, महंत, अमोरा, कुथूर	13	13-05-2025
23		अमोदा	हाईस्कूल के पास	पीथमपुर, मौहाडीह, अकलतरी, भादा, नवापारा, सिऊड, हरदी, दहिदा, बरबसपुर, कर्रा, गौद	12	19-05-2025
24		धुरकोट	हाईस्कूल प्रांगण	पेण्ड्री(जां.), सुकली, पचेडा, जगमहंत, मुनुन्द, भैंसामुडी, बुडेना, कनई, बोरभट्ठी, भैंसादा, खोखरा, पुटपुरा	13	23-05-2025
25		बरगांव	मिडिल स्कूल प्रांगण	ठकुरदिया, पेण्ड्री(नवा.), किरीत, उदयगांठा, कांसा खैरताल, कटौद, नेगुरडीह, धाराशिव(से.), टूरी, सोगदा	12	27-05-2025
26		गिरदा	गिनी स्टेडियम	केरा, देवरी, भठली, गंगाजल, पचरी, केराला, करमंदी (के.)	8	05-05-2025
27		मुड़पार (बि.)	हाईस्कूल प्रांगण	नवारीडीह, कनरदा, सिंघुल, तुरमा, दुरपा, रिंगनी, बेल्हा, कमता, कुरियारी, बोरदा	11	16-05-2025
28		सेमरा	हाईस्कूल प्रांगण	तेन्दुना, पोंडी, कोटिया, गोधना, गिधा, बरगांठा, कुकदा, रालखन, चौरागांठा, अकरीद, कचंदा, खिरोरा, मुड़पार(खि.)	14	30-05-2025
कुल ग्राम पंचायतो की संख्या					334	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सुशासन एवं अभिसरण विभाग
मंत्रालय, महा रायपुर, अटल नगर

सुशासन तिहार 2025

रिपोर्ट: विकासखण्ड में दर्ज आवेदनों की रिपोर्ट

Exported on: 04-07-2025, 05:32 PM

अकलतरा	15564	141	15705	303	2	305	1108	167	1275	0	3	3	17288	29	17259
नवागढ़	25967	326	26293	22	3	25	1883	254	2137	4	0	4	28459	60	28399
पामगढ़	25950	87	26037	268	3	271	4246	214	4460	0	0	0	30768	15	30753
सक्तीडीह	15428	203	15631	98	1	99	973	104	1077	0	0	0	16807	18	16789
बलौदा	20357	174	20531	25	2	27	1125	146	1271	0	0	0	21829	15	21814
कुल योग	103266	931	104197	716	11	727	9335	885	10220	4	3	7	115151	137	115014

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सुशासन एवं अभिसरण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-अ

वर्ष 2022-23 से अप्रैल 2025 तक गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं हेतु जलाशय, बांध, नहर निर्माण, लाईनिंग कार्य, एनीकट आदि के निर्माण, मरम्मत, व संधारण हेतु व्यय की गई राशि की जानकारी वर्षवार, कार्यवार निम्नानुसार है:-

स.क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	व्यय (लाख में)					रिमार्क
			2022-23 में	2023-24 में	2024-25 में	2025-26 में	योग (4+5+6+7)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग	खपरी मध्यम जलाशय परियोजना में मिट्टी का कार्य	4.68	4.96	12.50	0.00	22.14	-
2	--- तदैव ---	बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड में तांदुला नदी पर चन्दनबिरही एनीकट सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना कार्य।	67.44	95.29	62.10	0.00	224.83	-
3	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही डौंडीलोहारा की खरखरा मोंहदीपाट नहर प्रणाली के अंतर्गत शिकारीटोला वितरक नहर आर.डी. 0 मी. से 5400 मी. एवं 29 नग माईनर नहरों तथा 06 नग सब माईनर नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य एवं 379 नग कुलापा फिक्सिंग तथा 05 नग व्ही.आर.बी. एवं 02 नग केनाल क्रासिंग का निर्माण कार्य	762.76	547.65	66.20	0.00	1376.61	-
4	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौंडीलोहारा की खरखरा मोंहदीपाट नहर प्रणाली के अंतर्गत मुख्य नहर की झिटिया वितरक नहर के आर.डी. 2520 मी. पर व्ही.आर.बी. का पुनः निर्माण कार्य	0.00	31.88	0.00	0.00	31.88	-
5	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौंडीलोहारा,/दुर्ग की खरखरा मोंहदीपाट नहर प्रणाली के मुख्य नहर आर.डी. 17.00 कि.मी.से 33.75 कि.मी. तक मासाभाट वितरक नहर एवं भिलाई माईनर नहर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य 37 नग पक्के कार्य का निर्माण तथा 75 नग कोलाबा लगाने का कार्य	367.15	2368.20	0.00	0.00	2735.35	-
6	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की जोगनाला जलाशय के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं हैड स्लूस का पुर्ननिर्माण स्पील चैनल के 25 मी. पर 2.00 मी. फाल का निर्माण स्पील चैनल का मिट्टी कार्य एवं सीमेंट कांक्रीट से प्रोटेक्शन कार्य मुख्य नहर का आर.डी. 0 मी. से 2640 मी. तक जीर्णोद्धार एवं सी-सी- लाईनिंग तथा 2 नग डी.सी. 03 नग व्ही.आर.बी. 12 नग इनलेट एवं 18 नग कुलापा लगाने का कार्य।	8.59	0.00	0.00	0.00	8.59	-

01	02	03	04	05	06	07	08	09
7	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड-गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा की खरखरा मोहंदीपाट नहर प्रणाली के अंतर्गत मुख्य नहर आर.डी. 0 कि.मी. से 17.00 कि.मी. तक शिकारीटोला फीडर नहर आर.डी. 0 कि.मी. से 0.21 कि.मी. तक रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य तथा 01 नग व्ही.आर.बी. 01 नग कास रेग्युलेटर 01 नग केनाल स्केप, 06 नग फुटब्रीज 25 नग इनलेट एवं 10 नग आऊटलेट का निर्माण कार्य	441.53	0.00	0.00	0.00	441.53	-
8	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की खरखरा जलाशय अंतर्गत हड्गहन बांध का जीर्णोद्धार हड्गहन फीडर आर.डी. 0 से 6000 मी. तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य तथा दांयी तट नहर आर.डी. 0 से 900 मी. तक निर्माण कार्य एवं 02 नग व्ही.आर.बी. 01 नग फाल 01 नग आर.बी.सी. स्लूस एवं 01 नग फीडर स्लूस का निर्माण कार्य	292.44	0.00	0.00	0.00	292.44	-
9	--- तदैव ---	खरखरा जलाशय की कसही वितरक नहर प्रणाली के लासाटोला परना उपवितरक नहरों का विस्तार कार्य एवं 7 नग लघु नहरों एवं 130 स्ट्रक्चरों एवं 129 कुलार्पो का निर्माण कार्य।	80.52	0.00	0.00	0.00	80.52	-
10	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की तांदुला परियोजना अंतर्गत कलंगपुर माईनर का आर-डी- 0 मी- से 7020 मी. तक सुदृढीकरण एवं नहर लाईनिंग कार्य तथा 01 नग हेड रेग्युलेटर का एक्सटेंशन 11 नग फाल 03 नग व्ही.आर.बी. 02 नग डी.सी 05 नग हेड रेग्युलेटर का निर्माण कार्य एवं 01 नग कुलाबा फिक्सिंग का कार्य	309.25	0.00	0.00	0.00	309.25	-
11	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की तांदुला मुख्य नहर के लिमोरा माईनर के आर.डी. 0 मी. से 7200 मी. तक रिमाडलिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य तथा 02 नग व्ही.आर.बी. 01 नग डी.आर.बी. 10 नग फाल का निर्माण कार्य	0.00	253.28	76.23	0.00	329.51	-
12	--- तदैव ---	दुर्ग/बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/दुर्ग की खरखरा मोहंदीपाट नहर प्रणाली के कि-मी- 17.00 से कि-मी- 33.75 के अंतर्गत बुढेना वितरक नहर, जेवरतला माईनर 1, 2, 3, बरबसपुर माईनर, सिध्दी माईनर 1, 2, 3, बुढेना माईनर, आमटी माईनर, निकुम सब माईनर1, 2, 3, देवरी माईनर, खुर्सीपार सब माईनर, गोड़ेला सब माईनर, खुरसुल माईनर 1, 2, खुरसुनी माईनर 1, 2, बघेलीभाठा माईनर, गध्दी माईनर 1, 2, मोहंदीपाट माईनर, भरदाकला माईनर, बघेली माईनर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य तथा 3 नग फाल, 2 नग व्ही.आर.बी. का निर्माण एवं स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य	0.00	119.37	422.64	0.00	542.01	-

01	02	03	04	05	06	07	08	09
13	--- तदैव ---	दुर्ग/बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/दुर्ग की खरखरा मोहंदीपाट की खरखरा मोहंदीपाट नहर प्रणाली के 17 कि.मी. से 33.75 कि.मी. के अंतर्गत भरदाकला वितरक नहर, भरदाकला माईनर 1, 2, चिरचार माईनर, माहुद माईनर का रिमाडलिंग एवं सी-सी- लाईनिंग कार्य तथा 02 नग फाल का निर्माण तथा स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य	0.00	193.04	190.62	0.00	383.66	-
14	--- तदैव ---	दुर्ग/बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/दुर्ग की खरखरा मोहंदीपाट नहर प्रणाली के कि.मी. 17.00 से कि.मी. 33.75 के अंतर्गत केवट नवागांव माईनर 1, 2,3, सुरेगांव माईनर 4, तेलीटोला माईनर, कनकी माईनर 1, कठिया माईनर 1,2,3,4, पिनकापार माईनर 1, 2, का रिमाडलिंग एवं सी-सी- लाईनिंग कार्य एवं 05 नग फाल का निर्माण कार्य	0.00	406.34	163.43	0.00	569.77	-
15	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड-गुण्डरदेही की तांदुला मुख्य नहर के पेन्ड्री माईनर, झोपरा माईनर, डोंगीतराई माईनर एवं जोरातराई माईनर का लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य	0.00	262.18	41.37	0.00	303.55	-
16	--- तदैव ---	बालोद जिले के वि-ख- गुण्डरदेही की नवागांव जलाशय के वेस्ट वियर, गेट मरम्मत एवं नवागांव मुख्य नहर आर.डी. 0 मी. से आर-डी- 1920 मी., डुण्डेरा माईनर के आर-डी- 0 मी- से 1770 मी- के सी-सी- लाईनिंग, 01 नग व्ही-आर-बी, 03 नग इनलेट, 05 नग कोलाबा फिक्सिंग का कार्य	0.00	57.67	56.93	0.00	114.60	-
17	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की तांदुला मुख्य नहर के परसदा माईनर के आर-डी- 0 मी- से 2640 मी- तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग तथा स्ट्रक्चर्स का मरम्मत कार्य, 03 नग व्ही-आर-बी- का निर्माण एवं हेड रेग्युलेटर का विस्तार कार्य	0.00	61.50	30.63	0.00	92.13	-
18	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के अंतर्गत भेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना (12-50 कि-मी- खरखरा मोंहदीपाट मुख्य नहर से प्रस्तावित अंतर्गत डक्टाईल प्रेशर आयरन डिलेवरी मुख्य पाईप लाईन, डिस्ट्रीब्यूसन चेम्बर, ओपन चेनल, भेड़ी माईनर नंबर 1 एवं 2, मुडिया माईनर क- 1, 08 नग व्ही-आर-बी-, 09 नग व्ही-आ-बी- कम फाल, 02 नग फाल, 29 नग कुलावा एवं पावर हाउस कम कंट्रोल रूम का निर्माण कार्य।	0.00	198.31	170.79	0.00	369.10	-
19	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के अंतर्गत भेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना (12-50 कि-मी- खरखरा मोहंदीपाट मुख्य नहर से प्रस्तावित) अंतर्गत जेक वेल निर्माण, 04 नग 100 एच-पी- वर्टिकल टर्बाईन पम्प समस्त फिटिंग सहित इंस्टालेशन कार्य एवं 400 के-व्ही-ए, 11/0.415 के-व्ही- सब स्टेशन इंस्टालेशन कार्य	0.00	117.80	112.02	0.00	229.82	-

01	02	03	04	05	06	07	08	09
20	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की खरखरा मोहंदीपाट मध्यम परियोजना के कसही वितरक नहर के परना सब वितरक नहर आर-डी- 2520 मी- से 5880 मी- झींका माईनर नं- 01 आर-डी- 0 मी- से 1500 मी., झींका माईनर नं- 2 आर-डी- 0 मी- से 1290 मी- कान्दुल माईनर नं- 2 आर-डी- 0 मी- 960 मी- का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग, 3 नग व्ही-आर-बी- 11 नग फाल का मरम्मत, 12 नग व्ही-आर-बी-, का मरम्मत एवं 3 नग इनलेट, 4 नग आउटलेट का निर्माण कार्य।	0.00	0.00	272.08	0.00	272.08	-
21	--- तदैव ---	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की कांदुल व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य की रिमाडलिंग एवं नहर रिमाडलिंग एवं लाईनिंग आर-डी- 0 मी- से 4140 मी-, फील्ड चैनल का रिसेक्सनिंग (बायीं तरफ 0 मी- से 300 मी- तक एवं दायीं तरफ 0 मी- से 1470 मी- तक, केनाल स्ट्रक्चर (01 नग स्कैप, 2 नग व्ही-आर-बी-, 05 नग इनलेट, 11 नग आउटलेट का निर्माण एवं 06 नग व्ही-आर-बी- का मरम्मत कार्य	0.00	0.00	40.18	0.00	40.18	-
योग			2334.36	4717.47	1717.72	0.00	8769.55	-
1	जल संसाधन संभाग, बालोद	विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत सधारण एव मरम्मत कार्य	42.81	55.25	73.80	0.00	171.86	-
महायोग			2377.17	4772.72	1791.52	0.00	8941.41	-

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 से अप्रैल 2025 तक कुल व्यय रू- 8941.41 लाख हुआ है।

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025
15:31:33

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रपत्र-ब

प्रश्नाधीन अवधि में निर्माण कार्यों का निरीक्षण कब-कब किस अधिकारी द्वारा किया गया एवं निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां	कमियों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
1	तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग	खपरी मध्यम जलाशय परियोजना में मिट्टी का कार्य	18-03-2022	कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग (छ.ग.)	कार्य की प्रगति संबंधित निर्देश दिये समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाये।	निर्देशानुसार समयावधि में पूर्ण किये जाने के लिये कार्य प्रगति पर है।	-
2	तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग	खपरी मध्यम जलाशय परियोजना में मिट्टी का कार्य	09-02-2024	कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग (छ.ग.)	मिट्टी के कार्य में 15 से.मी. मोटाई में मिट्टी बिछाने का कार्य किया जाये एवं वाटरिंग कम्पेक्शन का कार्य सही ढंग से किया जाये।	निर्देशानुसार ही 15 से.मी. मोटाई में मिट्टी बिछाते हुये वाटरिंग काम्पेक्शन का कार्य किया जा रहा है	-
3	तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग	खपरी मध्यम जलाशय परियोजना में मिट्टी का कार्य	17-03-2025	अनुविभागीय अधिकारी तांदुला जल संसाधन उपसंभाग क्र. 5 दुर्ग (छ.ग.)	निश्चित समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	निर्धारित समयावधि में कार्य को पूर्ण कर लिया जावेगा।	-
4	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड में तांदुला नदी पर चन्दनबिरही एनीकट मौर सूक्ष्म सिंचाई योजना कार्य।	21.06.2022	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होने के कारण वांछित प्रगति लाते हुए गुणवत्ता पूर्वक कार्य समय सीमा में करने निर्देशित किया गया । तृतीय समयवृद्धि 31.12.2022 तक दाये पक्ष का भी जेकवेल एवं पाईप लाईन पम्प स्टालेशन के साथ सोलर पेनल आदि का शीर्ष कार्य पूर्ण किये जाने निर्देशित किया गया।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के मार्ग दर्शन में गुणवत्ता पूर्वक निदेशित कार्य पूर्ण कराया गया ।	-
5	-"-	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही डौंडीलोहारा की खरखरा मोहदीपाट नहर प्रणाली के अंतर्गत शिकारीटोला वितरक नहर आर.डी. 0 मी. से 5400 मी. एवं 29 नग माईनर नहरों तथा 06 नग सब माईनर नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य एवं 379 नग कुलापा पि.किसंग तथा 05 नग व्ही.आर.बी. एवं 02 नग केनाल कास्सिंग का निर्माण कार्य	14.05.2022	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	1. कोचेरा माईनर के आर.डी. 1400 मी. में पूर्व निर्मित व्ही.आर.बी. के पैरापेटवाल जो कि ग्राउण्ड लेवल पर है, इससे दुर्घटना होने की संभावना रहने के कारण इसकी उंचाई 0.90 मी. बढ़ाये जाने निर्देशित किया गया। 2. मौके पर उपस्थित ग्रामीण कृषको द्वारा आर.डी. 984 मी. में पूर्व निर्मित फाल के उपर स्लेब निर्माण हेतु की गई मांग को तत्काल कराये जाने निर्देशित किया गया।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के मार्ग दर्शन में गुणवत्ता पूर्वक निदेशित कार्य पूर्ण कराया गया ।	-
6	-"-	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौंडीलोहारा की खरखरा मोहदीपाट नहर प्रणाली के अंतर्गत मुख्य नहर की झिटिया वितरक नहर के आर.डी. 2520 मी. पर व्ही.आर.बी. का पुनः निर्माण कार्य	04.03.2021	अनुविभागीय अधिकारी खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना उपसंभाग क्र. 04 बालोद	स्लिपर का काम निर्धारित मापदण्ड में कर पर्याप्त तराई करने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	-
			12.03.2021		लाईनिंग का काम निर्धारित मापदण्ड अनुसार ढलाई करते हुए ग्रू कटिंग केनाल बेड से टंग तक किये जाने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	-
			30.03.2021		कोलाबा हेतु पाईप फिटिंग उपअभियंता के मार्ग दर्शन में उनके सम्मुख किये जाने निर्देशित।	निर्देशानुसार उपअभियंता द्वारा कार्य कराया गया ।	-

स.क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां	कमियों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
7	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही डौंड़ीलोहारा,/दुर्ग की खरखरा मोहदीपाट नहर प्रणाली के मुख्य नहर आर.डी. 17.00 कि.मी. से 33.75 कि.मी.तक मासाभाट वितरक नहर एवं भिलाई माईनर नहर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य 37 नग पक्के कार्य का निर्माण तथा 75 नग कोलाबा लगाने का कार्य	27.03.2023	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	1. मिट्टी कार्य को निर्धारित प्रोफाईन में मेनटेन करने के बाद ही सी.एन.एम. डालने निर्देशित किया गया। 2. सी.एन.एम. को अवश्यक तराई एवं दबाने के पश्चात् ही स्लिपर के लिए सेक्शन काटने निर्देशित किया गया। 3. स्लिपर एवं लाईनिंग कार्य में तराई के लिए पर्याप्त व्यवस्था किये जाने निर्देशित किया गया।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के पर्यवेक्षण में ठेकेदार द्वारा निर्देशित कार्य पूर्ण कराया गया ।	-
8	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की जोगनाला जलाशय के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं हेड स्लूस का पुर्ननिर्माण स्पील चैनल के 25 मी. पर 2.00 मी- फाल का निर्माण स्पील चैनल का मिट्टी कार्य एवं सीमेंट कांकीट से प्रोटेक्शन कार्य मुख्य नहर का आर.डी. 0 मी. से 2640 मी. तक जीर्णोद्धार एवं सी.सी. लाईनिंग तथा 2 नग डी.सी. 03 नग व्ही.आर.बी. 12 नग इनलेट एवं 18 नग कुलापा लगाने का कार्य।	03.01.2021	अनुविभागीय अधिकारी खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना उपसंभाग क्रं. 04 बालोद	लाईनिंग का काम निर्धारित मापदण्ड अनुसार ढलाई करते हुए यू कटिंग कैनाल बेड से टंग तक किये जाने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	-
			31.01.2021		फाल व व्ही.आर.बी. के कांक्रिट ढलाई में वाईब्रेटर के साथ काम्पेक्ट करने व ढलाई उपरांत निर्धारित समयावधि तक तराई करने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	
9	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के विकासखण्ड-गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा की खरखरा मोहदीपाट नहर प्रणाली के अंतर्गत मुख्य नहर आर.डी. 0 कि.मी. से 17-00 कि.मी. तक शिकारीटोला फीडर नहर-आर-डी- 0 कि.मी. से 0-21 कि.मी. तक रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य तथा 01 नग व्ही.आर.बी. 01 नग क्रास रेग्युलेटर 01 नग कैनाल स्केप, 06 नग फुटब्रीज 25 नग इनलेट एवं 10 नग आऊटलेट का निर्माण कार्य	17.01.2023	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	शिकारीटोला वितरक नहर के सर्विस रोड में Dowla सुरक्षा हेतु बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	-
10	- --	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की खरखरा जलाशय अंतर्गत हड़गहन बांध का जीर्णोद्धार हड़गहन फीडर आर.डी. 0 से 6000 मी. तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य तथा दांयी तट नहर आर.डी. 0 से 900 मी. तक निर्माण कार्य एवं 02 नग व्ही-आर-बी- 01 नग फाल 01 नग आर-बी-सी- स्लूस एवं 01 नग फीडर स्लूस का निर्माण कार्य	03.02.2022	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	स्लूस के कांकीट कार्य को गुणवत्ता पूर्वक कराये जाने एवं पर्याप्त क्यूरिंग की व्यवस्था करने निर्देश दिये गए। बांध की चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु मगपेजपदह बांध के मिट्टी को सीढ़ीनुमा कटिंग कर पर्याप्त मात्रा में वाटरिंग काम्पेक्शन करने निर्देशित किया गया।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के देखरेख में ठेकेदार द्वारा कार्य कराया गया ।	-
			29.03.2022	अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मंडल दुर्ग एवं कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	बांध चौड़ीकरण, आर.बी.सी. स्लूस निर्माण, दांयी तट नहर निर्माण, फीडर स्लूस गेट एवं नहर लाईनिंग कार्यों में किये गए संसोधन को कार्यपालन अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता महोदय को अवगत कराया गया। स्लूस निर्माण के प्राक्कलन में त्रुटिवश छुटे 100 एम.एम. आर.सी.सी. पाईप की अतिरिक्त मात्रा 20 मी. करने का निर्देश दिया गया ।	अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के देखरेख में ठेकेदार द्वारा कार्य कराया गया ।	-
11	- --	खरखरा जलाशय की कमही वितरक नहर प्रणाली के लासाटोला परना उपवितरक नहरों का विस्तार कार्य एवं 7 नग लघु नहरों एवं 130 स्ट्रक्चरों एवं 129 कुलापों का निर्माण कार्य।	18.07.2022	अनुविभागीय अधिकारी खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना उपसंभाग क्रं. 02 अ.दुर्ग	आर.डी.3660 व आर.डी. 4350 में निर्माणाधीन व्ही.आर.बी. की ढलाई में वाईब्रेटर का उपयोग कर काम्पेक्ट करने व ढलाई उपरांत निर्धारित समयावधि तक तराई करने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	-

स.क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां	कमियों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
12	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की तांदुला परियोजना अंतर्गत कलंगपुर माईनर का आर.डी. 0 मी- से 7020 मी. तक सुदृढ़ीकरण एवं नहर लाईनिंग कार्य तथा 01 नग हेड रेग्युलेटर का एक्सटेंशन 11 नग फाल 03 नग व्ही-आर-बी- 02 नग डी-मी 05 नग हेड रेग्युलेटर का निर्माण कार्य एवं 01 नग कुलाबा फिक्सिंग का कार्य	09.01.2023	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	लाईनिंग कार्य में तराई पर्याप्त मात्रा में किये जाने एवं नहर लाईनिंग में कस्ट्रक्शन ज्वांईट का कटिंग टंक तक करने निर्देशित किया गया ।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार कार्य संपादित कराया गया ।	-
13	-''-	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की तांदुला मुख्य नहर के लिमोरा माईनर के आर-डी- 0 मी- से 7200 मी- तक रिमाडलिंग एवं सी-सी- लाईनिंग कार्य तथा 02 नग व्ही-आर-बी- 01 नग डी-आर-बी- 10 नग फाल का निर्माण कार्य	28.01.2024	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रं. 1 आदमाबाद	लाईनिंग का काम निर्धारित मापदण्ड अनुसार ढलाई करते हुए यू कटिंग कैनाल बेड से टंग तक किये जाने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	-
			19.06.2024		व्ही.आर.बी. के कांक्रिट ढलाई में वाईब्रेटर के साथ काम्पेक्ट करने व ढलाई उपरांत निर्धारित समयावधि तक तराई करने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	
14	जल संसाधन संभाग बालोद	दुर्ग/बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/दुर्ग की खरखरा मोहंदीपाट नहर प्रणाली के कि.मी. 17,00 से कि.मी. 33,75 के अंतर्गत बुढेना वितरक नहर] जेवरतला माईनर 1, 2, 3, बरबसपुर माईनर, सिध्दी माईनर 1, 2, 3, बुढेना माईनर, आमटी माईनर, निकुम सब माईनर 1, 2, 3, दैवरी माईनर, खुर्सीपार सब माईनर, गोड़ेला सब माईनर, खुरसुल माईनर 1, 2, खुरसुली माईनर 1, 2, बघेलीभाठा माईनर, गब्दी माईनर 1, 2, मोहंदीपाट माईनर, भरदाकला माईनर, बघेली माईनर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य तथा 3 नग फाल, 2 नग व्ही.आर.बी. का निर्माण एवं स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य	14.01.2025	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	क्षतिग्रस्त हेड स्लूस को समाहित करते हुए बुढेना वितरक नहर के हेड स्लूस निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के साथ ही पक्के स्ट्रक्चर के नीचे एकत्रित मिट्टी को हटाने, नहर के आर.डी. 0 से 5000 मी. तक लाईनिंग कार्य में तराई पर्याप्त मात्रा में किये जाने एवं नहर लाईनिंग में कस्ट्रक्शन ज्वांईट का कटिंग टंक तक करने निर्देशित किया गया ।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के मार्ग दर्शन में ठेकेदार द्वारा उक्त निर्देशित कार्य कराया गया ।	-
15	-''-	दुर्ग/बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/दुर्ग की खरखरा मोहंदीपाट नहर प्रणाली के 17 कि-मी- से 33-75 कि-मी- के अंतर्गत भरदाकला वितरक नहर, भरदाकला माईनर 1, 2, चिरचार माईनर, माहुद माईनर का रिमाडलिंग एवं सी-सी- लाईनिंग कार्य तथा 02 नग फाल का निर्माण तथा स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य	09.03.2024	अनुविभागीय अधिकारी खरखरा मोहंदीपाट नहर परियोजना उपसंभाग क्रं. 04 बालोद	निर्धारित मापदण्ड अनुसार हाउजिंग (मिट्टी कटिंग) कर सी.एल.एस. भराई का काम किया जाना सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त वाटरिंग काम्पेक्शन के उपरांत स्लिपर के लिए मिट्टी कटिंग करने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	-
			30.04.2024		लाईनिंग कार्य में निर्धारित समय तक पर्याप्त वाटरिंग करने तथा आवश्यक जगहो पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीढ़ी निर्माण करने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	
16	-''-	दुर्ग/बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/दुर्ग की खरखरा मोहंदीपाट नहर प्रणाली के कि-मी- 17-00 से कि-मी- 33-75 के अंतर्गत केवट लवागांव माईनर 1, 2, 3, सुरेगांव माईनर 4, तेलीटोला माईनर, कलकी माईनर 1, कठिया माईनर 1, 2, 3, 4 पिनकापार माईनर 1, 2 का रिमाडलिंग एवं सी-सी- लाईनिंग कार्य एवं 05 नग फाल का निर्माण कार्य	22.05.2024	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	मापदण्ड के अनुरूप हाउजिंग कटिंग कर सी.एल.एस. फिलिंग पश्चात् पर्याप्त वाटरिंग काम्पेक्शन करने के बाद ही स्लिपर के लिए खुदाई किये जाने निर्देशित।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार कार्य संपादित कराया गया।	-

स.क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां	कमियों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
17	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के विकासखण्ड-गुण्डरदेही की तांदुला मुख्य नहर के पेन्ड्री माईनर, झोपरा माईनर, डोंगीतराई माईनर एवं जोरातराई माईनर का लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य	29.11.2023	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र. 1 आदमाबाद	निर्धारित मापदण्ड अनुसार हाउजिंग (मिट्टी कटिंग) कर सी.एल.एस. भराई का काम किया जाना सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त वाटरिंग काम्पेक्शन के उपरांत स्लिपर के लिए मिट्टी कटिंग करने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया।	-
			14.01.2024		व्ही.आर.बी. में कांक्रीट कार्य हेतु सेटिंग कार्य ड्राईंग डिजाईन के अनुसार करते हुए कांक्रीट ढलाई में वाइब्रेटर चलाने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया।	
18	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के वि-ख- गुण्डरदेही की नवागांव जलाशय के वेस्ट वियर] गेट मरम्मत एवं नवागांव मुख्य नहर आर-डी- 0 मी- से आर-डी- 1920 मी-, डुण्डेरा माईनर के आर-डी- 0 मी- से 1770 मी- के सी-सी- लाईनिंग, 01 नग व्ही-आर-बी, 03 नग इनलेट, 05 नग कोलावा फिक्सिंग का कार्य	30.04.2024	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	नहर के बायी तरफ संधारण हेतु आवागमन के लिये नहर पार चौड़ाई बढ़ाने व डुण्डेरा माईनर में किसानों के आवागमन सुविधा हेतु व्ही. आर. बी. निर्माण करने हेतु निर्देशित किया गया था।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के मार्ग दर्शन में ठेकेदार द्वारा उक्त निर्देशित कार्य कराया गया।	-
			01.06.2024	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	खेतों के पानी निकासी के लिये नवागांव मेन केनाल एवं डुण्डेरा माईनर में डी. सी. का निर्माण करने निर्देशित।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के मार्ग दर्शन में ठेकेदार द्वारा उक्त निर्देशित कार्य कराया गया।	-
19	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की तांदुला मुख्य नहर के परसदा माईनर के आर-डी- 0 मी- से 2640 मी- तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग तथा स्ट्रक्चर्स का मरम्मत कार्य, 03 नग व्ही.आर.बी. का निर्माण एवं हेड रेग्युलेटर का विस्तार कार्य	26.12.2023	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र. 1	सी.एल.एस भराई के पूर्व मिट्टी कटिंग का कार्य डिजाईन ड्राईंग के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	-
			29.01.2024	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र. 1	लाईनिंग का काम निर्धारित मापदण्ड अनुसार ढलाई करते हुए ग्रू कटिंग केनाल बेड से टंग तक किये जाने निर्देशित।	ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य कराया गया ।	
20	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के अंतर्गत भेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना (12-50 कि-मी- खरखरा मोहदीपाट मुख्य नहर से प्रस्तावित अंतर्गत डक्टाईल प्रेशर आयरन डिलेवरी मुख्य पाईप लाईन, डिस्ट्रीब्यूसन चेम्बर, ओपन चेनल, भेड़ी माईनर लंबर 1 एवं 2, मुड़िया माईनर क- 1, 08 नग व्ही-आर-बी-, 09 नग व्ही.आर.बी. कम फाल, 02 नग फाल, 29 नग कुलावा एवं पावर हाउस कम कंट्रोल रूम का निर्माण कार्य।	15.12.2023	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	आर. सी. सी. माईनर निर्माण में तराई हेतु जुट बैग का उपयोग व निर्माण के बाद साईड फिलिंग करने निर्देशित किया गया ।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के मार्ग दर्शन में ठेकेदार द्वारा उक्त निर्देशित कार्य कराया गया ।	-
			30.05.2024	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	आर. सी. सी. माईनर निर्माण में बेड व दिवाल के जोड़ में हनीकोम्ब रोकने के लिये सही तरीके से शटरींग करने निर्देशित किया गया।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के मार्ग दर्शन में ठेकेदार द्वारा उक्त निर्देशित कार्य कराया गया ।	-
			10.03.2025	अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मण्डल दुर्ग	पाईप लाईन कार्य में आवश्यक फिटिंग्स एवं चैम्बर निर्माण हेतु अनुपूरक सूची तैयार कर प्रेषित करने का कार्य समयावधि में पूर्ण करने निर्देशित किया गया।	अधीक्षण अभियंता, के निर्देशानुसार उच्च कार्यालय में अनुपूरक सूची प्रेषित किया जा चुका है।	-
21	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के अंतर्गत भेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना (12-50 कि-मी- खरखरा मोहदीपाट मुख्य नहर से प्रस्तावित अंतर्गत जेक वेल निर्माण, 04 नग 100 एच.पी. वर्टिकल टर्बाईन पम्प समस्त फिटिंग सहित इंस्टालेशन कार्य एवं 400 के.व्ही.ए, 11/0.415 के-व्ही- सब स्टेशन इंस्टालेशन कार्य	15.12.2023	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	जेकवेल के नीव खुदाई में हार्ड रॉक पास होने की वजह से जेकवेल के बाटम से केनाल बेड लेवल की उंचाई 3 मी. करने निर्देशित किया गया। तथा पम्प लेवल फ्लोर से वेल बॉटम तक नीचे उतरने के लिए आ.सी.सी. सीढ़ी का निर्माण कराये जाने निर्देशित किया गया ।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के मार्ग दर्शन में ठेकेदार द्वारा उक्त निर्देशित कार्य कराया गया ।	-
			23.04.2024	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	360° वेल हेतु बनाये जाने वाले छज्जा के नीचे सपोर्ट के लिए दो-दो मी. के अंतराल में 200x300 M.M. अकार का केन्टीलेवर बीम का निर्माण किये जाने निर्देशित।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के मार्ग दर्शन में ठेकेदार द्वारा उक्त निर्देशित कार्य कराया गया ।	-

स.क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां	कमियों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
22	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की खरखरा मोहंदीपाट मध्यम परियोजना के कसही वितरक नहर के परना सब वितरक नहर आर-डी- 2520 मी- से 5880 मी- झींका माईनर नं- 01 आर-डी- 0 मी- से 1500 मी-, झींका माईनर नं- 2 आर-डी- 0 मी- से 1290 मी- कालदुल माईनर नं- 2 आर-डी- 0 मी- 960 मी- का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग, 3 नग व्ही-आर-बी- 11 नग फाल का मरम्मत] 12 नग व्ही-आर-बी-, का मरम्मत एवं 3 नग इनलेट, 4 नग आउटलेट का निर्माण कार्य।	13.05.2024	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	तराई करने हेतु जुट बैग का उपयोग करने तथा डेट ऑफ कास्टिंग अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया था।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता के मार्ग दर्शन में ठेकेदार द्वारा उक्त निर्देशित कार्य कराया गया ।	-
			19.12.2024	अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मण्डल दुर्ग	झींका माईनर नंबर 01 व 02 में किसानों के आवगमन हेतु व्ही. आर. बी. निर्माण करने निर्देशित किया गया।	अधीक्षण अभियंता, के निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा व्ही आर. बी. निर्माण का कार्य कर लिया गया है।	-
23	जल संसाधन संभाग बालोद	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही की कांदुल व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य की रिमाडलिंग एवं नहर रिमाडलिंग एवं लाईनिंग आर-डी- 0 मी- से 4140 मी-, फील्ड चैनल का रिसेक्सनिंग (बायीं तरफ 0 मी- से 300 मी- तक एवं दायीं तरफ 0 मी- से 1470 मी- तक, केनाल स्ट्रक्चर (01 नग स्केप, 2 नग व्ही-आर-बी-, 05 नग इनलेट, 11 नग आउटलेट का निर्माण एवं 06 नग व्ही-आर-बी- का मरम्मत कार्य	12.06.2025	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बालोद	नहर लाईनिंग के बाद शीघ्र ही टंक फिलिंग करने का निर्देश दिया गया था।	कार्यपालन अभियंता, के निर्देशानुसार नहर लाईनिंग के बाद टंग फिलिंग का कार्य कर लिया गया है।	-

Digitally signed by GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025 15:30:28

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 151) की जानकारी

प्रपत्र

(मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जल संसाधन विभाग से स्वीकृत निर्माण/विकास कार्य)

(राशि रू. लाख में)

स.क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		माह 05/2025 तक कुल व्यय राशि	कार्य की स्थिति		निविदा आमंत्रण की तिथि	निविदा की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	रिमार्क
				संदर्भ	राशि		पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मुंगेली	2022-23	देसुला -नाला में ग्राम संबलपुर के पास एनीकट निर्माण कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 2963/एफ-7-197/31/एस-2/2021 -नवा रायपुर, दि-नाँक 20.06.2022	179.58	207.44	पूर्ण माह 04/2023 में	--	--	--	--	--
2	मुंगेली	2022-23	देसुला -नाला में ग्राम घुटेली के पास एनीकट निर्माण कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 2961/एफ-7-196/31/एस-2/2021 -नवा रायपुर, दि-नाँक 20.06.2022	283.50	311.60	पूर्ण माह 06/2024 में	--	--	--	--	--
3	मुंगेली	2022-23	मोनियारी जलाशय योजना के डी.2 शाखा नहर की धनगाँव वितरक नहर के कि.मी. 5.00 से कि.मी. 26.00 (अंतिम छोर) तक सी.सी. लाईनिंग कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 3903/एफ-7-1-189/31/एस-2/2018 -नवा रायपुर, दि-नाँक 02.08.2022	1720.97	1702.46	--	अपूर्ण	--	--	31-03-2026	98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
4	मुंगेली	2022-23	मोनियारी जलाशय योजना के डी.2 शाखा नहर की मुंगेली वितरक नहर के कि.मी. 5.00 से कि.मी. 25.50 (अंतिम छोर) तक सी.सी. लाईनिंग कार्य एवं पुराने पक्के कार्यों का पुनरोद्धार एवं नवीन पक्के कार्यों का निर्माण	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 537/एफ-7-118/31/एस-2/2021 -नवा रायपुर, दि-नाँक 08.02.2023	2252.75	2090.43	पूर्ण माह 05/2025 में	--	--	--	--	--
5	मुंगेली	2022-23	मोनियारी जलाशय योजना के डी.2 शाखा नहर की खारी वितरक नहर के कि.मी.0 से कि.मी. 17.00 (अंतिम छोर) के बीच शेष सी.सी. लाईनिंग कार्य एवं पुराने पक्के कार्यों का पुनरोद्धार एवं नवीन पक्के कार्यों का निर्माण	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 7-139/31/एस-2/2022/885 नवा रायपुर, दि-नाँक 24.02.2023	1533.81	1434.50	पूर्ण माह 03/2025 में	--	--	--	--	--
			योग-05 कार्य		**5970.61**	**5746.43**	**04**	**01**				

स.क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		माह 05/2025 तक कुल व्यय राशि	कार्य की स्थिति		निविदा आमंत्रण की तिथि	निविदा की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	रिमार्क
				संदर्भ	राशि		पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	मुंगेली	2023-24	हाथी नाला में खम्हरिया एनीकट का निर्माण कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 4273/एफ-7-40/31/एस-2/2023 नवा रायपुर, दिनाँक 05.10.2023	296.31	183.71	पूर्ण दिनांक 02.04.2025 में	--	--	--	--	ठेकेदार का अंतिम भुगतान शेष है
7	मुंगेली	2023-24	ग्राम केशरवाडीह के तालाब का जीर्णोध्दार कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 4275/एफ-7-41/31/एस-2/2023 नवा रायपुर, दिनाँक 05.10.2023	196.62	39.65	पूर्ण दिनांक 20.06.2025 में	--	--	--	--	ठेकेदार का अंतिम भुगतान शेष है
			योग-02 कार्य		**492.93**	**223.36**	**02**	--				
8	मुंगेली	2024-25	आगर नदी पर ग्राम नुनियाकछार के पास एनीकट निर्माण कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 4797/एफ-7-61/31/एस-2/2024 नवा रायपुर, दिनाँक 12.12.2024	697.89	0.00	--	अपूर्ण	03-03-2025	निविदा दर स्वीकृति हेतु प्रमुख अभियंता कार्यालय रायपुर में प्रक्रियाधीन है।	30-06-2026	--
9	मुंगेली	2024-25	रहन नदी पर खैरझिटी एनीकट का निर्माण कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 4795/एफ-7-52/31/एस-2/2024 नवा रायपुर, दिनाँक 12.12.2024	419.02	0.00	--	अपूर्ण	03-03-2025	निविदा दर स्वीकृति हेतु ठेकेदार द्वारा मूल ई.एम.डी. एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मुख्य अभियंता कार्यालय बिलासपुर में प्रक्रियाधीन है।	30-06-2026	--
10	मुंगेली	2024-25	ग्राम बिरगांव के पास एनीकट निर्माण कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 83/एफ-7-178/31/एस-2/2024 नवा रायपुर, दिनाँक 06.01.2025	316.74	0.00	--	अपूर्ण	26-05-2025	पूर्व अर्हता स्वीकृति प्रमुख अभियंता कार्यालय रायपुर में प्रक्रियाधीन है।	30-06-2026	--
11	मुंगेली	2024-25	आगर नदी पर में ग्राम बुधवारा के पास एनीकट निर्माण कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 85/एफ-7-172/31/एस-2/2024 नवा रायपुर, दिनाँक 06.01.2025	393.95	0.00	--	अपूर्ण	02-05-2025	पूर्व अर्हता स्वीकृति प्रमुख अभियंता कार्यालय रायपुर में प्रक्रियाधीन है।	30-06-2026	--
12	मुंगेली	2024-25	रहन नदी में ग्राम मोतिमपुर के पास एनीकट निर्माण कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 87/एफ-7-176/31/एस-2/2024 नवा रायपुर, दिनाँक 06.01.2025	334.01	0.00	--	अपूर्ण	26-05-2025	पूर्व अर्हता स्वीकृति प्रमुख अभियंता कार्यालय रायपुर में प्रक्रियाधीन है।	30-06-2026	--

स.क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		माह 05/2025 तक कुल व्यय राशि	कार्य की स्थिति		निविदा आमंत्रण की तिथि	निविदा की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	रिमार्क
				संदर्भ	राशि		पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	मुंगेली	2024-25	आगर नदी में ग्राम कोयलारी के पास एन्नीकट निर्माण कार्य	छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. 118/एफ-7-177/31/एस-2/2024 नवा रायपुर, दिनाँक 07.01.2025	619.25	0.00	--	अपूर्ण	02-05-2025	पूर्व अर्हता स्वीकृति प्रमुख अभियंता कार्यालय रायपुर में प्रक्रियाधीन है।	30-06-2026	--
			योग-06 कार्य		**2780.86**	**0.00**	--	**06**				
			कुल योग-13 कार्य		**9244.40**	**5969.79**	**06 कार्य**	**07 कार्य**				

(अधिक प्रभार अधिसूचित)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - चौवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 153) की जानकारी

प्रपत्र-अ

(क)

(राशि लाख रू. में)

स.क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (20.6.2025 तक)	योग
1.	मिरौनी बैराज	6.78	7.88	12.51	15.52	0.00	**42.69**
2.	डोंगिया एनीकट	1.01	3.14	2.99	0.42	0.00	**7.56**
3.	सेंदरी एनीकट	0.00	0.50	0.52	0.60	0.00	**1.62**
4.	पर्थरा एनीकट	0.00	0.25	0.25	0.57	0.00	**1.07**
5.	करौहाडीह एनीकट	0.00	0.74	0.75	0.70	0.00	**2.19**
6.	लीमगांव एनीकट	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	**0.57**
						योग :–	**55.70**

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रपत्र-ब

(ख)

फर्मों के नाम जिनसे कार्य कराये गये

स.क्र.	फर्म का नाम	पंजीकृत
1.	कुणाल प्रताप सिंह, मुंगेली (छ.ग.)	हाँ
2.	मोहित कंस्ट्रक्शन, बिलासपुर (छ.ग.)	हाँ
3.	आदित्य साहू, सकरी, बिलासपुर (छ.ग.)	हाँ
4.	ध्रुव इंटरप्राईजेस, सक्ती (छ.ग.)	हाँ
5.	श्री इंजीनियरिंग बिलासपुर (छ.ग.)	हाँ
6.	श्री इंजीनियरिंग रायगढ़ (छ.ग.)	हाँ
7	आस्था इंटरप्राईजेस, रायगढ़ (छ.ग.)	हाँ
8	कल्पेश पटेल, बिलासपुर (छ.ग.)	हाँ
9	अर्जन दत्ता, जांजगीर (छ.ग.)	हाँ
10	वीणा इलेक्ट्रिकल्स, रायगढ़ (छ.ग.)	हाँ

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जन संसाधन विभाग

परिशिष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 158) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि मद, वित्तीय वर्ष 2022-23

क्र.	कार्य का नाम	कार्य स्थल का नाम	तहसील का नाम	स्वीकृति राशि	व्यय	रिमार्क
1	3	4	5	6	7	8
1	नवीन तहसील जरहागांव निर्माण कार्य	जरहागांव	जरहागांव	7112000.00	7112000.00	प्रगतिरत
कुल योग				**7112000.00**	**7112000.00**	

अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि मद, वित्तीय वर्ष 2024-25

क्र.	कार्य का नाम	कार्य स्थल का नाम	तहसील का नाम	स्वीकृति राशि	व्यय	रिमार्क
1	3	4	5	6	7	8
1	सीसी रोड निर्माण कार्य मेन रोड से रवि टंडन के घर तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बिरगहनी	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
2	सीसी रोड निर्माण कार्य, शिव मंदिर से नवधा चौक तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बीजातराई	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
3	सीसी रोड निर्माण कार्य , महामाया से नवधा चौक तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बीजातराई	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
4	सीसी रोड निर्माण कार्य , पंचराम के घर से तालाब तक	ग्राम व ग्राम पंचायत छटन	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
5	सीसी रोड निर्माण कार्य, बाजार गली एवं उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर	ग्राम व ग्राम पंचायत सेतगंगा	मुंगेली	600000.00	582578.00	पूर्ण
6	सीसी रोड निर्माण कार्य, मेनरोड से महामाया तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बोदा	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
7	सीसी रोड निर्माण कार्य, गुलाबु के घर से समेलाल साह के घर तक	ग्राम व ग्राम पंचायत सोढ़ार	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
8	सीसी रोड निर्माण कार्य, गुडडू निषाद के घर से होलीराम यादव के घर की ओर	ग्राम व ग्राम पंचायत डोमनपुर	मुंगेली	600000.00	581721.00	पूर्ण
9	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत किरना	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
10	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत करही	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
11	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत भरुवागुडा	मुंगेली	600000.00	582876.00	पूर्ण
12	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत प्रान	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
13	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत कोहडिया	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
14	सीसी रोड निर्माण कार्य, विभिन्न गलियों में	ग्राम व ग्राम पंचायत सुरीघाट	मुंगेली	600000.00	588107.00	पूर्ण
15	सीसी रोड निर्माण कार्य, स्कूल ग्राउंड में	ग्राम व ग्राम पंचायत खजहा	मुंगेली	600000.00	240000.00	प्रगतिरत
16	सीसी रोड निर्माण कार्य, हिमांशु पटेल के घर से सतीश साह के घर तक	ग्राम व ग्राम पंचायत सुरीघाट	मुंगेली	600000.00	587075.00	पूर्ण
17	सीसी रोड लीला के घर से लव के घर तक (200 मीटर)	ग्राम पंचायत केशरुवाडीह	मुंगेली	500000.00	200000.00	प्रगतिरत
18	सीसी रोड मुक्तिधाम से छपरा तालाब की ओर (200 मीटर)	ग्राम पंचायत ढ़ोढ़मा	पथरिया	500000.00	200000.00	प्रगतिरत
19	सीसी रोड धनंजय साहू घर से कलेश्वर चतुर्वेदी के घर तक (200 मीटर)	ग्राम पंचायत दामापुर	मुंगेली	500000.00	200000.00	प्रगतिरत
20	सीसी रोड बाजारपारा से हनुमान मंदिर खेमसागर तालाब (200 मीटर)	ग्राम पंचायत कोदवाबानी	मुंगेली	500000.00	200000.00	प्रगतिरत
21	मदनपुर में सामुदायिक भवन निर्माण महामाया मंदिर के पास	ग्राम पंचायत चारभांठा	मुंगेली	500000.00	200000.00	प्रगतिरत
कुल योग				**12100000.00**	**6562357.00**	

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र "ब"

अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि मद की जानकारी

क्र.	कुल कार्य संख्या				विधानसभा	शासन को भेजे गए कार्यों के प्रस्ताव की स्वीकृति / अस्वीकृति	जनप्रतिनिधि का प्रस्ताव
	कार्य का नाम	कार्य स्थल का नाम	तहसील का नाम	स्वीकृति राशि लाख में			
1	नवीन जरहागांव तहसील भवन निर्माण कार्य	जरहागांव	जरहागांव	7112000.00	मुंगेली	स्वीकृत	
2	सीसी रोड निर्माण कार्य मेन रोड से रवि टंडन के घर तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बिरगहनी	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
3	सीसी रोड निर्माण कार्य, शिव मंदिर से नवधा चौक तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बीजातराई	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
4	सीसी रोड निर्माण कार्य , महामाया से नवधा चौक तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बीजातराई	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
5	सीसी रोड निर्माण कार्य , पंचराम के घर से तालाब तक	ग्राम व ग्राम पंचायत छटन	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
6	सीसी रोड निर्माण कार्य, बाजार गली एवं उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर	ग्राम व ग्राम पंचायत सेतगंगा	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
7	सीसी रोड निर्माण कार्य, मेनरोड से महामाया तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बोदा	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
8	सीसी रोड निर्माण कार्य, गुलाबु के घर से समेलाल साहू के घर तक	ग्राम व ग्राम पंचायत सोढार	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
9	सीसी रोड निर्माण कार्य, गुडडू निषाद के घर से होलीराम यादव के घर की ओर	ग्राम व ग्राम पंचायत डोमनपुर	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
10	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत किरना	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
11	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत करही	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
12	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत भरुवागुडा	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
13	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत पुरान	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
14	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत कोहडिया	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
15	सीसी रोड निर्माण कार्य, विभिन्न गलियों में	ग्राम व ग्राम पंचायत सुरीघाट	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
16	सीसी रोड निर्माण कार्य, स्कूल ग्राउंड में	ग्राम व ग्राम पंचायत खुजहा	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
17	सीसी रोड निर्माण कार्य, हिमांशु पटेल के घर से सतीश साह के घर तक	ग्राम व ग्राम पंचायत सुरीघाट	मुंगेली	600000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
18	सीसी रोड लीला के घर से लव के घर तक (200 मीटर)	ग्राम पंचायत केशरुवाडीह	मुंगेली	500000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री तोखन साहू, सांसद महोदय
19	सीसी रोड मुक्तिधाम से छपरा तालाब की ओर (200 मीटर)	ग्राम पंचायत ढ़ोढ़मा	पथरिया	500000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री तोखन साहू, सांसद महोदय
20	सीसी रोड धनंजय साहू घर से कलेश्वर चतुर्वेदी के घर तक (200 मीटर)	ग्राम पंचायत दामापुर	मुंगेली	500000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री तोखन साहू, सांसद महोदय
21	सीसी रोड बाजारपारा से हनुमान मंदिर खेमसागर तालाब (200 मीटर)	ग्राम पंचायत कोदवाबानी	मुंगेली	500000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री तोखन साहू, सांसद महोदय
22	मदनपुर में सामुदायिक भवन निर्माण महामाया मंदिर के पास	ग्राम पंचायत चारभांठा	मुंगेली	500000.00	मुंगेली	स्वीकृत	मान. श्री तोखन साहू, सांसद महोदय
23	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	कंतेली	कंतेली	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
24	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	सिपाही	सिपाही	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
25	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	दाबो	दाबो	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
26	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	घुण्डुकापा	घुण्डुकापा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
27	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	टेढ़ाधौरा	टेढ़ाधौरा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
28	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	चलान	चलान	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)

29	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	लैकडुम	लैकडुम	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
30	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	सेमरचुवा	सेमरचुवा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
31	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	फुलवारी	फुलवारी	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
32	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	कोसमा	कोसमा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
33	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	कोदूकापा	कोदूकापा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
34	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	सेमरचुवा	सेमरचुवा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
35	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	देवरी (क.)	देवरी (क.)	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
36	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	कोदवाबानी	कोदवाबानी	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
37	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	दशरंगपुर	दशरंगपुर	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
38	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	रेहुँटा	रेहुँटा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
39	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	बोदा	बोदा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
40	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	ठकुरीकापा	ठकुरीकापा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
41	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	सेमरचुवा	सेमरचुवा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
42	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	संगवाकापा	संगवाकापा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
43	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	पंडोतरा	सिंगारपुर	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
44	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	रेहुँटा	रेहुँटा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
45	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	हेडसपुर	हेडसपुर	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
46	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	भैसामुड़ा	संबलपुर	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
47	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	खेढ़ा	खेढ़ा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
48	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	ढोठमा	ढोठमा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
49	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	हथनीकला	हथनीकला	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
50	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	कंचनपुर	टोनहीचुवा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
51	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	बछेरा	बछेरा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
52	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	मोतिमपुर	मोतिमपुर	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
53	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	अमलीकापा	अमलीकापा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
54	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	पुछेली	पुछेली	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
55	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	लौदा	लौदा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
56	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	ढोठमा	ढोठमा	600000.00	मुंगेली	अस्वीकृत	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक महोदय
कुल योग				39612000.00			

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0

"पृथक"

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 159) की जानकारी

वर्ष 2025 से 25.06.2025 की स्थिति में जंगली हाथियों की मृत्यु की जानकारी।

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	प.स. वृत्त का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्र./स्थल का नाम	मृत्यु दिनांक	जंगली हाथी नर/मादा	उम्र	मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिलासपुर	रायगढ	घरघोडा	नवापारा (टेण्डा)	चारमार	1270 आ.व. पाकादरहा कुरकुट राबो डेम	14.01.2025	शावक	2–3 माह	पानी में डूबने के कारण
2	बिलासपुर	रायगढ	घरघोडा	छर्राटांगर	डेहरीडीह	पानीखेम डेम	22.01.2025	मादा	02 वर्ष	डेम के दलदल में फंस जाने कारण
3	बिलासपुर	रायगढ	घरघोडा	घरघोड़ा	कटंगडीह	1270 आ.व. कुरकुट नदी के पास	12.05.2025	शावक	3–4 माह	पहाड़ से फिसलने पर मस्तिष्क में चोट लगने के कारण
4	बिलासपुर	रायगढ	घरघोडा	नवापारा (टेण्डा)	चारमार	1269 आ.व. पाकादरहा कुरकुट राबो डेम	25.05.2025	शावक	05 माह	पानी में डूबने के कारण

01/07/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(व.प्रा. प्रबंधन एवं योजना तथा ईको–टूरिज्म)
छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र

जिले जांजगीर–चांपा में जलकर से प्राप्त राजस्व एवं बकाया वसूली की जानकारी

राशि रू. लाख में

क्र	उद्योगों का नाम	वर्षवार बकाया राशि (रू. लाख में)												शेष राशि (13–14)	की गई कार्यवाही / रिमार्क
		2022-23				2023-24				2024-25					
		बकाया राशि	चालू मांग	कुल योग (3+4)	प्राप्त राशि	बकाया राशि (5–6)	चालू मांग	कुल योग (7+8)	प्राप्त राशि	बकाया राशि (9–10)	चालू मांग	कुल योग (11+12)	प्राप्त राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	प्रकाश इंडस्टीज लि.	365.385	506.520	871.905	457.219	414.686	506.520	921.206	688.577	232.629	551.278	783.907	504.818	279.089	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
2	मध्य भारत पेपर मिल लि.	1130.889	204.120	1335.009	0.000	1335.009	204.120	1539.129	0.000	1539.129	0.000	1539.129	0.000	1539.129	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
3	नुवाको विस्तार कार्पोरेशन लि. गोपाल नगर (लाफार्ज इंडिया लि. गोपालनगर)	6.300	18.684	24.984	20.115	4.869	18.684	23.553	18.900	4.653	18.900	23.553	32.862	0.000	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
4	अरसमेटा के. पी. पावर गोपाल नगर (साई लीलागर पावर लि.)	521.228	94.500	615.728	78.750	536.978	94.500	631.478	70.875	560.603	94.500	655.103	78.750	576.353	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
5	लहरी पावर प्लांट (महेन्द्रा पावर मंड़वा)	4.321	17.022	21.343	14.831	6.512	17.022	23.534	15.145	8.389	14.373	22.762	12.333	10.429	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
6	छ.ग.स्टील एण्ड पावर (अमझर)	11.463	68.794	80.257	72.671	7.586	68.794	76.380	62.307	14.073	67.685	81.758	56.220	25.538	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
7	मे. के.एस.के. महानदी पॉवर प्लांट	56787.425	10449.337	67236.762	4899.216	62337.546	10449.337	72786.883	2776.622	70010.261	14497.346	84507.607	3476.435	81031.172	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
8	छ.ग. राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमि. मण्डवा	551.250	3307.500	3858.750	3287.500	571.250	3307.500	3878.750	3293.500	585.250	3307.500	3892.750	3059.438	833.312	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
9	शांति जी.डी. पावर लिमि.	7.285	9.238	16.523	6.524	9.999	9.238	19.237	9.426	9.811	9.626	19.437	17.229	2.208	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
10	नुवाको विस्तार कार्पोरेशन लि. गोपाल नगर	5.940	35.640	41.580	29.880	11.700	35.640	47.340	31.776	15.564	27.912	43.476	14.129	29.347	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
11	मैं. क्लीन कोल इन्टरप्रा. लिमि.	1.155	6.930	8.085	7.123	0.962	6.930	7.892	5.770	2.122	6.930	9.052	9.717	0.000	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
12	मे आर.के.एम. पावरजेन उच्चपीण्डा	7.590	0.000	7.590	0.000	7.590	0.000	7.590	0.000	7.590	0.000	7.590	0.000	7.590	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
13	मैं. महावीर कोल वाशरी प्रा.लि.बलौदा	114.005	31.046	145.051	22.772	122.279	31.046	153.325	0.000	153.325	28.412	181.737	0.000	181.737	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

स. क्र.	उद्योगों का नाम	वर्षवार बकाया राशि (रू. लाख में)												शेष राशि (13–14)	की गई कार्यवाही / रिमार्क
		2022-23				2023-24				2024-25					
		बकाया राशि	चालू मांग	कुल योग (3+4)	प्राप्त राशि	बकाया राशि (5–6)	चालू मांग	कुल योग (7+8)	प्राप्त राशि	बकाया राशि (9–10)	चालू मांग	कुल योग (11+12)	प्राप्त राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	मे. हिन्द एनर्जी एवं कोल बेनिफिकेशन बिरगहनी	2.715	16.290	19.005	16.286	2.719	16.290	19.009	13.570	5.439	16.290	21.729	7.063	14.666	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
15	मैं. श्याम वेयर हाउसिंग एवं पावर लिमि. बनारी	744.739	27.993	772.732	0.000	772.732	27.993	800.725	0.000	800.725	27.990	828.715	0.000	828.715	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
16	मे. के.एस.के. महानदी पॉवर प्लांट नरियरा	19.075	0.000	19.075	0.000	19.075	0.000	19.075	0.000	19.075	0.000	19.075	0.000	19.075	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
17	मे. हिन्द एनर्जी एवं कोल बेनिफिकेशन बालौदा	2.022	13.677	15.699	6.764	8.935	13.677	22.612	5.159	17.453	7.111	24.564	4.798	19.766	समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
18	एम.व्ही.के. इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. अमरताल	0.000	33.510	33.510	33.510	0.000	33.230	33.230	33.230	0.000	48.630	48.630	48.630	0.000	
	योग:–	**60282.79**	**14840.80**	**75123.59**	**8953.16**	**66170.43**	**14840.52**	**81010.95**	**7024.86**	**73986.09**	**18724.48**	**92710.57**	**7322.42**	**85398.13**	

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025
15:35:08
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 175) की जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा जिला बालोद के अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची

क्र.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल
1.	बालोद	पुरातात्विक, धार्मिक	कपिलेश्वर तालाब, प्राचीन मंदिर, सिया देवी मंदिर
2.	तांदुला	जलाशय	बांध दृश्य, दल्ली राजहरा (माइंस), भोला पठार (ग्राम पर्रेगुड़ा)
3.	श्री गौरैया सिद्ध शक्तिपीठ (चौरेल)	धार्मिक, पुरातात्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक	9वी से 11वी सदी के मध्य हथवंशी राजवंश कल्चूरी कालीन प्राचीन मूर्तियां, कुण्ड (बाउली), श्री विमल वैदिक सेवा आश्रम, श्री सदगुरू कबीर घाट
4	नर्मदा धाम (सुरसुली)	धार्मिक	जल कुण्ड, कर्मा मंदिर, दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर, राम दरबार मंदिर , हनुमान मंदिर, मोहंदी पाट बाबा धाम (ग्राम मोहदीपाट)

पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त राज्य संरक्षित धार्मिक महत्व के स्थलों की सूची

1.कपिलेश्वर मंदिर समूह बालोद

2. कुकुरदेव मंदिर खपरी

3. शिव मंदिर पलारी

07/07/2025
अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 180) की जानकारी

प्रपत्र

जिला – बालोद

ग्रंथपाल के स्वीकृत, कार्यरत, एवं रिक्त पद की जानकारी "ई"संवर्ग

विकासखण्ड का नाम	स्कूलों की संख्या	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिमार्क
बालोद	27	18	0	18	
गुरूर	32	22	4	18	
गुण्डरदेही	40	32	13	19	
डौंडीलोहारा	41	30	3	27	
कुल योग	**140**	**102**	**20**	**82**	

ग्रंथपाल के स्वीकृत, कार्यरत, एवं रिक्त पद की जानकारी "टी"संवर्ग

विकासखण्ड का नाम	स्कूलों की संख्या	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिमार्क
डौंडी	32	20	0	20	

अनुभाग अधिकारी
लोक शिक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

राज्य मुख्य ग्रंथपाल
राज्य ग्रंथालय प्रकोष्ठ
लोक शिक्षण संचालनालय
नया रायपुर छ0ग0

परिशिष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 182) की जानकारी

प्रपत्र

जांजगीर–चांपा जिले में स्थित बांधों/जलाशयों की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	बांध/जलाशय का क्षेत्रफल (रकबा) (हे0)	जल भराव क्षमता (मिघमी)	रूपांकित सिंचाई क्षमता (हे0)	बांध/जलाशय में अतिक्रमण का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
1	बंधवाबलौदा जलाशय	अकलतरा	104.970	0.280	160.000	-
2	कटघरी–2 जलाशय	अकलतरा	102.490	0.310	102.000	-
3	ठडगाबहरा जलाशय	अकलतरा	152.210	0.870	262.000	-
4	बरपाली जलाशय	अकलतरा	120.720	0.670	197.000	-
5	पोड़ी दलहा जलाशय	अकलतरा	154.680	0.450	142.000	-
6	शनिचराडीह जलाशय	अकलतरा	248.300	2.460	607.000	-
7	बुडगहन जलाशय	अकलतरा	248.050	1.120	364.000	-
8	जर्वे जलाशय	अकलतरा	147.660	0.280	93.000	-
9	कटघरी–1 जलाशय	अकलतरा	103.960	0.630	176.000	-
10	कर्रानाला जलाशय	अकलतरा	248.910	3.400	668.000	-
11	औराईखुर्द जलाशय	अकलतरा	103.450	0.155	42.000	-
12	नरियरा जलाशय	अकलतरा	202.019	0.583	231.000	0.404
13	रसेड़ा जलाशय	अकलतरा	98.420	0.285	81.000	-
14	किरारी जलाशय	अकलतरा	0.000	0.245	81.000	-
15	बेमराज सागर जलाशय	अकलतरा	155.399	0.257	85.000	-
16	परसाही व्यपवर्तन	अकलतरा	0.000	-	105.000	-
17	मुलमुला जलाशय	पामगढ़	388.499	1.072	231.000	-
18	आरसमेटा जलाशय	अकलतरा	388.499	1.072	231.000	-
19	सिरली जलाशय	पामगढ़	751.097	0.725	324.000	-
20	पचरी जलाशय	पामगढ़	80.290	0.188	62.000	-
21	भुईगांव जलाशय	पामगढ़	1028.226	1.045	287.000	-
22	पकरिया जलाशय	पामगढ़	440.298	0.700	255.000	-
23	बेलारी जलाशय	पामगढ़	116.550	0.242	77.000	-
24	लोहर्सी जलाशय	पामगढ़	116.550	0.279	81.000	-

स.क्र.	योजना का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	बांध/जलाशय का क्षेत्रफल (रकबा) (हे0)	जल भराव क्षमता (मिघमी)	रूपांकित सिंचाई क्षमता (हे0)	बांध/जलाशय में अतिक्रमण का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
25	रोझनडीह जलाशय	पामगढ़	168.349	0.245	81.000	-
26	हिर्री जलाशय	पामगढ़	90.650	0.181	81.000	-
27	बोरसी व्यपवर्तन	पामगढ़	2305.091	-	41.000	-
28	तरनसागर जलाशय	पामगढ़	258.999	0.323	81.000	-
29	नया बांध जेवरा जलाशय	पामगढ़	170.939	0.345	125.000	-
30	धरदेई जलाशय	पामगढ़	98.420	0.258	81.000	-
31	भलवाही जलाशय	पामगढ़	75.110	0.283	77.000	-
32	छैडोलिया जलाशय	पामगढ़	1691.263	2.411	769.000	44.534
33	मेकरी जलाशय	पामगढ़	137.270	0.226	81.000	-
34	करमंदी जलाशय	नवागढ़	590.518	0.117	43.000	-
35	कोसला जलाशय	पामगढ़	611.238	1.482	384.000	-
कुल			**11699.092**	**23.189**	**6788.000**	**44.938**

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025
15:15:39

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 191) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र.	महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक			
		विषय	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय उतई	वनस्पतिशास्त्र	1	0	1
		हिन्दी	1	0	1
		समाजशास्त्र	1	0	1
		राजनीतिशास्त्र	1	0	1
2	शासकीय नवीन महाविद्यालय मचांदूर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय धनोरा, दुर्ग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय निकुम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6	शासकीय नवीन महाविद्यालय नगपुरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र "ब"

क्र.	महाविद्यालय का नाम	छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या	छात्रावास की सुविधा (हाँ/नहीं)
1	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय उतई	540	नहीं
2	शासकीय महाविद्यालय मचांदूर	56	नहीं
3	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय धनोरा दुर्ग	93	हाँ
4	शासकीय महाविद्यालय निकुम	241	नहीं
5	शासकीय महाविद्यालय रिसाली	02	नहीं
6	शासकीय महाविद्यालय नगपुरा	55	नहीं
	योग :-	987	-

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-अ

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत उद्वहन सिंचाई योजना की जानकारी

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	उद्वहन सिंचाई योजना का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	दुर्ग	दुर्ग	अंजोरा	अक्रियाशील
2	दुर्ग	दुर्ग	चंगोरी	अक्रियाशील
3	दुर्ग	दुर्ग	थनौद	अक्रियाशील
4	दुर्ग	दुर्ग	महमरा	अक्रियाशील
5	दुर्ग	दुर्ग	करेला	अक्रियाशील
6	दुर्ग	दुर्ग	कोकड़ी	क्रियाशील
7	दुर्ग	दुर्ग	पीसेगांव	क्रियाशील
8	दुर्ग	दुर्ग	भरदा	अक्रियाशील

टीप - दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत चंदखुरी उद्वहन सिंचाई योजना पूर्व में निर्मित है, जिसका संधारण वर्तमान में व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है।

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025
16:32:56

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

सुधार एवं उत्थान के लिये विगत 03 वर्षो की विस्तृत जानकारी

स0 क्र0	*वर्ष*	*योजना का नाम*	*अनुमानित लागत (लाख में)*
1	*2*	*3*	*4*
1	***2023-24***	*निरंक*	*निरंक*
2	***2024-25***	*निरंक*	*निरंक*
	अनुपूरक बजट वर्ष ***2025-26 में*** *प्रस्तावित।*	1 दुर्ग जिले के विकासखण्ड दुर्ग में अंजोरा उद्वहन सिंचाई योजना कार्य	250.00
		2 दुर्ग जिले के विकासखण्ड दुर्ग में चंगोरी उद्वहन सिंचाई योजना कार्य	250.00
		3 दुर्ग जिले के विकासखण्ड दुर्ग में थनौद उद्वहन सिंचाई योजना कार्य	300.00
		4 दुर्ग जिले के विकासखण्ड दुर्ग में महमरा उद्वहन सिंचाई योजना कार्य	350.00
		5 दुर्ग जिले के विकासखण्ड दुर्ग में करेला उद्वहन सिंचाई योजना कार्य	300.00
		6 दुर्ग जिले के विकासखण्ड दुर्ग में भरदा उद्वहन सिंचाई योजना कार्य	250.00

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025
15:41:05

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रपत्र-स

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत एनीकटों की जानकारी

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखंड	एनीकट का नाम
1	2	3	4
1	दुर्ग	दुर्ग	भरदा कोनारी एनीकट
2	दुर्ग	दुर्ग	भरदा आलबरस एनीकट
3	दुर्ग	दुर्ग	अटारी स्टापडेम
4	दुर्ग	दुर्ग	विनायकपुर एनीकट
5	दुर्ग	दुर्ग	कोटनी नगपुरा एनीकट
6	दुर्ग	दुर्ग	महमरा एनीकट
7	दुर्ग	दुर्ग	उरला एनीकट
8	दुर्ग	दुर्ग	चंगोरी एनीकट
9	दुर्ग	दुर्ग	तिरगा एनीकट
10	दुर्ग	दुर्ग	रूदा एनीकट

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025
15:40:37

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रपत्र-द

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत एनीकटों के वार्षिक संधारण की जानकारी

स.क्र.	*वर्ष*	जिले का नाम	विकासखंड	एनीकट का नाम	संधारण कार्य की लागत (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	2022-23	दुर्ग	दुर्ग	कोटनी नगपुरा एनीकट	2.49
		दुर्ग	दुर्ग	महमरा एनीकट	2.50
		दुर्ग	दुर्ग	उरला, बेलोदी एनीकट	2.49
2	2023-24	दुर्ग	दुर्ग	महमरा एनीकट	2.49
3	2024-25	दुर्ग	दुर्ग	महमरा एनीकट	2.48

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025
15:40:08

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रपत्र–अ

(वन भूमियों पर अतिक्रमण तथा कार्यवाहियां)

क्र.	वनवृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र संख्या	बीट संख्या	पंजीबद्ध किये गये अतिक्रमण प्रकरण का विवरण			
					प्रकरण संख्या	अतिक्रमित वन क्षेत्रफल(हे.में) 31 मार्च 2025 की स्थिति में।	जनवरी 2024 से अब तक अतिक्रमण के विरूद्ध की गई कार्यवाही	
							अतिकमण में की गई कार्यवाही की प्रकरणों की संख्या	अतिकमण से मुक्त किये गये क्षेत्रफल(हे.में.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	रायपुर	2	56	0	0	0	0
2		महासमुन्द	4	32	133	414.252	76	172.830
3		बलौदाबाजार	2	2	171	31.347	2	0.549
4		धमतरी	5	15	87	545.894	23	199.494
5		गरियाबंद	8	28	173	445.641	21	47.519
6	सरगुजा	सरगुजा	3	8	393	50.753	224	6.302
7		सूरजपुर	6	46	225	215.372	4	4.618
8		बलरामपुर	7	54	150	158.373	24	18.272
9		कोरिया	2	7	29	3.690	0	0.000
10		मनेन्द्रगढ़	5	27	161	38.496	15	0.042
11		जशपुर	6	12	30	20.381	0	0.000
12	जगदलपुर	बस्तर	4	10	25	42.314	53	57.888
13		सुकमा	1	2	4	2.458	16	2.638
14		बीजापुर	0	0	0	0.000	0	0.000
15		दंतेवाड़ा	4	7	8	94.192	0	0.000
16	दुर्ग	दुर्ग	0	0	0	0.000	0	0.000
17		बालोद	5	21	120	122.257	0	0.000
18		राजनांदगांव	2	4	6	20.650	0	0.000
19		कवर्धा	4	18	232	521.16	0	0.000
20		मोहला	2	8	39	11.445	2	0.032
21		खैरागढ़	1	6	18	27.927	0	0.000

क्र.	वनवृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र संख्या	बीट संख्या	पंजीबद्ध किये गये अतिक्रमण प्रकरण का विवरण			
					प्रकरण संख्या	अतिक्रमित वन क्षेत्रफल(हे.में) 31 मार्च 2025 की स्थिति में।	जनवरी 2024 से अब तक अतिक्रमण के विरूद्ध की गई कार्यवाही	
							अतिक्रमण में की गई कार्यवाही की प्रकरणों की संख्या	अतिक्रमण से मुक्त किये गये क्षेत्रफल(हे.में.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	कांकेर	कांकेर	5	13	32	54.561	0	0
23		पूर्व भानुप्रतापपुर	4	4	26	15.068	22	13.071
24		पश्चिम भानुप्रतापपुर	4	22	129	462.727	0	0
25		नारायणपुर	6	6	13	14.982	0	0
26		केशकाल	4	20	51	67.128	0	0
27		कोण्डागांव	7	32	271	408.702	0	0
28	बिलासपुर	बिलासपुर	5	80	797	187.361	239	67.376
29		धरमजयगढ़	2	2	2	0.219	0	0
30		कोरबा	3	8	12	11.173	3	1.214
31		कटघोरा	2	5	14	6.195	2	1.590
32		मरवाही	2	4	20	1.949	2	0.415
33		मुंगेली	2	11	133	342.795	0	0
34		रायगढ़	4	12	219	31.102	0	0
35		सारगढ़–बिलाईगढ़	3	3	165	8.456	0	0
36		जांजगीर–चांपा	1	12	87	49.638	0	0
क्षेत्रीय वन वृत्त योग :–			**127**	**597**	**3975**	**4428.658**	**728**	**593.85**

अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पृष्ठ-क

वनमण्डलवार बीट एवं क्षेत्रफल विवरण

वृत्त का नाम	वनमण्डल का नाम	वन बीट संख्या	वन विहीन बीट संख्या	वनमण्डल का क्षेत्रफल (हे.में)
1	2	3	4	5
रायपुर	रायपुर	3	53	1269.121
	बलौदाबाजार	128	0	96733.219
	महासमुद	106	1	100469.162
	धमतरी	111	6	146654.461
	गरियाबंद	113	0	160463.181
योगः–		**461**	**60**	**505589.144**
दुर्ग	दुर्ग	4	20	248.590
	बालोद	101	3	77482.304
	राजनांदगांव	97	12	66920.932
	कवर्धा	157	0	110306.466
	मोहला	65	0	61629.409
	खैरागढ़	121	2	95200.930
योगः–		**545**	**37**	**411788.631**
जगदलपुर	बस्तर	148	0	213649.596
	सुकमा	112	0	278635.913
	बीजापुर	129	0	283667.307
	दंतेवाड़ा	55	0	103909.552
योगः–		**444**	**0**	**879862.368**
सरगुज़ा	सरगुजा	110	0	146515.449
	सुरजपुर	119	0	165572.246
	बलरामपुर	195	0	305092.984
	कोरिया	100	0	165002.070
	मनेन्द्रगढ़	107	0	175760.688
	जशपुर	131	0	168351.280
योगः–		**762**	**0**	**1126294.717**
कांकेर	कांकेर	103	0	70535.075
	पूर्व भानुप्रतापुर	91	0	92189.965
	पश्चिम भानुप्रतापुर	77	0	93102.652

वृत्त का नाम	वनमण्डल का नाम	वन बीट संख्या	वन विहीन बीट संख्या	वनमण्डल का क्षेत्रफल (हे.में)
कांकेर	नारायणपुर	80	0	114868.650
	केशकाल	75	0	88236.235
	कोण्डागांव	114	0	159919.958
	योगः–	**540**	**0**	**618852.535**
बिलासपुर	बिलासपुर	80	0	59724.806
	मरवाही	70	0	84027.38
	कोरबा	91	0	158636.261
	कटघोरा	121	0	185321.030
	रायगढ़	94	0	74565.776
	सारंगढ़–बिलाईगढ़	60	0	58157.35
	धरमजयगढ़	99	0	108184.000
	जांजगीर–चांपा	29	0	20188.925
	मुंगेली	20	0	14696.83
	योगः–	**664**	**0**	**763502.358**
	कुलयोगः–	**3416**	**97**	**4305889.753**

प्रधान वन संरक्षक (संरक्षण)
अटल नगर, नवा रायुपर

परिशिष्ट - चौंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 244) की जानकारी

iii=ह

जिला जशपुर में राजस्व विभागातर्गत जिला, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं तहसील कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी पदवार निम्नानुसार है :–

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
कलेक्टर	1	1	0
सहायक कलेक्टर	0	1	0
अपर कलेक्टर	1	1	0
संयुक्त कलेक्टर	1	1	0
डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभगीय अधिकारी (रा.)	9	9	0
तहसीलदार	12	11	1
अतिरिक्त तहसीलदार	2	2	0
नायब तहसीलदार	21	12	9
कार्यालय अधीक्षक	1	1	0
सहायक अधीक्षक	1	1	0
शीघ्रलेखक वर्ग–1	1	1	0
शीघ्रलेखक वर्ग–2	1	0	1
शीघ्रलेखक वर्ग–3	1	1	0
सहायक ग्रेड–02	57	46	11
सहायक ग्रेड–03	93	71	22
स्टेनोटायपिस्ट	20	10	10
वाहन चालक	19	14	5
दफ्तरी	1	0	1
माल जमादार	5	0	5
अर्दली	3	2	1
प्रोसेस सर्वर	9	2	7
भृत्य	51	22	29
फर्राश	5	2	3
चौकीदार	8	0	8
स्वीपर (अंशकालीन)	6	6	0

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - पैंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 250) की जानकारी

Directotare of public relation
Government of chhattisgarh
Raipur

प्रपत्र

विधानसभा प्रश्न कमांक 250 की जानकारी वर्ष 2024–25 वर्गीकृत विज्ञापन

विभागवार व्यय राशि (राशि रूपये में)

S.no	Dept Name	RO Amt
1	आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	3570910.22
2	आवास एवं पर्यावरण विभाग	589954.32
3	उच्च शिक्षा विभाग	813715.84
4	उद्यानिकी विभाग	212929.68
5	ऊर्जा विभाग	23476
6	कृषि विभाग	468616.48
7	खनिज साधन विभाग	238673.24
8	खेल और युवक कल्याण विभाग	848186
9	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	102667.84
10	ग्रामोद्योग विभाग	298323.6
11	गृह विभाग	3035572.22
12	जनसंपर्क विभाग	257952.08
13	जेल विभाग	326387.48
14	जल संसाधन विभाग	14376217.26
15	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	1496038.92
16	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	415309.08
17	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	3883035.12
18	परिवहन विभाग	30210.24
19	पशुपालन विभाग	338288.8
20	मछली पालन विभाग	197662.32
21	महिला एवं बाल विकास विभाग	1429091.68
22	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग	19932
23	राजस्व विभाग	3473811.32
24	लोक निर्माण विभाग	15715500.48
25	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	6338756.32
26	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	5336520.88
27	वन विभाग	7914589.48
28	वाणिज्य और उद्योग विभाग	80390.24
29	वाणिज्यिक कर विभाग	1661323.44
30	वित्त विभाग	77229.6
31	विधि और विधायी कार्य विभाग	1521638.72
32	विमानन विभाग	48958.96
33	श्रम विभाग	112899.04
34	स्कूल शिक्षा विभाग	531614.16
35	समाज कल्याण विभाग	176248.8
36	संस्कृति विभाग	87538.16
37	सहकारिता विभाग	48796.64
38	सामान्य प्रशासन	4020095.16
	Total amount	**80119061.82**

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल ... (छत्तीसगढ़)

Directotare of public relation
Government of chhattisgarh
Raipur

विधानसभा प्रश्न कमांक 250 की जानकारी वर्ष 2024–25 वर्गीकृत विज्ञापन

राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में व्यय राशि (राशि रूपये में)

S.no	News Paper	Edition	RO Amt
1	AMBIKAVANI	AMBIKAPUR	18624.48
2	CHHATTISGARH FRONTLINE	AMBIKAPUR	242818.12
3	DAINIK ADITYA SAMAYA	Ambikapur	240500.64
4	GHATATI GHATANA	AMBIKAPUR	140048.4
5	RIHAND TIMES	AMBIKAPUR	220471.68
6	AMBIKAVANI	BAIKUNTHPUR	5398.4
7	NEWS CREATION	BHILAI	102377.92
8	PURAB TIMES	BHILAI	504
9	SHRAM BINDU	BHILAI	141428.16
10	SHREE KANCHANPATH	bhilai	143843.92
11	AAJ KI JNADHARA	bilaspur	87640
12	AGRADOOT	BILASPUR	107115.04
13	AMRIT SANDESH	BILASPUR	253574.4
14	CHHATTISGARH WATCH	Bilaspur	197550
15	DABANG DUNIYA	BILASPUR	112760.64
16	DAINANDANI	bilaspur	135016.64
17	DAINIK BHASKAR	BILASPUR	1967660.8
18	DESHBANDHU	BILASPUR	252099.04
19	EVENING TIMES	BILASPUR	173326.32
20	EXPRESS NEWS	BILASPUR	126520.32
21	HARIBHOOMI	BILASPUR	5150203.6
22	KAHI ANKAHI	BILASPUR	135555.92
23	LOKSWAR	BILASPUR	117452.48
24	NAIDUNIA	BILASPUR	653382.16
25	NAV PRADESH	BILASPUR	902114.8
26	NAVBHARAT	BILASPUR	5588256.4
27	PATRIKA	BILASPUR	1107709.92
28	SATHI SANDESH	BILASPUR	131379.92
29	SWADESH	BILASPUR	205452.48
30	TARUNPATH	BILASPUR	156602.96
31	VIPRA EXPRESS	BILASPUR	144763.68
32	PRADESH DAIRY	Billaspur	31740
33	BASTAR IMPACT	DANTEWADA	591056.96
34	PRAKHAR SAMACHAR	DHAMTARI	376640
35	CHINTAK	DURG	221546.64
36	DAINIK SAMAY DARSHAN	DURG	153842.08
37	DAINIK SATHI SANDESH	DURG	178725.44
38	PAHAT	DURG	145202.64
39	EKSAT BULETIN	GAURELA PENDRA MARVAHI	124019.52
40	CHANNEL INDIA	JAGDALPUR	285951.2
41	DANDKARANYA SAMACHAR	JAGDALPUR	365078.08
42	HIGHWAY CHANNEL	JAGDALPUR	251761.52

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

43	HINDSAT	JAGDALPUR	239967.04
44	KARM KRANTI	JAGDALPUR	218045.32
45	PRAKHAR SAMACHAR	JAGDALPUR	241076.08
46	PRATAH INDIA	JAGDALPUR	250615.92
47	KELO PRAVAH	JANJGIR CHAMPA	6400
48	MOOL MANTRA	JANJGIR CHAMPA	84709.68
49	DAINIK CHHATTISGARH EXPRESS	janjgir-champa	84705.44
50	SAMVAD SADHNA	janjgir-champa	68116.72
51	JASHPURANCHAL	JASHPUR	152953.92
52	KARM KRANTI	KONDAGAON	175440
53	CHHATTISGARH GAURAV	KORBA	64608.64
54	CHHATTISGARH VAIBHAV	KORBA	61237.84
55	KARNAPRIYA	KORBA	4588.64
56	KORBA BALKO TIMES	KORBA	77830.32
57	LOK SADAN	KORBA	69600.64
58	MITAN	KORBA	96444
59	NAV-URJA	KORBA	45690.08
60	RASHTRIYA VIJAY MAIL	KORBA	57217.04
61	SAMVAD SADHNA	KORBA	66093.76
62	SANDHYA SAMIKSHAK SAMACHAR	KORBA	69061.44
63	TARUN CHHATTISGARH	KORBA	100627.76
64	SAMYAK KRANTI	KORIYA	153766.72
65	SAMVAD SADHNA	MAHASAMUND	223777.36
66	ISPAT TIMES	RAIGARH	128972.4
67	JANKARM	RAIGARH	93921.68
68	KELO PRAWAH	RAIGARH	46160
69	KRANTIKARI SANKET	raigarh	85283.68
70	NAVEEN KADAM	RAIGARH	145606
71	RAIGARH SANDESH	RAIGARH	1369.6
72	AAJ KA ALAP	RAIPUR	154439.2
73	AAJ KI JANDHARA	RAIPUR	414087.52
74	ADITYA BHARAT	raipur	23334.24
75	AGRADOOT	RAIPUR	221890.08
76	ALMUKANDAS URDU	RAIPUR	97292.64
77	AMRIT SANDESH	RAIPUR	1020993.76
78	BHARAT BHASKAR	RAIPUR	73375.84
79	BHASKAR DOOT	RAIPUR	76440
80	BULAND MIDIA	raipur	3600
81	CENTRAL CHRONICLE	RAIPUR	622280.32
82	CHANNEL INDIA	RAIPUR	44129.6
83	CHHATTISGARH	RAIPUR	428159.52
84	CHHATTISGARH EXPRESS	raipur	41273.28
85	CHHATTISGARH WATCH	RAIPUR	374905.6
86	CHOICE TIMES	RAIPUR	217232.16
87	DABANG SWAR	raipur	28260
88	DAINANDINI	RAIPUR	85222.44
89	DAINIK AMAN PATH	RAIPUR	171421.44
90	DAINIK BHASKAR	RAIPUR	8755815.12
91	DAINIK DABANG DUNIYA	RAIPUR	132650.96
92	DAINIK SAMAY DARSHAN	RAIPUR	6746.56
93	DAINIK VISHWA PARIVAR	Raipur	331893.04

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

94	DANDAKARANYA SAMACHAR	RAIPUR	1889.44
95	DESHBANDHU	RAIPUR	779363.2
96	EK SANDESH	RAIPUR	83486.08
97	EK SAT	RAIPUR	56649.6
98	EXPRESS YOUNG INDIA	raipur	20880
99	HAK AUR INSAF	RAIPUR	12000
100	HARIBHOOMI	RAIPUR	11016288.04
101	HIGHWAY CHANNEL	RAIPUR	256716.84
102	ISPAT TIMES	RAIPUR	14844.8
103	JANMAT MANCH	RAIPUR	944.16
104	JANTA SE RISTHA	RAIPUR	302001.36
105	KAHI ANKAHI	RAIPUR	51278.32
106	KALYUG KA BHARAT	RAIPUR	85151.12
107	KHABAR EXPRESS (URDU)	RAIPUR	39804.4
108	KUBER BHOOMI	RAIPUR	103800
109	LOKAMAYA	RAIPUR	239330.68
110	LOKSHAKTI	RAIPUR	118483.84
111	MADAV EXPRESS	RAIPUR	37800
112	MAHAKAUSHAL	RAIPUR	166506.9
113	NAIDUNIA	RAIPUR	1337673.68
114	NAV PRADESH	RAIPUR	1696457.56
115	NAVBHARAT	RAIPUR	13631263.76
116	NEDAY MUSLIM	RAIPUR	43920
117	PATRIKA	RAIPUR	3113870
118	PEOPLES SAMACHAR	raipur	6744
119	PIONEER HINDI	RAIPUR	405780.24
120	POINEER	RAIPUR	377825.84
121	PRADESH TODAY	RAIPUR	45476.16
122	PRAKHAR SAMACHAR	RAIPUR	304086.96
123	PRATIDIN RAJDHANI	RAIPUR	136720
124	RAIPUR DARSHAN	RAIPUR	167880
125	ROZGAR AUR NIYOJAN	RAIPUR	4093056
126	SAMACHAR LOK	RAIPUR	99316.64
127	SAMACHAR PACHISA	raipur	83476
128	SAMVET SHIKHAR	RAIPUR	161117.76
129	SATHI SANDESH	raipur	19837.6
130	SUBAH KA PRAHARI	RAIPUR	109711.52
131	SWADESH	RAIPUR	443298.4
132	SWATANTRA SWAR	RAIPUR	70210
133	TARUN CHHATTISGARH	RAIPUR	226700.88
134	THE HITAVADA	RAIPUR	382873.92
135	TIMES OF INDIA	RAIPUR	278706.48
136	TRUE SOLDIER	RAIPUR	29673.6
137	UTKAL MAIL	RAIPUR	63626.6
138	VISHWA DIRGHA	RAIPUR	5700
139	VISION WATCH	RAIPUR	475436.48
140	CHHATTISGARH JHALAK	RAJNANDGAON	193359.36
141	DAVA	RAJNANDGAON	223053.84
142	DEEP JAGRITI	RAJNANDGAON	46080
143	NANDGAON TIMES	RAJNANDGAON	82016
144	SABERA SANKET	RAJNANDGAON	249845.4
		Total Amount	**80119061.82**

अनुभाग अधिकारी
जन सम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

परिशिष्ट - छैसठ
अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 251) की जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ प्रदेश में 01 अप्रैल 2025 से 19.06.2025 तक की स्थिति में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकान एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 से दुकानों की संख्या में वृद्धि की जानकारी (जिला एवं प्रकारवार जानकारी)

संचालित मदिरा दुकानों की जानकारी				वित्तीय वर्ष 2024-25 से दुकानों की संख्या में वृद्धि की जिलावार व प्रकारवार जानकारी
क्र.	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26 (दिनांक 19.06.2025 तक)	वर्ष 2025-26 (दिनांक 19.06.2025 तक)
	जिले का नाम	योग	योग	योग
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	रायपुर	78	78	0
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	27	27	0
3	गरियाबंद	15	15	0
4	महासमुंद	39	39	0
5	धमतरी	27	27	0
6	दुर्ग	63	63	0
7	बालोद	18	18	0
8	बेमेतरा	16	17	1
9	राजनांदगांव	17	17	0
10	मोहला मानपुर अं.चौकी	4	4	0
11	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	8	8	0
12	कबीरधाम	23	23	0
13	जगदलपुर	5	5	0
14	नारायणपुर	2	2	0
15	कोंडागांव	5	5	0
16	कांकेर	12	12	0
17	दंतेवाड़ा	5	5	0
18	बीजापुर	5	5	0
19	सुकमा	4	4	0
20	बिलासपुर	66	66	0
21	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	3	3	0
22	मुंगेली	15	15	0
23	जांजगीर-चांपा	48	48	0
24	सक्ती	18	18	0
25	कोरबा	37	37	0
26	रायगढ़	36	36	0
27	सारगढ़-बिलाईगढ़	21	21	0
28	जशपुर	11	11	0
29	सरगुजा	8	8	0
30	बलरामपुर-रामानुजगंज	5	5	0
31	सूरजपुर	10	10	0
32	कोरिया	5	5	0
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	18	18	0
योग		674	675	1

परिशिष्ट - सड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 275) की जानकारी

"प्रपत्र–अ"

कोंडागांव जिले अंतर्गत खनिज न्यास निधि से वर्ष 2023–24 से दिनांक 20 जून, 2025 तक स्वीकृत कार्यो की वर्षवार, कार्यवार, राशिवार जानकारी

वित्तीय वर्ष 2023–24 **(राशि लाख रूपये में)**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	जिले के पशु चिकित्सा विशेषज्ञों को दिये जाने वाले मानदेय भुगतान	सर्व विकासखंड	49.11
2	जिले में मवेशियों को रोग लम्पी स्किन डिसीज वायरस (एलएसडी) के संक्रमण से बचाने टीकाद्रव्य क्रय हेतु।	सर्व विकासखंड	5.00
3	ग्राम पंचायत सिंघनपुर में आर.सी.सी. पुलिया स्लेब निर्माण	कोण्डागांव	6.00
4	ग्राम पंचायत चौड़ंग में आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	8.00
5	वि.ख कोण्डागांव के विभिन्न ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	20.00
6	प्राथमिक शाला जोंदरापदर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	18.84
7	वि.ख कोण्डागांव के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सी.सी.सड़क निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	38.50
8	वि.ख कोण्डागांव के ग्राम पंचायत धनपुर एवं बनसिरसी में आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	14.00
9	वि.ख कोण्डागांव में रोजगार मेला आयोजन हेतु।	कोण्डागांव	2.00
10	विकासखण्ड कोण्डागांव के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सी.सी.सड़क, नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	77.50
11	ग्राम पंचायत होनावण्डी, पारोण्ड एवं खरगांव में नाली, शेड एवं पुलिया निर्माण	बड़ेराजपुर	14.00
12	ग्राम पंचायत कोसमी एवं सरगीपाल (पिटेचुआ) में आर.सी.सी.पुलिया निर्माण	बड़ेराजपुर	14.00
13	ग्राम पंचायत जोड़ेकेरा में सी.सी.सड़क निर्माण कार्य।	बड़ेराजपुर	10.00
14	रोजगार मेला आयोजन हेतु।	बड़ेराजपुर	2.00
15	विभिन्न ग्राम में नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य।	बड़ेराजपुर	8.00
16	विभिन्न ग्राम पंचायतों में सी.सी.रोड एवं पुलिया निर्माण कार्य ।	बड़ेराजपुर	30.00
17	ग्राम पंचायत हात्मा में अभिसरण् मद के तहत आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य।	बड़ेराजपुर	1.56
18	आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य बोकराबेड़ा	फरसगांव	19.91
19	वि.ख फरसगांव के विभिन्न ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी निर्माण कार्य।	फरसगांव	48.00
20	ग्राम पंचायत आलोर में आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य।	फरसगांव	7.00
21	रोजगार मेला आयोजन हेतु।	फरसगांव	2.00
22	विभिन्न ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य ।	फरसगांव	21.00
23	ग्राम पंचायत बेड़मा गौठान स्थल में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु।	केशकाल	5.55
24	ग्राम पंचायत बेड़मा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	केशकाल	18.53
25	ग्राम पंचायत कुएं में आर.सी.सी ह्युम पाईप पुलिया निर्माण कार्य।	केशकाल	22.43
26	विभिन्न ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी निर्माण कार्य।	केशकाल	22.00
27	प्री–मेट्रिक बालक छात्रावास बहीगांव में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य।	केशकाल	9.24

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
28	ग्राम पंचायत कुएं (कुमुड) में आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य।	केशकाल	7.00
29	वि.ख केशकाल में रोजगार मेला आयोजन हेतु।	केशकाल	2.00
30	ग्राम पंचायत मस्सुकोकोड़ा में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	केशकाल	9.00
31	ग्राम पंचायत आंवरी में आर0सी0सी0पुलिया निर्माण कार्य।	केशकाल	9.00
32	ग्राम बालोण्ड में सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य।	माकड़ी	6.00
33	ग्राम पंचायत शामपुर के दंतेश्वरी माता मंदिर में आहता निर्माण कार्य।	माकड़ी	8.50
34	रोजगार मेला आयोजन हेतु।	माकड़ी	2.00
35	विभिन्न ग्राम पंचायतों में सी.सी.सड़क, आहता एवं पुलिया निर्माण कार्य।	माकड़ी	26.00
36	ग्राम पंचायत अनतपुर एवं कोठरलीबेड़ा में आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य।	माकड़ी	32.75
37	ग्राम लंजोड़ा में बुद्ध विहार परिसर में अतिरिक्त कक्ष शौचालय एवं हैण्डपंप निर्माण कार्य।	फरसगांव	11.40
38	ग्राम पंचायत टेकापाल (पुगारपाल) के प्राथमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	कोण्डागांव	4.39
39	ग्राम पंचायत कुल्हाड़गांव के प्राथमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	फरसगांव	3.00
40	ग्राम पंचायत कोसागांव के प्राथमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	फरसगांव	3.90
41	केन्द्रीय विद्यालय कोण्डागांव में फर्नीचर सामग्री क्रय हेतु।	कोण्डागांव	0.86
42	जिला सहकारी बैंक कोण्डागांव में अतिरिक्त सिविल कार्य।	कोण्डागांव	10.00
43	ग्राम पंचायत बफना,नेवता एवं कोकोड़ी में स्टापडेम मरम्मत,गेट एवं करी शटर निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	98.95
44	ग्राम पंचायत नेवता वं कोकोड़ी में स्टापडेम मरम्मत और गेट निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	46.42
45	माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कोकोड़ी में जल प्रदाय हेतु बल्लारी नाले में जेकवेल निर्माण, टायलेट ब्लॉक, सेपटिक टैंक तथा सेनेटरी इंस्टालेंशन कार्य।	कोण्डागांव	48.64
46	माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कोकोड़ी में बल्लारी नाले के जेकवेल में प्लांट तक जल प्रदाय हेतु पाईप लाईन बिछाने कार्य।	कोण्डागांव	49.72
47	मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल (डी.ए.व्ही) भवन बड़ेडोंगर का मरम्मत कार्य।	फरसगांव	10.00
48	माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कोकोड़ी को जल प्रदाय करने हेतु बोरवेल खनन एवं पंप स्थापना कार्य।	कोण्डागांव	49.25
49	माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कोकोड़ी हेतु सम्पवेल चौकीदार आवास, बाउण्ड्रीवॉल, टायलेट ब्लॉक एवं पाईप कनेक्शन कार्य।	कोण्डागांव	90.14
50	जिले में केन्द्रीय ग्रंथालय स्थापना करने हेतु भवन निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	281.12
51	कोरगांव में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना कार्य।	बड़ेराजपुर	50.00
52	शामपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना कार्य।	माकड़ी	50.00
53	बालक आश्रम–छात्रावास कोनगुड़ एवं मैनपुर में छत मरम्मत कार्य।	फरसगांव	6.86
54	एस.एल.आर सेंटर में गोबर खरीदी हेतु विभिन्न निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	30.96
55	नगरीय निकाय कोण्डागांव अंतर्गत वेंडिग मशीन एवं प्लास्टिक क्रसर मशीन क्रय हेतु।	कोण्डागांव	14.00
56	नगरीय निकाय कोण्डागांव क्षेत्रांतर्गत शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड में सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	10.00
57	नगरीय निकाय कोण्डागांव में डीएनके वार्ड क्र0–11 में सी.सी.रोड एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र0–03 में पुलिया निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	10.00
58	नगर पंचायत फरसगांव अंतर्गत वार्ड क्र0 06 एवं 07 में शॉपिंग कॉम्पलेक्स निर्माण कार्य।	फरसगांव	52.17
59	विभिन्न ग्राम पंचायतों में कृषि सिंचाई हेतु नलकूप खनन एवं पंप स्थापना कार्य।	कोण्डागांव	17.50
60	विभिन्न ग्राम पंचायतों में कृषि सिंचाई हेतु नलकूप खनन एवं पंप स्थापना	कोण्डागांव	17.50

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
संचालनालय, अटल नगर-492002

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
	कार्य।		
61	जिले के सभी विकासखण्डो में किसानों के सिंचाई क्षेत्र विस्तार हेतु नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन कार्य ।	सर्व विकासखंड	99.75
62	विभिन्न ग्राम पंचायतों में राम वन गमन पथ पर प्रवेश द्वारा एवं अन्य निर्माण कार्य।	केशकाल, फरसगांव	26.85
63	टाटामारी केशकाल वनमंडल में मिलेट कैफे स्थापना कार्य।	केशकाल	20.00
64	टाटामारी में चैनलिंक फेंसिंग फेबिकेटेड कॉटेज फ्रंट वैली हिस्से में सीमेंट रेलिंग उद्यान विकास फेब्रिकेटेड कॉटेज हेतु सामग्री एवं बोर खनन कार्य।	केशकाल	30.00
65	मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कोकोड़ी में वृक्षारोपण मय सौंदर्यीकरण काय।	कोण्डागांव	5.00
66	जिले में समर कैंप आयोजन हेतु ।	सर्व विकासखंड	15.00
67	कोण्डागांव जिले में एकल शिक्षकीय/शिक्षक विहीन शालाओं में कोचिंग ट्युटरों के मानदेय/वेतन भुगतान हेतु।	सर्व विकासखंड	198.96
68	जिले में प्रतियोगी परीक्षा इंजीनियरिंग प्रवेश एवं मेडिकल (नीट) की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय कोचिंग संचालन कार्य	सर्व विकासखंड	59.42
69	जिले में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय नीट/जे.ई.ई. कोचिंग संस्था में मेस संचालन कार्य	सर्व विकासखंड	4.83
70	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत कुपोषित बच्चों को अण्डा एवं केला वितरण कार्य।	सर्व विकासखंड	30.76
71	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञों, स्टॉफ नर्सो, एएनएम एवं अन्य मेडिकल स्टॉफ के मानदेय/वेतन भुगतान हेतु।	सर्व विकासखंड	200.91
72	जीवन दीप समिति द्वारा जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्रो में पदस्थ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) को मानदेय भुगतान।	सर्व विकासखंड	12.02
73	उप स्वास्थ्य केन्द्र सवाला में टीन शेड निर्माण कार्य।	केशकाल	4.48
74	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केशकाल में विद्युतीकरण कार्य।	केशकाल	31.83
75	विश्रामपुरी में 50 बिस्तरीय कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य।	बड़ेराजपुर	34.95
76	जिले में दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय हेतु।	सर्व विकासखंड	38.32
77	उद्यानिकी रोपणी नर्सरी में आहता,शेडनेट मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य ।	फरसगांव	35.00
78	जिले में अग्निवीर वायु एवं अग्निवीर थल सेना भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा पूर्व निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण कार्य ।	सर्व विकासखंड	6.86
79	जिले में पेयजल समस्या हेतु विभिन्न ग्राम पंचायतों में नलकूप खनन कार्य।	सर्व विकासखंड	70.00

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

वित्तीय वर्ष 2024–25 (राशि लाख रूपये में)

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	ग्राम कन्हारगांव में 1590 रनिंग मीटर में चैनलिंक फेंसिंग कार्य।	फरसगांव	18.18
2	ग्राम कन्हारगांव में 4380 रनिंग मीटर में चैनलिंक फेंसिंग कार्य।	फरसगांव	50.22
3	वि.ख फरसगांव के ग्राम चिंगनार में 3270 रनिंग मीटर में चैनलिंक फेंसिंग कार्य।	फरसगांव	37.36
4	विभिन्न ग्राम पंचायतों में समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु ट्री गार्ड स्थापना कार्य।	केशकाल	1.60
5	विभिन्न ग्राम पंचायतों में समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु ट्री गार्ड स्थापना कार्य।	फरसगांव	1.60
6	विभिन्न ग्राम पंचायतों में समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु ट्री गार्ड स्थापना कार्य।	बड़ेराजपुर	1.60
7	विभिन्न ग्राम पंचायतों में समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु ट्री गार्ड स्थापना कार्य।	माकड़ी	2.00
8	विभिन्न ग्राम पंचायतों में समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु ट्री गार्ड स्थापना कार्य।	कोण्डागांव	1.60
9	संवदेनशील क्षेत्र बयानार एवं मर्दापाल में समुदाय के लिए सोलर वॉटर टेंक स्थापना कार्य।	कोण्डागांव	17.86
10	संवदेनशील क्षेत्र उरन्दाबेड़ा एवं बड़ेडोंगर में समुदाय के लिए सोलर वॉटर टेंक स्थापना कार्य।	फरसगांव	17.86
11	संवदेनशील क्षेत्र अनंतपुर एवं माकड़ी में समुदाय के लिए सोलर वॉटर टेंक स्थापना कार्य।	माकड़ी	17.86
12	जिले में युवाओं को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्री क्रय हेतु।	सर्व विकासखंड	2.86
13	जुडो संस्था एवं बाल कल्याण विकास संस्था हेतु जुडो सामग्री क्रय।	कोण्डागांव	7.93
14	जिले में युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने तीरंदाजी खेल सामग्री एवं किट क्रय हेतु।	कोण्डागांव	64.25
15	जिले में युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने टेबल–टेनिस सामग्री क्रय हेतु।	कोण्डागांव	5.18
16	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत चिकित्सको एवं नर्सो को मानदेय/वेतन भुगतान।	सर्व विकासखंड	310.62
17	जिला चिकित्सालय/एमसीएच एवं सामु./प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सा विशेषज्ञों नर्सो, एएनएम एवं अन्य कर्मचारियों के मानदेय/वेतन भुगतान हेतु।	सर्व विकासखंड	63.66
18	जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों की सुविधा के लिए 03 नग एम्बुलेंस एवं 03 नग शव वाहन क्रय हेतु।	सर्व विकासखंड	89.97
19	जिले में कृत्रिम गर्भधान हेतु तरल क्रयोकेन क्रय कार्य।	सर्व विकासखंड	14.05
20	जिले में 16 पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को मानदेय/वेतन भुगतान	सर्व विकासखंड	44.83
21	शासकीय उच्च प्राथमिक शाला चेमा भवन निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	19.23
22	गाम पंचायत बनियागांव के माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	19.23
23	ग्राम पंचायत भोगाड़ी में आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य	कोण्डागांव	36.99
24	ग्राम पंचायत बानगांव में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	फरसगांव	3.47
25	ग्राम पंचायत पीढ़ापाल में शा.प्रा.शाला भवन एवं आंगनबाड़ी भवन (बुडरा) का मरम्मत कार्य।	माकड़ी	3.77
26	ग्राम पंचायत भानपुरी में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य।	फरसगांव	16.24
27	जर्जर/डिस्टमेंटल एवं भवन विहीन प्राथमिक शालाओं का अभिसरण मद के	बड़ेराजपुर	33.54

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अरण्य नगर-492002

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
	तहत जीर्णोद्धार कार्य।		
28	वि.ख केशकाल के जर्जर/ डिस्टमेंटल एवं भवन विहीन प्राथमिक शालाओं का अभिसरण मद के तहत जीर्णोद्धार कार्य।	केशकाल	29.90
29	जर्जर/डिस्टमेंटल एवं भवन विहीन प्राथमिक शालाओं का अभिसरण मद के तहत जीर्णोद्धार कार्य।	फरसगांव	15.50
30	ग्राम पंचायत उमरादाह के आश्रित ग्राम मातेंगा में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य।	केशकाल	5.00
31	जिला मुख्यालय के विभिन्न शैक्षणिक एवं खेल संस्थाओं में विद्युतीकरण कार्य।	कोण्डागांव	42.57
32	जिला मुख्यालय कोण्डागांव के टेबल–टेनिस हॉल एवं बिल्डिंग में विद्युतीकरण कार्य।	कोण्डागांव	9.17
33	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मर्दापाल में 82.5 के0व्ही0ए0 डीजल जनरेटर सेट स्थापना कार्य।	कोण्डागांव	20.22
34	जिला अस्पताल कोण्डागांव में स्वास्थ्य सुविधाऐं हेतु विभिन्न निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	28.33
35	माध्यमिक शाला चिपावण्ड में डायनिंग हॉल एवं किचन कक्ष निर्माण कार्य	कोण्डागांव	11.66
36	समुदाय के लिए जिला पंचायत परिसर के समीप सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	12.60
37	गाम पंचायत घोड़ागांव के हाई स्कूल में आहता निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	19.29
38	विभिन्न ग्राम पंचायतों में सी.सी.सड़क निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	112.00
39	ग्राम चिचपोलंग में अभिसरण मद के तहत आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	1.74
40	विभिन्न ग्राम पंचायतों में अभिसरण मद के तहत समुदाय के लिए सीमेंट कांक्रीट रोड़ निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	12.00
41	विभिन्न ग्राम पंचायतों में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	75.00
42	विभिन्न ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी.पुलिया एवं सी.सी.सड़क निर्माण कार्य	कोण्डागांव	29.00
43	कोण्डागांव जिले में एकल शिक्षकीय/शिक्षक विहीन शालाओं में कोचिंग ट्युटरों के मानदेय/वेतन भुगतान ।	संपूर्ण जिला	127.12
44	केन्द्रीय ग्रंथालय महाविद्यालय परिसर कोण्डागांव में पुस्तक क्रय हेतु।	कोण्डागांव	21.94
45	विभिन्न विद्यालयों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शिनी कार्य।	कोण्डागांव	3.19
46	विभिन्न विद्यालयों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शिनी कार्य।	फरसगांव	3.19
47	विभिन्न विद्यालयों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शिनी कार्य।	बड़ेराजपुर	3.19
48	विभिन्न विद्यालयों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शिनी कार्य।	केशकाल	3.19
49	विभिन्न विद्यालयों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शिनी कार्य।	माकड़ी	3.19
50	जिले के सभी विकासखंड में एकल शिक्षकीय/शिक्षक विहीन शालाओं में कोचिंग ट्युटरों के मानदेय/वेतन भुगतान हेतु।	सर्व विकासखंड	91.80
51	जिले में सी.जी.पी.एस.सी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कोचिंग संचालन कार्य।	कोण्डागांव	65.00
52	जिले के खिलाड़ियों एवं एन.सी.सी.के छात्र–छात्राओं को हिमालय बीर बिलिंग युवा महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित कराने पर व्यय हेतु।	सर्व विकासखंड	4.41
53	जिला मुख्यालय कोण्डागांव स्थित बंधा तालाब गार्डन का पुनर्विकास कार्य।	कोण्डागांव	94.95
54	जिला मुख्यालय कोण्डागांव स्थित बंधा तालाब में मरम्मत एवं पुनर्विकास कार्य।	कोण्डागांव	84.36
55	जिला मुख्यालय स्थित वार्ड क्र0–10 प्रेमनगर वार्ड के मण्डी चौक से पुराना पुलिस लाईन हेलीपेड ग्राउण्ड तक सी.सी.पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	49.78
56	जिला मुख्यालय कोण्डागांव में स्थित सेन्ट्रल लाईब्रेरी का निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	5.45
57	समुदाय के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन में स्वास्थ्य केन्द्र भवन का जीर्णोद्धार कार्य	कोण्डागांव	10.00

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
58	जिला कोण्डागांव के ऑडिटोरियम हॉल से जूडो कैंप तक सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	कोण्डागांव	30.08
59	ऑडिटोरियम कोण्डागांव के पीछे हाई मास्ट फ्लड लाईटिंग कार्य।	कोण्डागांव	9.44
60	हाईस्कूल मरम्मत कार्य रांधना	माकड़ी	5.85
61	ग्राम पंचायत अनंतपुर के माध्यमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	माकड़ी	3.81
62	ग्राम केरावाही जलाशय में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा एवं समूहों के आजीविका संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य।	माकड़ी	6.00
63	विभिन्न ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी.पुलिया एवं सी.सी.सड़क निर्माण कार्य	माकड़ी	21.00
64	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय बोरगांव में योगा शेड एवं आहता निर्माण कार्य।	फरसगांव	5.90
65	ग्राम पंचायत कोसागांव में डिजीटल लाईब्रेरी स्थापना कार्य।	फरसगांव	5.50
66	आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य गोडिनबही नाला ग्राम पंचायत सिरसीकलार	फरसगांव	10.00
67	प्राथमिक शाला भवन एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का मरम्मत कार्य।	बड़ेराजपुर	30.62
68	ग्राम पंचायत कोरगांव हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन में अतिरिक्त कक्ष एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य।	बड़ेराजपुर	23.20
69	ग्राम पंचायत पारोण्ड में सी.सी.सड़क निर्माण कार्य।	बड़ेराजपुर	9.00
70	ग्राम पंचायत पेन्ड्रावन में आर.सी.सी.पुलिया एवं पारोण्ड में सी.सी.सड़क निर्माण कार्य।	बड़ेराजपुर	15.00
71	ग्राम पंचायत खरगांव में पुलिया निर्माण कार्य।	बड़ेराजपुर	7.00
72	ग्राम पंचायत माड़गांव में आर.सी.सी.स्लैब पुलिया सह रिटर्नवाल निर्माण कार्य।	केशकाल	34.58
73	प्रवेश द्वार केशकाल घाटी में बस्तर संभाग के पर्यटन स्थलों, कला कृतियों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु पेंटिंग कार्य।	केशकाल	20.00
74	विभिन्न ग्राम पंचायतों में अभिसरण मद के तहत समुदाय के लिए सीमेंट कांक्रीट रोड, पुलिया एवं वर्कशेड निर्माण कार्य।	केशकाल	31.50
75	टाटामारी ईको पर्यटन केन्द्र केशकाल में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा एवं समूहों के आजीविका हेतु विभिन्न कार्य।	केशकाल	6.00
76	ग्राम पंचायत होनहेड़ में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	केशकाल	15.61
77	ग्राम पंचायत कोसमी के आश्रित ग्राम चनाभर्री कमार पारा में सोलर ड्युल पंप स्थापना कार्य।	बड़ेराजपुर	7.13
78	ग्राम पंचायत धनोरा में 01 नग सोलर हाई मास्ट लाईट स्थापना कार्य।	केशकाल	5.38
79	कोण्डागांव निकाय क्षेत्रांतर्गत बंधापारा वार्ड 13 में कनेरा रोड से हाउसिंग बोर्ड कालोनी तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	19.48
80	शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड क्र0–15 में 01 नग बोर खनन कार्य।	कोण्डागांव	1.96
81	नगरीय निकाय कोण्डागांव क्षेत्रांतर्गत विकासनगर वार्ड क्र0–08 में उद्यान का विकास कार्य।	कोण्डागांव	40.22
82	नगरीय निकाय कोण्डागांव क्षेत्रांतर्गत अम्बेडकर वार्ड क्र0 16 में तालाब गहरीकरण कार्य।	कोण्डागांव	20.00
83	नगरीय निकाय कोण्डागांव क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डो में सी.सी.सड़क निर्माण कार्य। कार्य संख्या–04	कोण्डागांव	52.48
84	नगर पंचायत फरसगांव क्षेत्रांतर्गत सी.सी.रोड निर्माण कार्य	फरसगांव	30.01
85	कोण्डागांव निकाय क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डो में 20 नग हाईब्रिड हाई मास्क लाईट स्थापना कार्य।	कोण्डागांव	99.20
86	ईको पर्यटन केन्द्र टाटामारी केशकाल में बोर खनन कार्य (पाईप लाईन सहित)	केशकाल	8.00
87	ईको पर्यटन केन्द्र टाटामारी केशकाल में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	केशकाल	45.80

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
88	ईको पर्यटन केन्द्र टाटामारी केशकाल में पॉथवे निर्माण कार्य	केशकाल	9.74
89	ईको पर्यटन केन्द्र टाटामारी केशकाल में पर्यटन एवं खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्य।	केशकाल	20.59
90	जिला कोण्डागांव में पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए गोदना प्रशिक्षण कार्य।	कोण्डागांव	30.00
91	जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत कुपोषित बच्चों को आहार हेतु केला एवं अण्डा प्रदाय कार्य।	सर्व विकासखंड	28.71
92	वि.ख माकड़ी के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नलकूप खनन एवं हैण्ड पंप स्थापना कार्य।	माकड़ी	21.00
93	विभिन्न ग्राम पंचायतों में नलकूप खनन एवं हैण्ड पंप स्थापना कार्य।	बड़ेराजपुर	21.00
94	विभिन्न ग्राम पंचायतों में नलकूप खनन एवं हैण्ड पंप स्थापना कार्य।	कोण्डागांव	63.00
95	विभिन्न ग्राम पंचायतों में नलकूप खनन एवं हैण्ड पंप स्थापना कार्य	केशकाल	21.00
96	विभिन्न ग्राम पंचायतों में नलकूप खनन एवं हैण्ड पंप स्थापना कार्य	फरसगांव	23.80

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
...लय, अटल नगर-492002

वित्तीय वर्ष 2025–26(20 जून 2025 तक) (राशि लाख रूपये में)

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	सहकारिता से समृद्धि हेतु दुग्ध कोर्पोरेटिव सोसायटी के लिए आदर्श डेयरी प्रोजेक्ट के संचालन कार्य।	केशकाल	10.03
2	माध्यमिक शाला बेचा एवं प्राथमिक शाला कड़ेनार, तुमड़ीवाल में भवन निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	57.85
3	ग्राम पंचायत बेचा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण एवं ग्राम पंचायत कड़ेनार के उप स्वास्थ्य केन्द्र में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	16.96
4	ग्राम पंचायत बेचा में देवगुड़ी निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	3.00
5	केन्द्रीय विद्यालय भवन कोण्डागांव का जीर्णोद्धार कार्य।	कोण्डागांव	6.96
6	जिला मुख्यालय कोण्डागांव में तीरंदाजी प्रशिक्षण हेतु ऑडिटोरियम के पास खेलो इंडिया लघु केन्द्र भवन में विद्युतीकरण कार्य।	कोण्डागांव	7.24
7	देवखरगांव में मॉडल स्कूल हॉस्टल भवन का पुर्नवास केन्द्र हेतु भवन का विद्युतीकरण कार्य।	कोण्डागांव	6.78
8	केशकाल रोड एन.एच.–30 से टाटामारी तक रोड लाईटिंग कार्य।	केशकाल	18.76
9	देवखरगांव में मॉडल हॉस्टल भवन का पुर्नवास केन्द्र हेतु भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	कोण्डागांव	9.99
10	जिले में पुर्नवास नीति के तहत नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य।	कोण्डागांव	32.78
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनतपुर में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	माकड़ी	5.91
12	ग्राम पंचायत एरला के प्राथमिक शाला भट्टीपारा में आहता निर्माण कार्य।	माकड़ी	4.69
13	आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य आंवरी	केशकाल	48.41
14	जिला अस्पताल कोण्डागांव में आवश्यक अधोसंरचना एवं आर.सी.सी.ड्रेन निर्माण कार्य।	कोण्डागांव	32.91
15	कृषि विज्ञान केन्द्र पूर्वी बोरगांव में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बकरीपालन सुकरपालन हेतु शेड निर्माण एवं पेयजल आपूति हेतु ऑवर हेड टैंक निर्माण कार्य।	फरसगांव	29.48
16	कृषि विज्ञान केन्द्र पूर्वी बोरगांव में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु सुकरपालन, बकरीपालन, हैचरी इकाई स्थापना कार्य। (भाग–02)	फरसगांव	34.76

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

''प्रपत्र–ब''

जिला–कोण्डागांव अंतर्गत गौण खनिज के माध्यम से शासन द्वारा अर्जित आय की विकासखण्डवार जानकारी

वित्तीय वर्ष 2023–24 (राशि रूपये में)

क्रमांक	विकासखण्ड	गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी राशि
1	कोण्डागांव	1195000.00
2	फरसगांव	1809000.00
3	केशकाल	2850000.00
4	बडेराजपुर	350001.00
5	माकडी	-
	योग	**6204001.00**

वित्तीय वर्ष 2024–25 (राशि रूपये में)

क्रमांक	विकासखण्ड	गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी राशि
1	कोण्डागांव	510000.00
2	फरसगांव	1918000.00
3	माकडी	428000.00
4	केशकाल	-
5	बडेराजपुर	-
	योग	**2856000.00**

वित्तीय वर्ष 2025–26(जून 2025 तक) (राशि रूपये में)

क्रमांक	विकासखण्ड	गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी राशि
1	फरसगांव	810000.00
	योग	**810000.00**

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

परिशिष्ट - अड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 283) की जानकारी

प्रपत्र–अ

ग्रेड	दल प्रमुख का विवरण	दल प्रमुख का मानदेय	सहायक कलाकार का मानदेय
ए+++	पद्मविभूषण / पद्भूषण कलाकार (कला / संगीत / नृत्य / नाट्य / गायन के क्षेत्र में) छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन / चिन्हारी पंजीयन अनिवार्य।	71000 / –	5000 / –
ए++	पद्मश्री अथवा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार (कला / संगीत / नृत्य / नाट्य / गायन के क्षेत्र में) छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन / चिन्हारी पंजीयन अनिवार्य।	51000 / –	4000 / –
ए+	राष्ट्रीय स्तर के कलाकार (कला / संगीत / नृत्य / नाट्य / गायन के क्षेत्र में) छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन / चिन्हारी पंजीयन / कार्यक्रम प्रस्तुति का अनुभव न्यूनतम 10 वर्षों। विगत 5 वर्षों तक केन्द्र शासन / अर्द्धशासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कम से कम 3 कार्यक्रम किया हो।	41000 / –	3000 / –
ए 1	राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकार (कला / संगीत / नृत्य / नाट्य / गायन के क्षेत्र में) छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन / चिन्हारी पंजीयन अनिवार्य।	35000 / –	2000 / –
ए	राज्य स्तर के कलाकार (कला / संगीत / नृत्य / नाट्य / गायन के क्षेत्र में) छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन / चिन्हारी पंजीयन / कार्यक्रम प्रस्तुति का अनुभव न्यूनतम 8 वर्ष। विगत 5 वर्षों तक राज्य शासन / अर्द्धशासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा राज्य स्तर के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कम से कम 3 कार्यक्रम किया हो।)	31000 / –	2000 / –
बी+	जिला स्तर के कलाकार (कला / संगीत / नृत्य / नाट्य / गायन के क्षेत्र में) छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन / चिन्हारी पंजीयन / कार्यक्रम प्रस्तुति का अनुभव न्यूनतम 6 वर्ष। विगत 3 वर्षों तक राज्य शासन / अर्द्धशासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा जिला स्तर के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कम से कम 2 कार्यक्रम किया हो।)	21000 / –	1500 / –
बी	स्थानीय / नवोदित कलाकार (कला / संगीत / नृत्य / नाट्य / गायन के क्षेत्र में) छ.ग. फर्म एवं सोसायटी पंजीयन / चिन्हारी पंजीयन / विगत तीन वर्षो तक व्यक्तिगत अथवा समुह / सस्था के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुति का अनुभव।	11000 / –	1000 / –

अनुभाग अधिकारी, संस्कृति विभाग

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र–ब

वित्तीय वर्ष	प्राप्त बजट राशि	कलादल संख्या	स्वीकृत कार्यक्रम संख्या	भुगतान राशि	लंबित भुगतान कलादल	लंबित राशि
2022–23	11.00 करोड़	453	2926	16,01,66,000	0	0
2023–24	15.00 करोड़	383	1781	3,85,23,324	290	5,92,68,102
2024–25	20.00 करोड़	468	2662	10,02,66,507	343	4,73,83,495
2025–26	20.00 करोड़	208	492	1,02,76,000	157	1,26,04,000
योग	**66.00 करोड़**	**1512**	**7861**	**30,92,31,831**	**790**	**11,92,55,597**

अनुभाग अधिकारी,
संस्कृति विभाग

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, पंजीयन,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 290) की जानकारी

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की सूची वर्ष 2025–26

कं.	कार्यालय का नाम	विधानसभा	कार्य का नाम	गाम का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखंड	(राशि रू. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत राजनांदगांव	खुज्जी	आर.सी.सी. पूलिया निर्माण कार्य बरझा टोला से कल्लूटोला मार्ग तक	बरझा टोला	झिथरा टोला	छुरिया	10.00	–
2		खुज्जी	आर.सी.सी. पूलिया निर्माण कार्य थैलिटोला मे शमसानघाट मार्ग पर	थैलिटोला	पठा नढोडगी	छुरिया	13.20	–
3		राजनांदगांव	मेसोनरी चैकडेम क्र. 01	भानपुरी	भानपुरी	राजनांदगांव	34.41	–
4		राजनांदगांव	मेसोनरी चैकडेम क्र. 02	भानपुरी	भानपुरी	राजनांदगांव	34.41	–
5		राजनांदगांव	मेसोनरी चैकडेम क्र. 01	बरगा	बरगा	राजनांदगांव	28.48	–
6		राजनांदगांव	मेसोनरी चैकडेम क्र. 02	बरगा	बरगा	राजनांदगांव	28.33	–
7		राजनांदगांव	मेसोनरी स्टॉपडेम क्र. 01	फरहद	फरहद	राजनांदगांव	33.77	–
8		राजनांदगांव	मेसोनरी स्टॉपडेम क्र. 02	फरहद	फरहद	राजनांदगांव	35.43	–
9		राजनांदगांव	मेसोनरी चैकडेम क्र. 01	परिंकला	परिंकला	राजनांदगांव	30.16	–
10		राजनांदगांव	मेसोनरी चैकडेम क्र. 02	परिंकला	परिंकला	राजनांदगांव	29.32	–
11		राजनांदगांव	मेसोनरी चैकडेम क्र. 03	परिंकला	परिंकला	राजनांदगांव	35.95	–
12		राजनांदगांव	मेसोनरी चैकडेम क्र. 01	डिलापहरी	डिलापहरी	राजनांदगांव	28.28	–
13		डोंगरगढ़	पुलिया निर्माण चारभाठा से बघमर्रा मार्ग पर	चारभाठा	चारभाठा	डोंगरगढ़	7.720	–
14		डोंगरगढ़	पुलिया निर्माण छोटे कुसमी मार्ग पर	कुसमी	कुसमी	डोंगरगढ़	17.25	–
15		डोंगरगढ़	पुलिया निर्माण तोतलभर्री गौठान के पास घोटिया मार्ग	तोतलभर्री	तोतलभर्री	डोंगरगढ़	14.32	–
16	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत राजनांदगांव	राजनांदगांव	1. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण कोढरही नाला प्रेम लाल वर्मा खेत के पास (ग्राम व ग्राम पंचायत डिलापहरी) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	डिलापहरी	डिलापहरी	राजनांदगांव	10.00	–
17		राजनांदगांव	2. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण ढीही खालहे (ग्राम व ग्राम पंचायत कुम्हालोरी) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	कुम्हालोरी	कुम्हालोरी	राजनांदगांव	10.00	–

कं.	कार्यालय का नाम	विधानसभा	कार्य का नाम	गाम का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखंड	(राशि रू. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
18	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत राजनांदगांव	राजनांदगांव	3. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण नलजल बोर भूरी बगीचा (ग्राम व ग्राम पंचायत टेडेसरा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	टेडेसरा	टेडेसरा	राजनांदगांव	10.00	–
19		राजनांदगांव	4. प्रस्तावित कार्य – पुलिया मिर्नाण गउहा नाला शमशान घाट से आगे (ग्राम व ग्राम पंचायत डिलापहरी) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	डिलापहरी	डिलापहरी	राजनांदगांव	10.00	–
20		राजनांदगांव	5. प्रस्तावित कार्य – पुलिया बडे तालाब में (ग्राम व ग्राम पंचायत धर्मापुर) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	धर्मापुर	धर्मापुर	राजनांदगांव	10.00	–
21		राजनांदगांव	6. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण चांदो नहर में (ग्राम व ग्राम पंचायत सिंघोला) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	सिंघोला	सिंघोला	राजनांदगांव	10.00	–
22		राजनांदगांव	7. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण शमशान घाट के पास (ग्राम व ग्राम पंचायत कोपेडीह) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	कोपेडीह	कोपेडीह	राजनांदगांव	10.00	–
23		राजनांदगांव	8. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण वार्ड नं 10 मुख्य मार्ग (ग्राम व ग्राम पंचायत भोथीपारखुर्द) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	भोथीपारखुर्द	भोथीपारखुर्द	राजनांदगांव	10.00	–
24		राजनांदगांव	9. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण रवेली भर्रेगांव मार्ग पर रवेली मुक्तिधाम (ग्राम रवेली व ग्राम पंचायत खैरा र) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	खैरा र	खैरा र	राजनांदगांव	10.00	–

कं.	कार्यालय का नाम	विधानसभा	कार्य का नाम	गाम का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखंड	(राशि रू. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
25		राजनांदगांव	10. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण मुक्तिधाम रोड में (ग्राम व ग्राम पंचायत सांकरा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	सांकरा	सांकरा	राजनांदगांव	10.00	–
26		राजनांदगांव	11. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत खुटेरी) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	खुटेरी	खुटेरी	राजनांदगांव	10.00	–
27		राजनांदगांव	12. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण वार्ड कमांक 10 (ग्राम व ग्राम पंचायत धामनसरा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	धामनसरा	धामनसरा	राजनांदगांव	10.00	–
28	**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत राजनांदगांव**	राजनांदगांव	13. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण जैन बाडी के पास (ग्राम व ग्राम पंचायत ठाकुरटोला) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	ठाकुरटोला	ठाकुरटोला	राजनांदगांव	10.00	–
29		राजनांदगांव	14. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण करिया भर्री सुजीत खेत के पास (ग्राम व ग्राम पंचायत कोटराभाठा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	कोटराभाठा	कोटराभाठा	राजनांदगांव	10.00	–
30		राजनांदगांव	15. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण नालीपार बांध उलट के पारा (ग्राम व ग्राम पंचायत कोटराभाठा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	कोटराभाठा	कोटराभाठा	राजनांदगांव	10.00	–
31		राजनांदगांव	16. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण वार्ड नं 10 तालाब के पास (ग्राम व ग्राम पंचायत तोरनकटटा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	तोरनकटटा	तोरनकटटा	राजनांदगांव	10.00	–

कं.	कार्यालय का नाम	विधानसभा	कार्य का नाम	गाम का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखंड	(राशि रू. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
32	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत राजनांदगांव	राजनांदगांव	17. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण गौठान में (ग्राम बुचीभरदा व ग्राम पंचायत आरला) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	बुचीभरदा	आरला	राजनांदगांव	10.00	–
33		राजनांदगांव	18. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण लखोली बाडी नाला में (ग्राम बेलटिकरी व ग्राम पंचायत कुम्हालोरी) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	बेलटिकरी	कुम्हालोरी	राजनांदगांव	10.00	–
34		राजनांदगांव	19. प्रस्तावित कार्य – सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (ग्राम व ग्राम पंचायत बांकल) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	बांकल	बांकल	राजनांदगांव	20.00	–
35		राजनांदगांव	20. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण कार्य (ग्राम व ग्राम पंचायत ढोढिया) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	ढोढिया	ढोढिया	राजनांदगांव	15.00	–
36		राजनांदगांव	21. प्रस्तावित कार्य – सामुदायिक भवन निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत ढोढिया) कार्य का औचित्य – भवन निर्माण से बाढ पीडितो को विस्थापन में सुविधा होगी।।	ढोढिया	ढोढिया	राजनांदगांव	20.00	–
37		राजनांदगांव	22. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण कार्य (ग्राम व ग्राम पंचायत भर्रेगांव) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	भर्रेगांव	भर्रेगांव	राजनांदगांव	10.00	–
38		राजनांदगांव	23. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण कार्य (ग्राम व ग्राम पंचायत भर्रेगांव) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	भर्रेगांव	भर्रेगांव	राजनांदगांव	7.00	–

कं.	कार्यालय का नाम	विधानसभा	कार्य का नाम	गाम का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखंड	(राशि रू. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
39	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत राजनांदगांव	राजनांदगांव	24. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण काय विदेशी बाडा के पास (ग्राम व ग्राम पंचायत सुरगी) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	सुरगी	सुरगी	राजनांदगांव	5.00	–
40		राजनांदगांव	25. प्रस्तावित कार्य – सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (ग्राम व ग्राम पंचायत धामनसरा) कार्य का औचित्य – भवन निर्माण से बाढ पीडितो को विस्थापन में सुविधा होगी।	धामनसरा	धामनसरा	राजनांदगांव	20.00	–
41		राजनांदगांव	26. प्रस्तावित कार्य – सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (ग्राम व ग्राम पंचायत भवंरमरा) कार्य का औचित्य – भवन निर्माण से बाढ पीडितो को विस्थापन में सुविधा होगी।	भवंरमरा	भवंरमरा	राजनांदगांव	20.00	–
42		राजनांदगांव	27. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत धामनसरा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	धामनसरा	धामनसरा	राजनांदगांव	5.00	–
43		राजनांदगांव	28. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत बरगा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	बरगा	बरगा	राजनांदगांव	5.00	–
44		राजनांदगांव	29. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत पार्रीकला) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	पार्रीकला	पार्रीकला	राजनांदगांव	15.00	–
45		राजनांदगांव	30. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत ठेकवा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	ठेकवा	ठेकवा	राजनांदगांव	10.10	–

कं.	कार्यालय का नाम	विधानसभा	कार्य का नाम	गाम का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखंड	(राशि रू. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
46	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत राजनांदगांव	राजनांदगांव	31. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत सुंदरा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	सुंदरा	सुंदरा	राजनांदगांव	10.00	–
47		राजनांदगांव	32. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत फुलझर) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	फुलझर	फुलझर	राजनांदगांव	7.00	–
48		राजनांदगांव	33. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत ईरा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	ईरा	ईरा	राजनांदगांव	5.00	–
49		राजनांदगांव	34. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत ईरा) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	ईरा	ईरा	राजनांदगांव	5.00	–
50		राजनांदगांव	35. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण (ग्राम व ग्राम पंचायत लिटिया) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	लिटिया	लिटिया	राजनांदगांव	7.00	–
51		राजनांदगांव	36. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण गौठान के पास (ग्राम आलीखुंटा ग्राम पंचायत रानीतराई) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	आलीखुंटा	रानीतराई	राजनांदगांव	10.00	–
52		राजनांदगांव	37. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण डोंगा घाट मे कन्हैया बाडी के पास (ग्राम व ग्राम पंचायत मोखला) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	मोखला	मोखला	राजनांदगांव	10.00	–

कं.	कार्यालय का नाम	विधानसभा	कार्य का नाम	गाम का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखंड	(राशि रू. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
53	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत राजनांदगांव	राजनांदगांव	38. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण नदी के किनारे गिरधर निषाद के खेत पास (ग्राम व ग्राम पंचायत मोखला) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	मोखला	मोखला	राजनांदगांव	10.00	–
54		राजनांदगांव	39. प्रस्तावित कार्य – पुलिया निर्माण बस्ती के से नया गौठान जाने के नाला में (ग्राम व ग्राम पंचायत जंगलेसर) कार्य का औचित्य – पुलिया निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।	जंगलेसर	जंगलेसर	राजनांदगांव	15.00	–
55		राजनांदगांव	40. प्रस्तावित कार्य – सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (ग्राम व ग्राम पंचायत मोखला) कार्य का औचित्य – भवन निर्माण से बाढ पीडितो को विस्थापन में सुविधा होगी।	मोखला	मोखला	राजनांदगांव	30.00	–
56		राजनांदगांव	41. प्रस्तावित कार्य – सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (ग्राम व ग्राम पंचायत जंगलेसर) कार्य का औचित्य – भवन निर्माण से बाढ पीडितो को विस्थापन में सुविधा होगी।	जंगलेसर	जंगलेसर	राजनांदगांव	30.00	–
57		डोंगरगढ़	पुल–पुलिया निर्माण कार्य रेगाकठेरा से डिलापहरी के बीच पुल निर्माण कार्य	रेगाकठेरा	रेगाकठेरा	राजनांदगांव	7.50	–
58		डोंगरगढ़	पुल–पुलिया निर्माण कार्य शमशान घाट के पास	जोरातराई ब	जोरातराई ब	राजनांदगांव	5.50	–
59		डोंगरगढ़	पुल–पुलिया निर्माण कार्य भेण्डरवानी से बिहावबोड रोड पर	भेण्डरवानी	भेण्डरवानी	राजनांदगांव	5.50	–
60		डोंगरगढ़	पुल–पुलिया निर्माण कार्य बिहावबोड से करेला मार्ग पर	बिहावबोड	भेण्डरवानी	राजनांदगांव	4.00	–
61		डोंगरगढ़	पदुमतरा में पुल निर्माण र्य	पदुमतरा	पदुमतरा	राजनांदगांव	20.00	–
62		डोंगरगढ़	बाढ नियत्रण दिवाल निर्माण (स्टाप डेम के पास)	बोटेपार	बोटेपार	राजनांदगांव	15.00	–
63		डोंगरगढ़	डंगनिया में पुल निर्माण कार्य	डंगनिया	तिलई	राजनांदगांव	20.00	–

कं.	कार्यालय का नाम	विधानसभा	कार्य का नाम	गाम का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखंड	(राशि रू. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
64	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगांव	डोंगरगांव	पुल पलिया निर्माण (बरगद पेड पास)	गोडरी	दिवानझिटिया	डोंगरगांव	5.00	–
65		डोंगरगांव	पुल पुलिया निर्माण (आदिवासी भवन पास)	ओडारबांध	ओडारबांध	डोंगरगांव	5.00	–
66		डोंगरगांव	तालाब तटबांध निर्माण	बोदेला	बोदेला	डोंगरगांव	10.00	–
67		डोंगरगांव	पुल पुलिया निर्माण (सोरी बाधन के पास)	गिरगांव	गिरगांव	डोंगरगांव	7.70	–
68	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छुरिया	खुज्जी	पुलिया निर्माण (अरजकुंड से ग्वालिनडीह मार्ग)	अरजकुंड	अरजकुंड	छुरिया	19.91	–
69		खुज्जी	पुलिया निर्माण (जोधरा के मुख्यमार्ग से गौवाहारी के माध्य)	जोंधरा	जोंधरा	छुरिया	4.00	–
70		खुज्जी	पुर्रामटोला से किरगाहाटोला के मध्य पर पुलिया निर्माण	किरगाहटाला	पुर्रामाटोला	छुरिया	8.60	
71	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छुरिया	खुज्जी	बगधरा धरसा के नाला में पुलिया निर्माण	तेन्दूटोला	बोईरडीह	छुरिया	14.30	
72		खुज्जी	पतोरा से फुलसंदरी मार्ग के नाला पर पुलिया निर्माण	पतोरा	महरूम	छुरिया	5.00	–
73		खुज्जी	चिखलाकसा से खेत पहुच मार्ग पर पुलिया निर्माण	चिखलाकसा	चिखलाकसा	छुरिया	7.00	–
74		खुज्जी	भेटेपार धरसा नाला में पुलिया निर्माण	मेटेपार	मेटेपार	छुरिया	11.75	–
75		खुज्जी	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य (थैलीटोला में शमसान घाट मार्ग पर)	थैलीटोला	पठानढोड़गी	छुरिया	13.20	–
76		खुज्जी	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य (बरछाटोला से कल्लूटोला मार्ग पर)	बरछाटोला	झिथराटोला	छुरिया	10.00	–
77	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	पुलिया निर्माण कार्य	आलीवारा	आलीवारा	डोगरगढ	8.09	–
78		डोंगरगढ़	पुलिया निर्माण कार्य (हीरापुर रोड)	मानिकपुर	धनडोंगरी	डोगरगढ	5.00	–
79		डोंगरगढ़	तालाब तटबांध निर्माण कार्य	मुंदगांव	मुंदगांव	डोगरगढ	10.00	–
80		डोंगरगढ़	पुलिया निर्माण कार्य (करवारी से कलकसा मार्ग)	करवारी	करवारी	डोंगरगढ़	5.00	–
81	कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम, राजनांदगांव	राजनांदगांव	वार्ड नं.44 कौरिनभाठा तालाब का तटबंध निर्माण एवं मरम्मत कार्य	राजनांदगांव	–	राजनांदगांव	18.00	–
82		राजनांदगांव	रानीसागर के दिग्विजय कालेज के समीम रैलिंग एवं रिटेनिग वाल निर्माण कार्य	राजनांदगांव	–	राजनांदगांव	6.00	–

कं.	कार्यालय का नाम	विधानसभा	कार्य का नाम	गाम का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखंड	(राशि रू. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
83	कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम, राजनांदगांव	राजनांदगांव	वार्ड नं. 29 कैलाश नगर विक्की शुक्ला घर के पास नाला चैनलाईजेशन निर्माण कार्य	राजनांदगांव	–	राजनांदगांव	25.00	–
84		राजनांदगांव	वार्ड नं.20 पेण्ड्री आई.एच.एस.डी. पी. से मेन रोड तक नाली निर्माण कार्य।	राजनांदगांव	–	राजनांदगांव	35.00	–
85		राजनांदगांव	वार्ड नं. 24 जमात पारा सूर्यवंशी के घर से गुरूद्वारा रोड तक नाली निर्माण कार्य	राजनांदगांव	–	राजनांदगांव	25.00	–
86		राजनांदगांव	वार्ड नं.06 अग्रवाल किराना स्टोर्स शांति नगर चिखली में नाला निर्माण	राजनांदगांव	–	राजनांदगांव	40.00	–
87		राजनांदगांव	वार्ड नं.10 शांति नगर छोटे तालाब में तटबंध एवं आऊटलेट नाला निर्माण कार्य	राजनांदगांव	–	राजनांदगांव	18.00	–
88		राजनांदगांव	वार्ड नं. 10 शंकरपुर तालाब में तटबंध एवं आऊटलेट नाला निर्माण कार्य	राजनांदगांव	–	राजनांदगांव	20.00	–
89	कार्य पालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	राजनांदगांव	भर्रेगांव एनीकट का तटबंध संरक्षण कार्य	भर्रेगांव	भर्रेगांव	राजनांदगांव	49.72	–
90		राजनांदगांव	धामनसरा –मोहड एनीकट का तटबंध संरक्षण कार्य	धामनसरा	धामनसरा	राजनांदगांव	49.94	–
91		डोंगरगांव	मोखली एनीकट का तटबंध संरक्षण कार्य	मोखली	मोखली	डोंगरगांव	49.75	–
92		राजनांदगांव	जंगलेशर– मोखला एनीकट का तटबंध संरक्षण कार्य	जंगलेसर	जंगलेसर	राजनांदगांव	49.57	–
93		खुज्जी	दाऊटोला एनीकट का तटबंध संरक्षण कार्य	दाऊटोला	दाऊटोला	छुरिया	49.74	–
94		डोंगरगांव	रातापायली एनीकट का तटबंध संरक्षण कार्य	रातापायली	रातापायली	डोंगरगांव	49.83	–
95		खुज्जी	स्टापडेम निर्माण (गैराघाट के पास)	बोईरडीह	बोईरडीह	छुरिया	31.36	–
96		खुज्जी	ग्राम पिनकापार में स्टापडेम निर्माण	पिनकापार	पिनकापार	छुरिया	25.92	–
	कुल योग						**1622.01**	

परिशिष्ट - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 299) की जानकारी

प्रपत्र—अ

विगत तीन वर्षों में स्थापित रोपणियों की वर्षवार जानकारी

वर्ष	विगत तीन वर्षों में स्थापित किए गए रोपणी
1	2
वन विभाग	
2022	अस्थायी रोपणी लिम्हा
	अस्थायी रोपणी बिटकुला
	अस्थायी रोपणी लुथरा
2023	निरंक
2024	अस्थायी रोपणी सीपत
	अस्थायी रोपणी सोंठी
	अस्थायी रोपणी लिम्हा
	अस्थायी रोपणी पुडु
	अस्थायी रोपणी चिल्हाटी
	अस्थायी रोपणी लुथरा
वन विकास निगम	
2023	अस्थायी रोपणी कौडिया
2024	अस्थायी रोपणी कौडिया
	अस्थायी रोपणी जाली
	अस्थायी रोपणी शिवतराई
	अस्थायी रोपणी भैंसाझार
2025	अस्थायी रोपणी कौडिया
	अस्थायी रोपणी शिवतराई

प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

प्रपत्र–ब

पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) एवं अन्य औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिए गए अनुदान के आधार पर वन विकास निगम द्वारा "मियावाकी पद्धति" से लगाए गए प्रोजेक्ट

प्रस्तावित प्रोजेक्ट वर्षवार, जिलेवार जानकारी

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	स्थल का नाम	पौधा संख्या
1	2	3	4	5
1	2022	रायगढ़	एनटीपीसी लारा	12000
2	2023	बिलासपुर	एनटीपीसी भिल्मी	32000
3		कोरबा	एसईसीएल गेवरा	20000
4	2024	बिलासपुर	एनटीपीसी उच्चभट्टी	70000
5		रायगढ़	एसईसीएल रायगढ़ छाल	25000
6		रायगढ़	एनटीपीसी तिलईपाली	12500
			योग :–	171500

प्रस्तावित मियावाकी वृक्षारोपण प्रोजेक्ट

(वन विकास निगम)

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	स्थल का नाम	पौधा संख्या
1	2	3	4	5
1	2025	रायगढ़	एसईसीएल रायगढ़ बरौद	20000
2		रायपुर	आईएचएम एवं पुरखौती मुक्तांगन	6000
			योग :–	26000

प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

परिशिष्ट - इकहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 306) की जानकारी

प्रपत्र

स. क्र.	जिला	विकास खण्ड का नाम	शिक्षकों की पदस्थापना की जानकारी
1	रायपुर	धरसीवा	223
		अभनपुर	78
		आरंग	159
		तिल्दा	170
2	महासमुन्द	महासमुन्द	208
		बागबहारा	75
		पिथौरा	139
		बसना	135
		सराईपाली	143
3	धमतरी	धमतरी	97
		कुरूद	90
		मगरलोड़	53
		नगरी	119
4	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	73
		भाटापारा	71
		कसडोल	92
		पलारी	42
		सिंमगा	52
5	गरियाबंद	गरियाबंद	68
		देवभोग	95
		मैनपुर	136
		छुरा	64
		फिंगेश्वर	37
6	दुर्ग	दुर्ग	110
		धमधा	169
		पाटन	87
7	बालोद	बालोद	40
		गुण्डरदेही	83
		गुरूर	57
		डौण्डी लाहारा	139
		डौण्डी	56
8	बेमेतरा	बेमेतरा	107
		बेरला	63
		साजा	66
		नवागढ़	108
9	राजनादंगांव	राजनांदगांव	89
		डोगरगांव	77

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

		डोगरगढ़	111
		छरिया	130
10	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	खैरागढ	66
		छुईखदान	75
11	मोहला मानपुर	मोहला	47
		मानपुर	84
		अम्बगढ़ चौकी	41
12	कबीरधाम	कवर्धा	53
		बोड़ला	118
		स.लोहरा	67
		पण्डरिया	107
13	बिलासपुर	कोटा	119
		मस्तुरी	111
		बिल्हा	113
		तखतपुर	82
14	जांजगीर–चापा	अकलतरा	97
		बलौदा	65
		बम्हनीडीह	59
		नवागढ़	83
		पागगढ़	102
15	सक्ती	सक्ती	128
		डभरा	93
		मालखरोदा	120
		जैजैपुर	173
16	कोरबा	करतला	72
		कोरबा	74
		कटघोरा	39
		पाली	107
		पोड़ी उपरोड	216
17	मुगेंली	मुगेंली	66
		लोरमी	99
		पथरिया	43
18	गौरला पेण्ड्रा मरीवाही	गौरला	87
		पेण्ड्रा	30
		मरीवाही	115
19	रायगढ़	तमनार	54
		धरमजयगढ़	192
		लैलुंगा	129
		खरसिया	89
		घरघोडा	55
		पुसौर	195
		रायगढ़	232

20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सांरगढ़	155
		बरमकेला	133
		बिलाईगढ़	109
21	सरगुजा	अम्बिकापुर	215
		लखनपुर	62
		उदयपुर	65
		मैनपाट	72
		सीतापुर	68
		बतौली	74
		लुण्ड्रा	60
22	कोरिया	बैकुण्ठपुर	56
		सोनहत	72
23	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भतरपुर	मनेन्द्रगढ़	50
		खडगवां	46
		भरतपुर	122
24	सूरजपुर	भैयाथान	79
		प्रतापपुर	128
		सूरजपुर	98
		रामानुजनगर	92
		प्रेमनगर	79
		ओड़गी	142
25	जशपुर	जशपुर	58
		मनोरा	52
		दुलदुला	36
		कुनकुरी	28
		फरसाबहार	61
		कांसाबेल	37
		पत्थलगांव	97
		बगीचा	180
26	बलरामपुर–रामानुजगंज	बलरामपुर	64
		कुसमी	80
		रामचन्द्रपुर	183
		राजपुर	44
		शंकरगढ़	72
		वाड्रफनगर	111
27	बस्तर	बस्तानार	37
		लोहण्डीगुडा	68
		जगदलपुर	36
		दरभा	47
		बकावण्ड	101
		तोकापाल	37
		बस्तर	90

28	कांकेर	कांकेर	48
		चारामा	22
		नरहरपुर	73
		भानुप्रतापपुर	26
		अंतागढ़	109
		दुर्गकांदल	63
		कोयलीबेडा	212
29	दन्तेवाडा	दन्तेवाड़ा	12
		गीदम	62
		कटेकल्याण	49
		कुआकोण्डा	47
30	कोंडागांव	कोण्डागांव	238
		केशकाल	90
		माकडी	96
		फरसगांव	100
		बडेराजपुर	93
31	सुकमा	सुकमा	26
		कोण्टा	59
		छिन्दगढ़	42
32	बीजापुर	बीजापुर	36
		भैरमगढ़	73
		भोपालपटनम	22
		उसूर	60
33	नारायणपुर	नारायणपुर	58
		ओरछा	71

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनायल
छत्तीसग्रढ़ नवा रायपुर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 307) की जानकारी

प्रपत्र–अ

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोसायटियों में दिनांक 20.06.2025 की स्थिति में डीएपी एवं यूरिया की पूर्ति एवं वितरण की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	समिति का नाम	पंजीकृत हितग्राही किसानों की संख्या	खाद पूर्ति (मात्रा टन में)			वितरण (मात्रा टन में)			
				डी.ए.पी.	यूरिया	योग	हितग्राही किसानों की संख्या	डी.ए.पी.	यूरिया	योग
1	भाटापारा	मल्दी	832	93	231	324	417	66	137	203
2	भाटापारा	खोखली	960	81	186	267	416	77	186	263
3	भाटापारा	गुर्रा	620	38	136	174	410	26	79	105
4	भाटापारा	टेंहूंका	627	26	101	127	301	26	76	102
5	भाटापारा	भाटापारा	656	30	90	120	232	26	43	69
6	भाटापारा	धुर्राबाधा	857	63	195	258	599	63	165	228
7	भाटापारा	मिरर्गी	364	33	100	133	345	21	52	73
8	भाटापारा	देवरी	590	25	90	115	363	25	65	90
9	भाटापारा	खैरी	742	38	191	229	370	25	117	142
10	भाटापारा	गोढी टी	789	29	156	185	356	29	94	123
11	भाटापारा	खैरा	804	25	139	164	600	25	94	119
12	भाटापारा	पाटन	577	65	125	190	510	40	94	134
13	भाटापारा	धनेली	583	102	149	251	550	77	121	198
14	भाटापारा	निपनिया	1177	76	188	264	971	67	145	212
15	भाटापारा	मोपका	600	50	152	202	437	50	108	158
16	भाटापारा	लेवई	1414	151	189	340	1111	73	131	204
17	भाटापारा	सिंगारपुर	904	26	154	180	655	26	135	161
18	भाटापारा	केशला	1246	125	175	300	852	112	163	275
	योग		**14342**	**1076**	**2747**	**3823**	**9495**	**854**	**2005**	**2859**
19	सिमगा	रोहरा	1009	59	207	266	440	54	153	207
20	सिमगा	दामाखेड़ा	977	105	178	283	583	80	137	217
21	सिमगा	मनोहरा	1063	35	217	252	235	35	138	173
22	सिमगा	चौरेंगा	834	75	263	338	287	52	410	462
23	सिमगा	बनसांकरा	879	97	170	267	677	99	160	259
24	सिमगा	विश्रामपुर	818	57	139	196	322	38	102	140
25	सिमगा	तुलसी	628	59	232	291	295	58	140	198
26	सिमगा	सिमगा	830	51	104	155	165	45	62	107
27	सिमगा	पौंसरी	810	84	121	205	235	48	74	122
28	सिमगा	कामता	647	49	125	174	165	49	79	128
29	सिमगा	डोंगरियां	734	30	175	205	546	4	74	78
	योग		**9229**	**701**	**1931**	**2632**	**3950**	**562**	**1529**	**2091**
	महायोग		**23571**	**1777**	**4678**	**6455**	**13445**	**1416**	**3534**	**4950**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–ब

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोसायटियों में दिनांक 20.06.2025 की स्थिति में बीज एवं वितरण की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	समिति का नाम	पंजीकृत हितग्राही किसानों की संख्या	भंडारण (मात्रा क्विं. में)					वितरण (मात्रा क्विं. में)					
				महामाया	स्वर्णा	विकम TCR C/s	राजेश्वरी	योग	हितग्राही किसानों की संख्या	महामाया	स्वर्णा	विकम TCR C/s	राजेश्वरी	योग
1	भाटापारा	मल्दी	832		275.10			275.10	250		215.10			215.10
2	भाटापारा	खोखली	960	60.00	330.00			390.00	356	60.00	330.00			390.00
3	भाटापारा	गुर्रा	620	105.00	195.00			300.00	225	105.00	195.00			300.00
4	भाटापारा	टेंहका	627	102.60	60.00			162.60	170		60.00			60.00
5	भाटापारा	भाटापारा	656		90.00			90.00	75		90.00			90.00
6	भाटापारा	धुर्राबांधा	857		150.90			150.90	105		70.50			70.50
7	भाटापारा	मिरगीं	364	90.00	275.10			365.10	312	53.10	275.10			328.20
8	भाटापारा	देवरी	590		90.00			90.00	124		90.00			90.00
9	भाटापारा	खैरी	742	40.50	179.00			219.50	280	40.50	175.40			215.90
10	भाटापारा	गोढी टी	789	120.00	186.00			306.00	204	37.00	186.00			223.00
11	भाटापारा	खैरा	804		90.00			90.00	52		90.00			90.00
12	भाटापारा	पाटन	577	99.00	60.00	60.00		219.00	131	99.00	60.00	60.00		219.00
13	भाटापारा	धनेली	583	102.00	120.00			222.00	82	102.00	120.00			222.00
14	भाटापारा	निपनिया	1177	66.00	219.00			285.00	293	66.00	219.00			285.00
15	भाटापारा	भोपका	600		192.00			192.00	112		192.00			192.00
16	भाटापारा	लेवई	1414	255.00	219.00			474.00	875	135.00	219.00			354.00
17	भाटापारा	सिंगारपुर	904	66.00	150.00			216.00	303	30.90	129.90			160.80
18	भाटापारा	केशला	1246	143.70	362.40			506.10	513	142.20	362.40			504.60
	भाटापारा योग		**14342**	**1249.80**	**3243.50**	**60.00**	**0.00**	4553.30	**4462**	**870.70**	**3079.40**	**60.00**	**0.00**	4010.10
19	सिमगा	रोहरा	1009	90.00	249.00			339.00	179	90.00	216.00		0.00	306.00
20	सिमगा	दामाखेड़ा	977		300.00		40.50	340.50	205		300.00		32.70	332.70
21	सिमगा	मनोहरा	1063		258.00			258.00	150		258.00			258.00
22	सिमगा	चौरेंगा	834		399.00			399.00	236		399.00			399.00
23	सिमगा	बनसाकरा	879		351.00			351.00	200		351.00			351.00
24	सिमगा	विश्रामपुर	818		369.00		66.00	435.00	222		364.00		66.00	430.00
25	सिमगा	तुलसी	628		449.10			449.10	210		449.10			449.10
26	सिमगा	सिमगा	830	100.20	489.00			589.20	150	100.20	489.00		0.00	589.20
27	सिमगा	पौसरी	810	0.00	402.00			402.00	200		280.00		0.00	280.00
28	सिमगा	कामता	647	99.00	250.20			349.20	100	81.00	106.80		0.00	187.80
29	सिमगा	डोंगरिया	734	90.00	252.00			342.00	148	90.00	240.00			330.00
	सिमगा योग		**9229**	**379.20**	**3768.30**	**0.00**	**106.50**	4254.00	**2000**	**361.20**	**3452.90**	**0.00**	**98.70**	3912.80
	महायोग		**23571**	**1629.00**	**7011.80**	**60.00**	**106.50**	8807.30	**6462**	**1231.90**	**6532.30**	**60.00**	**98.70**	7922.90

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-स

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
छठवीं मंजिल ,टावर "सी" कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.जी.डी.,
सेक्टर–21, मुख्यालय, नया रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
Email Id. - fertilizer880@yahoo.in,Email Id. mf_ctrlroom_raipur@gov.in

खाद लेखा/112/08/608 /2025 अ.न. न.रा., दिनांक 30.04.2025
29.5.2025

जिला विपणन अधिकारी (समस्त) 2. मुख्य कार्य पालन अधिकारी (समस्त)
राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.
जिला.....(छ.ग.) जिला..... (छ.ग.)

: खरीफ 2025 हेतु रासायनिक उर्वरक के विक्रय दर के संबंध में।

----00----

खरीफ 2025 हेतु यूरिया, डीएपी, एनपीके 12:32:16:, एनपीके 20:20:0:13: एवं एमओपी खाद के विक्रय हेतु निम्नानुसार कृषक/समिति दर निर्धारित की जाती है :–

क्र.	खाद का नाम	कंपनी का नाम	भार्ती	कृषकों के लिए अधिकतम दर समस्त कर सहित		समिति के लिए विक्रय दर		
				प्रतिटन	प्रतिबोरी	समिति का मार्जिन	समिति द्वारा देय टैक्स	शुद्ध दर प्रतिटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	यूरिया	इफको/कृभको/चंबल/ एनएफएल/आईपीएल/ एसेकंट्रल/जीएसएफसी/ एचयूआरएल/केएफएल/ आरसीएफ/नीकोएफसीएल	45 किलो	5922.22	266.50	319.00	13.95	5567.27
2	डी.ए.पी.	इफको/कृभको/पीपीएल/ कोरोमंडल/एनएफएल/ आईपीएल/हिन्डाल्को/ इंडोरामा	50 किलो	27000.00	1350.00	400.00	20.00	26580.00
3	एन.पी.के. 12:32:16	इफको/पीपीएल/चंबल/ ओसवाल	50 किलो	34400.00	1720.00	400.00	20.00	33980.00
4	एन.पी.के. 20:20:0:13	इफको/पीपीएल/चंबल/कृष्णा फास्केम/मध्यभारत एग्रो/ इंडोरामा/हिन्डाल्को	50 किलो	26000.00	1300.00	400.00	20.00	25580.00
5	एम.ओ.पी.	आईपीएल/पीपीएल/ एनएफएल/इंडोरामा/ ओसवाल/श्री गणपति	50 किलो	30700.00	1535.00	400.00	20.00	30280.00

1. उक्तानुसार विकय दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
2. जिला विपणन अधिकारी प्रत्येक तिमाही का कर रिटर्न निर्धारित समयावधि में मुख्यालय को प्रस्तुत करें।
3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का दायित्व समितियों का रिटर्न समयावधि में प्रस्तुत करने का होगा।
4. उक्त विकय दर एवं निर्देशों से समस्त संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

:: प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित ::

महाप्रबंधक (कृ.सा)

क्रमशः.....

खरीफ वर्ष 2025, (01.04.2025 से लागू) हेतु जारी विक्रय दर :-

क्र.	खाद का नाम	कंपनी का नाम	पाकी	कृषकों के लिए अधिकतम दर समता कर सहित		समितियों के लिए विक्रय दर		
				प्रतिटन	प्रतिबोरी	समिति का मार्जिन	समिति द्वारा देय ढुलाई	शुद्ध दर प्रतिटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	यूरिया	इफको / कृभको / चंबल / एनएफएल / आईपीएल / गोदावरी / जीएसएफसी / एनएफएल / केएफएल / आरसीएफ / जीएनएफसी/एस	45 किलो	5922.22	266.50	319.00	13.93	5587.77
2	डीएपी	इफको / कृभको / पीपीएल / कोरोमंडल / एनएफएल / आईपीएल / हिन्दुस्तान / एसपीआरएल / इंडोगल्फ	50 किलो	27000.00	1350.00	406.00	20.00	26580.00
3	एनपीके 12:32:16	कृभको	50 किलो	29400.00	1470.00	420.00	20.00	28960.00
4	एनपीके 20:20:0:13	इफ्फको	50 किलो	24000.00	1200.00	360.00	20.00	23640.00
5	एमओपी	आईपीएल / पीपीएल / चंबल / / इफ्फको / एनएफएल / श्री पशुपति	50 किलो	30030.00	1500.00	400.00	20.00	29550.00
6	एसएसपी पाउडर	पीईपीएल / आरसीएफ / मध्य भारत एग्रो. / कृष्णा फास्फेट / खेतान / श्रीगणपति / रामकारफेट / एसीपीएल / अदिति / कावेरी / मध्यभारत फास्फेट / श्री सुस्तरी फास्फेट / एकलव्य फर्टिलाइजर्स	50 किलो	9380.00	469.00	200.00	10.00	9170.00
7	एसएसपी दानेदार		50 किलो	10200.00	510.00	200.00	10.00	9990.00
8	सिंकोना एसएसपी पाउडर		50 किलो	9800.00	490.00	300.00	10.00	9590.00

1. उक्तानुसार विक्रय दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
2. जिला विपणन अधिकारी प्रत्येक तिमाही का कर रिटर्न निर्धारित समयावधि में मुख्यालय को प्रस्तुत करें।
3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का दायित्व समितियों का रिटर्न समयावधि में प्रस्तुत करने का होगा।
4. उक्त विक्रय दर एवं निर्देशों से समस्त संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

:: प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित ::

महाप्रबंधक (कृ.सा)

उप पंजीयक
सहकारी संस्थाए छत्तीसगढ़

उप पंजीयक
सहकारी संस्थाए छत्तीसगढ़

प्रपत्र-द

छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड

(छ.ग.शासन का उपक्रम)

कृषक भवन मुख्यालय " सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन

सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

क्रं./मुख्या/एस-3/ 4/2025-26/ 355 रायपुर, दिनांक 17/04/2025

परिपत्र

विषय :- खरीफ 2025 में अनाज, दलहन एवं तिलहन आधार/प्रमाणित बीजों के विक्रय दर निर्धारण बाबत।

—::00::—

राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 11.04.2025 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा अनुमोदित खरीफ 2025 हेतु अनाज, दलहन एवं तिलहन प्रमाणित बीजों के विक्रय दर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

(दर प्रति क्विंटल)

क्र.	प्रकार	खरीफ 2025 - कृषकों हेतु निर्धारित विक्रय दर (रू.)	सहकारी समितियों को देय कमीशन हेतु विक्रय दर (4 प्रतिशत कमीशन घटाकर)
1	2	3	4
1	धान गोदा	3,550	3,408
2	धान पतरेला	4,030	3,869
3	धान दुबराज	4,650	4,464
4	कोदो	7,300	7,008
5	रागी	4,500	4,320
6	उड़द	11,300	10,848
7	मूंग	11,400	10,944
8	मूंगफली	7,750	7,440
9	सोयाबीन	7,400	7,104
10	मूंगफली	11,900	11,424
11	तिल	19,300	18,528
12	सामलित	13,000	12,480
13	टेन्गा	9,900	9,504
14	सनई	11,600	11,136
15	अरहर 10 वर्ष के अन्दर	11,800	11,328
	अरहर 10 वर्ष का ऊपर	12,500	12,000

- आधार बीजों की विक्रय दरें प्रमाणित बीजों की विक्रय दरों से 100/- रू. प्रति क्विंटल अधिक होगी।

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रावधान अनुसार उत्पादन एवं वितरण अनुदान की राशि को घटाकर बीज विक्रय दर निर्धारित किया गया है।
2. कृषि विभाग द्वारा उत्पादन एवं वितरण अनुदान की राशि प्रावधान अनुसार छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. को देय होगी।
3. खरीफ 2025 के लिये विक्रय दरें (कालेंम नं0 3 अनुसार) कृषकों को विक्रय हेतु होगी।
4. कृषि विभाग द्वारा मिनीकिट/विभिन्न योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले बीजों की विक्रय दरें योजनाओं में प्रावधान अनुसार देय वितरण अनुदान जोड़कर देयक जारी किये जायेंगे।
5. संघ सहकारी समितियों को नियमानुसार देय कमीशन की राशि को घटाकर (कालेंम न.-4 अनुसार) के अनुसार देयक जारी किये जायेंगे।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

महाप्रबंधक (बीज) 17/4/25
छ.ग. राज्य बीज
एवं कृषि विकास निगम लि.
रायपुर छ.ग.

उपपंजीयक
सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - तिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 315) की जानकारी

प्रपत्र

स्कूल जतन योजना अंतर्गत जिले में स्वीकृत कार्यों की जानकारी।

स्वीकृति वर्ष	विकासखण्ड	स्कूलों की संख्या	स्वी.कार्य का विवरण	कराए गऐ कार्य	स्वी.कार्य की राशि लाख में	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
2022–23	महासमुन्द	13	मरम्मत	13	46.06	13	0	0
		34	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	34	516.43	34	0	0
		15	जीर्णोद्धार	15	89.25	15	0	0
2022–23	बागबाहरा	28	मरम्मत	28	388.02	28	0	0
		2	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	2	14.65	2	0	0
		23	जीर्णोद्धार	23	48.31	23	0	0
2022–23	पिथौरा	0	मरम्मत	0	0	0	0	0
		21	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	21	322.44	20	1	0
		9	जीर्णोद्धार	9	31.24	9	0	0
2022–23	बसना	32	मरम्मत	32	427.21	32	0	0
		45	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	45	217.61	43	2	0
		5	जीर्णोद्धार	5	23.67	5	0	0
2022–23	सरायपाली	10	मरम्मत	10	53.08	10	0	0
		52	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	52	607.09	46	6	0
		8	जीर्णोद्धार	8	48.44	8	0	0
2023–24	महासमुन्द	6	मरम्मत	6	21.05	6	0	0
		35	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	35	406.73	29	6	0
		8	जीर्णोद्धार	8	41.22	8	0	0
2023–24	बागबाहरा	3	मरम्मत	3	5.02	3	0	0
		35	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	35	294.15	32	3	1
		3	जीर्णोद्धार	3	16.09	3	0	0
2023–24	पिथौरा	4	मरम्मत	4	6.01	3	1	1
		34	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	34	340.14	29	5	1
		5	जीर्णोद्धार	5	34.25	5	0	0
2023–24	बसना	0	मरम्मत	0	0	0	0	0
		17	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	17	229.39	16	1	0
		61	जीर्णोद्धार	61	401.07	61	0	0
2023–24	सरायपाली	44	मरम्मत	44	279.08	42	2	0
		35	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	35	338.81	21	14	2
		2	जीर्णोद्धार	2	23.33	1	1	0

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रपत्र

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला महासमुन्द में संचालित योजनाएं

वर्षः– 2022–23

क्र 0	मद का नाम	युवाओं को प्रोत्साहन हेतु संचालित योजना का नाम	व्यय मद विवरण	आबंटित राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	43–5429	स्वतंत्रता दौड़	खेल सामग्री(टी शर्ट व कैप)–10185, भोजन–9165, टेंट–6000, बेनर, मोमेंटो, अन्य–9650 कार्यो हेतु	35000	35000	
		विकासखण्ड युवा उत्सव	व्यय विवरण – श्री हेमसागर कैवर्त (सरायपाली)–35000 श्री केशव सेठ (बसना) – श्री सुधीर प्रधान (पिथौरा) – 35000 श्री धनराज साहू(बागबाहरा) – 35000 महासमुन्द पुरस्कार–10775, भोजन–8875, टेंट–11000, अन्य–4350	175000	175000	
		जिला युवा उत्सव	भोजन–58927, टेंट–29000, डीजल व वाहन किराया–76673, अन्य–10400	175000	175000	
2	43–6646	छत्तीसगढ़िया ओलंपिक	विकासखण्ड/कलस्टर, जिला एवं राज्य स्तर के प्रतिभागितयों को नगद पुरस्कार प्रदाय करने हेतु	6378500	2759500	
3	43–6407	राज्य स्तरीय युवा महोत्सव	राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार प्रदाय	33500	33500	
		राज्य स्तरीय युवा महोत्सव	मान. मुख्यमंत्री घोषणानुसार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शामिल प्रतिभागियों को 500 के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदाय	55500	55500	
4	64–6408	राजीव युवा मितान क्लब योजना	अनुभाग स्तरीय क्लबों को सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल व अन्य गतिविधियॉ हेतु आयोजित किये जाने हेतु प्रदाय	0.00	7675000	वर्ष 2021–22 में आबंटित राशि 76.7 लाख को वर्ष 2022–23 में व्यय किया गया ।
			योग–	**6852500**	**10908500**	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला महासमुन्द में संचालित योजनाएं

वर्षः– 2023–24 (01.04.2023 से 31.03.2024)

क्र 0	मद का नाम	युवाओं को प्रोत्साहन हेतु संचालित योजना का नाम	व्यय मद का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	43–5429	स्वतंत्रता दौड़	खेल सामग्री (टी शर्ट)– 2664, टेंट –4500 बेनर व पुरस्कार– 3214, स्वल्पाहार – 19625, अन्य– 4997	35000	35000	
		राष्ट्रीय युवा दिवस	खेल सामग्री व पुरस्कार – 20888, भोजन–11140 फोटोग्राफी व टेंट – 4572, अन्य–3400	40000	40000	
		मतदाता जागरूकता कार्यक्रम	पुरस्कार–88710, खेल सामग्री – 146044 भोजन –17470, टेंट– 56600 बेनर, प्रमाण–पत्र मेडिकल व अन्य – 41176	350000	350000	
2	64–5223	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 हेतु खेल वृत्ति प्रदाय	65400	63600	
3	43–1079–25	विभिन्न खेल गतिविधियों एवं प्रशिक्षण शिविर	ग्राम पंचायत सपोस, विखं.–पिथौरा	200000	199912	
4	संचालनलय RTGS	छत्तीसगढ़िया ओलंपिक	वर्ष 2022–23 में संभाग स्तर के विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार	366500	356000	
5	कलेक्टर महासमुन्द से RTGS	छत्तीसगढ़िया ओलंपिक	कार्यालय कलेक्टर महासमुन्द से वर्ष 2023–24 के जिला स्तर के प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार प्रदाय	1728000	531500	
6	संचालनलय RTGS	राजीव युवा मितान क्लब योजना	सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल व अन्य गतिविधियॉ हेतु	43650000	43650000	
			योग–	**46434900**	**45226012**	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला महासमुन्द में संचालित योजनाएं

वर्षः– 2024–25 (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्र0	मद का नाम	युवाओं को प्रोत्साहन हेतु संचालित योजना का नाम	व्यय मद का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	43–5429	स्वतंत्रता दौड़	टेंट –5000, खेल सामग्री (टी शर्ट) बेनर व पुरस्कार – 18365 स्वल्पाहार – 6000, फोटोग्राफी, मेडिकल व अन्य – 5600	35000	35000	
		विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	उपरोक्त शीर्ष अनुसार व्यय हेतु श्री हेमसागर कैवर्त (सरायपाली)–35000 श्री भूपेन्द्र (बसना) – 35000 श्री सुधीर प्रधान (पिथौरा) – 35000 श्री प्रेमचंद डडसेना एवं वंदना देवांगन (बागबाहरा) – 35000 महासमुन्द पुरस्कार–10775, भोजन–8875, टेंट–11000, अन्य–4350	175000	175000	
		जिला स्तरीय युवा उत्सव	पुरस्कार– 49540, खेल सामग्री–27700, अन्य – 10105	175000	175000	
		प्रोत्साहन	राज्य स्तरीय युवा उत्सव में सम्मिलित प्रतिभागियों को 1000 के मान से 47 प्रतिभागी को प्रोत्साहन राशि प्रदाय	47000	47000	
		नगद पुरस्कार	राज्य स्तरीय युवा उत्सव के विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार राशि प्रदाय	21000	21000	
		राज्य स्तरीय आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन	टेंट एवं साउण्ड –183375, खेल सामग्री (टी शर्ट) व पुरस्कार – 295000, स्वल्पाहार व भोजन– 189345, फोटोग्राफी–15000, मेडिकल–6000 व अन्य – 311280	1000000	1000000	
2	43–1079	कोचिंग / प्रतियोगिता	ग्राम पंचायत बेमचा, ग्राम रामसागर पारा(भावा) एवं लोहड़ीपुर (बसना) को जिम सामग्री प्रदाय	600000	600000	
			योग–	**2053000**	**2053000**	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला महासमुन्द में संचालित योजनाएं

वर्षः– 2025–26 (01.04.2025 से 20.06.2025 तक)

क्र.	मद का नाम	युवाओं को प्रोत्साहन हेतु संचालित योजना का नाम	व्यय मद का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1	43–5429	सायकल रैली	टी–शर्ट –4500, पुरस्कार – 5780, स्वल्पाहार व भोजन– 4190, फोटोग्राफी–905, फ्लेग, बेनर व अन्य – 9625	25000	25000
			योग–	25000	25000
			महायोग–	5,53,65,400	5,82,12,512

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - पचहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 329) की जानकारी

प्रपत्र

बालोद जिला अंतर्गत विगत वित्तीय 2 वर्षों (01.04.2023 से 31.03.2025 तक) में खनिजो के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के दर्ज प्रकरण एवं उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी

1. अवैध उत्खनन

क्र.	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हिमलेश्वर ठाकुर	रेत	01 घ.मी	25150
2	राजु साहू	रेत	03 घ.मी	25525
3	रामजी कुंजाम	रेत	03 घ.मी	25525
4	पवन धनकर	रेत	03 घ.मी	25525
5	संतोष कुमार यादव	रेत	03 घ.मी	25525
6	महासिंग गायकवाड़	रेत	03 घ.मी	25525
7	नरेन्द्र कुमार साहू, लुमेयवर चंद्राकर, चंद्रकांत चंद्राकर, चंद्रिका प्रसाद देवांगन, नरेन्द्र कुमार साहू, प्रदीप महेकर, लुमेश्वर चंद्राकर	रेत	12 घ.मी	27100
8	1 महादेव कंस्ट्र. प्रो. हितेश जैन 2. अरिहंत डेवलपर्स	रेत	400 घ.मी	120000
9	1.लोकेश कुमार 2.केदार साहू 3. राधेश्याम	रेत	20 घ.मी	53500
10	01 रविकांत साहू 02 शंकर लाल 03 हरीश सिन्हा	रेत	490 घ.मी	185750
11	देवव्रत ठाकुर	रेत	480 घ.मी	184000
12	01 देवेन्द्र साहू 02 आलोक सिंह ठाकुर 03 हितेश जैन	रेत	500 घ.मी	187500
13	01 शुभम वर्मा 02 गोपाल ओमप्रकाश जाजू 03 राजेश देवांगन	रेत	20 घ.मी.	103500
14	गिरजेश गुप्ता	रेत	400 घ.मी	120000
15	आदित्य प्रताप सिंह	रेत	285 घ.मी	100000
16	शंतानु कुलदीप	रेत	60 घ.मी	60500
17	भोलाराम पटेल	रेत	30 घ.मी	55250
18	देव निषाद	रेत	150 घ.मी	76250
19	अभिषेक निषाद	रेत	290 घ.मी	100750
20	विश्वास गुप्ता	रेत	60 घ.मी	110500
21	प्रकाश कुमार धोबी	रेत	430 घ.मी.	125250
22	जितेन्द्र कुमार साहू	मुरूम	60 घ.मी.	35500
23	मित्तल कंस. कंपनी	मुरूम	30 घ.मी	55250
24	1 वर्षा सिंह ठाकुर 2 भावेश सिंह ठाकुर	मुरूम	20 घ.मी	28500
25	1. सुमीत तंबोली 2. सुनील साहू	मुरूम	20 घ.मी	28500
26	1. कन्हैया लाल अग्रवाल 2. अतिन्दर सिंग 3. इंद्रजीत सिंग तुली	मुरूम	1950 घ.मी	391250

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्र.	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	1. दीनदयाल साहू 2. उमेश पात्रे 3. गोरेलाल धनंजय	मुरूम	1146.60 घ.मी	250655
28	सेवासिंह ओबेरॉय कंपनी जिला दुर्ग	मुरूम	925 घ.मी	211875
29	1. सुरेश कुमार 2. अवनीत कौर तुली	मुरूम	40 घ.मी	57000
30	1. पप्पू वर्मा 2. योगेश साहू	मुरूम	30 घ.मी	55250
31	1. सुरेश कुमार 2. अवनीत कौर तुली 3. नीलू तुली 4. परवीन कौर 5. अतिंन्दर सिंग संधु आ. माखन सिंह संधु	मुरूम	691 घ.मी	170925
32	1. संतोष प्रजापति 2. राजाचौधरी 3. उमेश नेताम	मुरूम	250 घ.मी	93750
33	01 धीरज महेश्वरी 02 कमलेश	मुरूम	50 घ.मी	58750
34	01 ओम प्रकाश राठी 02 टोकेन्द्र कुमार विश्वकर्मा एवं नरेन्द्र कुमार	मुरूम	10 घ.मी	51750
35	आशीष तिवारी एवं कंस्ट्रक्शन	मुरूम	50 घ.मी	33750
36	01 बुधराम साहू 02 संतोष कुमार साहू	मुरूम	86.00 घ.मी	40050
37	मेसर्स सेवासिंह ओबेरॉय एंड कंपनी	मुरूम	2703 घ.मी.	523025
38	गोपाल राठी	मुरूम	40000 घ.मी	7050000
39	गिजेश्वर गौकरण आडिल	मुरूम	18 घ.मी	53150
40	खेमलाल गौतम	मुरूम	8	26400
41	डुमनलाल	मुरूम	12 घ.मी	27100
42	बी. अभिलास	मुरूम	70 घ.मी	62250
43	सुनील चक्रधारी 2 कल्याण चक्रधारी	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500
44	तोकेश्वर साहू	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500
45	उमेश कुमार साहू	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500
46	1. किरण गौतम 2. रामकुमार मंडावी	मिट्टी (ईंट)	30 घ.मी	30250
47	विष्णु प्रसाद	मिट्टी (ईंट)	30 घ.मी	30250
48	श्री तागेश्वर कुमार साहू	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500
49	01 श्री कल्याण चक्रधारी/सुनील कुमार चक्रधारी	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500
50	नंदराज साहू	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500
51	तोकेश्वर	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500
52	डीलेश्वर साहू	मिट्टी (ईंट)	100.00 घ.मी	42500
53	देवेन्द्र कुमार साहू	मिट्टी (ईंट)	100.00 घ.मी	42500
54	छगन चक्रधारी	मिट्टी (ईंट)	30.00 घ.मी	30250
55	01 किरण गौतम 02 कन्हैया चक्रधारी	मिट्टी (ईंट)	30.00 घ.मी	30250
56	राजकुमार प्रजापति	मिट्टी (ईंट)	150.04 घ.मी	51320
57	तोकेश्वर	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500
58	देवेन्द्र कुमार साहू	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500
59	किरण गौतम	मिट्टी (ईंट)	30 घ.मी	30250
60	तगेश्वर साहू	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500
61	डीलेश्वर साहू / पुष्पेन्द्र साहू	मिट्टी (ईंट)	100 घ.मी.	42500

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

2. अवैध परिवहन

क्र.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ताज खान नि. कोड़िया	रेत	10 घ.मी	26750
2	अमित जैन	रेत	10 घ.मी	26750
3	सिद्वार्थ चंद्राकर	रेत	10 घ.मी	26750
4	श्री साई कंस्ट्रक्शनप्रो पवन सिन्हा	रेत	10 घ.मी	26750
5	नरेन्द्र कुमार चंद्राकर	रेत	10 घ.मी	26750
6	अभिषेक गुप्ता	रेत	10 घ.मी	26750
7	बेनु साहू	रेत	10 घ.मी	26750
8	गंजीर बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, प्रो. प्रदीप साहू	रेत	10 घ.मी	26750
9	रोशन देशमुख	रेत	10 घ.मी	26750
10	शांतानू कुमार साहू	रेत	10 घ.मी	26750
11	तोकेश्वर साहू	रेत	10 घ.मी	26750
12	सुरज यदु	रेत	10 घ.मी	26750
13	मनजींदर भाटिया	रेत	10 घ.मी	26750
14	विवियन नॉबर्ट	रेत	10 घ.मी	26750
15	विवियन नॉबर्ट	रेत	10 घ.मी	26750
16	सत्यम देवांगन	रेत	10 घ.मी	26750
17	टेमनलाल साहू	रेत	03 घ.मी	10525
18	समारू साहू	रेत	03 घ.मी	10525
19	चिरंजीर सिंह	रेत	10 घ.मी	26750
20	नारायण देवांगन	रेत	10 घ.मी	26750
21	कमलेश्वर सांडे	रेत	10 घ.मी	26750
22	आकाश अग्रवाल	रेत	10 घ.मी	26750
23	शिवरंजक निर्मलकर	रेत	10 घ.मी	26750
24	राजकुमारी देवांगन	रेत	10 घ.मी	26750
25	दिनेश यदु	रेत	10 घ.मी	26750
26	उमेश सोनकर	रेत	03 घ.मी	10525
27	दिनेश कुमार साहू	रेत	03 घ.मी	10525
28	लोकेश कुमार यादव	रेत	03 घ.मी	10525
29	रूपेन्द्र वर्मा	रेत	10 घ.मी	26750
30	संचेती बिल्डिंग मटेरियल एण्ड सप्लायर प्रो. रत्नेश संचेती	रेत	10 घ.मी	26750
31	द्वारका यादव	रेत	10 घ.मी	26750
32	शषिभूषण दुबे	रेत	10 घ.मी	26750
33	पुष्पेन्द्र कुमार	रेत	10 घ.मी	26750
34	लक्ष्मी नारायण सिन्हा	रेत	03 घ.मी	10525
35	आयुष गुप्ता	रेत	10 घ.मी	26750
36	संतोख सिंह	रेत	10 घ.मी	26750
37	शंकर लाल	रेत	10 घ.मी	26750
38	घनाराम डड़सेना	रेत	10 घ.मी	26750
39	भीषम कुमार	रेत	10 घ.मी	26750
40	घनाराम डड़सेना	रेत	10 घ.मी	26750

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्र.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41	अजय कुमार साहू	रेत	03 घ.मी	10525
42	रामनारायाण	रेत	30 घ.मी	15250
43	मीलू राम	रेत	03 घ.मी	10525
44	केशव राम भैसारा	रेत	03 घ.मी	25525
45	तिलेश्वर कुमार	रेत	03 घ.मी	25525
46	मेसर्स बालाजी हार्डवेयर प्रो. धनराज	रेत	10 घ.मी	26750
47	अरूण रजक उर्फ शिव रजक अ	रेत	10 घ.मी	26750
48	संचेती बिलडिंग मटेरियल एण्ड सप्लायर, प्रो. रत्नेश संचेती	रेत	10 घ.मी	26750
49	गौरव कुमार साहू	रेत	10 घ.मी	26750
50	प्रमोद कुमार साहू	रेत	10 घ.मी	26750
51	दिलीप जैन आ.	रेत	10 घ.मी	26750
52	जयमहेश सिन्हा	रेत	10 घ.मी	26750
53	मोहित कुमार	रेत	10 घ.मी	26750
54	गयाराम साहू	रेत	10 घ.मी	26750
55	रतनेश संचेती	रेत	12 घ.मी	27100
56	प्रतिमा चंद्राकर	रेत	12 घ.मी	27100
57	महेश साहू	रेत	03 घ.मी	10525
58	गुरूदयाल साहू	रेत	03 घ.मी	10525
59	अजीत राम साहू	रेत	03 घ.मी	10525
60	थानेश्वर कुमार	रेत	10 घ.मी	26750
61	एम.एय.नकोडा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रो.अमित कुमार जैन	रेत	07 घ.मी. (अतिरिक्त मात्रा)	26225
62	एम.एय.नकोडा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रो.अमित कुमार जैन	रेत	08 घ.मी.(अतिरिक्त मात्रा)	26400
63	सांई ट्रेडर्स बोरी	रेत	10 घ.मी	26750
64	मनीष जैन	रेत	10 घ.मी	26750
65	गौरी ट्रेडर्स	रेत	12 घ.मी	27100
66	लीला राम साहू	रेत	10 घ.मी	26750
67	महेन्द्र कुमार	रेत	10 घ.मी	26750
68	मां गायत्री हार्डवेयर और कृषि केन्द्र	रेत	12 घ.मी	27100
69	मोहन लाल	रेत	12 घ.मी	27100
70	नम्रता पति भीषण	रेत	17 घ.मी	27975
71	दिलीप ट्रांसपोर्ट एवं बिल्डींग मटेरियल	रेत	10 घ.मी	26750
72	बसंत चंद्राकर	रेत	12 घ.मी	27100
73	भीषम देवांगन	रेत	10 घ.मी	26750
74	मेसर्स सत्या बिल्डीकॉन	रेत	10 घ.मी	26750
75	जनक सिन्हा	रेत	12 घ.मी	27100
76	राहुल कोठारी	रेत	12 घ.मी	27100
77	रूपेश वर्मा	रेत	12 घ.मी	27100
78	अतुल गोयल	रेत	16 घ.मी	27800
79	लक्ष्य ट्रेडर्स	रेत	10 घ.मी	26750
80	तोकेश्वर साहू	रेत	12 घ.मी	27100
81	इंदल सिंह	रेत	10 घ.मी.	26750
82	अमित कुमार सिंघल	रेत	10 घ.मी	26750
83	मे. मां गायत्री हार्डवेयर एण्ड कृषि केन्द्र	रेत	10 घ.मी	26750

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्र.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84	कुलदीप कुमार साहू	रेत	12 घ.मी	27100
85	महेन्द्र कुमार	रेत	10 घ.मी	26750
86	ज्ञानचंद साहू	रेत	10 घ.मी	26750
87	गौतम गुप्ता बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर	रेत	10 घ.मी	26750
88	अश्विनी बंजारे	रेत	03 घ.मी.	10525
89	राजेश यदु	रेत	03 घ.मी.	10525
90	शब्बीर रिजवी	रेत	04 घ.मी.	10700
91	पद्माबाई साहू	रेत	10 घ.मी	26750
92	अनिल कुमार चावडा	रेत	10 घ.मी	26750
93	अनिल कुमार चावडा	रेत	10 घ.मी	26750
94	बालाजी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर	रेत	10 घ.मी	26750
95	लोकनाथ साहू	रेत	10 घ.मी	26750
96	थानेश्वर बारले	रेत	10 घ.मी	26750
97	संतानु कुमार साहू	रेत	10 घ.मी	26750
98	विकाश केशरवानी	रेत	10 घ.मी	26750
99	तोकेश्वर साहू	रेत	10 घ.मी	26750
100	शंकर लाल देशलहरे	रेत	10 घ.मी	26750
101	विजय कुमार चक्रधारी	रेत	10 घ.मी	26750
102	राहुल देवांगन	रेत	12 घ.मी	27100
103	दर्श अर्थ मूवर्स प्रो. दर्श कुमार जैन	रेत	12 घ.मी	27100
104	घनाराम डनसेना	रेत	10 घ.मी	26750
105	दिलीप ट्रांसपोर्ट एवं बिल्डींग मटेरियल	रेत	12 घ.मी	27100
106	हेमेन्द्र कुमार साहू	रेत	10 घ.मी	26750
107	लोढ़ा ट्रेडिंग कंपनी प्रो. मुकेश लोढ़ा	रेत	12 घ.मी	27100
108	नीलंकठ साहू	रेत	12 घ.मी	27100
109	उत्तम कुमार	रेत	04 घ.मी	10700
110	झामिन बाई	रेत	10 घ.मी	26750
111	श्रीमती वर्षा गोदवानी	रेत	10 घ.मी	26750
112	सुरज यदु	रेत	12 घ.मी	27100
113	रामकुमारी देवांगन	रेत	12 घ.मी	27100
114	ज्ञानचंद साहू	रेत	10 घ.मी	26750
115	लोकेश चंद्राकर	रेत	12 घ.मी	27100
116	रॉय ट्रेडर्स प्रो0 ब्रिज कुमार रॉय	रेत	12 घ.मी	27100
117	गोपाल जाजू	रेत	03 घ.मी.	10525
118	कुलदीप ड़डसेना	रेत	03 घ.मी.	10525
119	लोकनाथ साहू	रेत	10 घ.मी	26750
120	कपुरदास मानिकपुरी	रेत	12 घ.मी	27100
121	मनीष कुमार सिंह	रेत	10 घ.मी	26750
122	श्री राधे मिनरल्स प्रो. सुलभ अग्रवाल	रेत	03 घ.मी.(अतिरिक्त मात्रा)	25525
123	हर्ष कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर	रेत	03 घ.मी.(अतिरिक्त मात्रा)	25525
124	राजेश तेजवानी	रेत	03 घ.मी.(अतिरिक्त मात्रा)	25525
125	राजेश तेजवानी	रेत	03 घ.मी.(अतिरिक्त मात्रा)	25525
126	सुरेन्द्र कुमार	रेत	03 घ.मी.(अतिरिक्त मात्रा)	25525
127	दिव्या ट्रेडिंग प्रो. दिव्या देवागंन	रेत	03 घ.मी.(अतिरिक्त मात्रा)	25525

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्र.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
128	टुमनलाल देवागंन	रेत	03 घ.मी.(अतिरिक्त मात्रा)	25525
129	रामकिशन सिन्हा	रेत	10 घ.मी	26750
130	गोपी लाल साहू	रेत	05 घ.मी (अतिरिक्त खनिज)	25875
131	रेखा देवांगन	रेत	10 घ.मी	26750
132	रेखा देवांगन	रेत	10 घ.मी	26750
133	सत्यम देवांगन	रेत	10 घ.मी	26750
134	मोहित कुमार साहू	रेत	10 घ.मी	26750
135	लीलाराम साहू	रेत	10 घ.मी	26750
136	टिकेश्वर कुमार साहू	रेत	10 घ.मी	26750
137	मेसर्स जैन कंस्ट्रक्शन पार्टनर दिपेश जैन	रेत	10 घ.मी	26750
138	नीलंकठ साहू	रेत	10 घ.मी	26750
139	सुचित्रा साहू	रेत	12 घ.मी	27100
140	चंद्रहास चापिरा	रेत	10 घ.मी	26750
141	दर्श अर्थ मूवर्स प्रो. दर्श कुमार जैन	रेत	12 घ.मी	27100
142	जयमहेश सिन्हा	रेत	10 घ.मी	26750
143	वामन देव साहू आ. उमेद्र राम	रेत	10 घ.मी	26750
144	तोकेश साहू	रेत	10 घ.मी	26750
145	दिनेश कुमार वर्मा	रेत	12 घ.मी	27100
146	श्रीमती रीता सिंघल	रेत	10 घ.मी	26750
147	श्रीमती चंद्ररेखा साहू	रेत	03 घ.मी (अतिरिक्त मात्रा)	25525
148	अमीत/अविनाश महेश्वरी	रेत	10 घ.मी	26750
149	श्रीमती पद्मा साहू	रेत	12 घ.मी	27100
150	शेक जफर	रेत	12 घ.मी	27100
151	घनाराम डड़सेना	रेत	10 घ.मी	26750
152	लवेश कुमार चंद्राकर	रेत	10 घ.मी	26750
153	देवराज कोठारी	रेत	12 घ.मी	27100
154	टिकेश्वर कुमार साहू	रेत	12 घ.मी	27100
155	,त्रजय कुमार गंजीर	रेत	12 घ.मी	27100
156	नीलकंठ साहू	रेत	12 घ.मी	27100
157	योगेश कुमार साहू	रेत	10 घ.मी	26750
158	शंकर लाल देशलहरे	रेत	12 घ.मी	27100
159	प्रतिमा चंद्राकर	रेत	12 घ.मी	27100
160	बंसल ट्रेडलिंग	रेत	12 घ.मी	27100
161	बंसल ट्रेडलिंग	रेत	12 घ.मी	27100
162	मां दंतेश्वरी कंस्ट्रक्शन	रेत	10 घ.मी	26750
163	ठाकुर राम बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर	रेत	10 घ.मी	26750
164	गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स	रेत	12 घ.मी	27100
165	रवि मानिकपुरी	रेत	12 घ.मी	27100
166	गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स	रेत	12 घ.मी	27100
167	मेसर्स मयक टेडिंग	रेत	10 घ.मी	26750
168	मोक्ष अर्थमूर्वर एण्ड टासपोटेशन प्रो. सोहन जैन	रेत	10 घ.मी	26750
169	देवनारायण सार्वा	मुरूम	03 घ.मी	10525
170	सुरेश कुमार निर्मलकर	मुरूम	10 घ.मी	26750
171	ज्ञानचंद साहू	मुरूम	10 घ.मी	26750

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्र.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
172	संतोष कुमार साहू	मुरूम	03 घ.मी	10525
173	हिरवानी ट्रेडर्स	मुरूम	10 घ.मी	26750
174	जसविंदर सिंह	मुरूम	10 घ.मी	26750
175	रूपेश देवांगन	मुरूम	10 घ.मी	26750
176	शिव कुमार निर्मलकर	मुरूम	10 घ.मी	26750
177	अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	मुरूम	10 घ.मी	26750
178	दुर्गेश देवांगन	मुरूम	10 घ.मी	26750
179	महेन्द्र हिरवानी	मुरूम	10 घ.मी	26750
180	डोमन देशमुख	मुरूम	10 घ.मी	26750
181	अजमेल सिंह	मुरूम	10 घ.मी	26750
182	अशोक कुमार सिन्हा	मुरूम	03 घ.मी	10525
183	महेन्द्र हिरवानी	मुरूम	10 घ.मी	26750
184	कन्हैया लाल अग्रवाल	मुरूम	10 घ.मी	26750
185	कन्हैया लाल अग्रवाल	मुरूम	10 घ.मी	26750
186	कन्हैया लाल अग्रवाल	मुरूम	10 घ.मी	26750
187	दामोदर दास भूतड़ा	मुरूम	10 घ.मी	26750
188	डोमन लाल	मुरूम	10 घ.मी	26750
189	गोपी लाल साहू	मुरूम	10 घ.मी	26750
190	सालिक राम साहू	मुरूम	03 घ.मी.	10525
191	आकाश सिंह	मुरूम	10 घ.मी	26750
192	भागीरथी	मुरूम	10 घ.मी	26750
193	तेजराम साहू	मुरूम	03 घ.मी. (अतिरिक्त मात्रा)	25525
194	संतोष कुमार प्रजापति	मुरूम	10 घ.मी	26750
195	घनाराम डनसेना	मुरूम	10 घ.मी	26750
196	कन्हैया लाल अग्रवाल	चूनापत्थर	20 टन या (12.2 घ.मी.)	30600
197	तरूण निषाद	चूनापत्थर	16.39 टन या (10 घ.मी.)	29589
198	अरविंद सिंह कौर	चूनापत्थर	15 टन या (9.35 घ.मी.)	29200
199	नाकोडा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रो. अमित जैन	चूनापत्थर	10 टन या (6.1 घ.मी.)	27800
200	बृज कुमार	चूनापत्थर	12 टन या (7.32 घ.मी)	28360
201	चंद्रशेखर यदु	चूनापत्थर	22 टन या (14 घ.मी.)	31160
202	महामाया मिनरल्स, पार्ट. सत्यप्रकाश सिंन्हा	चूनापत्थर	12 टन या (07.32 घ.मी.)	28360
203	मुरलीधर राठी	चूनापत्थर	20 टन या 12.2 घ.मी.	30600
204	मादरी ठाकुर	चूनापत्थर	15 टन (9.35 घ.मी.)	29200
205	ढालु राम देवांगन	चूनापत्थर	15 टन (9.35 घ.मी.)	29200
206	रतनेश संचेती	चूनापत्थर	15 टन (9.35 घ.मी.)	29200
207	विनोद गोदवानी	चूनापत्थर	15 टन (9.35 घ.मी.)	29200
208	रणवीर सिंह राजपुत	चूनापत्थर	15 टन (9.35 घ.मी.)	29200
209	कमलेश कुमार साहू	चूनापत्थर	15 टन (9.35 घ.मी.)	29200
210	मानकी दुग्गा	चूनापत्थर	02 टन (अतिरिक्त मात्रा)	25560
211	पुष्पेन्द्र कुमार	चूनापत्थर	15 टन (9.35 घ.मी.)	29200
212	ठाकुर राम चंद्राकर	चूनापत्थर	15 टन (9.35 घ.मी.)	29200
213	जाकिर अहमद काजी	चूनापत्थर	15 टन (9.15 घ.मी)	29200
214	सुनिता राठी	चूनापत्थर	18 टन (10.98 घ.मी.)	30040
215	रॉय ट्रेडर्स प्रो0 ब्रिज कुमार रॉय	चूनापत्थर	18 टन (10.98 घ.मी.)	30040

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्र.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
216	मनीषा संचेती	चूनापत्थर	20 टन (12.2 घ.मी.)	30600
217	जगदीश प्रसाद देवांगन	चूनापत्थर	15 टन (9.15 घ.मी)	29200
218	रामकिशन सिन्हा	चूनापत्थर	20 टन (12.2 घ.मी.)	30600
219	श्रीराम बघेल	चूनापत्थर	30 टन	33400
220	विजय कुमार चंद्राकर	चूनापत्थर	15 टन (9.15 घ.मी)	29200
221	सुनिता राठी	चूनापत्थर	15 टन (9.15 घ.मी)	29200
222	केंशरीनंदन ट्रॉसपोर्ट	चूनापत्थर	15 टन (9.15 घ.मी)	29200
223	मेसर्स रॉय ट्रेडर्स प्रो. ब्रिज कुमार	चूनापत्थर	15 टन (9.15 घ.मी)	29200
224	दिलीप ट्रॉसपोर्ट एण्ड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर प्रो. नमन जैन	चूनापत्थर	15 टन (9.15 घ.मी)	29200
225	आशीष कुमार चंदेल	चूनापत्थर	14 घ.मी	31468
226	ढाल सिंह देवांगन	चूनापत्थर	20 टन (12.2 घ.मी)	30600
227	विक्रांत देवांगन	चूनापत्थर	20 टन (12.2 घ.मी)	30600
228	गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्रो. किशोर जैन	चूनापत्थर	10 टन (अतिरिक्त खनिज)	27800
229	गोविंद चंद्राकर	चूनापत्थर	25 टन	32000
230	दिलीप ट्रांसपोर्ट एण्उ बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर प्रो. नमन जैन	चूनापत्थर	15 टन(9.15 घ.मी)	29200
231	आकाश अग्रवाल	चूनापत्थर	24 टन	31720
232	मेसर्स ओम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन	चूनापत्थर	25 टन	32000
233	डिलेश्वर ठाकुर	साधारण पत्थर	03 घ.मी	11365
234	तोषण लाल कलिहारी	साधारण पत्थर	04 घ.मी.	16820
235	कोमल सिंह साहू	साधारण पत्थर	04 घ.मी.	26820
236	हरिप्रसाद सिन्हा	साधारण पत्थर	03 घ.मी.	16365
237	संतोष कुमार पंतवानी आ. जयराम पंतवानी	साधारण पत्थर	04 घ.मी.	16820
238	कोमल सिंह साहू	साधारण पत्थर	04 घ.मी.	16820
239	एवन ठाकुर	मिट्टी (ईट)	03 घ.मी	10525
240	ओमप्रकाश बघेल	मिट्टी (ईट)	02 घ.मी	10350
241	दीपक खण्डेलवाल	मिट्टी (ईट)	03 घ.मी	10525
242	यंगेश देवांगन	मिट्टी (ईट)	02 घ.मी	10350
243	यंगेश देवांगन	मिट्टी (ईट)	02 घ.मी	10350
244	पंकज कुमार	मिट्टी (ईट)	02 घ.मी	10350
245	बंसत चक्रधारी	मिट्टी (ईट)	02 घ.मी	10350
246	प्रमोद सारडा	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी.	10700
247	किरण कुमार गौतम	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी.	10700
248	शंकर गोदवानी	मिट्टी (ईट)	08 घ.मी	16400
249	विजय पाल	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी.	10700
250	दीपेश चावड़ा	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी.	10700
251	बालसिंग कोडपी	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी.	10700
252	तगेश्वर कुमार साहू	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी	10700
253	टोमन धाकड़	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी.	10700
254	भाउराम चक्रधारी	मिट्टी (ईट)	06 घ.मी	26050
255	डिलेश्वर चंद्राकर	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी.	10700
256	रूपेन्द्र कुमार साहू	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी.	10700
257	मंगलू राम देवांगन	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी	10700

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्र.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
258	वीरेन्द्र साहू	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी	10700
259	किरण कुमार गौतम	मिट्टी (ईट)	04 घ.मी	10700
260	केदार साहू	मिट्टी (ईट)	10 घ.मी	26750
261	जितेन्द्र साहू	मिट्टी (ईट)	10 घ.मी	26750
262	थानसिंह तारम	फर्शीपत्थर	03 घ.मी.	11260
263	श्रीमती कौशिल्या देवांगन	लौह अयस्क	0.96 टन (अतिरिक्त मात्रा)	28813
264	श्री अंकित सिप्पी	लौह अयस्क	1.23 टन (अतिरिक्त मात्रा)	29886
265	शेख इसराईल	लौह अयस्क	1.15 टन (अतिरिक्त मात्रा)	29568
266	गोविन्द	लौह अयस्क	0.83 टन (अतिरिक्त मात्रा)	28297
267	यशवंत कुमार देशमुख	लौह अयस्क	1.23 टन (अतिरिक्त मात्रा)	29886
268	देव माईनिंग कंपनी रायपुर	लौह अयस्क	1.11 घ.मी. (अतिरिक्त मात्रा)	30698
269	वैभव अग्रवाल	कोयला	38.240 टन	285223

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

3. अवैध भंडारण

क्रमांक	अवैध भण्डारणकर्ता का नाम	खनिज का नाम	जप्त खनिज की मात्रा	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरक राम सिन्हा	रेत	220 घ.मी	25000	
2	सोनू राम साहू	रेत	12 घ.मी	27100	
3	दिलीप जैन	रेत	80 घ.मी	25000	
4	जयेश जैन	रेत	09 घ.मी	26575	
5	चंद्रहास चापिरा	रेत	30 घ.मी	30250	
6	भागीरथी साहू	रेत	30 घ.मी	30250	
7	मेसर्स सेवासिंह ओबेरॉय एंड कंपनी	रेत	250 घ.मी	25000	250 घनमीटर का वैद्य पारपत्र प्रस्तुत किये जाने पर बगैर भण्डारण अनुज्ञप्ति के खनिज रखने पर समझौता राशि वसूल किया गया है।
8	निर्भय कंस्ट्रक्शन	रेत	28 घ.मी	29900	
9	सोनू राम साहू	रेत	18 घ.मी.	28150	
10	तगेश्वर कुमार	रेत	50 घ.मी.	33750	
11	अमर इंफ्रा. डायरेक्टर प्रो. सुशील चांडक	चूनापत्थर	60 टन	41800	
12	नरेश जैन	फर्शीपत्थर	40 घ.मी	41800	
13	मनीष पटेल	फर्शीपत्थर	20 घ.मी.	33400	
14	लेख राम साहू	फर्शीपत्थर	18 घ.मी.	32560	
15	गोपाल गुप्ता	फर्शीपत्थर	24 घ.मी	35080	

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 (क्र. 330) की जानकारी

iii=

प्रश्नाधीन अवधि दिनांक 01 जनवरी 2023 से दिनांक 20 जून 2025 तक में नगरपालिका बालोद द्वारा अपने आश्रित राजस्व ग्रामों बालोद एवं पाररास में निम्नांकित निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग का मामला संज्ञान में आने पर स्थल पर बोर्ड लगाकर/नोटिस दिया जाकर उक्त भूमि के क्रय–विक्रय के संबंध में चेतावनी दी गई थी।

क्र.	राजस्व ग्राम	ख0नं0	क्षेत्रफल (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	की गई कार्यवाही
1	बालोद (नगरीय)	621/8	0.041	सपना जैन/मोहन जैन	नगरपालिका द्वारा स्थल पर बोर्ड लगाया गया।
2	बालोद (नगरीय)	621/9	0.092	अनिता जैन/मंगल जैन	नगरपालिका द्वारा स्थल पर बोर्ड लगाया गया।
3	बालोद (नगरीय)	621/10	0.081	सपना जैन/मोहन जैन	नगरपालिका द्वारा स्थल पर बोर्ड लगाया गया।
4	बालोद (नगरीय)	621/12	0.17	मिसबाह जुलुम/मिया खां	नगरपालिका द्वारा स्थल पर बोर्ड लगाया गया।
5	बालोद (नगरीय)	621/13	0.114	सपना जैन/मोहन जैन	नगरपालिका द्वारा स्थल पर बोर्ड लगाया गया।
6	बालोद (नगरीय)	621/18	0.052	सलफिया खान/अजहर खान	नगरपालिका द्वारा स्थल पर बोर्ड लगाया गया।
7	बालोद (नगरीय)	533/4	0.0224	हेमंत तिवारी/श्री रामलाल तिवारी	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
8	बालोद (नगरीय)	533/13	0.0141	हेमंत तिवारी/श्री रामलाल तिवारी	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
9	बालोद (नगरीय)	513/16	0.1579	बुधारू/फिरतूराम	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
10	बालोद (नगरीय)	513/2	0.3306	बुधारू/फिरतूराम	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
11	बालोद (नगरीय)	731/2	0.325	धनेश्वरी/माखन लाल	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
12	बालोद (नगरीय)	731/27	0.065	धनेश्वरी/माखन लाल	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
13	बालोद (नगरीय)	732/1	0.0517	धनेश्वरी/माखन लाल	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
14	बालोद (नगरीय)	543/1	0.192	कृष्ण कुमार/बहोरन	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
15	बालोद (नगरीय)	543/2	0.0179	कृष्ण कुमार/बहोरन	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
16	बालोद (नगरीय)	543/3	0.1138	कृष्ण कुमार/बहोरन	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।

17	बालोद (नगरीय)	533 / 3	0.005	कृष्ण कुमार / बहोरन	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
18	बालोद (नगरीय)	533 / 7	0.062	कृष्ण कुमार / बहोरन	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
19	बालोद (नगरीय)	533 / 8	0.0532	कृष्ण कुमार / बहोरन	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
20	बालोद (नगरीय)	575 / 4	0.0650	दुर्गहिन / धीरपाल	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
21	बालोद (नगरीय)	575 / 7	0.013	मुकुंद, दूरगू पिता रामजी	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
22	बालोद (नगरीय)	65 / 1	0.1351	चेतनलाल / बेनूराम	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
23	बालोद (नगरीय)	67 / 1	0.053	चेतनलाल / बेनूराम	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
24	बालोद (नगरीय)	631 / 1	0.3358	सुनीता जैन / श्री ताराचंद जैन	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
25	बालोद (नगरीय)	634 / 2	0.365	मे. गोपाल राईस मिल श्री नरेन्द्र कुमार / श्री मांगी लाल जैन वगैरह	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
26	बालोद (नगरीय)	634 / 3	0.146	मे. गोपाल राईस मिल श्री नरेन्द्र कुमार / श्री मांगी लाल जैन वगैरह	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
27	बालोद (नगरीय)	917 / 1	0.6543	चंद्रहास / चेतनलाल	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
28	बालोद (नगरीय)	731 / 28	0.0678	कुलेश्वरी / माखन	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
29	बालोद (नगरीय)	549 / 2	0.6996	खेमलाल / खम्हन	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
30	बालोद (नगरीय)	549 / 15	0.3964	भंवर लाल जैन / विजय लाल	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
31	बालोद (नगरीय)	1178	0.576	शिवकुमार / बेनीराम	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
32	पाररास (नगरीय)	639 / 1	0.142	मुकेश कुमार / प्रतापराय ओटवानी	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
33	पाररास (नगरीय)	639 / 2	0.6025	मुकेश कुमार / प्रतापराय ओटवानी	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
34	पाररास (नगरीय)	639 / 3	0.7625	मुकेश कुमार / प्रतापराय ओटवानी	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
35	पाररास (नगरीय)	454 / 1	0.0181	पोषणलाल / केवलराम	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।

36	पाररास (नगरीय)	455 / 1	0.089	पोषणलाल / केवलराम	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
37	पाररास (नगरीय)	456	0.4765	पोषणलाल / केवलराम	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
38	पाररास (नगरीय)	650 / 1	0.2121	भूपतसिह / बनवाली	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
39	पाररास (नगरीय)	734 / 1	1.2331	नोहरसिह / केजूराम वगैरह	नगरपालिका द्वारा स्थल पर बोर्ड लगाया गया।
40	पाररास (नगरीय)	734 / 4	0.090	मदनलाल / कपिल	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
41	पाररास (नगरीय)	734 / 5	0.0635	बालाराम / उदेराम वगै.	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
42	पाररास (नगरीय)	734 / 6	0.0795	महोदव / पुरूषोत्तम वगै.	नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया।
43	पररास (नगरीय)	646	0.162	प्रकाश ओटवानी पिता मुकेश ओटवानी	तहसीलदार बालोद द्वारा दिनाक 25.04.2025 को स्थल पर जाकर भूमिस्वामी द्वारा निर्माण किए गए अदरूनी रास्ते को जेसीबी से नष्ट किया गया।

– इसके अतिरिक्त अवैध प्लाटिग के सबध मे अन्य कोई शिकायत / कार्यवाही निरंक है।

अपर कलेक्टर
जिला –बालोद(छ0ग0)

परिशिष्ट - सतत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 338) की जानकारी

प्रपत्र - अ

क.	जिला	युक्तियुक्तकरण किये गये शिक्षकों की संख्या	युक्तियुक्तकरण किये गये विद्यालयों की संख्या	रसोईया, स्वीपर एवं भृत्य की पदस्थापना अन्यत्र की गई है (हां / नही)
1	2	3	4	5
1	रायपुर	630	389	नही
2	गरियाबंद	400	420	नही
3	बलौदाबाजार	511	406	नही
4	महासमुन्द	690	440	नही
5	धमतरी	355	415	नही
6	दुर्ग	628	352	नही
7	बेमेतरा	344	360	नही
8	कवर्धा	276	375	नही
9	राजनांदगांव	407	349	नही
10	बालोद	695	354	नही
11	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	140	157	नही
12	मोहला–मानपुर–चौकी	183	210	नही
13	बिलासपुर	748	431	नही
14	मुंगेली	278	337	नही
15	गौरेला–पेण्ड्रा–मारवाही	229	205	नही
16	जांजगीर	550	366	नही
17	सक्ती	498	342	नही
18	कोरबा	536	469	नही
19	रायगढ़	962	557	नही
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	527	378	नही
21	अंबिकापुर	614	227	नही
22	जशपुर	549	332	नही
23	बलरामपुर	554	414	नही
24	सूरजपुर	619	278	नही
25	कोरिया	130	75	नही
26	मनेन्द्रगढ़–चिरिमिरी–भरतपुर	244	196	नही
27	जगदलपुर	782	274	नही

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर

क.	जिला	युक्तियुक्तकरण किये गये शिक्षकों की संख्या	युक्तियुक्तकरण किये गये विद्यालयों की संख्या	रसोईया, स्वीपर एवं भृत्य की पदस्थापना अन्यत्र की गई है (हां / नही)
1	2	3	4	5
28	बीजापुर	200	68	नही
29	दन्तेवाड़ा	170	76	नही
30	कांकेर	552	596	हां
31	कोण्डागांव	900	472	नही
32	नारायणपुर	129	80	नही
33	सुकमा	127	138	नही
	कुल योग	15157	10538	

टीप : शिक्षकों के रिक्त पद में प्राचार्यों के 8 पद को शामिल नही किया गया है।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–ब

जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	जिला	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी
1	2	3	4	5
1	रायपुर	27	538	195
2	गरियाबंद	279	639	196
3	बलौदाबाजार	713	413	89
4	महासमुन्द	152	565	482
5	धमतरी	43	530	197
6	दुर्ग	169	31	168
7	बेमेतरा	1078	806	831
8	कवर्धा	263	377	434
9	राजनांदगांव	112	195	203
10	बालोद	38	87	206
11	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	774	316	237
12	मोहला–मानपुर–चौकी	449	178	89
13	बिलासपुर	747	523	272
14	मुंगेली	367	200	281
15	गौरेला–पेण्ड्रा–मारवाही	74	172	55
16	जांजगीर	1	109	209
17	सक्ती	0	107	260
18	कोरबा	269	174	78
19	रायगढ़	0	391	194
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	39	477	194
21	अंबिकापुर	31	31	0
22	जशपुर	0	16	86
23	बलरामपुर	679	177	282
24	सूरजपुर	77	152	196
25	कोरिया	0	24	71
26	मनेन्द्रगढ़–चिरिमिरी–भरतपुर	48	37	143

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

क.	जिला	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी
1	2	3	4	5
27	जगदलपुर	480	196	180
28	बीजापुर	467	0	187
29	दन्तेवाड़ा	54	0	147
30	कांकेर	0	177	190
31	कोण्डागांव	0	0	160
32	नारायणपुर	64	75	106
33	सुकमा	463	21	155
	कुल योग	7957	7734	6773

टीप : शिक्षकों के रिक्त पद की गणना में प्राचार्यों के रिक्त पदों को शामिल नही किया गया है।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरिशेष्ट - अठहत्तर
अतारांकेत प्रश्न संख्या 72 (क्र. 353) की जानकारी

''प्रपत्र–अ''

वैध खदानों से वर्ष 2022 से दिनांक 20.06.2025 तक प्राप्त रायल्टी की राशि

क्र.	वर्ष	रायल्टी राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
1	2022	2381325
2	2023	1690000
3	2024	1962000
4	2025 (दिनांक 20.06.2025 तक)	530000

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

''प्रपत्र–ब''

जिला बस्तर में अवैध रेत उत्खनन की जानकारी

क्र.	अवैध उत्खनन का स्थान (ग्राम)	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	समझौता राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ष 2023–24			
1	तारापुर	श्री हेमत पाणिग्रही	36,500
वर्ष 2024–25			
1	कलचा	श्री विक्रम वैस	31,900
2	बनियागांव	श्री पुरसोती भारती	54,830
वर्ष 2025–26			
1	बनियागांव	श्री कन्हैया सेठिया	60,350
2	बनियागांव	श्री पुरसोती भारती	70,700
3	दुबेउमरगांव	श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर	8690
4		श्री मुन्नासिह ठाकुर	8690
5	भोड	श्री राजेन्द्र कश्यप	8690
6		श्री फूलचंद चौकर	8690
7		श्री परभानंद कश्यप	8690
8		श्री सुकमन बघेल	8690
9	भोड़	श्री बुधराम नाग	8690
10		श्री ओकार	8690
11		श्री दाक्षिन मौर्य	8690
12	बडेआमाबाल	ग्राम पंचायत बडेआमाबाल के सल्फीपदरपारा में रेत उत्खनन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था, दिनांक 19.05.2025 को खनि निरीक्षक द्वारा उक्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया, पंचनामा तैयार किया गया एवं खनि निरीक्षक प्रतिवेदन अनुसार उक्त स्थल पर कोई भी व्यक्ति, वाहन, मशीन रेत का उत्खनन करते नही पाया गया ।	

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - उन्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 (क्र. 354) की जानकारी

पपत्र

वर्ष 2022 से 20.06.2025 तक वन भूमियों में हुये अतिकमण शिकायतों पर की गई कार्यवाहियाँ।

क्र.	जिला	अतिक्रमण के कुल प्रकरण	अतिक्रमण की प्राप्त शिकायतें
1	कांकेर	40	5
2	नारायणपुर	8	0
3	कोण्डागांव	174	4
4	बस्तर	73	4
5	सुकमा	20	0
6	दंतेवाड़ा	0	0
7	बीजापुर	29	0
	योगः—	344	13

प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (संरक्षण)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर,अटल नगर

परिशिष्ट - अस्सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क्र. 361) की जानकारी

प्रपत्र

क.	विकासखण्ड का नाम	शाला युक्तियुक्तकरण के तहत मर्ज शालाओं की संख्या	प्रभावित शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4
1	बीजापुर	18	58
2	भैरमगढ़	14	58
3	भोपालपट्टनम	14	46
4	उसूर	19	38
योग		65	200

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - इक्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 75 (क्र. 362) की जानकारी

''प्रपत्र–अ''

बीजापुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मार्च, 2021 से मार्च, 2025 तक स्वीकृत रेत उत्खननपट्टों एवं रेत अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति की जानकारी

1. रेत उत्खननपट्टा

वर्ष	क्र.	स्वीकृत रेत खदान का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	ग्राम पंचायत / उत्खननपट्टेदार	विकासखण्ड	उत्खननपट्टा अवधि
2020–21 (मार्च 2021)	निरंक						
2021–22							
2022–23							
2023–24	1	रेगुड़ा–1	1 / 1	4.000	सरपंच, ग्राम पंचायत भद्राकाली	भोपालपटनम	08.12.2023 से 07.12.2028
	2	कोण्डामौसम–1	1	2.023	सरपंच, ग्राम पंचायत अट्टुकपल्ली	भोपालपटनम	08.12.2023 से 07.12.2028
	3	तारलागुड़ा–1	55 / 1	3.150	सरपंच, ग्राम पंचायत कोत्तूर	भोपालपटनम	07.02.2024 से 06.02.2029
	4	मिनगाचल–1	36	3.000	सरपंच, ग्राम पंचायत गदामली	भैरमगढ़	12.03.2024 से 11.03.2029
2024–25	निरंक						

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

2. रेत अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष	क्र	अनुज्ञप्तिधारी कानाम	ग्राम	तहसील	ख.क्र.	रकबा (हेक्टर में)	अनुज्ञप्ति अवधि
2020–21 (मार्च 2021)	निरंक						
2021–22	1	श्री बी. गौतम राव	तिमेड़	भोपालपटनम	170/27	0.6060	03.05.2021 से 02.05.2031 तक (10 वर्ष)
2022–23	2	श्री चैतराम नाग	मिनगाचल	भैरमगढ़	23	0.8830	20.05.2022 से 19.05.2030 तक (08 वर्ष)
	3	श्री बी. गौतम राव	तिमेड़	भोपालपटनम	186/1	0.7510	26.05.2022 से 25.05.2030 तक (08 वर्ष)
2023–24	निरंक						
2024–25	4	सरपंच, ग्राम पंचायत कोत्तूर	तारलागुड़ा	भोपालपटनम	2/36, 2/34	1.214	26.03.2025 से 25.03.2030 तक (05 वर्ष)

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

''प्रपत्र–ब''

बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में मार्च, 2021 से मार्च, 2025 तक रेत के अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण एवं उन पर की गई कार्यवाही की वर्षवार जानकारी

वित्तीय वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
1	2	3
2020–21 (मार्च 2021)	0	0
2021–22	03	861386
2022–23	01	54068
2023–24	01	50000
2024–25	0	0
योग	**05**	**965454**

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

प्रपत्र-

वर्ष 2021–22

स.क्रं.	राजस्व प्रकरण क्रं.	विक्रेता का नाम एवं पता	क्रेता का नाम एवं पता	ग्राम, प.ह.नं. व तहसील	खसरा नंबर एवं रकबा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	06/अ–21/21–22 आदेश दि. 23.05.22	अविनाश सिंह ठाकुर व. बी.एल.ठाकुर भंवरपुर बसना	महिप सिंह व.शेष प्रताप सिंह बरडिया विहार अमलीडीह रायपुर	टेमरी, प.ह.नं. 78 रायपुर	ख.नं. 412/64 रकबा 0.028 हे
2.	12/अ–21/21–22 आदेश दि. 13.06.22	दिनेश बांसवार व.बुधराम विनायक विहार कालोनी	अनुराग मिश्रा व.सतीश मिश्रा ओम सोसा.सुंदर नगर रायपुर	पटेवा, प.ह.नं. 41 अभनपुर	ख.नं. 1778 रकबा 0.34 हे. ख.नं. 1779 रकबा 0.50 हे.
3.	13/अ–21/21–22 आदेश दि. 23.05.22	कु.रेखा बांसवार पिता फिरंता चंगोराभाठा रायपुर	सतीश कुमार शर्मा व.राधिका प्रसाद सुंदर नगर रायपुर	पटेवा, प.ह.नं. 41 अभनपुर	ख.नं. 1675 रकबा 0.74 हे. ख.नं. 1677 रकबा 0.53 हे.
4.	14/अ–21/21–22 आदेश दि. 30.05.22	मेनका बांसवार पति दिनेश विनायक विहार डंगनिया	दिलीप कुमार साहू व.रामनाथ अश्वनी नगर रायपुर	पटेवा, प.ह.नं. 41 अभनपुर	ख.नं. 1777 रकबा 0.10 हे. ख.नं. 1785/1रकबा 0.04 हे. ख.नं. 1785/3रकबा 0.04 हे. ख.नं.1786/1 रकबा 0.05 हे. ख.नं. 1785/2रकबा 0.09 हे. ख.नं.1786/2 रकबा 0.04 हे. ख.नं. 1780 रकबा 0.66 हे. ख.नं. 1784 रकबा 0.10 हे. ख.नं. 1787 रकबा 0.34 हे. ख.नं. 1781 रकबा 0.49 हे.
5.	15/अ–21/21–22 आदेश दि.09.05.22	श्रीमती दिपिका खाखा पति एन.के.खाखा,सड्डु रायपुर	रिषब सुराना व.मनोहर, हलवाई लाईन रायपुर	बोरियाकला, प.ह.नं. 81 रायपुर	ख.नं. 705/9 रकबा 0.046 हे.

अनुभाग अधिकारी
राजस्व विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

वर्ष 2022–23

स.कं.	राजस्व प्रकरण कं.	विक्रेता का नाम एवं पता	क्रेता का नाम एवं पता	ग्राम, प.ह.नं. व तहसील	खसरा नंबर एवं रकबा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	13/अ–21/22–23 आदेश दि. 25.09.23	दिग्विजय सिंह व.भुवनेश्वर तेलीबांधा रायपुर	पवन कुमार नेभानी वगैरह अमलीडीह रायपुर	बोरियाकला प.ह.नं. 81 रायपुर	ख.नं. 1191/42 रकबा 1500 वर्गफुट
2.	47/अ–21/22–23 आदेश दि.25.09.23	परमानंद भोई व.द्वान भोई सरायपाली महासमुंद	स्पंज इंटर.प्रा.लि.उमेश जैन स्वर्णभूमि विधानसभा रोड रायपुर	मटिया प.ह.नं. 12 धरसींवा रायपुर	ख.नं. 479 रकबा 0.125 हे.
3.	48/अ–21/22–23 आदेश दि. 25.09.23	शशिभूषण भोई व.अनिरूद्ध सरायपाली महासमुंद	स्पंज इंटर.प्रा.लि.उमेश जैन स्वर्णभूमि विधानसभा रोड रायपुर	मटिया प.ह.नं. 12 धरसींवा रायपुर	ख.नं. 499/5रकबा 0.105 हे. ख.नं. 499/9रकबा 0.105 हे.

अनुभाग अधिकारी
राजस्व विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - तिरासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 81 (क्र. 390) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2024-25 के एफ.एल. 10 (ए) लायसेंसियों की जानकारी

क्र	वर्ष	एफ.एल. 10 (ए) लायसेंसियों का नाम एवं पता	
1	2024-25	1	बेबीलॉन अल्कलाइन प्रा. लिमिटेड, 507, 5वीं मंजिल, बेबीलोन कैपिटल, ओसवाल पेट्रोल पंप के पास, वीआईपी चौक, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
		2	एडेरियन ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड, एच.नं. 47/542, ब्राह्मण पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़
		3	इथाइल शास्त्र इंडिया प्रा. लिमिटेड, पद्मावती विद्या मंदिर, एसबीआई कॉलोनी, टिम्बर मार्केट, फाफाडीह, रायपुर, छत्तीसगढ़
		4	हंटिंगडन एंटरप्राइजेज एलएलपी, फ्लैट नंबर 208, ओम रेजीडेंसी बिलासपुर, छत्तीसगढ़
		5	नॉर्थ ईस्ट फीड एंड एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-20, हाउस ऑफ डीआर भागवत, महा कौशल प्रेस के पास, रवि नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
		6	आर.सी.जी. इम्पोर्ड एल.एल.पी. सेकण्ड फ्लोर सत्या टॉवर मरीन ड्राइव रोड रायपुर, छत्तीसगढ़
		7	सॉनेट स्पिरिट्स प्रा. लिमिटेड अवंती विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़
		8	सनफ्यूजन डायनेमिक्स प्रा. लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, आहूजा कॉम्प्लेक्स, तालापारा रोड विद्या नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
		9	वोडाबॉक्स इलेक्ट्रोमेक प्रा. लिमिटेड, सी/ओ मेसर्स ए एफ ट्रैक इवेंट्स एंड प्रमोशन्स, शॉप नंबर 2 फर्स्ट फ्लोर, सीजी गृह निर्माण मंडल, मौलश्री विहार, वीआईपी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़
		10	मेसर्स बासुकीनाथ टेली इंफ्रा प्राईवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर बी-303, गोल्डन स्काई अपार्टमेंट, व्ही.आई.पी. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - चौरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 (क्र. 394) की जानकारी

iii=

स्कूल जतन योजना अंतर्गत जिले में स्वीकृत कार्यों की जानकारी

स्वीकृति वर्ष	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का विवरण	कराये गए कार्य	स्वीकृत राशि रू. लाख में	पूर्ण	अपूर्ण	आरंभ
2022–23	बकावण्ड	मरम्मत	35	326.6700	35	0	1
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	36	780.3000	23	13	15
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2023–24		मरम्मत	69	179.3300	69	0	9
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	0	0.0000	0	0	0
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2022–23	बास्तानार	मरम्मत	31	128.5900	31	0	2
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	6	732.6600	4	2	41
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2023–24		मरम्मत	56	173.6000	56	0	6
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	2	33.4000	2	0	0
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2022–23	बस्तर	मरम्मत	38	197.4100	38	0	0
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	19	580.9200	10	9	18
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2023–24		मरम्मत	88	289.9700	88	0	14
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	0	0.0000	0	0	0
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2022–23	दरभा	मरम्मत	41	130.9300	41	0	0
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	17	448.6600	10	7	10
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2023–24		मरम्मत	34	74.9400	32	2	3
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	13	179.6900	4	9	0
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2022–23	जगदलपुर	मरम्मत	59	341.6900	57	2	0
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	14	489.4800	9	5	18
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2023–24		मरम्मत	71	210.0000	71	0	4
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	0	0.0000	0	0	0
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

स्वीकृति वर्ष	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का विवरण	कराये गए कार्य	स्वीकृत राशि रू. लाख में	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
2022–23	लोहण्डीगुडा	मरम्मत	40	277.0000	40	0	1
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	25	1066.2200	18	7	42
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2023–24		मरम्मत	82	137.3100	82	0	1
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	2	30.6000	0	2	0
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2022–23	तोकापाल	मरम्मत	39	205.6400	39	0	1
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	4	170.1200	3	1	7
		जीर्णोद्धार	0	0.0000	0	0	0
2023–24		मरम्मत	60	170.7500	60	0	2
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	0	0.0000	0	0	0
		जीर्णोद्धार	0	0	0	0	0
2022–23	जिला योग	मरम्मत	283	1607.93	281	2	5
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	121	4268.36	77	44	151
		जीर्णोद्धार	0	0.00	0	0	0
2023–24	जिला योग	मरम्मत	460	1235.90	458	2	39
		अतिरिक्त कक्ष निर्माण	17	243.69	6	11	0
		जीर्णोद्धार	0	0.00	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

पॉरिशेष्ट - पच्चासी

अतारांकेत प्रश्न संख्या 85 (क्र. 402) की जानकारी

प्रपत्र - अ

क्र.	विकासखण्ड	युक्तियुक्तकरण के तहत मर्ज किये गये स्कूलो की संख्या	एकल शिक्षकीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1	पाली (वि.सं. पाली–तानाखार क्षेत्र)	52	20
2	पोडी–उपरोड़ा (वि.सं. पाली–तानाखार क्षेत्र)	134	30
योग		186	50

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

प्रपत्र - ब

क्र.	विकासखण्ड	युक्तियुक्तकरण एवं शिक्षक पदस्थापना में प्राप्त आपत्तियों / शिकायतों की संख्या	प्राप्त आपत्ति / शिकायतों की निराकृत संख्या	प्राप्त आपत्ति / शिकायतों की लंबित संख्या
1	2	3	4	5
1	पाली (वि.सं. पाली–तानाखार क्षेत्र)	21	21	0
2	पोडी–उपरोड़ा (वि.सं. पाली–तानाखार क्षेत्र)	22	22	0
योग		43	43	0

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

परिशिष्ट - छियासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 86 (क्र. 405) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिला कोरबा के अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची

क्र.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल
1.	कोरबा	औद्योगिक	सुपर थर्मल पॉवर, बाल्को,
2.	पाली	ऐतिहासिक, धार्मिक	प्राचीन शिवमंदिर
3.	लाफागढ़	ऐतिहासिक, धार्मिक	प्राचीन किला, गुफा, महामाया मंदिर
4.	चैतुरगढ़	ऐतिहासिक, धार्मिक	प्राचीन किला, गुफा, प्राकृतिक दृश्य
5.	केन्दई	जलप्रपात, प्राकृतिक	जल प्रपात
6.	तुम्हान	पुरातात्विक	प्राचीन शिवमंदिर
7	ळसदेव बांगो, ग्राम बांगो	जलाशय, प्राकृतिक	बांध दृश्य

उक्त चिन्हांकित पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त कोरबा जिले में 01 राज्य संरक्षित स्मारक **"कबीर पंथी सदगुरूओं की मजार कुदुरमाल"** में स्थित है ।

07/07/2025
अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–ब

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जिला कोरबा में कराये जा रहे कार्यों का विवरण

- हसदेव बागों जलाशय के सतरेंगा में पर्यटक रिसॉर्ट एवं बोट क्लब का विकास कर संचालन किया जा रहा है।
- सतरेंगा, बुका, सर्वमंगला मंदिर एवं अन्य पर्यटन स्थलों के विषय में विस्तृत जानकारी एवं बेसिक पर्यटक सुविधाओं का प्रस्ताव मंगाया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर बजट उपलब्धतानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।
- चैतुरगढ़ में प्राचीन किला एवं महामाया मंदिर परिसर में सामुदायिक शौचालय एवं सोलर लाईट की स्थापना हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं निर्माण कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, ड्राइंग डिजाईन मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर बजट उपलब्धतानुसार आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल द्वारा पाली, तुम्हान एवं चैतुरगढ़ में स्मारकों की सुरक्षा एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त दैनिक रखरखाव साईनेज और बुनियादी पर्यटक सुविधाओं का विकास भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त कोरबा जिले के ग्राम कुदुरमाल में कबीर पंथी सदगुरूओं की मजार का रखरखाव कार्य राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है ।
- राज्य में पर्यटन गतिविधियों एवं अधोसंरचना विकास हेतु भूमि बैंक बनाया जा रहा है। इसके लिए समस्त जिला कलेक्टरों को उनके जिले के पर्यटन स्थलों के समीप एवं उसके आस–पास स्थित उपयुक्त रिक्त भूमि की मांग की गयी है।
- राज्य के राजमार्गों एवं बायपास मार्गों में पर्यटक सुविधा केन्द्र (Way Side Amenities) के विकास हेतु जिला प्रशासन से उपयुक्त भूमि की मांग की गयी है। जिला प्रशासन से उपयुक्त भूमि का आबंटन प्राप्त होने उपरान्त इस संबंध में आगामी कार्यवाही की जायेगी।
- जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने एवं स्थानीय लोंगो को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से होमस्टे पॉलिसी बनायी गयी है।
- समय–समय पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं पर्यटन पत्रिकाओं के माध्यम से जिले में स्थित पर्यटन स्थलों का निरंतर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

07/07/2025
अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–स

सतरेंगा पर्यटक रिसॉर्ट एवं बोट क्लब में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों का विवरण

क्र	स्थानीय कर्मचारी के नाम	पदनाम
1	श्री राकेश एक्का	फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट
2	इस्तखार खान	रुम ब्वाय
3	सुश्री अम्रिता	वेटर
4	सुश्री सुनिता	वेटर
5	श्री विश्वनाथ	बोटराइडर
6	श्री रामेशवर	बोटराइडर
7	श्री कुशल	बोटराइडर
8	श्री जशपाल	बोटराइडर
9	श्री राजेन्द्र	बोटराइडर
10	श्री सुनील	बोटराइडर
11	श्री नोहर	बोटराइडर
12	श्री अजेन्द्रपाल	बोटराइडर
13	श्री विशाल	बोटराइडर
14	श्री देवराज उइके	सुरक्षाकर्मी
15	श्री पवन सिंग	सुरक्षाकर्मी
16	श्री शुभम मिश्रा	सुरक्षाकर्मी

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के उद्देश्य से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल द्वारा महादेव मंदिर पाली जिला कोरबा में श्री संतोष कुमार झाड़े को आकस्मिक श्रमिक के रूप में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार नियोजित किया गया है तथा कोरबा जिले में स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर दिन–प्रतिदिन के रख–रखाव के काम के लिए कुल 08 अस्थायी मजूदरों को ठेकेदार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार नियोजित किया गया है ।

07/07/2025
अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–अ

बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत फदहाखार में योजनावार किए जा रहे कार्यों का विवरण

मद का नाम	योजना का नाम	किए जा रहे कार्य का नाम
2	3	4
नगर वन योजना	नगर वन योजना	पार्किंग निर्माण कार्य (कार्य प्रगति पर है)
नगर वन योजना	नगर वन योजना	कार्पेट ग्रास कार्य (कार्य प्रगति पर है)
नगर वन योजना	नगर वन योजना	शौचालय निर्माण कार्य क्रमांक 01 (कार्य प्रगति पर है)
नगर वन योजना	नगर वन योजना	शौचालय निर्माण कार्य क्रमांक 02 (कार्य प्रगति पर है)
नगर वन योजना	नगर वन योजना	ओव्हर हेड टेंक निर्माण कार्य (कार्य प्रगति पर है)
नगर वन योजना	नगर वन योजना	सी.पी.टी. निर्माण कार्य (कार्य प्रगति पर है)
नगर वन योजना	नगर वन योजना	केकटस प्लांट कार्य (कार्य प्रगति पर है)
नगर वन योजना	नगर वन योजना	चिल्ड्रन प्ले एरिया निर्माण कार्य (कार्य प्रगति पर है)
नगर वन योजना	नगर वन योजना	स्प्रीकलंर सिस्टम निर्माण कार्य (कार्य प्रगति पर है)
नगर वन योजना	नगर वन योजना	मेज गार्डन भाग 01 से 06 तक (कार्य प्रगति पर है)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

प्रपत्र–ब

विगत 05 वर्षों में वन विभाग द्वारा फदहाखार में किए गए कार्य, योजना, मद एवं राशि का विवरण

वर्ष (विगत 5 वर्ष)	मद का नाम	योजना का नाम	किए गए कार्य का नाम	प्राप्त राशि (रू.में)	व्यय राशि (रू.में)
1	2	3	4	5	6
2020–21 से 2024–25 तक	विभागीय	—	निरंक	0	0
2020–21 से 2024–25 तक	कैम्पा	Head (4) sub Head 4.11 001 Conversation and development of Biology	चैनलिक फैसिंग कार्य 7600 रमी फदहाखार 1 आर.एफ.	**13634400**	**13583914**
2020–21 से 2024–25 तक	मनरेगा	मनरेगा	वर्ष 2021–22 में मनरेगा योजनांतर्गत फदहाखार रोपणी भाग 1 व 2 में मिश्रित पौधा (80000) तैयारी कार्य स्वीकृत हुआ था जिनका समयावधि में कार्य पूर्ण कर कार्यपूर्णता संबंधी सी.सी. लगा दी गई है।	**1556000**	**1096401**
2020–21 से 2024–25 तक	नगर वन	नगर वन योजना	क्षेत्र सफाई कार्य	739028	737528
			मुरूम रोड़ निर्माण कार्य लंबाई 2 कि.मी.	3841000	3840200
			सर्वे सीमांकन कार्य	250000	250000
			सुरक्षा कार्य	207168	207168
			खरपतवार निंदाई	1407500	1406515
			बोर खनन	550000	550000
			ऑफिसर रेस्ट हॉल	765000	765000
			तालाब निर्माण क्रमांक 01, 02 एवं 03	1125000	1125000
			तालाब निर्माण	1495368	1495053
			Small Pond Renovation	341735	341735
			पाथवे निर्माण कार्य क्रमांक 01 एवं 02	833414	833414
			टिकट काउण्टर	134941	134941
			गेट निर्माण कार्य	827319	827319
			नाली निर्माण कार्य	496908	496908
			हर्बल गार्डन 01 से 06 तक	1020619	1020619
				14035000	**14031400**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ द्वारा अनुमोदित

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

शिवघाट एवं पचरीघाट बैराज निर्माण कर्ता फर्म श्री सुनील कुमार अग्रवाल, "अ" श्रेणी ठेकेदार, सेवा कुंज रोड, गर्ल्स कॉलेज के पास, रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा विगत 05 वर्षों में प्राप्त निविदा की जिलेवार जानकारी

राशि रू. लाख में

स.क्र.	कार्य का नाम	जिला	अनुबंधित राशि	अनुबंधित समायावधि	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य पूर्ण करने का दिनांक	समय वृद्धि	कार्य पूर्ण करने का वास्तविक तिथि	कार्य की भौतिक स्थिति		अभियुक्ति
									पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रविशंकर सागर बांध गंगरेल के स्पील चैनल, पायलेट चैनल का खुदाई कार्य, प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण एवं सुधार एवं निरीक्षण रोड का निर्माण कार्य।	धमतरी	2838.40	24 माह	04.04.2022	03.04.2022	-	11.05.2025	पूर्ण	–	इस कार्य को संयुक्त रूप से (JV) निम्नलिखित फर्मों के द्वारा कार्य संपादित कराया गया है। (1) मे.एम.के.ए. प्रसाद (JV) "अ" श्रेणी ठेकेदार, फरिस्ता कॉम्पलेक्स, रायपुर (2) श्री सुनील कुमार अग्रवाल, "अ" श्रेणी ठेकेदार, रायगढ़
2	इन्द्रावती नदी पर चित्रकोट फाल के नीचे करेकोट में एनीकट सह पुलिया निर्माण कार्य	बस्तर	1804.00	18 माह	18.06.2024	17.12.2025	-	-	–	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर
3	दुधावा दायी तट नहर जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य	कांकेर	1696.30	14 माह	21.02.2024	20.04.2025	प्रथम समयावृद्धि 20.04.2026 तक	-	–	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर
4	कोरबा जिले के हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत फरसवानी उपशाखा नहर में लाईनिंग का मरम्मत कार्य एवं पक्के कार्य।	जांजगीर–चांपा	803.51	15 माह	13.03.2024	13.06.2025	ठेकेदार से समयावृद्धि हेतु आवेदन अप्राप्त	-	–	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर
5	अरपा नदी पर पचरीघाट बैराज निर्माण।	बिलासपुर	3851.00	24 माह	13.01.2021	13.01.2023	30.06.2025 तक	-	–	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर रू. 6639.87 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित।

स.क्र.	कार्य का नाम	जिला	अनुबंधित राशि	अनुबंधित समायावधि	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य पूर्ण करने का दिनांक	समय वृद्धि	कार्य पूर्ण करने का वास्तविक तिथि	कार्य की भौतिक स्थिति		अभियुक्ति
									पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	अरपा नदी पर शिवघाट बैराज निर्माण।	बिलासपुर	4040.51	24 माह	13.01.2021	13.01.2023	30.06.2025 तक	-	–	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर रू. 6066.40 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित।
7	शिवनाथ नदी पर घोघरा एनीकट निर्माण। (औद्योगिक प्रयोजन)	बिलासपुर	2441.00	18 माह	06.04.2023	06.10.2024	15.06.2025 तक	-	–	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर ठेकेदार द्वारा समयावृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
8	देवगढ़ व्यपवर्तन योजना	सरगुजा	3373.65	24 माह	12.03.2024	12.03.2026	–	-	–	अपूर्ण	–
9	रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग के अंतर्गत ग्राम बेनीडीह महानदी में तटबंध का निर्माण कार्य।	रायपुर	1116.91	16 माह	13.03.2024	13.07.2025	–	-	–	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर
10	महानदी पर लाटा एनीकट।	बलौदाबाजार भाटापरा	3487.00	30 माह	31.03.2023	01.10.2025	–	-	–	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर
11	गरियाबंद जिले के पैरीघुम्मर व्यपवर्तन योजना की दांयी तट नहर निर्माण कार्य।	गरियाबंद	4040.78	24 माह	15.03.2024	15.03.2026	–	-	–	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर
12	धमतरी जिले के विकासखण्ड नगरी की बरबांधा जलाशय के बांध का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य, दांयी आरे स्पील चौनल का मिट्टी कार्य, दांयी ओर स्पील चौनल के वेस्ट वियर एवं 02 नग फाल का निर्माण कार्य, बांयी और स्पील चौनल के वेस्ट वियर एवं 01 नग फाल का मरम्मत कार्य, मुख्य नहर एवं लघु नहरों का जीर्णोद्धार कार्य, 02 नग फाल का नवीनीकरण कार्य एवं 13 नग व्ही.आर.बी. का निर्माण कार्य तथा 18 नग आउटलेट का निर्माण कार्य।	धमतरी	1405.19	18 माह	20.06.2024	20.12.2025	–	-	–	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 06-07-2025
15:36:39

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत खम्हारपाकुट जलाशय योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी

राशि रू. लाख में

स.क्र.	कार्य का नाम	जिला	विकासखण्ड	योजना की प्रशाकीय स्वीकृति का संदर्भ		ठेकेदार का नाम	अनुबंध की राशि	अब तक किया गया व्यय	रिमार्क
				दिनांक	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	खम्हारपाकुट जलाशय योजना के जामबहार माईनर जीर्णोद्धार रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य	रायगढ़	लैलूंगा	05.10.2023	293.77	श्री राजकुमार मिश्रा 'अ' वर्ग ठेकेदार धरमजयगढ़	288.63	218.00	अनुबंध के अनुसार जामबहार माईनर में 1200 मी. तथा जामबहार सब–माईनर में 540 मी. व मुख्य नहर में 2320 मी. लाईनिंग कार्य प्रस्तावित है। अनुबंध में 16 नग संरचना के मरम्मत कार्य भी शामिल है।
2	खम्हारपाकुट जलाशय योजना का शीर्ष एवं मुख्य नहर जीर्णोद्धार रिमाडलिंग एवं चैन 0 से 7 कि.मी.	रायगढ़	लैलूंगा	05.10.2023	282.16	श्री पवन कुमार अग्रवाल अ वर्ग ठेकेदार बिलासपुर	271.00	87.36	अनुबंध के अनुसार इस योजना के मुख्य नहर का 2810 मी. लाईनिंग का कार्य प्रस्तावित है, तथा 2 नग पक्के संरचनाओं का निर्माण व 11 नग पक्के संरचनाओं का मरम्मत कार्य शामिल है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 (क्र. 502) की जानकारी

प्रदेष में वर्ष 2024 से 20.06.2025 तक बेमौसम बारिष से हुई फसल क्षति की जानकारी

क0	जिले का नाम	तहसील/ब्लाक का नाम	फसल का नाम	रकबा (हे0 में)	भुगतान की गई राषि	शेष राषि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	रायपुर	मक्का	10.010	24000.00	0.00	
		अभनपुर	धान	1056.854	1398462.00	0.00	
		तिल्दा	धान	11.400	99200.00	0.00	
		आरंग	धान/खरबुज/सब्जी/चना/गेहूं	159.722	1797191.00	0.00	
			योग	**1237.986**	**3318853.00**	**0.00**	
2	महासमुंद	महासमुंद	धान	1821.76	30970066.00	0.00	
		बागबाहरा	धान	95.400	1621988.00	0.00	
		बसना	मूंग/गेहूं/उड़द/सब्जी/मूंगफली	585.96	9999424.00	0.00	
			योग	**2503.12**	**42591478.00**	**0.00**	
3	धमतरी	नगरी	धान/चना	222.68	4018710.00	0.00	
			योग	**222.68**	**4018710.00**	**0.00**	
4	बलौदाबाजार–भाटापारा		0	0	0	0	
5	गरियाबंद	मैनपुर	धान	2.910	22780.00	0.00	
		देवभाग	चना/मटर	20.530	0.00	174505.00	
			योग	**23.440**	**22780.00**	**174505.00**	
6	दुर्ग	धमधा	चना/गेहूं/तिवरा/टमाटर/सागभाजी/धान/मूंग	11351.598	137882142.00	0.00	260 किसानों का भुगतान शेष है।
		अहिवारा	चना/गेहूं/तिवरा/मक्का/टमाटर/केला/प्याज/लौकी/कटहल/ पपीता	672.970	11221465.00	0.00	
		बोरी	चना/गेहूं/धान/अरहर/केला/ सब्जी/सागभाजी	242.477	4037853.00	0.00	
		पाटन	धान/तिवरा/ सरसों/चना	98.814	1684159.00	0.00	
		भिलाई–3	केला	1.250	21000.00	0.00	
		दुर्ग	सागभाजी/खीरा/राहर/फल/अरहर	61.820	727549.00	0.00	
			योग	**12428.929**	**155574168.00**	**0.00**	
7	राजनांदगांव	छुरिया	धान	2.663	22634.00	0.00	
		राजनांदगांव	सागसब्जी/चना/गेहू/मूंग	36.590	531948.00	0.00	
		डोंगरगांव	खीरा	1.465	24905.00	0.00	
			योग	**40.718**	**579487.00**	**0.00**	

8	कबीरधाम	कबीरधाम	चना / गेहू / रबि फसल	11257.327	153771841.00	0.00	
		सहसपुर–लोहारा	चना / गेहू / रबि फसल	85813.620	157577202.00	0.00	
		बोड़ला	चना / गेहू / रबि फसल	3734.799	52418214.00	0.00	
		पण्डरिया	चना / गेहू / रबि फसल	1181.411	16287795.00	0.00	
		योग		**101987.157**	**380055052.00**	**0.00**	
9	बालोद	गुरूर	मक्का	1.26	11990.00	0.00	
		अर्जुन्दा	सागसब्जी / गेहू / खरबुजा	15.75	284240.00	0.00	
		गुण्डरदेही	केला / सरसों / तिवरा / सागसब्जी / कोदो	11.59	238427.00	0.00	
		योग		**28.600**	**534657.000**	**0.000**	
10	बेमेतरा	0	0	0	0	0	
11	मोहला–मानपुर– अ. चौकी	मोहला	धान / मक्का / उड़द / तिवरा	11.103	64322.00	30371.00	
		मानपुर	मक्का	8.349	174386.00	0.00	
		अम्बागढ़ चौकी	मक्का / धान	1.938	16475.00	0.00	
		खड़गांव	धान	0.745	0.00	6332.00	
		योग		**22.135**	**255183.00**	**36703.00**	
12	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	खैरागढ़	चना / मूंग / केला	6808.859	32400408.00	17587076.00	
		छुईखदान	चना / केला / पपीता / सोयाबीन	34669.51	87927392.00	2053860.00	
		योग		**41478.369**	**120327800.00**	**19640936.00**	
13	बिलासपुर	बिलासपुर	गेहूं	0.324	13264.00	0.00	
		बिल्हा	गेहूं / चना	4.367	73949.00	0.00	
		योग		**4.691**	**87213.00**	**0.00**	
14	मुंगेली	पथरिया	धनिया / गेहूं / चना / बटरी / तिवरा	59.699	507447.00	0.00	
		योग		**59.699**	**507447.00**	**0.00**	
15	जांजगीर–चांपा	0	0	0	0	0	
16	कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	गेहूं / अल्सी / सागसब्जी	11.305	61760.00	0.00	
		योग		**11.305**	**61760.00**	**0.00**	
17	रायगढ़	रायगढ़	टमाटर / गेहूं / सरसों / तरबुज / मूंग / उड़द	13.9940	237907.0000	0.00	
		पुसौर	गेहूं / सरसों / मूंग / उड़द	3.1590	53703.0000	0.00	
		योग		**17.1530**	**291610.0000**	0.00	
18	गौरेला–पण्ड्रा–मरवाही	मरवाही	धान	1.820	16500.00	0.00	
		पेण्ड्रा	धान	82.692	711998.00	0.00	
		योग		**84.512**	**728498.00**	**0.00**	
19	सक्ती	सक्ती	चना / मसूर / उड़द / गेहूं	1.620	18000.00	0.000	
		योग		**1.620**	**18000.00**	**0.000**	
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	0	0	0	0	0	

21	बस्तर	जगदलपुर	मक्का / धान	14.923	240487.00	0.00	
		लोहण्डीगुड़ा	मक्का	4.940	68570.00	0.00	
		तोकापाल	मक्का / धान	47.320	705037.00	0.00	
		बस्तर	मक्का	2.960	50320.00	0.00	
		बकावण्ड	मक्का / टूमाटर / बिंस / खीरा / अन्य सब्जी	11.915	202555.00	0.00	
		भानपुरी	मक्का	4.850	72335.00	0.00	
		नानगुर	मक्का	3.400	16000.00	0.00	
		योग		**90.308**	**1355304.00**	**0.00**	
22	**दन्तेवाड़ा**	0	0	0	0	0	
23	**बीजापुर**	0	0	0	0	0	
24	सुकमा	छिन्दगढ़ / तोंगपाल	धान	16.235	138800.00	0.00	
		गादीरास	धान	96.012	240500.00	0.00	
		योग		**112.247**	**379300.00**	**0.00**	
25	कोण्डागॉव	कोण्डागॉव	मक्का / धान / सब्जी	210.657	3585821.00	0.00	
		फरसगांव	मक्का / धान	59.050	367573.00	120421.00	
		माकड़ी	मक्का / धान	279.00	442111.00	4290881.00	
		बडेराजपुर	मक्का	4.707	81694.00	0.00	
		योग		**553.414**	**4477199.00**	**4411302.00**	
26	कांकेर	कांकेर	धान	55.65	473065.00	0.00	
		चारामा	प्याज	0.1	2000.00	0.00	
		नरहरपुर / सरोना	धान	164.55	2749920.00	0.00	
		भानुप्रतापपुर	खरबुज / लौकी / धान / उड़द / चना	20.58	245280.00	0.00	
		अंतागढ़ / आमाबेड़ा	धान / मक्का / उड़द	3.05	34964.00	0.00	
		दुर्गकोंदल	धान / मक्का	6.60	53805.00	0.00	
		पखांजुर / बांधे / कोय लीबेड़ा	मक्का	1000.554	2869017.00	13868998.00	
		योग		**1251.084**	**6428051.00**	**13868998.00**	
27	**नारायणपुर**	0	0	0	0	0	
28	सरगुजा	उदयपुर	सरसों / गेहूं / मिर्च / टमाटर / मटर / धान	6.978	61084.00	0.00	
		बतौली	उड़द	0.364	6552.00	0.00	
		योग		**7.342**	**67636.00**		
29	सूरजपुर	सूरजपुर	धान	0.02	1000.00	0.00	
		भैयाथान	गेहू / सरसों, / उड़द / अल्सी / मिर्च / टमाटर	117.98	1627324.00	0.00	
		रामानुजनगर	धान / गेहूं	21.02	161816.00	0.00	
		ओड़गी	प्याज / बरबट्टी / टमाटर	0.24	48000.00	0.00	

		प्रतापपुर	गेहू / सरसों, / तरबूज / खीरा / लौकी / बैगन / करेला / उड़द / गोभी / अल्सी / प्याज / टमाटर / मटर	40.65	691090.00	0.00	
		योग		**179.91**	**2529230.00**	**0.00**	
30	बलरामपुर	कुसमी	उड़द / सागसब्जी	16.941	143998.00	0.00	
		शंकरगढ़	उड़द / सागसब्जी	4.393	34697.00	0.00	
		राजपुर	उड़द / सागसब्जी	50.960	326000.00	0.00	
		योग		**72.294**	**504695.00**	**0.00**	
31	जशपुर	मनोरा	धान	5.362	54332.00	0.00	
		बगीचा	टमाटर	23.003	3007100.00	0.00	
		योग		**28.365**	**3061432.00**	**0.00**	
32	कोरिया	सोनहत	गेहू / उड़द / सब्जीं	0.532	37000.00	0.00	
		योग		**0.532**	**37000.00**	**0.00**	
33	मनेद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	खड़गवां	मटर / चना / गेहूं	9.94	60300.00	0.00	
		योग		**9.94**	**60300.00**	**0.00**	
महायोग				**162429.185**	**724811411.00**	**38132444.00**	